Eighteenth Series, Vol. V No. 15

Saturday, December 14, 2024
Agrahayana 23, 1946 (Saka)

LOK SABHA DEBATES

(Original Version)

Third Session

(Eighteenth Lok Sabha)

सत्यमेव जयते

(Vol. V contains Nos. 11 to 20)

LOK SABHA SECRETARIAT

NEW DELHI

EDITORIAL BOARD

Utpal Kumar Singh

Secretary-General

Lok Sabha

Mamta Kemwal

Joint Secretary

Bishan Kumar

Director

Narad Prasad Kimothi

Sunita Thapliyal

Joint Director

Maneesha Bhushan

Deputy Director

Dr. Shabnam Shaheen

Editor

© 2024 Lok Sabha Secretariat

None of the material may be copied, reproduced, distributed, republished, downloaded, displayed, posted or transmitted in any form or by any means, including but not limited to, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission of Lok Sabha Secretariat. However, the material can be displayed, copied, distributed and downloaded for personal, non-commercial use only, provided the material is not modified and all copyright and other proprietary notices contained in the material are retained.

C O N T E N T S

Eighteenth Series, Vol. V, Third Session, 2024/1946 (Saka)
No. 15, Saturday, December 14, 2024/ Agrahayana 23, 1946 (Saka)

S U B J E C T	P A G E S
OBITUARY REFERENCES	9-10
MESSAGE FROM RAJYA SABHA	11
DISCUSSION ON GLORIOUS JOURNEY OF 75 YEARS OF THE CONSTITUTION OF INDIA	12-532
Shri Kiren Rijiju	12-37
Shri A. Raja	37-56
Shri Lavu Srikrishna Devarayalu	57-64
Shri Sudhakar Singh	64-67
Shri Maddila Gurumoorthy	67-70
Shri Rajesh Ranjan	70-74
Shri Sukhdeo Bhagat	74-77
Shri Tejasvi Surya	78-87
Shri Zia Ur Rehman	87-93
Dr. Rajkumar Sangwan	94-96
Dr. Thol Thirumaavalavan	97-100
Shri Vijay Kumar Hansdak	100-102
Shri Rahul Gandhi	102-109
Shri Anurag Singh Thakur	109-113

Dr. Shrikant Eknath Shinde	113-124
Shri N. K. Premachandran	126-131
Shri Raja Ram Singh	131-133
Shri Mian Altaf Ahmad	133-135
Shri Ravi Shankar Prasad	136-144
Kumari Selja	144-147
Shri Asaduddin Owaisi	147-154
Prof. Sougata Ray	155-157
Shri Alfred Kanngam S. Arthur	157-160
Shri Durai Vaiko	160-162
Adv. Chandra Shekhar	162-166
Shri Imran Masood	166-168
Adv. Priya Saroj	169-171
Shri Kodikunnil Suresh	171-173
Shri Joyanta Basumatary	174-176
Shri Umeshbhai Babubhai Patel	176-178
Sushri S. Jothimani	178-181
Shrimati Anupriya Patel	181-186
Sushri Praniti Sushilkumar Shinde	187-189
Shrimati Aparajita Sarangi	189-192
Shri Arun Kumar Sagar	192-194
Shri Narayandas Ahirwar	195-196
Shri K. Radhakrishnan	196-198

Shri Krishna Prasad Tenneti	199-202
Dr. Rani Srikumar	203-209
Dr. T. Sumathy *alias* Thamizhachi Thangapandian	209-224
Dr. Alok Kumar Suman	224-226
Adv. Dean Kuriakose	227-229
Shri Saptagiri Sankar Ulaka	229-236
Shri Manoj Tiwari	236-238
Dr. Rajesh Mishra	238-242
Shri Naveen Jindal	242-245
Shri Chandra Prakash Joshi	245-250
Shri Naresh Ganpat Mhaske	250-252
Shri Janardan Singh Sigriwal	252
Shri Sanjay Uttamrao Deshmukh	252-254
Shri Devusinh Chauhan	254-258
Adv. Gowaal Kagada Padavi	258-266
Shri Rao Rajendra Singh	266-295
Shri G. Selvam	296
Shri Chandra Prakash Choudhary	296-299
Shri Vishaldada Prakashbapu Patil	300-302
Adv. Adoor Prakash	302-305
Shri Pushpendra Saroj	305-308
Shri Dileshwar Kamait	308-311
Shri Dilip Saikia	311-314

Dr. Prashant Yadaorao Padole	314-319
Shri Shankar Lalwani	319
Dr. Hemang Joshi	320
Shri Damodar Agrawal	320-322
Shrimati Sangeeta Kumari Singh Deo	322-327
Shri D. M. Kathir Anand	327-334
Shri S. Jagathratchakan	334-342
Dr. Kalanidhi Veeraswamy	342-343
Shrimati Kamlesh Jangde	343-345
Shrimati Lovely Anand	345-349
Shrimati Malvika Devi	349-355
Shri Balwant Baswant Wankhade	355-361
Shri Mahesh Kashyap	361-364
Shri Benny Behanan	364-375
Shrimati Pratibha Suresh Dhanorkar	375-380
Shrimati Kriti Devi Debbarman	380-381
Dr. Lata Wankhede	381-385
Dr. K. Sudhakar	386-390
Shri Laxmikant Pappu Nishad	390-391
Shri Pradeep Purohit	391-394
Dr. Rajeev Bharadwaj	395-396
Shri Yaduveer Wadiyar	396-405
Shri Arun Govil	405-408

Shri Suresh Kumar Kashyap	408-411
Dr. Faggan Singh Kulaste	411-417
Shri Radha Mohan Singh	417-420
Shri Ummeda Ram Beniwal	421-424
Dr. Manna Lal Rawat	424-428
Shrimati Smita Uday Wagh	428-430
Shri Parbhubhai Nagarbhai Vasava	430-432
Shri C. N. Annadurai	433-435
Shrimati Bharti Pardhi	435-438
Shri Chamala Kiran Kumar Reddy	438-444
Shri Shashank Mani	444-449
Shri G. M. Harish Balayogi	449-452
Shri Harendra Singh Malik	452-454
Shrimati Manju Sharma	454-458
Shri Bidyut Baran Mahato	458-460
Shrimati Kalaben Mohanbhai Delkar	461-464
Shrimati Supriya Sule	464-468
Shri Saleng A. Sangma	468-469
Shri Rajeshbhai Naranbhai Chudasama	469-471
Shrimati Poonamben Maadam	471-474
Shri Vinod Lakhamshi Chavda	474-476
Shri Utkarsh Verma Madhur	476-477
Shri Jitan Ram Manjhi	477-480

Dr. Mohammad Jawed	481-482
Shri Abhijit Gangopadhyay	482-483
Shri P. P. Chaudhary	484-485
Shri Sanatan Pandey	485-486
Shri Ashok Kumar Rawat	486-488
Shri Devesh Shakya	488-489
Dr. Namdeo Kirsan	489-493
Shri Ramesh Awasthi	493-498
Dr. Bhola Singh	498-501
Shri Radheshyam Rathiya	501-502
Shri Narendra Modi	503-532

OFFICERS OF LOK SABHA

THE SPEAKER

Shri Om Birla

PANEL OF CHAIRPERSONS

Shri Jagdambika Pal

Shri P. C. Mohan

Shrimati Sandhya Ray

Shri Dilip Saikia

Kumari Selja

Shri A. Raja

Dr. Kakoli Ghosh Dastidar

Shri Krishna Prasad Tenneti

Shri Awadhesh Prasad

SECRETARY GENERAL

Shri Utpal Kumar Singh

LOK SABHA DEBATES

LOK SABHA

Saturday, December 14, 2024/ Agrahayana 23, 1946 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[**HON. SPEAKER** *in the Chair*]

OBITUARY REFERENCES

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मुझे अत्यंत दुःख के साथ अपने पांच पूर्व साथियों के निधन के बारे में सभा को सूचित करना है।

श्री प्रभात सामंतराय ओडिशा के केन्द्रपाड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से बारहवीं और तेरहवीं लोक सभा के सदस्य थे। इससे पहले श्री सामंतराय राज्य सभा के सदस्य भी थे।

उन्होंने रेल संबंधी समिति, अधीनस्थ विधान संबंधी समिति, उद्योग संबंधी समिति, लोक लेखा समिति, मानव संसाधन विकास संबंधी समिति और सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के सदस्य के रूप में भी अपनी सेवाएं दीं।श्री प्रभात सामंतराय का निधन 17 अक्तूबर, 2024 को 74 वर्ष की आयु में भुवनेश्वर में हुआ।

डॉ. के. मलयसामी तमिलनाडु के रामनाथपुरम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से तेरहवीं लोक सभा के सदस्य थे। डॉ. मलयसामी राज्य सभा के सदस्य भी थे। उन्होंने संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना संबंधी समिति, उद्योग संबंधी समिति और याचिका समिति के सदस्य के रूप में अपनी सेवाएं दीं। डॉ. के. मलयसामी का निधन 06 नवम्बर, 2024 को 87 वर्ष की आयु में चेन्नई में हुआ।

श्रीमती मनोरमा सिंह बिहार के बांका संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से आठवीं लोक सभा की सदस्य थीं।उन्होंने आवास समिति के सदस्य के रूप में अपनी सेवाएं दीं।श्रीमती मनोरमा सिंह का निधन 08 दिसम्बर, 2024 को 86 वर्ष की आयु में पटना में हुआ।

श्री एस.एम. कृष्णा जी कर्नाटक के मान्ड्या संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से चौथी, पांचवीं और सातवीं लोक सभा के सदस्य रहे। उन्होंने 2 कार्यकालों के लिए राज्य सभा के सदस्य के रूप में भी अपनी सेवाएं दीं।

श्री एस. एम. कृष्णा जी केन्द्रीय विदेश मंत्री रहे तथा उन्होंने केन्द्रीय उद्योग और वित्त राज्य मंत्री के रूप में भी अपनी सेवाएं दीं। उन्होंने महाराष्ट्र के राज्यपाल और कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद का दायित्व संभाला। उन्होंने कर्नाटक सरकार में उप-मुख्यमंत्री और मंत्री के रूप में भी कार्य किया।

श्री एस. एम. कृष्णा जी ने कर्नाटक विधान सभा में अध्यक्ष के रूप में अपनी सेवाएं दीं तथा वे 4 कार्यकाल के लिए कर्नाटक विधान सभा के सदस्य रहे। वे विधान परिषद के सदस्य भी रहे। लोक सेवा के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें वर्ष 2023 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया।

श्री एस.एम. कृष्णा जी का निधन 10 दिसम्बर, 2024 को 92 वर्ष की आयु में कर्नाटक के बेंगलुरु में हुआ।

श्री एरा मोहन तमिलनाडु के कोयम्बटूर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से सातवीं लोक सभा के सदस्य रहे। श्री मोहन ने प्राक्कलन समिति के सदस्य के रूप में अपनी सेवाएं दीं। वे तमिलनाडु विधान सभा के भी सदस्य रहे। श्री एरा मोहन का निधन 10 दिसम्बर, 2024 को 81 वर्ष की आयु में कोयम्बटूर में हुआ।

हम अपने पूर्व साथियों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं। यह सभा उनके शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करती है।

अब, यह सभा दिवंगत आत्माओं के सम्मान में कुछ देर के लिए मौन रहेगी।

11.04 hrs

The Members then stood in silence for a short while.

माननीय अध्यक्ष : ओम शांति।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मेरा माननीय सदस्यों से आग्रह है कि निधन संबंधी उल्लेख के समय आपस में चर्चा नहीं करें, बातचीत नहीं करें और टिप्पणी नहीं करें। इसका सब लोग ध्यान रखेंगे। ऐसी मेरी सदन से अपेक्षा है।

माननीय अध्यक्ष : आइटम नंबर 2 – महासचिव।

<u>11.05 hrs</u>

MESSAGE FROM RAJYA SABHA

SECRETARY-GENERAL: Sir, I have to report following message received from the Secretary General of Rajya Sabha:-

(i) ‘I am directed to inform the Lok Sabha that the Rajya Sabha at its sitting held on Friday, the 6th December, 2024 adopted the following Motion in regard to the Committee on the Welfare of Schedule Castes and Scheduled Tribes (SC&STs):-

> “That this House concurs in the recommendation of the Lok Sabha that the Rajya Sabha do agree to nominate one Member from Rajya Sabha *vice* Shri Krishan Lal Panwar, who resigned from the membership of Rajya Sabha w.e.f. 14.10.2024, to associate with the Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes (SCs & STs) for the remaining term of the Committee and do proceed to elect, in accordance with the system of proportional representation by means of the single transferable vote, one Member from amongst the Members of this House to serve on the said Committee.”

2. I am further to inform the Lok Sabha that in pursuance of the above Motion, Shri Balyogi Umeshnath, Member, Rajya Sabha has been duly elected to the said Committee.’

माननीय अध्यक्ष : आइटम नंबर 3 – भारत के संविधान की 75 वर्षों की गौरवशाली यात्रा। मैं सब्जेक्ट इसलिए दोबारा बोल रहा हूं, ताकि बोलते समय सभी माननीय सदस्यों को ध्यान रहे कि किस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं।

श्री किरेन रिजिजू जी।

11.06 hrs

DISCUSSION ON THE GLORIOUS JOURNEY OF 75 YEARS OF THE CONSTITUTION OF INDIA-Contd.

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS; AND MINISTER OF MINORITY AFFAIRS (SHRI KIREN RIJIJU): Thank you, hon. Speaker, Sir.

While taking part in the Discussion on the Glorious Journey of 75 Years of the Constitution of India, I pay my deep respect and tributes to all those founding Members of the Constituent Assembly and also the Drafting Committee for the Constitution of India.

माननीय अध्यक्ष : आज आपकी ड्रेस बहुत अच्छी है।

श्री किरेन रिजिजू : थैंक यू सर। सर, आपकी कपड़ों पर नजर बहुत कम जाती है। आज आपकी नजर गई, इसके लिए आपका धन्यवाद।

सर, कल बहुत अच्छी डिबेट हुई। हमारे विपक्ष और ट्रेजरी बेंचेज से सब ने अपनी बात रखी है, थोड़े-थोड़े डिफरेंसेज़ होते हैं, आइडियोलॉजी, ऑपिनियन होते हैं, मगर अपनी बात रखी और मैं भी कुछ तर्क के साथ अपनी पार्टी की ओर से इस महान सदन में अपनी बात रखना चाहता हूं।

सर, संविधान सभा के लिए ऑरिजनली 389 मैम्बर्स चुने गए थे और बाद में जाकर पार्टिशन के बाद मुस्लिम लीग के बाकी मैम्बर्स विदड्रा हो गए तो 299 मैम्बर्स रह गए थे। टोटल 299 मैम्बर्स में से 15 महिलाएं, 8 मेजर कमेटियां, 13 माइनर कमेटियां गठित करके 2 साल 11 महीने 18 दिन, कुल मिलाकर 11 सेशंस और 165 दिन काम करके इस महान संविधान की रचना हुई। संविधान की रचना

की बात करते हुए कुछ ऐसे सिम्बल्स, कुछ ऐसे प्रतीक, जिनका संविधान में, संविधान की किताब में और बाद में हमारे देश के चिह्न के रूप में उभर कर सब के सामने आए हैं। मैं सबसे पहले तो हमारे देश का जो महान इतिहास है, उसके बारे में सिर्फ इसी चीज का जिक्र करना चाहता हूं कि दुनिया के सबसे महान सम्राटों में से एक अशोक सम्राट का जो अशोक स्तम्भ है, जो ऑरिजनली सारनाथ में था, बाद में उसे सांची का स्तूप कहा जाने लगा। आप मध्य प्रदेश में अभी भी जाकर देख कर आ सकते हैं। मैं आज से 6 दिन पहले सांची जाकर दर्शन करके आया हूं।

हमारे तिरंगे झंडे में 3 कलर्स हैं, यह सब को मालूम है। सफेद कलर के बीच में जो धर्मचक्र है, हमारे धर्मचक्र का नीला रंग होने का कारण सब को मालूम है, मैं फिर भी जिक्र कर रहा हूं। उसको 'व्हील ऑफ लॉ' 'विधि का चक्र' कहा जाता है, क्योंकि नीला रंग आकाश, महासागर और सार्वभौमिक सत्य को दर्शाता है।

यही कारण है कि राष्ट्रीय ध्वज की सफेद पट्टी के बीच में नीले रंग का अशोक चक्र स्थित होता है। उसमें बनी हुई 24 तीलियाँ मनुष्य के 24 गुणों को दर्शाती हैं। चूंकि हम लोग जब देश के संविधान के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो उस संविधान की प्रेरणा कहाँ से मिली, हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने लोकतंत्र के बारे में बात करते-करते कई बातें कही है, जिनको मैं कोट करते हुए, आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। बाबा साहब ने कहा था:

> "It is an institution where there are many rules for motions, resolutions, quorum, voting and counting of votes. Lord Buddha must have got this inspiration from the political system of that time."

उन्होंने मौंक के यूनियन को पार्लियामेंट ऑफ इंडिया से कम्पेयर किया था। बाबा साहब ने जब संविधान की रचना के लिए ड्राफ्ट करना शुरू किया, उसमें कई कोट्स हैं, मैं कुछ देर में उनमें से कुछ कोट्स को आपके सामने पेश करना चाहूंगा।

फिलहाल मैं कहना चाहूंगा कि कांस्टिट्यूशन की जिस स्पिरिट से आज 75 साल पूरे हुए हैं, उसमें जो लिखे हुए शब्द होते हैं, उसके अलावा संविधान की जो स्पिरिट है, उसे हम लोगों ने कैसे

मानते हुए आगे चलने का काम किया है। मैं फख्र महसूस करता हूँ, जब प्रधानमंत्री मोदी जी का कार्यकाल शुरू हुआ, तो संविधान की उसी स्पिरिट को मानते हुए, उन्होंने अपनी सरकार के मंत्र को इस देश के सामने रखा। वह मंत्र है- "सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास।"

इस बात को लेकर हम सब भी फख्र महसूस करते हैं कि संविधान की स्पिरिट के अनुसार ही, संविधान के एडॉप्शन के 75 वर्ष पूरे होने पर, इस वक्त हमारे देश की राष्ट्रपति एक महिला और आदिवासी हैं, जिनको इस देश के महामहिम राष्ट्रपति के पद पर आसीन होने का मौका मिला है।

मैं जब बाबा साहब अम्बेडकर जी को कोट करता हूँ, तो मैं यह मानता हूँ कि मैं अधिकार के रूप में कोट नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं दायित्व के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। अगर बाबा साहब की वह स्पिरिट संविधान में नहीं होती, तो मैं भी आज इस महान सदन में नहीं होता। मैं एक ऐसे क्षेत्र से आया हूँ, मैंने एयरोप्लेन पहले देखा है और गाड़ी बाद में देखी है। हमारे यहाँ सांसद बनने के बाद ही गाड़ी के लिए रास्ता बनाना शुरू हुआ। हमारे प्रदेश के कई गांवों में हम लोग सात-आठ दिनों तक पैदल चलते थे। जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे उस जगह पर बैठने का मौका दिया, जिस पद पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी बैठे थे। जब मैं इस देश का कानून मंत्री बना, तो मैंने कानून मंत्री के पद पर बैठने से पहले यह समझने की कोशिश की कि बाबा साहब अम्बेडकर जी क्या चाहते थे, उनके मन में कौन-कौन सी सोच थी, जो वे नहीं कर पाए और अपना कार्य पूरा करने से पहले उन्होंने क्या-क्या चीज आरम्भ किया। उस सुबह, कानून मंत्री के पद पर जाने से पहले, मेरे मन में यह आया कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी इस देश के पहले कानून मंत्री तो बने, लेकिन उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया? इस बात पर अक्सर लोगों के सामने चर्चा नहीं होती है। जब कोई इंसान किसी पद से इस्तीफा देता है, तो उसका बड़ा कारण होता है। वह भी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जैसे व्यक्ति, जिन्होंने महान संविधान की रचना की, जो आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कांस्टिट्यूशन के नाम से भी जाने जाते हैं, उन्होंने इतने कम समय में कानून मंत्री के पद से क्यों इस्तीफा दिया? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो पत्र पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को लिखा था, मैंने वह पत्र ढूँढकर पढ़ा है। वह एक लम्बा पत्र है, मैं उसका पूरा जिक्र नहीं करना चाहूंगा, लेकिन उस पत्र के कुछ पॉइंट्स का जिक्र कुछ देर में

करूँगा।

सबसे पहले मैं इस बात से शुरू करूँगा कि चाहे आप हों या हम, हम सब इस देश के नागरिक होने में फख्र महसूस करते हैं।

हमारे देश का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान ही नहीं, दुनिया का सबसे खूबसूरत संविधान भी है। … (व्यवधान) इस संविधान में सबकुछ है। मैंने बीते सालों में दुनिया के कई संविधानों और उनके प्रावधानों को परखने की कोशिश की है। हमारे संविधान के प्रावधानों को भी मैंने बारीकी से देखा है। इसीलिए, मैं कह सकता हूं कि इसमें इस पार्टी या उस पार्टी का सवाल ही नहीं है। हम सब भारतीय हैं और इस संविधान को लेकर हम लोग गौरव महसूस करते हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें पार्टी को तो छोड़ दीजिए, मैंने सबसे पहले आर्टिकल की जिस स्पिरिट का जिक्र किया था, उसको आर्टिकल 15 में अंगीकृत किया गया था। आर्टिकल 15 में किसी भी भारतीय को, चाहे वह किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, औरत हो या मर्द हो, इसका कोई सवाल नहीं, हर एक भारतीय को बराबर का दर्जा देने का सबसे पहले आर्टिकल 15 में जिक्र किया गया है। उसके बाद अनुच्छेद 16 में सबको बराबरी का मौका देने का, इक्वालिटी एंड अपॉर्च्युनिटी को मेंशन किया गया है।

हम लोग माइनॉरिटी की बात करते हैं। मैं खुद एक माइनॉरिटी कम्युनिटी से आता हूं। आर्टिकल 25 में, हिंदू हो या कोई भी हो, हमारी छ: माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं, हिंदू को मिलाकर सात हैं। सबको अपना धर्म मानने का, प्रैक्टिस करने का और दूसरे को बताने की आजादी संविधान में दी गई है। आर्टिकल 29 में माइनॉरिटी के इंट्रेस्ट्स के प्रोटेक्शन के लिए भी प्रावधान दिए गए हैं। आर्टिकल 30 में लिंग्युस्टिक माइनॉरिटीज़ के राइट्स के बारे में भी पूरा जिक्र किया गया है। मुझे कुछ कम्पेयर करना इसलिए जरूरी लगता है, क्योंकि इस देश में जो हमने किया, चाहे कांग्रेस की सरकार हो या हमारी सरकार हो, सबने अपने-अपने तरीके से काम किया है। जो माइनॉरिटी कमीशन यहां बनाया गया है, उसका नाम National Commission for Minorities Act है। मैंने चैक किया है, किसी दूसरे राष्ट्र में ऐसा कमीशन अलग से नहीं बनाया गया है।

हमारे देश में जितनी माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं, चाहे वे मुस्लिम हों, सिख हों, इसाई हों, बौद्ध हो, पारसी हों या जैन हों, सबके लिए लीगल प्रोटेक्शन ही नहीं, उनके लिए अफर्मेटिव एक्शन्स का जो प्रावधान हैं, वे भी दूसरे देशों की तुलना में कहीं अधिक हैं। ऐसे प्रावधान हमारे देश में रखे गए हैं। माइनॉरिटीज़ के लिए कई काम कांग्रेस ने भी किए हैं, मैं उनको नकारना नहीं चाहता हूं। मैं जो कह रहा हूं, वह यह है कि देश के प्रति हम लोगों को जो सोच रखनी चाहिए, उसी लिहाज से मैं कह रहा हूं। कई कानून हैं, मैं उनके बारे में पूरा नहीं बोलना चाहता हूं, the Indian Christian Marriage Act, the Muslim Women (Protection of Rights on Marriage) Act, 2019, the Dargah Khwaja Saheb Act of 1955, the Anand Marriage Act of 1909, the Parsi Marriage and Divorce Act of 1936, and the Jaina Succession Act, 1928, माइनॉरिटीज़ के लिए इस तरह के स्पेसिफिक कानून हमारे देश में बने हुए हैं।

आज मैं जिस मंत्रालय को देख रहा हूं, अल्पसंख्यक मंत्रालय के माध्यम से छः माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के लिए कई स्कीम्ज़ चल रही हैं। स्कीम्ज़ के नाम का यहां जिक्र करने की जरूरत नहीं है। जब क्वेश्चन-आंसर होंगे या चर्चा होगी, तो हम जरूर विस्तार से बताएंगे। ऐसी कई स्कीम्ज़ हैं। जब संसद नहीं चलती है, तब मैं जगह-जगह जाकर हर एक माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोगों से मिलता हूं और उनसे पूछता हूं कि आपके लिए जो प्रावधान भारत सरकार ने किए हैं, उनका कितना लाभ आपको मिला है। अगर नहीं मिला है, तो हमको क्या करना चाहिए? हम सुझाव भी लेते हैं।

सर, इसके साथ-साथ मैं एक चीज के बारे में बहुत गंभीरता से कहना चाहता हूं। हम सब मानते हैं कि हमारा संविधान खूबसूरत है, बहुत अच्छा है। उसके 75 साल पूरे हो गए हैं, इस पर हम गौरव भी करते हैं, लेकिन कुछ चीजें हैं, जिनको बोलते समय और लोगों के सामने दर्शाते समय हमको ध्यान रखना चाहिए। हमें यह देखना चाहिए कि कहीं ऐसा न हो कि हम जो बोल रहे हैं, हम जो कर रहे हैं, उससे हमारे देश की छवि दुनिया के सामने कहीं कम तो नहीं हो रही है? आप सोचकर देखिए, हमें जब से आजादी प्राप्त हुई है, तब से वोटिंग राइट्स से लेकर जो प्रावधान मैंने गिनाए हैं, वे सबके लिए हैं।

अध्यक्ष जी, अमरीका में 'ब्लैक्स' जिसे कहते हैं 'रंग' वाला, उन्हें वोटिंग राइट वर्ष 1965 में

मिला। ... (व्यवधान)

प्रो. सौगत राय (दम दम) : उनको ब्लैक्स नहीं कहा जाता है, कलर्ड बोलते हैं।... (व्यवधान)

श्री किरेन रिजिजू : मैं इसीलिए कह रहा हूं। वहां उस समय बोलते थे। आपने ध्यान से नहीं सुना। ... (व्यवधान)

प्रो. सौगत राय : अमरीका में ऐसा नहीं बोलते हैं। ... (व्यवधान)

श्री किरेन रिजिजू : थोड़ी-थोड़ी इंट्रप्शन तो चलती है, लेकिन ये ज्यादा करते हैं। उस समय वहां जितनी कलर्ड कम्युनिटीज थीं, उस समय अमरीका में यह बहुत संवेदनशील मुद्दा था। वर्ष 1965 में नॉन व्हाइट्स को वोटिंग राइट मिला। आप सोच कर देखिए कि हमें आजादी मिले कितने साल हो गए थे। साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड 1994 में खत्म हुआ। उसके बाद यूनिवर्सल फ्रेंचाइज़ राइट मिला और नेल्सन मंडेला पहले नॉन व्हाइट्स चुने हुए राष्ट्रपति बने। कनाडा में रेसियल डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ, ताकि रेसियल एक्सक्लूजन नहीं होना चाहिए, इसका प्रावधान वर्ष 1960 में बना। इंग्लैंड में वर्ष 1918 में नॉन व्हाइट्स को वोटिंग राइट मिला। फ्रांस में वर्ष 1944 में यूनिवर्सल सफ्रेज गारंटी मिली। कॉमन वेल्थ में वर्ष 1962 में इंडिजिनस एबॉर्जिन्स वगैरह को अपना संवैधानिक अधिकार मिला। मेरे पास पूरे तथ्य हैं, लेकिन उन सभी को यहां बताने की जरूरत नहीं है। मैंने ये बातें इसलिए बताई हैं कि हमारे यहां आजादी मिलते ही सारे अधिकार हमारे देश के हर एक नागरिक को मिले। मैं यह इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कभी-कभी ऐसी बातें कही जाती हैं जैसे इस देश में माइनोरिटीज का कोई अधिकार ही नहीं है। ... (व्यवधान)

श्री अखिलेश यादव (कन्नौज) : वोटिंग राइट मिलने के बाद भी वोट नहीं डालने दिया गया। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अपनी आईसाइट दिखाइए। ... (व्यवधान)

श्री किरेन रिजिजू : अखिलेश जी, यदि आप बीच में बोलेंगे, तो मैं आपको जवाब दे दूंगा। मैं आज किसी की बात का जवाब नहीं देना चाहता हूं। ... (व्यवधान)

श्री अखिलेश यादव : वह तस्वीर सबने देखी है। रिवॉल्वर लेकर क्या हो रहा था।... (व्यवधान)

श्री किरेन रिजिजू : अध्यक्ष जी, मैं अखिलेश जी को जवाब नहीं देना चाहता हूं, क्योंकि यदि उन्हें

जवाब देंगे तो वे मुश्किल में पड़ जाएंगे क्योंकि समाजवादी पार्टी की सरकार के समय उत्तर प्रदेश के जो हालात थे। ... (व्यवधान)

महोदय, जो नेरेटिव बनाया जा रहा है, मैं उसके संबंध में आपके सामने बोलना चाहता हूं। कुछ ग्लोबल सर्वेज के बारे में हमने पढ़ा है। सेंटर फॉर पालिसी एनालिसिस इन यूरोपियन यूनियन के सर्वे के मुताबिक यूरोपियन यूनियन में 48 परसेंट लोग डिस्क्रिमिनेशन के शिकार हुए हैं। यह सर्वे की रिपोर्ट है। उसमें से ज्यादातर इस्लाम धर्म को मानने वालों की रिपोर्ट है। फ्रांस में कई डिस्क्रिमिनेशन की रिपोर्ट पेश हुई हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, मैं रिपोर्ट के बारे में कह रहा हूं। उसमें हैड स्कार्फ पहनते हैं, जो बुर्का पहनते हैं, उसे लेकर मैजोरिटी मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों ने आपत्ति की है और कहा है कि उनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है। स्पेन में इंटीरियर हेट-क्राइम्ज़, मुस्लिमों के खिलाफ हेट-क्राइम्ज़ की रिपोर्ट इतनी हाई है, यह भी इन्हीं की रिपोर्ट में जिक्र किया गया है। इंडोनेशिया जो मुस्लिम डोमिनेटिंग देश है, वहां शियाज और अहमदियाज के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, यह रिपोर्ट में आया है। यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह रिपोर्ट में आया है। पाकिस्तान की हालत आप जानते हैं। बांग्लादेश में जो होता है, वह आपको मालूम है। अफगानिस्तान में सिखों की संख्या, हिंदुओं की संख्या, ईसाइयों की संख्या क्या हो गई है, यह आपको मालूम है। चाहे तिब्बत में प्रॉब्लम हो या म्यांमार में हो, श्रीलंका में हो या बांग्लादेश, पाकिस्तान या अफगानिस्तान हो। माइनोरिटीज के खिलाफ जो जुर्म होता है या दिक्कतें आती हैं, सबसे पहला देश जहां वे संरक्षण लेने के लिए आते हैं, वह भारत देश है।

यहां वे 'सेफ' हैं, इसलिए तो वे यहां आते हैं। फिर ऐसी बातें क्यों कही जाती हैं कि इस देश में माइनॉरिटीज़ को कोई प्रोटेक्शन नहीं है? यह ठीक है कि कहीं कोई इंसिडेंस होती होगी। माइनॉरिटी-मेजॉरिटी के बीच, इंडीविडुअल्स के बीच, घर-घर में, और परिवार में झगड़े होते हैं, गांव-गांव में झगड़े होते रहते हैं। पर, भारत में अल्पसंख्यकों को कोई जगह नहीं दी जा रही है, उन्हें गुरुद्वारा नहीं जाने दिया जा रहा है, मुसलमानों को दरगाहों पर नहीं जाने दिया जा रहा है, आप ऐसा क्यों कहते हैं?... (व्यवधान) इसलिए मैं कह रहा हूं कि ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए, जिनसे देश की छवि को नुकसान

हो। … (व्यवधान) यह मैं किसी एक पार्टी के लिए नहीं कह रहा हूं, यह मैं पूरे देश के लिए कह रहा हूं।… (व्यवधान)

अध्यक्ष जी, बीच-बीच में थोड़ी टोका-टोकी चलती है, मगर ऐसा बार-बार करना उनके लिए अच्छा नहीं होगा और हमारे लिए भी अच्छा नहीं होगा।

माननीय अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगा कि माननीय मंत्री महोदय सकारात्मक बोल रहे हैं। मैं सभी माननीय सदस्यों से यह अपेक्षा करूंगा कि वे बैठे-बैठे टिप्पणी न करें।

श्री किरेन रिजिजू : अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत सीधा-सादा आदमी हूं। मैं जो सोचता हूं, वही बोलता हूं।… (व्यवधान)

मैं संसदीय कार्य मंत्री के रूप में आप लोगों से लगातार सम्पर्क करता हूं। अगर आपको यह पसन्द नहीं आता है तो आपको कुछ सालों तक तो इसे झेलना पड़ेगा, आपको हमसे ही बात करके, मिल कर काम करना पड़ेगा। आप और हम एक ही हैं, बस पार्टीज़ अलग-अलग हैं। जब आपमें मेरे साथ काम करने की सहन शक्ति खत्म हो जाएगी, तब आप माननीय प्रधान मंत्री जी को बता दीजिएगा कि अब आप मेरे साथ काम करने को सहन नहीं कर सकते हैं। पर, तब तक तो आपको मेरे साथ ही काम करना पड़ेगा। मैं आपके लिए भी काम करता हूं, अपने लिए भी करता हूं।… (व्यवधान) इसीलिए, बीच-बीच में ज्यादा टोका-टोकी मत कीजिए, मेरी बातों को थोड़ा शांति से सुनिए।

सर, कल कई माननीय सदस्यों ने बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में जिक्र किया, इसलिए मैंने भी शुरू में यह कहा कि अगर बाबा साहेब भीम राव अम्बेडकर नहीं होते, तो हम जैसे कई लोग इस सदन में चुनकर कभी नहीं आते। बाबा साहेब ने जो काम किया है या जो उनकी सोच थी, उसके बारे में मैं थोड़ा जिक्र करना चाहता हूं।

बाबा साहेब ने 'इक्वलिटी ऑफ ऑपोर्च्यूनिटी' और 'सोशल जस्टिस' में कैसे बैलेंस किया? जब संविधान की रचना हो रही थी, उस समय उन्होंने बहुत बारीकी से, 'बैकवर्ड' टर्म को किस तरीके से इस्तेमाल किया, यह देखने की बात है। The principle of opportunity and the role of reservation were given the foremost importance while addressing the historical

injustice done against the marginalized communities.

बाबा साहेब भीम राव अम्बेडकर ने कभी भी किसी धर्म के खिलाफ नहीं कहा। हिन्दू समाज में कुछ प्रैक्टिसेज़ थीं, छुआछूत की जो व्यवस्था थी, उसके खिलाफ उन्होंने संघर्ष किया। जब बाबा साहेब ने 14 अक्टूबर को दीक्षा ली, उसके बाद वे हमारे बीच ज्यादा समय तक नहीं रह पाए। इसलिए वे पूरे देश में घूम-घूम कर अपनी पूरी बात नहीं बता पाए, क्योंकि उस समय सोशल मीडिया नहीं था, टेलिविज़न नहीं था। उसके बाद वे अपनी पूरी बात लोगों तक पहुंचा नहीं पाए। मैंने बहुत डीप रिसर्च किया है। बाबा साहेब जो बात कह कर गए, बाद में कुछ लोगों ने उसे मिस-इंटरप्रेट करके कहना शुरू किया और यह कहा कि बाबा साहेब भीम राव अम्बेडकर ने हिन्दू धर्म छोड़ा है, इसलिए हिन्दू धर्म के खिलाफ लड़ाई लड़ना है। पर, ऐसा बाबा साहेब ने कभी नहीं कहा। बाबा साहेब ने सिर्फ इतना ही कहा कि ठीक है, मैं एक ऐसे धर्म को अपनाता हूं जिसमें 'क्लासिफिकेशन ऑफ कास्ट्स' नहीं होगा। उन्होंने इक्वलिटी के नाम पर ऐसा किया, पर उन्होंने ऐसा हिन्दू धर्म से दुश्मनी के रूप में कभी नहीं देखा।

सर, वैसे तो हजारों घटनाएं हैं। पर, एक छोटी-सी घटना है, जिसे आप सभी सुनेंगे तो आप मेरी बातों से कन्विंस होंगे। वैसे इसे आपने भी पढ़ी होगी। जब वे अमेरिका से पढ़ कर वापस आए तो बड़ौदा के महाराजा के वहां उन्हें नौकरी करनी थी, क्योंकि यह उनको मिले स्कॉलरशिप की एक कंडीशन थी। वहां जा कर जब उन्होंने काम करना शुरू किया तो बैठने की जगह नहीं थी तो एक टूटे-फूटे गेस्ट हाऊस में रुकने के लिए उन्होंने रिक्वेस्ट किया। वह गेस्ट हाऊस पारसी लोगों के लिए बनाया था। लेकिन अंबेडकर को वहां रहने नहीं दिया गया। अंबेडकर साहब ने पारसी लोगों से कहा कि आप तो पारसी हैं, आप तो छुआछूत में विश्वास नहीं करते हैं, मुझे कुछ दिन रहने दीजिए। लेकिन पारसियों ने कहा कि नहीं आप हिंदुओं में अछूत हैं, तो आप हमारे लिए भी हो, इसलिए आप यहां नहीं रह सकते हैं। फिर वे एक क्रिश्चन दोस्त, जो लंदन में उनके साथ पढ़े थे, उसके पास गए, उनको उनसे कहा कि आप तो इसाई हैं, आपके यहां तो छूआछूत नहीं होती है, मुझे कुछ दिनों के लिए आपके यहां रहने दीजिए। उनके दोस्त ने कहा कि देखिए मैं आपको रहने दूंगा, लेकिन अगर मैं आपको अपने बगल

के घर में रहने दूंगा तो मेरा सारा बिज़नस ठप हो जाएगा, मेरे साथ कोई काम नहीं करेगा, इसलिए मैं आपको यहां रहने के लिए इजाज़त नहीं दे सकता हूँ। उसके बाद जब वे संभाजीनगर से आगे जा कर, अजंता फोर्ट देखने गए, आते समय संभाजीनगर में अपने कुछ साथियों के साथ दौलताबाद फोर्ट देखने गए, वे टूटी-फूटी गाड़ी में गए तो पूरी धूल हो गई थी। धूल साफ करने के लिए वहां एक छोटा सा तालाब था, जब वे तालाब में गए, तो कुछ मुसलमानों का एक ग्रुप आया और उनसे कहा कि तुमने हमारे तलाब को छू कर क्यों गंदा किया है? बाबा साहब ने कहा कि अभी रमज़ान चल रहे हैं और मुसलमानों में छुआछूत नहीं होता है तो यह पानी छूने से आप कैसे गंदे हो गए हैं? मुसलमानों ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, आपने हमारे तलाब का पानी छुआ, हम लोग आपको सबक सिखाएंगे। तब बाबा साहब ने वह बड़ा वाक्य कहा कि जो हिंदुओं के लिए अछूत है, वह मुसलमानों के लिए भी अछूत है, ईसाई के लिए भी अछूत है और पारसी के लिए भी अछूत है। यह बहुत लंबी कहानी है, मैं इतना लंबा नहीं बोलूंगा।

सर, तब सन् 1956 में दीक्षा भूमि में जा कर उन्होंने बौध धर्म की दीक्षा ली है। किसी एक धर्म के खिलाफ बाबा साहब नहीं रहे, उनके जीवन में कई घटनाए हुई हैं। बाबा साहब ने रेज़र्वेशन को ले कर, बैकवर्ड कम्युनिटी, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी को ले कर बात शुरू की, उसमें कई बहस हुई हैं। संविधान सभा में जो बहस हुई, वह सबके सामने है, मैं अलग से तो कुछ बता नहीं रहा हूँ। बाबा साहब जब दस सालों के रेज़र्वेशन को ले कर प्रावधान बना रहे थे, तब बाब साहब ने इस पर एग्री न कर के पूछा था कि केवल दस सालों के लिए ही क्यों और उन्होंने कहा था कि यह उतने सालों तक होना चाहिए, जब तक पिछड़े लोग बराबर में न आ जाए। लेकिन सभी ने कहा कि दस सालों के बाद यदि और जरूरत पड़ेगी तब उसको बढ़ाना चाहिए। तब उस समय बाबा साहब ने कहा कि

> “I want to impress upon you that the reservation of seats in the Assemblies and the Parliament is only for ten years. Although I wanted it till untouchability was prevalent in India, our own people who became Members of Parliament on Congress tickets opposed me, not to speak

of Members belonging to high caste. So, thinking that something is better than nothing, I agreed that reservation may be for ten years, and secured something for our people."

कुछ नहीं से कुछ तो सही। इसलिए बाबा साहब ने इस चीज़ को माना है और और अब सभी पार्टीज़ उस रेज़र्वेशन को एक्सटेंड करती आ रही हैं।

पंडित नेहरू एक बड़े नेता थे, वे देश के पहले प्रधान मंत्री बन गए। बाबा साहब और उनके बीच में कुछ डिफ्रेंसिस तो थे। यह तो आपको भी मालूम है और हमको भी मालूम है। बाबा साहब ने जो कहा था, मैं उसको कोट करता हूँ कि:-

"Just see the leader of the Congress Party, Pandit Nehru. He has delivered 2,000 speeches during the last 20 years, but he has never spoken about the welfare of the Scheduled Castes even once. From this, you can judge what sympathy the Congress Party can have for our people when its leader is so much adamant. Pandit Nehru is always for the Muslims."

अध्यक्ष जी, यह बाबा साहब ने कहा है, मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं एक भी वर्ड अपनी ओर से नहीं डाल रहा हूँ। … (व्यवधान) अरे! हम लोग संविधान पर चर्चा कर रहे हैं, अगर बाबा साहब के बारे में बात नहीं करेंगे तो हम किसके बारे में बात करेंगे। … (व्यवधान)

सर, रेज़र्वेशन पर दो बड़े व्यूज़ को जानना बहुत ज़रूरी है। एक पर्पज़ ऑफ रेज़र्वेशन कि आरक्षण का कारण क्या है और उस पर किसका और क्या नज़रिया है। Dr. Ambedkar's view was to focus on social justice to uplift marginalised communities and dismantle caste hierarchies. Pandit Nehru viewed reservation as a temporary tool to integrate disadvantaged groups into the mainstream. इसमें कोई नेगेटिव बात नहीं है। मैं सिर्फ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को बता रहा हूं। Now, I will come to the caste system.

Ambedkar ji advocated for complete abolition of caste system. Nehru ji believed in gradual reforms and hoped discrimination would diminish over time.

As regards timeline for reservation, Babasaheb felt reservation is needed indefinitely till equality was achieved. Pandit Nehru ji advocated for time bound reservation for 10 years.

What were the thoughts about empowerment? Babasaheb emphasised representation and dignity, ensuring *Dalits* had a voice in governance and had an opportunity. Pandit Nehru ji focussed on economic development believing discrimination would automatically reduce over the time.

सर, मैं इन सारी चीजों को बता रहा हूं। अगर विपक्ष के लोग थोड़ा कष्ट करेंगे तो इसे पढ़ सकते हैं । यह किताब उपलब्ध है । इसीलिए, मैं मानता हूं कि Ambedkar's views were more systematic and addressed the root cause of inequality focussing on representation and empowerment. Nehru's views, while progressive, underestimated the deep entrenchment of caste-based discrimination which persist even today. His letter on 27th June, 1961, कल हमारे कई सदस्यों ने कोट किया है । मेरे साथी कह रहे हैं कि आप भी कोट कर दीजिए। कल कई लोगों ने कोट किया है। यह थोड़ा लंबा है, इसलिए मैं इसे स्कीप कर देता हूं, क्योंकि हमारे अपोजिशन के लोग ज्यादा उतेजित हो रहे हैं।

वर्ष 1961 में पंडित नेहरू जी ने सारे मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा था। Nehru ji wrote a letter to all the Chief Ministers of the country. वह कोई नेगेटिव लैटर नहीं है। आप चिंता मत कीजिए। वह बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं है। उन्होंने उस लैटर में कहा कि अगर हम रिजर्वेशन को बढ़ावा देंगे तो इस देश का जो टैलेंट व स्किल है, जिसके पास क्वालिटी है, वह बर्बाद हो जाएगा। उन लोगों को कोई जगह नहीं मिलेगी। ऐसा उन्होंने कहा है।

उसके बाद भी नेहरू जी ने कई मीटिंग्स में इन बातों को कहा है। हमारा यह कहना है कि नेहरू

जी टैलेंट के बारे में सोचते थे। यह बहुत ही अच्छी बात है। हम लोग भी टैलेंट के बारे में सोचते हैं। टैलेंटेड लोगों को आगे बढ़ाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि टैलेंटेड को आगे बढ़ाते समय, गरीबों और पिछड़ों को कुचल कर आप आगे बढ़ें। यह नहीं होना चाहिए। यही फर्क है। आगे बढ़ाना तो आप भी चाहते हैं और हम भी चाहते हैं। जो वंचित हैं, जो शोषित हैं, जो पीड़ित हैं, जिनको हजारों साल तक समाज में काम करने का मौका नहीं मिला, उनको कुचल कर हमें आगे नहीं बढ़ना चाहिए। यही फर्क है। दृष्टिकोण का जो फर्क है, उसी को मैं बता रहा हूं।… (व्यवधान)

अगर आप ऐसे ही कहेंगे तो मैं मंडल कमीशन वाला भी बोल देता हूं। मंडल कमीशन रिपोर्ट वर्ष 1980 में आ गयी थी। उसके पहले केलकर कमेटी की रिपोर्ट भी आ गई थी। आपने इतने सालों तक मंडल कमीशन की रिपोर्ट को हाथ नहीं लगाया। जब विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की नेशनल फ्रंट की सरकार बनी, उसमें बीजेपी का सपोर्ट था। … (व्यवधान) वी.पी. सिंह के समय ही मंडल कमीशन की रिपोर्ट टेबल हुई थी।… (व्यवधान) मैं बाबा साहब तक ही सीमित रहना चाहता था, लेकिन आप ही टोक-टोक कर मुझे बुलवा रहे हो। यदि आप मुझे नहीं टोकते तो मैं यह नहीं बोलता। यदि आप टोकेंगे तो मैं और ज्यादा ऊगलूंगा। … (व्यवधान)

सर, वर्ष 1990 की रिपोर्ट सबके पास है। पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय राजीव गांधी जी का वक्तव्य सबको मालूम है। वर्ष 1985 में एक इंटरव्यू में राजीव जी ने क्या कहा था, वह भी सबको मालूम है। कल उसका उल्लेख हुआ था। आपकी पार्टी में राजीव गांधी जी उस समय आपके सबसे पॉपुलर लीडर थे। पूर्व प्रधान मंत्री के रूप में उन्होंने जो कहा, उसको आप नकार नहीं सकते हैं। राजीव गांधी जी ने जो कहा था, पंडित नेहरू जी ने जो कहा था, उसको अगर आज के दिन आप नकारना चाहते हैं तो आप बोलिए कि पंडित जी ने और राजीव गांधी जी ने जो कहा, हम उसको नहीं मानते हैं। आप बोलिए। आप वह बोलते नहीं हैं, फिर उसके विपरीत बात करते हैं। आप यह मत करिए। बात करने का एक लहजा, एक तरीका होता है। आप सहमत या असहमत जो भी बोलेंगे, उसमें हमारी कोई आपत्ति नहीं है। इसके बाद बाबा साहेब अंबेडकर ने दु:ख जाहिर किया। उन्होंने अपने इस्तीफे में शुरू में ही मेंशन किया कि मंत्री अगर कैबिनेट से इस्तीफा देते हैं तो उनको कारण बताना चाहिए कि क्यों

इस्तीफा दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं कारण बिना बताए भी इस्तीफा दे सकता था और इस्तीफा देने के बाद में कारण बता सकता था, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे कारण बताना चाहिए। उन्होंने पत्र में इसका बहुत अच्छी तरह से जिक्र किया। जो पहली कैबिनेट बनी, वह किसी पार्टी या चुनाव से जीतकर नहीं बनी। सभी विचारधारा के लोगों को मिलाकर फर्स्ट कैबिनेट बनी। पंडित नेहरू जी ने जब पहली सूची बनाई तो उसमें बाबा साहब अंबेडकर का नाम नहीं था। उस समय महात्मा गांधी जी ने कहा कि जवाहर, आप कैबिनेट, गवर्नमेंट के हैड जरूर हैं, मगर यह आपकी नहीं है। यह इंटरिम है। बाद में चुनाव से जो बनेगा, उसकी कैबिनेट होगी। बाबा साहेब अंबेडकर को छोड़कर अगर यह कैबिनेट बनेगी तो यह अधूरी कैबिनेट होगी, तब बाबा साहेब अंबेडकर के नाम को जोड़ा गया। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को कानून मंत्री बनाया गया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी हिंदू महासभा के अध्यक्ष थे, वे भी कैबिनेट का हिस्सा बने। गांधी जी ने पहल करके कई लोगों को उस कैबिनेट में मंत्री बनाया। जब भीमराव अंबेडकर को लॉ मिनिस्टर का पद दिया, तो उन्होंने कई किताबों में जिक्र किया, वह पत्र में भी है। उन्होंने पंडित नेहरू जी को कहा कि आपने मुझ पर विश्वास करके कानून मंत्री बनाया, यह बहुत अच्छा है। मैं, कानून मंत्री पद की जो गरिमा होती है, उसको संरक्षण दूंगा, काम करूंगा। लेकिन, अब देश बन गया है, आजादी मिल चुकी है, संविधान की रचना भी हो चुकी है और अब देश को आगे ले जाना है। संविधान का जो भी काम करना था, वह सबने किया, आगे भी करेंगे। उन्होंने कहा कि मैं और कुछ करना चाहता हूं। बाबा साहेब ने अपनी प्राथमिकता के बारे में कहा। लॉ की डिग्री, बैरिस्टर तो वे बाद में बने। अमेरिका से पढ़कर, कोलम्बिया यूनीवर्सिटी से वापस आने के बाद दोबारा लंदन में जाकर बाद में वे बैरिस्टर बने। उनकी प्राथमिकता क्या है, इकोनॉमिक्स। He is the first Indian to do Doctor of Philosophy in Economics. फाइनेंस में, फिलोस्फी में, साइकोलॉजी में, हिस्ट्री में, किसी भी देश की हिस्ट्री का पन्ना उठा कर देख लीजिए, आज तक बाबा साहेब अंबेडकर जैसा पढ़ा-लिखा कोई पैदा नहीं हुआ।

बाबा साहेब ने कहा कि मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी इकोनॉमिक्स है। देश को आर्थिक ताकत देने के लिए मैं भी योगदान देना चाहता हूं। मुझे लॉ मिनिस्टर के अलावा कोई इकोनॉमिक मिनिस्ट्री दे दीजिए।

इकोनामिक मिनिस्ट्री में कई मिनिस्ट्रीज़ हैं, लेकिन उनको वह नहीं मिली। उसके बाद बाबा साहेब ने कहा कि मिनिस्ट्री नहीं दी, लेकिन इंपोर्टेंट कैबिनेट कमेटी होती है, मुझे किसी न किसी कैबिनेट कमेटी में रखिए। बाबा साहेब अंबेडकर को किसी कैबिनेट कमेटी में मेंबर नहीं रखा गया। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को फ्रस्ट्रेशन आने लगा। काफी चीजें कैबिनेट कमेटी में तय करके कैबिनेट में औपचारिक पास कराते हैं, लेकिन मुझे तो ये प्रोसेस में ही इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं। उन्होंने नेहरू जी से कहा कि आप मुझे कुछ मौका देंगे या नहीं? पंडित नेहरू जी ने पहले कहा कि आपको प्लानिंग पोर्टफोलियो देंगे। वे उम्मीद में थे कि प्लानिंग पोर्टफोलियो देने से वे कम से कम प्लानिंग प्रोसेस में सम्मिलित हो सकते हैं। बाबा साहेब ने कहा कि आर्नामेंटल के हिसाब से कैबिनेट में रहने का कोई फायदा नहीं है।

मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने पंडित नेहरू जी को इस्तीफा देते समय जो पत्र लिखा, उस पत्र को सभी जरूर पढ़ें। हम लोगों को भी पढ़ना चाहिए और देश के हर एक नागरिक को पढ़ना चाहिए। ये सब के लिए लाभकारी होगा, मैं जबरदस्ती नहीं थोप रहा हूं, आप अपने हिसाब से पढ़ लीजिए।

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री पीयूष गोयल): अध्यक्ष महोदय, ये पत्र सभी को भिजवाने की व्यवस्था कर दीजिए।

श्री किरेन रिजिजू : अध्यक्ष महोदय, कई मुद्दे हैं। … (व्यवधान) अब बाबा साहब हमारे बीच नहीं रहें। लेकिन देश को आगे ले जाने के लिए सभी को एकजुट होकर काम करना पड़ेगा। सिर्फ आजादी प्राप्त करने से नहीं होता है, देश को आगे लेकर जाना पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत का नारा क्यों लगाया। वर्ष 1947 में उस समय भारत के साथ कई देशों को आजादी मिली, there are many countries, especially in Asia and Africa which attained independence during the same period of late 40s, 50s and even 60s. आप आप कई देशों की हालत देख लीजिए, डेमोक्रेसी में भारत से कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। डेमोक्रेसी में हम सबसे आगे बढ़ गए हैं, सक्सेफुल एंड वाइब्रेंट डेमोक्रेसी, लेकिन आर्थिक क्षेत्र में जो सवाल रह गया था। सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया जैसे कई देशों का जीडीपी पर कैपिटा इनकम हमसे आठ-नौ गुना ज्यादा हो गया है।

प्रधानमंत्री जी को लगा कि सिर्फ आजादी होने से नहीं होगा, डेमोक्रेसी होने के साथ-साथ भारत को एक अमीर और शक्तिशाली राष्ट्र बनना चाहिए, तभी उन्होंने विकसित राष्ट्र का नारा लगाया। मैं कभी-कभी सोचता हूं, किस्मत से काफी कम उम्र में लोक सभा का सदस्य बनने का मौका मिला। मैं तब से सोचता हूं, हम अपोजिशन में थे और पीछे बैठते थे, हमारे सीनियर लीडर अटल बिहारी वाजपेयी जी, आडवाणी जी, प्रणब मुखर्जी जी और चन्द्रशेखर जी जैसे लोगों की बात सुनता था और मैं सोचता था कि 65-70 वर्षों के बाद भी भारत अमीर राष्ट्र क्यों नहीं बना? So many countries have become developed. What is the reason that India could not become developed? हमारे देश में किसी चीज की कमी नहीं है। Indians are among the most intelligent people in the world. गिफ्टेड है, टैलेंट है, पढ़ा-लिखा है, सभ्यता है, हिस्ट्री है, फिर भी देश गरीब कैसे रहा। आप नहीं सोचते हैं क्या? 65 वर्ष आप सरकार में रहें इसलिए सोचने का मौका नहीं मिला क्या? देश अमीर क्यों नहीं बना, देश डेवलप्ड कंट्री क्यों नहीं बना? अगर वर्ष 1947 में या उसके दस साल बाद भी एक लक्ष्य रखते, इतने सालों तक भारत को विकसित राष्ट्र बनना ही पड़ेगा, अगर लक्ष्य रखते तो लक्ष्य जरूर प्राप्त होता। यह लक्ष्य वर्ष 2014 के बाद हमारे सामने आया है, एक लक्ष्य रखकर आगे जाना पड़ेगा, किसी राष्ट्र को आगे बढ़ाना है तो लक्ष्य सामने रखकर चलना होगा, बिना लक्ष्य के आप कुछ नहीं प्राप्त कर सकते हैं। हमारे हाथ में अभी 23 साल बाकी है, 23 साल में भारत को विकसित राष्ट्र बनना है, यह समय कम है, लेकिन मैं पूरी दृढ़ निष्ठा और विश्वास के साथ कहता हूं कि पूरा देश एकजुट होकर काम करेगा तो 23 साल में भारत विकसित राष्ट्र बन सकता है। India can develop fully as any other nation has developed. जब कोई नींव रखता है, विजन रखता है, मैंने सुना है, विपक्ष के लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। स्वच्छ भारत अभियान चला रहे हैं, उसका मजाक उड़ा रहे हैं। मेरे पास एक विषय आया, एक आदमी एक कॉलोनी में रहता है, उसका नाला इतना गंदा है, नाले में कागज और प्लास्टिक पड़ा हुआ है। वह उसका फोटो खींचकर हमको भेजा, देखो, आपका स्वच्छ भारत अभियान की यह हालत है। मोदी जी ने लाल किले की प्रचार से कहा कि भारत को स्वच्छ रखना चाहिए। मैंने उनको कहा कि आपके घर के सामने जो गंदा नाला है, क्या उसे मोदी जी

को आकर साफ करना चाहिए या आपको खुद साफ करना चाहिए? स्वयं का काम तो खुद करना चाहिए। माननीय प्रधान मंत्री जी ने आह्वान किया है, इसे हम सबको मिलकर करना है। माननीय प्रधान मंत्री जी अकेले देश को विकसित राष्ट्र नहीं बना सकते हैं। वह हमारे देश के नेता हैं, उन्होंने आह्वान किया है इस देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए सबको मिलकर काम करना होगा।

आप 'मेक इन इंडिया' का मजाक उड़ाते हैं। जब भी कहीं अच्छा प्रोग्राम करते हैं तो आप मजाक उड़ाते हैं। मैं जब स्पोर्ट्स मिनिस्टर था, प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि फिटनेस के लिए कुछ कीजिए। हमने 'फिट इंडिया मूवमेंट' चलाया, लेकिन अपोजिशन का एक भी एमपी 'फिट इंडिया मूवमेंट' में भाग लेने के लिए नहीं आया। क्या आप फिट नहीं रहना चाहते हैं? क्या आपको अपने स्वास्थ्य की चिंता नहीं है? आप फिट होंगे तो देश फिट होगा। सबको फिट रहना चाहिए। इसमें कोई पोलिटिकल चीज नहीं है लेकिन फिर भी आप मजाक उड़ाते हैं। आप वैक्सीन का मजाक उड़ाते हैं। मैं अब और उदाहरण देने में समय बर्बाद नहीं करूंगा।

अध्यक्ष जी, मेरे एमपी बनने तक नार्थ-ईस्ट में असम को छोड़कर पूरे बॉर्डर एरियाज़ में मैक्सिमम बार्डर प्वाइंट्स पर गाड़ी से जाने की कोई सुविधा नहीं थी क्योंकि रास्ता नहीं बना था। मैं जब गृह राज्य मंत्री बना, माननीय राजनाथ सिंह ही केंद्रीय मंत्री थे, मैं हैलीकॉप्टर लेकर सीधा गुंजी गया। गुंजी के बारे में मैंने बचपन से सुना था। मुझे गुंजी के एक डॉक्टर मिले तब मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रहा था। … (व्यवधान) आपने रास्ता नहीं बनाया इसलिए हैलीकॉप्टर से जाना पड़ा।… (व्यवधान) उन्होंने कहा कि वह 35 साल पहले गुंजी छोड़कर आए फिर देहरादून से दिल्ली आ गए लेकिन मेरी दोबारा वापस जाने की हिम्मत नहीं है क्योंकि 18 दिन पैदल चलना पड़ता है। मैंने कहा कि मैं गुंजी जाता हूं और देखता हूं। हम वहां गए, गुंजी में काफी लोग पलायन कर गए थे, हमें वहां दो-चार लोग मिले और कहने लगे कि गांव में बहुत कम लोग बचे हैं, सब चले गए हैं, आप माननीय मोदी बनेगा। तब मैंने कहा कि आप चिंता मत कीजिए, देश के प्रधान मंत्री मोदी जी बन गए हैं और आपके लिए रास्ता बहुत जल्दी बन जाएगा। चार सालों के अंदर गुंजी में रास्ता बन गया और अब सारे लोग एक दिन में धारचुला होते हुए गुंजी पहुंच सकते हैं।

आपको याद होगा, पूर्व रक्षा मंत्री ने राज्य सभा में बयान दिया था और बहुत ऑनेस्ट बात कही थी। आपके मंत्री हैं, बहुत ऑनेस्टली बोले, इसलिए मैं तारीफ करता हूं। काम किया या नहीं किया, लेकिन बात तो सही बोली, मैं इसकी तारीफ करता हूं। उन्होंने खुद कहा कि मैं देश का रक्षा मंत्री हूं और मुझे यह कहने में संकोच नहीं है कि हमारी सरकार, मतलब कांग्रेस सरकार ने ऐसी पॉलिसी तय की है कि बॉर्डर एरिया में रास्ता नहीं बनाना चाहिए। … (व्यवधान) अगर रास्ता बनेगा तो उसी रास्ते से चीन आ जाएगा और हमारी जमीन ले जाएगा। … (व्यवधान)

SHRI K. C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): He is misleading. … (*Interruptions*) राज्य सभा का रिकॉर्ड दिखाइए। … (व्यवधान)

श्री किरेन रिजिजू : सर, मैंने एक पूर्व रक्षा मंत्री की बात रखी हैं, मैं इसे ऑथेंटिकेट भी कर दूंगा और पूरे भाषण की ट्रांस्क्रिप्ट भी लोक सभा के पटल पर रख दूंगा।

अध्यक्ष जी, ठीक है, हमारे देश की आमदनी इतनी ज्यादा नहीं हो सकती लेकिन देश इतना कमजोर भी नहीं है कि बॉर्डर एरिया में रास्ता नहीं बना सकता। मैं जिस गांव में रहता हूं, मेरा गांव वर्ष 1962 में दो सप्ताह के लिए चीन के कब्जे में चला गया था।

नेफा का जो कमिंग रिजन है, हमारे गांव और आसपास के पूरे क्षेत्र में चीन की फौजों ने कब्जा किया था। हम लोग रुकते रहे। मैंने पहले बताया था कि 1962 के बाद, क्योंकि 1962 में मेरा जन्म नहीं हुआ था। वह कहानी हमारे सामने दोहराती रही। मेरे कानों में वह अभी भी गूंज रही है कि चीन ने आकर क्या किया है। डराते थे, खाना खाने में बच्चा लेट करे, तो बोलते थे कि जल्दी-जल्दी खा लो, नहीं तो चाइनीज लोग आ जाएंगे। इस तरह से हम लोगों को मानसिक रूप से डराकर रखा गया था।

मैं जब बड़ा हुआ, तो मैंने सोचा कि कांग्रेस या जो भी पार्टी उस समय सत्ता में थी, हमारे लिए रास्ता नहीं बनाती है, हमारे बारे में नहीं सोचती है। जिस दिन मैंने राजनीतिक पार्टी में ज्वाइन करने का निर्णय किया, तो मेरा पहला निर्णय करने का मुख्य कारण यह था कि मैं ऐसी पॉलिटिकल पार्टी में ज्वाइन करूंगा, जिसकी सोच राष्ट्रवादी हो और जो देश की हर-एक इंच जमीन को बचाने की ताकत

रखती हो।

अध्यक्ष महोदय, इसीलिए मैंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करने का निर्णय किया। अखिल भारती विद्यार्थी परिषद् के साथ काम करके मैं बीजेपी का सदस्य होने के नाते फ़ख्र महसूस करता हूं। … (व्यवधान) सर, अगर इनकी उम्र और मेरी उम्र बराबर होती, तो मैं बहुत-कुछ कहता, लेकिन उम्र के लिहाज से मैं नहीं कहना चाहता, इनको इज्जत देता हूं। … (व्यवधान) Since he is my senior, I will not speak much. आप बैठ जाइए। … (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : एक मिनट, नो!, इन्होंने ऐसा क्या कह दिया? इन्होंने कोई असंसदीय बात नहीं कही। इन्होंने कहा कि यदि उनकी उम्र के बराबर मेरी उम्र होती, केवल यही तो कहा। इन्होंने कोई असंसदीय बात नहीं की।

माननीय मंत्री जी।

… (व्यवधान)

श्री किरेन रिजिजू : अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत ही फ़ख्र महसूस करता हूं। … (व्यवधान) बचपन में जिस गांव में मैं पैदल चलता था, जिस जगह बचपन में मुझे पैदल जाने में 6-7 दिन लग जाते थे, आज 3-4 घंटों में मैं गाड़ी से पहुंचता हूं। यह बदलाव हमने 10 सालों में देखा है। … (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : एक मिनट, प्लीज, आप लोग बैठिए। आप बहस करते हैं, प्लीज बैठिए। उन्होंने ऐसा कोई असंसदीय शब्द नहीं कहा, जिस पर आप बोल रहे हैं। वह रिकॉर्ड में भी जाएगा। माननीय मंत्री जी, आप बोलिए।

… (व्यवधान)

श्री किरेन रिजिजू : सर, वर्ष 1947 से वर्ष 2014 तक नॉर्थ-ईस्ट में 9 एयरपोर्ट्स बने हैं। वर्ष 2014 से वर्ष 2024 के अंदर 74 एयरपोर्ट्स हो गए हैं। वर्ष 2014 तक नैशनल हाईवेज़ 10 हजार 9 सौ किलोमीटर बने हैं और वर्ष 2024 तक मोदी जी के 10 सालों के कार्यकाल में 16 हजार 207 किलोमीटर नैशनल हाईवेज़ बने हैं। कई बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स बने हैं, जिनकी मैं गिनती नहीं करना चाहता हूं। आज हमारा नॉर्थ-ईस्ट 'अष्ट लक्ष्मी' के नाम से जाना जाता है। हम बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़

रहे हैं। आपसे मैं यह कहना चाहता हूं कि आप एक राज्य की घटना को लेकर बार-बार बोलते हैं। इस पर हम लोग अलग से चर्चा करेंगे।

12.00 hrs

मैं जो कहना चाहता हूं, उसको सुनिए। आप लोगों के समय में, कांग्रेस ने नार्थ-ईस्ट का क्या हाल करके रखा था? … (व्यवधान) मैं इतने सालों से इस संसद में सदस्य हूं।

अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2014 तक, आपको मालूम है, आपको यह सुनकर अच्छा नहीं लगेगा।

माननीय अध्यक्ष : मुझे तो मालूम नहीं है। आप बता दीजिए।

श्री किरेन रिजिजू : अध्यक्ष महोदय, दुनिया में जितने भी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन्स हैं, यह कहते हुए मैं फख्र नहीं कर रहा हूं, दुनिया में जितने भी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन्स हैं, वर्ष 2014 तक उनकी संख्या सबसे ज्यादा नार्थ-ईस्ट में थी। आपने नार्थ-ईस्ट को वैसा बना दिया था। एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाने में … (व्यवधान)

श्री गौरव गोगोई (जोरहाट) : आप इस बात को आथेंटिकेट कीजिए। … (व्यवधान) Can you authenticate it? … (*Interruptions*)

श्री किरेन रिजिजू : मैं सब कुछ आथेंटिकेट कर दूंगा। … (व्यवधान) इन्होंने नार्थ-ईस्ट में कई जगह संगठन बनाकर रखा था। इन्होंने नार्थ-ईस्ट पर ध्यान नहीं दिया। इनके लिए तो नार्थ-ईस्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता है। … (व्यवधान) हमारे प्रधानमंत्री जी जितनी बार नार्थ-ईस्ट जाते हैं, इनके प्रधानमंत्री छोड़िए, इनके समय में तो मंत्री भी नार्थ-ईस्ट में नहीं जाते थे और आज ये यहां बैठकर घड़ियाली आंसू बहाने का काम करते हैं। … (व्यवधान)

सर, इन्होंने कल संविधान के बारे में ज्यादा जिक्र नहीं किया, मैं समझ सकता हूं। कांग्रेस पार्टी ने संविधान के बारे में ज्यादा जिक्र नहीं किया तो उसका कारण है। मैं थोड़ा बताना चाहता हूं कि उन्होंने क्यों जिक्र नहीं किया। 106 बार जो कांस्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हुए हैं, मैं उसके बारे में बताना चाहता हूं। ये संविधान बदलने की बात करते हैं। संविधान बदलने की प्रक्रिया भी संवैधानिक है। कांस्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तो होते रहे हैं। … (व्यवधान) कांग्रेस, यूपीए के समय में टोटल

कांस्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 75 टाइम्स हुए हैं। बीजेपी के टाइम में 25 टाइम्स हुए हैं। जब जनता दल के नेतृत्व में सरकार बनी थी तो 7 बार हुआ है और जनता पार्टी के समय में 2 बार हुआ है। लेकिन, फर्क क्या है? फर्क जानना चाहिए। संवैधानिक बदलाव क्यों किया गया था। आपने संविधान का अमेंडमेंट किया। … (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: मैं आप सबसे फिर से आग्रह करता हूं और विनम्रतापूर्वक आग्रह कर रहा हूं। आप कई बार बैठे-बैठे आसन पर टिप्पणी करते हैं कि इनका समय खत्म हो गया। क्या आपको पता है कि इनका समय खत्म हो गया? 5 घंटे 18 मिनट भारतीय जनता पार्टी का समय है और अगर आप सब यह चाहते हैं कि बिल्कुल समय से बोलने दिया जाए तो मैं आगे भी यही व्यवस्था कर दूंगा।

… (व्यवधान)

श्री बी. मणिक्कम टैगोर (विरूधुनगर) : आप यह कर दीजिए।

माननीय अध्यक्ष: ठीक है। उनका समय भी पूरे 5 घंटे 28 मिनट है। माननीय राजनाथ सिंह और इनको मिलाकर सभी पहले वाले वक्ता अभी तक एक घंटा 63 मिनट बोल चुके हैं।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: मैं कुल वक्ताओं की बात कर रहा हूं।

माननीय मंत्री जी, आप बोलिए। अभी आपका समय है।

… (व्यवधान)

श्री किरेन रिजिजू : जब मेरा समय समाप्त हो जाएगा, अध्यक्ष जी मुझे बता देंगे तो मैं बैठ जाऊंगा। … (व्यवधान) अध्यक्ष जी ने आपको भी टाइम दिया है और हमें भी टाइम दिया है। समय संख्या के हिसाब से तय होता है। मैंने समय अपनी मर्जी से नहीं लिया है। … (व्यवधान)

सर, मैं कह रहा था कि संविधान में जो अमेंडमेंट्स होते हैं, वह इन्होंने भी किया है और हमने भी किया है। इन्होंने ज्यादा किया है और हमारी संख्या कम है। लेकिन, मैं इस बात को केंद्रित करना चाहता हूं कि इन्होंने अमेंडमेंट किसलिए किया था? 39 वां कांस्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्यों किया था? इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी जी के खिलाफ जो जजमेंट दिया था, उसको बदलने के लिए

आपने संविधान में संशोधन किया था। … (व्यवधान)

आपने 42वां संविधान संशोधन क्यों किया था? जब आपने संविधान की प्रस्तावना को बदलने के लिए 42वां संविधान संशोधन किया था। हमने महिलाओं को आरक्षण देने के लिए संविधान में संशोधन किया है। हमने ओबीसी को संवैधानिक दर्जा देने के लिए संविधान में संशोधन किया है। संविधान संशोधन का कारण भी जानना चाहिए। आप बिना कारणवश बोलते हैं। शाहबानो और मुस्लिम महिलाओं को जो अधिकार मिलना चाहिए, आपने उसको रोकने के लिए संविधान में संशोधन किया है। संविधान संशोधन में फ़र्क है।

आपने कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया है, क्या आपको मालूम है? आपने इतनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया है कि आप भूल गए होंगे। आपने अभी तक कुल 132 बार अनुच्छेद 356 का इस्तेमाल किया है।…(व्यवधान) मैं सबके बारे में बताता हूं। आईएनसी और यूपीए ने 90 बार अनुच्छेद 356 का इस्तेमाल किया है। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार के समय भी ऐसा हुआ है, उसके कारण थे। 12 बार हुआ है, जनता दल के नेतृत्व में जो सरकार बनी थी, उसने 8 बार लगाया और जनता पार्टी के समय 22 बार ऐसा हुआ है।

आप हमसे कहते हैं कि हम संविधान की हत्या करते हैं, हम संविधान को नहीं मानते हैं। यह कारण जानने के बाद क्या आपको दुख नहीं होता कि आपने झूठ या गलत बात बोली है। संविधान की हत्या तो आपने की है। संविधान पर हमला तो आपने किया है। आपने संविधान की प्रस्तावना को ही बदल डाला, आपने संविधान की मूल आत्मा को ही बदल डाला है। फिर आप किस मुंह और हिम्मत से दूसरे की आलोचना करते हैं। आपको सोचना चाहिए।…(व्यवधान) सत्य बोलिए, आप असत्य मत बोलिए। …(व्यवधान)

महोदय, कल ज्यूडिशयरी के बारे में काफी जिक्र हुआ है। मैं उसको दोहराना नहीं चाहता हूं। जब हम संविधान पर चर्चा कर रहे हैं, आप चिंता मत कीजिए, मैं 10 मिनट्स में अपना भाषण समाप्त कर दूंगा।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मंत्री जी, आप किसी के दबाव में मत कहिए कि मैं 10 मिनट्स में अपनी बात समाप्त

करूंगा ।

माननीय सदस्यगण, ऐसा कोई भी विषय हो, तो आप सभा पटल पर बैठे अधिकारियों से मालूम कर लें। भारतीय जनता पार्टी के पास 2 घंटे 34 मिनट्स का समय है। माननीय मंत्री जी, आप बोलिए।

श्री किरेन रिजिजू : अध्यक्ष महोदय, संविधान के बारे में चर्चा करते समय भी और चर्चा ना करते समय भी, हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम संविधान का सम्मान करें । आप मुझे बताइए ।

…(व्यवधान) आपकी और हमारी पार्टी का सवाल नहीं है। इस देश का ऐसा कौन-सा पहला मुख्यमंत्री है, जिसने 'संविधान गौरव यात्रा' निकाली थी। आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे, तब उन्होंने पहली बार 'संविधान गौरव यात्रा' निकाली थी। 'संविधान गौरव यात्रा' निकालने का कारण था कि सिर्फ संविधान को पकड़ना नहीं है, गांव-गांव और लोगों के दिलों तक उसको ले जाना है और संविधान के बारे में लोगों को बताना है। इसलिए उन्होंने 'संविधान गौरव यात्रा' निकाली थी। …(व्यवधान)

जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे, इन्होंने इतने सालों तक शासन किया है, क्या कभी उन्होंने संविधान के बारे में सोचा था? प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के कारण से हम संविधान दिवस मना रहे हैं। वर्ष 2015 में पहली बार हमारे देश में संविधान दिवस मनाने का सिलसिला शुरू हुआ है। आपको इतने सालों तक संविधान याद नहीं आया? उस समय आपके एक बड़े नेता थे, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं, जब संविधान दिवस मनाया जा रहा था, तो आपके नेता ने कहा था कि संविधान दिवस मनाने की क्या जरूरत है? हम लोग 26 जनवरी मनाते हैं। संविधान दिवस क्यों मनाना चाहते हैं? उनका नाम मत पूछिए, फिर मुझे उनका नाम बताना पड़ेगा। आप नाम मत पूछिए, आप खुद समझ लीजिए।

महोदय, जब संविधान के बारे में आप लोग बात करते हैं, तो हमने संविधान के संरक्षण के लिए क्या किया है, इसके बारे में भी कुछ मंथन करना चाहिए, सोचना चाहिए।

सर मेरे एक दो सवाल हैं। अगर आप लोग बीच में टोका-टोकी नहीं करते तो मैं अपनी बात को

कुछ पॉइंट्स बोलकर समाप्त करना चाहता था, लेकिन आपने मुझे टोका है तो मैं बहुत सॉफ्ट क्वेश्चंस, कुछ छोटे सवाल आपके लिए छोड़ कर जाना चाहता हूं ।… (व्यवधान) आप यह बताइए कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने वर्ष 1951 में लॉ मिनिस्टर के पद से इस्तीफा दिया । उसके बाद वह दोबारा चुनकर आना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहेब को पीछे करके मुंबई और विदर्भ में क्यों हराया? उनको दोबारा इस लोकसभा में चुनकर आने का मौका नहीं दिया । मैं आपको इस लोक सभा सत्र में कहना चाहता हूं कि हम सब के लिए कितना अच्छा होता कि अगर बाबा साहेब वर्ष 1952 के चुनाव में फिर से चुनकर आते ।… (व्यवधान) बाबा साहेब को कांग्रेस पार्टी ने इस लोक सभा में दोबारा चुनकर आने नहीं दिया । कांग्रेस पार्टी ने षडयंत्र करके बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को हराया है । हो सके तो बाबा साहेब की याद में आप देश से माफ़ी तो मांग लीजिए, आपका पाप कुछ तो कम हो जाएगा ।

सर, ये लोग बाबा साहेब का नाम लेते हैं । वर्ष 1956 में बाबा साहेब अंबेडकर का महापरिनिर्वाण होने के बाद आपने वर्ष 1990 तक बाबा साहेब को भारत रत्न क्यों नहीं दिया? वर्ष 1956 के बाद पंडित नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने खुद को भारत रत्न दिया, इंदिरा गांधी जी खुद प्रधानमंत्री थीं और खुद को भारत रत्न दिया । विश्वनाथ प्रताप सिंह के प्रधानमंत्री बनने के बाद और कांग्रेस गवर्नमेंट को हराने के बाद वर्ष 1990 में भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से सरकार बनी, तब जाकर बाबा साहेब अंबेडकर को भारत रत्न से नवाजा गया । आप कारण बताइए कि इतने साल तक आपके शासनकाल में बाबा साहेब अंबेडकर को भारत रत्न से क्यों नवाजा नहीं गया? आपको जवाब देना पड़ेगा, हमको न सही, लेकिन देश के करोड़ लोगों को जवाब देना पड़ेगा । इसका कुछ तो कारण होगा । मैं मानता हूं कि अगर इस देश में किसी को पहला भारत रत्न अवार्ड देना चाहिए था तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को देना चाहिए था । … (व्यवधान)

आपने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के नाम पर क्या किया? प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो काम किया है और जो स्कीमें चलाई हैं, मैं उनके बारे में नहीं कहना चाहता हूं, क्योंकि मेरा भाषण बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संबंध में मैं यह कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री

मोदी जी ने पांच तीर्थ स्थलों को प्रमुखता दी है। मऊ, मध्य प्रदेश, जहां बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था, उसे बाबा साहेब की जन्म भूमि के नाम से विकसित किया जा रहा है। वह पहले से थी, लेकिन आज उसको और भव्य तरीके से विकसित किया जा रहा है। लंदन में जहां बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने वकालत की पढ़ाई की और जिस घर में रहे, मैं जब गृह राज्य मंत्री था, तब भी उस घर में गया था, जब मैं खेल मंत्री था, तब भी उस घर में गया था और जब मैं कानून मंत्री बना, तब भी उस घर में गया था। मोदी जी के नेतृत्व में उस घर को महाराष्ट्र सरकार ने खरीदकर बाबा साहेब अंबेडकर के नाम से अंबेडकर मेमोरियल म्यूजियम बनाकर बाबा साहेब को सम्मान देने का काम किया है। उसको हमने शिक्षा भूमि का नाम दिया और लोग वहां पूजा करने जाते हैं। दुनिया के लोग बाबा साहेब की सोच को समझने के लिए शिक्षा भूमि और दीक्षा भूमि में जाते हैं।

सर, जिस स्थान पर बाबा साहेब का परिनिर्वाण हुआ था, उस घर को बाबा साहेब की परिनिर्वाण भूमि के नाम से विकसित किया जा रहा है। इस देश में दिल्ली के अंदर बाबा साहेब अंबेडकर इंटरनेशनल मेमोरियल बड़ा केंद्र बना है। आप वहां जाकर देखिए, वहां उस भव्य स्थल को विकसित किया गया है। मैं पिछले महीने मुंबई गया था। मैं मुंबई चैत्य भूमि में गया था। मैं चैत्य भूमि के सारे भिक्षुओं से मिला था। … (व्यवधान) आप लोगों के बीच में बोलने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मेरी बात रिकॉर्ड में जा रही है और सब सुन रहे हैं।

सर, मैं चैत्य भूमि में जाकर बताकर आया हूं कि मैं माइनोरिटी अफेयर्स का मंत्री हूं और मैं बौद्ध भी हूं। बाबा साहब ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली और मैं पहला बौद्ध कानून मंत्री बना। मैं ट्राइबल हूं और इस देश में केबिनेट मंत्री के रूप में बाबा साहब की कुर्सी पर बैठने का मुझे मौका मिला। यह मेरी जिम्मेदारी बनती है और मैंने चैत्य भूमि में मैनेजमेंट से बात की और कहा कि यह बाबा साहब की चैत्य भूमि है और इसका विकास बाबा साहब के सम्मान में उस स्टैंडर्ड का होना चाहिए। हमने उनको कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में आपको जो भी मदद चाहिए, हम लोग प्रदान करेंगे। आप लोगों को भी अच्छा लगेगा, दिल से लगे न लगे, लेकिन कम से कम बोल दीजिए कि आपको अच्छा लगा। हमको तो अच्छा लगेगा ही कि इंदु मिल मुंबई में 430 फीट ऊंचाई का बाबा साहब अम्बेडकर का स्टेच्यू बनने जा रहा

है। वह अब तक बन गया होता, लेकिन उसकी लंबाई को और बढ़ाने के लिए परिवारजनों ने रिक्वैस्ट किया है। इसलिए उसकी ऊंचाई को बढ़ाने में थोड़ा सा समय लग गया। लेकिन, वर्ष 2026 में मुंबई के अरब सागर के तट पर 430 फीट ऊंची बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति जब खड़ी होगी तो सभी को उसे देखकर अच्छा लगेगा। बाबा साहब की वह मूर्ति 25-30 किलोमीटर दूर से भी दिखायी देगी। इससे हमें बाबा साहब के कदमों पर चलने की प्रेरणा मिलेगी। ऐसी भव्य मूर्ति वहां बनायी जा रही है। … (व्यवधान)

प्रो. सौगत राय : पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम भी तो बोलिए।… (व्यवधान)

श्री किरेन रिजिजू : आपको बाबा साहब का नाम बोलने पर भी आपत्ति है? आप लोग बाबा साहब की इंसल्ट कर चुके हैं, इस तरह से बोलकर क्या आप और इंसल्ट करना चाहते हैं? कम से कम बाबा साहब का नाम लेते समय तो ध्यान से सुनिए।

सर, आज की इस चर्चा में मैं अपनी ओर से और अपनी पार्टी की ओर से बाबा साहब अम्बेडकर की लेगेसी को आगे बढ़ाते हुए, आप लोगों ने भूतकाल में, आप लोगों ने पहले जो गलतियां कीं, उसको भूलकर बाबा साहब को हम लोग सम्मान देने का काम कर रहे हैं। हमने पांच तीर्थ स्थल बनाए हैं और साथ ही साथ बाबा साहब के नाम से कई प्रोजेक्ट और स्कीम्स चला रहे हैं। इसको सक्सैस करने के लिए आप लोग भी योगदान दीजिए। हम सबको मिलकर बाबा साहब को सम्मान देना जरूरी है। संविधान का अंगीकरण होने के 75 वर्ष पूरे होने पर मैं उस समय संविधान सभा में रहने वाले सभी महान आत्माओं को नमन करते हूं। मैं आपके प्रति भी धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूं क्योंकि आपने बोलने का समय दिया। हमारे संविधान को और आगे बढ़ाने के लिए हम सभी को मिलकर काम करने का संकल्प लेना चाहिए। वर्ष 2047 में भारत को नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लेकर काम करने की अपील करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं।

12.19 hrs (Shri Jagdambika Pal *in the Chair*)

SHRI A. RAJA (NILGIRIS): Thank you, Chairman Sir for giving me this opportunity to take part in the debate on the glorious journey of our Constitution.

I am one among the persons in this House who heard the speeches of Rajnath Singhji, and Mr. Rijiju with rapt attention.

HON. CHAIRPERSON: I request all the hon. Members to take their respective seats.

… (*Interruptions*)

माननीय सभापति : माननीय सदस्यों से आग्रह है कि वे अपने-अपने स्थानों पर बैठ जाएं।

… (व्यवधान)

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): Sir, the House is not in order.

HON. CHAIRPERSON: The House is very much in order.

… (*Interruptions*)

SHRI A. RAJA: Sir, I am having high respect and reverence for the Defence Minister, Shri Rajnath Singh ji. I know his political sight. We were in the Council of Ministers under the Vajpayee Government.

माननीय सभापति : माननीय सदस्यगण, आप सब अपना-अपना स्थान ग्रहण कर लीजिए। मैं सभी मैम्बर्स ऑफ पार्लियामेंट से बोल रहा हूँ कि हाउस को ऑर्डर में आने दीजिए।

SHRI A. RAJA : Sir, please count my time from now onwards.

Sir, I have been associated with Shri Rajnath Singh ji ever since 1999 when we were in the Council of Ministers under the Vajpayee Government. I do not undermine his stature, but with due respect to him, I must say that the speech delivered by Shri Rajnath Singh ji is not at all matching his stature. I will demonstrate.

Sir, he claims that the document of the Constitution cannot be treated as a single-Party document. He may be correct. A single Party cannot claim ownership

of the document. There are other people, including Dr. Radhakrishnan, Sardar Vallabhbhai Patel, Shrimati Sarojini Naidu, Shri Jayakar, Dr. Syama Prasad Mookerjee and Pandit Nehru who contributed to it. My only question to you is this. You show me one occasion, where the RSS or the Hindu Mahasabha – that are your forefathers – have given their contribution. What type of contribution have they given to the Constitution making process? … (*Interruptions*) I will demonstrate one by one. … (*Interruptions*)

Sir, the entire country is one way happy with Shri Rajnath Singh ji's speech because he disclosed, at least in this Session that they are having deep faith in the Constitution, much less socialism, much less secularism. But I am not happy because the statements given by Shri Rajnath Singh, Shri Rijiju, and all the other Members from the Treasury Benches are completely hypocritical, according to their past activities. I will prove it.

Sir, a chain cannot be stronger than its weakest link. You may say whatever you want like – Babasaheb Ambedkar was humiliated by Congress; Babasaheb Ambedkar was not at all celebrated by Congress; Babasaheb Ambedkar was not at all given correct orbit in the Ministry. But we are discussing the Constitution. How much contribution have you done for the Constitution, and what all efforts, all along after Independence, have you put in the Constitution to maintain its propriety to be in order? You have done nothing.

Sir, I would like to ask a direct question to the Treasury Benches.

HON. CHAIRPERSON: It is not a Question Hour.

SHRI A. RAJA : Sir, I would like to ask a question, through you. … (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: You can only address the Chair.

… (*Interruptions*)

SHRI A. RAJA : Sir, the entire country is watching the proceedings. Today, they are claiming that they are having deep faith upon the Constitution, the basic structure of the Constitution, including secularism. Please answer my question in detail. Is it not true that the person holding the second position in the Constitutional order of the country – I do want to mention the designation, I do not want to mention the name – said openly in the Government function, the Speakers' Conference that we want to change the basic structure of the Constitution, under the Kesavananda Bharati case? … (*Interruptions*) Is it not true? The ... * who is from your Party gave an interview in public before elections where he said that if we are getting 400 seats in Lok Sabha, then we will alter the Constitution, and we will declare this country as a Hindu Rashtra. … (*Interruptions*) It is on record. … (*Interruptions*) I will prove. … (*Interruptions*) Move a Privilege Motion. … (*Interruptions*) Move a Privilege Motion. … (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Mr. Raja, if you are charging someone that he has said that the Constitution would be changed now and it will be a Hindu Rashtra, then you can authenticate your statement.

… (Interruptions)

SHRI A. RAJA : Sir, it is there. … (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Shri Pralhad Joshi ji.

* Expunged as ordered by the Chair.

… (Interruptions)

SHRI A. RAJA : Sir, I am not yielding. … (Interruptions)

THE MINISTER OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION; AND MINISTER OF NEW AND RENEWABLE ENERGY (SHRI PRALHAD JOSHI): Sir, what he is claiming is that a person who is at the second position in the Order of Precedence has said that "We will alter the Constitution, and it would be announced as a Hindu Rashtra". Who has said it? … (*Interruptions*) He should authenticate it. … (*Interruptions*) Otherwise, he is misleading the House. … (*Interruptions*)

Who is the person he is referring to? He should authenticate it. *....(Interruptions)* Let him authenticate it. *....(Interruptions)* ऐसा नहीं चलेगा। किसी ने भी ऐसा नहीं कहा है। … (व्यवधान)

डॉ. संजय जायसवाल (पश्चिम चम्पारण) : इतना बड़ा ... * है, इसकी ऑथेंटिकेट करो।

…(व्यवधान)

SHRI PRALHAD JOSHI: Sir, how can he mislead the House? *....(Interruptions)*

HON. CHAIRPERSON: Hon. Members, please take your seats. Only Mr. Raja ji will speak.

....(Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Mr. Baalu ji, you are a very senior Member. Kindly take your seat.

....(Interruptions)

---

* Expunged as ordered by the Chair.

HON. CHAIRPERSON: The hon. Member from your party is speaking on the subject. Please take your seat.

....(Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: I would request Raja ji, if you are saying anything and it is a charge, then you will have to authenticate it.

....(Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: This is what Mr. Prahlad Joshi is asking. You have to authenticate it.

....(Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: I will go through the proceedings. Mr. Raja, please continue.

....(Interruptions)

SHRI A. RAJA: Sir, we are discussing the functions of the Constitution. *....(Interruptions)* How the Constitution is working all along. *....(Interruptions)*

HON. CHAIRPERSON: Nothing will go on record except what Raja ji is speaking.

*… *....(Interruptions)*

SHRI A. RAJA: Sir, I want to summarise everything because there is not enough time. What is the constitutionalism? *....(Interruptions)* Sir, Dr. Ambedkar was very clear about it. *....(Interruptions)*

HON. CHAIRPERSON: Prahlad Joshi ji, I have already given a ruling that I will myself go through the proceedings.

---

* Not recorded.

....(Interruptions)

माननीय सभापति : मैंने उनको कह दिया है कि आपने जो कहा है, उसको ऑथेंटिकेट करिए, अन्यथा उसको... ।

... (व्यवधान)

SHRI A. RAJA : Sir, Dr. Ambedkar was very clear. In a seminar, he spoke about three terms – Constitution, constitutionality and constitutionalism. He very categorically said in the Assembly, 'Simply because a country has a Constitution, it does not mean that the country is having constitutionalism.' India is having constitutionalism. Out of Dr. Ambedkar's speech, Kesavananda Bharati case was decided in 1973. The largest ever Bench of 13 judges of the Supreme Court heard the case. The famous advocate Nani Palkhivala argued the case. The argument took place continuously for 68 days. It was a judgement of more than 1000 pages. As a student of law, I have read it many times. Even for this debate, I went through it thrice last night.

Sir, over and above, all the legal luminaries wrote various articles on the Kesavananda Bharati case. I may be permitted to cull out from the Kesavananda Bharati case because that is about the basic structure of the Constitution. As per the judgement in the case, you can amend all the provisions of the Constitution except the basic structure. You are having confusion regarding how many times the Constitution has been changed. Yes, it has to be changed. But the thing is whether it is the basic structure of the Constitution or not. I can do a surgery of my hand; I can do a surgery of my fingers, but I cannot do a surgery of my head. That is the soul. *....(Interruptions)*

Sir, I can cull out the essentials which have been codified. Out of the entire Constitution, six elements have been culled out in the judgement by 13 hon. judges of the Supreme Court. First is democracy; second is secularism; third is the Rule of Law; fourth is equality; fifth is federalism; and sixth is independent judiciary.

Sir, with due respect to the Chair and the Treasury Benches, I would like to say that you are not at all competent to touch all these six elements in the Constitution. *....(Interruptions)* You are against this. *....(Interruptions)* I will prove it. *....(Interruptions)* Wait, I will demonstrate it. *....(Interruptions)* If you have patience, I will prove it. *....(Interruptions)*

HON. CHAIRPERSON: Why are you addressing the Treasury Benches? You should address the Chair. You should address me.

....(Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Mr. Raja, you have a limited time. You have only 16 minutes. You have already taken more than 15 minutes.

....(Interruptions)

SHRI A. RAJA : Sir, please give me more time. *....(Interruptions)*

HON. CHAIRPERSON: I am giving you more time. But you need not elaborate on Kesavananda Bharati case. Kesavananda Bharati case is a reference case. That is true.

....(Interruptions)

SHRI A. RAJA: Sir, everybody knows about Kesavanand Bharati case, but what does it connote? There are these six elements. The first element is democracy.

When we are discussing democracy, we are all along discussing the Emergency only. … (*Interruptions*)

SHRI PRALHAD JOSHI: Dr. Karunanidhi was put behind the bars.… (*Interruptions*)

SHRI A. RAJA: I am coming to various other things also and not only Dr. Kalaignar Karunanidhi. … (*Interruptions*) Sir, he is a Minister. … (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Raja *saheb*, only your speech is going on record. I think, you should not be bothered about anything else.

Now, whatever you are speaking, only that is going on record.

… (Interruptions) …[*]

SHRI A. RAJA: Sir, please advise them.

I am a student of law, six-time MP and three-time Minister. I am neither a fool nor a naive.

HON. CHAIRPERSON: You had worked together also. You were a Minister in the same Cabinet.

SHRI A. RAJA: Yes, but that is altogether different.

Sir, whenever democracy is discussed in the House, they say 'MISA and Emergency'. He is saying that our leader was arrested. I will go a step further and ask whether they have read South African literature. There was a very famous poet, Benjamin Moloise who sacrificed his entire life for the emancipation of the blacks. He was executed. I want to share one of his narrations. One of his poems

---

[*] Not recorded.

says this. A 22-year girl, who was arrested for anti-national activities by the Government, was produced before a Magistrate. She was an under-trial prisoner who was produced before a Magistrate after six months. According to their law, the Magistrate asked whether she had faced any humiliation, any brutal attack or any injustice in the police station by the two Constables, who carried a stick or *lathi*, who were there to keep a watch on her. This young girl said to the Magistrate, 'Sir, no injustice was done to me. The only thing is that if the stick or the *lathi* borne by the police had the power to discharge semen, I would have been six month's pregnant.' Such a humiliation she had to face! Why am I taking this example? The same thing happened to the DMK leaders, but not in that way. A 24-year old boy was kept in the jail under MISA. He was attacked and he suffered injuries in jail. His father went to see him in the jail. The boy never wore a full-sleeve shirt, but on that day, he was wearing a full-sleeve shirt. His father was very wise and asked, 'My dear son, have you got any injuries caused by the police?'. The 24-year old young boy replied, '*Appa,* do not worry about my injuries. I am having no injury. You go and see that there is no injury caused to the democracy and the Constitution of this country.'. That boy is none other than M.K. Stalin, the present Chief Minister of Tamil Nadu. And, that father was none other than Dr. Kalaignar Karunanidhi. We know the pain. Do not teach us lessons.

In spite of that, we are sitting here. Why? We have been injured. Our Party leaders have been assaulted, but we think and believe in the Constitution and nationality, and that our country is more precious and above all of us. That is why, we are sitting with the Congress. We are having grievances against the Congress!

Sir, they were silent spectators when we were in the jail – myself and Kanimozhi. When we were arrested, Congress was in power, but we never begged. When we were acquitted, they were in power, but we never begged. We stand for what we believe in. So, they should not think with which allies we are sitting and for what cause we are standing here. That is the problem.

HON. CHAIRPERSON: Mr. Raja, I think, you should speak on the Constitution.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Mr. Raja, you should not become so emotional.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Please try to conclude.

… (*Interruptions*)

SHRI A. RAJA: Sir, the issue is that democracy alone was assaulted and completely buried under MISA, but now, in their regime, the entire six elements, namely, democracy, secularism, rule of law, equality, federalism and judicial impartiality, have gone. That is why, we are sitting here; we are not sitting here for power or money.

Sir, I come to my next point. … (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Your Party's time was 29 minutes. Already, you have taken 30 minutes. Kindly take two minutes to conclude.

SHRI A. RAJA: Sir, in the Emergency only, the Constitution was amended. The words 'Secular' and 'Socialist' were inserted. That is saving the entire country from your wrongful hands, otherwise you might have changed it.

There is another important thing for the democracy which had happened in

Delhi. This is institutional injustice for democracy. Let us come to Father Stan Swamy who was 85 years old. He had dedicated his entire life for tribals. You people had arrested an 85-year-old man, who was having Parkinson. He moved a bail application. The NIA did not permit it. An application was moved third time. The advocates were arguing before the courts that the gentleman, Father Stan Swamy, was in the hospital. Immediately, the proceedings were stopped. The advocates sent a note that Mr. Swamy had passed away. The judges said in the open court, 'We have great respect for Stan Swamy's work. It is shocking. Sorry, we are helpless'. Is this your democracy? What note Stan Swamy wrote lastly? I quote:

> "What is happening today to me is not unique. The nation is aware how many prominent intellectuals, lawyers, writers, activists, and student leaders are all put into jail because of their dissent voice against this Government. I am part of it, part of the game, and I am ready to pay any price."

He paid the price. I warn you one day you will pay all prices for this.

Sir, now I come to secularism. There are four elements. There is a grey area in the Constituent Assembly. When K. T. Shah, a Member of the Constituent Assembly wanted to insert 'secularism' in the Constitution, Ambedkar did not respond to it. Why did he not respond? He spoke outside. He said:

> "See Article 15, Article 25, and Article 28. All are prohibiting any discrimination on the basis of religion, and all the protections are purely secular because the Constitution itself is purely secular."

The entire country knows Pakistan declared itself as a theocratic country, but we have not declared ourselves as a theocratic country. In the absence of the declaration and having incorporated Articles 15, 26, 27, and 28, it is not necessary to say that since the secular Government is there, such a bad thing will not come to this country. He did not expect these ... *will come to power. That is the reason. … (*Interruptions*)

डॉ. निशिकान्त दुबे (गोड्डा) : सर, मेरा पॉइंट ऑफ ऑर्डर है।… (व्यवधान)

माननीय सभापति : आपका क्या पॉइंट ऑफ ऑर्डर है?

… (व्यवधान)

डॉ. निशिकान्त दुबे : सर, ये हम लोगों को ... * कह रहे हैं।… (व्यवधान) ये ...* कैसे बोल सकते हैं? … (व्यवधान) यह अन-पार्लियामेंट्री है।… (व्यवधान) यह पूरी सरकार को और हम लोगों को ... * कह रहे हैं। … (व्यवधान) हम लोगों को ... * कह रहे हैं। … (व्यवधान) इनको माफी मांगने कहिए। … (व्यवधान)

माननीय सभापति : मैं इसको रिकॉर्ड में देखूँगा।

… (व्यवधान)

डॉ. निशिकान्त दुबे : नहीं चलेगा यह हाउस। … (व्यवधान) ऐसा नहीं होता है।… (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Mr. Raja, you can criticize.

… (*Interruptions*)

डॉ. निशिकान्त दुबे : ये ... * कह रहे हैं। इनको माफी मांगने कहिए। … (व्यवधान) हम चुनकर आये हैं।… (व्यवधान) ये पूरे पार्लियामेंट और पूरे कांस्टिट्यूशन पर अटैक कर रहे हैं।…(व्यवधान) ये हमको ... * कैसे कह सकते हैं? … (व्यवधान)

---

* Expunged as ordered by the Chair.

SHRI A. RAJA: Sir, if you feel, let it be expunged.

HON. CHAIRPERSON: It will be expunged. हम इसको कार्यवाही से निकालते हैं।

… (*Interruptions*)

डॉ. निशिकान्त दुबे: ये एमपीज को ... * कैसे कह सकते हैं? … (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: You are a senior Member of Parliament. You can criticize.

… (*Interruptions*)

SHRI A. RAJA: Sir, expunge it.

HON. CHAIRPERSON: I have already expunged it. But you should not use this word.

… (*Interruptions*)

डॉ. निशिकान्त दुबे: इनको माफी मांगने कहिए।… (व्यवधान)

SHRI A. RAJA: Sir, I will conclude in just two minutes. … (*Interruptions*)

माननीय सभापति: वह कार्यवाही का हिस्सा नहीं है, आप निश्चिंत रहिए।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : आप लोग बैठ जाइए।

… (व्यवधान)

श्री प्रहलाद जोशी : सर, मैं यह कहना चाहता हूं कि लाइव-स्ट्रीमिंग हो रही है। Sir, he is calling us ... * … (*Interruptions*) हम इनके कारण इधर नहीं हैं। … (व्यवधान) भारत की जनता के कारण हम इधर बैठे हैं। … (व्यवधान)

माननीय सभापति : वह कार्यवाही का हिस्सा नहीं है।

… (व्यवधान)

---

* Expunged as ordered by the Chair.

SHRI PRALHAD JOSHI: He should apologise. … (*Interruptions*) सर, लाइव-स्ट्रीमिंग हो रही है। … (व्यवधान) ऐसे कैसे कह सकते हैं? … (व्यवधान) इनको माफी मांगनी चाहिए। … (व्यवधान)

सुश्री महुआ मोइत्रा (कृष्णानगर) : इन्होंने माफी मांगी थी? … (व्यवधान) कोई माफी नहीं मांगेगा। … (व्यवधान) No, Sir. A Minister had threatened me yesterday. … (*Interruptions*)

SHRI A. RAJA: Sir, now I would like to explain the genesis mechanism of how secularism developed and came into existence. … (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: I have already expunged it, but I think that being a senior Member of Parliament you should not use such an expression.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Nobody should use it.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: By calling anybody …* you are questioning the wisdom of the people or the voters of those Constituencies.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: How can you raise this issue?

… (*Interruptions*)

SHRI A. RAJA: Sir, who initiated the concept of Secularism? … (*Interruptions*) Way back, on 13 November, 1946, the Objective Resolution was moved by Pandit Nehru himself where he moved that the Constitution will provide adequate safeguard to the minorities, backward classes, depressed classes and the tribals.

---

* Not recorded.

The Resolution was moved by Pandit Nehru in the Assembly. Even prior to that, Mahatma Gandhi himself way back in 1931 in the Karachi Congress Session moved and I quote : "Religious neutrality will be the soul of free India". This is the side of Mahatma Gandhi and Pandit Nehru.

What is the other side? Pandit Nehru's Resolution was adopted on 13 November, 1949 and after four days ...*… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Kindly conclude now.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: I have already given you five minutes more than the time allotted.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: You have already taken five minutes more than allotted to you.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: I have to run the House.

… (*Interruptions*)

SHRI A. RAJA: Sir, there were lots of interruptions. … (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: No interruption was there. Kindly conclude.

… (*Interruptions*)

SHRI A. RAJA : Sir, there were lots of interruptions. … (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: I have given you five minutes extra.

---

* Expunged as ordered by the Chair.

… (*Interruptions*)

SHRI A. RAJA : No, Sir. … (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Kindly conclude now.

… (*Interruptions*)

SHRI A. RAJA : Who invented the two-nation theory -- Hindu nationality and Muslim nationality? We all believe that Jinnah did it. No, it is not so. In 1924 itself Savarkar did it. Hence, the Prime Minister, very carefully and cleverly and even I can say cunningly, in his Independence speech … (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Again, you are using such words like 'cunning'.

… (*Interruptions*)

SHRI A. RAJA : Sir, cunning is not a bad word. … (*Interruptions*)

माननीय सभापति : यह रिकॉर्ड में बिलकुल नहीं जाएगा। यह कोई तरीका नहीं है।

… (व्यवधान) …*

HON. CHAIRPERSON: I have already given you direction to speak carefully.

… (*Interruptions*)

SHRI A. RAJA: Sir, in the Independence speech as Prime Minister … (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: You can criticize.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: But you have made up your mind.

… (*Interruptions*)

---

* Not recorded.

HON. CHAIRPERSON: Now, you were saying that those persons who have been elected from here are bad persons.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: What is this? Please conclude now.

… (*Interruptions*)

SHRI A. RAJA: Sir, Savarkar invented the two-nation theory. … (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Your time is now over.

… (*Interruptions*)

SHRI A. RAJA : Sir, I will come to the point. … (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Please conclude now.

… (*Interruptions*)

SHRI A. RAJA : Sir, I will come to the point. … (*Interruptions*) Sir, there was disturbance in between. … (*Interruptions*) The two-nation theory was invented by Savarkar, which was not at all accepted by Dr. Ambedkar. Dr. Ambedkar clearly said it and I quote : "If Hindu raj comes to this country, it will be the biggest menace. At any cost, it should be stopped".

On the contrary, in the speech of the hon. Prime Minister, both Savarkar and Ambedkar were put in the same orbit on the same pattern.

Sir, next one is rule of law.

HON. CHAIRPERSON : You may have so many points but please conclude now. Please conclude in one minute.

SHRI A. RAJA : Sir, I do not want to elaborate on rule of law. There are three things – Manipur, Bilkis Bano, and the strike of the wrestlers. What is the rule of

law in this country? Daylight rape, daylight murder and no justice are the rules of law. Let us come to the judiciary. What you are doing here? Rajnath Singh was saying that Justice Khanna was elevated bypassing the seniority. I do not want to name the judges because they are still in the chair. One of the judges was elevated as the Judge of the Supreme Court bypassing 23 people. There was another judge who bypassed 30 people.… (*Interruptions*)

Sir, I am going to conclude. With pain, I am saying that a Dalit High Court Judge of the Madras High Court was entitled to go for Supreme Court but you put him in the Kerala High Court as CJI. Is this social justice?

HON. CHAIRPERSON: Please conclude.

SHRI A. RAJA : Sir, I am on the last point. People usually quote: “Ambedkar wanted to burn the Constitution”. Yes, I quote Ambedkar: “People are saying that I am the maker of the Constitution but I want to say I was used as a hack. I did something against my will. I want to burn the Constitution”. These were his words.… (*Interruptions*) Why did this happen? The Andhra State Bill was introduced in the Assembly. At that time, minorities and Scheduled Castes asked for special privileges.

HON. CHAIRPERSON: Please conclude.

SHRI A. RAJA: This is the last point. Ambedkar suggested that if the Andhra is given special status on the basis of linguistics, minorities and Dalits were having apprehension, then the Governor can be given a special power.

HON. CHAIRPERSON: Please conclude. This is not JPC. You are in Parliament. You have already exhausted your time.

SHRI A. RAJA : Sir, I am on the last page.

HON. CHAIRPERSON: You have already taken your time.

SHRI A. RAJA : Sir, I have the last point.

HON. CHAIRPERSON: Why were you questioning the Treasury Benches when the hon. Parliamentary Affairs Minister was speaking?

SHRI A. RAJA: Sir, the next day, Ambedkar was asked by press people, "you are the maker of the Constitution and do you want to burn it?" He said, "We built a temple for God to come in and reside, but before the God could be installed, if the Devil had taken possession of it, what else could we do except destroy the temple?" Please decide if they are the Devil or the God.

डॉ. निशिकान्त दुबे : माननीय सभापति जी, मेरा पाइंट ऑफ आर्डर है।

माननीय सभापति : आप किस नियम के तहत पाइंट ऑफ आर्डर मांग रहे हैं?

डॉ. निशिकान्त दुबे : महोदय, स्पीकर के डायरेक्शन 115(ए) के तहत मेरा पाइंट ऑफ आर्डर है कि माननीय सदस्य ने वर्ष 1949 के आर्गेनाइजर के आर्टिकल का जिक्र किया है।… (व्यवधान) मैं सदन को बताना चाहता हूं कि वर्ष 1949 के उस आर्टिकल के आधार पर आर्गेनाइजर के एडिटर को जेल हो गई थी। सुप्रीम कोर्ट में इसकी बहस चली और यह तय हो गया कि आर्गेनाइजर में वह आर्टिकल छपा ही नहीं था। ये मिसलीड कर रहे हैं। इन्हें ऑथेंटिकेट करने के लिए कहिए, नहीं तो पार्लियामेंट से निकालिए। … (व्यवधान)

माननीय सभापति : मैं रिकार्ड चैक कर लूंगा और उसके बाद देखूंगा।

… (व्यवधान)

SHRI LAVU SRIKRISHNA DEVARAYALU (NARASARAOPET): Sir, please get the House in order.

HON. CHAIRPERSON : I will request all the Members of Parliament, those who

are standing in the gallery, to kindly take your seats.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Please sit down.

… (*Interruptions*)

SHRI LAVU SRIKRISHNA DEVARAYALU: We are not feeling insecure, but we want to be more polite. … (*Interruptions*) We are trying to speak if the House is in order.

माननीय सभापति : कृपया आप सभी लोग बैठ जाएं।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : आप सभी लोग क्यों खड़े हैं? कृपया आप सभी लोग बैठ जाएं।

… (व्यवधान)

SHRI LAVU SRIKRISHNA DEVARAYALU: We respect you when you are speaking. We expect the same respect.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: You should also allow others to speak.

… (*Interruptions*)

माननीय सभापति : बैन्नी बेहनन जी, बैठ जाइए।

कृपया सभी लोग बैठ जाइए।

… (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: It is not fair to just stand in the gallery.

Shri Lavu Srikrishna Devarayalu Ji, now you start.

SHRI LAVU SRIKRISHNA DEVARAYALU: Sir, please calculate the time from now.

HON. CHAIRPERSON: Okay.

SHRI LAVU SRIKRISHNA DEVARAYALU (NARASARAOPET): Thank you for giving me this opportunity to speak on such an important discussion on the glorious journey of 75 years of the Constitution of India.

Sir, we cannot speak about the Constitution without speaking about Dr. Baba Saheb Ambedkar. Across the Party lines, we all admire him. He was such a great personality who faced numerous discrimination. But still, instead of drowning himself in sorrow, he made it his life mission to make sure that whatever he faced, none of the Indian citizens coming from any religion, any caste or any creed, should face any discrimination like him in independent India. So, he framed an amazing Constitution for all of us. We are enjoying the fruits of it for the last 75 years.

Sir, along with Dr. Baba Saheb Ambedkar, there are 389 members who have been inducted into the framing of this Constitution. They came from all walks of life with different educational and different life experiences. In these 389 members, there are 13 members who are from Telugu State and who are Telugu-speaking people. Let me read out their names. We are all proud of them. They are - Alladi Krishnaswamy Iyer, Bhogaraju Pattabhi Sitaramayya, Durgabai Deshmukh, Kallur Subba Rao, Acharya Gogineni Ranga Nayukulu, Kala Venkata Rao, M. *Ananthasayanam* Ayyangar, Moturi Satyanarayana, Neelam Sanjeeva Reddy, Sardar Nagappa, Tanguturi Prakasam, Thirumala Rao and V.C. Kesava Rao. All of them are from Telugu-speaking community. They all have done amazing work in the framing of this Constitution. They all came from different

walks of life.

Regarding this Constitution, unlike our neighbouring countries, which were not able to finish their elected Governments for five years, or other neighbouring countries where the Constitution changed numerous times for the last 75 years, we were able to continue with this, and it has been amended multiple times, but it has withstood the test of time. There were major judgments also that have taken place. India’s judiciary has delivered several landmark judgments that have upheld, strengthened, and interpreted the Indian Constitution, starting from Kesavananda Bharati case to Justice K. Puttaswamy in 2017. They have given various inferences to the Constitution. They have upheld it and have shown us the resilience of the Constitution. Not just from yesterday, but for the last two Sessions, from the Opposition side, we have been listening to and hearing about the Constitution being in danger and democracy being in danger. Let me rewind back and take them back to 2013, when Andhra Pradesh was up for division. The Bill was sent to the State Assembly of Andhra Pradesh. The State Assembly of United Andhra Pradesh had very clearly said, with a thumping majority, “We do not want division.” They rejected the division. In spite of that, that Bill was brought to the Parliament. When the Bill was brought to the Parliament, you have all seen what happened. There were a number of amendments moved by various Members in the Parliament. None of them was taken into consideration. So, what happened to democracy and what happened to the Constitution that day?

Even when the voting was supposed to happen in the Parliament, a number of Members, mainly from Andhra Pradesh, were suspended and thrown out of the

Parliament. What happened to democracy? What happened to the Constitution that day? Without taking those numbers into consideration, they went for the vote. Normally voting takes place. If not for the first Session, in every other Session, anytime voting happens. Either you do it electronically or you do it manually. But even now, if you ask for how many people have voted for and how many people have voted against it, regarding the division of Andhra Pradesh, we still do not have any data. So, there is no data. So, what happened to the Constitution? What happened to democracy that day? If the Congress keeps on lecturing about us, I think they should look no further than 2013. Again, I will rewind back to 1982 when great N.T. Rama Rao Garu started the Telugu Desam Party.

HON. CHAIRPERSON: Kindly conclude.

SHRI LAVU SRIKRISHNA DEVARAYALU: Sir, I have enough time, 11 minutes.

HON. CHAIRPERSON: I think, there is one more speaker from your party. Time constraint is also there.

… (*Interruptions*)

SHRI LAVU SRIKRISHNA DEVARAYALU: N.T. Rama Rao Garu started the Telugu Desam Party. Within nine months, in a record time, he formed the Government in Andhra Pradesh. After formation of the Government, within one year, in 1984, when the Congress was in power at the Centre, Mr. N.T. Rama Rao Garu, because he had a heart ailment, went to the United States for heart operation. When he was in USA, his Government was brought down. I want to question the Opposition. When they talk about democracy and the Constitution, what happened to democracy and the Constitution at that time and on that day?

So, I can give you multiple examples. My colleagues and my NDA partners will give multiple examples. I do not want to go back to the Emergency. I do not want to go back to how multiple judges have been superseded and the judgeships had been given to the third or fourth in line. So, I do not want to go back, but these are the two examples that I can give from Andhra Pradesh side when they talk about the Constitution and democracy.

Now I come to some of the amendments regarding which I can suggest. A number of amendments to the Constitution have taken place in the last 75 years. There are almost 106 amendments that have taken place in different Governments. Obviously, our Constitution is very flexible and it is also rigid. Wherever it needs to be flexible, it is flexible. It has been shown in the various judgements that have been given by the Supreme Court as well. So, I want to recommend three or four amendments with regard to the self-governance. Yesterday, all of us got the note regarding 'one nation, one election'. It mentioned about the Parliament election and it mentioned about the State elections. But I would request the Government to include the local elections as well so that self-governance can be bettered. It should happen at the same time. If you look at any panchayat elections, if you look at any mayor elections, most of the problems are happening because even though elections happen, there are so many financial constraints. Too much of State control is there. There is lack of capacity building. That is happening. There are a lot of irregular elections that are happening. So, if they can bring an amendment to Article 40, that would be proper. Again, coming to right to education, it has done amazing work in the last

10 to 15 years. Sir, 97 per cent of students have been enrolled in primary schools and out-of-school children have dropped from 13 million in 2006 to six million in 2020. There are a lot of good things that have happened. Empowerment of girls has happened. Reduction in child deaths has happened. But as per the ASER report of 2023, there is lack of reading skills, lack of writing skills and lack of comprehension skills. All these things need to be improved. There is a need for an amendment which needs to be brought. Instead of right to education, it should be reframed as right to quality education under Article 21A.

Another matter of contention is the delimitation of constituencies. That is supposed to happen in the next two years. The census has to happen and then the delimitation has to happen. I will just give you the data. Four States, namely Uttar Pradesh, Bihar, Rajasthan and Madhya Pradesh have 169 seats. As per the calculation right now with the population census, it will go up to 324 seats. That is an increase of 155 seats. Whereas for Andhra Pradesh, Telangana, Tamil Nadu, Kerala and Karnataka, five of us put together, it will go up only from 129 seats to 164 seats. That is only a rise of 35 seats. They get 155 seats whereas the Southern Indian States will get 35 seats.

13.00 hrs

This will not be helpful in federalism. Like how we do it for finances, wherever the States are doing bad financially, those States are also given the benefits. So, in the same way, wherever the population is decreasing, those States should also be given the benefits.

The last point is with regard to Governors. Multiple issues have been raised

by various hon. Members. When the Parliament functions, we always get a notice that within six months, the next Session should start. In the same way, the Governors should also decide a time limit in assenting the Bills that have been passed by the Chief Ministers of any State. They should have a definite time limit to give assent to amendments that are needed to be taken up.

HON. CHAIRPERSON: Thank you.

SHRI LAVU SRIKRISHNA DEVARAYALU: Sir, I have one last point to make. … (*Interruptions*) I am concluding it, Sir.

I have a last and an important point with regard to the 7th Schedule of the Indian Constitution. Under the 7th Schedule, the powers are very beautifully divided. There are Union List, State List, and Concurrent List. It has worked wonderfully in the last 75 years except for issues regarding water resource management and river disputes. Except for these issues, it has worked wonderfully.

But amendments are required to be brought in with the advent of new technologies like, AI, cyber security, data protection, online gaming, and e-commerce, etc. These all require not just State actors but also a Central actor.

So, it needs some sort of an amendment so that it can be administered properly. … (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Thank you.

SHRI LAVU SRIKRISHNA DEVARAYALU: Sir, I have one last point.… (*Interruptions*) I am concluding.

I would like to give an example with regard to the same. You talk about

online gaming where the State has all the legality. But when online gaming happens from other countries, the Central Government has to step in. So, kindly bring that in also.

So, these are the suggestions with regard to the amendments that can be brought in. The Government has already brought in 109 amendments. Our Constitution is a flexible document. It was beautifully written by Dr. Ambedkar and all the other members who had contributed with regard to the same. It is because of the Constitution that democracy is surviving and it is because of the Constitution that there are a lot of people who are able to come and represent the various parts of the society in this august House, the Parliament, and in various Assemblies.

Sir, I wish we all worked with true heart and with blinding faith in our Constitution; and that we all worked for the upholding of the Constitution in the days to come.

Thank you very much.

माननीय सभापति: श्री सुधाकर सिंह।

श्री सुधाकर सिंह (बक्सर): माननीय सभापति महोदय, मैं राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। 26 जनवरी, 1950 को अपनाया गया भारतीय संविधान, मानव इतिहास की एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। … (व्यवधान)

माननीय सभापति: आपके पास पांच मिनट का समय है।

… (व्यवधान)

श्री सुधाकर सिंह : महोदय, अभी तो मैंने अपनी बात शुरू की है।… (व्यवधान)

माननीय सभापति: अभी बहुत से स्पीकर्स हैं। मैंने आपको पाँच मिनट का समय बता दिया। अभी पाँच मिनट नहीं हुए हैं।

… (व्यवधान)

श्री सुधाकर सिंह : महोदय, यह दस्तावेज़ अद्वितीय दूरदर्शिता के साथ तैयार किया गया। यह अपने समय के सबसे प्रगतिशील और समावेशी दस्तावेजों में से एक के रूप में उभरा। एक नव स्वतंत्र और विविधता भरा राष्ट्र के लिए नई आशा का प्रकाश बन गया।

महोदय, इसके केंद्र में संविधान की प्रस्तावना है, जो भारत को सार्वभौमिक, सर्व-समावेसी, लोकतांत्रिक, समतावादी राष्ट्र में स्वतंत्र, सुरक्षित एवं सजग नागरिक का जीवन जीने का सौभाग्य प्रदान करता है। हमारा संविधान जो सम्राट अशोक के अशोक चक्र की सभी 24 तीलियों द्वारा इंगित सिद्धांतों प्रेरित है। यह हमारे महान लोकतंत्र के मूल्यों को भी प्रतिबिंबित करता है।

महोदय, संविधान की रचना एक न्यायपूर्ण और समान समाज के निर्माण के लिए निर्माताओं की प्रतिबद्धता का भी प्रमाण है। डॉ. बी.आर. अंबेडकर के नेतृत्व में इसके वास्तुकारों ने उदार संवैधानिकता की सर्वोत्तम परंपराओं से सीख लिया है। इन सिद्धांतों को भारत की अनूठी सामाजिक-सांस्कृतिक परिस्थितियों के अनुरूप तैयार किया गया। उन्होंने माना कि हमारे जैसे विविधता भरा राष्ट्र में व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी देना और सामूहिक अधिकारों की रक्षा करना विविधता के बीच एकता को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक था। यह उल्लेख करना समीचीन होगा कि 'बहुजन हिताय बहुजन सुखाय' यह एक वाक्य नहीं है, वरन भारतीय संस्कृति की सनातन आत्मा है।

महोदय, संविधान निर्माताओं ने मौलिक अधिकारों को शामिल किया, जो नागरिकों को राजसत्ता के दुरुपयोग से बचाते हैं। उन्होंने अभिव्यक्ति, धर्म और संघ की स्वतंत्रता को सुनिश्चित किया और कानून के समक्ष समानता की गारंटी दी। उन्होंने कमजोर समूहों के संरक्षण के लिए भी प्रावधान पेश किए, यह मानते हुए कि सच्ची समानता के लिए हाशिए पर पड़े समुदायों को ऊपर उठाने के लिए सकारात्मक उपायों की आवश्यकता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामूहिक कल्याण के बीच यह संतुलन संविधान की परिभाषित विशेषताओं में से एक है।

महोदय, हमारे संविधान ने विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों के पृथक्करण के माध्यम से जांच और संतुलन का एक मजबूत ढांचा भी स्थापित किया। यह संरचना

सत्ता को निरंकुश होने से रोकने और यह सुनिश्चित करने के लिए रचना की गई थी कि कोई भी एक संस्था लोकतांत्रिक लोकाचार को कमजोर न कर सके। निर्माताओं ने समझा कि लोकतंत्र केवल पंचवर्षीय चुनावों तक सीमित नहीं है, बल्कि कानून के शासन, पारदर्शिता और जवाबदेही की रक्षा के बारे में है।

महोदय, यह ध्यान देने योग्य है कि जबकि 'उदारवाद' शब्द स्पष्ट रूप से संविधान में कहीं नहीं दिखाई देता, बल्कि इसकी भावना दस्तावेज़ के हर अध्याय में व्याप्त है।

संविधान सभा में व्यापक बहस के माध्यम से संविधान निर्माताओं ने न केवल नकारात्मक बयानबाजी से परहेज किया, बल्कि ठोस परिणामों पर ध्यान केंद्रित किया। उनका दृष्टिकोण स्पष्ट था कि बिना वैचारिक हठधर्मिता की चरम सीमाओं के परे एक ऐसा संविधान बनाना जो भारत को न्याय, स्वतंत्रता और समानता की दिशा में ले जा सके।

प्रस्तावना में बंधुत्व का आह्वान इस सिद्धांत को रेखांकित करता है कि हमारा राष्ट्र केवल व्यक्तियों का समूह नहीं है, बल्कि आपसी सम्मान और साझी जिम्मेदारी से बंधा एक समेकित समाज है। यह बंधुत्व, जाति, धर्म, भाषा और क्षेत्र के विभाजन को पार करते हुए प्रत्येक नागरिक तक फैला हुआ है। यह हमारी राष्ट्रीय एकता के सार को दर्शाता है। एक ऐसी एकता जो थोपी नहीं जाती, बल्कि सहिष्णुता और समावेशिता के मूल्यों के माध्यम से अपनाई जाती है।

हम जैसे ही इस महान दस्तावेज का जश्न मनाते हें, हमें याद रखना चाहिए कि संविधान एक स्थिर कलाकृति नहीं है। यह एक जीवित, सांस लेने वाला ढांचा है, जो समय के साथ विकसित होता है और अपने लोगों की आकांक्षाओं से आकार लेता है। हालांकि, इसके मूलभूत मूल्य न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व अपरिवर्तनीय हैं। ये वे स्तम्भ हैं, जिन पर हमारे लोकतंत्र का भवन खड़ा है और इन्हें बनाए रखना हमारा सामूहिक कर्तव्य है।

भारतीय संविधान लोकतंत्र की रक्षा, न्याय, स्वतंत्रता और समानता को बनाए रखने के लिए एक मजबूत ढांचे के रूप में तैयार किया गया था, लेकिन पिछले दशक में इसे देखने और लागू करने के तरीके में एक व्यवस्थित और परेशान करने वाला बदलाव देखा गया। वर्ष 2014 से वर्तमान सरकार

के नेतृत्व में संवैधानिक मूल्यों का जानबूझकर क्षरण हुआ, जो हमारे राष्ट्र की आधारशिला के रूप में काम करते हैं। यह बदलाव एक ही घटना का परिणाम नहीं है, बल्कि एक श्रृंखलाबद्ध क्रमिक कार्यों का उदाहरण है।

लोकतंत्र की ताकत स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों में निहित है, लेकिन पारदर्शिता और निष्पक्षता से समझौता करने वाली नीतियों के माध्यम से इस आधारशिला को कमजोर किया जा रहा है। उदाहरण के लिए, गुमनाम चुनावी बांड की शुरुआत ने राजनीतिक फंडिंग की अखंडता को गंभीर रूप से कमजोर कर दिया। दक्षता की आड़ में बढ़ावा दिए गए ये बांड राजनीतिक दलों को असीमित, अपारदर्शी दान की अनुमति देते हैं, जिससे एक असमान खेल का मैदान बन जाता है। यह सत्तारूढ़ दल को अनुचित लाभ पहुंचाता है।

SHRI MADDILA GURUMOORTHY (TIRUPATI): Thank you, Chairman Sir, for giving me an opportunity to speak on this important occasion.

Sir, today, we are celebrating a monumental occasion where 75 years have passed since the adoption of our Indian Constitution on 26th November, 1949 despite the literacy rate of just 20 per cent and the average life expectancy of almost 32 years at that time.

Back then, our founding Members envisioned a nation built on justice, liberty, equality and fraternity. This vision became a reality under the guidance of luminaries like Dr. B. R. Ambedkar Sir who studied over 60 Constitutions to craft a framework for our democracy.

Sir, Dr. B. R. Ambedkar aptly described the Constitution as a vehicle of life with a spirit of its people. It is not just a political document but a manifesto for transformation addressing historical injustice and ensuring substantive qualities. The key principles of social justice, liberty, equality and fraternity form the

foundation of our democracy celebrating unity and diversity while protecting our secular and democratic values through the Keshava Bharati Judgment on the Basic Structure of the Constitution. Coming to our achievements over 75 years, hon. Chairperson, Sir, our journey under the Constitution has been marked by remarkable progresses.

First is its democratic resilience. India has emerged as the world's largest democracy with vibrant voter participation showcasing trust in our institutions.

Sir, my second point is social justice. The abolition of untouchability and affirmative actions have significantly transformed social structures. My third point is economic growth. India has evolved from an agrarian economy to the world's fifth largest economy, excelling its IT and agricultural exports. My fourth point is education and health. The rate of literacy has risen up to 74 per cent and life expectancy has doubled in 70 years. In global leadership aspects, our role in G20, actions on climate change and peacekeeping reflect India's growth in global stature.

Coming to the challenges, despite these achievements, some challenges persist. Regarding inequalities, addressing wealth and disparities and ensuring growth remain critical. Regarding social issues, eradicating caste and gender discrimination are essential for achieving true equality.

Coming to the geopolitical pressure, balancing national priorities with global responsibilities and economic and climate change require astute leadership.

Sir, empowering youth is a major important thing. Nearly half of our population is under 25 years of age. The youths are the custodians of

Constitutional values. Civic education, active democratic participation and social responsibility are vital to ensure these values thrive.

Yesterday while speaking, my colleague chose to misuse a valuable opportunity in the Parliament by engaging in baseless mudslinging against our leader.

HON. CHAIRPERSON: Kindly conclude.

SHRI MADDILA GURUMOORTHY: Hon. Chairperson, I take this opportunity to highlight a remarkable contribution of our leader, Ex-CM Shri Y. S. Jagan Mohan Reddy whose governance reflects a spirit of social justice, transparency and inclusive development, which form the base of our Constitution. We have constituted our Party's manifesto and considered it as Bible, Bhagavad Gita and Quran … (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Gurumoorthy ji, kindly conclude.

SHRI MADDILA GURUMOORTHY: Sir, yesterday, the Chair allowed her to speak.

HON. CHAIRPERSON: You have already mentioned about it. Kindly conclude.

SHRI MADDILA GURUMOORTHY: Coming to Article 38 regarding social justice, during Y.S. Jagan Mohan Reddy's regime, transformative programmes like Jagananna Videshi Vidya Deevena, Jagananna Amma Vodi and YSR Cheyutha have empowered the marginalised communities. These initiatives reflect a commitment to long-term upliftment, unlike the previous regime that prioritised vanity projects for the people's welfare.

HON. CHAIRPERSON: Thank you. You have spoken for more than seven

minutes. Kindly conclude.

SHRI MADDILA GURUMOORTHY: Baseless allegations regarding unprecedented allocations during Shri Jagan Mohan Reddy's Government for SC/STs welfare have been made. During the previous TDP Government, we saw neglect towards these communities. They made empty promises … (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Thank you. You have already taken more than seven minutes. Pappu Yadav ji.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Kindly conclude. I have made a request.

SHRI MADDILA GURUMOORTHY: In Andhra Pradesh, Sir, the present Government plunged Andhra Pradesh into chaos … (*Interruptions*) where the book of Constitution is being replaced by red books.

HON. CHAIRPERSON: This is not the way.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: You have already mentioned about it.

श्री राजेश रंजन (पूर्णिया) : माननीय सभापति जी, हमारी संस्कृति गीता, कुरान, बाइबिल, रामायण और वसुधैव कुटुम्बकम, सर्वधर्म समभाव और सार्वभौमिकता के भाव पर है। हमारा दर्शन न्यू ह्यूमेनिज्म और न्यू मोरेलिटी पर आधारित है और संविधान भी वसुधैव कुटुम्बकम, सर्वधर्म समभाव और सार्वभौमिकता के आधार पर एक तरह से गीता है।

मैं दिनकर जी की कविता से अपनी बात शुरू करता हूं।

समर शेष है, चलो ज्योतियों के बरसाते तीर
खण्ड-खण्ड हो गिरे विषमता की काली जंजीर

समर शेष है, अभी मनुज भक्षी हुंकार रहे हैं।
गाँधी का पी रुधिर, जवाहर पर फुंकार रहे हैं
समर शेष है, अहंकार इनका हरना बाकी है
वृक को दंतहीन, अहि को निर्विष करना बाकी है।
समर शेष है, शपथ धर्म की लाना है वह काल
विचरें अभय देश में गाँधी और जवाहर लाल
तिमिर पुत्र ये दस्यु कहीं कोई दुष्काण्ड रचें ना
सावधान! हो खड़ी देश भर में गाँधी की सेना
बलि देकर भी बली! स्नेह का यह मृदु व्रत साधो रे
मंदिर और मस्जिद दोनों पर एक तार बाँधो रे
समर शेष है, नहीं पाप का भागी केवल व्याध
जो तटस्थ हैं, समय लिखेगा उनके भी अपराध।

महोदय, आप सोचिए।

चमन का हर फूल बेच दिया
वह कहते हैं बगीचा आबाद कर रहे हैं।
इंसाफ की बात न करना यहां
ये लोग खंजर को आबाद कर रहे हैं।
हमसे खंजर दिखाकर वफा की उम्मीद है
राजा कहते हैं प्रजा की मुहर चाहिए।
सच बोलने की सजा यहां मौत है
फिर भी हर जुबां को हुनर चाहिए।
जो आज झुक रहे जुल्म के सामने

कल उनकी जुबां पर लफ्ज़ नहीं होंगे।

इतिहास में नाम तो दर्ज होगा

पर आंखों में उनके आंसू नहीं होंगे।

बाजारों में बिकती है अब किस्मत

कानून चुप है, हुकूमत कहती है सब ठीक है।

सच बोलने वालों को कुचल दिया

यह कहकर कि आवाज़ यह भ्रामक है।

जिसे ताज दिया उसने रोटियां छीन लीं

हम अपने ही घर के गुनाहगार हो गए।

जो सवाल उठाए, वो गुनाहगार ठहरे

जो चुप रहे वो पहरेदार हो गए।

अब कानून किताबों में सजा हुआ है

राजनीति का सच, हर घर जला हुआ है।

हर जश्न के पीछे किसी की चीखें हैं

हर झंडे के नीचे दिल डरा हुआ है।

उनकी तिजोरियां भर रही थीं

हम रोटी के टुकड़ों पर जंग लड़ रहे थे।

जो चुनकर भेजे थे हमें बचाने को

वही हमारी गर्दन को मरोड़ रहे थे।

मैंने ये शब्द क्यों कहे? आप अखबार देखिए, एक व्यक्ति ने संघर्ष शुरू किया। एक बच्चे ने अपने पैसे की तिजौरी तोड़कर पैसे दिए। … * देखिए कि उसके मां-बाप को मरना पड़ा, परसों उसके

* Not recored as ordered by the Chair

मां-बाप ने आत्महत्या कर ली। ... * देख लीजिए, हुजूर। वह बच्चा कह रहा है कि ईडी के लोगों ने कहा कि तुम कांग्रेस ज्वाइन करो और राहुल गांधी के खिलाफ बयान दे दो, उसके बाद हम तुम्हें फ्री कर देंगे। यह मध्य प्रदेश की बात है। इसे आप देख लीजिए। मैं इस पर और कुछ नहीं कहना चाहता हूं।

महोदय, एक बच्चा प्रदर्शन कर रहा है बीपीएससी का और पटना का डीएम लात मारकर उसे खत्म कर रहा है। आप सोचिए, मैं इस पर और कुछ नहीं कहना चाहूंगा।

मैं यह कहना चाहता हूं कि हम 'वन नेशन वन इलैक्शन' की बात करते हैं, लेकिन 'वन नेशन फ्री एजुकेशन, फ्री हैल्थ' की बात नहीं करते हैं। आप देश की 84 करोड़ जनता को ऐसा अनाज और खाना देते हैं जिससे वे जिंदगी में कभी स्वस्थ नहीं रह सकते। मेरे मित्र स्वस्थ रहने के बारे में कह रहे थे, लेकिन 90 परसेंट बीमारियां वाटर के कारण हैं। आप एक तरफ 80 लाख हजार करोड़ के मेडिकल माफिया को जन्म देते हैं। ... (व्यवधान)

माननीय सभापति : कृपया संक्षिप्त करें।

श्री राजेश रंजन : सर, मेरे पास 10 मिनट हैं।

माननीय सभापति : आपके 6 मिनट हो गए। आपके पास 5 मिनट हैं, मैं एक मिनट अधिक दे रहा हूं।

श्री राजेश रंजन : सर, आप टोकेंगे तो नहीं होगा, आप मेरे गार्जियन हैं। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि यह निजीकरण कब खत्म होगा? दूसरा, मैं कहना चाहता हूं कि बिजली पर तो निजीकरण खत्म कीजिए। तीसरी बात, आप आरक्षण की बात करते हैं। मैं बाबा साहब अम्बेडकर जी की बात का आपसे आग्रह करूंगा। आप कृपया सुनें। मेरा आग्रह है- फंडामेंटल राइट और मिनिमम रिक्वायरमेंट। फंडामेंटल राइट के पहले या बाद, हमारे मित्र कह रहे थे... (व्यवधान)

माननीय सभापति : आपकी सारी बात कविताओं में आ गई है। आप कृपया समाप्त करें।

श्री राजेश रंजन : सर, मुझे 3 मिनट का समय दिया जाए। हमारे मित्र कह रहे थे कि ... (व्यवधान)

---

* Not recored as ordered by the Chair

माननीय सभापति : नहीं नहीं, श्री सुखदेव भगत जी।

श्री राजेश रंजन : हमारा देश डेवलप क्यों नहीं करता? जहां धर्म और जाति, भाषा, रंग के आधार पर हमारा देश बंटा होगा, उसे आप कैसे डेवलप करेंगे? आज जिन देशों ने डेवलप किया है, उन्होंने धर्म और रंग पर बोला है।

माननीय सभापति : ठीक है। आपकी बात आ गई।

श्री राजेश रंजन : सर, मैं आरक्षण की बात करना चाहता हूं। हमारे बिहार के कुछ मित्र कल कह रहे थे, शायद उनका डीएनए भूल गए, जब इस देश के पीएम को एक सौ बोरा डीएनए भेजा था। हमारी सांसद ने कहा कि कांग्रेस के खून में उनके परिवार की नींव है और उन्होंने जिस तरह से कांग्रेस को गाली दी….(व्यवधान)

माननीय सभापति : ठीक है, श्री सुखदेव भगत जी।

श्री राजेश रंजन : सर, मैं आरक्षण पर आना चाहता हूं। आरक्षण को टाइम, पर्सन, प्लेस, समय के अनुपात के अनुसार हमें विचार करना चाहिए।

माननीय सभापति : ठीक है, आपकी बात आ गई।

श्री राजेश रंजन : मैं आरक्षण के बारे में आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि आरक्षण को 67 प्रतिशत… (व्यवधान)

माननीय सभापति : आपकी बात हो गई।

श्री राजेश रंजन : सर, एक मिनट। प्राइवेट नौकरियों में आरक्षण को आप लागू करें। 80 प्रतिशत तक नौकरी बढ़ेंगी।

माननीय सभापति : धन्यवाद।

श्री राजेश रंजन : ठेकेदारी प्रथा में आप दलित, एससी,एसटी को लाएं। दूसरी तरफ… (व्यवधान)

माननीय सभापति : आपकी आरक्षण की बात आ गई। श्री सुखदेव भगत जी।

श्री राजेश रंजन : सर, … (व्यवधान) वहां की इकोनॉमी को रोका गया है। … (व्यवधान)

माननीय सभापति : आपकी बात हो गई।

श्री सुखदेव भगत (लोहरदगा) : महोदय, मैं देश की सर्वोच्च पंचायत में करोड़ों भारतीयों की पीड़ा व चिंता व्यक्त करने के लिए खड़ा हुआ हूं। संविधान केवल ऐतिहासिक विरासत नहीं है, बल्कि भारत के शाश्वत मूल्य और भूत, वर्तमान व भविष्य की कल्पनाओं का यह समावेश है। कल मैंने देखा कि सत्ता पक्ष के लोगों ने आवेश, आवेग तथा आक्रामक तरीके से कांग्रेस व नेहरू जी के बारे में टिप्पणियां कीं। मैं सदन को बताना चाहता हूं कि नेहरू जी और कांग्रेस पार्टी ने लोकतंत्र व संविधान की जड़ें इतनी गहरी कर दीं कि एक चाय बेचने वाला देश का प्रधान मंत्री है।

महोदय, सत्ता पक्ष के लोगों, विशेषकर बीजेपी के लोगों व उनकी सरकार ने संविधान संरक्षण की बात की। अभी मंत्री जी यहां पर बोल रहे थे। उन्होंने तिरंगे की बात की। मैं बता दूं कि तिरंगे के बारे में ... *ने क्या कहा है? आजादी के 1 दिन पहले 14 अगस्त, 1947 को ... *ने लिखा कि तिरंगे को भारतीय कभी स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि तीन रंग अशुभ होते हैं। जो संविधान की लगातार बात कर रहे हैं, वर्ष 1993 में इनके मातृ संगठन ... *ने कहा कि संविधान ...* का ढेर है। सन् 2000 में भाजपा सरकार ने संविधान के प्रमुख पहलू को बदलने के लिए एनसीआरडब्ल्यूसी का गठन किया था। वर्ष 2000 में ... *ने संविधान बदलने की मांग की।

वर्ष 2017 में … ** जी ने संविधान को भारतीय मूल्यों से विपरीत बताया है। मैं एक चीज यहां पर जरूर कहना चाहूंगा कि अमृतकाल के नाम पर सांस्कृतिक और कानूनी तरीके से संविधान के धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक मूल्यों को तोड़ा जा रहा है। मैं सत्तापक्ष के लोगों को बताना चाहता हूं कि बहुमत दायित्व बोध है, अहंकार नहीं है। विचारों की असहमति लोकतंत्र और संविधान का गहना है। मैं थोड़ा स्मरण करा रहा हूं। जनसंघ के चार मेम्बर्स थे। उनमें से वाजपेयी जी एक थे। जब चाइना का वार चल रहा था तो सदन में चर्चा की बात आई। नेहरू जी ने कहा कि चर्चा होनी चाहिए। यह इस लोकतंत्र की खूबसूरती है, यह संविधान की खूबसूरती है। मैं हाल के दिनों की बात बता रहा हूं। वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे और सुषमा स्वराज जी विदेश मंत्री थीं, उस समय भी यहां चर्चा कराई गई।

---

* Expunged as ordered by the Chair.

** Not recorded as oerder by the Chair.

लेकिन, यहां पर राहुल गांधी जी ने एक व्यापारिक घराने का नाम क्या लिया, यहां पर 'टच मी नॉट' वाली बात हो गई। 'छुई-मुई' की तरह सदन बंद और सरकार मौन। यही स्थिति है।

महोदय, मैं यहां पर एक और चीज बताना चाहता हूं कि कल इन्होंने कहा था कि राहुल गांधी जी, कांग्रेस पार्टी संविधान को पॉकेट में लेकर चलती है। यह सही है। इन्होंने सही बात कही है। जो सबसे कीमती चीज होती है, सबसे प्यारी चीज होती है और सबसे अहम चीज होती है, उसे पॉकेट में ही रखा जाता है। मैं स्मरण कराना चाहता हूं कि कल सत्तापक्ष के सीनियर मेम्बर कह रहे थे कि जब प्रधानमंत्री आए थे तो लोकतंत्र के मंदिर को साष्टांग दंडवत होकर प्रणाम किया था और सिर से लगाया था। सिर से लगाए हुए दस साल हो गए, उन्होंने सदन को बदल दिया। अब तो उन्होंने संविधान को सिर से लगाया है, पता नहीं कल क्या होगा। यह मैं आपको बताना चाहता हूं।

महोदय, कल राजनाथ सिंह जी ने यहां पर कहा था कि धर्म का मतलब कर्तव्य बोध होता है। मैं सत्तापक्ष के लोगों को बताना चाहता हूं, मैं 'गीता' की बात करना चाहता हूं-

'यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत,

अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानम सृज्याहम।'

माननीय सभापति : आप कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री सुखदेव भगत : जब-जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, राहुल गांधी जी ने अपने दायित्वों को समझा है और संविधान को बचाने का अभियान छेड़ा है। अभी संसदीय मंत्री जी आर्टिकल 15 और आर्टिकल 19 की बात कर रहे थे।

माननीय सभापति: आप उनका जवाब मत दीजिए। आप अपनी बात कहिए।

श्री सुखदेव भगत : सभापति महोदय, मैं अपने विषय पर आ रहा हूं। यहां पर आदिवासियों के साथ इनकी किस प्रकार की प्रवृत्ति है? हमारी … *

माननीय सभापति: यहां महामहिम राष्ट्रपति जी का नाम मत लीजिए।

---

* Not recorded as oerder by the Chair.

श्री सुखदेव भगत : लैंड एक्वीजिशन एक्ट को किस प्रकार संशोधित किया गया है? छोटानागपुर टेनेन्सी एक्ट में संशोधन करने के नाम पर आदिवासियों को प्रताड़ित किया गया है। 'नॉट फाउंड सुटेबल' के नाम पर उनके नौकरियों की चीजें खाई जा रही हैं।

महोदय, मैं यहां पर कहना चाहता हूं कि इन्होंने जिस संविधान की बात की है, इन्होंने जिस आर्टिकल 15 और आर्टिकल 19 की बात की है, मौलिक अधिकार की बात है, आदिवासियों की धार्मिक पहचान, उसमें अस्मिता की बात, उनके जनगणना कॉलम में सरना धर्म की बात मैंने इसी सदन में मांग की थी, लेकिन उस पर सरकार मौन है।

माननीय सभापति: कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री तेजस्वी सूर्या जी।

श्री सुखदेव भगत: महोदय, मुझे कन्कलूड करने दीजिए। … (व्यवधान) …* क्या यही ये संविधान को बचा रहे हैं? …(व्यवधान)

माननीय सभापति: सुखदेव जी, आप चेयर पर आरोप मत लगाइए।

… (व्यवधान)

श्री सुखदेव भगत: महोदय, मुझे आपका संरक्षण चाहिए। मुझे कन्क्लूड करने दीजिए। मैं मुश्किल से सात से आठ मिनट लूंगा।

माननीय सभापति: आप आठ मिनट बोल चुके हैं। आपका केवल पांच मिनट था।

… (व्यवधान)

श्री सुखदेव भगत: महोदय, फिफ्थ शेड्यूल की बात हो, फॉरेस्ट एक्ट की बात हो, पेसा कानून की बात हो, इन्होंने सभी लोगों के अधिकार को हनन किया है। जल, जंगल, जमीन, सारी चीजों को कॉर्पोरेट घरानों को दिया जा रहा है। मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि लगातार 'मनसा, वाचा, कर्मणा', लेकिन तीनों में विभेद है। ये 'कटोगे, बंटोगे' की बात करते हैं। … (व्यवधान)

---

* Not recorded as ordered by the Chair.

माननीय सभापति: कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री तेजस्वी सूर्या जी।

SHRI TEJASVI SURYA (BANGALORE SOUTH): Hon. Chairperson, Sir, I thank you for giving me the permission to speak in this important debate.

Sir, this is a momentous occasion for the whole country when we are celebrating 75 years of our journey as a constitutional republic. If we look at our immediate neighbourhood and contrast it to our experience, we are the only thriving constitutional democracy in our immediate neighbourhood. This is the strength of this country. This is the testament to not only the strength of our constitution, the sublime constitution that our Constitution-makers gave us, but also the strength of this civilization, this culture that has always placed the values of democracy, the values of freedom of expression, and *dharma* as the foundation stone of this civilization.

Baba Saheb Ambedkar, who played a pivotal role in the drafting of this Constitution, also acknowledged and appreciated the value of the civilizational culture in democracy, and strengthening the democracy, in this country. I would only want to take two lines from his very interesting quote. Baba Saheb Ambedkar expounds on how the Upanishadic principles of *Aham Brahmasmi* and *Tatvam Asi* form the foundation - the theoretical foundation, the philosophical foundation - of democracy. He says that if all persons are parts of Brahma, then all are equal and all must enjoy the same liberty, which is what democracy means. Looked at from this point of view, there cannot be a slightest doubt that no doctrine could furnish a stronger foundation for democracy than the Doctrine of Brahmanism. He

also goes further and says:

> "Western students of Democracy have spread the belief that Democracy has stemmed either from Christianity or from Plato and that there is no other source of inspiration for democracy. If they had known that India too had developed the doctrine of Brahmanism which furnishes a better foundation for Democracy, they would not have been so dogmatic. India too must be admitted to have a contribution towards a theoretical foundation for Democracy."

This is what Baba Saheb Ambedkar says. It was on this very philosophy that the Prime Minister Narendra Modi has declared to the world that India is the mother of democracy. That is the philosophical foundation from where we derive the strength for our Constitution.

Sir, this civilizational value of India that we are a civilizational State, was implicitly addressed and appreciated in the Constitution when India was referred to as 'Bharat' in Article 1 of the Constitution. Our Constitution-makers appreciated that millennia-old civilizational history and considered India to be a sacred geography. The *Vishnu Purana* said:

उत्तरं यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम् ।
वर्षं तद् भारतं नाम भारती यत्र सन्ततिः॥

From then, the country was considered a sacred geography, but unfortunately, starting from the first Prime Minister from the Congress party, Pandit Nehru, to the Communists and the others who followed, India was not considered a sacred

geography because they did not have the civilizational worldview that India was a millennia-old State. They approached India as a Union of States, more a private *jagir*, any part of which could be given to anybody at any point in time, which could be ceded or given away without even, at some times, following the constitutional process of law. The attack on the Constitution by the Congress Party started from the very first Article – Article 1.

Sir, I would want to draw the attention of this nation and the House to how a very important island, a strategically important island, in the Palk Strait in the southern part of the country, between India and Sri Lanka, called Katchatheevu was given away to Sri Lanka by the Congress Party and the DMK in 1974 without following any due process envisioned in the Constitution. When Pandit Nehru was asked about this very important island called Katchatheevu, which falls in the Palk Strait and was part of the then Madras Presidency, belonging to Raja of Ramnad, he said, "'I attach no importance at all to this little island and I would have no hesitation in giving up our claim to it." This was Pandit Nehru's position on a very important island.

श्री गौरव गोगोई : सभापति जी, ये जितना नेहरू जी का नाम लेते हैं, उतना नाम वाजपेयी जी का नहीं लेते हैं।…(व्यवधान)

श्री तेजस्वी सूर्या : गौरव भाई, आपको सुनना पड़ेगा। आपके हिस्टोरिकल पाप के बारे में आपको सुनना पड़ेगा।…(व्यवधान)

Sir, the DMK, which is today lecturing us on secularism and Constitutional morality, has also joined hands.

Karunanidhi ji, who was then the Chief Minister in 1974, was made well

aware that this was the solution and this island would be given away. They also supported this. In 1974, they did not bring an amendment to the Constitution. Article 1 and Article 3 of the Constitution mandate that if there is any change in the territory of India, that has to be brought before the Parliament. Nothing was done. Parliament was not taken into confidence. Article 1 and Article 3 were not amended. Nothing was done. By a mere Executive action, a very important island belonging to India was gifted, given away for political reasons by the Congress Party.

Sir, this was not the first instance. A lot was spoken about the basic structure of the Constitution. Parliamentary sovereignty and sovereignty of India is one of the founding principles of the nation. Not just in the instance of Katchatheevu and in the instance of Aksai Chin with respect to China, but more recently it was learnt that the UPA Government was ready to even give away Siachen to Pakistan. This is their commitment to territorial integrity of this country. This is the difference between one view, which considers India to be a civilizational State, a sacred geography, and between another, whose Leader of Opposition, when he goes abroad says that India is not a nation, but is a Union of States. Contrast this view to what Atal Bihari Vajpayee's position was.

ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है,

इसका कंकर-कंकर शंकर है,

इसका बिंदु-बिंदु गंगा जल है।

This is the difference between the BJP, which is the protector of the Constitution, protector of our territorial integrity, and other political parties like the

Congress, which consider India not as a civilizational State, not as a nation, but as a mere hodgepodge Union of States. This is an attack on the Constitution. It is this difference in the philosophy of approaching the nation and the Constitution that resulted in the Congress Party and its successive dynast Prime Ministers attacking not just the Constitution, but the very soul of this country.

The forcible insertion of 'Socialist' and 'Secular' in the Indian Constitution during the 42nd Amendment was not the first attempt at introducing these two ideas in the Constitution and making the Constitution rigid. Even during the Constituent Assembly debates, a proposal was made to add 'Socialist' and 'Secular' into the country's Preamble and the Constitution. This was categorically rejected by Babasaheb Ambedkar. The reason why Babasaheb Ambedkar rejected this is very telling. Babasaheb Ambedkar while rejecting the proposal to add 'Socialist' and 'Secular', makes this very important observation. He said:

> "The Constitution is merely a mechanism for the purpose of regulating the work of the various organs of the State. It is not a mechanism whereby particular Members or particular parties are installed in office. What should be the policy of the State, how the society should be organized in its social and economic side are matters which must be decided by the people themselves according to time and circumstances."

Sir, yesterday many Members from the Opposition said that the Congress Party introduced the 42nd Amendment and inserted the words 'Socialist' and 'Secular' in the Constitution with a laudable objective. Let me tell this nation and

let me tell this august House that there was no laudable objective behind that insertion. The only objective was to create a monopoly in politics, a monopoly for the dynasty in politics, and a monopoly in the economy so that there will be no challenge to the Congress Party's first family. This is exactly what Babasaheb Ambedkar wanted to oppose. The idea was that by bringing socialism, by saying that there is going to be only one type or form of Government, only one type of Party, all type of competition was killed in the politics. The dynasty rule was perpetuated and the idea was that politics would be controlled by the dynasty's monopoly, and the economy in turn would be controlled by the State's monopoly.

This vicious cycle, Chairperson Sir, kept the country poor, kept the country hungry, and kept the country backward. The cost for this thrusting of socialism only to keep the country poor and to perpetuate the dynasty's stranglehold on the country's politics cost the nation dear. In a paper titled *The Price of Socialism*, noted economist Swaminathan Aiyar says something. Let me read it out, Chairperson Sir.

He said: "14.5 million children would have survived, 261 million more Indians would have become literate and 109 million more people would have risen from poverty line had we not approached our economy with this dogmatic approach". This has been the contribution of the Congress Party.

Yesterday, there was a question on Arthik Nyay. I want to tell you what Arthik Nyay or economic justice the country saw under the Congress Party. …(*Interruptions*) Until Prime Minister Mr. Narendra Modi came, a large population of this country did not have access to toilets. This was the kind of economic justice

that they had given. Close to 80 per cent of the country's villages did not have access to electricity and they speak of economic justice. Close to 50 crore people in this country did not have access to bank accounts and they speak of economic justice. मैं आपको बताना चाहता हूं कि नरेन्द्र मोदी जी के आने के बाद इस देश के गरीब को आर्थिक न्याय मिला है और संवैधानिक रूप से मिला है।

Since Baba Saheb Ambedkar was such a staunch opponent of this Congress style of politics, Pandit Nehru declared Baba Saheb Ambedkar to be his enemy number one politically. … (*Interruptions*) Today, I heard my opponent from the Communist Party state that the RSS was against Ambedkar and Ambedkar's Constitution. There cannot be anything farther from truth than that assertion. Not one time, but two times Baba Saheb Ambedkar's electoral chances were thwarted by the Congress and the Communist Party working together. Savitri Ambedkar, in her book 'Reminiscences of my life with Ambedkar' notes that S. A. Dange upon the instructions of Pandit Nehru worked overtime to defeat Ambedkar in both the by-elections. … (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON : Kindly be brief.

… (*Interruptions*)

SHRI TEJASVI SURYA : Sir, I want to remind the nation that when the Congress and the Communist Party were trying to defeat Ambedkar and when the Communist leader, S. A. Dange gave a slogan, "Let your vote go waste, but do not make Ambedkar win"; it was an RSS pracharak, Dattopant Thengadi, who was working to make Ambedkar win in the election as his election agent. … (*Interruptions*) These historical truths have to be brought out. … (*Interruptions*)

Sir, for a very long time, a big hypocritical drama has been conducted in this country where those who are the attackers of the Constitution have posed themselves as the champion of the Constitution. … (*Interruptions*) This hypocrisy must be exposed. This hypocrisy has continued for a very long time. But those who have perpetrated innumerous attacks on the Constitution and destroyed the very soul of the Constitution, these people today are posing as the champions and the protectors of the Constitution.

HON. CHAIRPERSON: Kindly conclude now.

… (*Interruptions*)

SHRI TEJASVI SURYA : Sir, I will conclude in a few minutes. … (*Interruptions*) But this hypocrisy must be exposed.

The DMK gave us big lectures here on secularism. Their leader speaks of eradicating Sanatana Dharma and we should listen to these speeches of secularism from them. … (*Interruptions*) The leaders from the DMK are speaking about Constitutional morality. On 26 November, 1957, their founder-head of inspiration, Periyar burnt the Constitution and 200 of his followers were arrested. From these people we have to learn lessons of Constitutional history and morality! … (*Interruptions*)

The very first attack on the Constitution was made by Pandit Nehru when he curtailed the freedom of expression of the people. This was the very first attack. Who was protecting the Constitution then? It was Shri Shyama Prasad Mukherjee. Imposing Emergency, suspending Fundamental Rights, arresting one lakh Opposition leaders, forceable sterilization of a million people, this was the legacy.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Kindly conclude now.

… (*Interruptions*)

SHRI TEJASVI SURYA : This is what is attacking the Constitution. Despite being banned, the RSS and the Jan Sangh fought to restore democracy in this country. This is protecting the country. … (*Interruptions*)

Article 356 is misused more than 90 times. … (*Interruptions*) Democratically-elected Governments were removed at the whim of the leaders. … (*Interruptions*) This is attacking the Constitution. … (*Interruptions*)

The idea of *Sabka Sath Sabka Vikas*, Team India approach, and GST Council, is Narendra Modi's style of protecting the Constitution. Sir, I am concluding in three minutes.

Rejecting the Kaka Kalelkar Committee Report, with Nehru himself opposing reservations for backward classes, is an attack on the Constitution; while granting constitutional status to the National Commission of Backward Classes is the protection of the Constitution.

Opposing Mandal Commission Report, when Rajiv Gandhi made his longest speech is attacking the Constitution; while introducing OBC reservations in NEET Exam and in Navodaya Vidyalaya, and implementing EWS reservation is the protection of the Constitution.

HON. CHAIRPERSON : Please conclude.

SHRI TEJASVI SURYA : Sir, perpetuating dynasty politics is an attack on the Constitution; while the Prime Minister's vision of bringing one lakh new youth into

politics is protection of the Constitution.

The Congress introduced the Waqf Act. Sir, you are the Chairman of the Waqf JPC, please give me a minute on this.

HON. CHAIRPERSON: Please conclude.

SHRI TEJASVI SURYA: A lot was spoken about secularism. What was the pervert brand of secularism that the Congress Party thrust on this country? A Muslim could be a Muslim, a Christian could be a Christian, but a Hindu has to be secular. This was the kind of one-way secularism that the Congress Party introduced.

In Karnataka, the place called Anubhava Mandapa, the place of Basvanna, which sowed the principles of democracy and philosophy of democracy, is under Waqf occupation today because of the Congress Party.… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Please conclude.

SHRI TEJASVI SURYA: Sir, we have fought to restore democracy when they imposed Emergency. We fought to send Ambedkar to Parliament when they conspired to defeat him.… (*Interruptions*) We have fought to protect secularism and pluralism when you surrendered to vote bank politics. We fought to make India prosperous while you kept India poor.… (*Interruptions*) We fought for 'Ek Bharat, Shreshtha Bharat' while you supported 'tukde tukde' of Bharat. We are the Party that is standing against your Soros army that is trying to destabilise India.… (*Interruptions*) We are committed to protecting the Constitution.… (*Interruptions*)

श्री जिया उर रहमान (सम्भल) : माननीय सभापति जी, मैं आज यहां पर मज़लूमों की आवाज बनकर

खड़ा हुआ हूँ। मैं उन करोड़ों भारतीय मुसलमानों और अल्पसंख्यकों की जद्दोजहद और हक की बात करना चाहता हूँ, जो इस देश का अटूट हिस्सा हैं। मेरे अल्फाज़ बंटवारे के नहीं हैं, बल्कि इत्तेहाद के हैं। मेरे अल्फाज़ मायूसी के नहीं, बल्कि एक उम्मीद के हैं। ऐसी उम्मीद, जो हमारे इस देश को जोड़ना चाहती है । हमारे संविधान को बनाने के लिए बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी, मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब तथा डॉ. जाकिर हुसैन साहब ने मिलकर इस संविधान को बहुत मेहनत के साथ बनाया था।

यह सिर्फ किताब की शक्ल में देने के लिए नहीं है। आज संविधान की चर्चा पर मैं कहना चाहता हूँ कि भारत का संविधान इंसाफ, आजादी और भाईचारगी का जिंदा गवाह है और यह गारंटी देता है कि इस देश के नागरिक हर मजहब, जात या नस्ल इज्जत के साथ अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं। एक मुस्लिम रहनुमा की हैसियत से मुझे इस दस्तावेज पर बेपनाह फख्र है। संविधान हमें इजाजत देता है और संविधान के आर्टिकल 15 के मुताबिक किसी भी नागरिक के साथ मजहब, जात, लिंग, नस्ल या जन्म के स्थान पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 19 में बोलने की अभिव्यक्ति की आजादी का हक दिया गया है, लेकिन आज आप हमारे अधिकार और हक को छीनने का काम कर रहे हैं। आर्टिकल 25 अपने मजहब को मानने और उस पर अमल करने की आजादी देता है। आर्टिकल 29 के तहत अल्पसंख्यकों के हकों की इफाजत करने के लिए प्रावधान किए गए हैं, लेकिन आप तो हमारे हकों को छीनना चाहते हैं।

माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आर्टिकल 30 के अंदर अपने तालीमी इदारों को कायम करने और उनको चलाने का हक है, लेकिन हमारे साथ ज्यादती हो रही है। अगर आप संविधान को कमजोर करेंगे, तो याद रखना, यह देश कमजोर होगा, हमारा मुल्क कमजोर होगा। वे संविधान के प्रति वफादार नहीं हो सकते, वे हमारे मुल्क के प्रति वफादार नहीं हो सकते। मैं उस संभल की सरजमीं से आता हूं, जहां पर 15 दिन पहले संविधान को कमजोर करने का काम किया। वहां पर पांच मजलूमों की जान ले ली गई, जिस तरह से 30 से ज्यादा लोगों को गोली मार कर घायल कर दिया गया और 50 से ज्यादा लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया।

सभापति महोदय, मैं पूछना चाहता हूं कि क्या मैं सांसद हूं? मैंने कहा था कि मुझे डर नहीं है। मेरे खिलाफ मुकदमा लिखा गया। मैं वहां मौजूद नहीं था। हमारे विपक्ष के माननीय सांसद हों या सत्ता पक्ष के माननीय सांसद हों, आप याद रखिए, आप जनता की आवाज हो। जनता के लिए आपकी जवाबदेही बनती है। मैंने अपनी जनता की आवाज को उठाने का काम किया तो क्या गलत किया था? माननीय सभापति जी, सिर्फ इस बुनियाद पर मुकदमा लिख दिया गया। …(व्यवधान)

माननीय सभापति : आप आइन की बात कीजिए। आप आइन पर बोलिए।

… (व्यवधान)

श्री जिया उर रहमान : माननीय सभापति जी, मैं संविधान पर ही बोल रहा हूं। उन लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए। जिन्होंने ज्यादती की है, उनको सजा मिलनी चाहिए। आज संभल में एक इमाम को सिर्फ इसलिए गिरफ्तार कर लिया गया कि उन्होंने लाउडस्पीकर से अजान दे दी थी। … (व्यवधान) अफसोस है कि हमारे साथ ऐसी ज्यादती हो रही है।

माननीय सभापति जी, हमारा संविधान किसानों को मजबूत करने की बात करता है, जो इस देश की रीढ़ है। दस दिनों से ज्यादा समय से 130 किसान जेल में बंद हैं। आप किसानों को हक नहीं दे पा रहे हैं, तो किसको हक देने का काम करेंगे?…(व्यवधान)

माननीय सभापति : आप लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं।

श्री जिया उर रहमान : मैं अफसोस करता हूं कि आज पूरे प्रदेश के अंदर हमारे लोगों की हिफाजत नहीं की जा रही है। मॉब लिंचिंग, सिर्फ धर्म के नाम पर, अगर कोई मुस्लिम है, ओबीसी है या पिछड़ा समाज का है, एससी समाज का है तो नाम पूछ कर उसकी हत्या कर दी जाती है। बुल्डोजर चलाए जा रहे हैं। हेट स्पीच, अगर हम कुछ बोलते हैं तो हेट स्पीच करके मुकदमा दर्ज कर देते हैं। कोई हमारे धार्मिक आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता है, तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। मेरे पास बोलने के लिए समय कम है।… (व्यवधान)

माननीय सभापति जी, यह सवाल बंटवारे का नहीं है बल्कि हमवतनों के लिए जिनका जमीर मर गया है, उनके जमीर को जिंदा करने के लिए है।…(व्यवधान) मैं कोई बंटवारे के लिए बात नहीं कर

रहा हूं, मुस्लिम और हिन्दू समाज के सभी लोगों ने मिल कर देश को आजाद कराया था। आज उनके साथ ज्यादती क्यों की जा रही है?…(व्यवधान) हम लोग अपने इस देश के अंदर मजबूरी से नहीं रुके, बल्कि हम अपनी मर्जी से रुके थे। मुल्क को आजाद कराने में लाखों मुसलमान शहीद हुए थे।…(व्यवधान) मैं कंक्लूड कर रहा हूं।

माननीय सभापति : श्री राजकुमार सांगवान जी।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : आप अपनी बात कंक्लूड करिए। …(व्यवधान)

श्री जिया उर रहमान: सर, माइक… (व्यवधान)

श्रीमती डिम्पल यादव (मैनपुरी) : सर, माइक चालू कीजिए।

माननीय सभापति : डिम्पल जी, माइक चालू हो गया है।

श्री जिया उर रहमान: माननीय सभापति जी, मैं एक मुस्लिम और अल्पसंख्यक के रहनुमा के तौर पर, अपनी बिरादरी के लिए एक खास हक की बात नहीं करता। मैं सिर्फ यह चाहता हूं कि संविधान के मुताबिक हर नागरिक को जो वादा किया गया है, वह पूरा हो। हुकूमत कमजोर की हिफाजत को यकीनी बनाए और नफरत फैलाने वालों को सजा दे।…(व्यवधान) मैं अपनी बात इस शेर के साथ खत्म करना चाहता हूं, जो हबीब जालिब का शेर है :

ऐसे जुल्म सुब्हे बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता,

मैं भी ख़ाइफ नहीं तख़्ता-ए-दार से

मैं भी मंसूर हूं कह दो अग़यार से

क्यूं डराते हो ज़िंदाँ की दीवार से

ज़ुल्म की बात को, जैह्-ल की रात को

मैं नहीं मानता! मैं नहीं जानता।

[جناب ضیاءالرحمان (سنبھل): محترم چیرمین صاحب، میں آج یہاں مظلوموں کی آواز بن کر کھڑآ ہوا ہوں۔ میں ان کروڑوں ہندوستانی مسلمانوں اور اقلیتوں کی

جدوجہد اور حق کی بات کرنا چاہتا ہوں، جو اس ملک کا اٹوٹ حصہ ہیں۔ میرے الفاظ بٹوارے کے نہیں ہیں، بلکہ اتہاد کے ہیں، میرے الفاظ مایوسی کے نہیں بلکہ ایک امید کے ہیں۔ ایسی امید جو ہمارے اس ملک کو جوڑنا چاہتی ہے۔ ہمارے آئین کو بنانے کے لئے بابا صاحب بھیم راؤ امبیڈکر جی، مولانا ابوالکلام آزاد صاحب اور ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب نے ملکر اس آئین کو بہت محنت سے بنایا تھا۔

یہ صرف کتاب کی شکل میں دینے کے لئے نہیں ہے۔ آج آئین کی چرچہ پر میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہندوستان کا آئین انصاف، آزادی اور بھائی چارگی کا زندہ گواہ ہے اور یہ گارنٹی دیتا ہے کہ اس ملک کے ناگرِک ہر مذہب، ذات یا نسل عزت کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکتے ہیں۔ ایک مسلم رہنما کی حیثیت سے مجھے اس دستاویز پر بے پناہ فخر ہے۔ آئین ہمیں اجازت دیتا ہے اور آئین کی دفعہ 15 کے مطابق کسی بھی ناگرک کے ساتھ مذہب، ذات، لنگ، نسل یا جنم کی بنیاد پر بھید بھاؤ نہیں کیا جائےگا۔ آرٹیکل 19 میں بولنے کی، ابھیویکتی کی آزادی کا حق دیا گیا ہے، لیکن آج آپ ہمارے حقوق کو چھیننے کا کام کر رہے ہیں۔ آرٹیکل 25 اپنے مذہب کو ماننے اور اس پر عمل کرنے کی آزادی دیتا ہے۔ آرٹیکل 29کے تحت اقلیتوں کے حقوق کی حفاظت کرنے کے لئے پراوُدھان دئے گئے ہیں، لیکن آپ تو ہمارے حقوق کو چھیننا چاہتے ہیں۔

محترم چیرمین صاحب، میں آپ کے ذریعہ سے کہناچاہتا ہوں کہ آرٹیکل 30 کے اندر اپنے تعلیمی اداروں کو قائم کرنے اور ان کو چلانے کا حق ہے، لیکن ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ اگر آپ آئین کو کمزور کریں گے، تو یاد رکھنا، یہ دیش کمزور ہوگا، ہمارا ملک کمزور ہوگا۔ وہ آئین کے پرتی وفادار نہیں ہو سکتے، وہ ہمارے ملک کے پرتی وفادار نہیں ہو سکتے۔ میں اس سنبھل کی سرزمین سے

آتا ہوں، جہاں پر 15 دن پہلے آئین کو کمزور کرنے کا کام کیا۔ وہاں پر 5 مظلوموں کی جان لے لی گئی، جس طرح سے 30 سے زیادہ لوگوں کو گولی مار کر گھائل کر دیا گیا اور 50 سے زیادہ لوگوں کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا۔

چیرمین صاحب، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا میں سانسد ہوں؟ میں نے کہا تھا کہ مجھے ڈر نہیں ہے۔ میرے خلاف مقدمہ لکھا گیا۔ میں وہاں موجود نہیں تھا۔ ہمارے اپوزیشن کے مانئیے سانسد ہو یا ستّا پکش کے مانئیے سانسد ہوں، آپ یاد رکھئیے، آپ جنتا کی آواز ہو۔ جنتا کے لئے آپ کی جواب دیہی بنتی ہے۔ میں نے اپنی جنتا کی آواز کو اُٹھانے کا کام کیا تو کیا غلط کیا تھا؟ محترم چیرمین صاحب، صرف اس بنیاد پر مقدمہ لکھ دیا گیا۔

محترم چیرمین صاحب، میں آئین پر ہی بول رہا ہوں۔ ان لوگوں کو انصاف ملنا چاہئیے جنہوں نے زیادتی کی ہے، ان کو سزا ملنی چاہئیے۔ آج سنبھل میں ایک امام کو صرف اس لئے گرفتار کر لیا گیا کہ انہوں نے لاؤڈ اسپیکر سے ازان دے دی تھی۔ افسوس ہے کہ ہمارے ساتھ ایسی زیادتی ہو رہی ہے۔

محترم چیرمین صاحب، ہمارا آئین کسانوں کو مضبوط کرنے کی بات کرتا ہے، جو اس ملک کی ریڑھ ہے۔ دس دنوں سے زیادہ وقت سے 130 کسان جیل میں بند ہیں۔ آپ کسانوں کو حق نہیں دے پا رہے ہیں، تو کس کو حق دینے کا کام کریں گے؟

میں افسوس کرتا ہوں کہ آج پورے پردیش کے اندر ہمارے لوگوں کی حفاظت نہیں کی جا رہی ہے۔ ماب لنچنگ، صرف مذہب کے نام پر، اگر کوئی مسلم ہے، او-بی-سی- ہے یا پچھڑا سماج کا ہے، ایس- سی- سماج کا ہے تو نام پوچھ کر اس کی ہتیا کر دی جاتی ہے۔ بلڈوزر چلائے جا رہے ہیں۔ ہیٹ اسپیچ، اگر ہم کچھ بولتے ہیں تو ہیٹ اسپیچ کرکے مقدمہ درج کر دیتے ہیں۔ کوئی ہمارے دھارمک

آقا ﷺ کی شان میں گستاخی کرتا ہے، تو ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں۔ میرے پاس بولنے کے لئے وقت کم ہے۔

محترم چیرمین صاحب، یہ سوال بٹوارے کا نہیں ہے بلکہ ہم وطنوں کے لئے جن کا ضمیر مر گیا ہے، ان کے ضمیر کو زندہ کرنے کے لئے ہے۔ (مداخلت) میں کوئی بٹوارے کے لئے بات نہیں کر رہا ہوں، مسلم اور ہندو سماج کے سبھی لوگوں نے مل کر دیش کو آزاد کرایا تھا۔ آج ان کے ساتھ زیادتی کیوں کی جارہی ہے؟ (مداخلت) ہم لوگ اس ملک کے اندر مجبوری سے نہیں رکے، بلکہ ہم اپنی مرضی سے رُکے تھے۔ ملک کوآزاد کرانے میں لاکھوں مسلمان شہید ہوئے تھے۔ (مداخلت) میں کنکلوڈ کر رہا ہوں۔

محترم چیرمین صاحب، میں ایک مسلم اور اقلیتوں کے رہنما کے طور پر اپنی برادری کے لئے ایک خاص حق کی بات نہیں کرتا، میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ آئین کے مطابق ہر شہری کو جو وعدہ کیا گیا ہے، وہ پورا ہو۔ حکومت کمزور کی حفاظت کو یقینی بنائے اور نفرت پھیلانے والوں کو سزا دے۔ (مداخلت) میں اپنی بات اس شعر کے ساتھ ختم کرنا چاہتا ہوں، جو حبیب جالب کا شعر ہے۔

ایسے دستور کو، صبح بے نور کو
میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا
میں بھی خائف نہیں تختۂ دار سے
میں بھی منصور ہوں کہہ دو اغیار سے
کیوں ڈراتے ہو زنداں کی دیوار سے
ظلم کی بات کو جہل کی رات کو
میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا]

डॉ. राजकुमार सांगवान (बागपत) : सभापति महोदय, मैं आज हमारे संविधान के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर इस सदन में हो रही चर्चा में शामिल होकर अपने विचार सदन के साथ साझा कर रहा हूं।

सभापति महोदय, 26 नवम्बर, 1949 की तिथि भारतीय इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। इस पावन दिवस को ही हमारे मूर्धन्य विद्वानों और पूर्वजों द्वारा अथक परिश्रम से आम सहमति से दुनिया को श्रेष्ठतम संविधान अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया था।

महोदय, मैं सदन का ध्यान हमारे संविधान की प्रस्तावना की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं। जिसका आरंभ 'हम भारत के लोग' जैसे सर्वसमावेशी शब्दों के साथ होता है।

ये शब्द भारत के लोगों को भारत देश का भाग्य निर्माता मानते हैं। संविधान निर्माताओं ने भारत के लोगों की आकांक्षाओं और मंशा के अनुरूप भारत को एक सफल जनतंत्र एवं गणतंत्र बनाने में अपनी सक्रिय भूमिका का निर्वाह किया है।

महोदय, हमारा संविधान केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह भारत के लोगों की पवित्र इच्छाओं, आकांक्षाओं का जीवंत और प्रगतिशील दस्तावेज है। अपने 75 वर्ष के सफर में भारतीय संविधान ने संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित उदात्त मूल्यों जैसे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, स्वतंत्रता तथा समानता की रक्षा तथा स्थापना में बहुत से कालजयी कार्य किए।

हमारा संविधान देश के सभी वर्गों, महिलाओं, किसानों, वंचितों, दलितों, पिछड़ों के लिए सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक के साथ-साथ व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता हुआ हमारे लिए पथ-प्रदर्शन का कार्य कर रहा है। इसका श्रेय हमारे संविधान निर्माताओं को जाता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात संविधान के आदर्शों एवं मूल्यों के अनुरूप भारत के लोगों की खुशहाली व समृद्धि के लिए कार्य करने वाले राजनीतिक नेतृत्व ने उल्लेखनीय कदम उठाए हैं। मैं यहां भारत रत्न, किसान मसीहा स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी का उल्लेख करना चाहूंगा, जिनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार कानून बनाया गया तथा सफलतापूर्वक लागू भी किया गया। इस कानून ने लाखों किसानों एवं मजदूर वर्ग को सामाजिक, आर्थिक क्षेत्र में न्याय उपलब्ध कराया तथा देश के समक्ष एक नजीर प्रस्तुत की।

इसी क्रम में, मैं रेखांकित करना चाहूंगा कि संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित न्याय, स्वतंत्रता तथा समानता की स्थापना में आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार समाज के सभी वर्गों, पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों, महिलाओं और दिव्यांगजनों इत्यादि के लिए सफलतापूर्वक कार्य कर रही है।

महोदय, मैं इसी के साथ एक बात जरूर साझा करना चाहूंगा। सदन में संविधान की पुस्तक लेकर आने वाले सम्मानित सदस्य, जो कहते हैं कि संविधान खतरे में है। मुझे अपने जीवन की एक घटना याद है। सन् 1975-76 में मैं दसवीं कक्षा का छात्र था। मेरी कक्षा के एक साथी की साइकिल चोरी हुई। हमने कॉलेज के प्राचार्य का घेराव किया, धरना दिया कि साइकिल बरामद होनी चाहिए। चार दिन स्कूल बंद रहा। पुलिस मेरे घर गई। एक पीएसएफ की ट्रक और एक जीप गई थी। मैं छोटा था और दसवीं क्लास का छात्र था। मुझे गांव से उठाकर थाने ले आई। मैंने पूछा कि मुझे क्यों लेकर आए हो? वे बोले कि इस समय आपात काल लगा है और धरने, प्रदर्शन या किसी मांग को उठाने की आज़ादी नहीं है, इसलिए आपको उठा कर लेकर आए हैं। मैं पूरी रात थाने में रहा और अगले दिन मुझे छोड़ा गया। मुझे चेतावनी देकर छोड़ दिया। मैंने पूछा कि आपात काल क्यों लगा है? पता चला कि गरीबी, महंगाई, भ्रष्टाचार की मांग को लेकर देश के तमाम लोग सड़कों पर थे और नारे लगाए जा रहे थे। मुझे आज भी याद है, जब नारे लगाए जा रहे थे तो उस समय कांग्रेस सरकार ने कहा था कि हम गरीबी मिटाएंगे, भ्रष्टाचार, महंगाई खत्म करेंगे। वह चरम पर थी। देश में भूखमरी, गरीबी, महंगाई चरम पर थी। देश की जनता सड़कों पर कह रही थी कि यह देखो इंदिरा का खेल, खा गई राशन, पी गई तेल। वही समय था, जब देश में इमर्जेंसी के दौरान, आपात काल के दौरान लाखों लोग, जो बेगुनाह थे, जिनकी शादियां तक नहीं हुई थीं, उनको जबरन पकड़ कर उनकी नसबंदी की गई। उस आपात काल के दौर में इतने जुल्म और ज्यादती कांग्रेस सरकार ने की।

महोदय, मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। जिस समय देश में इमर्जेंसी लगी, आपात काल लगा और तमाम नेताओं को जेल भेजा गया तो जेल में भी नेताओं के साथ जुल्म और ज्यादती की गई। मैं आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का उल्लेख करना चाहूंगा।

क्योंकि चौधरी चरण सिंह जी, मुरारजी देसाई जी, आडवाणी जी, चन्द्रशेखर जी, राजनारायण जी, रामविलास पासवान जी जैसे तमाम बड़े नेताओं को जेल में भेजा गया। आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का मुझे इसलिए ध्यान है, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी मीसा में जेल में बंद थे। उस आपात काल के समय जब उनके साथ जुल्म और ज्यादती जेल में की जा रही थी तो उनके घर में एक पुत्री ने जन्म लिया। आज वह हमारे सदन की सम्मानित सदस्या हैं। इस सम्मानित सदस्या का नाम मीसा जी हैं। लालू प्रसाद यादव जी ने अपनी बेटी का नाम मीसा रखा था, ताकि वह आपात काल याद रहे। आज वह हमारे सम्मानित सदन की सदस्या हैं, ताकि कांग्रेस के जुल्म और ज्यादती की याद सदन में ताजा बनी रहे। मैं मुलायम सिंह यादव जी का उल्लेख करना चाहूंगा। … (व्यवधान)

माननीय सभापति : आप कृपया अपनी बात समाप्त करें।

डॉ. राजकुमार सांगवान : मैं मुलायम सिंह यादव जी का उल्लेख करना चाहूंगा। मुलायम सिंह यादव जी, जो लोकतंत्र सेनानी थे, जिन्होंने कांग्रेस का जुल्म सहा, वे उस समय जेल में रहे। उन्होंने लोकतंत्र सेनानियो के लिए पेंशन शुरू की। वे लोकतंत्र सेनानी थे। जब उनका शरीर पूरा हुआ, तो स्वर्गवास के दौरान उनकी अंतिम यात्रा राजकीय सम्मान से करने का शासन आदेश जारी किया।

मुझे नहीं पता आज हमारे सम्मानित सदस्य उधर क्यों बैठे हैं।

माननीय सभापति : माननीय राजकुमार जी, कृपया अपनी बात समाप्त करें।

डॉ. राजकुमार सांगवान : देश की प्रगति में नरेन्द्र मोदी जी का जो योगदान है, देश के विकास में, देश को सशक्त बनाने में जो नरेन्द्र मोदी जी का योगदान है, मैं तो चाहूंगा कि वे सम्मानित सदस्य ध्यान रखें, जिन्होंने जुल्म किया, उनके साथ न बैठें। आदरणीय अखिलेश जी, आदरणीय अवधेश जी, आदरणीय धर्मेन्द्र जी, आपको ध्यान रखना चाहिए। आप इधर बैठे हैं, जिन्होंने उस समय… (व्यवधान)

माननीय सभापति : बहुत-बहुत धन्यवाद। आप बैठ जाइए।

डॉ. थोल तिरूमावलवन जी।

14.00 hrs

[*] **DR. THOL THIRUMAAVALAVAN (CHIDAMBARAM):** Hon. Chairperson Sir, Vanakkam. I thank you for giving me this opportunity.

On the occasion of celebrating the 75 years of glorious journey of the Constitution of India, this House has been paying rich tributes to the revolutionary leader Dr. B.R Ambedkar for the last 2 days. This Constitution is a worthy gift from Dr. Ambedkar for this nation and he worked tirelessly, day and night for almost 3 years to finalize our Indian Constitution which is aimed to build India as a nation upholding equality. This is not a mere law. This document is aimed to build a new India. The Preamble of Constitution of India explains this principle. Our forefathers have clearly enunciated in the Preamble of the Constitution as to how future India should be built.

Socialism, Secularism, Pluralism and Federalism are the four principles which form the basis of the Constitution of India. Besides this, Justice, Liberty, Equality and Fraternity are the four pillars on which the new India should be built up. Nowadays, safeguarding these principles is a real challenge. Majority of hon. Members, while speaking here, praised the revolutionary leader Dr. B.R Ambedkar for his major contribution for the drafting of our Constitution and nation building.

But at the same time, this discussion also included the details of those who opposed him, who betrayed him and who was responsible for that. But it is painful

---

[*] English translation of the speech orinally delivered in Tamil.

to say that this discussion we had here did not delve on the way how we had built new India and how we have been successfully implementing the Constitution of India for the last 75 years. A day before this Constitution was adopted by the Constituent Assembly, *i.e.* on 25 November 1949, our revolutionary leader Dr. B.R Ambedkar delivered his historically important address and concluding remarks. He expressed concern over the Constitution which he created by working hard for 3 years.

> "On 25th January 1950, this nation will become a Republic. This gives me happiness but I am worried about the future of this nation. We have won our political democracy. But the social democracy remains a question mark. The economic democracy also remains a question mark."

How are we going to implement all these principles? Dr. Ambedkar expressed utmost concern in his speech.

"Without Equality, the two other principles of Liberty and Fraternity cannot act upon successfully. Therefore, each one of this cannot be separated. Only when Equality, Liberty, and Fraternity are implemented successfully, we can create social democracy."

This was the concern expressed by Dr. Ambedkar. He wants that all those obstacles that come in the way of implementing these things, should be thrown away. There is no Equality without Fraternity. We should all feel like, we are brothers and sisters of the same family. This has not been achieved and unified entity has not been formed. This is not even looking like a nation. We cannot even call ourselves as a national race.

In such a situation, the revolutionary leader Dr. Ambedkar has put forth several proposals for bringing social democracy in our country by expressing his serious concern. Those who come to power in future, whether will they give us the answer to these questions? Are the religious beliefs above nation or the nation is above those religious beliefs? If they think that religious beliefs are above nation, then this nation will once again loose its freedom. If this happens, Dr. Ambedkar further expressed that our nation will reach a stage of non-liberation. This is the foresighted vision of Dr. B.R Ambedkar, 75 years ago. He said that, if the power vests in the hands of those who have religious beliefs, then they will create a situation where religious beliefs will be considered well above the interests of our nation. The concern expressed by Dr. Ambedkar can very well be understood by us.

You have created an International Memorial at a place where the revolutionary leader Dr. Ambedkar lived his life. It is true that you have installed a 433-feet high statue of Dr. B.R Ambedkar at a place where his mortal remains were put into pyre. You will be opening this Statue of Dr Ambedkar in the year 2026. You have set up a museum, in a place where Dr. Ambedkar lived for long. You are upholding his image so high. But at the same time, this Government is engaged in destabilising the soul of the Constitution which was created by him.

HON. CHAIRPERSON: Already you have taken more than your time. Please conclude. I have already given you more time.

*DR. THOL THIRUMAAVALAVAN: You have passed a legislation providing reservation for economically weaker sections. This is an attack on the Constitution. But in that, there is no provision for providing reservation to SCs, STs and OBCs. You have to create a society for which revolutionary leader Dr. Ambedkar worked tirelessly through his ideals throughout his life. It will only be then the real tribute for the maker of our Constitution. Thank you. Vanakkam.

श्री विजय कुमार हाँसदाक (राजमहल) : माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मेरी पार्टी जेएमएम की तरफ से कांस्टिट्यूशन अडॉप्शन की चर्चा पर बात करने का मौका दिया है।

महोदय, आज यहां बहुत सारी बातें आई हैं। जिस परिस्थिति में देश में कांस्टिट्यूशन को अडॉप्ट करते समय पूरे देश के हर एक वर्ग, तबके के लोगों को ध्यान रखते हुए फ्रेमवर्क बनाया गया। मैं उन सभी स्कॉलर्स को धन्यवाद देना चाहता हूं, उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। मुझे लगता है कि पूरा सदन इसमें एकजुट होगा।

सभापति महोदय, आज सदन में पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर की तरफ से भी सिक्योरिटी ऑफ माइनॉरिटीज के बारे में बातें आ रही थीं। यूरोपियन यूनियन में डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर रिपोर्ट्स आदि दिखाई जा रही थीं। हम उनसे बेहतर हैं, यह साबित करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन हम सबसे बेहतर हैं, यह अभी तक नहीं कहा जा सकता है। तुलना उस चीज में होनी चाहिए, जहां हम और बेहतर हो सकें। अगर हमारे यहां आज भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है और उसे हम रोक नहीं पा रहे हैं, तो इतने सालों के बाद आज हम जिस परिस्थिति में हैं, तो उसे हम अच्छा नहीं कहेंगे।

मैं यह कह सकता हूं कि संविधान की तरफ से हमें अधिकार मिले हैं। उनके माध्यम से आज एससी, एसटी, ओबीसी के आरक्षण से जुड़ी हुई बात आई। आज जिस तरह से प्राइवेटाइजेशन हो रहा है और जिस तरह से इन सभी का हक लगातार समाप्त किया जा रहा है, यह सोच हमारे कांस्टिट्यूशन

---

*English translation of the speech orinally delivered in Tamil.

की बिलकुल नहीं है। आप सीधे तरीके से रिज़र्वेशन को खत्म नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए आप बैकडोर से यह तरीका अपनाकर उसे खत्म कर रहे हैं। ... (व्यवधान) हर बार हमने यह सवाल पूछा कि इसका असर क्या हो रहा है? कितनी कंपनियों को प्राइवेट बनाने के बाद उनमें कितने एससी, एसटी, ओबीसी को जगह मिल रही है? इसका कोई जवाब अभी तक नहीं आया है।

यहां दोनों तरफ से बात आई कि हम अपने संविधान को पूरे विश्व में किस तरह से बेहतर तरीके से दर्शाते हैं, उस पर हर किसी का अधिकार और हक रहता है। लेकिन, सत्तापक्ष के बड़े-बड़े नेता जिस तरह से झारखंड में जाकर बांग्लादेश का राग अलापते हैं, हमारे यहां से वहां बिजली चली जाए, वह ठीक है, हमारे लोगों की जमीन चली जाए, वह ठीक है। अगर वहां के हिंदू लोगों को कोई दिक्कत हो रही है, तो आप उस पर बोलेंगे, लेकिन झारखंड में जाकर वहां के लोगों की जमीन, उनके हक-अधिकार ले लीजिए। जो बिजली की व्यवस्था वहां हमारे लिए होनी चाहिए, वह अभी तक नहीं हुई। लेकिन उस जगह पर ये लोग कुछ नहीं बोलने जाएंगे।

आज आपके पास डेटा है, आप देख सकते हैं कि बाहर से कितने लोग आए हैं। बार्डर की सुरक्षा करना किसका काम है कि बांग्लादेश से कहां से घुसपैठ हो रही है या चीन कितना भारत की सीमा में आ गया है। इन सभी डेटा पर आप हमेशा फेक रिपोर्ट देते हैं लेकिन सदन में जितने लोग बैठे हैं, उनके पास कहीं न कहीं से इसकी जानकारी जरूर आती रहती है। झारखंड में जाकर सिर्फ भ्रामक स्थिति पैदा करने के लिए देश के बड़े-बड़े नेता प्रधान मंत्री, रक्षा मंत्री और अन्य नेता भी चुनाव के समय गए। आप वहां भ्रामक व्यवस्था बना रहे हैं और संविधान की सभी व्यवस्थाओं का दुरुपयोग कर रहे हैं। आपने संस्थान का दुरुपयोग करते हुए वहां के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को पांच महीने जेल में भेजा। आप यह कह रहे हैं कि इमरजेंसी के समय क्या हुआ। इमरजेंसी वाली स्थिति आप लोग अभी बनाकर रखे हुए हैं। ... (व्यवधान) मैं यह कहूंगा कि हमारे या जो भी नेता यहां बोलते हैं, पूरे विश्व में उसका चेहरा दिखता है। हमारे देश का एक चेहरा यह भी निकल करके आया है कि सबसे ज्यादा

… *बोलने वाले नेता भारत देश में ही रहते हैं। … (व्यवधान)

माननीय सभापति: आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री विजय कुमार हाँसदाक: महोदय, मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा।

महोदय, हमारे यहां इलेक्शन के दौरान इन्होंने घोषणा की कि महिलाओं को गोगो दीदी योजना के माध्यम से 2300 रुपये देंगे और उसके लिए फार्म भी भरवाया। मैं कहना चाहता हूं कि यह केवल झारखंड की महिलाओं के लिए ही क्यों किया गया, पूरे देश की महिलाओं को आप इतने रुपये दीजिए। चुनाव के समय … *बोलना एजेंडा बन गया है।

माननीय सभापति : …*असंसदीय शब्द है, अनपार्लियामेंट्री शब्द है।

श्री विजय कुमार हाँसदाक : महोदय, जहां इनकी सरकार नहीं है वहां ईडी, इनकम टैक्स का इस्तेमाल करते हैं।… (व्यवधान) कांस्टीट्यूशन का दुरुपयोग लगातार-लगातार हो रहा है और इससे पूरे विश्व में हमारा अच्छा चेहरा नहीं बन रहा है।

माननीय सभापति : आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री विजय कुमार हाँसदाक : महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि यह काम यदि दोनों को मिलकर करना है, तो दोनों तरफ से होना चाहिए।

SHRI RAHUL GANDHI (RAEBARELI): Hon. Chairperson, Sir, thank you for letting me speak today on 75 years of the Indian Constitution. In my last few speeches, I spoke about the concept of Abhaya Mudra, the concept of fearlessness, truth, and non-violence. And I showed the House the images of our different religions displaying this Abhaya Mudra.

People call the Constitution the longest written Constitution in the world.

---

* Not recorded.

But the Constitution contains a set of ideas from one philosophy of our nation, one central philosophical set of ideas of our nation.

<u>14.13 hrs</u> (Hon. Speaker *in the Chair*)

When we open the Constitution and look at it, we can hear the voice and the ideas of Ambedkar, of Mahatma Gandhi, of Jawaharlal Nehru. But where did those ideas come from? Those ideas came from an old, profound tradition of this country. Those ideas came from Shiva, from Guru Nanak, from Basavanna, from Buddha, from Mahavira, from Kabir and from a list of people.

So, when we speak of the Constitution, and show the Constitution, of course, it is a document of modern India, but it could never have been written without ancient India and her ideas. So, when we look at this Constitution, we remember this list of people, all different variations on the same idea. In front of us stand the people who follow a very different philosophical tradition. I want to start my speech by quoting what the supreme leader, not of the BJP, but of the modern interpretation of the ideas of the RSS has to say about the Constitution of India, and about how he thinks India should be run. I would like to quote the words of Mr. Savarkar:

> "The worst thing about the Constitution of India is that there is nothing Indian about it. Manusmriti is that scripture which is most worshipable after Vedas for our Hindu nation, and from which our ancient times have become the basis of our culture, customs, thought and practice. This book, for centuries, has codified the spiritual and divine march of our nation. Today, Manusmriti is law."

Mr. Savarkar has clearly stated in his writings that there is nothing Indian about our Constitution. He has clearly stated that the Book India is run by, should be superseded by this book. This is what the fight is about. Now, it is nice that all of them are, so-called, defenders of the Constitution. But I want to ask them, do they stand by their leader's words? Do they support their leader's words? It is because when they speak in Parliament about protecting the Constitution, they are ridiculing Savarkar; they are abusing Savarkar; and they are defaming Savarkar. I would like to quote it in Hindi also:

"भारत के संविधान के बारे में सबसे बुरी बात तो यह है कि इसमें कुछ भी भारतीय नहीं है।"

यह आपके नेता ने कहा था, जिसकी आप पूजा करते हैं।

Speaker Sir, I described in my first speech the idea of a battle which is taking place. I described the Mahabharata, and also described the Kurukshetra. There is a battle taking place today in India. On this side, there are the defenders of the idea of the Constitution. From each State we have one. If they ask us about Tamil Nadu, we will tell them about Periyar. If they ask us about Karnataka, we will say about Basavanna. If they ask us about Maharashtra, we will say about Phuleji and Ambedkarji. If they ask us about Gujarat, we will say about Mahatma Gandhi.

माननीय अध्यक्ष : आप स्पीकर को एड्रेस करके बोलें।

SHRI RAHUL GANDHI: They praise these people. They praise these people hesitatingly because they have to. But the truth is that they want India to be run the way it used to be run. जैसे हिन्दुस्तान पहले चलाया जाता था, वैसे ही आप हिन्दुस्तान को चलाना चाहते हैं।... (व्यवधान) वह मैं बता रहा हूं, उसी पर आ रहा हूं। आप थोड़ी पेशेंस रखिए,

इतना एक्साइटमेंट नहीं होना चाहिए। ... (व्यवधान)

स्पीकर सर, जब मैं छोटा था, तब दिल्ली के चारों ओर जंगल हुआ करता था। जो लोग आज यहां रहते हैं, उनको ताज्जुब होगा कि एम्स के बिल्कुल बगल में जंगल शुरू होता था। जहां रेलवे म्यूज़ियम है, वहां पर जंगल शुरू होता था। वैसे ही जंगल में हज़ारों साल पहले छह-सात साल का एक बच्चा हर रोज़ सुबह चार बजे उठ कर तपस्या करता था। ... (व्यवधान) हर रोज़ सुबह वह धनुष उठा कर तीर-कमान चलाता था और घंटों तक उसने तपस्या की, उसने सालों तक तपस्या की। आस-पास लोगों को पता लगने लगा कि यह लड़का है। ... (व्यवधान) यही तो आप नहीं समझ सकते हैं। ... (व्यवधान) यही तो आपकी प्रॉब्लम है। धनुष में तपस्या है। मनरेगा के काम करने में तपस्या है। तपस्या का मतलब शरीर में गर्मी पैदा करना है, समझिए। ... (व्यवधान) हाँ, तप का यह मतलब है, तपस्या का यह मतलब है। वह बच्चा तपस्या कर रहा था। ... (व्यवधान) लोगों को पता चला। वह गुरू के पास गया। लड़के का नाम एकलव्य था। वह गुरू के पास गया और उसने कहा – गुरू द्रोणाचार्य जी, मैं सालों से धनुष चलाना सीख रहा हूँ। मैंने अपनी पूरी शक्ति इसमें डाली है। आप मेरी मदद कीजिए। आप मेरे गुरू बनिए। द्रोणाचार्य जी ने एकलव्य को कहा कि आप ऊंची जात के नहीं हो, अप द्विज नहीं हो, इसलिए मैं आपका गुरू नहीं बनूंगा, तुम यहां से चले जाओ और एकलव्य चला गया। फिर से एकलव्य ने तपस्या शुरू की। कुछ सालों बाद द्रोणाचार्य जी और पांडव उसी जंगल से निकले। एक कुत्ता भौंक रहा था। कहानी आपने सुनी है। ... (व्यवधान) मैं सुना देता हूँ। कुत्ता भौंक रहा था। अचानक कुत्ते की आवाज़ शांत हो गई। द्रोणाचार्य जी और पांडव पास गए और उन्होंने यह देखा कि तीरों के जाल में कुत्ता फंसा हुआ था। एक तीर उसके मुंह में था। कुत्ता तीरों के जाल में फंसा था, एक तीर मुंह में था, मगर कुत्ता शांत था, कुत्ते को चोट नहीं लगी। एकलव्य ने अहिंसा के साथ कुत्ते को शांत किया था। द्रोणाचार्य जी आते हैं और एकदम पूछते हैं कि तुम्हे यह किसने सिखाया? एकलव्य जवाब देता है कि द्रोणाचार्य जी यह मैंने सीखा है, मैंने तपस्या की है। मैंने घंटों प्रैक्टिस की है। आपने मेरा गुरू बनने से मना किया था तो मैंने मिट्टी की एक मूर्ति सामने रखी और मैंने प्रैक्टिस की और मैं सीखा।

द्रोणाचार्य जी खुश नहीं हुए। द्रोणाचार्य जी ने एकदम कहा कि तुम्हें मुझे गुरू दक्षिणा देनी होगी।… (व्यवधान) नहीं, यह आपकी स्टोरी है। मेरी स्टोरी है कि … (व्यवधान)

SHRI K. C. VENUGOPAL: Sir, you are not putting the House in order. *....(Interruptions)* You are not giving protection to our leader. *....(Interruptions)* Please keep the House in order. *....(Interruptions)*

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, मैंने आपको कई बार कहा कि आप धमकी भरे शब्दों में मत बोला कीजिए।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आज जब संसदीय कार्य मंत्री जी बोल रहे थे तो आप कितना डिस्टर्ब कर रहे थे।

… (व्यवधान)

श्री राहुल गांधी : द्रोणाचार्य जी ने कहा कि आप मुझे गुरू दक्षिणा दीजिए।… (व्यवधान)

श्री अखिलेश यादव : ये अंगूठा काटने वाले लोग हैं।… (व्यवधान)

श्री राहुल गांधी : आपने मेरी स्पीच ले ली। … (व्यवधान) द्रोणाचार्य जी ने उनसे कहा कि गुरू दक्षिणा के लिए मुझे तुम्हारा हुनर, तुम्हारा भविष्य और तुम्हारा अंगूठा चाहिए। एकलव्य ने अंगूठा काट कर द्रोणाचार्य को दे दिया।

यह अभय मुद्रा है। इसमें कंफिडेन्स, स्ट्रेन्थ और निडरता कहां से आती है, यह हुनर से आती है। इस अंगूठे से आती है। यही लोग इसके खिलाफ हैं। जैसे द्रोणाचार्य जी ने एकलव्य का अंगूठा काटा, वैसे ही आप पूरे देश का अंगूठा काटने में लगे हुए हो।… (व्यवधान) जैसे द्रोणाचार्य जी ने एकलव्य का अंगूठा काटा, वैसे ही आप हिन्दुस्तान के सब युवाओं का अंगूठा काटते हो। जब आप अडाणी जी को धरावी देते हो, तो धरावी के जो ऑन्त्रप्रिन्योर्स हैं, जो स्मॉल एंड मिडियम बिजनेसेज हैं, उनका आप अंगूठा काटते हो।

जब आप हिन्दुस्तान के पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, डिफेंस इंडस्ट्री सहित सब चीजें अडाणी को देते हो तो… (व्यवधान) हिन्दुस्तान के सारे के सारे जो फेयर प्ले बिजनेसेज हैं, जो ईमानदारी से काम

करते हैं, आप उन सब का अंगूठा काटते हो, जब आप अदाणी की मदद करते हो ।… (व्यवधान) कंस्टीट्यूशन में लैटरल एंट्री करके आप हिन्दुस्तान के युवाओं, पिछड़ों और गरीबों का अंगूठा काटते हो । … (व्यवधान)

सर, जैसे एकलव्य ने प्रैक्टिस की थी, वैसे ही हिन्दुस्तान के युवा सुबह चार बजे उठ कर अलग-अलग एग्जाम्स की तैयारी करते हैं। आपने देखा होगा कि पहले हजारों युवा सुबह उठ कर रनिंग करते थे, आर्मी में जाने के लिए वेट ट्रेनिंग करते थे। जब आपने अग्निवीर लागू किया तो आपने उन युवाओं की अंगूली काटी।

जब आप पेपर लीक कराते हैं, आपने 70 बार पेपर लीक करवाया है, तब आप हिंदुस्तान के युवाओं का अंगूठा काटते हैं।… (व्यवधान)

आज दिल्ली के बाहर आपने किसानों पर टिअर गैस चलाई है, किसानों पर लाठी चार्ज किया है। किसान आपसे एमएसपी मांगते हैं, सही दाम मांगते हैं। मगर, आप अदानी को फायदा पहुंचाते हो, अंबानी को फायदा पहुंचाते हो और किसान का अंगूठा काटने का काम करते हो। …(व्यवधान)

हम कहते हैं अभय मुद्रा।…(व्यवधान) हम कहते हैं डरो मत और आप कहते हो कि हम आपका अंगूठा काट देंगे। यह फर्क है। … (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : एक मिनट, प्लीज आप बैठ जाइए।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आज हम भारत के संविधान की 75 वर्ष की गौरवशाली यात्रा पर चर्चा कर रहे हैं। संविधान की चर्चा करते समय हम उच्च कोटि की गरिमा रखेंगे। आपसे यह अपेक्षा है। यह राष्ट्रपति का अभिभाषण नहीं है।

… (व्यवधान)

श्री राहुल गांधी : सर, कांस्टीट्यूशन में कहीं नहीं लिखा है कि मोनोपोली होनी चाहिए, कांस्टीट्यूशन में कहीं नहीं लिखा है कि पेपर लीक होना चाहिए, कांस्टीट्यूशन में कहीं नहीं लिखा है कि अग्निवीर होना चाहिए। … (व्यवधान) कास्टीट्यूशन में यह सब नहीं लिखा है, इसलिए मैं यहां रेज़ कर रहा हूं।

… (व्यवधान) कांस्टीट्यूशन में नहीं लिखा है कि हिंदुस्तान के युवाओं का अंगूठा काटना चाहिए, उनका जो हुनर है, उनसे छीना जाना चाहिए। …(व्यवधान)

स्पीकर सर, मैं कुछ दिन पहले हाथरस गया। हाथरस में 4 साल पहले एक लड़की का बलात्कार हुआ था, गैंग रेप हुआ था, तीन-चार लोगों ने गैंग रेप किया था। मैं 2-3 दिन पहले उस लड़की के परिवार के घर में गया। जिन्होंने गैंग रेप किया, वे बाहर घूम रहे हैं और लड़की का परिवार अपने घर में बंद है। लड़की का परिवार बाहर नहीं जा सकता है। जो अपराधी हैं, वे उनको रोज धमकाते हैं और वे बाहर घूमते हैं। … (व्यवधान) परिवार ने मुझे बताया कि बेटी का अंतिम संस्कार भी नहीं करने दिया। … (व्यवधान) चीफ मिनिस्टर ने इसके बारे में खुलकर मीडिया में झूठ बोला। यह कांस्टीट्यूशन में कहां लिखा है? यह कांस्टीट्यूशन में कहां लिखा है कि जो बलात्कार करते हैं, वे बाहर रहें और जिसका रेप हुआ है, उसके परिवार को बंद कर दिया जाए? कहां लिखा है कांस्टीट्यूशन में? यह आपकी किताब में लिखा है, मनुस्मृति में लिखा है, कांस्टीट्यूशन में नहीं लिखा। यूपी में आपका राज है। वहां पर कांस्टीट्यूशन लागू नहीं होता है, वहां पर मनुस्मृति लागू हो रही है। परिवार ने मुझे कहा कि यूपी की सरकार ने उन्हें वादा किया था और कहा था कि हम आपका रीलोकेशन करेंगे, आपको कहीं और रहने की जमीन देंगे। चार साल हो गए हैं, लेकिन आज तक उनका रीलोकेशन नहीं किया गया है।

हर रोज, उन्होंने मुझे फोटो दिखायी, जब वह बाहर निकलते हैं और जिन्होंने बलात्कार किया, वह उनको धमकाते हैं। मैं इस हाऊस में कहना चाहता हूं कि अम्बेडकर के संविधान वाले लोग, इंडिया गठबंधन वाले लोग हम सब मिलकर उस परिवार को रि-लोकेशन करेंगे। हिन्दुस्तान के हर गरीब व्यक्ति से मैं यह कहना चाहता हूं कि आपकी रक्षा कॉन्सटिट्यूशन करता है, बीजेपी के लोग कॉन्सटिट्यूशन पर चौबीस घंटे आक्रमण करते रहते हैं। कॉन्सटिट्यूशन में लिखा है, Prohibition of discrimination on grounds of religion, race, caste, sex or place of birth. The State shall not discriminate against any citizen on grounds only of religion, race, caste, sex, place of birth or any of them. Some days back, youngsters from Sambhal

came to see me. They were innocent people. They had done nothing. वह पास में थे, पांच लोगों की गोली मार कर हत्या कर दी, यह कन्सटीट्यूशन में कहां लिखा है, prohibition of discrimination on grounds of religion जहां भी आप जाते हैं एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाते हो, नफरत फैलाते हो। कॉन्सटिट्यूशन में कहां लिखा है कि एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाना है। कहां लिखा है कॉन्सटिट्यूशन में कि दलित परिवार को बंद करके अंदर रखना है और उनके अपराधियों को बाहर घूमने देना है। कौन से कॉन्सटिट्यूशन में लिखा है, मझे दिखाइए।

स्पीकर सर, हमारी जो विचारधारा है, इंडिया गठबंधन की विचारधारा है, वह देश में कॉन्सटिट्यूशन लायी है, हम सब मिलकर कॉन्सटिट्यूशन की रक्षा करते हैं। अम्बेडकर जी ने कहा था कि If there is political equality but no social and economic equality, political equality will be destroyed. यह अम्बेडकर जी के शब्द हैं, आज यह बात सभी के सामने हैं, पॉलीटिकल इक्विलिटी खत्म हो गई है, हिन्दुस्तान के सारे इंस्टीट्यूशन्स कैप्चर कर लिए गए हैं। सोशल इक्विलिटी नहीं रही, फाइनेन्शियल और इकोनॉमिक इक्विलिटी नहीं रही। हमारा अगला कदम जाति जनगणना होगा, हम देश को दिखाना चाहते हैं कि देश में आपने किन लोगों और कहां-कहां अंगूठा काटा है, हम दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, किसानों और मजदूरों को दिखाना चाहते हैं कि आपने किस-किस का अंगूठा काटा है। मैंने इसी हाऊस में वायदा किया था कि कास्ट सेन्सस लागू करेंगे, उसके बाद हिन्दुस्तान में एक नए तरीके का विकास होगा, एक नए तरीके की राजनीति होगी। मैंने पहले कहा था जो आपको अच्छा नहीं लगता है, पचास परसेंट रिजर्वेशन की दीवार को हम यहां तोड़ेंगे, पचास परसेंट रिजर्वेशन और जाति जनगणना हम यहां कराकर दिखाएंगे, आपको जो कहना है कह लीजिए। स्पीकर सर, बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: मैं आपको बुलाता हूं, आप खुद ही क्यों खड़े हो गए।

श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी।

श्री अनुराग सिंह ठाकुर : माननीय अध्यक्ष जी, जब पिछली बार चर्चा हुई थी तब मैंने कहा था कि कुछ लोग संविधान हाथ में लेकर घूमते हैं लेकिन यह नहीं बता पाएं कि उसके कितने पन्ने हैं क्योंकि

उन्होंने संविधान कभी खोला ही नहीं। राहुल जी सब तरफ संविधान दिखाते हैं, उसके चार पन्ने भी उन्होंने खोलकर नहीं देखें। अगर आप इसका प्रिफेस देखेंगे, प्रिफेस किसने लिखा है, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकर नारायण जी लिखते हैं। Our Constitution was crafted by the finest, most emancipated minds of the time, and thankfully, not directed by the confused Nehruvian social policy that guided successive Governments.

यह उनकी नैतिक विचारधारा पर सवाल खड़ा करते हैं। उन्होंने लिखा है -

> Giants like B. R. Ambedkar, B. N. Rau, Sardar Patel, K. M. Munshi and Alladi debated provisions to protect the basic freedoms …" … (*Interruptions*).

उन्होंने श्रेय दिया है तो अम्बेडकर जी और सरदार पटेल जी को। अगले पन्ने पर गोपाल शंकर नारायण लिखते हैं। … (व्यवधान) यह इन्हीं का है, मैं केवल पढ़ रहा हूं, इन्होंने यह हाउस में दिखाया है।… (व्यवधान) इसमें लिखा है –

> "Were it not for the strength of this document, Indira Gandhi would not have been compelled to end the darkest episode in independent India by ending the Emergency, …"… (*Interruptions*)

यानी संविधान की ताकत थी, जिन्होंने इंदिरा गांधी जी के इमरजेंसी को खत्म किया था। … (व्यवधान) यह संविधान की ताकत थी।… (व्यवधान) यह आपकी इस किताब में लिखा है। … (व्यवधान) राहुल जी, आप इसे लेकर घूमते हो, कभी खोलकर पढ़ो तो सही। … (व्यवधान) आपने कभी पढ़ा भी नहीं है।… (व्यवधान) इसमें आगे लिखा है और यह अधिकार दिया है।… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप चेयर को बोलिए, उधर डायरेक्ट नहीं बोलना है।

… (व्यवधान)

श्री अनुराग सिंह ठाकुर : अध्यक्ष जी, राहुल जी जो कॉपी लेकर घूमते हैं, इसी में लिखा है कि इंदिरा

गांधी जी की यातनाएं और इमरजेंसी को खत्म किया तो बाबा साहेब अम्बेडकर जी के संविधान ने। … (व्यवधान) गरीब से गरीब व्यक्ति को अपना नाम दिया। … (व्यवधान)

सर, आप इसकी प्रिफेस बताइए। सर, इसकी प्रिफेस के बाद फोरवर्ड लिखा है। सुप्रीम कोर्ट के बहुत बड़े वकील लिखते हैं कि जब संविधान बना, देश के आजाद होने के बाद पहले दिन से ही लेजिस्लटिव और ब्यूरोक्रेसी ने ज्यूडिशियरी के साथ सींग फंसा कर रखे। … (व्यवधान) ज्यूडिशियरी को नीचे दिखाने की बात की। … (व्यवधान) यह मैं नहीं कह रहा, यह वही किताब कह रही है जो राहुल गांधी जी हाथ में लेकर घूम रहे हैं। … (व्यवधान)

सर, मैं पढ़कर सुनाता हूं।

> "… from the earliest years itself, the legislative wing and the executive wing of the State on the one hand, confronted the judicial wing on the other, with the accusation that they had vastly encroached upon the powers not given to them but given to the executive. The then Law Minister on 28th October, 1976 issued a strident warning to the judges of the Supreme Court and I quote : "An atmosphere of confrontation was sought to be created by those whose duty it was to see that they did not encroach upon the field which did not legitimately belong to them. Nothing should be left undone now to ensure that such a situation did not recur. If even after the amendment confrontation continues, then I think it will be a bad day for the judiciary". … (*Interruptions*)

SHRI K. C. VENUGOPAL : Sir, was this his speech? Is his speech over? … (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष: वह अपने वक्तव्य को ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं। यह प्वाइंट ऑफ ऑर्डर नहीं है। वे अपनी स्पीच बोल रहे हैं।

… (व्यवधान)

श्री अनुराग सिंह ठाकुर: सर, यह कौन कह रहा है? उस समय के लॉ मिनिस्टर कह रहे हैं -

> "And again, we are trying to save them from the temptation to intrude into powers which do not belong to them. What we are doing today is not to save the people from the judges but really enabling the judges to save them from themselves. This was said during the Emergency, which hit the nation like Tsunami and brought about the realisation that the Constitution could be subverted." … (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष: यह प्वाइंट ऑफ आर्डर नहीं है, स्पीच बोल रहे हैं।

… (व्यवधान)

श्री अनुराग सिंह ठाकुर : यह संविधान बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने दिया और इसी ने देश को बचाया। राहुल जी, कभी इसे पढ़कर देखिए।… (व्यवधान) गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी के पूरे कारनामे इसके अंदर लिखे गए हैं कि कैसे आपने धज्जियां उड़ाई हैं।… (व्यवधान) यह बीजेपी के लोगों को कहते हैं, यह मनगढ़ंत आरोप हैं।… (व्यवधान) ये अंगूठा काटने की बात करते हैं, इनके राज में सिखों के गले काटे गए।… (व्यवधान) सिखों का कत्लेआम किया गया। … (व्यवधान) सिखों के दंगे सबसे ज्यादा हुए तो कांग्रेस के समय में हुए। … (व्यवधान) आपको देश से माफी मांगनी है, अगर आज भी नहीं मांगेंगे तो संविधान जितना मर्जी जेब में डालिए, आप संविधान को जेब में लेकर घूमते हैं, इन्होंने संविधान को तार-तार करने का काम किया है। इनको देश से माफी मांगनी चाहिए। … (व्यवधान)

महोदय, मुझे आपका संरक्षण इसलिए चाहिए था कि ये झूठे आरोप लगाने बंद करें। …

(व्यवधान) आपने संविधान की रक्षा कभी नहीं की। इमरजेंसी जैसा कालखंड आया और संविधान को बार-बार तार किया, संशोधन किया तो आपने और आपकी पार्टी ने किया।… (व्यवधान) धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: श्री श्रीकांत शिंदे।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: उनकी स्पीच हुई है। प्वाइंट ऑफ आर्डर नहीं है।

… (व्यवधान)

SHRI K. C. VENUGOPAL : Sir, which book is he quoting? … (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष: स्पीच हुई है, इसे टेबल कर देंगे।

… (व्यवधान)

श्री अनुराग सिंह ठाकुर : मैं अभी टेबल कर देता हूं। … (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: जब मैं कहूंगा तब आप कर देना। आप सब खुद ही डायरेक्शन देने लग जाते हैं।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री एकनाथ शिंदे जी, आप कृपया बोलिए।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैं कहूं तब आप करिए। आप सभी लोग खुद ही डायरेक्शन देने लगते हैं।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री एकनाथ शिंदे जी।

… (व्यवधान)

डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे (कल्याण) : धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे आज संविधान के 75 वर्षों पर हो रही चर्चा पर अपनी पार्टी शिवसेना की तरफ से बोलने का अवसर दिया। मैं सबसे पहले भारत रत्न डॉ. बाबा साहब अम्बेडकर, सभी स्वतंत्रता सेनानी और इमरजेंसी के समय जेल गए संविधान सेनानियों को नमन करते हुए अपनी बात की शुरुआत करता हूं। आज एक ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि इस सदन में हमारा संविधान, जो हमारे समाज का और हमारी संसद का स्रोत है। मैं अभी

राहुल जी को सुन रहा था। मुझे लगता है कि संविधान को छोड़कर सभी बातों पर उन्होंने प्रकाश डालने का काम यहां किया। बीते हुए वक्त में भी वे अभय मुद्रा की बात कर रहे थे, आज भी अभय मुद्रा के बाहर राहुल जी नहीं आए। अभय मुद्रा नॉन वायलेंस सिखाता है, लेकिन जैसा अनुराग जी ने कहा कि … (व्यवधान)

14.46 hrs

(Shri Krishna Prasad Tenneti *in the Chair*)

माननीय सभापति : आप प्लीज बैठिए।

… (व्यवधान)

डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे: आज यहां पर अभय मुद्रा के बारे में बात कर रहे हैं। अभय मुद्रा नॉन वायलेंस के बारे में सिखाता है, लेकिन ये यह भूल गए कि वर्ष 1984 में अनस्टॉप्ड नॉन वायलेंस सिख भाइयों के साथ करने का काम इन्होंने किया। … (व्यवधान) इन्होंने कहा कि युवाओं के अंगूठे काटे जा रहे थे। आप वर्ष 1964 को याद कीजिए, जब 1 हजार 70 कम्यूनल रायट्स इनके शासन में हुए। याद कीजिए, कारसेवकों पर गोलियां इन्होंने चलवाईं। … (व्यवधान) वर्ष 1993 में मुंबई में सीरियल बम ब्लास्ट इन्हीं के कार्यकाल में हुए। पिछले 10 सालों में एक भी बम ब्लास्ट मुंबई ही नहीं, पूरे भारत में नहीं हुआ। ये यहां पर सावरकर जी के बारे में बात कर रहे हैं। … (व्यवधान) मुझे इनसे पूछना है कि सावरकर जी का अपमान करने वाले इनके साथी, उभाटा वाले यहां पर बैठे होंगे। क्या उभाटा वालों को यह मान्य है, जो ये सावरकर जी के बारे में बात कर रहे हैं। … (व्यवधान) राहुल जी, मैं आपको आपकी दादी, स्व. इंदिरा गांधी जी का एक क्वोट देना चाहूंगा। Responding to a letter written by Pandit Bakhle, Secretary to the Swatantra Veer Savarkar Rashtriya Smarak, making plans for celebrating the birth centenary of Savarkar, in her letter dated 20th May, 1980, Indira Gandhi writes back to Bakhle saying, "I have received your letter of 8th May, 1980. Veer Savarkar's daring defiance of the British Government has its own importance in the annals of our Freedom movement. I

wish success to the plans to celebrate the birth centenary of the remarkable son of India". मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आपकी दादी भी संविधान विरोधी थीं? आपको तो सावरकर जी के बारे में रोज अनाप-शनाप बोलने की आदत है। मुझे लगता है कि सावरकर जी की पूजा यहां बैठे हम सभी लोग करते हैं और इसका हमें अभिमान है। … (व्यवधान)

इस सदन में आज हम यहां पर संविधान पर चर्चा कर रहे हैं। आज हम सब जो यहां पर बैठे हैं, यह सब श्रेय संविधान का है। … (व्यवधान) आज इसी संविधान ने एक साधारण परिवार से आने वाले नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया और इसी संविधान ने आज एक सामान्य शिवसैनिक, ऑटो रिक्शा चलाने वाले को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री भी बनाया। … (व्यवधान)

SHRI RAHUL GANDHI: Sir, he took my name. I would like to answer the question. … (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON : I will give you a chance after his speech is over.

… (*Interruptions*)

डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे : इसी संविधान ने कांग्रेस पार्टी को 400 से 40 सीट पर लाकर खड़ा कर दिया। … (व्यवधान) इसी संविधान की ताकत से महाराष्ट्र के लोगों ने … (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: I have heard that. I will certainly give you a chance.

… (*Interruptions*)

14.52 hrs

At this stage, Shri Imran Masood, Shri Saptagiri Sankar Ulaka and some other Hon. Members came and stood on the floor near the table.

… (व्यवधान)

DR. SHRIKANT EKNATH SHINDE: Sir, I am not yielding. … (*Interruptions*) सर, देखिए यह कौन सा संविधान है? ये चेयर के पास कैसे आ सकते हैं? … (व्यवधान) ये संविधान की दुहाई देते हैं।

HON. CHAIRPERSON: He is not yielding. After he completes, I will give you a chance. Let him continue.

… (*Interruptions*)

डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे : सर, इसी संविधान की ताकत से महाराष्ट्र के लोगों ने हमें इतना बड़ा मैंडेट दिया। वहां पर महाविकास अघाड़ी मिलकर भी लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं बना पा रही है। … (व्यवधान) आज उस संविधान का 75 वर्ष हो गए हैं। … (व्यवधान) यह संविधान कितना मजबूत है, उसका मैं उदाहरण देता हूं। टॉम गिन्सबर्ग जो यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के प्रोफेसर हैं, उन्होंने वर्ष 1789 के बाद 200 से अधिक देशों के संविधान का अध्ययन किया है। उनके अनुसार पूरे विश्व में संविधान की औसत आयु सिर्फ 17 वर्ष है। यह गर्व की बात है कि हमारा संविधान 75 वर्षों से अडिग है और आगे भी हम सबको दिशा दिखाने का काम कर रहा है। … (व्यवधान)

श्री किरेन रिजिजू : आप मुझे बोलने दीजिए। मैं आपकी बात को ही बोल रहा हूं। आप सुनिए। … (व्यवधान)

सर, जो सिस्टम है, उसके अनुसार जब मेम्बर बोल रहे हैं, यदि वे किसी मेम्बर का नाम लेते हैं तो संबंधित मेम्बर को रेस्पांड करने का राइट रहता है। लेकिन, जो बोल रहे हैं, उनको यील्ड करना पड़ेगा। … (व्यवधान) जब वे यील्ड करेंगे तो राहुल गांधी जी को जरूर बोलने का मौका मिलेगा। आपने कहा था कि इनके बोलने के बाद आप लीडर ऑफ ऑपोजिशन को बोलने का मौका देंगे। यह आपने चेयर से कहा है। … (व्यवधान) यह भी रूल के तहत ही है। यह संविधान के रूल में है। जब मेम्बर यील्ड करेंगे, तब ये बोल सकते हैं। … (व्यवधान) आपने तो बोल ही दिया है कि इनके बोलने के बाद राहुल गांधी जी को क्लैरिफिकेशन का मौका देंगे। आपने कहा है।…(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: I have already mentioned that he is not yielding and after he completes, I will give a chance to you. Let him complete.

… (*Interruptions*)

डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे: सर, यह है इनकी संवैधानिक प्रक्रिया। … (व्यवधान)

माननीय सभापति: आप प्लीज कंटिन्यू कीजिए। हम आपके बाद ही इनको बोलने का चांस देंगे।

… (व्यवधान)

डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे : महोदय, इन्होंने एक उदाहरण दिया है कि यहां पर युवाओं के अंगूठे काटने का काम हो रहा है। …(व्यवधान) संविधान का अनुच्छेद 45 है, जिसमें यह मैन्डेट था कि 10 साल के अंदर देश में 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा का अधिकार दिया जाए, लेकिन शिक्षा का अधिकार देने में हमारे देश को 50 साल लग गए और वर्ष 2002 में हमारी एनडीए की सरकार ने शिक्षा का अधिकार लोगों को दिया है।…(व्यवधान)

चूंकि बाबासाहेब अंबेडकर जी कहते थे कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा, वह दहाड़ेगा, लेकिन कांग्रेस को अंगूठा छाप लोग चाहिए थे। उनको लोगों को पढ़ाने-लिखाने में इंट्रेस्ट नहीं था, ताकि लोग आगे बढ़ सकें। …(व्यवधान) आज हम गर्व करते हैं कि एक मजबूत लोकतंत्र है, जिसका एक कारण हमारा संविधान है। संविधान ने कैसे भारत को सुरक्षित रखा है, उसके लिए आप सिर्फ अपने पड़ोसी देशों को देखिए। …(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON : I am again appealing to you. He is making his speech. Let him complete his speech.

… (*Interruptions*)

डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे: महोदय, श्रीलंका ने अपना संविधान तीन बार बदला, पाकिस्तान ने छः बार बदला, नेपाल ने पांच बार बदला और बांग्लादेश में जो हाल हो रहा है, ये संविधान को कमजोर करने के उदाहरण हैं। …(व्यवधान) जब हम संविधान की बात करते हैं, तो उसकी चर्चा महात्मा गांधी जी और डॉक्टर बाबासाहेब अंबेडकर जी के बिना नहीं हो सकती है। इन्होंने तो डॉक्टर बाबासाहेब अंबेडकर जी का नाम तक नहीं लिया, क्योंकि डॉक्टर बाबासाहेब अंबेडकर से इनका विरोध पहले से चला आ रहा था। डॉक्टर बाबासाहेब अंबेडकर जी को दो-दो बार हराने का काम इसी कांग्रेस पार्टी ने किया था।…(व्यवधान)

इसलिए कांग्रेस पार्टी के संदर्भ में महात्मा गांधी जी ने कुछ शब्द मेंशन किए थे, जिन्हें मैं यहां

पर कहना चाहूंगा। कांग्रेस पार्टी के लोग यह सुन लीजिए।…(व्यवधान) महात्मा गांधी जी ने 27 जनवरी, 1948 को यह लिखा था, and I quote:

> "Congress has outlived its use in its present form, should be disbanded and flower into a lok sevak sangh."

डॉक्टर बाबासाहेब अंबेडकर जी ने भी सन् 1948 में एक पत्र लिखा था, जिसमें यह कहा था, and I quote:

> "Congress which is a combination of all the bad and self-seeking elements in society who agreed on no social or moral principle governing the life of society…Such a body is unfit to govern a country."

यह शब्द मेरे नहीं, बल्कि डॉक्टर बाबासाहेब अंबेडकर जी के शब्द हैं। …(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Hon. Member, kindly conclude your speech.

DR. SHRIKANT EKNATH SHINDE: Sir, I am concluding. …(*Interruptions*). '*Babasaheb: My Life with Dr. Ambedkar*', जो कि बाबासाहेब अंबेडकर जी की पत्नी सविता अंबेडकर जी की ऑटोबायोग्राफी है। उसमें उन्होंने बताया है कि कैसे कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी ने मिलकर दो बार डॉक्टर बाबासाहेब अंबडेकर जी को गिराने को काम किया था। उसी वजह से डॉक्टर बाबासाहेब अंबेडकर जी को 40 साल लग गए थे। …(व्यवधान)

<u>14.58 hrs</u> (Hon. Speeker *in the chair*)

माननीय अध्यक्ष : आप अपनी-अपनी सीट्स पर जाइए। क्या आप सदन चलाना चाहते हैं?

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप सब अपनी-अपनी सीट्स पर जाइए। आप अपनी सीट्स से प्वाइंट ऑफ ऑर्डर उठाइए।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : वेणुगोपाल जी, आप सबको सीट्स पर बैठाइए, फिर मैं आपको प्वाइंट ऑफ ऑर्डर उठाने का मौका दूंगा।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप सब अपनी-अपनी सीट्स पर जाइए। क्या आप नारे लगाना चाहते हैं या फिर उनका प्वाइंट ऑफ ऑर्डर सुनना चाहते हैं? हाउस को ऑर्डर में लाइए। मैं प्वाइंट ऑफ ऑर्डर उठाने का मौका दे रहा हूं।

… (व्यवधान)

14.59 hrs

At this stage, Dr. Mallu Ravi, Shri D.M. Kathir Anand and some other hon. Members went back to their seat.

माननीय अध्यक्ष : वेणुगोपाल जी, आप किस नियम के तहत प्वाइंट ऑफ ऑर्डर उठाना चाहते हैं?

… (व्यवधान)

15.00 hrs

माननीय अध्यक्ष : आप रूल नंबर बताइए।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप सब ज्ञान मत बांटिए।

… (व्यवधान)

SHRI K. C. VENUGOPAL: Sir, yesterday also, when you allowed me to speak, I narrated the Parliamentary conventions. I quoted Kaul and Shakdher. In every House, the Leader of Opposition has a role. But in this House, it is totally denied. Whenever the Leader of Opposition stands to speak, you are not allowing the Leader of Opposition to speak. Does this House not belong to the Leader of

Opposition? Kaul and Shakdher is very clear on this. Whatever the role is performed by the Prime Minister on the Government side, similarly the Leader of Opposition does the same in the Opposition. He is the Leader of Opposition. My point is that the hon. Member took his name. That Member asked the question directly to the Leader of Opposition. The Leader of Opposition rose to answer it. But he was not allowed. Every time you are allowing the Parliamentary Affairs Minister. We are asking for a point of order.

माननीय अध्यक्ष : मैं आपको मौका दे रहा हूं।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आपकी बात सुन ली गई है।

… (व्यवधान)

SHRI K. C. VENUGOPAL: Sir, at least we should also feel that this House is ours. But unfortunately, we are not getting that feeling. In this House, we are discussing the Constitution of India. The primary principle of the Constitution is that this House is for everyone. The practice which we are witnessing here, is that this House is only for the Government and the BJP, which is not at all acceptable. This is quite unfortunate. You are custodian of the House.

माननीय अध्यक्ष : मैं आपको मौका दे रहा हूं। पहले आप मेरी बात सुनिए।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मैंने आपसे पहले भी आग्रह किया है।

… (व्यवधान)

डॉ. मोहम्मद जावेद (किशनगंज) : सर, सिर्फ हमें या उन्हें भी आग्रह किया है।

माननीय अध्यक्ष : नहीं, मैं सब को कह रहा हूं और जो अभी वेणुगोपाल जी ने बोला है, उनको भी

बोल रहा हूं। आप मेरी पूरी बात सुनिए।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : सदन ऐसे नहीं चलेगा। सदन नियम-प्रक्रियाओं से चलेगा। जिस समय आप बोलने की बात कर रहे हैं, उस समय माननीय विदेश मंत्री जी ने अपना वक्तव्य रखा था। लोक सभा की नियम-प्रक्रिया अलग है और राज्य सभा की नियम-प्रक्रिया अलग है। राज्य सभा के नियम और प्रक्रियाओं में सप्लीमेंट्री पूछने की नियम-प्रक्रिया है, लेकिन लोक सभा में नहीं है। आज तक जब कभी भी मंत्री का स्टेटमेंट दिया गया तो मैंने पांच साल में कभी भी किसी को भी बोलने का मौका नहीं दिया है।

अब आपने इस विषय के लिए कहा है। मेरा आग्रह है कि ऐसे नियम-प्रक्रियाओं के अंदर यह रहता है कि पूरा भाषण समाप्त होने के बाद हम लीडर ऑफ अपोज़िशन या लीडर या संसदीय मंत्री को पॉइंट ऑर्डर के लिए बीच में, बाद में बोलने का मौका देते हैं।

… (व्यवधान)

श्री गौरव गोगोई : उनको हमेशा मौका देते हैं।

माननीय अध्यक्ष : नहीं, मैंने कभी नहीं दिया। मैंने बीच में नहीं दिया है। अगर आप आग्रह कर रहे हैं और माननीय प्रतिपक्ष के नेता बोलना चाहते हैं तो अपनी बात कह दें।

डॉ. निशिकान्त दुबे : सर, नियम?

माननीय अध्यक्ष : कुछ नियम अध्यक्ष के भी होते हैं।

श्री राहुल गांधी : सर, मेंबर ने मुझ से पूछा कि इंदिरा गांधी जी का सावरकर पर क्या व्यू था। मैंने यह सवाल एक बार इंदिरा गांधी जी से पूछा था।… (व्यवधान) जब मैं छोटा था, तब मैंने उनसे पूछा था। इंदिरा गांधी जी ने बोला कि Savarkar Ji compromised with the British, wrote a letter to the British and asked for forgiveness from the British. इंदिरा गांधी जी ने बोला कि गांधी जी जेल गए, नेहरू जी जेल गए और सावरकर जी ने माफी मांगी थी। यह इंदिरा गांधी जी की पॉज़िशन है। … (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : एकनाथ शिंदे जी बोलेंगे, क्योंकि वह महाराष्ट्र के हैं और सावरकर जी को ज्यादा जानते हैं।

… (व्यवधान)

डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे : इंदिरा जी ने पंडित बाखले, सेक्रेटरी, सावरकर राष्ट्रीय स्मारक को जो लैटर लिखा था, मैंने उस लैटर को कोट करने का काम किया है। मैंने उनसे कोई भी सवाल नहीं पूछा है। मैंने उनको यह बताने का काम किया है।

माननीय अध्यक्ष : आप संविधान पर अच्छी डिबेट करें।

डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे : सर, हम संविधान पर ही बोल रहे हैं। … (व्यवधान) सर, वह रुककर सुन नहीं रहे हैं। … (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप ऐसे मत बोलिए। आप मुझे बोलिए।

… (व्यवधान)

डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे : सर, लोक सभा चुनाव के वक्त संविधान के बारे में हाथ में बुक लेकर कंटिन्यूएसली फेक नरैटिव फैलाने का काम इन्होंने किया। बीच में तो संविधान की किताब का सिर्फ कवर था, अंदर से पेजेस ब्लैंक थे, क्योंकि संविधान का इस्तेमाल सिर्फ लोगों के वोट बटोरने के लिए इन्होंने किया। मैं आज इस सदन में एक अत्यन्त महत्वपूर्ण घटना का उल्लेख करना चाहूंगा। … (व्यवधान)

15.06 hrs (Shri Krishna Prasad Tenneti *in the chair*)

सर, संविधान के बारे में यहां यह डिबेट कर रहे हैं कि संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है। … (व्यवधान) लेकिन संविधान किसके राज में खतरे में था, यह मैं यहां बताना चाहूंगा। … (व्यवधान) एक घटना का उल्लेख करना चाहूंगा जो हमारे संविधान और न्यायपालिका के इतिहास पर गहरी छाप छोड़ता है। … (व्यवधान) मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा जी की बात कर रहा हूं। जिन्होंने वर्ष 1975 में इंदिरा गांधी जी को चुनावी भ्रष्टाचार मतलब इलेक्टोरल

मैलप्रैक्टिसिस के लिए अयोग्य ठहराने का ऐतिहासिक निर्णय दिया। यह फैसला न केवल साहसिक था, बल्कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता और संविधान की रक्षा का प्रतीक भी था। लेकिन इस फैसले को रोकने के लिए कैसे-कैसे असंवैधानिक, जो यहां संविधान की बात कर रहे हैं, हथकंडे अपनाए गए, यह सुनकर आप सभी लोग हैरान रह जाएंगे। जस्टिस सिन्हा को देहरादून से फोन आया और यह फोन खुद इलाहाबाद हाई कोर्ट का था। उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव पी.पी. नायर ने उनसे मुलाकात की और फैसले को जुलाई तक टालने का दबाव बनाया। … (व्यवधान) यह रिकॉर्ड्स पर है। … (व्यवधान) मैं खुद से कुछ नहीं बोल रहा हूं, यह सबके सामने है। … (व्यवधान) यह रिकॉर्ड्स पर है, आप रिकॉर्ड्स देख लीजिए। … (व्यवधान) इतना ही नहीं, जज के निजी सचिव को धमकियां दी गयीं और जजमेंट मसौदे को जानने के लिए सीआईडी की एक विशेष टास्क फोर्स को लगाया गया। … (व्यवधान) यह घटना कांग्रेस शासनकाल में न्यायपालिका पर दबाव और संविधान की हत्या का स्पष्ट उदाहरण है। … (व्यवधान) यह होता है लाचार सिस्टम, जो कांग्रेस ने आपातकाल में बना दिया था। जिसमें न विपक्ष सुरक्षित था, न जनता और न ही इस देश के जज सुरक्षित थे। … (व्यवधान)

महोदय, मुझे यहां कुछ और भी बातें रखनी थीं, लेकिन समय कम होने के कारण मैं अपनी बात संक्षिप्त में खत्म करना चाहूंगा। हम संविधान संशोधन के माध्यम से 'वन नेशन, वन टैक्स' यानी जीएसटी लेकर आए। महिलाओं के लिए आरक्षण लेकर आए। ओबीसी कमिशन को संवैधानिक दर्जा दिया। एक अलग एसटी कमिशन बनाया और आर्टिकल 370 को हटाने का काम भी हमने किया। शिक्षा के अधिकार को लेकर आए। लेकिन आप लोगों ने क्या किया? आप नाईंथ शेड्यूल लेकर आए, जिससे सभी काले कानूनों को लीगल बनाया जा सके। जिससे ज्यूडिशियल रिव्यू से आप सभी लोग इम्यून रह जाएं।

महोदय, इन्होंने यहां धारावी की बात की।… (व्यवधान) मैं मुंबई से आता हूं और धारावी की बात करूंगा। … (व्यवधान) आर्टिकल 21 भारत के नागरिकों को राइट टू लाइफ देता है और लाइफ का मतलब सिर्फ जिंदा रहना नहीं है, इसमें एक अच्छा और सम्मानजनक जीवन देना भी शामिल है,

जिसके लिए हमने धारावी का पुनर्विकास करने की योजना शुरू की। ... (व्यवधान) पिछले 50 सालों से जो लोग झुग्गी-झोपड़ियों में रहते थे, उन्हें धारावी में अपने अधिकार के नये और पक्के मकान मिलने वाले हैं। ... (व्यवधान) मैं सदन को बताना चाहूंगा कि धारावी में दलित, वाल्मीकि, कुंची, कोरवी, नाडार जैसे पिछड़े समाज के लोगों की बस्ती है, लेकिन पिछड़े समाज के लोगों को अधिकार से रोकने का काम कांग्रेस और उसके साथी मुंबई में कर रहे हैं।

माननीय सभापति जी, मैं आज यहां पर 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से अपनी बात खत्म करूंगा। इंदिरा गांधी सरकार ने लोकतंत्र और विधि के शासन को कमजोर किया। दिनांक 7 से 10 अगस्त, 1975 मतलब सिर्फ तीन दिनों में लोक सभा, राज्य सभा और 17 राज्य विधान सभाओं में रिकॉर्ड स्पीड से इसे पारित करवाया गया। रविवार को महामहिम राष्ट्रपति जी ने इसको मंजूरी दी थी और अधिकारियों ने उसे उसी दिन नोटिफाई किया था और वह इसलिए किया गया, क्योंकि उसका सिर्फ एक ही उद्देश्य था और वह था कि सुप्रीम कोर्ट में इंदिरा गांधी जी के खिलाफ चुनाव याचिकाओं को खत्म करना था। अगर आप इतनी तेजी से लोगों को शिक्षा और महिलाओं को आरक्षण देते तो आज हमारा देश कहां से कहां पहुंच गया होता। This is the greatest misuse, abuse of power, and insult of ideals of Babasaheb Ambedkar.

सभापति जी, अंत में कुछ चार पंक्तियां बोलकर मैं अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा।

मैं भारत का संविधान हूँ,
मैं सबको राह दिखाता हूँ,
समाज के हर वर्ग को उनके अधिकार दिलाता हूँ,
उलझे न भारत का कोई, सदा प्रयास यह करता हूँ,
रातों के अंधकार में भी मैं दीपक सदा जलाता हूँ।

माननीय सभापति : श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन जी।

... (व्यवधान)

डॉ. निशिकान्त दुबे : सर, मेरा एक पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर है। ... (व्यवधान) रूल 115(1) है। सावरकर

के बारे में लगातार बातें होती हैं, लेकिन ये कभी भी सावरकर नहीं बन सकते हैं। मैं इस हाउस को तीन चीजें बताना चाहता हूँ। सन् 1970 में श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने वीर सावरकर के ऊपर डाक टिकट जारी किया था। … (व्यवधान) सन् 1979 में श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने अपने पर्सनल एकाउंट से 11 हजार रुपये सावरकर ट्रस्ट को दिए थे। सन् 1983 में श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग से उनके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई और सन् 1980 में उन्होंने लैटर लिखकर कहा कि सावरकर जैसा सपूत विरले कभी-कभी पैदा होता है। इसलिए कांग्रेस ... *बोलना बंद करे। ये जिंदगी में सावरकर नहीं बन सकते हैं। राहुल गांधी जी जिंदगी में सावरकर नहीं बन सकते हैं। ये सावरकर के बारे में ... *बोलना बंद करे और ये अपनी दादी से माफी मांगे। … (व्यवधान)

श्री मनीश तिवारी (चंडीगढ़) : सर, मेरा भी एक पॉइंट ऑफ ऑर्डर है।

HON. CHAIRPERSON: Under which Rule, are you raising the point of order?

SHRI MANISH TEWARI: Under Rule 376 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha.

माननीय सभापति जी, इनसे पहले जो माननीय सदस्य बोल रहे थे, उन्होंने यह कहा कि जो संविधान का जो ... *है, उसको इसलिए क्रियान्वित किया गया, क्योंकि काले कानूनों को अमलीजामा पहनाया जाए। इस सदन में आप जानबूझकर गलत बयानी नहीं कर सकते हैं। अगर इस देश में पिछले 70 सालों में कोई सबसे बड़ा काम हुआ है तो वह जमीन सुधार का काम हुआ है। उस लैंड रिफॉर्म्स के कानून को संरक्षण देने के लिए संविधान में ... *को इन्सर्ट किया गया था। मेरा आपसे आग्रह है कि संविधान की एक बहुत महत्वपूर्ण धारा को लेकर यह जो गलत बयानी है, उसे सदन के रिकॉर्ड से निकाला जाए।

---

* Expunged as ordered by the Chair

HON. CHAIRPERSON: That will be looked into. If that is the thing, it will be removed.

… (*Interruptions*)

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Thank you very much, Chairman Sir. I do salute the framers of our Constitution for their unparalleled wisdom, mused foresight, courage and dedication and for providing us the lengthiest and the largest written Constitution in the world.

Sir, when we commemorate and celebrate 75th glorious years of our adoption of the Constitution on 26th November, 1949, we have to introspect ourselves whether we are honouring the ideals enshrined in the Constitution and thereby fulfilling the vision of the framers of the Constitution. If we critically analyse, even after 75 years of adoption of our Constitution, we are not able to live up to the expectations of the framers of our Constitution or the founding fathers of our Constitution. As just now Rahulji has talked about it, a very important fact to be considered at this juncture is regarding economic and social justice, when we speak about political equality.

Sir, I am not quoting because of paucity of time. The contradictions between political equality and persistent social and economic inequalities are prevailing in our society. He warned that if these inequalities are not addressed, these will undermine democracy as true equality cannot exist in a society with systemic disparities, and thereby our political democracy will be in peril. This was on 25th November, 1949. Sir, when this House is discussing the 75 years of adoption of the Constitution, what Dr. Ambedkar has said has become absolutely true and

reality because now, the problems we are facing are – growing difference between the rich and the poor, marginalization of minorities, and exclusion of vulnerable groups from the benefit of development.

Sir, if you go through Articles 38 and 39, which talk about the Directive Principles of State Policy, these are the fundamental principles for the governance of a country enunciated in Chapter 4 of the Constitution. Thereby, the Directive Principles stated in Articles 38 and 39 speak about minimizing inequalities in income, status and opportunities. Article 39 states that the State should prevent the concentration of wealth. It talks about prevention of the concentration of wealth and means of production, and to secure economic and social justice. These are Articles 38 and 39.

Sir, the BJP-led NDA Government, during the last 10 years, has been trying their level best to concentrate the wealth and the means of production in the hands of a few particular companies. It is against the Directive Principles of the State Policy, and this is an attack on the Constitution because the Directive Principles of State Policy are the clear directives that the Government must follow so as to have a welfare state in our country, but the Government is diametrically opposite to the Directive Principles of State Policy. I am not naming the company because almost all the hon. Members have cited that the Government, in particular, believes in the economic philosophy, that is, the concentration of wealth in the hands of a few companies or families. They are under the impression that they can provide employment, and thereby the economy will grow.

Sir, while we think about the fastest-growing economy of our country, let us

see that the fruits of the so-called economic development are not reaching the poor and the marginalized sections of the society. Dr. Ambedkar had said that economic and social inequality will destroy the foundations of our democracy, and that is happening in our country, in the current political situation.

Sir, the second point which I would like to mention is regarding the secular fabric of our country which is also under threat. In the last elections, we all know that the hon. Prime Minister in this House as well as outside, in the election campaign, had been always talking about *'400 Paar'.* He said that they will come back with 400 plus seats, with absolute majority. What is the intent of having 400 plus seats? The intent is that they want to change and alter the basic character of the Constitution for which two-third majority is required. That is the reason they were talking about *'400 Paar'* or 400 plus seats. But the people of India, have decided not to give absolute majority to this Government because they want to protect the secular fabric and the democratic fabric of the country. If they had got this absolute majority of 400 plus seats, definitely the 'secular democracy', enunciated as the basic character of the Constitution, would have been amended.

Sir, they are saying that in the original Preamble, there was no mention of 'secularism'. Through the 42ndAmendment of 1976, the term 'secular' and 'socialism' were incorporated in the Preamble of the Constitution. It was not a sudden addition. It was the affirmation of the Indian Constitution which has been well stated. What was implicit in the Constitution was made explicit by means of the 42nd Amendment of 1976. During the debate in the Constituent Assembly, Dr. K.M. Munshi explained the essence of secularism. He said:

> "By including secularism in the Constitution, we are ensuring freedom of all faiths, and prevent the State from identifying itself with any religion."

Sir, that means the State has no religion and the State will never promote any religion. But now what is happening in India? Promoting a particular religion and religious activities are being done by the Government and by the people at the Constitutional posts. It is totally against the basic principles of our Constitution and secularism. The rise in hate crimes, communal polarization, and marginalization of the religious minorities will definitely lead to the erosion of the secular fabric.

Sir, in India, multi-religious and pluralistic society is the uniting factor of this country, the uniting factor of 140 crore people of India. What is the uniting factor? The uniting factor is nothing but the word or the concept of secularism, that is, the traditional concept of India and the traditional culture of India.

The third point which I would like to make is this. During the last ten years, you have been trying to weaken the Constitution and the Constitutional institutions like Judiciary, Election Commission, Finance Commission and even the Comptroller and Auditor General of India. You have come to power in 2014. Why? It was because of the Comptroller and Auditor General of India. Mr. Raja is here. It was because of the C&AG's reports on 2G Scam, 3G Scam and irregularities in the Commonwealth Games. Why nowadays no report is coming against the Government from the Comptroller and Auditor General of India? The Comptroller and Auditor General of India and all the Constitutional institutions are working

under the political influence and they have now become the part and parcel of the Government. That is the reason why no report is now coming up.

Sir, the fourth point is regarding the blatant misuse and violation of the Constitution during the last ten years. I will mention two Articles of our Constitution – Article 1 and Article 3. Article 3 provides for the formation of new States. It does not permit to divide a State into two Union Territories. Article 1, we all know, is about the Union of States. If the Parliament seems to have power to convert a State into a Union Territory, then logically speaking, the Parliament can convert all the States into Union Territories, which is the sheer violation of Article 1. So, no State can be converted into a Union Territory. The Constitution does not permit it. *....(Interruptions)*

HON. CHAIRPERSON: Please conclude.

SHRI N. K. PREMACHANDRAN: Just give me one more minute.

That means, the division of the State of Jammu and Kashmir into two Union Territories does not have the Constitutional sanction.

Sir, my last point is with regard to Article 11. I would now touch upon the Citizenship (Amendment) Bill and also the role of court.

HON. CHAIRPERSON: Please conclude.

SHRI N. K. PREMACHANDRAN: Sir, I will conclude.

Finally, Sir, Dr. B. R. Ambedkar talks about the Constitutional morality. I quote, 'Constitutional morality is not a natural sentiment. It has to be cultivated.' In the current political climate, the Constitutional morality has been replaced by majoritarianism. Institutions which are meant to act as check and balance against

authoritarianism are being undermined with judiciary and media, and even the Parliament being reduced to mere spectator.

At this juncture of 75th Year of Adoption of Indian Constitution, we have to cultivate the culture of Constitutional morality. Let us reject the policies of hate and division, and recommit ourselves to the Constitutional morality. Let us make justice, not privilege, as the cornerstone of governance.

With these words, I conclude. Thank you very much, Sir.

श्री राजा राम सिंह (काराकाट) : सभापति महोदय, यहां पर कई तथ्य पेश किए गए हैं, जो सच्चाई से मेल नहीं खाते हैं। इतिहास को बदलने की कोशिश की गई है, इसलिए इतिहास के कुछ तथ्यों को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। 2 साल 11 महीने 18 दिन संविधान को बनाने में लगे। 9 दिसंबर, 1946 को पहली मीटिंग हुई और दूसरी 13 दिसंबर को हुई। जो पहली बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता डॉ. एस.एन. सिन्हा ने की थी, जो बिहार के थे। पहली पंक्ति में जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आज़ाद, सरदार पटेल, जे.बी. कृपलानी, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद, सरोजिनी नायडू, हरेकृष्ण महताब, जी.बी. पंत, डॉ. अम्बेडकर, एस.सी. बोस, सी. राजगोपालाचारी एवं आसफ अली थे। 207 प्रतिनिधि थे, जिनमें दस महिलाएं भी शामिल थीं। यह संविधान सभा थी।

इसमें कहीं भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी नहीं थे। उसी तरह से, जो ड्राफ्टिंग कमेटी बनी, उसमें डॉ. बी.आर. अम्बेडकर, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, एन. गोपालस्वामी आयंगर, के.एम. मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, बी.एल. मित्तर, डी.पी. खेतान, एन. माधवराव, टी.टी. कृष्णमाचारी थे। इसके साथ ही, मैं आपके सामने एक और बात रखना चाहता हूँ। संविधान निर्माण के लिए जो लक्ष्य रखे गये, उनमें से लक्ष्य 5 और 6 को मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। 13 दिसम्बर, 1946 को यानी आज़ादी मिलने के पहले, यह किताब लोक सभा सचिवालय से ही वर्ष 2016 में निकली है, यह इसी किताब से है।

इसमें पाँचवें पॉइंट में लिखा है कि भारत के सभी लोगों को राजकीय नियमों और साधारण

सदाचार के अनुकूल निश्चित नियमों के आधार पर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के अधिकार, वैयक्तिक स्थिति और सुविधा की तथा मानवीय समानता के अधिकार और विचारों को प्रकट करने की, विश्वास व धर्म की, ईश्वरोपासना की, काम-धंधे की, संघ बनाने और काम करने की स्वतंत्रता के अधिकार रहेंगे और माने जाएंगे। प्रस्ताव में यह लक्ष्य जवाहरलाल नेहरू जी रख रहे थे।

छठे पॉइंट में है कि सभी अल्पसंख्यकों के लिए, पिछड़े हुए और कबायली प्रदेशों के लिए तथा दलित व पिछड़ी हुई जातियों के लिए काफी संरक्षण विधि रहेगी। आठ पॉइंट्स के जो लक्ष्य दिये गये थे, इसी को बाद में, जिस पर 24 जनवरी, 1949 को सिग्नेचर हुए और 26 जनवरी को हमने इसे एडॉप्ट किया, स्वीकार किया, अंगीकार किया, लागू किया। इन्हीं आठ पॉइंट्स को परिमार्जित करके, भाषाई त्रुटियों को ठीक करके देश के सामने रखा गया। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि ये इतिहास की कुछ बातें हैं।

इसके साथ ही, मैं कहना चाहूंगा कि अभी हम कहाँ चले आए हैं? केन्द्र सरकार के चार-पाँच संविधान विरोधी कदमों को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता हटाने के लिए भाजपा के नेता ही सुप्रीम कोर्ट गए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया। इलेक्टोरल बांड भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा स्त्रोत बन रहा था, उसको खारिज किया। इसके साथ-साथ, बुलडोज़र इन जस्टिस, जो एक राज्य में जस्टिस का तरीका बन गया है, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की और उस पर रोक लगाया। सीएए और एनआरसी के तहत नागरिकों की परिभाषा बदलने की कोशिश की गई। हमारा संविधान लिंग, जाति, भाषा और धर्म के आधार पर अपने नागरिकों के बीच भेदभाव नहीं करता है, लेकिन इन्होंने नागरिकता की नयी परिभाषा देने की कोशिश की। ये जनता के वोट से चुनकर आते हैं और जीतने के बाद कहने लगते हैं कि तुम साबित करो कि भारत के नागरिक हो या नहीं हो। यह क्या बात हुई?

इस देश में स्टेफेनी, बालाजी, उमर खालिद, गुलफिसा, मदान हैदर आदि बिना किसी आरोप के, बिना कोई बहस के जेल में सड़ रहे हैं। हम देश को कहाँ पहुंचा रहे हैं? हम किस संविधान की बात कर रहे हैं?

मैं एक और बात कहना चाहता हूँ कि... (व्यवधान) एक बात आर्थिक समानता की थी । राष्ट्रपति का वेतन और चपरासी के वेतन में एक अनुपात होगा। लेकिन हम समानता की तरफ बढ़े या विषमता की तरफ बढ़े? आज चपरासी तो पाँच-सात हजार रुपए के वेतन का चाहिए, लेकिन हम सीईओ को जरूर ढ़ाई-तीन करोड़ रुपए का वेतन देने को तैयार हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि यह सरकार आर्थिक विषमता को बढ़ा रही है। यह समतामूलक समाज की तरफ नहीं बढ़ रही है। यहाँ पर एक सदस्य इस सदन में पेरियार की निन्दा करते हैं और अम्बेडकर का नाम लेते हैं। ये ही लोग हैं, जिनको एक जेब में गांधी भी चाहिए और एक जेब में नाथूराम गोडसे भी चाहिए। यह दोहरी नीति नहीं चलेगी। एक लाइन पर रहिए। आपको मनुस्मृति चाहिए या बुद्ध चाहिए। आप एक जगह रहिए। दोनों नहीं चलेगा।

माननीय सभापति: कृपया आप कनक्लूड कीजिए।

श्री राजा राम सिंह: ये दोनों नहीं चलेगा। यह देश को धोखा देना है। चुनाव के समय संविधान बदलने की बात करते हैं और अब कहते हैं कि हम ही संविधान के सबसे बड़े चैंपियन हैं।

माननीय सभापति : राजा राम सिंह जी, कृपया कनक्लूड कीजिए।

श्री राजा राम सिंह: देश में यह दो रंगी नीति नहीं चलेगी। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि इसको खारिज करना होगा। संविधान के नाम पर आप जो खिलवाड़ कर रहे हैं, देश में जो साम्प्रदायिक फासीवाद लाना चाहते हैं। हम साफ तौर से कहना चाहते हैं कि संविधान के पहले अध्याय पर बुद्ध की मूर्ति है, उसकी जगह पर हिटलर को स्थापित करने की आपकी साजिश और कोशिश नहीं चलेगी। ... (व्यवधान) हम इसको देश के अंदर नहीं चलने देंगे। ... (व्यवधान)

आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। ... (व्यवधान)

श्री मियां अल्ताफ अहमद (अनन्तनाग-राजौरी) : जनाब, मुझे टाइम देने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया।

जनाब, आज हिन्दुस्तान के आईन को बने हुए 75 साल पूरे हो गए हैं। इस शानदार आईन को, कांस्टिट्यूशन को बनाने के लिए जिन लोगों ने काम किया, खासतौर पर इस सिलसिले में बाबासाहब

अंबेडकर जी ने जो मेन रोल अदा किया और उनकी टीम ने रोल अदा किया, उसके लिए हम उनको आज भी याद करते हैं। इस मुल्क में सबका यह फर्ज़ है कि जिस मेहनत से उन्होंने यह आईन हमको दिया, जिसकी बदौलत यह मुल्क आज तक चल रहा है, मुख्तलिफ ज़ातों के, बिरादरियों के, मज़हब के लोग इस मुल्क में रहते हैं। ये लोग, जो इकट्ठे मिलकर रह रहे हैं, इसमें इस आईन की बहुत बड़ी देन है।

इस विषय पर दो दिन की डिस्कशन हुई, उससे यह लगता है कि कहीं न कहीं इस आईन को खतरा है, दाल में कुछ काला है और हम सबको इस सिलसिले में कन्सर्न है। हमारे इन ख़दशात को दूर होना चाहिए, दूर करना चाहिए। यह दुनिया का बहुत बड़ा कानून बनाया, कांस्टिट्यूशन बनाया, यह बड़ा लैन्थी कांस्टिट्यूशन है। शुक्र है कि यह कांस्टिट्यूशन आज तक चल रहा है, वरना बहुत से मुल्कों में आपने देखा कि वहां के आईन नहीं चले।

आज सबसे बड़ी बात जो है, वह यह है कि इस आईन के तहत हिन्दुस्तान में हम सबकी जो तरक्की होनी थी, बिला लिहाज़ मिल्लत वह कायम रहनी चाहिए, हमारा भाईचारा कायम रहना चाहिए। आज के जो हालात हम देख रहे हैं, हम हिन्दुस्तान की सालिमिय्यत चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हिन्दुस्तान अपने सेक्युलरिज़्म पर कायम रहे, अपनी डेमोक्रेसी पर कायम रहे। लेकिन आज उसके मुख्तलिफ हो रहा है। उस चीज पर अमल नहीं हो रहा है। हिन्दुस्तान में अक़्लियतों के साथ जो कुछ हो रहा है, खासतौर पर मैं उत्तर प्रदेश का जिक्र करूंगा, जो वाक्यात वहां हो रहे हैं, वे हम सबके परेशानी के कारण हैं।

इस चीज के लिए इस हुकूमत का फर्ज़ बनता है, यह फर्ज़ बनता है उस पार्टी का, जिसकी इस देश में हुकूमत है और वहां पर हुकूमत है कि वह इन चीजों को रोके और वहां जो रहने वाले लोग हैं, वे अपने आप को सेफ महसूस करें। वे यह समझें कि हम इस देश के रहने वाले हैं और इस देश में हमारे भी वही हकूक हैं, जो दूसरे लोगों के हैं। उस चीज की तरफ देखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने परसों जो फैसला दिया, जजमेंट दी, उसकी हम खुशामदीद करते हैं, उसका वैलकम करते हैं कि यह बरवक्त फैसला आने से इस मुल्क में जो फिज़ा बनी हुई थी, नफरत की हवा चल रही थी, वह

ठंडी हुई और उसमें तब्दीली आई।

दो दिनों के इस डिस्कशन में यहां बहुत कुछ कहा गया। कांग्रेस वालों ने यह कहा कि वर्ष 1975 में जो इमरजेंसी लगी, जो कुछ भी हुआ, कांग्रेस ने उसके लिए माफी मांगी। लेकिन आपने भी कई ऐसे वाक्यात किए, जिन पर आप बिलकुल खामोश हैं, आप उन पर कुछ भी नहीं बोलते हैं। आप उनको किस तरह जस्टिफाई करें या किस तरह आप उनको कन्डेम करें, आपकी तरफ से कोई ऐसी चीज नहीं आती है। सिर्फ इल्ज़ाम लगाने का सिलसिला दोनों तरफ से कायम है।

यहां पर यह क्वोट किया गया कि बहुत सारी हुकूमतें कांग्रेस के दौर-ए-हुकूमत में तोड़ी गईं, इसमें कोई शक नहीं। बनी हुई हुकूमतें गिराई गईं, हम उससे इनकार नहीं करते हैं।

सभापति जी, इन्होंने तो हुकूमतें तोड़ीं, लेकिन आपने तो हमारी स्टेट को ही तोड़ दिया। स्टेट को तोड़ कर आपने उसे दो यूटीज में तब्दील किया और इसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। एक फुलफ्लेज्ड स्टेट थी, उसे आपने तोड़ा और कहा कि नहीं, हम सिर्फ इलेक्शन का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही इलेक्शन होगा, उसी वक्त दोबारा स्टेट बहाल होगी लेकिन इस बारे में हमने अभी तक कुछ नहीं सुना है।

सभापति जी, यदि इस मुल्क को आगे बढ़ाना है और सेक्युलरिज्म रखना है तो हम सभी को मिलकर चलना है, तभी यह मुल्क तरक्की कर सकता है और पूरी दुनिया में हमारे देश की इमेज कायम रह सकती है।

माननीय सभापति: आप कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री मियां अल्ताफ अहमद: महोदय, यदि आज डिस्क्रिमिनेशन की पालिसी किसी रीजन के साथ हो, किसी धर्म के साथ हो तो फिर यह देश तरक्की नहीं कर सकता है। आपने देश को किस लिहाज से चलाना है, यह आपके ऊपर निर्भर है। कल-परसों से शेड्यूल्ड कास्ट्स, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में बहुत चर्चा हो रही है। मैं आज से नहीं, बल्कि बहुत समय से कह रहा हूं कि जिस तरीके से यह कहा जा रहा है कि इन्हें बहुत सहुलियतें या कंसेशन्स दिए जा रहे हैं या इनके लिए बहुत कानून हैं, इस पर किसी भी सरकार के समय अमल नहीं हुआ और आपके दौर में भी वही हालत रही है, इसलिए बार-

बार यह कहना और कहने के बावजूद भी कुछ न होना, यह बहुत अफसोस की बात है।

श्री रवि शंकर प्रसाद (पटना साहिब) : माननीय सभापति जी, मैं बहुत अनुगृहीत हूं कि इस ऐतिहासिक महत्व के अवसर पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। भारत के संविधान की 75 वर्ष की गौरवशाली यात्रा रही, हमने क्या खोया, क्या पाया, कहां हम मुस्कुराए, कहां हम रोये, कहां हमें पीड़ा हुई, कहां हमें उत्साह मिला, इन सबकी चर्चा होनी चाहिए।

सभापति जी, मैं आज जब माननीय विपक्ष के नेता का भाषण सुन रहा था, तो मुझे आज नया-नया ज्ञान प्राप्त हो रहा था। छह-सात साल की उम्र में बच्चा युवा हो जाता है, यह पहली बार सुना है। मैं यह ढूंढूंगा कि यह ज्ञान कहां से आता है। तपस्या से गर्मी आती है, यह दूसरा ज्ञान प्राप्त किया। उन्हें कौन पढ़ा रहा है? यह बात तो मैंने हाउस में कई बार कही कि वे होमवर्क नहीं करते हैं, लेकिन तपस्या जैसे पवित्र शब्द को क्यों बदनाम कर रहे हैं कि तपस्या करने से गर्मी आती है? मैं विपक्ष के माननीय नेता से बहुत विनम्रता से कहना चाहूंगा कि तपस्या से महान ऋषियों ने समर्पण किया और शाश्वत रूप से अनंत से मिले। यह होती है तपस्या। यदि तपस्या के बारे में जानना है तो एक बार गांधी जी को पढ़ें। मुझे मालूम है कि सावरकर जी के प्रति उन्हें बहुत परेशानी होती है। एक बार मैं इस सदन से आग्रह करूंगा कि इन्हें एक बार अंडमान की सेल्युलर जेल में ले जाया जाए, जहां 11 साल सावरकर जी बंद थे। मैं तीन बार वहां गया हूं और जब भी गया हूं तो रोया हूं। उन्हें लिखने के लिए कलम तक नहीं मिलती थी और नीचे कच्ची फांसी दी जाती थी ताकि दर्द हो और सावरकर जी डरें। ठीक है कि आप अपनी राजनीति के लिए जो कुछ भी कहिए, लेकिन जिस व्यक्ति ने इतना त्याग किया, उनके भाई की मृत्यु अंडमान में हो गई, उसके बारे में ऐसे शब्द का प्रयोग न करें, यह मैं बहुत विनम्रता से कहूंगा और फिर कहूंगा कि ट्यूटर बदलना बहुत जरूरी है, यह ट्यूशन कहां से दी जा रही है, यह बताना बहुत जरूरी है?

महोदय, संविधान को बनाने वाले महान लोग थे। उन्हें आज संविधान के 75वें वर्ष में प्रणाम करता हूं। डॉ. अम्बेडकर का नाम लिया गया, नेहरू जी का नाम लिया गया, आनंद बाबू का नाम लिया गया। मैं कहना चाहता हूं कि दो नामों की उधर से कभी चर्चा क्यों नहीं होती है, सरदार पटेल और

मौलाना आजाद।

महोदय, मैं तब से देख रहा था कि विपक्ष के नेता कब सरदार पटेल का नाम लेंगे?... (व्यवधान) आज जब संविधान के 75 वर्ष की यात्रा पर चर्चा हो रही है तो माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने डॉक्टर अम्बेडकर को वर्ष 1989 में मिले 'भारत रत्न' की चर्चा की। मैं पीड़ा के साथ एक और बात कहना चाहता हूं कि अगर सरदार पटेल नहीं होते तो यह देश बिखर गया होता।... (व्यवधान) इस हाउस में मैं बहुत ईमानदारी से बोलना चाहता हूं। 550 से ऊपर रियासतें थीं। सबको सरदार पटेल ने हैंडल किया। सब भारत में मिल गयीं। एक को नेहरू जी ने हैंडल किया, बाद में उसे नरेन्द्र मोदी जी को ठीक करना पड़ा। ... (व्यवधान) कश्मीर भारत का मुकुट है।

महोदय, क्या-क्या बातें कही गयीं? वाल्मीकि रामायण लिखने वाले वाल्मीकि कौन थे? सन्त रविदास कौन थे? उन्होंने अपने तप से अपने को ईश्वर से कहां जोड़ा था, क्या वे इसको कभी जानने की कोशिश करते हैं? जब भारत की अभंग मुद्रा दिखाते हैं, कृपा करके भारत की विरासत को समझें।

सर, भारत के संविधान निर्माताओं ने क्या सोचा था? उन्होंने सोचा था कि भारत के आम इन्सान को, आम नागरिक को भारत की नियति तय करने का अधिकार देंगे। यह सवाल था कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में शासन का अधिकार किसे मिले। हमें इन्हें सैल्यूट करना है कि न जाति, न धर्म, न उपासना पद्धति, न शिक्षा, कौन कितना अमीर है, कितना गरीब है, कौन पुरुष है, कौन महिला है, कोई अगड़ा है, कोई पिछड़ा है, सबको वोट देने का अवसर मिलेगा और उनके वोट से भारत का भविष्य तय होगा। आज संविधान के 75 साल की सबसे बड़ी सीख यह है कि भारत का आम नागरिक जानता है कि अपने वोट की ताकत से हम किसी को भी जिता सकते हैं और किसी को भी हरा सकते हैं।... (व्यवधान)

श्री धर्मेन्द्र यादव (आज़मगढ़) : आप उन्हें वोट डालने तो दीजिए।... (व्यवधान)

माननीय सभापति: धर्मेन्द्र यादव जी, आप बैठिए।

... (व्यवधान)

श्री रवि शंकर प्रसाद: सर, कल मैं सुन रहा था। उधर से माननीय सदस्य बोल रहे थे कि संविधान

निर्माण के दौरान संवाद हुआ था। संवाद यहां भी जरूर होना चाहिए। संसद देश की सबसे बड़ी पंचायत है। उधर के माननीय सदस्यों को मैं एक बात और विनम्रता के साथ कहूंगा कि संवाद का मतलब यह भी है कि हमने आपकी बात सुनी और जब हमारे प्रधान मंत्री जी भाषण देने आएं, तो आप उन्हें सुनिए, 'वॉक-आउट' मत करिए। यह भी संवाद का एक बहुत बड़ा पक्ष है।

सर, संविधान की बात बहुत कही गयी कि हम हार गए, हम कमजोर हो गए। मैं विनम्रता के साथ एक बात पूछना चाहता हूं कि अभी जब महाराष्ट्र में हमारी जो ऐतिहासिक जीत हुई है, वर्ष 1971 के बाद आज तक इतनी मेज़ॉरिटी किसी को नहीं आयी थी, यह बात समझनी चाहिए। हरियाणा में हम लोग जो तीसरी बात जीते हैं, तो वर्ष 2014 से भी अधिक बहुमत से जीते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जनता ने सोचा कि जो अच्छा काम करेगा, उसको एक बार नहीं, दूसरी बार नहीं, तीसरी बार भी प्रधान मंत्री बनाएंगे, और जो संविधान बदलने के बेबुनियाद आरोप लगाकर प्रधान मंत्री को कमजोर दिखाने की कोशिश करेगा, तो जनता समझ गयी कि हमें मूर्ख बनाने की कोशिश की गयी, ठीक है, हम जवाब देते हैं, नरेन्द्र मोदी को कमजोर नहीं करेंगे और उन्होंने यह करके दिखाया। हमें जनता की इस परिपक्वता पर विश्वास करना चाहिए।

सर, विपक्ष के नेता संविधान लेकर चलते हैं। वे शपथ लेते हैं, तब भी संविधान लेकर रहते हैं। उस दिन गाज़ीपुर में धरना दे रहे थे तो देखा कि उनके हाथ में संविधान है। संविधान की आत्मा रो रही होगी कि भाई, मुझे कहां-कहां घुमाओगे, कहीं तो छोड़ दो!

सर, आज मैं भी उनको थोड़ा संविधान दिखाना चाहता हूँ। सर, यह मेरे पास मौलिक संविधान है, जो ओरिजन संविधान बना था, आज मैं वह संविधान इस 75 सालों की यात्रा में दिखाना चाहता हूँ। सर, यह काफी बड़ा है। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, अपने पुराने मित्रों को याद होगा कि तब इसको लाया गया था। जब माननीय मोदी जी ने मुझे देश का कानून मंत्री बनाया, तब हमने कहा कि इसको छोटा कर के देश में भिजवाओ, जजेस और चीफ जस्टिसिज़ को भिजवाओ। कल माननीय राजनाथ सिंह जी ने इस पर चर्चा की थी। सर, यह देखिए, फंडामेंटल राइट के ऊपर प्रभु राम, माता सीता और लक्ष्मण के साथ लंका की विजय के बाद अयोध्या लौट रहे हैं। … (व्यवधान)

सर, यह देखिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ... (व्यवधान) कहां गए हमारे प्रेमचन्द्रन जी? ... (व्यवधान) सर, यह देखिए कि भगवान कृष्ण अर्जुन को महाभारत में गीता का ज्ञान दे रहे हैं। यह इसमें है। ... (व्यवधान) सर, इसमें महाबुद्ध हैं, इसमें महावीर हैं, इसमें नटराज भी हैं। ... (व्यवधान) एक और है, यह देखिए, इसमें पार्ट 7 में बजरंगबली, हनुमान जी की भी तस्वीर है। ... (व्यवधान) सर, इसमें यह देखिए, प्रभु नटराज की तस्वीर है। ... (व्यवधान) सर, यह देखिए, गुरू गोविंद जी हैं, झांसी की रानी है, छत्रपति शिवाजी हैं, अकबर हैं, लेकिन बाबर और औरंगज़ेब नहीं हैं। क्योंकि संविधान बनाने वाले जानते थे कि इस देश की विरासत प्रभु राम हैं, प्रभु कृष्ण हैं, बाबर और औरंगज़ेब नहीं है, छत्रपति शिवाजी हैं।

सर, आप देखें, यह जो मैं दिखा रहा हूँ, यह देखिए, सबके दस्तखत हैं। पहला दस्तखत डॉ. राजेंद्र प्रसाद का है, फिर जवाहर लाल नेहरू का है, फिर सरदार पटेल का है, मौलाना आज़ाद का है, फिर डॉ. अंबेडर के हस्ताक्षर हैं।

सर, एक सवाल पूछने की मेरी इच्छा होती है। अगर भारत का संविधान आज बनता, एक मिनट के लिए मान लीजिए और इसी संविधान में इन चित्रों को लाने की कोशिश की गई होती तो कितना हंगामा करते वे? ... (व्यवधान) वे अपनी विरासत को कितना समझे हैं? ... (व्यवधान) सर, यही तो मैं कह रहा हूँ। हम कहां से शुरू किए थे और कहां चले गए हैं। अपनी विरासत, भारत की विरासत होगी प्रभु राम की, प्रभु कृष्ण की, रामकृष्ण परमहंस की, विवेकानंद की, अरविंदो घोष की, लोकमान्य तिलक की, नारायण गुरू की, सुब्रह्मणय भारती की, महात्मा गांधी की। यह हमारी विरासत है। हमारी विरासत कभी औरंगज़ेब और बाबर नहीं हो सकते हैं। सर, यह बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर यह परंपरा होती न तो प्रभु राम का मंदिर बहुत पहले बन गया होता। प्रभु कृष्ण का मंदिर बहुत पहले बन गया होता। सर, मैं कृतज्ञ हूँ सरदार पटेल, के.एम. मुंशी, और डॉ. राजेंद्र प्रसाद का कि सोमनाथ का मंदिर बन गया। वर्ना हमारे गुजरात के मेंबर्स बैठे हुए हैं। क्या कहा गया था? इसे आर्केलॉजिकल सर्वे को दे दो, उसी तरह से रखेगा। सर, इस देश की आत्मा कभी अपनी विरासत से समझौता नहीं करेगी और उस तरफ के लोगों से आज मुझे एक सवाल पूछना है। पूरी दिल्ली में किंग

एडवर्ट की मूर्ति थी कि नहीं थी? क्विन विक्टोरिया की मूर्ति थी कि नहीं थी? लॉर्ड इरविन, लॉर्ड हार्डिंग की मूर्ति देश के सारे गवरनर्स के राज भवन के सामने थी या नहीं थी? वे कहां चली गईं? इन सबको हटा दिया गया। दिल्ली वाली मूर्तियों को बुद्धा जयंती पार्क के कॉर्नर में डाल दिया गया। क्यों? क्योंकि वे मूर्तियां कला की मूर्तियां नहीं थीं। वे गुलामी और दासता की मूर्तियां थीं। आपने निर्णय किया कि वे मूर्तियाँ नहीं रहेंगी। आपने अच्छा काम किया। यही बात प्रभु राम के जन्म स्थान, कृष्ण जन्म स्थान और काशी विश्वनाथ मंदिर के बारे में क्यों सोच नहीं होती है। सर, यही वोट बैंक पोलिटिक्स है। आगे इस पर मैं थोड़ा बोलूंगा। इस वोट बैंक पोलिटिक्स के बारे में जो फंस गए, उससे बाहर नहीं निकले। आज मैं एक बात कहना चाहता हूं। 75 सालों में आप कहां हैं और हम कहां हैं, यह भी जरा देखिए। हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी के विचार और दीन दयाल उपाध्याय के विचार को लोगों ने स्वीकारा है। यह देश राष्ट्रवाद से चलेगा। देश के प्रति समर्पण से चलेगा और विकास से भी चलेगा।

सर, मैं आपसे एक और बात कहना चाहता हूं। कल 13 दिसंबर की बहुत चर्चा हुई है। हमारे संसद के सुरक्षाकर्मी उस समय मारे गए। उस समय मैं भी संसद में था। मैंने वह भयावह दृश्य देखा है। वे ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं। वे अफजल गुरू की ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं। क्या कभी इन लोगों ने हमारे मारे गए सुरक्षाकर्मी के परिवार की ह्यूमन राइट्स की बात की? आतंकवादियों ने उनको मारा। क्या उनके बच्चे और विधवा पत्नी का ह्यूमन राइट्स है या नहीं? 75 साल में यह भी एक यात्रा ही है। देश की पूरी बहस इस तरह से पिछड़ गई है। हमारी सोच बहुत साफ है। आप आतंकवादियों की ह्यूमन राइट्स की लड़ाई लड़ो, हम तो लड़ेंगे देश के सुरक्षाकर्मी की ह्यूमन राइट्स की, जो आतंकवाद में मारे जा रहे हैं। हम अपने सीआरपीएफ और बीएसएफ जवान के लिए लड़ेंगे।

सर, देश के लिए तो सब लोग जीते हैं, लेकिन देश के लिए मरते कौन हैं, ये सुरक्षाकर्मी होते हैं। हमें उनके पूरे मानवाधिकार की चिंता करनी पड़ती है।

सर, काफी बात हो रही हैं। लोग सेक्युलरिज्म की बात करते हैं। यह सेक्युलरिज्म कहां से लाया गया है? दूसरे पक्ष पर आने से पहले इसका जवाब देना जरूरी है। हमारे संविधान बनाने वाले जो लोग थे- क्या सरदार पटेल, क्या राजेन्द्र प्रसाद, क्या जवाहर लाल नेहरू, क्या डॉ. अंबेडकर, क्या

मौलाना आजाद; बाकी सब बड़े नेता भारत की विरासत को समझते थे। वे जानते थे कि भारत की विरासत मूल रूप से पंथनिरपेक्ष है। ऋग्वेद की एक श्लोक है- "एकम् सत् विप्रा बहुधा वदन्ति", सत्य एक है, उसको पाने के मार्ग अलग-अलग है। तुम अपने मार्ग से चलो, यह तुम्हारा रास्ता है और हम अपने रास्ते से चलते हैं। तुम्हारा मार्ग और हमारा मार्ग अंत में एक ही स्थान पर मिलता है, जहां पर परम सत्य है – eternal, indivisible. यही तो भारत का वैदिक ज्ञान है। इसे वे समझते थे। इसीलिए, उन्होंने दक्षिण के आयातित सेक्युलरिज्म को भारत के संविधान में जगह नहीं दी, क्योंकि भारत की विरासत पंथनिरपेक्ष है। भारत की विरासत विरोधी विचारों का सम्मान करने की है।

सर, अब यह कौन बताए! फिर मैं एक ही बात कहूंगा कि ट्यूटर बदलने की जरुरत है। वह बदलना बहुत जरूरी है।

सर, आज मुझे कुछ इमरजेंसी की बात करनी है। मेरा परम सौभाग्य है कि मैं संघ का स्वयंसेवक भी रहा हूं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में 13 साल काम किया है। मैंने लोकनायक जय प्रकाश की अगुवाई में बिहार आंदोलन में भी भाग लिया है। भ्रष्टाचार मिटाना है, नया बिहार बनाना है।

सर, कमाल हुआ! हम लोगों की लाठियों से इतनी पिटाई हुई, उस समय मैं बहुत दुबला-पतला था। स्वर्गीय सुशील मोदी और हम दोनों लाठियों से इतने पीटे गये थे कि आज भी याद करता हूं तो पीड़ा होती है। हमें मीसा में बंद कर दिया गया था। हमें कैसे गिरफ्तार किया गया था? मैं घर से भभुआ जा रहा था। 10 पुलिस वालों ने मुझे उठा कर, पटक करके जीप में डाल दिया। मैं गश खाकर बेहोश हो गया था। मैंने यह सब देखा है। ये लोग क्या बात करेंगे? हम संघर्ष से आए हैं, लाठी भी खाई है, गोली भी खाई है, तब यहां पहुंचे हैं। किसी के परिवार में बैठने के कारण यहां नहीं आए हैं, यह समझना बहुत जरूरी है। … (व्यवधान)

सर, इंदिरा जी फंसती गईं। वर्ष 1971 के बाद वे बहुत लोकप्रिय थीं, जीत गईं, लगा कि अब तो हम जीतते रहेंगे। युवा नाराज, रेलवे कर्मचारी नाराज, बाकी सब भी नाराज, उनके हाथ से डोर छूटती गई। इंदिरा गांधी जी फंसती गईं और इंदिरा गांधी तानाशाही की ओर बढ़ती गईं। मैं इसको प्रूफ करना चाहता हूं। उनके खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में इलेक्शन केस हुआ था। हमारे राज नारायण

जी ने उस केस को किया था, अब उसका नाम प्रयागराज है, लेकिन अभी हाई कोर्ट गिरिराज बाबू इलाहाबादी है, उसको बदलना पड़ेगा । वे इलेक्शन हार गईं, क्योंकि सरकारी पदाधिकारियों के दुरुपयोग का मामला था। 12 जून को उनका इलेक्शन सेट एसाइड हुआ और 6 साल के लिए उनको डीबार कर दिया गया। मैं आज सदन में इसलिए बता रहा हूं कि वे नीचे जाएं, देश के सामने जाएं, नौजवानों के सामने जाएं। फिर वे सुप्रीम कोर्ट आईं। 24 जून को कृष्णा अय्यर साहब सुप्रीम कोर्ट के जज थे, अब वे नहीं रहे ।… (व्यवधान) उन्होंने कहा कि आप प्राइम मिनिस्टर रहेंगी, सदन में आ सकती हैं, लेकिन न बोलेंगी, न वोट देंगी, न आपको तनख्वाह मिलेगी। उनके खिलाफ देश में बहुत आंदोलन शुरू हो गया।…(व्यवधान)

25 जून को लोक नायक जयप्रकाश नारायण की राम लीला ग्राउंड पर एक रैली थी, जिसमें लाखों की संख्या थी। उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही, रामधारी सिंह 'दिनकर' हमारे बिहार के कवि, जो राष्ट्र कवि हैं, 'सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। '

सर, इमरजेंसी लगा दी गई । ये हमें लोकतांत्रिक मान्यताओं की बात बोलते हैं, अभंग मुद्रा दिखाते हैं। भारत में इंटरनल इमरजेंसी पहली बार लगी थी और कैबिनेट का अप्रूवल नहीं हुआ था। राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद नहीं मान रहे थे। इंदिरा जी ने हड़काया, हमने तुमको बनाया, साइन करो, उन्होंने साइन कर दिया । सुबह 6 बजे कैबिनेट की मीटिंग में उसे रेटीफाई किया गया । …(व्यवधान)

इसमें क्या-क्या हुआ? लोग जेल चले गए। राधा मोहन जी सही बोल रहे हैं, वे भी उस आंदोलन के साथी हैं। मुलायम सिंह जी भी जेल में थे, लालू जी भी जेल में थे, डीएमके की सरकार को इमरजेंसी में डिसमिस किया गया था, यह भी याद रखें। … (व्यवधान) आरएसएस को बैन किया गया था, जेपी को गिरफ्तार किया गया था, अटल बिहारी वाजपेयी जी को, नानाजी देशमुख को गिरफ्तार किया गया। जार्ज फर्नांडीज के भाई लारेंस फर्नांडीज को बेंगलुरु में इतना मारा गया कि वे मूर्छित हो गए। जब वे मूर्छित हो गए, तो उनको मुश्किल से अस्पताल में ले गए। इन लोगों ने क्या-क्या अत्याचार किए। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सदस्यों के नाखून नोचे गए। सबसे मजाक किया हमारे दिल्ली में पत्रकारों

के ऊपर, जो बहादुर शाह जफर मार्ग है, इसकी पूरी बिजली काट दी गई।

HON. CHAIRPERSON : Sir, last one minute, please conclude.

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD : Give me five minutes. I will conclude. Please Sir, I am saying something very important. सारे अखबारों की बिजली काट दी गई। सेंसर मानोगे तो हम मानेंगे। हम बहुत तारीफ करेंगे इंडियन एक्सप्रेस की और रामनाथ गोयनका की कि वे हिम्मत के साथ डटे रहे और वे नहीं माने। आप सुनेंगे कि कितना अत्याचार हुआ। जेपी को गिरफ्तार किया गया। मुझे जेपी ने कहा था, उन्हें हरियाणा ले गए थे। सुबह में वे नाश्ता कर रहे थे, तो एक गेस्ट हाउस में देखा कि बाहर मोरारजीभाई टहल रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमें उनसे मिलने दो, तो कहा कि आप नहीं मिल सकते। वे ऊपर बंद थे। उन्होंने कहा कि तुम हम दोनों के बीच में बैठ जाओ। उन्होंने कहा कि आप नहीं मिल सकते। जेपी की किडनी खराब हो गई। वे मुंबई के जसलोक अस्पताल में थे।

<u>16.00 hrs</u>

वह 26वें फ्लोर पर थे, उनको धूप की जरूरत थी वरना वे चले जाते, उनको धूप में देखकर जनता नीचे खड़ी हो जाएगी। सोली सोराबजी ने कहा कि हम हाई कोर्ट में मूव करेंगे। तब इनको आधे घंटे के लिए बैठने दिया गया। यह अत्याचार हुआ है। धर्मवीर भारती ने एक कविता मुनादी में लिखा है, उन्होंने क्या कहा था, उसे मैं हाऊस में कहना चाहता हूं,

“ख़ल्क ख़ुदा का, मुलुक बादशाह का।

हुकुम शहर कोतवाल का

हर खासो-आम को आगाह किया जाता है

कि खबरदार रहें

और अपने-अपने किवाड़ों को अन्दर से

कुंडी चढा़कर बन्द कर लें

गिरा लें खिड़कियों के परदे

और बच्चों को बाहर सड़क पर न भेजें

क्योंकि एक बहत्तर बरस का बूढ़ा आदमी अपनी

काँपती कमजोर आवाज में सड़कों पर सच बोलता

हुआ निकल पड़ा है।"

अटल बिहारी वाजपेयी जी की जेल में लिखी कविता है :

"हम टूट सकते हैं लेकिन झुक नहीं सकते।"

आज तक आपने माफी मांगी? मुझे पांच मिनट का वक्त दीजिए। जुडिशियरी पर बोलना बहुत जरूरी है। पांच मिनट वक्त दीजिए। इन्होंने जजों को सुपरसीड किया।

माननीय सभापति: आपको और भी मौका मिलेगा। बोलने के लिए और भी लोग हैं। उनको भी समय देना चाहिए।

श्री रवि शंकर प्रसाद: सभापति महोदय, इन्होंने किसको- किसको सुपरसीड नहीं किया है।

माननीय सभापति: आपको फिर समय मिलेगा।

श्री रवि शंकर प्रसाद: सभापति महोदय, एच.आर. खन्ना, एडीएम, जबलपुर में कहा, इमर्जेंसी में भी लोगों के मानवाधिकार नहीं हट सकते। उनको दो महीने के लिए भी भारत का मुख्य न्यायाधीश नहीं बनने दिया क्योंकि उन्होंने डिसेंट किया था। क्या बात करते हैं, जब उस केस की सुनवाई हो रही थी तब एच. आर. खन्ना ने पूछा, "If a person is shot while he is being arrested, does he have any relief? It was said, "no, in Emergency, no relief should be given" … (*Interruptions*) ये शर्मनाक बात करने वाले हैं।

KUMARI SELJA (SIRSA): Thank you, Sir. It is an honour for me to speak about an issue which is very incredibly important for every citizen of this free nation. The most sacred document is our Constitution. It not only protects us but also guides us in our quest for justice and equality. As we are celebrating the 75th Anniversary of Samvidhan Diwas, we should also remember that we should not reduce it to a mere tokenism of speaking on various issues for two days.

Sir, we have to live up to our Constitution every single day of our life. Dr. Ambedkar said: "The Constitution is not a mere piece of paper; it is a living document." But today, it has become the order of the day to first demolish the Constitution and then try to resurrect it. It has also become the order of the day by the ruling dispensation some of our Founding Fathers. Who can deny the role of Pandit Jawaharlal Nehru? Making of the Constitution began with the establishment of the Constituent Assembly on December 13th, 1946. The process of drafting the Constitution was initiated by Jawaharlal Nehru's Objective Resolution. Please do not forget. It aimed to declare India as a sovereign Republic. It was Pandit Jawaharlal Nehru; it was Dr. Ambedkar; it was Sardar Patel and there were so many of them, more than 300 of them who contributed to the making of this most sacred document of our free nation.

हम अपने-अपने धर्म को मानते हैं। हम सबकी अपनी धर्म की किताबें और ग्रंथ हैं। एक आजाद देश के लिए सबसे बड़ा ग्रंथ संविधान होता है। आइए, इसे हम सब नमन करें। क्या आज यह मौका एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगाने का है? इमरजेंसी की बात की जाती है। बिल्कुल इमरजेंसी हुई। इमरजेंसी के बारे में बहुत कुछ कहा गया। ज्यादतियां भी हुईं, उसे कोई नकार नहीं रहा। वर्ष 1977 में चुनाव हुआ, इंदिरा जी को बाहर किया गया, कांग्रेस को बाहर किया गया। मत भूलिए, यह डेमोक्रेसी की ब्यूटी है कि वर्ष 1980 में इंदिरा गांधी जी दोबारा जीतकर इस देश की प्रधान मंत्री बनीं। इसे मत भूलिए।

सर, गांधी जी ने कहा था – "Our ability to reach unity in diversity will be the beauty and test of our civilisation." हम अपनी सभ्यता को क्यों भूल रहे हैं? कभी इसका नाम लेते हैं, कभी उसका नाम लेते हैं। ऐसे लगता है कि एक-दूसरे को गाली देने से, जैसे बोलते हैं कि ब्राउनी प्वाइंट्स मिल जाएंगे। संविधान पर बोलिए, उसकी विविधता पर बोलिए और यूनिटी इन डाइवर्सिटी

पर बोलिए। हम बोलते हैं, वसुधैव कुटुम्बकम, लेकिन क्या इसे हम मानते हैं? अपने गिरेबान में झांककर देखिए, आज के दिन हमारे देश का क्या सौंदर्य है? सौंदर्य है हर धर्म, हर मज़हब, हर जाति, लेकिन आप लोग जोड़ने की बात नहीं करते। आप कभी धर्म के नाम पर बांटने की बात करेंगे तो कभी आप जाति के नाम पर बांटने की बात करेंगे। आप देश को जोड़िए। आप मोहब्बत की दुकान का मजाक मत उड़ाइए। आज इसकी जरूरत है। इस देश में मोहब्बत की जरूरत है। आज अमन, चैन और शांति की जरूरत है। मत भूलिए कि मणिपुर में क्या हो रहा है? संभल में क्या हो रहा है? कहीं और क्या हो रहा है?

HON. CHAIRPERSON: Kindly address the Chair.

… (*Interruptions*)

KUMARI SELJA: Okay, I am sorry, Sir.

Sir, we should not forget that dissidence is the essence of democracy. हमें एक-दूसरे की बात सुननी चाहिए। यह सबसे बड़ा टेम्पल और सबसे बड़ी पंचायत है। अभी माननीय रवि शंकर प्रसाद जी ने कहा कि क्या सबसे बड़ी पंचायत में अगर हम एक-दूसरे की बात भी नहीं सुन सकते? अगर एलओपी कुछ बोलते हैं तो उनका मजाक उड़ाया जाता है। तपस्या की बात हुई, एकलव्य की तपस्या की बात हुई। कृपया यहां एकलव्य की तपस्या का मजाक न उड़ाइए। सर, आज क्या हमने आज सबको जस्टिस दिया है? क्या सबको इक्वेलिटी दे रहे हैं? जब माइनोरिटीज़, दलितों, एसटीज़, महिलाओं पर अत्याचार होते हैं तो क्या हमें खड़े होकर बोलना नहीं चाहिए? मैं सुझाव दूंगी कि हर लेजिस्लेचर में जितनी बार एट्रॉसिटीज़ होती है, हमें उतनी बार खड़े होना चाहिए और साल के अंत में गिनना चाहिए कि हम इस देश में लोगों के लिए हम कितनी बार खड़े हो रहे हैं।

सर, आज के दिन हम दलितों की बात करते हैं तो डॉ. अम्बेडकर को याद करते हैं। हम दलितों की बात करते हैं और इक्वल अपॉर्च्युनिटीज़ की बात भी करते हैं। इक्वल अपार्च्युनिटीज़ तो आपने खत्म कर दीं। आप प्राइवेट सैक्टर को ले आए, कांट्रेक्ट सिस्टम ले आए, आपने प्रमोशन्स में सबके अधिकार बंद कर दिए, आप क्या इक्वेलिटी की बात करेंगे?

16.09 hrs (Shri A. Raja *in the chair*)

सर, हम कास्ट सेंसस की बात करते हैं। इनको इक्वेलिटी तभी मिलेगी, एससीज़, एसटीज़, ओबीसीज़, वीकर सैक्शन्स और माइनोरिटीज़ को कुछ तभी मिलेगा जब उनके बारे में कुछ बात होगी। जब कास्ट सेंसस की बात होती है तो आप उसे गलत क्यों मानते हैं? इसमें गलती क्या है? आप इसे करिए। आप सेंसस करेंगे, पहले देश को यह तो बता दीजिए, अब न तो सेंसस की बात और न ही कास्ट सेंसस की बात है। The wealth of a nation should accrue to its people. क्या आज इक्वल एमाउंट में लोगों के पास उनके अधिकार जा रहे हैं? जब सेंसस ही नहीं होगा, कास्ट सेंसस ही नहीं होगा तो बेनिफिशरीज़ कौन होंगे? बेनिफिशरीज़ का पता नहीं। हरियाणा में 70 परसेंट लोग बीपीएल हैं, यह सरकारी आंकड़ा है। इसका जवाब सरकार देगी कि यह कैसे हुआ? हरियाणा में 70 परसेंट लोग बीपीएल में कैसे आ गए?

भारत-पाकिस्तान की तरह हरियाणा-पंजाब के बॉर्डर को बना दिया गया है। किसान अनशन पर बैठे हैं। मरने की कगार पर हैं, लेकिन सरकार अपनी वादाखिलाफी कर रही है। उन्होंने उठाया कि एमएसपी को हम कानूनी दर्जा देंगे, लेकिन कहां गया वह कानून? क्या संविधान यह नहीं कहता? सरकार को संविधान के प्रति यदि कोई रिस्पेक्ट है, तो वह कहे कि हमने यह बात कही और इसको हम पूरा करेंगे, लेकिन यह पूरा करने की कोई बात कहीं नजर नहीं आ रही है। मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए आपको धन्यवाद देती हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। धन्यवाद।

SHRI ASADUDDIN OWAISI (HYDERABAD): Sir, I would start by quoting what Babasaheb Ambedkar wrote in a Memorandum on the Rights of States and Minorities, dated March 24th, 1947, which he submitted to the Sub-Committee on Fundamental Rights set up by the Constituent Assembly's Advisory Committee on Fundamental Rights, Minorities, etc.:

> "Unfortunately, for the minorities in India, Indian nationalism has developed a new doctrine which may be called the Divine Right of

the Majority to rule the minorities according to the wishes of the majority. Any claim for the sharing of power by the minority is called communalism, while monopolising of the whole power by the majority is called nationalism. Guided by such political philosophy, the majority is not prepared to allow the minorities to share political power, nor is it willing to respect any convention made in that behalf as is evident from their repudiation of the obligation (to include representatives of the minorities in the Cabinet) contained in the Instrument of Instructions issued to the Governors in the Government of India Act of 1935. Under these circumstances, there is no way left but to have the rights of the Scheduled Castes embodied in the Constitution."

Sir, this is true now also. I will prove it. What Babasaheb said 75 years ago was absolutely right. No one wants the minorities to share power. I will give you an example. In this august House, 75 years ago, Maulana Azad stood up and said that the safeguards that the Muslims had before the Partition, those safeguards should be given to the Muslims, which include political representation in reservation. Sardar Patel instructed Mr. Abid Hussain and Begum Aizaz Rasul to censure Maulana Azad. Maulana Azad felt claustrophobic and said – "This Constituent Assembly has become a new prison for me." He said this in the Constituent Assembly. Now, what we see is this. आप देख रहे हैं कि उसके बाद कॉंस्टीटुएंसीज को बनाया गया और असेंबली व पार्लियामेंट की हदबंदी हुई। इस तरीके से उसको तरकीब दी गई कि अख्सरियत तबके के लोग जीत जाएं और मुस्लिम अक्लियत के लोगों को कामयाब

होने में बड़ी मुश्किलात पेश आए। इसीलिए वर्ष 2007 में अपनी सिफारिशात में कहा था कि अब जब हदबंदी होगी, तो माकूल तरीके से बनाया जाए, ताकि मुसलमान पार्लियामेंट और असेंबली के इलेक्शन जीत सकें। मुझे यह नहीं मालूम कि नई सेंसस के बाद जब हदबंदी होगी, तो उसकी सिफारिशात को रखा जाएगा या फिर मार्जिनलाइजेशन, जो मुसलमानों का 75 सालों से हो रहा है, वह चलता रहेगा।

सर, पार्लियामानी जम्हूरियत की कामयाबी किस बुनियाद पर होती है? मैं पार्लियामानी जम्हूरियत की कामयाबी का पैमाना बताता हूं। आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, आर्टिकल 29, आर्टिकल 30, आर्टिकल 14, आर्टिकल 21, ये चार बुनियादी राइट्स हैं आइन में, जिसको सामने रखकर मैं आपको बताऊंगा कि क्या वाकई में उन कमजोर तफ्कास के साथ इंसाफ हुआ? मिसाल के तौर पर आर्टिकल 15 और 16, वर्ष 1950 का प्रेसिडेंशियल ऑर्डर निकला कि तारीखी नाइंसाफी के खात्मे के लिए रिजर्वेशन दिया गया, तारीखी नाइंसाफी के लिए, हजारों साल के जुल्म की बिनाह पर, मगर उनको नहीं मिला, जिनका मज़हब इस्लाम और मुसलमान था। जो नहीं भी थे, उनके साथ भी नाइंसाफी और जुल्म हुआ।

दूसरी बात, दफा 25 में प्रोफेस कहा गया। आज मेरी बेटियों को गवर्नमेंट एजुकेशन के दायरों में हिजाब पहनने से रोका जा रहा है। यह आर्टिकल 25 का प्रोफेस कहां तक कामयाब हुआ? यह मैं अकलमंद लोगों पर छोड़ता हूं। प्रैक्टिस, आर्टिकल 25 में अमल करना, कई रियासतों ने ऐसा कानून बना दिया कि आप यह नहीं खा सकते, आप वह नहीं खा सकते। कैटल स्लॉटर का एक्ट बना दिया। आप बताएं कि हरियाणा, राजस्थान में पुलिस के अख्तियार गौरक्षक को दे दिए गए और उसका बेजा इस्तेमाल मॉब लिंचिंग में हुआ। किसका हुआ?, बंगाल का एक लड़का साबिर मलिक था, जिसको पीटकर मार दिया गया, क्योंकि उसने बीफ खाया, बाद में मालूम हुआ कि नहीं खाया।

क्योंकि उसने बीफ खाया। बाद में मालूम हुआ कि उसने नहीं खाया था। जुनैद और नसीर घाटमीका के थे, उनको जिंदा जला दिया गया।

सर, आर्टिकल -25 में प्रोपेगेट को देखिए, आज आप देख रहे हैं कि मुझसे पूछा जा रहा है कि 500 साल पहले तुम्हारी मस्जिद थी या नहीं थी। ख्वाजा अजमेरी की दरगाह कह रहे हैं कि नहीं है।

अगर मैं पार्लियामेंट खोद दूं, गड्ढ़ा कर दूं और उसमें खान-ए-जहां का हिस्सा मिलेग तो क्या वह मेरी हो जाएगी? आप बताइए? अब आप देखिए कि प्रोपेगेट क्या हो रहा है।

सर, जो तब्दीली मजहब का कानून है, क्या मैं तब्दील मजहब नहीं कर सकता? क्या मुझे अपना मजहब बदलने के लिए सरकार से पूछना पड़ेगा? अगर आज अम्बेडकर जिंदा होते तो बाबा साहब को भी कहते कि आप जाकर परमिशन लीजिए, तब आपको मजहब बदलना पड़ेगा। यह हालात आज यहां पर पैदा हो चुकी है।

सर, आर्टिकल-26 देखिए, Article 26 gives religious denominations the right to establish and maintain religious and charitable institutions. वजीरे आजम कहते हैं कि वक्फ का ताल्लुक संविधान से नहीं है। वजीरे आजम को कौन पढ़ा रहा है? उनको आर्टिकल – 26 पढ़ा दीजिए। आर्टिकल – 26 में यह बात कही गई है। मकसद यह है कि वक्फ की जायदादों को अक्सरियती तबके के लिए छीनकर दे दिया जाए। … (व्यवधान) आप अपनी ताकत की बुनियाद पर इसे छीनना चाह रहे हैं।

सर, आर्टिकल -29 पर आ जाइए। जुबान के तहफ्फुज़ उर्दू को खत्म कर दिया गया। वह उर्दू, जिसकी हमारे मुजाहिद्दीन ने आजादी का 'इन्कलाब जिंदाबाद' का नारा दिया था। आप उस जुबान को खत्म कर रहे हैं।

सर, अब कल्चर पर आइए। आप इनसे कल्चर की बात पूछ लीजिए। ये बोलेंगे हमारा जो कल्चरल नेशनलिज्म है, वह कल्चरल नेशनलिज्म बीजेपी का नहीं है। वह कल्चरल नेशनलिज्म आलाजात का हिन्दुत्व का नेशनलिज्म है, जो भारत के इंडियन नेशनलिज्म से बिल्कुल मुख्तलिफ है। … (व्यवधान)

सर, अब आप आर्टिकल-30 पर आ जाइए। आर्टिकल-30 में माइनोरिटीज को राइट दिया गया। In 1981, this House passed a law to give minority status to the Aligarh Muslim University. But this Government went to the Supreme Court and opposed the minority status of the AMU. The voice of the House was suppressed in the

Supreme Court. That is why I say that the Executive has argued contrary to the Parliament.

सर, राइट टू लाइफ पर आ जाइए। राइट टू लाइफ तो उस वक्त भी था। मैं आपको मिसाल दे रहा हूं। … (व्यवधान) दिसम्बर, 1963 में, कश्मीर में 'रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम' मुए मुबारक की चोरी हुई तो पूरे देश में … (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Please conclude.

SHRI ASADUDDIN OWAISI: Please give me two minutes only. *....(Interruptions)*

HON. CHAIRPERSON: Please conclude. The hon. Prime Minister has to come. He has to reply.

....(Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Please conclude in one minute. *....(Interruptions)*

SHRI ASADUDDIN OWAISI: In 1963, about eight lakh Muslims were pushed into East Pakistan. What has changed? Please tell me. In 2013, riots happened in Muzaffarnagar. Around 50,000 Muslims shifted. Sir, riots after riots happened – Nellie massacre, Hashimpura, Maliana, Mumbai 1993, Ahmedabad 1969, Gujarat 2002, Delhi 1984, Delhi 2022. But nothing has changed. *....(Interruptions)*

Lastly, I want to speak on judiciary. *....(Interruptions)* I am concluding. *....(Interruptions)* You were talking about the CAA. *....(Interruptions)* Two sitting Chief Ministers get bail. *....(Interruptions)* But Stan Swamy died in the prison. *....(Interruptions)*

HON. CHAIRPERSON: Shri Asaduddin Owaisi ji, please conclude.

SHRI ASADUDDIN OWAISI: Lastly, Sir, just now Shri Ravi Shankar Prasad has referred to a book. In that book, there is also a mention of Tipu Sultan.

....*(Interruptions)* Sir, I am concluding by reciting it in Urdu -

"निसार मैं तेरी गलियों के ऐ वतन कि जहाँ,

चली है रस्म कि कोई न सर उठा के चले,

जो कोई चाहने वाला तवाफ़ को निकले,

नज़र चुरा के चले जिस्म ओ जाँ बचा के चले,

बहुत है ज़ुल्म के दस्त-ए-बहाना-जू के लिए,

जो चंद अहल-ए-जुनूँ तेरे नाम-लेवा हैं।

सर, इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठने वाले जो लोग थे और हैं, वे इंटेलेक्चुअली डिस्ऑनेस्ट हैं। संविधान सच्चा है। जय भीम, जय मीम, आईन जिंदाबाद। ... (व्यवधान)

جناب اسدالدین اویسی (حیدرآباد): آپ دیکھ رہےہیں کہ اس کے بعد کانسٹیٹوینسیز کو بنایا گیا اور اسمبلی اور پارلیمینٹ کی حد بندی ہوئی ، اس طریقے سے اس کو ترتیب دی گئی ہے کہ اکثریتی طبقے کے لوگ جیت جائیں اور مسلم اقلیتی طبقے کے لوگوں کو کامیاب ہونے میں بڑی مشکل پیش آئے۔ اس لئے سال 2007 میں اپنی سفارشات میں کہا تھا کہ جب حد بندی ہوگی تو معقول طریقے سے بنایا جائے تاکہ مسلمان پارلیمینٹ اور اسمبلی کے الیکشن جیت سکیں۔ مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ نئی سینسز کے بعد حد بندی ہوگی تو اسکی سفارشات کو رکھا جائےگا یا پھر مارجینلائزیشن جو مسلمانوں کا 75 سالوں سے ہو رہا ہے وہ چلتا رہے گا۔

سر، پارلیمانی جمہوریت کی کامیابی کا پیمانہ بتاتا ہوں۔ آرٹیکل 25، آرٹیکل 26، آرٹیکل29 آرٹیکل30 آرٹیکل14 آرٹیکل21 یہ چار بنیادی رائٹس ہیں۔ آئین میں جس کو سامنے رکھ کر میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا واقعی میں ان کمزور طبقات کے ساتھ انصاف ہوا؟ مثال کے طور پر آرٹیکل 15 اور 16، سال 1950 پریسیڈینشیل آرڈر نکلا کہ تاریخی نا انصافی کے خاتمے کے لئے ریزرویشن دیا گیا۔ تاریخی نا انصافی کے لئے ہزاروں سال کے ظلم کی بِناء

پر، مگر ان کو نہیں ملا، جن کا مذہب اسلام اور مسلمان تھا۔ جو نہیں بھی تھے ان کے ساتھ بھی نا انصافی اور ظلم ہوا۔

دوسری بات، دفعہ 25 میں پروفیس کہا گیا۔ آج میری بیٹیوں کو گورنمنٹ ایجوکیشن کے دائروں میں حجاب پہننے سے روکا جا رہا ہے۔ یہ آرٹیکل 25 کا پروفیس کہاں تک کامیاب ہوا۔ یہ میں عقلمند لوگوں پر چھوڑتا ہوں۔ پریکٹیس، آرٹیکل 25 میں عمل کرنا، کئی ریاستوں نے ایسا قانون بنا دیا کہ آپ یہ نہیں کھا سکتے، آپ وہ نہیں کھا سکتے۔ کیٹل سلاٹر ایکٹ کا ایکٹ بنا دیا۔ آپ بتائیں کہ ہریانہ، راجستھان میں پولس کے اختیار گو رکشک کو دے دئے گئے اس کا بے جا استعمال ماب لنچنگ میں ہوا، کس کا ہوا؟ ، بنگال کا ایک لڑکا صابر ملک تھا، جس کو پیٹ پیٹ کر مار دیا گیا۔ کیونکہ اس نے بیف کھایا، بعد میں معلوم ہوا نہیں کھایا ۔ جُنید اور نصیر گھاٹ میکا کے تھے، ان کو ذندہ جلا دیا گیا۔

سر، آرٹیکل 25 میں پروپیگیٹ کو دیکھیئے، آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ مجھ سے پوچھا جا رہا ہے کہ 500 پہلے تمہاری مسجد تھی یا نہیں تھی۔ خواجہ اجمیری کی درگاہ کہہ رہے ہیں نہیں ہے۔ اگر میں پارلیمینٹ کو کھود دوں، گڈا کر دوں اور اس میں خانِ جہاں کا حصہ ملے گا تو کیا میری ہو جائے گی؟ آپ بتائیے اب آپ دیکھیئے کہ پروپیگیٹ کیا ہو رہا ہے۔

سر، جو تبدیلی مذہب کا قانون ہے، کیا میں مذہب تبدیل نہیں کر سکتا؟ کیا مجھے اپنا مذہب بدلنے کے لئے سرکار سو پوچھنا پڑے گا؟ اگرآج امبیڈکر زندہ ہوتے تو بابا صاحب کو بھی کہتے کہ آ جا کر پرمیشن لیجیئے۔ تب آپ کو مذہب بدلنا پڑے گا۔ یہ حالات آج یہاں پر پیدا ہو گئے ہیں۔

سر، آرٹیکل 26 دیکھئے Article 26 gives religious denominations the right to establish and maintain religious and charitable institutions. وزیرِ اعظم کہتے ہیں کہ وقف کا تعلق آئین سے نہیں ہےوزیرِ اعظم کو کون پڑھا رہا ہے؟ ان کو آرٹیکل 26 پڑھا دیجیئے۔ آرٹیکل 26 میں یہ بات کہی گئی ہے ۔ مقصد یہ ہے کہ وقف کی جائیدادوں کو اکثریتی طبقے کے لئے چھین کر دے دیا جائے (مداخلت) آپ اپنی طاقت کی بنیاد پر چھیننا چاہ رہے ہیں۔

سر، آرٹیکل 29 پر آئیے۔ زبان کا تحفظ ہے اس کے تحت اردو کو ختم کر دیا گیا۔ وہ اردو جس کو ہمارے مجاہدین نے آزادی کا انقلاب ذندہ بعد کا نارہ دیا تھا۔ آپ اس زبان کو ختم کر رہے ہیں۔

سر، اب کلچر پر آئیے۔ آپ ان سے کلچر کی بات پوچھ لیجئے۔ یہ بولیں گے کہ ہمارا جو کلچل نیشنلزم ہے، وہ کلچرل نیشنلزم بی۔جے۔پی۔ کا نہیں ہے۔ وہ کلچرل نیشنلزم اعلیٰ ذات کا ہندوتو کا نیشنلزم ہے۔ جو بھارت کے انڈین نیشنلزم سے بالکل مختلف ہے (مداخلت)۔

سر، اب آرٹیکل 30 پر آجائیے، آرٹیکل 30 میں مائنوریٹیز کو رائٹ دیا گیا ہے۔

سر، رائٹ ٹو لائف پر آجائیے، رایٹ ٹو لائف تو اس وقت بھی تھا۔ میں آپ کو مثال دے رہا ہوں (مداخلت) دسمبر 1963 میں کشمیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مبارک کی چوری ہوئی تو پورے دیش میں (مداخلت)

نثار میں تری گلیوں کے اے وطن کہ جہاں
چلی ہے رسم کہ کوئی نہ سر اٹھا کے چلے
جو کوئی چاہنے والا طواف کو نکلے
نظر چرا کے چلے جسم و جاں بچا کے چلے
بہت ہے ظلم کے دست بہانہ جو کے لیے
جو چند اہل جنوں تیرے نام لیوا ہیں

سر، اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھنے والے جو لوگ تھے اور ہیں، وہ انٹیلیکچولی ڈِسونیسٹ ہیں، آئین سچا ہے۔ جے بھیم، جے بھیم، آئین زندہ بعد]

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Hon. Chairperson, Sir, I rise to speak in the discussion on the Constitution. We are celebrating 75 years of the Constitution

and this is the time to pay homage to those people who brought about the Constitution. I pay homage to Rabindranath Tagore who composed the National Anthem and Bankim Chandra Chatterjee who wrote the *Vande Mataram*. I salute Netaji Subhash Chandra Bose who brought the spirit of patriotism to India.

Sir, the Constituent Assembly, as you know, was constituted in 1946. Mr. Rijiju, while speaking, has distorted history. There were many great people in the Constituent Assembly. All of them were freedom fighters – C. Rajagopalachari, Sardar Vallabhbhai Patel, Sarat Chandra Bose, Acharya Kriplani, Govind Ballabh Pant, Jawaharlal Nehru, Rafi Ahmed Kidwai, Dr. Rajendra Prasad. Shri Rijiju did not mention the name of the President of the Constituent Assembly. This is the knowledge of history these people have got! The other members of the Constituent Assembly were Sarojini Naidu, Jagjivan Ram, Gopinath Bordoloi, Abul Kalam Azad, Khan Abdul Gaffar Khan and Harekrushna Mahatab. I salute all of them.

Sir, the Constituent Assembly was mainly composed of freedom fighters. We should correct the history as there were only two prominent people - Dr. Syama Prasad Mukherjee and Dr. Bhimrao Ambedkar - who did not go to the British jail. Dr. Syama Prasad Mukherjee was a *Hindutva-wala* person. Dr. Ambedkar was a great intellectual who did his doctorate from Columbia University and London School of Economics, but he did not go to the British jail. I want to mention this. … (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Hon. Members, you are disturbing from the Treasury Benches' side.

There is no time as the hon. Prime Minister has to give reply at 5.45 pm.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: He is mentioning the names. What is the problem with you?

… (*Interruptions*)

PROF. SOUGATA RAY: Sir, the people of Bengal gave Dr. Ambedkar respect. When he could not come from Bombay, Maharashtra, we brought him from Bengal to the Constituent Assembly. We feel proud of that. … (*Interruptions*)

Sir, we should also be correct in our assessment. The Draft Constitution was written by Dr. B.N. Rau. Not once was his name mentioned. Then on 30th August, 1947, Dr. Ambedkar became the President of the Drafting Committee. The Constitution took two years, 11 months and 17 days to complete the largest written Constitution in the world, for which we feel proud.

Sir, we have seen 75 years of the Constitution. There have been aberrations. The Emergency was an aberration, but I must say that in spite of the Emergency being an aberration, 'Secularism and Socialism' was included at that time. The Fundamental Duties of citizens were incorporated during that time. So, while one may criticise Indira Gandhi, we must thank her for what she did. … (*Interruptions*)

Sir, what are the greatest failures of the Constitution? The greatest failure was when the Babri Masjid was demolished by *Hindutva-wala* people. It was a matter of shame for the whole country which brought down our image in the world. Another great setback to the Constitution was when the Gujarat riots took place

under the then Chief Minister Modi. That was a matter of ... (*Expunged as ordered by the Chair*) in his time. While we are speaking of Savarkar, Modi is today's Savarkar. He presides over a two-nation theory. … (*Interruptions*)

Lastly, Sir, today morning, you made a brilliant speech and quoted Kesavananda Bharati *versus* State of Kerala case of 1973. You mentioned six basic structures which are there in the Constitution, which the 13-judge Bench said cannot be abolished.

These are democracy, secularism, rule of law, equality, federation, and judicial independence. This Government is destroying federalism. It is being unjust to West Bengal. We do not get money for flood relief or cyclone relief.

Sir, lastly, Tamil Nadu is also being discriminated in the same way. This Government is against federalism which is the structure of the Constitution. The best part of the Constitution is the Directive Principles of State Policy which say about what should be the aim of the nation. I demand that these Directive Principles of State Policy should be justiciable. As of now, it remains just on a paper. We should be able to go to the court and do the same.

Sir, thank you for giving me the time and for the very nice speech you made this morning.

SHRI ALFRED KANNGAM S. ARTHUR (OUTER MANIPUR): Mr. Chairman, Sir, thank you.

I am from a village in the far North-Eastern State of Manipur. My village is called Shangshak. In the spring of 1944, when the great Second World War reached that part of the country, my village was the place where the Battle of

Shangshak took place for a week. Hundreds and hundreds of Allied forces as well as Japanese forces lost their lives there. It was the Battle of Shangshak that ensured that Allied forces could reach Kohima in time so that the onslaught of the Japanese could be stopped.

Sir, as we all know, the Constitution was adopted and enacted in 1950. We never knew what was being discussed in that part of the country. Our people never ever knew what was happening in these great halls, what our founding fathers were discussing, for the welfare and the future of that part of the country. Many amendments were required. One such amendment that happened in 1963 was Article 371A for the State of Nagaland, and in 1971, Article 371C for the State of Manipur. At the time in 1949, when the Constituent Assembly discussed the Constitution, many parts of our nation were left out. Our nation is a plural nation. That is the belief that we have grown up with. We have studied in our whole lives that this nation is a nation that constitutes pluralism. The core and identity of our nation is the plurality that this nation exudes so proudly.

Today, I have seen many eloquent speakers. I am grateful. Across both sides of this House, we have spoken on the Constitution. Where was the Constitution on the 4th of December, 2021 when my Armed Forces, Special Forces of the 21 Para Special Force, killed six civilians who had gone to work in coal mines and coming back home to their families? Since you had cut down the budget for MGNREGS, they did not have a source of income, so they had to go and work in the coal mines. The best of our forces, the 21 Para SF, mowed down six unarmed civilians. Yet, in the aftermath of that, another eight more civilians

were killed in Nagaland, in Oting. What did this Government do at that point in time? This country should hang its head in shame. Why is it so? It is because ...* Is that enough for the families that have lost their lives to my Armed Forces?

Can this nation, these people and this House at least not stand up in unison condemning it? At least, I expected our Raksha Mantri to have stood up and said that we owe a responsibility to whatever wrong happened and it is our own people that we have assassinated and for that we mourn. Till date, that is missing. …(*Interruptions*) Are we not a part of this nation? I ask you, Mr. Chairperson.

I need not remind this House or this nation what happened in my State of Manipur on 3rd May, 2023. What has been happening for the last 19 months? The last time I got to speak in this august House, I have very clearly said that as a citizen of this nation and as a family that has contributed in building this nation, it is my right to ask for justice.

My Prime Minister is someone who this nation believes and someone I also wish to believe. Why is it that till date he is not answerable to the people of Manipur? Why is it so? … (*Interruptions*) Is it too much for me to ask on behalf of those civilians that have elected me here today? … (*Interruptions*)

Those children and women across communities have lost their lives cannot be victimised for a cause which this nation and a State cannot handle. Is my nation so weak that you cannot protect the lives and properties of the civilians in Manipur? I beseech the conscience of this House. We had so many eloquent

---

* Expunged as ordered by the Chair

speakers. … (*Interruptions*)

In the end, I wish to beseech upon the conscience of this House, especially all the hon. Members of the Ruling Benches. This is not a war against either Party, be it the Treasury or the Opposition. This is a war against humanity in this country. Please wake up, and speak to your people. All you have to do is see. How difficult is it for our nation, which is growing and going to become the third-largest economy? You talk only of economy, but when you are finished of people, what will that economy do when there are no people to use it? … (*Interruptions*)

I ask the conscience of this House and the leadership of this nation to please stand up today with your brothers and sisters in Manipur, bring about justice and be accountable for all actions. Thank you, Chairperson Sir.

HON. CHAIRPERSON: The next speaker is Shri Durai Vaiko. I am allowing you only four minutes. Please rush up.

SHRI DURAI VAIKO (TIRUCHIRAPPALLI): Thank you, Sir. The Constitution is not just a document, but the heart and soul of our great Republic. Today, I speak with great sorrow, anguish and concern about how this Government has embarked on its journey of rampantly bulldozing the Constitution left, right and centre. From Tamil Nadu to Punjab, from Maharashtra to Manipur, from farmer protests to electoral bounds, from Sambal to Ajmer Dargah, from cow vigilantism to bulldozer justice, from crony capitalism to partisan Governors in non-BJP ruled States, it is a story of systemic sabotage.

The greatest threat today and tomorrow's India fears is the rise of right-wing ideologies that threaten the basic foundations of this country, namely liberty,

equality, fraternity and justice. There is no future if this country’s citizens are denied these above four important values of our Constitution.

This Union Government speaks about ‘Ek Bharat, Shreshth Bharat’, that is ‘One India, Great India’. We all believe in it and we wish for it. But is the Government seriously working for a strong, united India or is it mere sloganeering? I have my serious doubts.

I have come across numerous fake toxic narratives and according to Sant Guruvar ideology that this Government believes in, Ek Bharat means one Hindutva nation, one Hindi language and one Sangh Parivar culture.

According to them, there is no diversity. There is no room for any other religion or for any of the language. There is no room for the Dravidian culture or for any other culture in this country. I am sure the Hindutva ideology would not have any explanation of Unity in Diversity – the basic foundation on which this country stands. Nearly 77 years ago, the founding fathers of our country, Mahatma Gandhi, Nehru ji, Patel ji, Ambedkar ji, and so many others steered this new nation into a direction to ensure that this country would not be destroyed by religious sectarianism, casteism, and authoritarianism. But since 2002 Godhra riots and the very recent Manipur conflicts which have claimed thousands of lives, the Union Government has been sowing the seeds of division that is religious sectarianism, casteism and authoritarianism.

The Constitution ensures equality but sadly, today, equality has been corroded by crony capitalism. Our country's GDP has grown from Rs. 25 lakh crore to more than Rs. 200 lakh crore during the past 30 years, but has this growth

percolated to all sections of society? No, sadly not, Sir. The bottom 50 per cent of the population is the working class which holds less than three per cent of our nation's wealth, and the top five per cent, i.e. the elite, own 60 per cent of the nation's wealth. It is clear that corporates have benefited while farmers, working class and the common man have got nothing but piling miseries and mounting debts. Every day, we hear the news of farmers committing suicides and parents of underprivileged students committing suicides because of education loans.

At the same time, in the banking sector, banks have written off corporate loans to the extent of more than Rs. 14 lakh crore. Sir, this clearly shows that the Government has abandoned the Constitutional values of equality and justice. Let us remember, for a greater India, for a united India, we need to follow Babasaheb Ambedkar's Constitution, not Golwalkar's bunch of thoughts, not Savarkar's Hindutva.

Let us remember, India is not the land of the Savarkar, not the land of the Godse, it is the land of the Mahatma, where hope prevails over despair, where love prevails over hate, where fraternity prevails over hostility, where equality prevails over inequality, and where liberty and freedom prevail over bondage and subjugation. Let us rise above petty politics and uphold the values of the Constitution and morality before it is too late. Thank you!

एडवोकेट चन्द्र शेखर (नगीना) : माननीय सभापति जी, आज हम संविधान की गौरवशाली यात्रा पर चर्चा कर रहे हैं। यह चर्चा कल से चल रही है। मैंने हमारे दोनों पक्षों के मैम्बर्स को सुना है। ये बड़े-बड़े नेता हैं। संविधान के भाग 1 में लिखा हुआ है – 'इंडिया दैट इज भारत'

माननीय सभापति जी, हिन्दुस्तान नहीं लिखा हुआ है। आज सभी नेता संविधान पर चर्चा कर

रहे हैं। वे हिन्दुस्तान ही कह रहे हैं। वे भारत कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। यह एक बड़ा सवाल है कि क्या संविधान के हिसाब से बात रखी जा रही है?

मैं ज्योतिबा फूले जी, डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर जी और मेरे नेता माननीय काशीराम जी को धन्यवाद देता हूँ। 25 नवम्बर, 1949 को संविधान को सौंपते हुए डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने कहा था कि 26 जनवरी, 1950 को हम विरोधाभास से भरे हुए जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। राजनीतिक जीवन में तो हमारे पास समानता होगी, लेकिन सामाजिक और आर्थिक जीवन में असमानता होगी। क्या यह चुनौती आज 75 सालों के बाद भी दूर हुई है? भारत ने 26 जनवरी, 1950 को संविधान लागू होने के साथ खुद को एक सम्प्रभु, लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक राज्य होने का एलान किया। लेकिन उस समय संविधान की स्थिति यह थी कि जैसे गांव का कोई आदमी, चूँकि मैं सन् 1950 की बात कर रहा हूँ तो अगर वह 50 साल पहले शहर में आ जाता और बड़े लोगों की महफिल में चला जाता, जहां वे खाना खा रहे हों और टेबल पर रखे नेपकिन को खाकर यह कहता कि यह तो फीका है, क्योंकि वह जानता ही नहीं था कि संविधान क्या है। संविधान उसके लिए महज एक दस्तावेज था। उस समय राजनीतिक दलों पर यह जिम्मेदारी थी कि वे उस संविधान को व्यवहार में लेकर आते। उसमें कितने सारे आर्टिकल्स हैं, अगर उनको व्यवहार में लाया जाता तो मुझे लगता है कि आज देश बहुत बदल गया होता।

डॉ. बाबा साहेब ने कहा था कि लोकतंत्र भारतीय भूमि की केवल ऊपरी पोशाक है। उनके अनुसार यहां की संस्कृति अनिवार्य तौर पर अलोकतांत्रिक है। भारत जैसे गरीब और गैर बराबरी वाले देश में संविधान के जरिए छुआछूत खत्म करना, वंचितों के लिए सकारात्मक उपाय करना, सभी व्यस्कों के लिए मतदान का अधिकार देना और सबके लिए समान अधिकार तय करना, यह बहुत बड़ी उपलब्धि थी।

सर, यह संविधान है, जिसके कारण आप वहां बैठे हैं और मैं यहां खड़ा होकर अपनी बात रख रहा हूं और इस देश में आदिवासी महिला महामहिम राष्ट्रपति बनी हैं एवं प्राइम मिनिस्टर तो नहीं बना, लेकिन शेड्यूल्ड कास्ट के बड़े नेताओं को भी राष्ट्रपति बनने का मौका मिला। यह संविधान की देन

है। अगर हम पर वोट नहीं होता, तो शायद अमीरों और जो खुद को राजा-महाराजा मानते हैं, ये हमारी गलियों तक नहीं आ पाते, हमारे हाल नहीं जान पाते।

सर, आजादी का मतलब सिर्फ अधिकार पाना भर नहीं है। इसके लिए हमारे संविधान में सरकार और नागरिकों के अधिकारों एवं शासन के कर्तव्यों का भी विस्तार से उल्लेख किया गया है। बाबा साहेब ने संविधान सभा में दिए गए भाषण में कहा था कि स्वतंत्रता आनंद का विषय है, पर अब हमें अपनी जिम्मेदारियों पर भी ध्यान देना होगा। संविधान ने सुनिश्चित किया कि रानी के पेट से राजा जन्म नहीं लेगा, वोट से नेता तैयार होगा। आर्थिक बराबरी के लिए सरकार क्या कर रही है? गरीब और गरीब हो रहा है, अमीर और अमीर हो रहा है। सुबह उठते ही कहीं बम की धमकी मिलती है तो कहीं दंगे की धमकी मिलती है। यह अमृतकाल है या धमकीकाल है। आर्टिकल 15 कितना बदल गया है? आज भी भारत में घोड़ी चढ़ने पर हत्या होती है। …(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Please conclude.

एडवोकेट चन्द्र शेखर : सर, क्या यहां भी दलितों को बोलने की इजाजत नहीं है?… (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: I will give you one minute.

एडवोकेट चन्द्र शेखर: सर, अगर सभी को बोलने के लिए चार मिनट का समय दिया गया है, तो मुझे भी चार मिनट समय दे दीजिए।

HON. CHAIRPERSON: Finish in one minute.

एडवोकेट चन्द्र शेखर: सर, दलितों के साथ यह भेदभाव नहीं चलेगा।

HON. CHAIRPERSON: Allotted time is four minutes. Take one minute more.

एडवोकेट चन्द्र शेखर: सर, अगर आप सभी को चार मिनट का समय दिया है, तो मैं इसको बंद कर देता हूं। क्या दलितों को सबसे आखिरी में नम्बर मिलेगा और बोलने का भी मौका नहीं मिलेगा? क्या मजाक कर रहे हैं? …(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: All Independent MPs are having only four minutes. You take one minute more. There is no problem.

एडवोकेट चन्द्र शेखर: सर, इंडिपेंडेंट नहीं, बल्कि मैं अपनी पार्टी का मैम्बर हूं और जीत कर आया हूं, किसी की दया पर नहीं आया हूं। …(व्यवधान) कल भी एक सदस्यीय पार्टी के लोग बोले थे। आप मुझे बोलने के लिए मौका दें।

मुछें रखने पर भी हत्या होती है। महिलाओं और छोटी मासूम बच्चियों के साथ रेप और हिंसा होती है। हमें एनसीआरबी का डाटा देख कर डर लगेगा। यहीं एक किलोमीटर पर संविधान को जलाया गया। महाराष्ट्र के परभणी में अभी-अभी संविधान की कॉपी को नष्ट किया गया।

संविधान के आर्टिकल 25-26 में सभी को धार्मिक आजादी है, तो यह कहां है, दलितों की, मुसलमानों की, जैनों की, बौद्धों की और ईसाइयों की। छत्तीसगढ़ में सतनामी समाज को संविधान की अपनी धार्मिक आजादी के आधार पर उनको अपमानित करके जेल में बंद कर दिया। संभल, अजमेर और अयोध्या, सभी इसके उदाहरण हैं।

आज यह सरकार आलोचना से डरती है। कितने लोग जेल में बंद हैं? मिरान हैदर, खालिद सैफी, उमर खालिद, सिफा खान, गुलफिशा फातिमा और आजम खान साहब राजनैतिक विरोध में बंद हैं। सरकार यहां बैठी है। सरकार सामाजिक न्याय की बात करती है। आप बताइए कि आपने कितने दलित मुख्यमंत्री बना रखे हैं? आपकी 13 राज्यों से ज्यादा राज्य में सरकार है। कितनी महिला मुख्यमंत्री हैं? आपकी सरकार ने माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद प्रमोशन में रिजर्वेशन जारी नहीं किया। आप ओबीसी को पॉलिटिकल रिजर्वेशन देंगे या नहीं देंगे, आप यह बताइए।

हम 75 साल की गौरव यात्रा में सभ्य समाज नहीं बना पाएं, इसलिए जाति आधार पर एससी, एसटी और ओबीसी के बच्चों को प्राइमरी स्कूल्स से लेकर उच्च संस्थानों में भेदभाव किया जाता है। सरकार निरकुंश हो गई है। कोई बुल्डोजर से कार्रवाई करता है। कल मंत्री जी ने कहा कि हमने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया, लेकिन 69,000 शिक्षकों की भर्ती में उसकी सिफारिशों को नहीं माना।

ईडब्ल्यूएस के जरिए आपने संविधान के आरक्षण के प्रावधान पर हमला किया है। न्यायपालिका में आर्टिकल 124(ए) कहता है। … (व्यवधान) संविधान में न्यायधीशों की नियुक्ति का अधिकार, राष्ट्रपति को होना चाहिए, यह अभी तक नहीं हो रही है। ऑल इंडिया ज्यूडिशियल कमिशन

कब बनेगा? क्या चंद परिवार ही जज बन सकते हैं?

सर, मैं सरकार से सवाल पूछना चाहता हूं कि सेवा में एससी, एसटी, ओबीसी का कितना प्रतिनिधित्व है? भारत सरकार के मंत्रालयों के अधीन पीएसयूज, बैंकों, बीमा कंपनियों और स्वायत्तशासी संस्थानों आउटसोर्स तथा काँट्रैक्ट पर वर्तमान कार्यरत कर्मचारियों की कुल कितनी संख्या है। आउटसोर्स और काँट्रैक्ट कार्यबल में एससी, एसटी और ओबीसी कितना प्रतिशत है? निजी क्षेत्रों में कार्यरत कर्मचारियों में एससी, एसटी और ओबीसी… (व्यवधान)

सर, मैं फिर स्पष्ट तौर पर कह रहा हूं, यहां बैठे एससी और ओबीसी के माननीय मैम्बर्स से कह रहा हूं, उनको सामाजिक जिम्मेदारी का ध्यान भी रखना चाहिए। उनको पार्टी की वफादारी के साथ-साथ अपने वर्गों के प्रति ईमानदारी भी रखनी चाहिए। अगर ईमानदारी नहीं होगी, तो उन वर्गों का भला नहीं हो सकता है और हमें बहुत सरकारों से उम्मीद नहीं है। … (व्यवधान)

श्री इमरान मसूद (सहारनपुर) : सर, आज हमें आपने भारत के संविधान की 75 वर्ष की गौरवशाली यात्रा पर चर्चा करने के लिए आपने मुझे मौका दिया है।

माननीय सभापति जी, जब भारत का संविधान बना, उस समय देश के हालात क्या थे? उस समय यह आर्थिक हालत था कि हमारा जीडीपी केवल 2.7 लाख करोड़ रुपया था यानी 494 रुपए प्रति व्यक्ति। प्रति व्यक्ति आय 63 पैसे प्रति दिन, 230 रुपए प्रति वर्ष थी। जापान में प्रति हेक्टेयर उत्पादन 748 किलोग्राम था। भारत में मात्र 110 किलो प्रति हेक्टेयर था। खाद्यान्न संकट था एवं गम्भीर खाद्यान्न संकट मद्रास के चक्रवात ने और बढ़ा दिया था। उस हालात में जब हमें पूरे विश्व में कहीं से कोई मदद करने को तैयार नहीं था, उस समय शोषणकारी सामाजिक व्यवस्था इस देश के अंदर लागू थी, जहां जमींदारी, रैयतवाड़ी, मालवाड़ी आदि ऐसी व्यवस्थाएं थीं, जो श्रमिकों और किसानों के संसाधन एवं उत्पादन दोनों पर अधिकार नहीं छोड़ती थीं। वर्ष 1947 में भारत की अर्थव्यवस्था मूल्य ह्रास अर्थव्यवस्था थी। उत्पादन में बहुत सारे कारकों का उपयोग उत्पादन व्यवस्था को कमजोर बनाता था। हालात ये थे कि उद्योग स्थापित नहीं थे। वर्ष 1947 में भारत की विकास दर मात्र 1 प्रतिशत सालाना थी। सीमित जीवन की सम्भावनाएं देश के अंदर थीं। कुल मृत्यु दर 18 प्रति

हजार थी और शिशु मृत्यु दर 218 प्रति हजार थी यानी एक हजार बच्चों में से 218 बच्चे जन्म लेते ही मर जाते थे। न्यूनतम श्रम मूल्य था।

मान्यवर, मैं ये बातें आपको इसलिए याद दिला रहा हूं कि देश का विभाजन हो रहा था। चारों तरफ नफरत का माहौल था, लेकिन उस वक्त भी अहिंसा की बात, प्रेम की बात और भारत के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप की बात करने का काम संविधान सभा में हो रहा था। जो यहां बैठे हुए हैं, ये बातें मैं इसलिए याद दिला रहा हूं कि 70 साल में हमने क्या किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू की नीतियां थीं कि हम देश को यहां लेकर आए। पंडित जवाहरलाल नेहरू की नीतियां थीं कि देश के अंदर इतने संसाधनों का विकास हुआ। ये बातें मैंने आपको इसलिए बताईं कि बार-बार कहा जाता है कि उनका योगदान क्या था? यह उनका योगदान था। यह उनका ही ब्लूप्रिंट था कि हम देश के अंदर हरित क्रांति लाए। देश के अंदर किसानों को आगे बढ़ाने के लिए, उद्योगों को आगे बढ़ाने के लिए, लोगों को रोजगार देने के लिए एक नया ब्लूप्रिंट तैयार किया। हमने नहरें बनाईं, भाखड़ा नांगल डैम बनाया, सिंचाई की व्यवस्था की। ये उस हालात में किया, जबकि हमारे देश की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी।

मान्यवर, जब इस संविधान को बनाया गया तो संविधान को प्रस्तुत करते हुए बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था कि यह एक सामाजिक परिवर्तन का माध्यम है। उनकी दृष्टि में केवल कानूनी दस्तावेज नहीं है, बल्कि एक नैतिक प्रतिज्ञा है, जो हमें न्याय, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व के सिद्धांत से जोड़ती है। आज इस पवित्र ग्रंथ के संरक्षक के रूप में हमें अपने इन आदर्शों के प्रति अपने संकल्प को दोहराना चाहिए। 29 नवंबर, 1949 को संविधान सभा में अपने अंतिम भाषण के अंदर उन्होंने इसको प्रस्तुत करते हुए कहा कि यह कांग्रेस पार्टी के अनुशासन ही का परिणाम था कि प्रारूप समिति के प्रत्येक अनुच्छेद और संशोधन की नियति के प्रति आश्वस्त होकर उसे सभा में प्रस्तुत कर सकी। इसलिए इस सभा में प्रारूप संविधान के सुगमता से पारित हो जाने का सारा श्रेय कांग्रेस पार्टी को जाता है। हम लोग संविधान को बनाने वाले लोग हैं। हम संविधान को बनाने वाले, मानने वाले और संविधान को अपने सीने से लगाने वाले हैं। यह किसी के लिए एक किताब हो सकती है, लेकिन हमारे लिए तो एक पवित्र ग्रंथ है। इसी ग्रंथ के माध्यम से हमें देश के अंदर बराबरी का

अधिकार मिला। … (व्यवधान)

मान्यवर, मुझे दो मिनट और दीजिए। इसी ग्रंथ के माध्यम से हमें अधिकार मिला। आज हमारे अधिकारों के ऊपर कुठाराघात हो रहा है। वक्फ के नाम पर हमारी सम्पत्ति छीनने की साजिश की जा रही है। आज हमें पूरे तरीके से जगदम्बिका पाल साहब ने … (व्यवधान) नहीं, नहीं। अभी बैठो और सुनो। … (व्यवधान) वक्फ के नाम पर हमारी प्रॉपर्टी छीनने की साजिश की जा रही है। वक्फ कानून लाकर सारी प्रॉपर्टीज़ हड़पना चाहते हैं। आज पूरे देश के अंदर एक नफरत का माहौल हमारे खिलाफ खड़ा किया जा रहा है। सम्भल की घटना हो या बहराइच की घटना हो, आज देश में मुसलमान की स्थिति यह हो गई कि घर में रहेगा तो दंगाई मारेंगे और बाहर निकलेगा तो पुलिस मारेगी। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बहराइच में यही हुआ, संभल में यही हुआ। आज सीधे गोली मारी जाती है। हमारी जान की कीमत आज समझने को कोई तैयार नहीं है।

मान्यवर, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आज जिस प्रकार से तमाम संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है, एक मनोज परमार नाम का व्यक्ति, जो एक कारोबारी था। उसके बच्चों ने राहुल जी को भारत जोड़ो यात्रा के दौरान गुल्लक दी। उसके घर पर ईडी की रेड हुई। उसने सुसाइड किया। उसने अपनी पत्नी के साथ सुसाइड किया। उसने सुसाइड नोट में लिखा कि ईडी के अधिकारी ने उसके कंधे पर पैर रखकर कहा कि तुम भाजपा जॉइन कर लो।

HON. CHAIRPERSON: Please conclude.

श्री इमरान मसूद: सर, मैं कनक्लूड कर रहा हूँ।

उसने कहा था, तुम भाजपा जॉइन कर लो, तुम्हारी जान बच जाएगी। आज ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल हमें डराने के लिए होगा, आज ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल इन तमाम आवाज़ों को चुप कराने के लिए होगा। इस पावन मौके पर, जब हम संविधान पर चर्चा कर रहे हैं, तो मैं कहना चाहता हूँ कि… (व्यवधान) मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर हम संविधान को अंगीकार करने की बात कर रहे हैं, हम देश के अन्दर संविधान के रक्षक के रूप में पूरा का पूरा सदन एक्रॉस द पार्टी लाइन खड़ा हुआ है, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि… (व्यवधान) मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ मान्यवर।

धन्यवाद।

एडवोकेट प्रिया सरोज (मछलीशहर) : माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे आज बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ।

मैं सबसे पहले भारत के संविधान के रचयिता बाबा साहब डॉ. भीमराव अम्बेडकर जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, अपनी बात शुरू करूँगी। भारत का संविधान दुनिया का सबसे विस्तृत, सुन्दर और अनोखा संविधान है। यह ऐसी भावनाओं के साथ बनाया गया है, जो समानता, बंधुता और राष्ट्र-एकता पर बल देती है। आज जो मैं यहाँ खड़ी होकर अपनी बात कह रही हूँ, तो यह शक्ति हमें हमारे संविधान ने दी है। हमें गर्व है कि हमारी पार्टी के स्वर्गीय श्री मुलायम सिंह जी और हमारी पार्टी के अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने हमेशा संविधान के मूल्यों की रक्षा की है और सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष किया है।

हमारे देश में हर नागरिक, चाहे किसी भी जाति या धर्म का हो, खुद को सुरक्षित और साम्य महसूस करता है। लेकिन आज के दिन हमें यह सोचने की जरूरत है कि क्या हम संविधान के आदर्शों के अनुसार चल रहे हैं? वर्ष 2014 से पहले, भारत धर्मनिरपेक्षता, समानता और न्याय का प्रतीक था। वर्ष 2014 से पहले, सभी सरकारों ने संविधान का आदर किया था एवं लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता को सुरक्षित रखा। पिछले 10 वर्षों से, जब एनडीए सरकार सत्ता में आई, इस सरकार ने संवैधानिक संस्थाओं पर निरंतर आघात करना जारी रखा। विकास के वादे पर विनाश की एक अंतहीन कथा रखी है। सरकार की नीतियाँ एक धर्म और प्राथमिकता देखकर धर्मनिरपेक्षता को कमजोर कर रही है। असहमति जताने वाले को देशद्रोही कहा जाता है और उनके खिलाफ हिंसा या धमकी को सही ठहराना आर्टिकल 19 और 21 का सीधा उल्लंघन है।

"तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है,
मगर ये आंकड़े झूठे हैं और यह दावा किताबी है।"

वर्ष 2018 में लाये गये इलेक्टोरल बांड ने राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता को खत्म किया, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक बताया। कंट्रोवर्शियल कृषि कानूनों ने किसानों का विश्वास तोड़ा,

उन्हें रद्द किया गया, लेकिन किसानों की समस्या आज भी अनसुलझी है।

मंदिर-मस्जिद के नाम पर सम्भल जैसे नये-नये विवाद को जन्म देकर समाज में निरंतर घृणा और नफरत का माहौल पैदा किया जा रहा है। महोदय, मैं कहना चाहूंगी:

"सत्ता में बैठे लोगों ने यह कैसा हिन्दुस्तान कर दिया,

बेजान इमारतों को हिन्दु-मुसलमान कर दिया।"

आज स्वतंत्र संस्थानों और मीडिया का दुरुपयोग किया जा रहा है। दलित की बेटी का अपहरण होना, उनका रेप किया जाना, उनके शव को पुलिस द्वारा रात को पेट्रोल डालकर जला दिया जाना, उनके घरों में आग लगा दिये जाने जैसी सभी घटनाएं आज 70 वर्षों के बाद भी हो रही हैं। यूपी सरकार ने ईएसएम लागू करके हड़ताल पर रोक लगा दी है। राज्य में कोई भी कर्मचारी आज छ: महीने तक हड़ताल नहीं कर सकता है।

वर्ष 2014 से पहले तक जितने भी चुनाव हुए, उन पर कभी अंगुली नहीं उठी है। परंतु पिछले कुछ वर्षों में जिस प्रकार ईवीएम पर उंगली उठी है, उससे मत के साथ हेरफेर की बात सामने आई है। इससे निश्चित ही मतदाताओं के मन में भ्रम पैदा हुआ है।

मैं आप सभी से आग्रह करती हूं कि पिछले दस वर्षों में, आप ध्यान दें, यह ऐसा दशक रहा जिसमें हमारा संविधान, जो हमें एक राष्ट्र के रूप में जोड़ता है, को कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है। हर दिन हमें ऐसे काम और नीतियां देखने को मिलती हैं, जो अधिकारों और स्वतंत्रता को छीनने का प्रयास कर रही हैं।

हमें यह देखना चाहिए कि हमारा प्रिएंबल हमारे सामूहिक सपनों और मूल्यों का प्रतीक है। ये जस्टिस, लिबर्टी और इक्वैलिटी की बात करते हैं। ये केवल शब्द नहीं हैं, बल्कि हमारे लोकतंत्र की नींव हैं। ये सिद्धांत हर नागरिक के सम्मान और गरिमा से जीने का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए बने हैं। समाजवादी पार्टी पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक समुदायों के साथ मजबूती से खड़ी है। उनके अधिकारों का उत्थान करने के लिए समाजवादी पार्टी प्रतिबद्ध है। हम सुनिश्चित करते हैं कि उनकी आवाज हर राजनीतिक चर्चा में सुनी जाए। जाति जनगणना को हम सामाजिक और आर्थिक

असमानताओं को दूर करने और समान अवसर प्रदान करने के लिए आवश्यक मानते हैं।

हमारे संविधान की मूल भावना है – समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को मुख्यधारा से जोड़ना। हमारी पार्टी और हमारे नेता पीडीए के माध्यम से संविधान की मूल भावना को साकार कर रहे हैं।

“भारत का संविधान हमें देता है संदेश,
हम सब बाद में, सबसे पहले हमारा देश।”

जय भीम, जय समाजवाद।

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): Thank you, Sir, for giving me the opportunity to speak on the historic debate on the 75th Anniversary of the Indian Constitution. Today, as we stand here under the bright light of our democracy, we must remind ourselves of the values enshrined in our guiding document, our moral compass and foundation of our Republic. The Constitution of India, crafted under the vision of Dr. B.R. Ambedkar and the Constituent Assembly, reflects our nation's commitment to justice, liberty, equality, and fraternity. It gave us the framework for a Sovereign, Socialist, Secular, and Democratic Republic. It is a sacred document which binds us together as one nation, one people with dignity for all.

The Indian National Congress has been the torchbearer of Constitutional values since Independence. When the Constitution was adopted in 1949, it was the Congress leadership that ensured every citizen, irrespective of caste, creed or religion, was treated as equal before the law. It was under Congress leadership that India became a global example of unity and diversity.

We have fought tirelessly to uphold fundamental rights and expand

opportunities for all, be it through social justice, education or economic reforms. For decades, the Congress Party has stood firm against authoritarianism, ensuring freedom of expression for the protection of the rights of minorities, women, and marginalised communities, for strengthening institutions like Parliament, Judiciary and the Election Commission to safeguard democracy.

16.59 hrs (Shri Dilip Saikia *in the Chair*)

Chairperson, Sir, it is the Congress Party that brought the Right to Information Act, Right to Education Act, and Mahatma Gandhi NREGA, empowering the people and making the States accountable.

But hon. Members, in the last ten years, under the BJP rule, we have witnessed a systematic and unprecedented attack on the Constitution. The very ideas for which our forefathers fought are being trampled upon. The BJP has centralised power by sidelining the States and violating the principles of cooperative federalism. Whether it is the implementation of GST or fund allocation, they have disrespected the State Governments, weakening the federal structure.

17.00 hrs

Sir, freedom of speech has been silenced. Journalists, activists, and ordinary citizens face threats, arrests, and harassment. Laws like UAPA and sedition charges have been misused to suppress dissent. Right to Equality is being replaced with majoritarian politics, and religious divisions are deliberately deepened. The secular fabric of India is torn apart.

The pillars of our democracy – Parliament, Judiciary, CBI, ED, and Election

Commission are being compromised. Independent voices are being stifled while institutions are being weaponized to target Opposition parties and critics.

Hon. Chairperson, Sir, the BJP rule has widened the gap between the rich and the poor. Crores of rupees are being spent on vanity projects while youth unemployment and inflation crush the dreams of millions. They have failed to uphold the Directive Principles that call for equitable distribution of wealth and opportunities.

Policies that marginalise dalits, tribals, and backward classes are pushing us backward. Reservation and welfare schemes face constant threat while historical injustices are being ignored.

As far as upholding Constitutional morality is concerned, the Congress Party is here to restore hope, dignity, and the Constitutional spirit of India. We are committed to restore freedom of speech and protect media from intimidation; ensure economic justice by addressing unemployment, inflation and social equality; defend the rights of minorities, women, Dalits, and the marginalised communities; ensure that India's diversity is celebrated, not threatened; strengthen institutions to make them truly independent; and ensure democracy functions as intended.

The battle is not just political, it is a battle for the soul of India. The BJP's politics of division, authoritarianism, and disregard for the Constitution cannot continue unchecked. As a citizen of India, we must rise to protect our democracy. Sir, let us fight for an India where every citizen has equal rights; every voice is heard; and every dream is nurtured. The Congress Party stands by the

Constitution, and we will not allow anyone to dismantle its ideals. Thank you, Sir.

SHRI JOYANTA BASUMATARY (KOKRAJHAR): Thank you, Sir, for giving me this opportunity to speak.

Sir, I am a debutant MP from Kokrajhar. I belong to the Bodo Community under the category of Scheduled Tribes of the Constitution of India. It is a matter of immense pride for every citizen that our Constitution not only serves as a guiding framework to maintain discipline and justice, but also ensures equal rights for all individuals, irrespective of their backgrounds. The human society is governed by two fundamental laws. First is the law of nature, which is inevitable and beyond human control, but always friendly to all creatures of nature. And second is the Constitution which unites us, and lays the foundation for a just and equitable society.

As I mentioned earlier, I come from a tribal society. Before the Constitution was introduced into our lives, we followed customary laws – laws that emerged from our traditions and practices. While these laws might appear unorganized or unconventional in the context of modern governance, they are deeply rooted in our way of life, and they offer accessibility and familiarity to our people.

However, despite the Constitution's noble intentions and provisions, I must express my concern that as a nation we have not succeeded in making every citizen whether educated or illiterate aware of the Constitution and the rights and duties it guarantees.

As a result, a significant section of the population feels deprived of the Constitutional rights, while the more privileged group reaps substantial benefits

from the same provisions.

Sir, there is a provision in the Constitution of India that provides recognition, support, and safeguards for languages of all the native people of the nation. My concern is that hundreds of native languages spoken by indigenous people do not receive due recognition and support. These traditions, which significantly contribute to the diversity and heritage of our country, remain excluded from Constitutional recognition even after the adoption of 75 years of our Constitution. While the Constitution explicitly mentions rights in its major Articles, various Ministries, Parliamentary Committees and Commissions have made recommendations to address the grievances of marginalized communities from time to time. The implementation of these recommendations has not been done in full letter and spirit.

HON. CHAIRPERSON: Please conclude.

SHRI JOYANTA BASUMATARY: Sir, in the North Eastern Region of India, the small tribes, who are the original inhabitants, still feel excluded from the mainstream. In my interpretation, ‘mainstream’ means a group people who have better access to the Constitution and the laws.

HON. CHAIRPERSON: Please conclude.

SHRI JOYANTA BASUMATARY: However, I believe that the credible institutions tasked with safeguarding the Constitution and ensuring the rights of all citizens, along with the nation's intelligentsia, entrusted with matters of internal security, public grievances, and social harmony, may not have adequately addressed the concerns of many communities, particularly those in remote and marginalized

regions.

HON. CHAIRPERSON: Okay, thank you for your speech.

श्री जयन्त बसुमतारी : सर, ऑल पार्टी मीटिंग में 7 मिनट्स देने की बात कही गयी थी।

माननीय सभापति : आप बस आधे मिनट में अपना भाषण समाप्त कीजिए।

SHRI JOYANTA BASUMATARY: Sir, I hope that if the proposed 125th Amendment Bill is passed along with the amendment in Article 280, the Sixth Schedule will be strengthened with considerable financial powers and autonomy to administer governance effectively in the Councils.

HON. CHAIRPERSON: Thank you.

Now, Shri Umeshbhai Babubhai Patel.

श्री उमेषभाई बाबूभाई पटेल (दमन और दीव) : सभापति महोदय, मुझे पवित्र ग्रंथ संविधान पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद देता हूं।

महोदय, हमारा देश 15 अगस्त, 1947 को आज़ाद हुआ। डॉ. बाबा साहब अंबेडकर सहित विद्वानों की संवैधानिक पीठ ने लंबी जद्दोज़हद के साथ हर एक पहलू की बारीकी से सोच समझकर 26 जनवरी, 1950 को हमारे देश को संविधान की अमूल्य एवं अतुल्य भेंट दी। हमारा प्रदेश दमण और दीव, गोवा के साथ देश की आज़ादी के लगभग 14 सालों के बाद वर्ष 1961 में आजाद हुआ। हमारे प्रदेश की यह आज़ादी भारत देश की ही देन है, जिन्होंने हमें पुर्तगालियों की लम्बी गुलामी से मुक्ति दिलाई। हमारा प्रदेश 14 साल बाद आज़ाद हुआ, जिसके चलते हमारा प्रदेश देश के बाकी राज्यों की तुलना में बहुत ही पिछड़ा हुआ है और दु:खद बात यह है कि यह और पिछड़ता ही जा रहा है। इससे बड़ा दु:खद और दुर्भाग्यपूर्ण तो यह है कि देश की आज़ादी के इतने साल बीत जाने के बावजूद भी हमारा प्रदेश लोकशाही की लोकतांत्रिक प्रणाली की मुख्य धारा का हिस्सा नहीं बन पाया है। हमारा संविधान कहता है कि किसी भी प्रदेश को छ: महीने से ज़्यादा राष्ट्रपति शासन में नहीं रखा जाना चाहिए, पर हम तो हमारे प्रदेश की आज़ादी से ही राष्ट्रपति शासन में जीने को मजबूर हैं। पूरे देश की

तरह हमारे प्रदेश में कब पूर्ण लोकशाही की लोकतांत्रिक प्रणाली लागू होगी? क्या हमें पूर्ण लोकशाही का अधिकार नहीं है?

सभापति महोदय, हमारा संविधान समानता की बात करता है। पर, समानता कहां है? लोकशाही की लोकतांत्रिक प्रणाली में जो हक़ और अधिकार अन्य राज्यों के लोगों को मिलते हैं, वैसे हक़ और अधिकार हमारे प्रदेश के लोगों को क्यों नहीं मिल पा रहे हैं?

लोकशाही की लोकतांत्रिक प्रणाली के तहत अन्य राज्यों के लोगों के पास उनके हक़ और अधिकार देखिए। उनके पास लोकसभा, राज्यसभा, और विधानसभा है। महाराष्ट्र जैसे राज्य के लोगों के पास एम.एल.सी., महापौर सहित पावरफुल स्वराज्य संस्थाएं हैं। इनकी तुलना में हमारे प्रदेश के लोगों के पास क्या है? बस केवल एक लोकसभा सीट है। हमारे पास राज्यसभा की कोई सीट नहीं है, स्टेट असेंबली नहीं है, एम.एल.सी. नहीं है। महापौर की बात तो छोड़िए, लड़खड़ाती स्वराज्य संस्थाएं ही हैं, जिनके पास कोई पावर नहीं है। एक तरफ दूसरे राज्यों के लोगों के पास इतना कुछ है और हमारे पास केवल एक लोकसभा की सीट है। क्या यह समानता है?

सभापति महोदय जी, हमारा संविधान हमें बहुत सारी शक्तियां प्रदान करता है, किन्तु हमारे प्रदेश में इन शक्तियों की अनुपालना नहीं हो रही है। हमारे प्रदेश में स्थानीय प्रशासन द्वारा संविधान का बार-बार गला घोटा जा रहा है।

महोदय, भारत सरकार का पंचायती राज से संबंधित संवैधानिक संशोधन स्थानीय संस्थाओं को शक्ति देता है। भारतीय संविधान का 73वां संशोधन अधिनियम पंचायती राज व्यवस्था को मजबूती देता है, तो 74वां संशोधन शहरी निकायों को मजबूती प्रदान करता है।

महोदय जी, हमारे स्थानीय प्रशासन ने भारत सरकार के संवैधानिक संशोधन में लोक सभा और राज्य सभा की जरूरी मंजूरी के बिना ही 73वें, 74वें जैसे संवैधानिक संशोधनों, अधिनियमों में सुधार कर लिया। … (व्यवधान)

सर, दो मिनट तो दीजिए, अभी तो मैंने बोलना शुरू ही किया है। … (व्यवधान)

माननीय सभापति: 30 सैकेंड्स में अपनी बात समाप्त करें।

… (व्यवधान)

श्री उमेषभाई बाबूभाई पटेल: सर, हमारे पास राज्य सभा और लोक सभा कुछ भी नहीं है, हम कहां बोलेंगे? दो मिनट तो दीजिए अपनी बात खत्म करने के लिए? … (व्यवधान)

माननीय सभापति : एक मिनट में अपनी बात पूरी कीजिए।

… (व्यवधान)

श्री उमेषभाई बाबूभाई पटेल: महोदय जी, हमारे स्थानीय प्रशासन ने भारत सरकार के संवैधानिक संशोधन में लोक सभा और राज्य सभा सहित की जरूरी मंजूरी के बिना ही 73वें, 74वें जैसे संवैधानिक संशोधनों अधिनियमों में सुधार कर लिया और प्रदेश की स्वराज्य संस्थाओं को दिए गए सारे पॉवर्स छीन लिए। अब स्वराज्य संस्थाएं किसी को नोटिस या एनओसी तक नहीं दे सकती है।

पिछले सात-सात सालों से स्वाराज्य संस्थाओं को फंड नहीं दिया गया है। महोदय जी, एक बात कहना चाहूंता हूँ कि 19 दिसंबर हमारे प्रदेश के मुक्ति दिन का पर्व है और हम उस दिन मुक्त हुए थे। महोदय, 19 दिसंबर को हम हर साल हमारे प्रदेश के मुक्ति दिवस के रूप में मनाते आए थे। वह पिछले छह-सात सालों से स्थानीय प्रशासन ने बंद कर दिया है। यहां तक कि मुक्ति दिवस के दिन की सार्वजनिक छुट्टी तक निकाल दी गई है। हमारे लिए जितना महत्वपूर्ण 15 अगस्त है, उतना ही महत्वपूर्ण हमारे प्रदेश का मुक्ति दिवस 19 दिसंबर भी है। क्या हमें अपने प्रदेश का मुक्ति दिवस का पर्व मनाने का भी अधिकार तक नहीं है?

SUSHRI S. JOTHIMANI (KARUR): Thank you, Chairperson Sir, for giving me the opportunity to speak on this Constitutional debate. At the outset, I would like to pay tribute to Dr. Babasaheb Ambedkar and other Constituent Assembly Members for their remarkable contribution in laying a strong foundation of India as the world's largest democracy.

I would like to specially mention our hon. first Prime Minister, Shri Pandit Jawaharlal Nehru for his commitment and conviction to the democratic values

enshrined in the Constitution. Without him, as the first Prime Minister, for 17 long years, our history may have taken a different turn. That is why you are afraid of him. *Daro mat.*

You profess much about the Constitution. But in reality, you are totally against it. The Constitution promotes fraternity among all citizens. You are spreading hate and divisiveness. The Constitution assures the dignity of all individuals. You are stripping people of their dignity. The Constitution promotes unity among people. You are creating a divide. The Constitution envisages liberty of thought, expression, belief, faith and worship. You are stifling dissent and oppressing minorities. The Constitution provides equal rights to women. But are we getting our due? I do not want to politicize rape or any crime against women. They are rooted in a patriarchal society.

Every woman in this country believes that the rule of law will protect her and punish the guilty. That is where your Government has failed. From Kathua, Unnao and Hathras to the woman wrestlers' protest, the rule of law faltered before women and shielded the guilty for their heinous crimes.

You brazenly protected the likes of ... *, the then BJP MLA and ... *, the then MP, and garlanded Bilkis Bano's convicts. The Prime Minister cannot look into the eyes of Manipur women for they are suffering under his inaction. Now, you claim that you are protecting the Constitution. Irony just died a thousand deaths.

---

* Expunged as ordered by the Chair.

It is very shameful that minorities especially the Muslims in our country are required to hide their identities as per religious bigotry, which has nothing to do with Hindu religion. The ... *State is bulldozing their houses, staking claims to their places of worship, and deleting their history from textbooks. It has brought in laws like the Waqf Bill, the CAA and the NRC. You fudge numbers around Muslim fertility rates and spread ... *through WhatsApp University.

The Prime Minister himself made inflammatory speeches against the community just a few months ago. The India Hate Lab report noted that 75 per cent of the hate speeches in India in 2023 took place in the BJP-ruled States. During elections in many places, Muslims across the country were stopped from exercising their Constitutional right to vote. This is a clear attack on the Constitution.

You say that the Congress party is appeasing the minorities. But unlike you we speak for every community. When we are defending women, dalits, minorities, and farmers against injustice, we are fiercely defending the Indian Constitution because the Constitution treats everybody equally.

You have always hit federalism with the hammer of hegemony. For every one rupee that we pay to the Union Government, we only get 29 paise in return. My State has been deprived of funds for the PM SHRI scheme because we refuse to allow Hindi imposition through the National Education Policy. We are not against children learning Hindi. They are free to do it by their choice. What we are

---

*Expunged as ordered by the Chair.

against is imposition of Hindi.

Every time we ask the BJP Government for funds, they send the ED after us instead. Tamil Nadu has repeatedly been left to fend for itself in the face of natural disasters. Even the office of Governor is being used as a pawn to stifle federalism. Is it not an attack on the Constitution?

Plurality is the beautiful soul of India. It has been sacrificed at the altar of the BJP's 'One Nation, One Party, One Leader' principle. Remember that, even the strongest empires have fallen at the will of the people, and it will happen once again. Thank you.

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती अनुप्रिया पटेल) : धन्यवाद, सभापति महोदय। स्वतंत्र भारत के संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करने की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित इस चर्चा में प्रतिभाग करना मेरा परम सौभाग्य है। आज के दिन मैं भारतीय संविधान के निर्माण में अहम भूमिका निभाने के लिए परम पूज्य बाबासाहेब अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेन्द्र प्रसाद सहित तमाम हमारे संविधान सभा के 299 सदस्यों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करती हूं, जिन्होंने 165 दिन तक लगातार परिश्रम करके भारत को एक ऐसा संविधान सौंपा, जिसने न केवल भारत के विविध समाज को एकता के सूत्र में पिरोने का दायित्व निभाया है, बल्कि दबे-कुचले, वंचित समुदाय को मुख्यधारा में लाने के प्रावधान भी किये हैं।

सभापति महोदय, हमारा संविधान लोकतंत्र का वह पवित्र ग्रंथ है और एक ऐसा मार्गदर्शक दस्तावेज है, जो न केवल सरकार की शक्तियों और सीमाओं का उल्लेख करता है, न केवल नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों को रेखांकित करता है, बल्कि यह भी बताता है कि लोकतंत्र में समूची व्यवस्था कैसे काम करेगी। देश का प्रत्येक नागरिक संविधान के प्रभाव को अपने जीवन में महसूस भी करता है और उसके महत्व को भी समझता है। मुझे खुशी है कि कांग्रेस की अगुवाई वाला हमारा विपक्षी

गठबंधन संविधान दिवस की 75वीं वर्षगांठ पर विशेष चर्चा की मांग करता है। संविधान की सर्वाधिक दुहाई देने वाली कांग्रेस पार्टी जिसने सही मायने में इस संविधान दिवस को महज प्रतीकात्मक बना कर रखा था, अगर इस संविधान दिवस को भव्यता के साथ और पूरे आदर भाव के साथ मनाने की परंपरा प्रारंभ हुई तो प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार आने के बाद ही हुई।

सभापति महोदय, आज का दिन सही मायने में यह चर्चा करने का दिन है कि संविधान के मूल्यों और आदर्शों के साथ चुनी हुई सरकारों ने कितना न्याय किया। 75 वर्षों की यात्रा में हम देश के नागरिकों की आकांक्षाओं पर कितने खरे उतरे और संविधान के मूल भावना के अनुरुप उन्होंने क्या प्राप्त किया है, क्या कमियाँ रह गईं, किन सुधारों की अभी और आवश्यकता है। इसकी सबसे ज्यादा चर्चा करने और समीक्षा करने की इसलिए जरुरत है कि मैंने बहुत सारे विद्वान साथियों को आज सुना। उन्होंने इस चर्चा के दौरान बाबासाहब अंबेडकर के उन विचारों का उल्लेख किया, जब उन्होंने कहा कि इस देश के अंदर संविधान का अच्छा या बुरा साबित होना, उसे लागू करने वाले तंत्र पर निर्भर करेगा। इसलिए, तंत्र की समीक्षा, तंत्र की कार्यशैली की क्या समीक्षा इतने वर्षों में रही, उसको अवलोकन करना बेहद जरूरी है।

सभापति महोदय, आजादी के बाद पाँच दशक तक इस देश के अंदर या तो कांग्रेस या कांग्रेस नीत गठबंधन की सरकारों ने शासन किया। उस दौरान देश के पूर्व प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही, जिसका जिक्र आज तक इस संसद के फ्लोर पर किया जाता है। दिल्ली से जब हम एक रुपया भेजता हैं तो गांव पहुंचते-पहुंचते वह 15 पैसा हो जाता है। आज तक हम उसकी चर्चा करते हैं। मजे की बात यह है कि एक रुपया चलता है, 15 पैसा पहुंचता है और यह बात सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए लोगों को पता है, लेकिन फिर भी इस व्यवस्था को बदलने के प्रयास नहीं किये जाते हैं। यह भ्रष्टाचार का तंत्र, लूट-खसोट का तंत्र, सब कुछ बरकरार रहता है, लेकिन इस व्यवस्था में कोई सुधार नहीं होता है। यह तंत्र की कार्यशैली को इंगित करता है। इस व्यवस्था में सुधार तब होता है, जब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की नेतृत्व वाली सरकार आती है। डीबीटी के माध्यम से सरकारी खजाने से निकलने वाली पाई-पाई देश के नागरिक के खाते में पहुंचती है।

सभापति महोदय, संविधान वही था, लेकिन तंत्र अलग था। तंत्र की कार्यशैली का क्या प्रभाव इस देश के सामान्य मानवी के जीवन पर हो सकता है, यह एक उदाहरण के जरिए मैं समझाने की कोशिश कर रही हूं। मैं अपने कांग्रेस के साथियों को कहना चाहती हूं कि अगर नीयत साफ हो और इरादा स्पष्ट हो तो तंत्र अपनी पूरी शक्ति के साथ इस देश के सामान्य वोटर के जीवन में परिवर्तन कर सकता है।

यह तंत्र ही है। दशकों तक भारत की गरीब जनता को आप मकान नहीं दे पाए, बैंक का खाता नहीं दे पाए। दस सालों के अंदर देश के ऐसे करोड़ों गरीब नागरिकों को हमारी सरकार ने मकान बनाकर दिए, शौचालय बनाकर दिए, बैंक के खाते दिए, गैस के कनेक्शन्स दिए, 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा दिया और पीने के लिए शुद्ध पेयजल भी दिया। यह दिखाता है कि अगर नीयत साफ हो, इरादे दुरुस्त हों तो देश की जनता के जीवन में क्या बदलाव हो सकता है। आप गरीबी हटाओ का नारा दशकों तक देते रहे, लेकिन हमने सही मायने में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालने का काम किया।

महोदय, आज दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। भारत की अर्थव्यवस्था पांचवें नंबर पर पहुंच गई है और हम इसे तीसरे नंबर पर ले जाना चाहते हैं। एक उभरती हुई शक्ति के रूप में हमारे विपक्ष के साथी भले ही भारत की ताकत को न देख पाएं, लेकिन आज दुनिया इसकी सराहना कर रही है। मैं इतना ही कहना चाहती हूं कि जहां चाह है, वहां राह है। जिस तंत्र ने करना चाहा, उसने देश की जनता का कल्याण कर दिया। कांग्रेस पार्टी संविधान की प्रतियां आजकल हाथ में लेकर चलती है। इस पार्टी ने संविधान के प्रति कितनी आस्था रखी है, यह इसी बात स्पष्ट हो जाता है कि 84 बार आपने अनुच्छेद 356 का प्रयोग करके चुनी हुई सरकारों को इस देश के लोकतंत्र के इतिहास में गिराने का काम किया। इस कृत्य के लिए कभी आपने राष्ट्रपति जी की आलोचना झेली, तो कभी न्यायपालिका की। आपके लिए संविधान क्या है, यह आप बेहतर जानते हैं। हमारे लिए संविधान पवित्र ग्रंथ है, हमारे लिए संविधान गीता है।

यह सच है कि सरकारों को संविधान में संशोधन करने का अधिकार है। आपने भी संशोधन

किए, हमने भी किए। संशोधन कितने किए, यह महत्वपूर्ण नहीं है। संशोधन किस उद्देश्य से किए, किस भावना से किए, यह महत्वूपर्ण है। हमारी सरकार ने जब संशोधन किया तो कभी पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने के लिए किया, तो कभी एससी, एसटी समाज के हितों को संरक्षित करने के लिए किया तो कभी इस देश की नारी शक्ति को इस संसद में पहुंचाने के लिए किया। हमारी सरकार ने संविधान में संशोधन लाने का काम किया तो सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करने के लिए किया, लेकिन जब आपने संविधान में संशोधन किया तो कभी तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को गुजारा-भत्ता से वंचित करने के लिए किया तो कभी मीडिया या न्यायपालिका के अधिकारों को नियंत्रित करने के लिए किया। आपने जब भी संविधान में संशोधन किया, हर बार विवाद हुआ, क्योंकि आप देश पर अपनी गलत नीतियां थोपना चाहते थे। आपके जो कृत्य हैं, वे संविधान के प्रति आपकी जो आस्था है, उस पर स्पष्ट रूप से एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं।

आज मुझे यह देखकर खुशी होती है कि मजबूरी में ही सही, अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए ही सही, आप बाबा साहेब अंबेडकर को याद कर रहे हैं। वह बाबा साहेब अंबेडकर जिनको आपने भारत रत्न देने लायक नहीं समझा, वह बाबा साहेब अंबेडकर जिनकी तस्वीर आपने केंद्रीय कक्ष में नहीं लगने दी और वह बाबा साहेब अंबेडकर जिनको किसने हराया, यह तो पूरा सदन जानता है, देश के करोड़ों नागरिक जानते हैं। हमारी सरकार की बाबा साहेब के प्रति यह आस्था है कि हमने अपने दस वर्षों के कार्यकाल में पंच तीर्थ विकसित करके दिखाए। आज आपके अंदर बाबा साहेब का नाम लेने की जो बेचैनी है, वह सिर्फ इसलिए है क्योंकि आप उस तरफ से इस तरफ आने के लिए व्याकुल हैं।

सभापति महोदय, मेरे विपक्ष के बहुत सारे साथियों ने जातीय जनगणना का मुद्दा उठाया। यह सत्य है कि जब सरकार के पास प्रामाणिक आंकड़े होंगे तो हाशिए पर पड़ी हुई जातियों पर केंद्रित योजनाएं, नीतियां और कार्यक्रम बनाने में मददगार साबित होंगे। जब मेरे कांग्रेस पार्टी के साथी और समाजवादी पार्टी के साथी जातीय जनगणना का विषय उठाते हैं, तो मुझे बड़ा अचरज होता है। एनडीए का एक अहम घटक जेडीयू है। उनकी सरकार के समय में, उनकी नीयत साफ थी, वे बिहार में इसे

कराना चाहते थे, उन्होंने जनगणना करा दी। यह मेरी समझ से परे है कि समाजवादी पार्टी के साथी यहां बैठे हुए हैं, आपने तो उत्तर प्रदेश में चार बार सत्ता संभाली, अगर आप जातीय जनगणना के इतने बड़े पक्षधर हैं, तो उत्तर प्रदेश में आपने जातीय जनगणना क्यों नहीं कराई?… (व्यवधान)

मैं समाजवादी पार्टी के अपने मित्रों से कहना चाहती हूं, छल, कपट, फरेब और झूठ की राजनीति की उम्र ज्यादा लंबी नहीं होती है। कांग्रेस पार्टी की भी सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, आप सहयोगी थे, आपने पांच दशक तक इस देश में राज किया, आज आपको कास्ट सेन्सस की याद आ रही है, जब आप कर सकते थे तब आपको याद क्यों नहीं आया?

माननीय सभापति: अब आप समाप्त कीजिए।

श्रीमती अनुप्रिया पटेल : सभापति महोदय, जब आपके हाथों में शक्ति थी, तब आपने कभी नहीं सोचा। पिछड़े, वंचित और दलितों की गिनती हो, इसका ख्याल आपको कभी नहीं आया, जब आप कर सकते थे, तब आपको इसका ख्याल नहीं आया, यही आपके दोहरे चरित्र को उजागर करता है।

HON. CHAIRPERSON: Please conclude.

श्रीमती अनुप्रिया पटेल : सभापति महोदय, मैं अभी बोलूंगी, अभी मैंने शुरू किया है। हमारे विपक्ष के साथियों के पास समय था। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दे सकते थे, आपने कुछ नहीं किया। 'नीट' आप लेकर आए थे, ओबीसी का कोटा लागू नहीं था, आप शांति से सुनिए। मैंने बहुत देर तक आपको सुना है।

माननीय सभापति: माननीय सदस्य, प्लीज अब समाप्त कीजिए।

श्रीमती अनुप्रिया पटेल: सभापति महोदय, यूपीए-II की सरकार को आप सपोर्ट कर रहे थे, पिछड़े व दलित की वकालत करते हैं। आपने क्यों नहीं बोला कि यूपीए की सरकार को, ओबीसी का आरक्षण लागू होना चाहिए। इन्होंने नहीं किया, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार ने कर दिया। सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय, केन्द्रीय विद्यालय में आपको किसी ने रोका था? आप क्यों नहीं पिछड़ों के लिए आरक्षण लेकर आए। रक्षा मंत्रालय समाजवादी पार्टी के पास था।

माननीय सभापति: माननीय सदस्य, प्लीज समाप्त कीजिए।

श्रीमती अनुप्रिया पटेल : सभापति महोदय, आप चूक गए, लेकिन हम नहीं चूके। हम इसलिए नहीं चूके क्योंकि सामाजिक न्याय हमारे दिल में है और आपकी जुबां पर है। जो दिल में होता है वह पूरा होता है और जो जुबां पर होता है वह पूरा नहीं होता है इसलिए पूरा नहीं हुआ। कल मैंने सुना था।

माननीय सभापति: एक मिनट में खत्म कीजिए।

श्रीमती अनुप्रिया पटेल : सभापति महोदय, प्रियंका जी ने कहा कि मोदी जी की सरकार को पर्याप्त नम्बर नहीं मिले इसलिए आरक्षण खत्म नहीं कर पाए। मैं जानना चाहती हूं कि आरक्षण खत्म करने की बात अमेरिका में जाकर बोलते हैं कि, उसका क्या है, यह भी बताना चाहिए। लेटरल इंट्री का भी विषय उठाया। देश यह जाने कि आखिर लेटरल इंट्री किसकी देन है, इसे कौन लेकर आया?

HON. CHAIRPERSON: Please conclude.

श्रीमती अनुप्रिया पटेल : सभापति महोदय, अगर मेरी जानकारी ठीक है तो वर्ष 2005 में यूपीए की सरकार में जब दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष सम्माननीय वीरप्पा मोइली जी थे, उस वक्त पहली बार लेटरल इंट्री की व्यवस्था को लागू किया गया। जब आप लेकर आए थे।

माननीय सभापति: माननीय सदस्यगण, जो माननीय सदस्य अपना भाषण लिखित रूप में देना चाहते हैं, वह सभा पटल पर दे सकते हैं।

सुश्री प्रणिती सुशीलकुमार शिंदे जी।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति: आप समय का ध्यान रखिए।

श्रीमती अनुप्रिया पटेल: सभापति महोदय, मैं सिर्फ इतना कह रही हूं कि लेटरल इंट्री की व्यवस्था कांग्रेस पार्टी लेकर आई, क्या उस वक्त कांग्रेस पार्टी ने आरक्षण के प्रावधानों की व्यवस्था की? अगर नहीं की तो क्यों नहीं की? अंत में इतना ही कहना चाहूंगी कि संविधान के अनुकूल भारत बनाना हम सभी की जिम्मेदारी है। संविधान महज कोई कानूनी दस्तावेज नहीं है, यह लोकतंत्र की आत्मा है। सरकार और नागरिक दोनों का कर्तव्य है कि हम अपने जीवन का इसे अमूल्य हिस्सा मानते हुए एक

समृद्ध, सशक्त, न्यायपूर्ण और शांतिपूर्ण समाज के निर्माण का प्रयास करें। धन्यवाद।

सुश्री प्रणिती सुशीलकुमार शिंदे (शोलापुर) : माननीय सभापति जी, आपने मुझे ऐतिहासिक दिन पर अपनी बात रखने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूं।

महोदय, मैं उस राज्य से हूं जहां संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम और संत रोहिदास जैसे अनेक संतों ने समाज को प्रेम और सदभावना दी। दूसरी तरफ शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज और शाहू महाराज जैसे शूरवीरों ने अपनी दूरदृष्टि से सामाजिक एकता और न्यायसंगत समाज प्रणाली की स्थापना की। मैं उस महाराष्ट्र की पुत्री हूं जहां महिलाओं के अधिकार सुनिश्चित करने हेतु अनेक आंदोलनों द्वारा महात्मा ज्योतिबा फूले, क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फूले जैसे समाज सुधारकों ने समाज को एक नई दिशा दी। मैं उस महाराष्ट्र की बेटी हूं जहां महान् सुपुत्र बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने इस देश को संविधान के रूप में एक सशक्त और न्यायसंगत लोकतांत्रिक मूलाधार प्रदान किया। लेकिन आज उसी महाराष्ट्र में बीजेपी सरकार की शपथ विधि के पांच दिन बाद उसी संविधान की प्रति की उपेक्षा की जाती है, मैं इस बात का निषेध करती हूं। परभणी जिले में संविधान की प्रति की उपेक्षा की गई। संविधान के हीरक महोत्सव के उपलक्ष्य में जब मुझे अपने विचार रखने का मौका मिला है तो मैं जरूर कहूंगी कि संविधान केवल एक किताब या नियमों की संगठित सूची नहीं है बल्कि मेरी जान है संविधान, मेरी पहचान है संविधान और इस देश की आत्मा है संविधान।

महोदय, आजादी के 50 सालों बाद तक तिरंगे और संविधान को न मानने वाले सत्ता पक्ष के लोग इस देश की उसी आत्मा को कमजोर और खोखला करने की साजिश कर रहे हैं। इसकी शुरूआत उसी दिन से हुई जिस दिन धर्मनिरपेक्षता, जो संविधान का एक मूलभूत आधार स्तम्भ है, को लेकर गाली या कलंक में रूपांतरित करने का प्रयत्न सत्ताधारियों द्वारा होने लगा है। सैक्युलरिज्म आज भी भारत देश की पहचान है जिसे सत्ताधारी पक्ष कमजोर कर रहा है या एक बीमारी साबित करने की होड़ में लग गया है। संविधान की किसी भी चर्चा या बहस को ये लोग सिर्फ इमरजेंसी पर ले जाते हैं और यह भूल जाते हैं कि स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी, जो हमारी पहली महिला प्रधान मंत्री थीं, ने उस वक्त के

हालातों के मद्देनजर संवैधानिक कदम उठाए और उस दौरान हुई गलतियों की माफी भी देश की जनता से मांगी। इतना ही नहीं, विरोधियों ने उन पर लगे इल्जामों को गठित कमेटी के माध्यम से बरी कर दिया था।

मैं आज इस सदन में मोदी सरकार से, सॉरी, 400 पार का नारा फेल होने के बाद एनडीए सरकार से पूछना चाहती हूं कि आप मणिपुर पर देश की जनता से माफी कब मांगेंगे? आप किसान आंदोलन में 700 से ज्यादा शहीद हुए किसानों के परिवारों से माफी कब मांगेंगे? नोटबंदी के चलते हजारों लोगों के परिवार और छोटे कारोबार बंद हुए, उसके लिए माफी कब मांगेंगे? हाथरस के लिए, उन्नाव के लिए, आप माफी कब मांगेंगे? आए दिन महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों के लिए काफी कब मांगेंगे? बदलापुर में मासूम बच्चों के ऊपर मॉलेस्टेशन हुआ, उसके लिए आप कब माफी मांगेंगे? जेल मैं बैठकर अपराधी मर्डर की प्लॉटिंग के लिए … *को संरक्षण दे रहे हैं, इसके लिए कब माफी मांगेंगे? खैर यह इनकी हिस्ट्री रही है या इनके डीएनए में है कि माफी सिर्फ खुद को बचाने के लिए अथॉरिटी में बैठे लोगों से ही मांगते हैं और आम जनता से ये माफी नहीं मांगते हैं।

महोदय, हमें सत्ताधारी पक्ष के संविधान पर दिए गए भाषण सुनकर हंसी आ रही थी और अचरज भी हो रहा था कि जो लोग इस देश में संविधान स्थापित होने के बाद हर पल संविधान को कोसते रहे हैं और हमेशा संविधान के विरोधी रहे हैं, उनको ही अब संविधान का गुणगान करते देख मन में प्रसन्नता हो रही है। मेरी संविधान के प्रति निष्ठा बढ़ रही है क्योंकि अब यह अहसास हो रहा है कि कितने ही … *के पहाड़ बना लो, सच के आगे आखिर झुकना ही पड़ता है।

महोदय, … *ने तिरंगे को माना नहीं था। उन्होंने कहा था कि 3 अंक अशुभ होता है। क्या ब्रह्मा, विष्णु और महेश अशुभ हैं? हम तीन रेखाएं माथे पर लगाते हैं, क्या वह अशुभ है? क्या त्रिशूल अशुभ है? वर्ष 1993 में … *ने अपने श्वेत पत्र में संविधान को कचरे का ढेर करार दिया था। क्या यह तिरंगे के खिलाफ नहीं हैं? … (व्यवधान) तत्कालीन … *ने उस समय संविधान को बदलने की मांग

---

* Not recorded as ordered by the chair.

की थी। ... (व्यवधान) ... * महिलाओं को हमेशा पुरुषों से कमजोर समझती है। ... (व्यवधान) यह अफसोस होता है कि ... *जी उनके ट्विटर हैंडल, फॉलो करते हैं जो महिलाओं को गंदी-गंदी गालियां देते हैं। ... (व्यवधान)

इस बात का आशय कहता है कि हमारे देश के प्रधान मंत्री ऐसा करते हैं। ... (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Hon. Member, please conclude.

सुश्री प्रणिती सुशीलकुमार शिंदे: दिनांक 26 जनवरी, 2001 को इन्होंने तिरंगा माना और इतने सालों बाद तिरंगे को नागपुर में होस्ट किया। ... (व्यवधान)

महोदय, वर्ष 2024 के लोक सभा इलेक्शन के बाद इन्हें एहसास हुआ कि यदि संविधान को ज्यादा छेड़ेंगे, तो सत्ता हाथ से निकल सकती है, इसीलिए अचानक से संविधान के प्रति इनका प्यार उमड़ने लगा। विशेष रूप से राजनाथ सिंह जी, जिनका मैं सम्मान करती हूं।

HON. CHAIRPERSON: Hon. Member, please conclude.

सुश्री प्रणिती सुशीलकुमार शिंदे: उन्होंने अपने बयान में जाने-अनजाने आजादी के बाद से वर्ष 2014 तक सभी कांग्रेस सरकारों को ऐसा सर्टिफिकेट दे दिया, जैसे कि उसे कोई झुठला नहीं सकता। उनके मुताबिक संविधान की बदौलत एक गरीब का बच्चा प्रधान मंत्री बना। ... (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Please conclude. You have been given seven minutes.

सुश्री प्रणिती सुशीलकुमार शिंदे: मैं आखिर में यही कहना चाहती हूं कि मैं भारत का संविधान हूं, लालकिले से बोल रहा हूं। मैंने तो समता सौंपी थी, तुमने फर्क व्यवस्था कर दी। मैंने न्याय व्यवस्था दी थी, तुमने नर्क व्यवस्था कर दी। "हर मंजिल थैली कर डाली, गंगा भी मैली कर डाली, आज अहिंसा वनवासी है, कायरता के घर दासी है। न्याय व्यवस्था भी रोती है।" धन्यवाद।

श्रीमती अपराजिता सारंगी (भुवनेश्वर) : धन्यवाद सभापति महोदय, मैं हिंदी की कुछ पंक्तियों के साथ

---

* Not recorded as ordered by the chair.

अपने वक्तव्य की प्रस्थापना करना चाहती हूं-

कोहिनूर का जनक हूं मैं, लोकतंत्र की चमक हूं मैं।
देवभूमि का दर्शन हूं, अर्पण और समर्पण हूं मैं।
हर धर्म का मैं प्रतिपादक हूं, मैं प्रथम ग्रंथ सम्पादक हूं।
आयुर्वेद का चरक हूं मैं, मां शकुंतला का भरत हूं मैं।
मैं चक्र सुदर्शन धारक हूं, मैं ही तो भारत हूं, मैं ही तो भारत हूं॥

Article 1 of the Constitution of India says, "India, that is Bharat, shall be a Union of States." Bharat, the name is full of sacred remembrances. Once we hear this name, once we pronounce this name, images and pictures of ancient glory, ancient tradition and ancient culture come to our mind. Vedas, Upanishads and Brahmanas have mentioned Bharat. Hiuen Tsang, the Chinese traveller who came to India during the reign of King Harsha Vardhan mentioned Bharat. The Vishnu Purana and the Brahma Purana mention Bharat. We fought the battle against the Britishers under the leadership of Mahatma Gandhi with one slogan: "भारत माता की जय" And that slogan continues till date. The Constitution of India rightfully starts with Bharat drawing upon the rich heritage and history of this glorious and great land of ours.

It is with immense pride that I stand before you today to talk about our Constitution. It is a testament to our nation's collective vision, ideals and dreams. It is definitely not a static document. It is not a legal framework which is static by nature. It is a living document, the very soul of our democracy encapsulating the aspirations of a free and diverse nation. Our Constitution, which I love to call our lighthouse, our beacon of stormy waters, is the outcome of tremendous effort of

the leaders who were Members of the Constituent Assembly chaired by Dr. B.R. Ambedkar whose name I take with a deep sense of reverence. It was the product of meticulous effort. A lot of work has gone into it. The work is spread over two years, 11 months and 18 days. The process began on December 9, 1946 and the Constituent Assembly adopted the Constitution, as we know, on November 26, 1949.

I bow down before all the framers of the Constitution. संविधान निर्माताओं के समक्ष हम सब आज नतमस्तक हैं।

My esteemed colleagues have been talking about different features of the Indian Constitution. Please allow me to take you to a different arena altogether as far as our Constitution is concerned. It is a document which has guided the world's largest democracy for full 75 years.

My dear friends, there is a general conception; a general feeling; and a general perception that it is a modern creation, and that it is a product of the struggles and aspirations of 20th century. Nothing can be far from the truth; it is definitely not so very modern.

Friends, the Indian Constitution is embedded into the ancient glory, the tradition, and the culture of our land, and that is why, we are so very proud of our Constitution. There are so many things to talk about our Constitution. Due to paucity of time, it does not seem possible to talk about it. We will definitely continue to discuss it. लेकिन, मैं दो बातें आप सबके समक्ष रखना चाहूंगी। I was deeply shocked today as a member of your family, and my esteemed colleagues will understand what I mean. आज हम सबने आदरणीय राहुल जी को सुना, लीडर ऑफ

ऑपोजिशन को सुना।

HON. CHAIRPERSON: Madam, please conclude.

श्रीमती अपराजिता सारंगी: सर, उन्होंने दो बातें कहीं, बहुत सारी बातें कहीं, full of sound and fury, signifying nothing. लेकिन दो बातें उभरकर आईं। एक अंडमान निकोबार आइलैंड्स के सेल्यूलर जेल में जो बहुत साल रहे और जिनके त्याग की वजह से हम सब महफूज हैं तथा आज इतने सकारात्मक माहौल में बातचीत कर रहे हैं, उनकी भर्त्सना की, उनकी निंदा की। महान स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर की निंदा की। मैं दूसरी बात बता दूं, मनुस्मृति हमारे संविधान का विकल्प होगा, ऐसा उन्होंने कहा।

मैं आप सबको एक पत्र दिखाना चाहती हूं। … (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Madam, please conclude now.

Thank you, hon. Member.

*__श्री अरुण कुमार सागर (शाहजहाँपुर) :__ यह हम सभी देशवासियों के लिए गर्व की बात है कि आज हम भारत के संविधान को अंगीकार करने की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। यह एक महत्वपूर्ण दिन है, जब हम अपने देश के संविधान की भावना को समझने और उसका पालन करने का संकल्प लेते हैं।

डॉ. भीमराव अम्बेडकर, जिन्हें हम बाबासाहेब के नाम से भी जानते हैं, ने हमारे संविधान के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने हमारे देश को एक मजबूत और न्यायपूर्ण संविधान दिया, जिसने हमें एक स्वतंत्र और समृद्ध राष्ट्र बनाने में मदद की। लेकिन दुर्भाग्य से, कुछ राजनीतिक दलों ने हमारे संविधान की भावना को समझने में विफल रहे हैं। देश के पुराने और रीजनल राजनैतिक दल हमारे संविधान की भावना को समझने में विफल रही है। उन्होंने हमारे देश को एक मजबूत और न्यायपूर्ण शासन देने के बजाय, अपने स्वार्थ और राजनीतिक हितों को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है।

---

* Speech was laid on the Table.

इन दलों ने हमारे देश को कई तरह की समस्याओं में डाल दिया है। जैसे कि भ्रष्टाचार, गरीबी और असमानता। इन पार्टी ने हमारे देश के संसाधनों का दुरुपयोग किया है और पार्टी ने हमारे देश के संसाधनों का दुरुपयोग किया है और अपने स्वार्थ के लिए काम किया है और आज इस पार्टी की यह स्थिति है कि यह एक परजीव पार्टी बन गई है।

अभी हाल ही में महाराष्ट्र राज्य के विधान सभा चुनाव के दौरान देश की एक पार्टी ने गठबंधन में अपने साथियों की नाव पूरी तरह से डुबा दी। महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे बताते हैं कि यह पार्टी खुद तो डूब ही गई, उसने दूसरों को भी डूबा दिया। महाराष्ट्र राज्य में यह पार्टी सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ी और उतनी ही बड़ी हार इनके सहयोगियों को मिली।

अभी हाल ही में हुए लोक सभा चुनाव के दौरान भी इन दलों ने भारतीय संविधान को एक प्रमुख मुद्दा बनाकर मतदाताओं को भ्रमित करने का प्रयास किया। लोकतंत्र में विपक्षी दलों की इस तरह की घिनौनी राजनीति उचित नहीं है।

भारतीय जनता पार्टी ने हमारे संविधान की भावना को समझने में सफलता प्राप्त की है। यह किसी से छिपा नहीं है कि भाजपा ने हमारे देश को एक मजबूत और न्यायपूर्ण शासन देने के लिए काम किया है और उन्होंने हमारे संविधान की भावना को समझने में सफलता प्राप्त की है। हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेन्द्र मोदी जी के केन्द्रीय नेतृत्व में भाजपा ने हमारे देश को एक नई दिशा दी है।

भाजपा के 10 साल के केन्द्रीय शासन में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे देश ने कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। हमारे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है और हमारे देश की विकास दर दुनिया में सबसे अधिक हो गई है। स्वच्छ भारत अभिया, जो कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में शुरू किया गया था, ने हमारे देश को एक स्वच्छ और स्वास्थ्यवर्धक वातावरण प्रदान करने में मदद की है।

आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने वर्ष 2015 में सरकार द्वारा 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया और हमें खुशी है कि तब से प्रत्येक वर्ष मनाए जा रहे संविधान दिवस के समारोहों से, हमारे युवाओं में, देश के बुनियादी दस्तावेज, यानी संविधान के विषय में जागरूकता बढ़ाने में मदद मिली है।

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के केन्द्रीय नेतृत्व में आज हम एक नई सोच के साथ भारत को विश्व-समुदाय में नई पहचान दिला रहे हैं। हमारे संविधान-निर्माताओं ने भारत को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का निर्देश दिया है। आज एक अग्रणी अर्थव्यवस्था होने के साथ-साथ हमारा देश विश्व-बंधु के रूप में यह भूमिका बखूबी निभा रहा है।

देश की आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर सभी देशवासियों ने आजादी का अमृत महोत्सव मनाया और आगामी 26 जनवरी को हम अपने गणतंत्र की 75वीं वर्षगांठ मनाएंगे। इस तरह के समारोह में हमें अब तक की यात्रा का अवलोकन करने और आगे की यात्रा की बेहतर योजना बनाने के अवसर प्रदान करते हैं।

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के विगत 10 वर्षों के कार्यकाल के दौरान, हमारी लोकप्रिय सरकार ने समाज के सभी वर्गों, विशेषकर कमजोर वर्गों के लोगों के विकास के लिए अनेक कल्याणकारी कदम उठाए हैं। ऐसे निर्णयों से लोगों का जीवन बेहतर हुआ है तथा उन्हें प्रगति के नए अवसर मिल रहे हैं।

आज, हमें अपने संविधान की भावना को समझने और उसका पालन करने की आवश्यकता है। हमें अपने देश को एक मजबूत और न्यायपूर्ण राष्ट्र बनाने के लिए काम करना होगा और हमें अपने संविधान की भावना को समझने में सफलता प्राप्त करनी होगी।

इसलिए सभी विपक्षी दलों को संविधान की भावना को समझने और उसका पालन करने का संकल्प लेना चाहिए और सभी के साथ मिलकर देश को एक मजबूत और न्यायपूर्ण राष्ट्र बनाने के लिए काम करना चाहिए। तभी हम अपने संविधान की भावना को समझने में सफलता प्राप्त करके अपने देश को एक उज्ज्वल भविष्य की ओर ले जा सकेंगे।

*श्री नारायणदास अहिरवार (जालौन) : संविधान मसौदा कमेटी के अध्यक्ष के रूप में डॉ. भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान सभा के अंतिम सत्र में कहा था कि मैं संविधान की अच्छाइयों और खूबियों में नहीं जाऊंगा। कोई संविधान कितना ही अच्छा क्यों न हों, उसका खराब संविधान सिद्ध होना निश्चित है, यदि उसको लागू करने वाले लोग ही खराब निकलें । उनको आशंका थी कि जातियों और सम्प्रदायों के रूप में हमारे पुराने शत्रु तो पहले से ही मौजूद थे उनके अलावा अब हम परस्पर धुर विरोधी राजनीतिक उद्देश्यों एवं विचार धाराओं को लेकर चलने वाली अनेक अलग-अलग राजनीतिक पार्टियां भी अपने यहाँ रखने जा रहे हैं। क्या भारतीय जनता अपनी विचार धाराओं के मुकाबले देश को बड़ा मान कर चल पायेंगे या फिर देश को अधिक महत्व देने के बजाय अपनी आस्थाओं और विचार धाराओं को ही अधिक महत्व देंगें? आज हम डॉ. अम्बेडकर की आशंकाओं के विपरीत जनता का दुरुंपयोग कर हिन्दू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं। यह संविधान विरोधी विचार धारा है। आज हमारे समक्ष और बड़ी मुसीबत चुनौती हुई है। वह यह है कि भारत की एक अरब पैंतालिस करोड़ की आबादी आर्थिक रूप से विफलता की जीवनयापन कर रही है। भारत में मुट्ठी भर लोगों के पास अकूत संपत्ति बढती चली जा रही है। देश की बड़ी संख्या में आबादी आर्थिक विफलता से जूझ रही है। संविधान निर्माताओं को अशंका थी कि क्या आजाद भारत इस आर्थिक असमानता की खाई को समाप्त कर देश में समानता ला सकेगा । मौजूदा देश की आर्थिक स्थिति और भी विकराल रूप धारण करती चली जा रही है। इस सत्य को हमें स्वीकार कर देश हित में आर्थिक विफलता मिटाने का प्रयास करना होगा ।

जहाँ तक भारतीय सामाजिक असमानता का सवाल है। उस स्थिति पर भी संविधान निर्माता चिन्तित थे। डॉ० अम्बेडकर ने 25 नवम्बर 1949 को संविधान सभा के अंतिम वाचन में कहा था कि हम हजारों जातियों में बंटे विखंडित लोग एक राष्ट्र कैसे हो सकते है? ऐसी स्थिति में हम बहुत बडे मुगालते में हैं कि हम एक राष्ट्र हैं। जातियां ही है जो सामाजिक जीवन में अलगाव और भेदभाव पैदा

* Speech was laid on the Table.

करती हैं। यह जातियां इस कारण से सरासर देशद्रोही सिद्ध होती है। इन्हीं के कारण परस्पर नफरत, घृणा और विद्वेष फैलती है। आजाद भारत में इस बीमारी को जातिवादियों ने और अधिक फैलाया है। आरक्षण की कल्पना इसी बात का प्रमाण है। देशहित में सरकार को इन मुद्दों पर विचार करना चाहिए।

***SHRI K. RADHAKRISHNAN (ALATHUR):** Thank you for allowing me to express my views regarding the discussion of Constitution. As we commemorate the 75^{th} anniversary of the adoption of the Indian Constitution, it is a moment of pride and reflection. This Constitution, envisioned by Dr. B.R. Ambedkar and the members of the Constituent Assembly, is the cornerstone of our democracy and the protector of our freedoms. I want to quote the name of sole Communist Member Comrade Somnath Lahri. He had forwarded the idea of Privacy as fundamental right in the Constitution Assembly in 1947, but it was not considered at that time. After seven decades in 2017, in the Aadhaar case, the hon. Supreme Court has proclaimed that Privacy is our Fundamental Right. However, this occasion also demands introspection, especially in the context of the challenges our democracy and Constitutional principles face today.

The Constitution enshrines justice, liberty, equality, and fraternity as its guiding principles. It emphasizes inclusivity, social justice, and the protection of marginalized communities. We have many examples of misuse of the Constitution. In 1957, in Kerala EMS, the Government was elected and it was the first balloted communist Government in the country. On July 31, 1959 the State Government was dismissed by using under Article 356 by the Central

---

* Speech was laid on the Table

Government. This marked one of the first instances of Central intervention in a State using Article 356. Later the decision taken by the Central Government showed that it was wrong. I cannot also support the declaration of Emergency period in 1975. Now, the country is also going through an undeclared emergency. The strategy that had adopted by the British, 'Divide and Rule', is also done by this Government.

Now, under the current Government, many of these ideals appear under threat. We see growing instances where democratic institutions, meant to act as checks and balances, are being weakened. Institutions like the Judiciary, the Election Commission, and even Parliament itself have come under unprecedented pressure. The autonomy of these institutions, vital for upholding the Constitution, is being eroded. The frequent use of Ordinances, bypassing Parliamentary scrutiny, undermines the spirit of democracy.

The Constitution guarantees freedom of expression, yet dissent is increasingly criminalized. Voices that challenge the Government are silenced, whether through sedition charges, media suppression, or the misuse of investigative agencies. This goes against the Constitutional promise of a democracy where every citizen has the right to express their views without fear.

Social justice, one of the pillars of our Constitution, is being sidelined. Despite claims of "Sabka Saath, Sabka Vikas," caste and communal violence have seen a disturbing rise. The rights and dignity of Scheduled Castes, Scheduled Tribes, and minorities are often under attack. The Government's failure to address these issues and its tactic support of divisive narratives is a betrayal

of our Constitutional values.Economic policies have also widened inequalities, contradicting the Constitution's commitment to social and economic justice. As we are saying that, India now became an economic power in Global Hunger Index, India is ranked 106 out of 122 countries. In Happiness Index India’s ranking is 126th out of 143 countries, and in many other indexes malnutrition and in poverty, India is far behind. According to the NCRB reports, atrocities against women, Minorities, dalits and advasis are increasing in the country. Even though the reservation given to the SC and ST does not come to the mainstream till now, at the same time, the Government is planning to stop the reservation. It is against the Constitution. While the wealthy thrive, marginalized communities struggle for access to basic rights like education, healthcare, and livelihoods. The lack of genuine affirmative action and the privatization of public institutions further deepened these divides. The Government is encouraging the privatization of all the PSU's in the country. This Government's approach raises fundamental questions about its commitment to the Constitution. The principles enshrined in our founding document are not mere words but a roadmap for governance. Any deviation from these principles is a disservice to the people of India and an affront to the sacrifices of those who fought for our democracy. On this 75th anniversary, let us remind ourselves and the Government that upholding the Constitution is not optional but it is mandatory. Now the opposition is fighting for the values it represents, to protect the democracy, and to ensure that no Government, regardless of its majority, can erode the foundations of our republic.

*__SHRI KRISHNA PRASAD TENNETI (BAPATLA):__ On this august occasion, I am grateful for providing me the opportunity to express my views about the rich democratic traditions of India and the role the constitution has played as a beacon of liberty and equality.

First of all, I would like to extend my heartfelt respect to the chief framer of the Indian constitution, the chairperson of the Drafting Committee, Dr. B.R Ambedkar. His vision, foresight, and commitment towards framing the document which is a reflection of the history, struggles, and aspirations of millions of Indians has been and should be celebrated. As the Hon'ble Prime Minister has mentioned, India is the 'Mother of Democracy'. For the founding fathers, integrating the republican traditions of the Mahajanapadas. with a futuristic outlook was a herculean task which they successfully managed to do. We have managed to prove the naysayers wrong and how!

When India gained independence in 1947, British rule left the nation, crippled and rowed. 49% of the population was reeling in poverty. Education was failing with only 12% Indians literate. The health condition of the nation was poor and infant mortality rate was high with nearly 200 deaths per thousand live births. So poor was the state of India at the time of independence. It is under these difficult situations, the drafting committee under the chairmanship of Dr BR Ambedkar was constituted to undertake the ardent task of drafting the constitution which would go on to shape the future of the nation perennially, particularly for

---

* Speech was laid on the Table.

the starving, poor, and small nutrition and unhealthy millions of Indians. It is a vision of Dr BR Ambedkar that has provided that constitution to the nation that has made everyone equal before law, women and men, rich and poor, kings and slaves, upper caste and lower caste - everybody got the same voting right, the same treatment and equality before law.

Education is a great leveler, the key to human resource development and sustained growth of any nation. At the cusp of independence, India's literacy hovered around 12% a result of centuries of colonial slavery and depredations. Armed with the enabling provisions of the Constitution, the literacy rate at present is over 74%. Article 21A empowers the children of this country with free and compulsory education between the age of six and fourteen years leading to a saturation of gross enrolment at the primary level.

The Constitution was enacted with the vision of empowering all Indians to lead full and prosperous lives, a significant part of which is the right to a healthy life. Article 21 which guarantees right to life and personal liberty to individuals has been interpreted by the Supreme Court to include access to healthcare as part of a dignified life. India has traversed a long path since independence with its average life expectancy rising from 32 years to stand at 70 years.

The infant mortality rate (IMR) which was high at 160 deaths per 1000 live births in the 1960s has dropped to 28 deaths per 1000 live birtgs as of 2023 , demonstrating significant improvements.

Under the leadership of Hon'ble PM Modiji, India has also established itself as a global powerhouse in healthcare production, supplying 20% of the world's generic medicines and 60% of vaccines. During the COVID-19 pandemic, India administered over 2.2 billion vaccine doses by 2022, this leadership underscores its robust pharmaceutical and biotech industries, reinforcing its position as the 'Pharmacy of the world'.

India has come a long way in developing its MSME sector, evolving from traditional cottage industries to a vibrant ecosystem of over 63 million enterprises, driving innovation, employment, and economic growth. But this growth is not incidental-it was a result of a vision. The Modi government, recognizing the sector's potential, introduced policies, initiatives stand up India, startup India and the 'Atmanirbhar Bharat Abhiyaan' have played a key role in promoting business and local manufacturing in the country, giving special thrust to MSMES.

The start-up ecosystem has witnessed tremendous growth due to the conducive policies of the government. India's start-up ecosystem is the third largest in the world and witnessing a consistent 15% year-on-year growth adding value to the economy in a sustained and positive manner. The MSME sector in India has reported total employment of 20.55 crore through registrations on the Udyam Portal.

However, I would also like to point out that India should have begun its skilling programs at least two decades ago. In the absence of that, we stand the real threat of falling into a middle-income trap. To remedy the same, I urged the government in a recent intervention to set up a World-class Skill Development

Centre in every block of India to train the youth in at least one market-oriented and demand-driven skill by 2030 so as to achieve the goal of Viksit Bharat by 2047 and position India as a Vishwabandhu.

At the end, I would like to quote Dr. B.R Ambedkar, "The third thing we must do is not to be content with mere political democracy. We must make our political democracy a social democracy as well."

At the time of independence, the western media described India as a land of snakes and snake charmers. Armed with the strength of the constitution of India, drafted by the committee chaired by Dr BR Ambedkar, that same country described as a country of snakes and snake charmers has today, under the leadership of our beloved Prime Minister Shri Narendra Modi, skyrocketed from the 11th position globally to the fifth position on the economic front. The writing is on the wall, that India is marching to be the third largest economy of the world. So strong is the Constitution of India drafted by Dr B.R. Ambedkar and the Drafting Committee. However, we are looking forward towards that day when every Indian is above poverty no one SHD be left behind and when every household is living with human dignity, nobody is left behind, every in girl child is safe and finds a place in the economic growth of the country no one should be left behind. I have all the confidence and conviction that India will be the largest economy in the world by 2047.

Jai Hind

Jai Bharat

Jai Viksit Bharat

*[*] **DR. RANI SRIKUMAR (TENKASI):** Today, as we celebrate Constitution Day, we are reminded of the profound vision of our founding fathers. The Constitution is not just a document; it is a living testament to our commitment to justice, liberty, equality, and fraternity. It is our shared responsibility to ensure these ideals are upheld, not just in words, but in action.

On this 75th Constitution Day Debate, I want us all to return to the Preamble. The Preamble, also adopted on the day of adoption of Constitution, was drafted at the end. It is not just a prelude; it is the essence of the values that are enshrined in the Constitution.

Today, however, as we reflect upon these principles, we must ask a sobering question: Are these ideals still alive in the India we live in? Under the BJP Government, they are not only under threat but are being systematically dismantled.

The first assault by this Government is on our sovereignty. The Constitution declares India as a Sovereign state, implying freedom from external and internal domination. Yet, under the BJP, sovereignty has been compromised by corporate control. India's sovereignty is now at risk, not from foreign invaders but from domestic oligarchs empowered by the Government.

The next idea that has been assaulted the most is Socialism. The Preamble envisions India as a Socialist republic, committed to equitable distribution of resources and opportunities. However, the BJP's policies have done the opposite.

* Speech was laid on the Table.

According to the Oxfam Inequality Report 2024, the richest 1 per cent of Indians own over 40 per cent of the nation's wealth, while the top 10 per cent owns 77 per cent but the bottom 50 per cent hold just 3 per cent. Economic disparity has never been starker.

The Government's aggressive privatization drive, targeting critical sectors like railways and healthcare, has deepened economic inequality, further marginalizing the poor while benefiting a wealthy few. This is not socialism; it is a direct assault on the poor, further entrenching inequality in our society.

Apart from these two ideals, there is an important ideal of our Constitution and which is also a basic feature of our Constitution that has been attacked the most in this past one decade. That is Secularism. India, founded on the constitutional principle of secularism, is witnessing its very foundation being dismantled as this Government brazenly weaponizes religion to polarize, oppress, and consolidate power.

In the name of religious restoration, the Government is fanning communal flames. The attempt to "unearth" temples beneath every mosque is not about heritage, it is about stoking religious divisions for political gain. Between 2017 and 2021, India recorded over 2,900 cases of communal or religious rioting, with 378 incidents in 2021 alone. The architect of our Constitution Dr. B.R. Ambedkar has said:

> "Political democracy cannot last unless it lies at the base of its social democracy."

And, for ensuring social democracy, the Preamble promises Justice social,

economic, and political. However, under the BJP, justice has been replaced by targeted vengeance. Bulldozer justice has become the norm in states like Uttar Pradesh, where under the guise of anti-encroachment drives, entire communities have been displaced. The bulldozer is no longer a tool for urban development; it has become a symbol of fear, intimidation, and state-sponsored persecution.

Even after the Supreme Court's Strong Order against the Bulldozer Justice, UP Government still used Bulldozer in Sambhal against the Minorities. Is this the respect you are giving to Supreme Court who is a Protector of our Constitution?

Even our national heroes wrestlers who brought glory to the nation— had to protest on the streets for months, seeking justice against powerful perpetrators, but to no avail so far in front of the powerful authoritarian might of the BJP.

Gandhi ji once said, "The voice of dissent is the essence of democracy." This Government is systematically erasing it. The CBI and ED are put to use not to root out corruption but to root out the opposition. The Constitution guarantees Liberty of thought, expression, belief, faith, and worship. Yet, under the BJP, liberty is under siege. Gandhi proclaimed, "Freedom is never dear at any price.". It is the breath of life." But in Modi's India, freedom is bartered for political convenience. Who knew that in a nation freed by satyagraha and nonviolent resistance, dissent would once again become a crime?

India's rank in the Press Freedom Index has fallen to 159 out of 180 countries, exposing the suppression of dissent and independent journalism. Draconian laws like UAPA are weaponized to silence activists, journalists, and students who question the Government. On the Happiness Index, India ranks 126

out of 143 countries, reflecting widespread discontent and a loss of individual freedoms. The Preamble guarantees Equality, but India under the BJP is a country of extremes. Caste-based discrimination remains rampant, with over 50,000 cases of atrocities against Dalits reported in 2022.

According to Oxfam, the richest Indian earns as much in a year as 550 million Indians combined. Meanwhile, women's labor force participation has fallen to 19 per cent, among the lowest in the world. I would like to remind the house about what Dr. B.R. Ambedkar had stated about women empowerment:

> "I measure the progress of a community by the degree of progress that women have achieved. "

The Preamble calls for Fraternity, assuring unity and brotherhood. Yet, this Government thrives on division.

In Manipur, ethnic violence has displaced over 60,000 people and claimed hundreds of lives, with no serious effort from the Government to restore peace. But our hon. Prime Minister could not take out time from his busy schedule of touring foreign countries and meeting bollywood stars to visit and show an ounce of sympathy towards the very people of our country. Hate campaigns and targeted propaganda against minorities are being organized regularly which have destroyed the social fabric among communities.

Dr. B.R. Ambedkar said:

> "However good a Constitution may be, if those who are implementing it are not good, it will prove to be bad. However bad a Constitution may be, if those implementing it are good, it will prove to be good."

The BJP has been hell bent on weakening the power of the legislature in the past one decade. There has been growing concern about the hasty formulation and passage of laws by the current Government, often bypassing thorough parliamentary scrutiny. 47 per cent of bills in the last 10 years were passed without any debate. One-third of Bills passed under an hour, record suspensions, lengthy interruptions. The Lower House held 274 sittings in five years, the fewest for a full-term Lok Sabha. 17th referred 16 per cent of Bills to standing committees for scrutiny, well below the 60 per cent and 71 per cent when UPA 1 and 2 Governments were in power. Criminal Code Bills passed in Lok Sabha without any substantial debate owing to the suspension of 143 Opposition members. Key legislations, including those on critical issues such as agriculture and labour, have faced criticism for inadequate consultation with stakeholders and limited debate in Parliament. This trend undermines the democratic process and weakens the spirit of deliberative lawmaking envisioned in the Constitution. Between 1952 and 1972, the House ran for between 128 and 132 days a year, according to parliamentary sources. In the last 10 years, it ran for 64 to 67 days a year on average. 20 bills passed in the monsoon session without debate. The imposition of ordinances, frequent use of the guillotine during budget sessions, and insufficient engagement with opposition voices highlight a shift towards unilateral decision-making, eroding trust in the legislative process.

During the discussion in the Constituent Assembly on the subject of Federalism Dr. Ambedkar defended the federal character of the Constitution by observing that:

> "It establishes a dual polity with the Union at the Centre and the States at the periphery each endowed with sovereign powers to be exercised in the field assigned to them respectively by the Constitution. The Union is not a League of States, united in a loose relationship, nor are the States the agencies of the Union deriving power from it."

The Constitution envisions a federal structure, where states and the Union Government should work in harmony. Yet, we see troubling signs of this balance being disrupted. Centralization of power delayed the disbursal of state funds, and unilateral policy decisions is eroding this partnership. And the recently proposed One nation One election bill is another attempt by this Government to undermine the federal features of our Constitution.

I would also like to remind this house of the women representation in the Constituent assembly where 15 women represented the women's perspective and contributed valuable inputs to the Constitution. I would also like to remember Dakshayani Velayudhan, the first and only Dalit woman in the Constituent Assembly. Hailing from a marginalized background, she has set an example for women to fight against all odds. These women had a vision for what India as a country should be, and on Constitution Day we must remember the extremely important role that they played in giving us the Constitution.

Tamil Nadu has always been at the forefront of upholding the principles of the Constitution. Our Leaders like Perarignar Anna, Kalaignar, our leader MK Stalin not only embraced its values but also worked tirelessly to bring social justice

to every corner of society. Our leader Kalaignar believed in the Constitution as a tool to uplift the oppressed and fought for federalism and state rights within its framework.

I would like to conclude with a quote by Dr B. R. Ambedkar:

"The Constitution is not a mere lawyer's document; it is a vehicle of
life, and its spirit is always the spirit of the age."

On this 75th Years of Constitution Debate, let us reaffirm our collective duty to the ideals enshrined in this sacred document. Let us remind ourselves that the Constitution is not just a legacy; it is a living responsibility.

*__DR. T. SUMATHY *ALIAS* THAMIZHACHI THANGAPANDIAN (CHENNAI SOUTH):__ Thank you for giving me the opportunity to participate in the discussions to mark the 75th Anniversary of the Adoption of the Constitution by the Constituent Assembly.

The Indian Constitution, the longest of any sovereign nation in the world, provides a comprehensive framework to guide and govern the country, keeping in view her social, cultural and religious diversity. There is an apprehension in the minds of the common people that the Modi BJP Government would tinker with the Constitution. The Union Home Minister and BJP leader Amit Shah has more than once dismissed the Opposition's claims that the BJP would amend the Constitution if it got a singular majority again in the Lok Sabha.

Much has changed in the last 75 years, but the Constitution of this country

---

* Speech was laid on the Table.

stands firmly guiding generations of people in the past, present and the generations yet to come. However, unfortunately, the solicitous and timeless values which it promises to guard have come under oppression from the ones chosen to protect and promote them by the electorate. This failure is not just a betrayal of our founding principles, but a dangerous erosion of the ideals that have guided India's progress since Independence.

The Constitution is a celebration of the diversity of this country and a voice for the underrepresented. It is appalling to witness the desecration of the secular values of the Constitution. Under this Government, communal clashes become frequent phenomenon. Places of worship have become points of contention and disruption rather than places of tranquility. The Government's sheer inability to prevent such occurrences undermines the spirit of the Constitution. Regressive narratives have gained ground, and the Government has done little to curb these threats. Instead, it has fostered a culture of political and social violence that stands in stark opposition to the principles of equality and fraternity enshrined in our Constitution. While Article 25 guarantees citizens the freedom of conscience and the right to freely profess, practice, and propagate religion, it is threatened by divisive ideologies that seek to impose majoritarianism over pluralism. Can we claim to respect Article 25 when members of minority communities live in fear, their places of worship are under attack? This Government has sowed seeds of communalism, and recent violence in Sambhal is one of the many fruits that have emerged.

The Contents of the Preamble is disturbing the minds of the most BJP

leaders and their main agenda to change the contents of the Preamble. The term "Secular" seems to have created a sense of intolerance in the minds of the BJP people. Their single most agenda is to be against the interests of minority communities especially the Muslims and the Christians in India. The Preamble of the constitution is proved to be the stumbling block and stand powerful as unbreakable wall to fulfill their ambitious and nefarious dream of 'Hindu Rashtra'.

The importance of the Preamble in the following words: "The Preamble is the most precious part of the Constitution. It is the soul of the Constitution. It is a key to the Constitution. It is a jewel set in the Constitution.” The present Government has somehow wanted to recast the Preamble to satisfy their whims and fancies. The Drafting Committee was formed under the chairmanship of Dr. B.R. Ambedkar by the Constituent Assembly on 29th August, 1947. Shri S.N. Mukherjee was the Chief Draftsman of the Constitution in the Constituent Assembly. Dr. Sachidanand Sinha was the first President of the Constituent Assembly. Later, Dr. Rajendra Prasad was elected its President. Dr. B.R. Ambedkar, the Chairman of its Drafting Committee, is considered the chief architect of the Indian Constitution which provides a comprehensive and dynamic framework to guide and govern the country, keeping in view her unique social, cultural and religious diversity. Constitution is the mother of all other laws of the country. Every law enacted by the Government has to be in conformity with the Constitution. Unfortunately most of the Bills brought and passed by this Government from 2014 are against the guiding principles of our very own Constitution. The Preamble to the Constitution declares India to be a Sovereign,

Socialist, Secular, Democratic Republic and a welfare State committed to secure justice, liberty and equality for the people and for promoting fraternity, dignity of the individual and unity and integrity of the nation. The objectives specified in the Preamble constitute the basic structure of the Indian Constitution which cannot be amended. The opening and last sentences of the Preamble: "We, the people... adopt, enact and give to ourselves this Constitution" signifies the power is ultimately vested in the hands of the people

Constitution of India is the most effective and distinctive document with many extraordinary features. The original text of the Constitution contained 395 Articles in 22 Parts and eight Schedules. It came into effect on January 26, 1950, the day that India celebrates each year as the Republic Day. The number of Articles has since increased to 448 due to 100 plus amendments. The Constitution was framed by the Constituent Assembly of India, established by the Members of the Provincial Assemblies elected by the people of India.

It establishes the main organs Executive, Legislature and Judiciary, defining their powers, demarcating their responsibilities and regulating the inter-se relationship. It inter alia lays down the basic structure of governance and the relationship between the Government and the people. The rights and duties of citizens are also spelt out. The Constitution was applied to the State of Jammu and Kashmir with certain exceptions and modifications as provided in Article 370 and the Constitution (application to Jammu and Kashmir) Order, 1954. Abrogation of Article 370 by the present ruling dispensation is their attempt to trample with the Constitution of India.

Although Article 1 of the Constitution says India shall be a Union of States, the Constitution provides for a federal structure with clear division of powers between the Centre and the States, each empowered by the Constitution to enact and legislate within their sphere of activity. The Seventh Schedule contains three legislative Lists which enumerate Subjects of administration viz. Union, State and Concurrent Lists. The union Government enjoys exclusive power to legislate on the Subjects mentioned in the Union list. The State Governments have full authority to legislate on the Subjects of the State List. And both the Union Government and the States can legislate on the Subjects mentioned in the Concurrent List with the residuary powers vested in the Union Government. It is the main essence of our Constitution and acts like a centrifugal force that India is a cooperative federalism. This Government is trying hard to destroy the fabric of cooperative federalism. But for the stiff resistance from opposition parties this Government would have merrily carried their agenda of dismantling the cooperative federalism.

Judicial system is the only savior of Constitution. Even though the present Union Government trying to extend their tentacles over judicial system too. An impartial judiciary, independent of the legislature and the executive, is one of the main features of the Constitution. The Supreme Court of India is the highest court of the country and acts as guardian of the Constitution and serves as the final court of appeal. Each State has a High Court as its highest court. Under powers of judicial review, the Supreme Court and High Court can declare a law as unconstitutional or ultra vires if contravenes any provision of the Constitution. In

Modi era, unfortunately, there are some that are above the law. The freedom to speech and expression is met with nothing but invocation of draconian laws by this Government severely paralyzing our democracy. According to the Government itself, conviction rate under Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (UAPA) in 2020 was around 6 per cent. Nonetheless, it is still being used by this Government to suppress dissent, political opposition and rupture a healthy democracy which our Constitution makers had valorously fought for.

The three Farm Bills brought by the Union Government was the classic example of unconstitutional laws enacted by the present Government with their brute majority. This power of judicial review constitutes a middle path between the American judicial supremacy on one hand and British Parliamentary supremacy on the other. In order to ensure the impartiality of the judiciary, the judges are appointed by a process free of influence of the executive. The judges can only be removed by a rigorous process of impeachment to be approved by both the Houses of the Parliament. The Constitution vests many fundamental rights in citizens. These are (i) Right to Equality, (ii) Right to Freedom, (iii) Right against Exploitation, (iv) Right to Freedom of Religion, (v) Cultural and Educational Rights and (vi) right to Constitutional Remedies.

These rights are justiciable and an individual can move the Supreme Court or the High Courts if there is an encroachment on any of these rights.

Articles 15,16 and 17 prohibit discrimination and call for equality of opportunities. But in practice this is far from reality. As per 2021 National Crime Records Bureau (NCRB) data, crimes against Scheduled Castes and Scheduled

Tribes have only risen with the tally being led by BJP-ruled States. Additionally, this Government has been subverting the principles of social justice by promoting lateral hires in Government jobs even though SC/ ST representation at Secretary, Joint Secretary level in Centre stands at a mere 4 per cent and 4.9 per cent as of 2022. Such ill-thought measures are exacerbating the already skewed representation of Scheduled Castes and Tribes in public services. The Modi Government's obsession with vocational training in early learning years through the New Education Policy threatens to push several children belonging to underprivileged communities into their family occupations thus strengthening caste rigidities. The Tamil Nadu Government led by Thiru M. K. Stalin has vehemently opposed such initiatives which are averse to the principles of social justice. Tamil Nadu Government has also vehemently refuted to implement schemes such as the Vishwakarma Scheme which promote caste-based hereditary occupations. The Tamil Nadu Government unlike Modi Government is committed to abide by the Constitution's values for equality and social justice.

Another novel feature of the Constitution is that it contains a chapter on the directive principles of State policy, that are in the nature of directives to the Government to implement them for establishing social and economic democracy in the country. Though not justiciable, these principles are considered fundamental in the governance of the country. There are many autonomous institutions set up under the Constitution which perform a key role, such as, Election Commission (responsible for holding free and fair elections), Public Service Commission (responsible for selection to main Government services) and

an Auditor General (for independent audit of accounts of the Government and its agencies). Unfortunately, the present BJP Government has so far reasonably successful in twisting the arms of the Constitutional bodies to drive their agenda.

One of the mighty strengths of the Constitution is that it is a dynamic instrument that can evolve with time either by its interpretation or amendment. On paper, an amendment to the Constitution is a difficult affair, and normally needs, at least, two-thirds of the Lok Sabha and Rajya Sabha to pass it. However, the Constitution of India is one of the most frequently amended constitutions in the world. Sometimes for the good cause and sometimes for bad cause.

In any instance, Constitutional amendments or any amendments to the original Act should not be detrimental to the life and nature of the people or it should not be against the policies of the duly elected State governments. The fundamental duty of Parliament is to protect the Constitution from being tampered according to the whims and fancies of the ruling dispensation or their invisible bosses. The success of the Indian Constitution, for a country as diverse and complex as India, continues to intrigue, impress and inspire experts around the world.

The biggest problem of Union Government with landslide majority is that they tend to trample upon the existing laws and infringing on the State autonomy. State autonomy in India is the power of a State to make and carry out certain functions independently, without interference from the Central Government. Here are some laws that relate to State autonomy in India. There are several examples where the Union Government has showed scant respect to the State autonomy.

Infringement of State's fundamental rights enshrined in the constitution were often overlooked for reasons better known to them only. That is why people tend to fear of any Union Government with brute majority and feel it as a curse for our country.

There are several important points to be included and some of them are sensitive too. How the Union Government is passing bills without proper discussion which are against the interests of the State Governments especially like our Tamil Nadu. The bills like NEET, CAA Abrogation of Article 370, Farm Bills, Dam Safety Bill, GST Bills, Factories Amendment Bill and the list is big are termed draconian and unconstitutional. This is because the Bill in some parts breaches the core values enshrined in the constitution. Autonomy for State Governments, an age-old demand of DMK, has become the focal point of Indian politics, Concurrent List to State List. DMK attributes several reasons to explain why it thinks autonomy is an issue now.

States which do not have NDA Government are punished by blocking important legislative and administrative work at the cost of the welfare of the people of those States. Under Modi Government, cooperative federalism remains an elusive reality. Fiscal federalism is another aspect where this Government seems to be failing in ensuring fair treatment to all States. The Budget presented earlier this year by the hon. Finance Minister was at best, NDA Alliance Budget. After intense floods in Chennai last year that caused extensive damage to both life and property, no mention for relief of the same in the Union Budget highlights the discriminatory treatment by this Government. Despite many States struggling with finances owing to vertical fiscal imbalance, the Union Government's vertical

distribution to States of total tax receipts was only 32 per cent last fiscal year. This was substantially lower than the 41 per cent recommended by 15th Finance Commission. Moreover, according to the Finance Ministry, there has been a rise of 133 per cent in collection of undistributable cess and surcharges levied by the Union Government between 2017-18 and 2022-23. A clear instance of the Union restricting States of their fiscal autonomy. The introduction of NEET, UDAY scheme, one nation-one ration card scheme, smart city projects, and National Food Security Act are some areas where DMK perceives a conflict. These new schemes have brought State Governments across the country under the Centre's control in many ways, charge Opposition parties. For instance, Smart City project brought infrastructure improvement works in cities across the country under the Centre's ambit. The State Government is not subservient to the Central Government. The duly elected Governments at the States are able to execute the projects envisaged for the development of the State. There is no bigger law than People's good wish.

Anti-Hindi agitations of 1965 became the focal point of Centre-State relations. DMK has a history of being a vociferous and vehement opposition to Union Government when things go wrong against the people of Tamil Nadu. But if the Centre is governed by pro-State policies and work on common minimum agenda, we have no hesitation in adopting the policy of cooperative federalism. which means, "autonomy to the State, federalism at the Centre."

In 1969, P V Rajammanar Committee was constituted to examine whether the Constitution was truly federal and to suggest amendments so as to secure

utmost autonomy to the States. The Committee which submitted its report in 1971 recommended constitution of inter-State council and suggested that Union Government should not enact new laws that affect one or more States without consulting with the Inter-State Council. It also suggested abolition of all India Services such as IAS, IPS and IFS and several others. However, the Union Government rejected the Committee report. In 1974, DMK presented a White Paper in Assembly and passed Resolution seeking autonomy. That means, we shall raise our voice for our rights; we shall extend our hand for friendship to the National Interest. When it comes to National interest, DMK stand second to none. When it comes to save State rights, our DMK is first to raise the voice for the rights of the States. It is because of 50 years of Dravidian ideology, several States in the country are enjoying the federal bowers enshrined in the Constitution. In 1983, the Central Government constituted Sarkaria Commission to study the Centre and State relations. Although the Commission's recommendations were not made public, it reportedly suggested maintaining status quo in all matters related to legislative powers of Assemblies and Parliament, appointment of Governors and Article 356

In 2000, the National Commission to Review the Working of the Constitution was constituted under chairmanship of the Justice M. N. Venkatachaliah. The Committee recommended constitution of statutory body called Inter-State Trade and Commerce Commission for consultations on matters between the State and the Centre. It also suggested that the Governor should be appointed by a committee comprising the Chief Minister of the State concerned.

In 2007, UPA Government constituted Justice M. M. Punchhi Commission to study the relative roles and responsibilities of various levels of Government and their inter-relations. This Commission had submitted its report in 2010. The Committee recommended mechanism on enacting laws on the subjects listed in the Concurrent Lists. It stated that the Centre consults States before introducing a Bill on the Concurrent List items. It also suggested consultation though Inter-State council.

Article 263 of the Constitution provides for the establishment of an Inter-State Council, which is a platform for all States and the Union Government to discuss subjects in which they have common interests.

The idea is to bring the States and Union onto a common platform to iron out differences that may have arisen between the States and the Union or between States. Therefore, Inter-State Council is a key tool to strengthen co-operation and federal relations among States and between the States and the Union. A permanent Inter-State Council was established vide Presidential Order dated 28.05.1990 and Clause 5 of the Order mandates that Inter State Council meetings shall be conducted thrice a year.

Inter-State Council was first set up in 1990 through a Presidential ordinance following the Sarkaria Commission's recommendations. While it is intended to meet regularly, the Inter State Council has convened only 11 times over 26 years, But over the last eight years, this meeting was conducted only once, that is, on 16-7-2016 at New Delhi. Since the purpose of the Council is to strengthen, advance and support the spirit of co-operative federalism, I urge that the meetings

are organized regularly. The Council would provide a common platform for the Chief Ministers to put forth their views of the people of the State on the policies, legislations and actions of the Union Government. Further, it is suggested that every bill of national importance that is likely to affect one or more States should be placed before the Council before it is introduced into Parliament, and the views of the Council are also tabled before the Parliament at the time of introduction of such Bill. Without such a platform, there is no effective and interactive communication between the Union and States on issues of common Interest. We have seen instances where many Bills affecting the rights and interest of the States, are passed in Parliament without proper opportunity being given to the Opposition to debate its merits and voice the concern of the States. As a consequence, the views, concerns and constructive suggestions of the States are not properly heard or comprehended by the Union during the process of decision making for the Nation as a whole.

What could be settled amicably among the executive branches is often taken to the doorsteps of the judicial branch. Many a times, this leads to unpleasant and vexatious litigations involving States and Union, that are easily avoidable. The Union Government's persistence in revisiting National Judicial Appointments Commission (NJAC), despite its invalidation as unconstitutional, appears to be another attempt at excessive control to further encroach upon judicial autonomy, risking undue executive influence over appointments. This clearly violates Article 50 of the Indian Constitution mandating separation of the judiciary from the executive. Similarly, the Government's control over Election

Commission appointments undermines its independence, a key pillar of democracy. Such actions risk eroding public trust in the fairness of elections and further consolidating executive control over democratic institutions. As for the legislative wing, the entire nation has witnessed the gross violation of the anti-defection law mentioned in Schedule X of our Constitution by this Government in its unquenching thirst for horse trading of legislators in Maharashtra. Disregarding the mandate of the electorate is nothing but disrespect for the constitutional principles that run in the veins of this country.

Therefore, if the Council meets regularly, I am sure that it would serve as a bridge between the Union and the States and would be mutually beneficial to all its members.

Therefore, I urge the hon. Prime Minister, the Chairman of the Interstate Council, to organise three meetings of the Inter State Council every year and in the next Inter-State Council, table as agenda for discussion the aforesaid issues and thereby strengthen the spirit of co-operative federalism which is the backbone of our Constitutional framework.

There are four demands raised by States in their quest for greater autonomy that are as follows - Demand for separation of state and central power: Tamil Nadu, West Bengal and Punjab have demanded that more important powers should be assigned to the States. Financial autonomy: Some States have demanded for independent sources of revenue and greater control over resources.

Administrative autonomy: States have demanded that the centre should not

have control over the administrative machinery of the State. Cultural and Linguistic: Some States have demanded for autonomy on the basis of language and culture. While our constitution is a celebration of diversity, distinct communities and languages, this Government's vision is of imposition of single national identity based on a single culture language and attitude donned by few. The Modi Government's push to rename institutions, laws, and even the country's name in Sanskritized terms under the guise of decolonization risks alienating India's diverse linguistic and cultural communities. Such efforts face backlash for undermining India's federalism and multicultural identity, as enshrined in the Constitution This homogenizing agenda, rooted in exclusivist notions of a single cultural supremacy, clashes with the inclusive ethos of the Constitution and the national anthem, which celebrates India's pluralism. This irrational identity drive is furthered by the New Education Policy. This not only targets the revision of historical narratives but also aims to reshape the educational outlook fundamentally. The BJP's rhetoric of "foreign rule" is central to its advocacy for "Indianization," using it to critique colonial mindsets, stereotype certain communities, and promote what it frames as an indigenous education model." However, a truly "Indian" approach would recognize the diverse cultural and historical contributions of all as the Constitution makers wanted.

This Government has failed to bring the Constitution to the people in a meaningful way. While high ideals are proclaimed, there is little effort to ensure that citizens feel the protection of constitutional values in their daily interactions with the State. When governance is marred by corruption and inefficiency, people

grow indifferent to constitutional ideals - a dangerous path that leads to apathy and, ultimately, contempt for democratic principles.

Constitution of India is our holy book and must ensure the fundamental rights and core values enshrined are maintained, undisturbed and revered.

Thankyou

*__डॉ. आलोक कुमार सुमन (गोपालगंज) :__ मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे विश्व के सबसे बड़े संविधान पर अपनी बात रखने का मौका दिया। भारत की डेमोक्रेसी भी विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है और हम इसे Mother of Democracy भी कहते हैं। Democratic परंपरा सबसे पहले विश्व में बिहार से शुरू हुई। भगवान बुद्ध ने हमें Wisdom और Compassion का पाठ विश्व के प्रारंभिक गणतंत्र में बताए थे। भारत को स्वतंत्र हुए 75 साल हो चुके हैं और हम अगले वर्ष गणतंत्र दिवस की 75 वीं वर्षगाँठ मनाने जा रहे हैं। इतनी लंबी यात्रा में भारतीय संविधान का बहुत बड़ा योगदान रहा है।

भारतीय संविधान के मुख्य रचनाकार एवं Drafting Committee & Chairman Dr. Bhim Rao Ambedkar एक प्रसिद्ध विद्वान, महान समाज सुधारक और स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री थे। सामाजिक न्याय के कट्टर समर्थक के रूप में उन्होंने सुनिश्चित किया कि संविधान में समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के सिद्धांतों को बरकरार रखा जाए और हाशिए पर पड़े समुदाए पर के अधिकारों की रक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाए। इस सभा में धर्म चक्र प्रवर्तन अंकित है, जो भारतीय लोकतंत्र में जनता का अटूट विश्वास दिखाता है। जैसा कि हमने कहा कि बिहार की धरती विश्व के प्रथम लोकतंत्र की जननी रही है। भगवान बुद्ध ने अपने संघ के नियम निर्धारित किए थे। संविधान सभा के अंतिम भाषण में बाबा साहे डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने यह स्पष्ट किया था कि बौद्ध संघों के अनेक नियम आज की संसदीय प्रणाली में भी विद्यमान हैं।

भारत के संविधान की यह देन है कि 18वीं लोकसभा संसदीय चुनाव सफलतापूर्वक सम्पन्न

* Speech was laid on the Table.

हुआ। संविधान में समय-समय पर निर्वाचन का प्रावधान किया गया है, जिससे प्रतिनिधियों के एक समूह से दूसरे समूह को राजनीतिक शक्तियों का लोकतांत्रिक ढंग से अंतरण सुनिश्चित होता है। विगत वर्षों में, भारत में लोकतंत्र निःसंदेह और अधिक मज़बूत हुआ है। लोगों की अधिकाधिक भागदारी से लोकसभा के गठन के लिए 18 आम चुनाव और राज्य विधान मंडलों के गठन के लिए 300 से अधिक चुनाव हमारे लोकतंत्र की सफलता का प्रमाण हैं। यह संविधान की ही देन है कि लोकतंत्र में आम आदमी का ज्ञानोदय हुआ है, उनका कल्याण हुआ है और उन्हें बेहतर जीवन स्तर, सुख सुविधाएँ एवं गरिमामय जीवन मिला है।

पहला आम चुनाव वर्ष 1952 में हुआ, जिसमें 46% Voters ने वोट दिए और अठाहरवीं लोकसभा का चुनाव वर्ष 2024 में हुआ जिसमें 65.79% मतदाताओं ने मत का प्रयोग किया। भारत एक जीवंत लोकतंत्र है, इसकी यात्रा परिवर्तनकारी रही है। भारत ने विभाजन के बाद समाजिक न्याय में संतुलन बनाने में अहम काम किया है तथा आज भी सामाजिक न्याय को प्राथमिकता दे रहा है। संविधान की मूल प्रति में भगवान राम, माता सीता, भगवान हनुमान, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर और गुरु गोबिंद सिंह जी के चित्र अंकित हैं। यह इसलिए है कि हम मानवीय मूल्यों को समझें एवं सजग रहें। विगत 75 वर्षों में हमारे सामने अनेक चुनौतियाँ आईं, लेकिन इन चुनौतियों का संविधान ने समाधान किया।

वर्ष 1952 से लेकर अभी तक लगभग 3,500 Government Bills को लोकसभा में Introduce किया गया और लगभग 3,452 सरकारी विधेयक लोकसभा तथा राज्य सभा मिलाकर पास किए गए। वर्ष 1993 में संविधान में किए गए 73 वें और 74 वें संशोधन से ज़मीनी स्तर पर दबे कुचले एवं हमारी बहनों की भागीदारी लोकतंत्र में बढ़ी है। बिहार हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में महिलाओं को 50% Local Self Government में Reservation देने वाला पहला राज्य बना। अभी तक भारतीय संविधान में 106 बार Amendment किया जा चुका है।

बाबा साहेब डॉ० भीम राव अम्बेडकर ने कहा कि "राजनीतिक लोकतंत्र की रूपरेखा निर्धारित करना और यह निर्धारित करना कि हमारा आदर्श आर्थिक लोकतंत्र है और यह भी नियत करना है कि

जो भी सरकार सतारूढ़ हो, वह आर्थिक लोकतंत्र लाने के लिए प्रयासरत रहे " । देश का संविधान समाज के वंचित वर्गों की आवश्यकताओं के प्रति भी संवेदनशील है ।

हमारे संविधान में मुख्यतः Three Pillars of Democracy की बात की गई है । वे हैं Legislature, Executive and Judiciary, यह संविधान की ही देन है कि इन तीनों महत्वपूर्ण इकाइयों में टकराव नहीं हुआ है तथा ये एक-दूसरे के क्षेत्र में अतिक्रमण नहीं करते हैं । कभी-कभी मामूली से टकराव की स्थिति बनी, लेकिन संविधान Balance बना कर प्रगति की राह दिखाता रहा। हमारा संविधान वर्तमान और भविष्य का मार्गदर्शक है और देश के सामने आई अभी तक की सारी चुनौतियों का इसने सामना किया है । हमारे संविधान के Preamble पर अपनी बात रखते हुए संविधान सभा के सदस्य पंडित ठाकुरदास भार्गव ने कहा कि Preamble संविधान का सर्वाधिक मूल्यवान भाग है । यह संविधान की आत्मा है । यह संविधान की आधारशिला है । यह संविधान का अनमोल रतन है। यह एक ऐसा समुचित मानदंड है, जिससे संविधान के महत्व का मूल्यांकन किया जा सकता है ।

जनसंख्या की दृष्टि से आज भारत विश्व का सबसे बड़ा देश बन गया है । इसमें वास्तविक चुनौती भाषा धर्म, क्षेत्र, जाति, संस्कृति, नस्ल और अन्य कारकों के आधार पर लोगों की असंख्य पहचानों की रक्षा और संरक्षण संविधान के द्वारा ही संभव है । हमारी बाहु-दलीय प्रणाली से राजनीतिक क्षेत्र में लोगों की अधिकाधिक भागीदारी को बढ़ावा मिलता है ।

संसद सामाजिक बदलाव लाने का एक प्रभावी माध्यम है, जो लोगों को, उनके सपनों को सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक रूप से साकार करने में सहायता करने हेतु प्रयासरत है । इसके कारण आज समाजिक भेद-भाव काफी हद तक कम हुआ है । अंत में मैं यह बताना चाहूंगा कि संसद सदस्यों द्वारा लाए गए Private Bills का बहुत बड़ा योगदान रहा है । यह भारतीय संविधान की देन है कि अब तक 14 Private Members Bill दोनों सदनों में पास होकर कानून बन चुके हैं । यह संसद सदस्यों का ऐतिहासिक Contribution है । सबसे अंतिम Private Members Bill दोनों सदनों में वर्ष 1970 में पारित किया गया था । धन्यवाद ।

[*] **ADV. DEAN KURIAKOSE (IDUKKI):** At the outset, I would like to thank you for giving me an opportunity to take part in this discussion on 'Glorious Journey of 75 years of Indian Constitution'.

In 1938, Jawaharlal Nehru, on behalf of the INC, declared that 'the Constitution of free India must be framed, without outside interference, by a Constituent Assembly elected on the basis of the adult franchise.'.

The BJP always criticizes the role of Nehru and even in the last two days, they have only tried to diminish Pandit Nehru's role. I would like to stress the fact that despite personal and political differences that Prime Minister Nehru had with Ambedkar ji, it was his tolerance and acceptance of opposing views, and especially the individual brilliance of Ambedkar, that he was made the Chairman of the Constituent Assembly that was tasked with the drafting of the Constitution.

The chief features of the Indian Constitution are described below:

The first point is that of a strong federal system. The Constitution establishes a federal government system in India. All the expected features of a federal State such as two Government levels, division of power, supremacy and rigidity of the Constitution, written Constitution and bicameralism are present. But the Constitution also contains many features of a unitary form of Government such as single citizenship, strong Centre, single Constitution, flexibility of Constitution, all-India services, integrated judiciary, appointment of State Governor by the Centre, emergency provisions, and so on. In addition, the term 'federation' is not

---

[*] Speech was laid on the Table.

mentioned in the Constitution. Article 1 says India is a 'Union of States', implying that the Indian federation is not the result of an agreement by the States and that States do not have the right to secede from the federation.

However, what we are witnessing today is a direct attack on the federal nature of the Indian State. Time and again, we have seen legislations where the powers of the State Government are taken away and the Central Government is trampling on the rights of States. On non-BJP-ruled States, the Government takes special interest in backdoor governance through … *who try and run a parallel seat of governance through the respective … *.

The second point, is about the parliamentary form of Government. The parliamentary form, borrowed from the British system, is based on the principle of cooperation and coordination between the Legislature and the Executive. This form of Government is alternatively known as the Westminster model of Government. It is also called responsible Government and Cabinet Government. According to the Constitution, not only at the Centre, the parliamentary form is followed even in the States. In India, in the parliamentary form of governance, it is collective responsibility of the Executive to the Legislature.

However, can we currently say that the Executive has any sense of accountability to the Legislature? I do not think so. A simple fact-check of the hon. Prime Minister's presence in this House will reveal the fact that the hon. Prime Minister does not consider the Legislature, that is, this Parliament as a place

---

* Not recorded

where he needs to come and take part in discussions or listen to the voice of the Opposition in the best traditions of democracy.

The third main point the Constitution provides for is the independence of institutions. This leaves a lot to be desired. Ever since the PM has come to power, the independence of institutions has been subverted systematically and they have been made extensions of the political wing of the ruling party. The institutions, such as judiciary, media and other agencies, need to be given a free hand to take decisions independently. So, I hope the Government will try and change the manner in which they are trying to subvert the independence of the institutions.

Finally, the last point, is that the Constitution does not differentiate between people on the basis of religion, caste or other divide.

However, the BJP Government is systematically working to create differences in the country, especially among the communities in the country. The instances in UP are proof of it. The incidents in Manipur are also a testimony to the fact that the Government with double engines both at the Centre and the State have targeted the communities in the State against each other.

I hope that the Government realises its wrong actions and undertakes course correction so that the spirit of the Constitution is kept alive.

Thank you.

*__SHRI SAPTAGIRI SANKAR ULAKA (KORAPUT):__ Before I begin, I feel it is my duty to remind this Government of a grim reality – a stark reflection of the

---

* Speech was laid on the Table.

hardships faced by tribal communities. In Kandhamal, Odisha, three women, whose names this House should remember – Jita Majhi, Runu Majhi, and Ramita Majhi – tragically lost their lives to hunger. They had nothing to eat other than mango kernels. They did not even have a handful of rice to sustain themselves. This tragedy reminds me of the words of Jaipal Singh Munda: “If there is any group of Indian people that has been shabbily treated, it is the tribal people.” His words, spoken decades ago, resonate even today.

Where is the Public Distribution System (PDS)? Where is the hailed ration for 80 crore people? This is what we have done to the National Food Security Act. This is also due to the neglect of MGNREGA, which could have provided them the means to at least buy rice. Where is the District Mineral Foundation (DMF)? What development has it achieved? Those who mine our resources are getting richer, while the very people whose lands are being mined are dying of hunger.

The harsh reality for many tribal communities is that they rely on leaves, saps and starch to fill their bellies. Decades of displacement, poor infrastructure, and inadequate health and education systems have perpetuated poverty among tribal communities. The Government speaks of Antyodaya to Sarvodaya, yet the reality for many Adivasis is starkly different. Tribals are dying from eating mango kernels for lack of food, living without shelter, and enduring indignity.

Birsa Munda, whose legacy you seek to honour with photo ops and events, would not have stood silently before such conditions. If he were to witness this injustice, he would surely take up his bow and arrow once again, not against oppressors of the past, but to demand dignity and livelihood for his people today.

Our Constitution, a distilled version of the Geeta, Quran, Bible, Agamas, Pitakas and Gurugranth Sahib, is the most sacred of all texts in this democratic republic. It enshrines our rights and safeguards our identity. But what we see today is a systematic dilution of those constitutional safeguards, reversing much of the progress made since Independence.

I want to take this opportunity to highlight how this Government has systematically diluted the constitutional safeguards meant to protect us and has actively worked to strip away our say over the resources that rightfully belong to us. This is not an isolated issue but a coordinated attack on our rights, our livelihoods, and our identity.

The most fundamental attack is on our identity. This is not new. We have been fighting it for generations and will continue to fight it. Let me remind you of the various names we have been called. We were referred to as *asur*, *rakshas*, and *daitya*, imposing labels that distanced us from our humanity. Later, we were termed *jungli* or *asabhya*. Now, a new term has been coined – *vanvasi*, as popularized by Prime Minister, Narendra Modi ji. To call us *vanvasi*, a term that reduces our identity to mere forest-dwellers is deeply demeaning. Yet, amidst all these designations, no one asks us what we wish to be called. We are deeply integrated with nature which speaks of our humanity and dignity, qualities that you have consistently ignored.

Another attack is on our shelter and livelihood. The Forest Rights Act (FRA), 2006, brought by UPA was a historic legislation meant to empower tribals and ensure their rights over forest lands. Yet, this Government has systematically

undermined it. Instead of upholding its spirit, amendments have been introduced that weaken our claim to these lands and make it easier for corporations to exploit our resources. The FRA is being hollowed out, with bureaucratic hurdles ensuring that community forest rights remain unrecognized in large parts of the country. This Act, which was supposed to empower us, is now being weaponized against us, leaving us without the security of our ancestral lands.

Other constitutional provisions which were undermined are: The Provisions of the Panchayats (Extension to Scheduled Areas) Act (PESA) was another critical legislation meant to strengthen our autonomy and provide us with self-governance. It recognized the Gram Sabha's authority to make decisions on land, forests, and resources. Yet, PESA has suffered from deliberate neglect and poor implementation. State Governments, instead of framing robust rules to empower Gram Sabhas, have used it as a symbolic tool while decisions about our resources are made elsewhere, without consulting us. PESA, in practice, has been reduced to a mere formality, stripping us of any real power in determining the fate of our lands.

The DMF, which was hailed to provide funds for our development, building schools, hospitals, roads, and infrastructure to improve our lives has been used as per whims of bureaucrats with no say of tribals, and the funds being often diverted to projects that serve others, not us.

Article 19(5) allows the State to impose restrictions to protect tribal interests in Scheduled Areas but in reality, non-tribal encroachment and industrial projects often proceed without adequate consultation with tribal communities, leading to

displacement and cultural disintegration.

Article 23, intended to prohibit human trafficking and forced labour, remains inadequately enforced, leaving tribal communities vulnerable to exploitation. Bonded labour persists as a bitter reality in many parts of India. Tribal communities continue to face exploitation through bonded labour, trafficking, and displacement. Bonded labour is a bitter reality in Maharashtra's sugarcane belt. You go to Palghar and see it. You will find the same trend in Kerala where you will see many tribals from Odisha doing bonded labour. Weak enforcement of labour laws and failure to rehabilitate displaced tribes have made this constitutional protection ineffective. Large-scale industrial and mining projects often lead to forced migration without proper rehabilitation or alternative livelihoods.

Article 29, meant to protect the cultural and linguistic identity of tribal communities, remains largely unimplemented. Tribal languages are disappearing from educational curricula, and schools often teach tribal students to view their language, identity, and culture as inferior. Instead of fostering pride in their heritage, educational systems promote assimilation into the mainstream, erasing tribal distinctiveness.

In 2015, this Government attempted to amend the Land Acquisition Act, 2013, removing the mandatory consent of affected communities and bypassing social impact assessments for certain projects. Although the ordinance lapsed, the intent to strip tribals of their rights to their lands was evident. This also reflects the true intent of the Government towards tribals and underprivileged.

The privatization of coal and mineral blocks in tribal areas has caused displacement and loss of livelihoods, while commercialization of minor forest produce like tendu leaves and bamboo has eroded tribal control, favouring corporate interests.

The administration of Scheduled Areas, envisioned under Article 244 through autonomous councils for self-governance, remains largely non-implemented. Tribes Advisory Councils (TACs), mandated under the Fifth Schedule to advise State Governments on tribal welfare, have become symbolic, often inactive, under-resourced, and ineffective. Their recommendations are rarely implemented, leaving tribal welfare concerns unaddressed.

The Fifth Schedule’s goal of protecting tribal land and resources is consistently undermined by unchecked land acquisition for industrial and mining projects. These activities often proceed without tribal consent, leading to widespread displacement, loss of livelihoods, and exploitation, as constitutional safeguards are either poorly enforced or bypassed.

In Sixth Schedule areas like Tripura, Autonomous District Councils, designed to protect tribal interests, face similar challenges. Bureaucratic interference, inadequate funding, and political resistance have rendered these councils ineffective. Tribals are forced to engage in prolonged struggles to ensure their councils function as intended, as State Governments frequently erode their autonomy by withholding the full devolution of powers.

The Tribal Sub-Plan (TSP), aimed at allocating a proportionate share of development funds for tribal areas, also suffers from poor implementation. Funds

are often diverted to non-tribal projects, and the lack of transparency and accountability further diminishes its impact.

The Government's neglect of tribal welfare is evident in inadequate budgets for tribal schemes, unfilled reserved positions, and the closure of educational institutes in tribal areas. Few tribal teachers are employed, leaving schools devoid of motivation to promote tribal values.

The Draft EIA 2020 weakens public consultations, silencing tribal voices on projects threatening their lands and livelihoods. Large-scale development initiatives displace communities without proper compensation, while tribal lands are acquired for industries, bypassing constitutional safeguards. The NCST, meant to protect tribal rights, lacks autonomy and resources, rendering it ineffective amidst these growing injustices.

What we are witnessing is a systematic erosion of tribal rights, a prioritization of profits over people. The Constitution of India protects tribal autonomy, dignity, and welfare. Yet, today, those safeguards are being dismantled. These actions are not just administrative failures – they are deliberate moves to exclude us from decision-making processes. We, who have lived in harmony with nature and have sustainably managed these resources for generations, are now being pushed aside. The Government's policies have prioritized profit over people, reducing us to silent witnesses in the exploitation of our lands.

It is a betrayal of trust. It goes against the very essence of the constitutional protections meant to safeguard our rights. It denies us our identity, our dignity,

and our future. If we are to move forward as a just and equal society, this systemic marginalization must end. Our say in matters that affect our lives and our lands must be restored, and these safeguards must be strengthened, not diluted.

Development should not come at the cost of tribal survival. It is time to uphold the promises made to these communities. Let us remember: the lands, forests, and resources being exploited belong to the tribals. Their voices must be heard, their rights respected, and their lives valued.

It is imperative to define Adivasis under Article 366(25), ensuring that the inclusion of non-tribals as tribals for vote bank politics is unequivocally rejected. Furthermore, the long-overdue recommendations of the Xaxa Committee must be implemented without delay, as shelving them perpetuates injustice. Recognizing tribal spiritual practices is equally crucial, and the inclusion of a Sarna Code column in the Census is an urgent step toward this recognition. Finally, attempts to assimilate tribals into Hindutva ideology are misguided and will fail, as tribals deeply cherish their distinct identity, cultural heritage, and connection with nature.

*__श्री मनोज तिवारी (उत्तर-पूर्व दिल्ली) :__ आज का यह ऐतिहासिक अवसर हमारे लोकतंत्र के लिए गर्व का क्षण है। आज से 75 वर्ष पहले बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर और संविधान सभा के सदस्यों ने जो अमर दस्तावेज़ हमें सौंपा था, वह न केवल हमारे अधिकारों और कर्तव्यों का मार्गदर्शक है, बल्कि “एक भारत, श्रेष्ठ भारत” के विचार को साकार करने का आधार भी है। संविधान की विशेषता और इसका महत्व - संविधान ने हमें लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद और न्याय के सिद्धांत दिए। इसमें निहित मूल कर्तव्यों और अधिकारों के संतुलन ने भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र

---

* Speech was laid on the Table.

बनाया। यही संविधान है, जिसने हमें "हम भारत के लोग" के रूप में जोड़ा और जाति, धर्म, भाषा और क्षेत्र की दीवारों को तोड़कर सबको एक सूत्र में पिरोया ।

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों के साथ संविधान के उद्देश्यों का मेल - प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियां हमारे संविधान के उद्देश्यों के अनुरूप हैं। मोदी जी का "सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास" का मंत्र संविधान के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के सिद्धांत से प्रेरित है। उनके द्वारा चलाई गई प्रमुख कई योजनाएं हैं। प्रधान मंत्री जन धन योजना समाज के सबसे गरीब तबके को वित्तीय समावेशन से जोड़ना है। स्वच्छ भारत अभियान संविधान के अनुच्छेद 21 में निहित 'जीवन के अधिकार' की भावना को सशक्त करना। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ - संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) और अनुच्छेद 21 (जीवन का अधिकार) की रक्षा करना है। डिजिटल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान संविधान के अनुच्छेद 19 (अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता) और आर्थिक समानता के लक्ष्य को मजबूत करना। प्रधान मंत्री आवास योजना हर गरीब को छत प्रदान कर सामाजिक और आर्थिक न्याय का लक्ष्य हासिल करना है। संसदीय लोकतंत्र और संसद की गरिमा है। संविधान के अनुच्छेद 79 से 122 तक संसद की शक्तियों और प्रक्रियाओं का वर्णन किया गया है। संसद, जनता की इच्छाओं का प्रतीक है और यहां पर स्वस्थ बहस और संवाद के माध्यम से नीति-निर्माण होता है। प्रधान मंत्री मोदी जी ने बार-बार संसद की गरिमा को बनाए रखने की अपील की है और सांसदों को अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए प्रेरित किया है। संसद की कार्यवाही में अधिक उत्पादकता, अनुशासन और प्रभावी बहस को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने लगातार प्रयास किए हैं। संविधान के कर्तव्यों को निभाने की अपील है। माननीय प्रधान मंत्री ने बार-बार "कर्तव्य पथ" की ओर ध्यान आकर्षित किया है। संविधान में जितने अधिकार दिए गए हैं, उतने ही कर्तव्य भी बताए गए हैं। अगर हम अपने कर्तव्यों को निभाएं, तो देश का भविष्य उज्ज्वल होगा। प्रधान मंत्री मोदी ने "पंच प्राण" का आह्वान किया था, जिसमें दासता की मानसिकता छोड़ना, धरोहरों पर गर्व करना, विकसित भारत का लक्ष्य बनाना, एकता और एकजुटता बनाए रखना और कर्तव्य पालन की बात कही गई थी। ये पांच प्रण, संविधान के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।

नवीन भारत का सपना और संविधान का मार्गदर्शन है। आज 75 साल बाद, हम एक विकसित और आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ रहे हैं। मोदी जी की नीतियां, जैसे गति शक्ति योजना, मेक इन इंडिया, स्टार्ट-अप इंडिया, और ग्रीन एनर्जी मिशन, सभी संविधान की भावना के अनुरूप है। हर व्यक्ति को रोजगार, सम्मान और अवसर मिले यही संविधान का लक्ष्य है, यही प्रधान मंत्री मोदी जी की नीतियों का मूल उद्देश्य है।

अंत में, मैं यही कहना चाहूंगा कि हमारा संविधान केवल एक पुस्तक नहीं, बल्कि एक जीवंत दस्तावेज है। इसे 75 वर्ष पहले अपनाया गया था, लेकिन यह आज भी हमें हर चुनौती से लड़ने की शक्ति देता है। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, भारत आज नई ऊंचाइयों को छू रहा है। संविधान की शक्ति, कर्तव्यों का पालन और प्रधानमंत्री की नीतियों का सम्मिलन ही हमारे "विकसित भारत" का मार्ग प्रशस्त करेगा।

***डॉ. राजेश मिश्रा (सीधी) :** स्वतंत्रता के पश्चात अब तक तमाम सियासी जमात डॉ. बाबासाहेब भीमराव रामजी अम्बेडकर के नाम का राजनीतिक इस्तेमाल करती रही है। यह भी कोशिश होती रही है कि बाबासाहेब जैसे विशाल व्यक्तित्व को स्वामी को सिर्फ 'दलित' वर्ग के एक नायक के तौर पर स्थापित कर दिया जाए।

विशेषकर कांग्रेस पार्टी ने बाबासाहेब को उनके कद से नीचा दिखाने की हरदम कोशिश की है। साठ साल सत्ता में रहकर भी कांग्रेस ने बाबासाहेब को 'भारत रत्न' सम्मान नहीं दिया और उनसे पहले जवाहर लाल नेहरू और इंदिरा गांधी को भारत रत्न दे दिया। हालांकि 1990 में जब भाजपा समर्थित जनता दल की सरकार बनी तब उनके महापरिर्वाण के 34 वर्ष बाद इस सम्मान से प्रतिष्ठित किया गया।

दरअसल बाबासाहेब के नाम पर कांग्रेस पार्टी, वामपंथी दल समेत कई पार्टियां लगातार राजनीति तो करती रही हैं, लेकिन उनके विचारों और उनके दृष्टिकोण का कभी सम्मान नहीं किया है।

---

* Speech was laid on the Table.

इसके साथ ही उन्हें लगातार राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के विचारों का विरोधी बताया जाता रहा है, परन्तु क्या यही सत्य है?

विचारधारा के स्तर पर अगर देखें तो यह स्पष्ट है कि कई ऐसे महत्वपूर्ण विषय हैं जिनपर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और बाबासाहेब अम्बेडकर के समान विचार हैं।

डॉ अम्बेडकर ने अपनी पुस्तक 'थॉट्स ऑन पाकिस्तान' में कांग्रेस की मुस्लिम परस्त राजनीति की कड़े शब्दों में आलोचना की है। उन्होंने मुसलमानों के भारत में रहने पर सवाल उठाते हुए लिखा- क्या मुसलमानों की निष्ठा भारत के प्रति रह पाएगी? उनका मानना था कि मुसलमान ये सोचते हैं कि अंग्रेजों ने उनसे सत्ता छीनी थी, इसलिए सत्ता उन्हें वापस चाहिए। दरअसल बाबासाहेब को यह चिंता थी कि दुनिया भर में मुस्लिमों की जो सोच रही है अगर उसी सोच के तहत भारत के मुसलमानों का भी होगा तो आने वाला समय मुश्किल भरा होगा। उन्हें लगता था कि अगर भारतीय मुस्लिम अपने आपको देश की धरती से जोड़ नहीं सका और मुस्लिम साम्राज्य स्थापित करने के लिए विदेशी मुसलमान देशों की ओर सहायता के लिए देखने लगा, तो इस देश की स्वतंत्रता पुनः खतरे में पड़ जाएगी।

बाबासाहेब अम्बेडकर समान नागरिक संहिता के प्रबल समर्थक थे, लेकिन कांग्रेस इसका विरोध कर रही थी। उन्होंने संविधान सभा में कहा था, "मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि समान नागरिक संहिता का इतना विरोध क्यों हो रहा है? यह सवाल क्यों पूछा जा रहा है कि भारत जैसे देश के लिए समान नागरिक संहिता लागू करना संभव है?" उन्होंने कहा समान नागरिक संहिता एक ऐसा कानून होगा जो हर धर्म के लोगों के लिए समान होगा और उसका धर्म से कोई लेना- देना नहीं होगा। इस कानून में परिवार, विवाह, संपत्ति और मूलभूत नागरिक अधिकार के मामलों में बराबरी होगी। राज्य का यह कर्तव्य होगा कि वह लोगों के व्यक्तिगत अधिकार को सुनिश्चित करेगा और समुदाय के नाम पर उनका हनन नहीं होगा। द हिंदू में लिखे इस लेख से और भी स्पष्ट हो जाता है कि डॉ. अम्बेडकर की क्या सोच थी।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 जिसमें कश्मीर को कई विशेष अधिकार प्राप्त हैं उनके

खिलाफ बाबासाहेब ने काफी मुखर होकर अपने विचार रखे थे। उन्होंने अनुच्छेद 370 के बारे में शेख अब्दुल्ला को लिखे पत्र में कहा था, "आप चाहते हैं कि भारत जम्मू-कश्मीर की सीमा की सुरक्षा करे, यहां सड़कों का निर्माण करे, अनाज की सप्लाई करे साथ ही कश्मीर के लोगों को भारत के लोगों के समान अधिकार मिले। आप अपनी मांगों के बाद चाहते हैं कि भारत सरकार को कश्मीर में सीमित अधिकार ही मिलने चाहिए। ऐसे प्रस्ताव को भारत के साथ विश्वासघात होगा जिसे भारत का कानून मंत्री होने के नाते मैं कतई स्वीकार नहीं करूंगा।"

गौरतलब है कि जिस दिन यह अनुच्छेद बहस के लिए आया उस दिन बाबा साहब ने इस बहस में हिस्सा नहीं लिया ना ही उन्होंने इस अनुच्छेद से संबंधित किसी भी सवाल का जवाब दिया।

संघ और बाबासाहेब के बीच वैचारिक साम्य ये भी है कि दोनों अखंड राष्ट्रवाद के पक्षधर रहे। डॉ. आंबेडकर सम्पूर्ण वांग्मय के खंड 5 में लिखा है, "डॉ अम्बेडकर का दृढ़ मत था कि मैं हिंदुस्तान से प्रेम करता हूं। मैं जीऊंगा तो हिंदुस्तान के लिए और मरूंगा तो हिंदुस्तान के लिए। मेरे शरीर का प्रत्येक कण और मेरे जीवन का प्रत्येक क्षण हिंदुस्तान के काम आए, इसलिए मेरा जन्म हुआ है।"

25 नवम्बर 1949 को संविधान सभा में बोलते हुआ बाबासाहेब ने कहा था, "वामपंथी इसलिए इस संविधान को नहीं मानेंगे क्योंकि यह संसदीय लोकतंत्र के अनुरूप है और वामपंथी संसदीय लोकतंत्र को मानते नही हैं।" बाबा साहेब के इस एक वक्तव्य से यह जाहिर होता है कि बाबा साहेब जैसा लोकतांत्रिक समझ का व्यक्तित्व वामपंथियों के प्रति कितना विरोध रखता होगा!

बाबा साहेब का स्पष्ट मत था कि भारत धर्म निरपेक्ष राष्ट्र नहीं होगा, लेकिन कांग्रेस ने संविधान के मूल प्रस्तावना में ही संशोधन कर दिया है। इसमें कांग्रेस ने धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद और अखंडता शब्द को अलग से जोड़ दिया। आप संविधान के मूल प्रस्तावना को यहां देख सकते हैं।

प्रस्तावना का मूल - "हम भारत के लोग, भारत को एक सम्पूर्ण प्रभुत्व-सम्पन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के लिए तथा उस के समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिये, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता सुनिश्चित करने वाली बन्धुता बढ़ाने के

लिए दृढ़ संकल्प हो कर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर, 1949 ई. (मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी, संवत् दो हजार छह विक्रमी) को एतदद्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधि-नियमित और आत्मार्पित करते हैं।"

बाबा साहेब की जीवनी लिखने वाले सीबी खैरमोड़े ने बाबा साहेब के शब्दों को उद्धृत करते हुए लिखा है कि "मुझमें और सावरकर में इस प्रश्न पर न केवल सहमति है, बल्कि सहयोग भी है कि हिंदू समाज को एकजुट और संगठित किया जाए और हिंदुओं को अन्य मजहबों के आक्रमणों से आत्मरक्षा के लिए तैयार किया जाए।"

बाबासाहेब एक ओर जहां हिंदू समाज की बुराइयों पर चोट करते हैं वहीं वे हिंदुओं की एकजुटता का समर्थन करते हैं। महार मांग वतनदार सम्मेलन, सिन्नर (नासिक) में 16 अगस्त, 1941 को बोलते हुए बाबासाहेब कहते हैं, "मैं इन तमाम वर्षों में हिंदू समाज और इसकी अनेक बुराइयों पर तीखे एवं कटु हमले करता रहा हूं, लेकिन मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि अगर मेरी निष्ठा का उपयोग बहिष्कृत वर्गों को कुचलते के लिए किया जाता है तो मैं अंग्रेजों के खिलाफ हिंदुओं पर किए हमले की तुलना में सौ गुना तीखा, तीव्र एवं प्राणांतिक हमला करूंगा।"

हिन्दू समाज में जातिगत भेदभाव हुआ है और इसका उन्मूलन होना चाहिए इसको लेकर संघ भी सहमत है और बाबा साहेब भी जाति से मुक्त अविभाजित हिन्दू समाज की बात करते थे। 1942 ईसवी से ही संघ हिंदुओं में अंतरजातीय विवाह का पक्षधर रहा है और हिंदुओं की एकजुटता को लेकर प्रयासरत है। बाबासाहेब का भी मत यही था कि अस्पृश्यता दूर हो और शोषितों और वंचितों को समानता का अधिकार मिल जाए।

धर्म और संस्कृति मामले में भी संघ और बाबासाहेब के बीच वैचारिक साम्यता है। संघ भी धर्म को मानता है और बाबासाहेब भी धर्म को मानते थे। इसके साथ ही बाबा साहेब इस्लाम और इसाईयत को विदेशी धर्म मानते थे और संघ का विचार भी समान है। बाबासाहेब धर्म के बिना जीवन का अस्तित्व नहीं मानते थे, लेकिन धर्म भी उनको भारतीय संस्कृति के अनुकूल स्वीकार्य था। इसी कारण उन्होंने

ईसाइयों और इस्लाम के मौलवियों का आग्रह ठुकरा कर बौद्ध धर्म अपनाया क्योंकि बौद्ध भारत की संस्कृति से निकला एक धर्म है।

राजभाषा संस्कृत को बनाने को लेकर भी उनका मत स्पष्ट था। 10 सितंबर 1949 को डॉ बीवी केस्कर और नजीरुद्दीन अहमद के साथ मिलकर बाबासाहेब ने संस्कृत को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन वह पारित न हो सका। संस्कृत को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का विचार भी कुछ ऐसा ही है।

बाबासाहेब मानते थे कि आर्य भारतीय थे और आर्य किसी जाति का नाम नहीं था। उनका ये दृढ विश्वास था कि 'शूद्र' दरअसल क्षत्रिय थे और वे लोग भी आर्यों के समाज के ही अंग थे। उन्होंने इसी विषय पर एक पुस्तक लिखी थी- "शुद्र कौन थे"। बाबासाहेब ने इस धारणा का खंडन किया कि आर्य गोरी नस्ल के ही थे। ऋग्वेद, रामायण और महाभारत से उद्धरण देकर उन्होंने संसार को बताया कि आर्य सिर्फ गौर वर्ण के ही नहीं, बल्कि श्याम वर्ण के भी थे।

***SHRI NAVEEN JINDAL (KURUKSHETRA):** I am indeed privileged and honoured to express my views on celebrating the glorious journey of 75 years of the Constitution of India.

This most sacred document of the Republic was adopted by the Constituent Assembly on 26 November, 1949 -- a day, now reverently celebrated by us, as Samvidhan Divas. The journey of crafting the Constitution for the Republic, in fact, commenced with the Objectives Resolution moved on 13th December 1946 and culminated on the Samvidhan Divas of 1949 with its adoption by the Constituent Assembly.

The word Constitution is of French origin, which is generally used for

* Speech was laid on the Table.

regulation and orders. But our Constitution is more than a legal framework; it is the embodiment of the hopes and dreams of our people, a shining beacon of justice, equality, and fraternity that binds this diverse and vibrant nation together.

As Dr. Ambedkar, the architect of our Constitution very profoundly said, "Constitution is not a mere lawyers' document, it is a vehicle of Life, and its spirit is always the spirit of Age".

Hon. Speaker Sir, we owe a debt of gratitude to the visionaries of the Constituent Assembly who worked tirelessly to draft a document that reflects the spirit of India. Their vision was clear: to create a nation where justice reigns supreme, liberty is cherished and valued, and every individual, irrespective of caste, creed, or gender, enjoys equality and respect; and I am proud to state that our government, under the able leadership of hon. Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, has consistently demonstrated unwavering commitment to the Constitution. Our commitment to the Constitution is abundantly reflected in our various landmark policies and reforms aimed at empowering the marginalized.

Our Government, with single-minded focus on empowering citizens, through inclusivity, has through programs like the PM Awas Yojana, Ayushman Bharat, Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana, Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Yojana, Beti Bachao - Beti Padhao Yojana, or the expansion of scholarships for underprivileged students, ensured that the promises of equality and social justice enshrined in the Constitution are delivered to every citizen.

As envisioned in the Constitution and with the aim of strengthening democratic institutions, our government has been promoting transparency in

governance by leveraging technology to bring citizens closer to decision-making process. The Digital India Mission and MyGov platform have made governance participatory and inclusive. The trust between the government and the people has been strengthened like never before. In fact, it is now Government of the people, by the people and for the people -- in its truest form.

In order to ensure equal opportunity for all sections of society, schemes like PM Vishwakarma Yojana, Startup India, and Make in India are empowering small entrepreneurs, artisans, and innovators across the country. By uplifting the marginalized and creating jobs, our Government is steadfastly delivering on the constitutional guarantee of equal opportunity.

Our Constitution is not just a document of governance, it is the polestar in our journey as a nation. There will always be challenges, but as long as we remain steadfast in upholding the principles enshrined in our Constitution, our progress as a strong, united, and prosperous India will continue, unhindered. As Parliamentarians, we are duty bound to ensure that we work in the spirit of cooperation and deliberation, respecting this temple of democracy and the democratic processes it represents.

As we reflect on this historic occasion, I urge all hon. Members of this House that let us work together, to ensure that India remains a beacon of democracy, equality, and justice to the world.

Before I conclude, I would most humbly like to inform that the OP Jindal Global University has, with a view to commemorate the 75 years of the adoption of Constitution of India, set up the first Constitution Museum in India in their

campus. All hon. Members are welcome to visit the OP Jindal Global University Constitution Museum.

Thank you. Jai Hind!

*__श्री चन्द्र प्रकाश जोशी (चित्तौड़गढ़) :__ महोदय, 26 नवंबर, 1949 को भारतीय संविधान सभा ने औपचारिक रूप से संविधान को अंगीकार किया था और इसे 26 जनवरी, 1950 को लागू किया था। इसके बाद भारत एक संप्रभु और लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में स्थापित हुआ। केंद्र सरकार ने 2015 में 1949 में भारतीय संविधान को अंगीकार करने के सम्मान में 26 नवंबर को संविधान दिवस घोषित किया गया।

डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने एक ऐसे संविधान का निर्माण किया, जिसमें सभी जाति, समुदाय, वर्ग, भाषा, प्रांत इत्यादि के लिए समान अधिकार को सुनिश्चित किया जा सके, ताकि देश एकता और अखंडता के साथ विकास पथ पर आगे बढ़ते हुए विश्व का नेतृत्व कर सके।

डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने देश के दलित, शोषित और उत्पीड़ित वर्ग के कल्याण एवं उनके जीवन-उत्थान के लिए आजीवन संघर्ष किया, उनमें जागृति की अलख जगाई और वे समाज में भी समरसता का भाव लाने में काफी हद तक सफल रहें। उनकी लड़ाई सामाजिक समरसता और बराबरी के लिए थी। अपमान झेलने के बाद भी संविधान बनाते वक्त बाबा साहब ने किसी के प्रति बदले का भाव नहीं रखा, यह उनकी महानता को दर्शाता है।

देश के यशस्वी प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार 2014 से ही बाबा साहेब के सपनों को साकार करने की दिशा में गंभीर प्रयास करती आ रही है। मोदी सरकार का मूल उद्देश्य ही 'अंत्योदय' है, जो बाबा साहब के सिद्धांतों के ही अनुरूप है और हम विकास एवं सामाजिक न्याय को देश के हर गाँव, हर गरीब, दलित, पिछड़े, शोषित और वंचितों तक पहुंचाने के लिए कृत संकल्पित हैं।

बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी से जुड़े स्थानों के पुनरुद्धार का कार्य भी मोदी सरकार ने ही

---

* Speech was laid on the Table.

किया है। प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ही बाबा साहेब की जन्मभूमि, शिक्षा भूमि, बिरसा भूमि, परिनिर्वाण भूमि और समाधि भूमि को राष्ट्रीय स्मारकों के रूप में स्थापित करने का काम किया है। कांग्रेस ने हमेशा उनके विचारों का दमन करने की कोशिश की, संविधान सभा से भी उन्हें बाहर रखने की कोशिश की और उनसे जुड़े स्थानों को भी समाज की मुख्य धारा से तोड़ने की कोशिश की।

बाबा साहेब की स्मृति में डाक टिकट जारी करने का काम भी भाजपा की मोदी सरकार ने किया। मैं इसके लिए कांग्रेस को साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने न तो बाबा साहेब से जुड़े स्थानों के संरक्षण का काम किया, न ही उनके विचारों के अनुरूप सरकार चलाई और न ही देश के दलितों, आदिवासियों, शोषितों और पिछड़ों के कल्याण के लिए ही कुछ किया। ये हमारे लिए खुशी की बात है कि हमें इन कार्यों को पूरा करने का अवसर मिल रहा है।

आपातकाल में देश के सभी नागरिकों के मूल अधिकारों को समाप्त कर दिया गया था। पुलिस के पकड़ने पर कोई भी व्यक्ति अदालत नहीं जा सकता था। अगर कोई व्यक्ति यह कह दे कि 'इंदिरा गांधी की सरकार हटानी है' इस बात पर उसे जेल में डाला जा सकता था। आपातकाल में पूरा विपक्ष जेल में था। करीब डेढ़ लाख आम जनता 18 महीने जेल में रही। 38वां और 39वां संविधान संशोधन करके सरकार के किसी भी निर्णय पर न्यायिक समीक्षा का अधिकार समाप्त कर दिया गया था। संविधान की प्रस्तावना को बदल दिया गया था और सेक्युलर और सोशलिस्ट शब्दों को जोड़ दिया गया, यह तब किया गया, जब पूरा विपक्ष जेल में था। देश के ऊपर एक नेता को कर दिया गया था। 'इंदिरा इज इंडिया' कर दिया गया। कांग्रेस ने सात तरीके से संविधान की हत्या की। कांग्रेस से जवाब चाहिए। इजराइल-हमास युद्ध पर प्रस्ताव पारित करने वाली कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने आज तक इस कृत्य पर कोई प्रस्ताव पारित नहीं किया।

"कांग्रेस ने भारतीय इतिहास में ये काला दौर शुरु किया था।"

भारत के इतिहास में एक ही उदाहरण है जब किसी प्रधानमंत्री को चुनाव में धांधली का दोषी पाया गया। इंदिरा गांधी को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने चुनावी कदाचार और चुनावी भ्रष्टाचार का दोषी पाया था। उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई थी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया तो

उनकी सदस्यता बरकरार रखी गई। मगर वह सांसद के रूप में काम नहीं कर सकती थीं। वह छह साल तक चुनाव नहीं लड़ सकती थीं। लोकसभा की कार्यवाही में भाग नहीं ले सकीं और वोट भी नहीं दे सकती थीं। तभी उन्होंने आपातकाल लगाया। प्रधानमंत्री के किसी निर्णय पर कोई टिप्पणी भी कोर्ट नहीं कर सकता था।

अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में राजग सरकार (NDA) के 6 साल के कार्यकाल में राष्ट्रपति शासन 4 बार लगने की नौबत आई थी, लेकिन अनुच्छेद 356 का कांग्रेस ने किस तरीके से उपयोग किया है, ये काफी दिलचस्प है।

कांग्रेस अपने शासन काल के दौरान सत्ता में रहते हुए 91 गैर कांग्रेसी सरकारों (Non Congress Government) को हटाने का काम कर चुकी है।

सन् 1951 में पहली बार जवाहरलाल नेहरू जी के प्रधान मंत्री रहते पंजाब में सरकार को बर्खास्त किया गया था और उसके बाद से विभिन्न राज्यों में कुल 111 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया।

पूर्व प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी ने अनुच्छेद 356 को सबसे ज्यादा 45 बार लागू किया। सबसे दिलचस्प है कि 1959 में जब इंदिरा ने केरल में कम्यूनिस्ट सरकार को गैर संवैधानिक तरीके से गिराया तो फिरोज़ गांधी ने भी इसका विरोध किया। हालत ये हुई कि इस घटना के विरोध में फिरोज़ गांधी फिर कभी प्रधानमंत्री आवास नहीं गए। जब उनकी मौत हुई, तब ही उनके पार्थिव शरीर को तीन मूर्ति ले जाया गया।

अनुच्छेद 356 पर सरकारिया आयोग की रिपोर्ट कई बातों का खुलासा करती है। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि शुरुआती सालों में अनुच्छेद 356 के प्रयोग में संयम बरता गया था और 1967 तक 12 बार इसे लागू किया गया था। हालांकि 1967 से 1985 के बीच में 62 अवसरों पर इसका सहारा लिया गया था। रिपोर्ट में कहा गया है कि पंजाब में 1951 में पहली बार इसका उपयोग सत्ताधारी पार्टी के आंतरिक संकट को दूर करने के लिए किया गया था, तभी से इसके दुरुपयोग की नींव पड़ गई थी। यह 1977 और फिर 1980 में चरम पर पहुंच गया, जब एक ही समय में 9 राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। इतना कुछ करने के बाद भी कांग्रेस के संविधान पर चर्चा करना,

कॉंग्रेस के नेताओं के मुंह से संविधान की रक्षा शब्द शोभा नहीं देता।

2024 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान भारत के यशस्वी प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, "मेरे लिए संविधान पवित्र है। यह सर्वोच्च है।"

केंद्र सरकार संविधान की 75वीं वर्षगांठ को बड़े पैमाने पर मना रही है।

अक्टूबर 2015 में प्रधान मंत्री मोदी जी ने घोषणा की थी कि 26 नवंबर को डॉ. बी आर अंबेडकर जी की याद में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 19 नवंबर को सरकार ने एक गजट अधिसूचना जारी कर 26 नवंबर को संविधान दिवस घोषित किया।

वर्ष 2015 में अंबेडकर जी की 125वीं जयंती भी मनाई गई। तब से संविधान दिवस प्रतिवर्ष 1949 में संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को अपनाने की याद में मनाया जाता है।

वर्ष 2022 से संसदीय कार्य मंत्रालय ने नागरिकों को 'संविधान दिवस' के उपलक्ष्य में संविधान प्रश्नोत्तरी और प्रस्तावना के ऑनलाइन वाचन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है।

दो वेब पोर्टल अधिकतम सार्वजनिक भागीदारी की सुविधा प्रदान करते हैं :

एक, 22 आधिकारिक भाषाओं और अंग्रेजी में प्रस्तावना के ऑनलाइन वाचन के लिए, और दूसरा 'भारत लोकतंत्र की जननी' नामक ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी के लिए।

वर्ष 2010 में, गुजरात के मुख्य मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान, प्रधान मंत्री मोदी जी ने 'संविधान गौरव यात्रा' का आयोजन किया। संविधान को हाथी की पीठ पर रखा गया था और मोदी जी ने राज्य के अन्य मंत्रियों और नेताओं के साथ हाथी के आगे चलते हुए इस जुलूस का नेतृत्व किया था।

प्रधान मंत्री मोदी जी ने डॉ. अंबेडकरजी की याद में 'पंचतीर्थ' शब्द गढ़ा है, जिसमें दलित आइकन से जुड़े पांच प्रमुख स्थलों का उल्लेख है : महू में उनका जन्मस्थान ('जन्मभूमि'), लंदन में वह स्थान जहां वे ब्रिटेन में अध्ययन के दौरान रहे, नागपुर में 'दीक्षा भूमि (जहां उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया), दिल्ली में महापरिनिर्वाण स्थल और मुंबई में 'चैत्य भूमि'।

दिनांक 7 दिसंबर, 2017 को प्रधान मंत्री मोदी जी ने दिल्ली में डॉ. अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर

का उद्घाटन किया। इस सेंटर का उद्देश्य कठोर और प्रामाणिक शोध के माध्यम से सामाजिक-राजनीतिक और आर्थिक असमानताओं को कम करना है।

दिनांक 14 अप्रैल, 2016 को प्रधान मंत्री जी ने डॉ. अंबेडकर जी की 125वीं जयंती पर उनके जन्म स्थान महू में उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की।

दिनांक 14 नवंबर, 2015 को प्रधान मंत्री मोदी जी ने लंदन में डॉ अंबेडकर जी को समर्पित एक स्मारक का उद्घाटन किया। यह भारत द्वारा उस बंगले को अधिग्रहित करने के दो महीने से अधिक समय बाद हुआ, जहां दलितों के प्रतीक और भारत के संविधान के निर्माता 1920 के दशक में एक छात्र के रूप में रहा करते थे।

वर्ष 2015 में, प्रधान मंत्री जी ने बाबा साहेब अंबेडकर जी के महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर दो स्मारक सिक्के जारी किए, जो डॉ. अंबेडकर जी की 125वीं जयंती समारोह का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था।

मौजूदा समय में कुछ मुद्दे बेहद गंभीर हो गए हैं, जिनका राजनीतिक दृष्टिकोण से भी विश्लेषण करना आवश्यक है। आप मानते हैं कि जब देश की सुरक्षा और एकता की बात आती है, तो यह पार्टी राजनीति से ऊपर है। अगर कोई भारतीय नागरिक या नेता, चाहे वह किसी भी पार्टी से हो, विदेशों में उन ताकतों के साथ संबंध बनाता है, जो भारत के खिलाफ काम कर रही हैं, तो उस पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। यह मुद्दा देश की सुरक्षा और हित से जुड़ा हुआ है और इसमें पार्टी के विवादों को अलग रखा जाना चाहिए।

कांग्रेस पार्टी से लेकर अन्य राजनीतिक दलों तक सभी को यह समझना चाहिए कि संविधान पर चर्चा और अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर संसद में बात करना चाहिए, लेकिन जब राष्ट्रीय हित की बात आए, तो वहां कोई भी समझौता नहीं किया जाना चाहिए। सरकार और संसद के बाकी सदस्य इस बात को समझते हुए कार्य करेंगे कि जब भी देश की सुरक्षा और उसकी नीतियों को चुनौती दी जाती है, तो यह सभी के लिए एकजुट होकर काम करने का वक्त होता है। कांग्रेस पार्टी हो या किसी अन्य पार्टी का कोई भी नेता, अगर कोई भारत विरोधी ताकतों के साथ जुड़े हुए पाए जाते हैं, तो सभी

भारतीयों को एकजुट होकर उनके खिलाफ खड़ा होना चाहिए।

*__SHRI NARESH GANPAT MHASKE (THANE):__ Hon'ble Speaker, Sir, first of all, I would like to congratulate our entire country on the 75th Anniversary of adoption of our Indian constitution.

Architect of Indian Constitution, Bharat Ratna Dr. Baba Saheb Ambedkar was like a father, a guardian and that is why he was fondly regarded as Babasaheb. But, today in this House, the people sitting here are calling him B.R. Ambedkar and Bhimrao Ambedkar and not regarding him as 'Babasaheb'. They are avoiding calling him Babasaheb. They talk about constitution only for votes and nothing else.

Speaker Sir, Babasaheb Ambedkar in his last speech in Constituent Assembly warned about the challenges of urban naxals who want to change the democratic set-up in our country. Dr. Babasaheb Ambedkar said that the communists wanted absolute power so that they can do anything.

I do not need to mention here about whom he was talking about. This House knows about it. If they do not get the power, they stand against the system and constitution. But keep on talking about the constitution and doing the lip-service only. The Opposition parties should self-introspect.

Everybody in this country talks about constitution and constitutional rights as per convenience.

We should talk about the challenges posing before our constitution.

---

* English translation of the speech originally laid on the Table in Marathi.

Unfortunately, this trend of selective implementation is growing nowadays. Article 370 was removed from Jammu & Kashmir and our constitution started implementing there but the Opposition did not congratulate Modi Government. But they opposed it. So, this is their dual character which they have shown in this connection. The Opposition is talking about freedom of expression but when Prime Minister starts speaking in this House, the Opposition Benches start disturbing him. They want freedom of expression for themselves, but what about our Prime Minister?

Everybody has got the right to property in our constitution legally, but they are supporting the Waqf Board, which denies the same right to Hindus, Sikhs and Christians.

Constitution has a provision for Uniform Civil Code, but our Opposition Parties oppose it and this is called double dealing.

If the Supreme Court of India did not deliver the decision supporting the stand of the Opposition Parties, they criticize it and question its credibility.

When the inauguration of Ram Mandir took place, the Opposition Parties opposed and boycotted it. But in reality, they boycotted Ram, our constitution and also insulted the Supreme Court's decision too.

Some people are roaming here and there carrying a copy of constitution with them. But they should put it on their heads.

He was not the citizen of this country for the last ten years. He has got a citizenship anyhow and now dreaming of the post of Prime Minister. This happened just because we have a very liberal constitution.

I would like to congratulate everybody on this occasion of 75th years of constitution Adoption. I wish everyone should contribute for the success of our constitutional system.

***श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल (महाराजगंज) :** संविधान हमारे लिए एक पुस्तक नहीं, बल्कि हमारे लिए जीवन जीने के आदर्श के साथ एक पवित्र ग्रंथ है। मैं संविधान के निर्माणकर्ता पूज्य डॉ. भीमराव अम्बेडकर साहब, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद जी एवं अन्य सभी महानुभावों को नमन करता हूँ। मैं भारत के संविधान की 75 वर्षों की गौरवशाली यात्रा पर चर्चा कराने के लिए देश के मा. प्रधान मंत्री जी एवं लोक सभा अध्यक्ष जी के साथ-साथ पूरी सरकार के प्रति सम्मान करता हूं।

मैं वैसे लोगों को कहना चाहता हूँ, जो संविधान की प्रति हाथ में दिखावे के लिए लेकर चलते हैं, उन्हें मेरी सलाह है कि संविधान को अपनी आत्मा में रखें एवं उसका सम्मान करें।

मैं फिर से संविधान के प्रति सम्मान करता हूँ। साथ ही मा. प्रधान मंत्री जी को इस पवित्र ग्रंथ पर चर्चा कराने के लिए धन्यवाद करता हूँ।

***श्री संजय उत्तमराव देशमुख (यवतमाल-वाशिम) :** आज मुझे अपने विचार व्यक्त करने का जो अवसर मिला है, उसके लिए मैं आभारी हूं। आज मैं संविधान के महत्व और उसकी आवश्यकता पर कुछ शब्द कहना चाहता हूं। हमारा संविधान सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि यह हमारे लोकतंत्र की आत्मा है, जो हमें न्याय, समानता, और स्वतंत्रता का अधिकार देता है। यह हमारे अधिकारों और कर्तव्यों का एक आदर्श मार्गदर्शक है।

डॉ. भीमराव अंबेडकर ने इस संविधान को तैयार किया, जिसमें भारत के हर नागरिक को समान अधिकार मिले और समाज में हर प्रकार की असमानता और भेदभाव को समाप्त किया जाए। यह संविधान हमें यह सिखाता है कि हर नागरिक को न्याय और स्वतंत्रता का अधिकार है और साथ ही कर्तव्यों का पालन भी करना है।

---

* Speech was laid on the Table.

हमारे संविधान के सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांतों में एकता और विविधता का समावेश है। "हम भारत के लोग" यह शब्द हमारे लोकतंत्र की नींव हैं। हमारे समाज की ताकत उसकी विविधता में है और यह संविधान हमें एकजुट होकर इस विविधता का सम्मान करने की प्रेरणा देता है।

लेकिन, आज के दौर में हम देख रहे हैं कि कई बार हम संविधान के इन सिद्धांतों को भूल जाते हैं। आज जब "बटेंगे तो कटेंगे" जैसे नारे लगाए जाते हैं, तो हमें यह सवाल करना चाहिए कि क्या हम संविधान की आत्मा को सही से समझ रहे हैं और उसका पालन कर रहे हैं? क्या हम अपने स्वार्थ में इतना खो गए हैं कि हम संविधान के उद्देश्यों को नजरअंदाज कर रहे हैं?

हमारे प्रधानमंत्री और अडाणी के रिश्तों पर सवाल उठ रहे हैं, और यह सवाल भी है कि क्या सरकार ने अडाणी जैसे उद्योगपतियों को अनावश्यक समर्थन दिया है। जब हम योजनाएं बनाते हैं, तो क्या यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि वह देश के गरीबों के हित में हैं? क्या हम सिर्फ अपने स्वार्थ को ध्यान में रखते हुए फैसले ले रहे हैं?

हमारा संविधान हमें अधिकार देता है, लेकिन उस अधिकार का सही इस्तेमाल तब ही संभव है, जब हम अपने कर्तव्यों को भी निभाएं। आज, जब देश के गरीबों के अधिकारों की बात आती है, तो क्या हम उनके पक्ष में खड़े होते हैं या सिर्फ अपने लाभ के लिए फैसले लेते हैं?

हमारे संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा यह है कि हम एक-दूसरे के अधिकारों का सम्मान करें। लेकिन, जब हम "बटेंगे तो कटेंगे" जैसे नारे सुनते हैं, तो क्या यह हमारी एकता को कमजोर नहीं करता? क्या यह संविधान के सिद्धांतों के खिलाफ नहीं है?

इसके अलावा, मणिपुर में जो कुछ भी हुआ, वह हमें सोचने पर मजबूर करता है। जहां एक ओर संविधान हमें न्याय, समानता और भाईचारे की बात करता है, वहीं दूसरी ओर मणिपुर जैसी घटनाएं हमारे समाज के लिए शर्म की बात हैं। वहां की स्थिति पर हमारे नेताओं की चुप्पी सवाल खड़ी करती है। क्या यह हमारे संविधान के उद्देश्यों का उल्लंघन नहीं है?

आखिरकार, संविधान की रक्षा हम सभी की जिम्मेदारी है। यह सिर्फ शब्दों में नहीं, बल्कि हमारे कार्यों में भी होना चाहिए। हमें संविधान के सिद्धांतों का पालन करना होगा, ताकि हम इसे आने

वाली पीढ़ियों तक मजबूत और सशक्त बना सकें। डॉ. अंबेडकर ने कहा था कि संविधान तभी जीवित रहेगा, जब उसमें विश्वास रखने वाली जनता रहेगी। आइए, हम सब मिलकर यह वादा करें कि हम संविधान को सशक्त बनाए रखेंगे और इसे हर भारतीय के दिल में हमेशा जलती हुई लौ की तरह रखें। धन्यवाद।

*__श्री देवुसिंह चौहान (खेड़ा) :__ हम सबके लिए आज का सत्र गर्व का क्षण है। आज की महत्वपूर्ण चर्चा संविधान की यात्रा के प्रति न केवल जागरूकता पैदा करने के लिए है, बल्कि हम सबको संविधान के प्रति प्रतिबद्धता और संकल्पित करने के उत्कृष्ट उद्देश्य से की जा रही है।

मैं इस अवसर पर विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आभार प्रकट करता हूँ और उनकी प्रतिबद्धता को नमन करता हूँ।

माननीय प्रधानमंत्री जी ने डॉ. बाबा साहेब अंबेडकर जी की 125वीं जयंती के अवसर पर 26 नवंबर को संविधान दिवस घोषित कर अपनी संविधान के प्रति अतिश्रद्धा और कर्तव्यनिष्ठा को प्रकट किया है।

यह एक ऐसा ऐतिहासिक कदम है जो आज़ादी के 75 साल बाद भी किसी नेता, राजनीतिक दल या सरकार के ध्यान में नहीं आया। यह निर्णय न केवल हमारे संविधान के प्रति सम्मान को व्यक्त करता है, बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियों को इसे समझने की प्रेरणा भी देता है।

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जब तत्कालीन गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री थे, तब पूरे भारतवर्ष में संविधान को हाथी पर सुसज्जित कर शोभा यात्रा निकाली गई थी।

भारतवर्ष अपनी सनातनी परंपरा का पालन करते हुए 'सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संतु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग्भवेत्' के आदर्श पर चला है, जिसका अर्थ है, हम सब सुखी रहें, सब निरोगी रहें, और किसी को भी दुख का सामना न करना पड़े। इसी भावना ने भारत को विश्वबंधुत्व की भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया है। उदाहरण के तौर पर, कोविड-19 महामारी के

* Speech was laid on the Table.

समय भारत ने 100 से अधिक देशों को मुफ्त वैक्सीन उपलब्ध कराई, यह दर्शाते हुए कि हमारी सोच सीमाओं से परे है और हम विश्व कल्याण की सोच रखते हैं।

श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी की इस नेतृत्व क्षमता और दृष्टिकोण को दुनिया ने भी सराहा है, तभी वे विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं।

भारतीय राजनीति के इतिहास में पहली बार, 20 से अधिक देशों ने उन्हें अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है, जिनमें 10 मुस्लिम देश भी शामिल हैं।

भारत का संविधान, भारत की समावेशी सोच और वैश्विक नेतृत्व का प्रतीक है, जो हर संस्कृति और धर्म को साथ लेकर चलता है। संविधान के निर्माताओं ने भी हमारी परंपरा और हमारे चिंतन के अनुरूप संविधान का निर्माण किया है। जैसा कि ऋग्वेद में कहा गया है, 'आ नो भद्रा: क्रतवो यन्तु विश्वत:' यानी हर दिशा से हमें अच्छे विचार मिलें, जो हमें सही राह दिखाएँ। यही भारतीय लोकतंत्र का आधार है, जहाँ हर विचार का सम्मान होता है और हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार मिलता है।

भारतवर्ष की पावन भूमि पर प्राचीन सभा और समिति जैसी परंपराएँ हमारी सनातनी परंपरा का हिस्सा रही हैं और आज हमारा संविधान भी सबको साथ लेकर चलने की सोच को आगे बढ़ाता है। यही वजह है कि भारत न केवल लोकतंत्र की जननी है, बल्कि इसका ध्रुवतारा है।

सनातन धर्म जिसे शाश्वत धर्म भी कहते हैं, सत्य, अहिंसा, न्याय और समानता जैसे आदर्शों पर आधारित है, जो लोकतांत्रिक मूल्यों से जुड़े हुए हैं।

प्राचीन भारत में सभा और समिति जैसी व्यवस्थाएँ थीं, जहाँ लोग मिलकर फैसले लेते थे। ये हमारे लोकतंत्र की शुरुआत की झलक थी। इसी सहिष्णुता और लोक भागीदारी की परंपरा के कारण भारत न केवल लोकतंत्र बल्कि सुशासन का भी जनक है।

श्रद्धेय मोदी जी का नारा 'सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास' आज गुड गवर्नेंस का आधार बना है। आदरणीय मोदी जी की सरकार, 'ease of living' और 'ease of doing business' के लिए, Reform और Perform के माध्यम से Transform लाने के लिए

हमेशा तत्पर रहती है।

SC/ST/OBC/ महिला जैसे समाज के विविध वर्गों का सशक्तिकरण करके मोदी जी की सरकार विकसित भारत की नींव मजबूत कर रही है।

आदरणीय मोदी जी की सरकार सामाजिक न्याय के लिए काम कर रही है। श्रद्धेय मोदी जी की सरकार ने ओबीसी राष्ट्रीय आयोग को संवैधानिक दर्जा देकर उनकी दशकों पुरानी मांग को पूरा किया।

श्रद्धेय मोदी जी की सरकार ने संविधान संशोधन के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण के फैसले से महिला सशक्तिकरण के प्रति अपनी कटिबद्धता दिखाई है। उज्ज्वला, जन धन और मुद्रा योजना ने महिलाओं को सशक्त बनाने में बड़ी भूमिका निभाई है।

हमारे संविधान के संघीय ढाँचे का महत्व समझते हुए, 'One Nation, One Tax' यानी GST को लागू करके सहकारी संघवाद को बढ़ावा दिया गया है।

केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय के लिए GST काउंसिल की स्थापना कर लोकतांत्रिक प्रणाली को सशक्त करने का काम किया गया।

बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमारे लोकतंत्र के संविधान की इस पवित्र यात्रा में तानाशाही मानसिकता वाले लोग भी शासन में आ गए, जिनकी मानसिकता ने लोकतांत्रिक माध्यम से चुनी गई अनेक सरकारों को बर्खास्त कर दिया।

यह सिलसिला 1952 से शुरू हुआ, जब पहले पंजाब सरकार को बर्खास्त कर दिया गया और 1959 में केरल की सरकार को बर्खास्त कर दिया गया। इसी मानसिकता ने हमारे संविधान की धज्जियाँ उड़ाई और एक ही रात में नौ-नौ राज्यों की सरकारों को अनुच्छेद 356 के तहत बर्खास्त कर दिया।

अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग 90 बार किया गया और 90 बार सरकार का भोग लेने में हमारे देश की एक महिला प्रधानमंत्री का सबसे बड़ा योगदान था, जिन्होंने 90 में से 50 सरकारों को बर्खास्त

किया।

इसी तानाशाही, सत्ता-लालच मानसिकता ने 26 जून, 1975 को संविधान को ही रौंद दिया और देश में आपातकाल लागू कर पूरे देश को जेलखाने में बदल दिया। 1967-68 तक विधान सभा और लोक सभा का चुनाव एक साथ हो रहे थे। इसके बाद देश को बार-बार चुनावों में धकेल दिया गया, जिससे प्रशासनिक संसाधन, पैसे और समय बर्बाद हुआ।

आज जो लोग 'Freedom of Speech' के ढोल-नगाड़े पीटते हैं, उसी मानसिकता वाले लोगों ने एक लाख लोगों को, जिनमें नेता, अभिनेता, आम जनता, मीडिया, विद्यार्थी और अनेक लोग शामिल थे, जेल के हवाले कर दिया था।

संविधान की किताब हाथ में रखने वाला हाथ, लोकतंत्र की हत्या करने वाला हाथ आज जब संविधान उठा रहा है, तो संविधान खुद शर्मिंदा हो रहा है।

70 साल से इस देश में और जम्मू-कश्मीर में दो संविधान चल रहे थे। जम्मू-कश्मीर में भारत के लाखों भाइयों और बहनों को अपने अधिकारों से वंचित रखा गया था। अलगाववाद और आतंकवाद को बढ़ावा मिला था, तब ये लोग चुपचाप तमाशा देख रहे थे।

तब भारत माँ का एक वीर सपूत, श्रद्धेय श्री नरेंद्र मोदी जी, जो इस देश के सर्वोच्च गृह में प्रवेश करते वक्त, उस मंदिर की चौखट पर शीष झुकाते हैं, संविधान को नमन करते हैं, ऐसे, मक्कम मन के महापुरुष ने एक ही झटके में जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 को दूर करके करोड़ों भारतीयों का सपना पूरा किया। माँ भारती के सिर का ताज, माँ भारती को लौटा दिया।

अब ये लोग कितनी भी कोशिश कर लें, जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 कभी वापस नहीं आएगा।

जब तक भारतवर्ष की इस पवित्र भूमि पर भारतीय जनता पार्टी का एक भी कार्यकर्ता है, तब इन लोगों के देशविरोधी मंसूबे कभी पूरे नहीं होने देंगे।

मैं विपक्ष के साथियों से अपील करता हूँ कि राजनीति से ऊपर उठें और हमारे पवित्र ग्रंथ संविधान, भारत के लोकतंत्र की आत्मा और उसके मूल विचारों को आगे बढ़ाने में सहयोग करें।

जय हिंद।

भारत माता की जय।

*__एडवोकेट गोवाल कागडा पाडवी (नन्दुरबार) :__ सबसे पहले संविधान की यात्रा जैसे बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर मुझे अपने विचार व्यक्त करने का अवसर प्रदान करने के लिए धन्यवाद।

संविधान शब्द ही हम सब के लिए गर्व का है, जब हम संविधान की बात करते हैं तब हम स्वमेव गौरवान्वित महसूस करते हैं। हम संविधान की गौरवशाली यात्रा पर तो चर्चा करेंगे ही साथ साथ हम वर्तमान सरकार द्वारा किस तरह भारतीय संविधान का उल्लंघन किया जाता है लगातार इस पर भी चर्चा करेंगे और मैं सत्तापक्ष के मित्रों से अपेक्षा करता हूं कि टोका टाकी किए बिना कटु सत्य को सुनेंगे और स्वीकार करेंगे।

संविधान की 75 वर्षों की यात्रा का महत्व

भारतीय संविधान का वैश्विक दृष्टिकोण

- विश्व में सबसे विस्तृत संविधान होने का गौरव ।
- दक्षिण अफ्रीका, नेपाल जैसे देशों ने भारतीय संविधान को अपने संविधान निर्माण के लिए प्रेरणा माना।
- संविधान ने समानता, धर्मनिरपेक्षता, और मानवाधिकारों की धारणा को बढ़ावा दिया।

महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधन और उनकी भूमिका

- पहला संशोधन (1951): सामाजिक और आर्थिक अधिकारों को मजबूत करने के लिए भूमि सुधार कानून लाए गए।
- 42वां संशोधन (1976): समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को प्रस्तावना में जोड़ा गया।
- 73वां और 74वां संशोधन (1993): पंचायत राज और स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया।

---

* Speech was laid on the Table.

भाजपा शासित राज्यों के हालिया गैर-संवैधानिक कृत्य

शिक्षा के क्षेत्र में हस्तक्षेप

- इतिहास और सामाजिक विज्ञान की किताबों में बदलाव।

- मुगल इतिहास, नेहरू के योगदान, और वैज्ञानिक सोच को हटाने की कोशिश।

- कई भाजपा शासित राज्यों ने विशेष भाषा' को प्राथमिक शिक्षा का हिस्सा बनाया, जबकि क्षेत्रीय भाषाओं की अनदेखी की।

अल्पसंख्यकों पर लगातार हमले

- कानून का दुरुपयोगः

- UAPA, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) का इस्तेमाल अल्पसंख्यकों और राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ किया गया।

- 2020-23 के बीच UAPA के तहत दर्ज मामलों में 64% मुस्लिम और दलित समुदाय से जुड़े थे।

- हिजाब और नमाज पर रोकः

-उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक स्थानों पर नमाज पढ़ने और हिजाब पहनने पर प्रतिबंध।

निजीकरण और कॉर्पोरेट समर्थक नीतियां

- संवैधानिक अधिकारों की अनदेखी कर श्रम कानूनों को कमजोर करना।

- सरकारी संपत्तियों का निजीकरणः रेलवे, एयर इंडिया, और कोयला खदानों की बिक्री ने संवैधानिक दायित्वों की अनदेखी की।

आर्थिक और सामाजिक असमानता पर संवैधानिक प्रभाव

सामाजिक असमानता के बढ़ते आंकड़े

- 2024 में भारत में शीर्ष 1% के पास 41% संपत्ति।

- दलित और आदिवासी समुदायों को विकास योजनाओं में हिस्सेदारी नहीं मिल रही।

महिलाओं की स्थिति

- लैंगिक समानता पर भारत का प्रदर्शनः

- 2024 में ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में भारत 146 देशों में से 127वें स्थान पर।

- भाजपा शासित राज्यों में महिला सुरक्षा के प्रति संवेदनहीनता (उन्नाव और हाथरस कांड)।

आरक्षण के प्रभाव को कमजोर करने की कोशिशः

कानून और व्यवस्था पर गिरती स्थिति

मानवाधिकार उल्लंघन के मामले

- एनएचआरसी (राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग) द्वारा 2023 में दर्ज मामलों की संख्या 28,000+1

भाजपा शासित राज्यों में मॉब लिंचिंग की घटनाएं अधिकः

सांप्रदायिक हिंसा में वृद्धि

- 2023 में सांप्रदायिक हिंसा के 822 मामले दर्ज हुए।

- भाजपा शासित राज्यों में सांप्रदायिक तनाव को बढ़ावा देने के लिए नफरत भरे भाषणों का खुला समर्थन ।

- मणिपुर हिंसा (2023): केंद्र सरकार का निष्क्रिय रवैया।

- दिल्ली सरकारः मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल के बीच टकराव।

संविधान की रक्षा के लिए जरूरी कदम

संस्थाओं की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना

- चुनाव आयोग, सीबीआई, और ईडी जैसी संस्थाओं को कार्यपालिका के प्रभाव से मुक्त करना।

- न्यायपालिका के स्वायत्तता को मजबूत करना।

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का संरक्षण

- प्रेस की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए कड़े कानून बनाए जाएं।

- डिजिटल मीडिया पर बढ़ते सेंसरशिप पर रोक।

सांप्रदायिक सौहार्द का पुनर्निर्माण

- नफरत भरे भाषण और धार्मिक आधार पर विभाजन की राजनीति पर सख्त कार्रवाई।

- धार्मिक सद्भावना बढ़ाने के लिए शिक्षण संस्थानों में जागरूकता कार्यक्रम।

जनता के अधिकारों की रक्षा

- विरोध प्रदर्शन के अधिकार की रक्षा।
- न्यायपालिका में लंबित मामलों को तेजी से निपटाने के लिए विशेष अदालतों का गठन।

संविधान की 75 वर्षों की यात्रा गौरवपूर्ण है, लेकिन वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में संवैधानिक मूल्यों का हनन गंभीर चिंता का विषय है। यह संसद, न्यायपालिका, मीडिया, और नागरिक समाज की जिम्मेदारी है कि वे संविधान के बुनियादी ढांचे की रक्षा करें।

संवैधानिक यात्रा में ऐतिहासिक उपलब्धियां और चुनौतियां

स्वतंत्रता के बाद संविधान का निर्माण

- प्रारूप समिति और डॉ. भीमराव अंबेडकर का योगदान
- संविधान 2 साल, 11 महीने, 18 दिन में तैयार हुआ।
- भारत ने समानता, स्वतंत्रता, और न्याय के मूल्यों को अपनाया।
- संविधान के कार्यान्वयन के पहले दशक में
- भूमि सुधारः 1950-60 के दशक में भूमि को समान रूप से वितरित करने के लिए राज्यों ने प्रमुख कदम उठाए।
- शिक्षा का अधिकारः राज्यों में प्राथमिक शिक्षा को मुफ्त और अनिवार्य बनाया गया।

आर्थिक उदारीकरण का युग (1991)

- संविधान ने निजीकरण और उदारीकरण के बाद आर्थिक असमानता को संतुलित करने की कोशिश की।
- अनुसूचित जाति, जनजाति और ओबीसी को आर्थिक विकास में लाने के लिए आरक्षण का विस्तार।

वर्तमान सरकार की नीति और संवैधानिक उल्लंघन

अनुच्छेद 370 और जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा

- 5 अगस्त 2019 को केंद्र ने जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा रद्द कर दिया।

- जम्मू-कश्मीर में बिना जन-सहमति के यह कदम संघीय ढांचे का उल्लंघन था।

जन-विरोधी कानूनों का निर्माण

- कृषि कानून (2020):

- लाखों किसानों ने दिल्ली की सीमाओं पर विरोध किया।

- सरकार ने बिना व्यापक चर्चा के कानूनों को लागू किया।

- मजदूर अधिकारों का क्षरणः

- श्रम कानूनों में संशोधन से श्रमिकों के अधिकार कमजोर हुए।

संवैधानिक मूल्यों का राजनीतिकरण

- धर्मनिरपेक्षता पर प्रहारः

- भाजपा शासित राज्यों में मंदिर-मस्जिद विवादों को राजनीतिक लाभ के लिए हवा दी गई।

- उदाहरणः उत्तर प्रदेश में धर्मातरण विरोधी कानून।

नागरिक अधिकारों पर अंकुश

- विरोध प्रदर्शन का दमनः

- 2019-2022: 75% विरोध प्रदर्शनों पर हिंसात्मक कार्रवाई हुई।

- अलग-अलग घटनाएं:

- दिल्ली में नागरिकता कानून के विरोध पर पुलिस कार्रवाई।

संवैधानिक संस्थाओं पर हमला

संसद में विधेयकों का जल्दबाजी में पारित होना

- संसद में चर्चा का समय 2014 के बाद 50% कम हो गया है।

आरटीआई अधिनियम का कमजोर होना

- 2019 के संशोधन ने सूचना आयुक्तों की स्वतंत्रता को खत्म कर दिया।

- 2022-23 में आरटीआई आवेदन को खारिज करने की दर 35% तक बढ़ गई।

जनगणना में देरी

- 2021 की जनगणना अभी तक नहीं हुई है।

- यह देरी नीतिगत निर्णयों में पारदर्शिता की कमी दिखाती है।

मीडिया और न्यायपालिका पर नियंत्रण

प्रेस की स्वतंत्रता का हनन

- 2023 में 14 पत्रकारों की हत्या की गई।

- डिजिटल मीडिया पर सेंसरशिप बढ़ी।

न्यायपालिका में सरकार का हस्तक्षेप

- सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति को लेकर सरकार और कॉलेजियम के बीच टकराव।

- न्यायपालिका को कमजोर करने की कोशिश।

विकल्प और सुधार की आवश्यकता

स्वतंत्र संस्थाओं को मजबूत बनाना

- चुनाव आयोग, सीबीआई, और प्रवर्तन निदेशालय जैसी संस्थाओं की स्वतंत्रता सुनिश्चित की जाए ।संविधान की शिक्षा को बढ़ावा

- स्कूल और कॉलेज स्तर पर संवैधानिक शिक्षा अनिवार्य हो।

सांप्रदायिक सद्भाव की बहाली

- नफरत फैलाने वाले भाषणों पर सख्त कार्रवाई।

संविधान केवल कागजों पर लिखे शब्द नहीं, बल्कि हमारे लोकतंत्र की आत्मा और जनता की सुरक्षा का आधार है। वर्तमान सरकार और भाजपा शासित राज्यों की नीतियां संविधान के बुनियादी ढांचे को कमजोर कर रही हैं। इसे रोकने के लिए विपक्षी दल, नागरिक समाज और न्यायपालिका को साथ आना होगा। यह भारत के लोकतांत्रिक भविष्य की रक्षा का समय है।

संविधान बचेगा, तभी देश बचेगा।

बात संविधान की चल रही तो एक उदाहरण प्रमुखता से देना चाहूंगा मैं- माननीय प्रधानमंत्री का गृह प्रदेश गुजरात की घटना है जहां हमारे ज्येष्ठ श्रेष्ठ नेता भारत के पहले उप प्रधानमंत्री श्रद्धेय

वल्लभ भाई पटेल जी का स्टेच्यू बनाया गया है, स्थान का नाम है केवड़िया, मैं बताना चाहूंगा कि वहां बिना ग्रामसभाओं के प्रस्ताव और आदिवासी जनों की सहमति के बिना, आदिवासियों के गांव के गांव उजाड़ दिए गए, जमीनें छीन ली गई, सहमति तो नहीं ही ली गई उन्हें मुआवजा भी नहीं दिया गया, उन्हें जमीनें भी नहीं दी गई। आज भी उन आदिवासियों का परिवार दर बदर भटक रहा है, ये संविधान को सुरक्षित रखने की बात करते हैं। अरे आप वंचित वर्ग को, आदिवासियों को प्रताड़ित करके आप सरदार पटेल जी को सम्मान नहीं दे रहे अपमानित ही कर रहे। और रही बात सम्मान की तो मैं भी गया महोदय स्टेच्यू ऑफ यूनिटी देखने, वहां मैने देखा कि स्टेच्यू के सीने के हिस्से में शौचालय बनाया गया है, जबकि भूतल से लिफ्ट के माध्यम से सीने के हिस्से में पहुंचने में मात्र 15 से 20 सेकंड लगता है। यदि आपको शौचालय बनाना ही है तो भूतल में बना देते परंतु नहीं आपको तो संविधान का उल्लंघन करने में ज्येष्ठ श्रेष्ठ जनों, जिन्होंने ने आजादी में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया उनका अपमान करने में आनंद की अनुभूति होती है।

आरएसएस ने जनसंघ बनाकर जिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी को बागडोर सौंपी थी, वे बंगाल में मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकार चला रहे थे। यही नहीं, उन्होंने सुभाषचंद्र बोस की आजाद हिंद फौज को रोकने के लिए एक व्यापक योजना बनाकर अंग्रेज़ गवर्नर को सौंपी थी। गद्दारी के इस शर्मनाक टूलकिट की चर्चा कभी बीजेपी के नेता नहीं करते, हालाँकि वे श्यामाप्रसाद मुखर्जी के नाम का नारा लगातार लगाते हैं।

संघ के बड़े विचारक दीनदयाल उपाध्याय 1916 में पैदा हुए थे। यानी 1947 में उनकी उम्र 31 साल थी। इस दौरान उन्होंने एक बार भी आज़ादी की लड़ाई में न हिस्सा लिया, न जेल गये।

आरएसएस के प्रति नेताओं के विचार

गांधीजी के साथ रहनेवाले लोगों में से ही किसी ने कहा कि आरएसएस के लोगों ने शरणार्थी शिविर में अच्छा काम किया है. उन्होंने वहां अनुशासन, साहस और कठिन परिश्रम से कार्य करने की क्षमता का परिचय दिया है। इस पर गांधीजी ने बीच में ही टोकते हुए कहा- 'लेकिन भूलो मत, हिटलर के नाज़ी और मुसोलिनी के अधीन फासीवादियों में भी ऐसा ही अनुशासन, साहस और ऐसी ही कार्यक्षमता थी।

इसी बातचीत में महात्मा गांधी ने आरएसएस को 'सर्वाधिकारवादी दृष्टिकोण वाले सांप्रादायिक संगठन' की संज्ञा दी थी।

आरएसएस के बारे में गांधी की हत्या से पहले 7 दिसंबर, 1947 नेहरू को लिखते हैं हमारे पास इस बात के ढेरों सबूत हैं, जिससे यह पता चलता है कि आरएसएस अपने स्वभाव से निजी सेनाओं के जैसा संगठन है, जो नीति और संगठन के मामले में साफ तौर पर नाजियों का अनुसरण कर रहा है। हमारी यह बिल्कुल इच्छा नहीं है कि हम नागरिक आजादी में दखल दें, लेकिन बड़ी संख्या में लोगों को हथियारों की ट्रेनिंग देना और यह मंसूबा रखना कि उनका इस्तेमाल भी किया जाएगा, कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे बढ़ावा दिया जाए। '

"अगर हिंदू राष्ट्र सचमुच एक वास्तविकता बन जाता है तो इसमें संदेह नहीं कि यह देश के लिए भयानक विपत्ति होगी, क्योंकि यह स्वाधीनता, समता और बंधुत्व के लिए खतरा है। इस दृष्टि से यह लोकतंत्र से मेल नहीं खाता। हिंदू राज को हर कीमत पर रोका जाना चाहिए। (डा. अंबेडकर, पाकिस्तान और दि पार्टीशन ऑफ इंडिया, 1946, मुंबई, पृष्ठ 358)|

4 फरवरी, 1948 को एक पत्राचार में गृह मंत्री सरदार पटेल लिखते हैं- "देश में सक्रिय नफ़रत और हिंसा की शक्तियों को, जो देश की आज़ादी को खतरे में डालने का काम कर रही हैं, जड़ से उखाड़ने के लिए भारत सरकार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को गैरकानूनी घोषित करने का फैसला किया है. देश के कई हिस्सों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े व्यक्ति हिंसा, आगजनी, लूटपाट, डकैती, हत्या आदि की घटनाओं में शामिल रहे हैं और उन्होंने अवैध हथियार तथा गोला बारुद जमा कर रखा है. वे ऐसे पर्चे बांटते पकड़े गए हैं, जिनमें लोगों को आतंकी तरीके से बंदूक आदि जमा करने को कहा जा रहा है।"

आज़ादी की लड़ाई के दौरान सबसे बड़ा प्रतीक था तिरंगा और आरएसएस इसी तिरंगे के विरोध में था।

तिरंगे का यह विरोध आज़ादी के बाद भी जारी रहा। संघ ने आज़ादी के बाद भी अपने कार्यालय में तिरंगा फहराने से इनकार कर दिया। उन्होंने आज़ादी के बाद 15 अगस्त, 1947 और

26 जनवरी, 1950 को दो बार नागपुर के संघ-मुख्यालय पर तिरंगा फहराया। फिर वे भगवा झंडा फहराने लगे। जब मीडिया में खबरें छपने लगीं तब 2002 में यानी 52 साल बाद उन्होंने तिरंगा फहराना शुरू किया। मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं ये कहते हुए कि जिन्होंने हमेशा संविधान का उल्लंघन किया वो संविधान के रक्षक कैसे हो सकते हैं। हम भले विपक्ष में हैं परंतु हमें भी जनता ने चुनकर भेजा है, हम आपके विपक्ष की आवाज को लगातार दबाने की सोच को कामयाब नहीं होने देंगे । धन्यवाद।

***SHRI RAO RAJENDRA SINGH (JAIPUR RURAL):** Dr. Abdul Kalam, President of India, addressed the European Union Parliament in April 2007. He quoted a saying of Sathya Sai Baba:

Where there is righteousness in the heart,
there is beauty in the character.
When there is beauty in the character,
there is harmony in the home.
When there is harmony in the home
there is an order in the nation.
When there is order in the nation.
there is peace in the world.

and the rights and duties of citizens. The Constitution was adopted by the Constituent Assembly on November 26, 1949, and came into effect on January 26, 1950. The day of January 26 is celebrated as India's Constitution Day.

* Speech was laid on the Table.

Articles	395
Parts	22
Schedules	8

It was handwritten and calligraphic in both English and Hindi, and was about 145,000 words long.

- There has been a huge misconception that the major ideas of sovereignty, liberty, republicanism which were imbibed in the constitution were being made were predominantly foreign to our country. These may have been secondarily adopted from foreign constitutions but were intrinsic to our nation's ancient history and were practised for over 8500 years, evident even in Rigveda, one of the oldest texts in the world.
- During the vedic era, the king's authority and governmental roles hinted at the early concept of sovereignty known as Vedic Ksatra or Ksatrasri, closely tied to the Ksatriya ruler. Ksatrasri, representing the Ksatriya class, was responsible for upholding the Law, protecting the realm, and ensuring the safety of the people.
- During the vedic period kingship remained a secular and populist institution devoid of the sacred or religious connotations.
- The example of the secular nature of the Bharatiya king was seen in the construction of Cheraman Juma Masjid in the Muziris mosque was built in 629 A.D by Malik Ibn Dinar in Thrissur in Kerala, during the Hindu Dynastic King of Chera Late Cheraman Perumal in the modern-day Kerala.
- Another example of the secular nature of the King of ancient Bharat has been

seen in the construction St. Thomas Church, Palayoor is located at Palayur (also spelled Palayoor), in Thrissur district in Kerala on the west coast of Bharat and was established in 52 A.D by St Thomas. This Church was built under the patronage of the King of Venad, Nedum Cheralathan. These are the two examples of the secular nature of Hindu King and many more were there in ancient Bharat which indicates that Hindu are secular by nature/birth and that is why our country has so many religions and beliefs that survive together.

- At the beginning of the 18th Century, India's share of the world economy was 23%, as large as all of Europe put together. By the time the British departed India, it had dropped to less than 4%. The reason was simple: India was governed for the benefit of Britain. Britain's rise for 200 years was financed by its depredations in India.
- By the end of the 19th Century, India was Britain's biggest cash-cow, the world's biggest purchaser of British exports and the source of highly paid employment for British civil servants - all at India's own expense.
- The "Drain of Wealth" theory as promulgated by the "Grand Old Man" of the freedom movement, Dadabhoy Naroji, implied that a huge amount of wealth created by Indians and in India was being "drained" away from India in order to aid economic development and social progress in Britain, and also to fund the colonial expeditions of the British.
- Besides colonizing the Indian Nation and causing it immense economic damage, the British Colonized Indian Minds. Thomas Macaulay and the British successfully

created a class of people, who were Indians in blood and color, but English in taste, in opinion, in morals and intellect, There was an inferiority complex that was shoved into the Indian mind and education was used as a tool for the same. There were concerted attempts to undermine our culture.

- In this manner, the ghosts of Macaulay-ism continue to haunt us even after 77 years of Independence. There was a major need to transform this system that had very carefully subjugated us to a foreign culture. The New Education Policy, brought in by this government, made a concerted attempt to reverse a great deal of this damage.
- As of now, the UK has not offered any official apology for the immense psychological, sociological and economic damage caused by British rule. Why haven't we ever asked them for any reparations or even an official apology

VARIOUS ASSAULTS BY PREVIOUS REGIMES ON THE CHALLENGES FACED BY INDIAN DEMOCRACY

- Electorally speaking, there was a time when the stronger was way stronger as compared to the BJP, from 1950's to 1970's in both states as well as center. However, nobody then came and questioned the fledgling fundamentals of democracy. If you read what certain academia (like Guha, Chandra) have always propounded is that Indian Democracy was thriving. That too in a country that was effectively a one-party system for a long time.
- The opposition, especially the Congress, have a habit of discrediting institutions for acting on laws made during their regime. A great example of the

same would be the PMLA Act. This country has seen an era where booth capturing was rampant and in some parts of the country, even the norm. Comparing that too today, the opposition tries to find muck even when there isn't any and complains on the state of democracy in India. And ignoring all the abhorrent political choices they make, all they can blame is EVM's and rue the decline of Indian Democracy. This is like a batsman blaming the pitch for not scoring runs.

- These EVM's somehow get their act together in Telangana, Karnataka and Bengal, but become dysfunctional in other states. Thanks to electronic voting machines, Gone are those days when political party workers - the so called 'goondas' used to capture polling stations to tamper votes and make their candidate win. In states like Bengal, however this practice still continues at the behest of the dispensation, but by and large it has ceased.
- Use of state institutions against the BJP goes back a long time. What about the manner in which former Prime Minister of India, Indira Gandhi, forced the Punjab National Bank to pay an overdraft to the Associate Journals Ltd., a party owned entity, without any security. As sacrosanct institutions as a Joint Parliamentary Committee was misused by the Congress to white-wash the entire telecom scam.
- The misuse of the CBI in the Sohrabuddin encounter case in 2005 in Gujrat to Falsely implicate Narendra Modi Ji in an encounter. In 2018, the Court acquitted all 22 accused in the case after observing that prosecution failed to

establish charges against them. What was this? Wasn't this absolutely blatant misuse of state institutions? In the Rising India Summit (2023) precisely narrated how the Congress-led UPA government unfairly framed him 90 percent of the questions during his interrogation they said they would leave him if he names Narendra Modi. An SIT was formed against Modi which the Supreme Court itself dismissed.

- On November 22, 1990, when a Liberal Democrat member of the British Parliament asked about the gap between the wealthy and the needy, Prime Minister Thatcher replied unyieldingly:"What the honorable member is saying is that he would rather that the poor were poorer, provided that the rich were less rich," she argued. "So long as the gap is smaller, the left would rather have the poor poorer"
- The left in India has always propounded "povertarianism", a term often used by renowned journalist of the Print, Mr. Shekhar Gupta. It essentially means the romanticisation of poverty in order to divert your attention from the dire [21:40, 14/12/2024] Pankaj Chaudhary: state of the poor that largely existed throughout the country across various congress regimes.
- Such people live in the biggest of bungalows in Lutyens' Delhi, own the costliest of cars, have the most uptown lifestyle themselves, but they advocate for a socialist form of economic governance. I have my utmost respect for the 1st Prime Minister of this country Shri. Jawaharlal Nehru. His contribution to this country is immense and shall be remembered by all of us throughout our

lifetimes. But the fact that even he lived in a Bungalow on Teen Murti Marg and have a lifestyle that even an upper middle class citizen couldn't afford shows the inherent hypocrisy of the socialists and "left" in India, who oppose the creation of wealth for the populace but would never think twice before enjoying the fruits of their own. In India, they want the poor to remain poor and remain as their vote bank.

- This is not the first attempt to use the force of law to change the national name. Past attempts at effecting an amendment to Article 1 include three private members' bills that were moved in Parliament in 2010, 2012, and 2014.
- The 2010 and 2012 bills, both of which lapsed, were moved by Congress member of Parliament Shantaram Naik. The Naik bills distinguished between the territorial expression contained in "India" from the emotive-patriotic power of "Bharat," finding the latter preferable. The 2014 bill was moved by Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath. It proposed the replacement of "India" with "Hindustan" so that Article I once reordered read "Bharat, that is Hindustan ..." and echoed both the "traditional names" of the country.
- Interestingly, Adityanath's bill is appended in support of the recent writ petition. The Supreme Court itself heard a similar petition in 2015 by a bench headed by then Chief Justice of India HL Dattu. The bench had sought responses from the government, but the matter was dismissed some months later by the success

- In 1893, the German Orientalist Gustav Oppert declared that Bharatavarsa was the only relevant national designation for India:"I prefer as India's name the designation Bharatavarsa, or land of the Bharatas. [...] Such a name will bridge over the great social chasms, which divide at present the Hindus, and perhaps bring together in union the two great antagonistic sections of the original inhabitants, which since the earliest times of antiquity have lived estranged from each other [i.e. what he calls further Aryanised and non-Aryan Indian clans']. [...] by accepting such a time-honoured and honourable name as their national designation, a great step towards national unity would be taken in India (Oppert 1893: 621-23)."
- According to Bipin Chandra Pal in 1911, Bharata was now fully prepared to embark on a career on the political stage, as politics had become 'the unavoidable terrain on which Indians would have to learn to act. In The Soul of India published in 1911, Bipin Chandra Pal (1858-1932) proclaimed it to be the only real indigenous name for India."We never called her either India or Hindoostan. We knew her of old by quite a different name (p. 57). [...] The fact of the matter really is, that as long as you look upon our country as 'India or the Land of the Indus you will get no closer and truer view than the foreign officials and students have been able to do (p. 62). [...] Our own name was, and is still today, among the Aryan population of the country, Bharatvarsha.
- The Constituent Assembly did not spend much time on the issue of renaming India. Much of the discussion focused on the latter half of Article 1, and the

federal relationship it suggested. A closer reading of the assembly's debates reflect that several other "traditional" names for India were in the running. These included Aryavarta, Hind, and Bharatavarsha. When the draft of Article I was introduced, many members seemed pleased at the retention of the "ancient name" Bharat (GOI 1948). A few sought to reorder the article so that the ancient name preceded the "alien" one (GOI 1949)

- Catherine Clémentin-Ojha points out a third name that was never actively considered by the assembly but was colloquially used by most members to refer to the nation in their speeches "Hindustan." For reasons unspoken, it then appears that "three names had been at the start of the race, but at the end the two had been placed on equal footing and one dropped." Although "Hindustan" was colloquially dominant, "Bharat" was eventually preferred (Clémentin-Ojha 2014).
- There are several interconnected reasons why "Bharat" may have been preferable. Clémentin-Ojha indicates the Puranic roots of Bharat, used in the Vishnu Purana and Markandeya Purana to refer to a spatial entity nestled between the Himalayas in the north and the seas in the west, south, and east. She further suggests that Bharatvarsha is a "socialised" invocation of territory, for it indicates karmabhumi, a land where one reaps the rewards of one's karma. In this literature, Bharat is not a political entity as we understand it today. However, accounts of the legendary King Bharat who united all of South

Asia are popular in nationalist imagination, and are found in Jawaharlal Nehru's The Discovery of India as well.

- Names are powerful political expressions. The renaming of public places, roads, and cities, which our petitioner cites approvingly, is an expression of the state's authority to its citizens. Perhaps for this reason, indigenous people in settler colonies have resisted the impositions of colonial names, and have been fighting to retain native place names (Berg and Kearns 1996). National names express sovereignty but also signal the essence of the nation. The politics of naming is closely allied with the attempt to organise public memory around a state-preferred version of the historical past.
- What role does the law play in this politics of naming? One consequence of juridical baptism is the structuring of public discourse what can be said, what cannot be said, and how one should speak with important legal consequences on the freedom of speech and expression. European laws against the denial in public of the Holocaust raise such concerns (Bealvusau and Grabias 2017)
- "There is no liberty where judicial power is not separated from both legislative and executive power. If judicial and legislative powers are not separated, power over the life and liberty of citizens would be arbitrary, because the judge would also be a legislator. If it were not separated from executive power, the judge would have the strength of an oppressor.

  "Thus argued Montesquieu, the great political philosopher of the Enlightenment, in favour of a system of governance in which different branches

of government exercise different powers to avoid concentration of powers and preserve human liberty the legislature should make law, the executive should execute it, and the judiciary should settle disputes in accordance with the law. This is the doctrine of separation of powers.

- Judicial activism happens when the courts have power to review the State action. Article 13 read with Articles 32 and 226 of the Indian Constitution gives the power of judicial review to the higher judiciary to declare, any legislative, executive or administrative action, void if it is in contravention with the Constitution.
- Increasingly, the Supreme Court has interpreted Article 32 in a very liberal manner in many cases in order to enforce fundamental rights even against the private entities performing public functions.
- At many places, the Parliament has accused the judiciary on the ground of judicial intervention. Parliament has said that the judiciary overreaches its constitutional power.
- In Prakash Singh v. Union of India, the petitioners sought directions against the Union of India and State Governments to constitute various Commissions and Boards laying down the policies and ensuring that police perform their duties and functions free from any pressure and also for separation of investigation work from that of law and order.
- Similarly, in Vineet Narain v. Union of India, the Supreme Court invoked Articles 32 and 142 of the Indian Constitution and issued directions to the

government in order to bring transparency and accountability in the Central Bureau of Investigation (CBI).

- On May 11, 2016, the Hon'ble Supreme Court of India in Swaraj Abhiyan-(1) v. Union of India & Ors., 50 directed the Ministry of Agriculture in the Union of India to update and revise the Drought Management Manual. The apex court also directed the Union government to set up a National Disaster Mitigation Fund within three months. Nevertheless, Finance Minister, Arun Jaitley expressed the difficulty to create a third fund outside the National Disaster Response Fund and the State Disaster Response Fund, keeping in view that the Appropriation Bill is being passed. This incident raised concerns about India's budget-making being subject to judicial review.
- Recently, on 16 October 2015 the Constitution Bench of Supreme Court in Supreme Court Advocates-on-Record-Association v. Union of India, 52 in a majority of 4:1 declared the National Judicial Appointments Commission (NJAC) Act and the Constitutional Amendment unconstitutional as violating judicial independence. The Court said that the existing collegium system relating to appointment and transfer of judges would again become "operative." Justice Khehar said that the absolute independence of judiciary, from other organs of governance, protects the rights of the people.
- The Supreme Court's rulings on National Eligibility-cum-Entrance Test (NEET) i.e., single test for admissions in medical courses, reformation in Board for the

Control of Cricket in India (BCCI), filling up the judges' post, etc. have been considered as the judicial intervention by the government.

- The Supreme Court itself in Divisional Manager, Aravali Golf Course v. Chander Has observed that: "Judges must know their limits and must not try to run the Government. They must have modesty and humility, and not behave like Emperors. There is broad separation of powers under the Constitution and each organ of the State-the legislature, the executive and the judiciary- must have respect for the others and must not encroach into each other's domains,"
- Autocratic: Collegium has been evolved by the judiciary itself for retaining the power to select judges by itself. There is no accountability to the collegium system as judges select their own judges.
- Unaccountable: Selection of judges by collegium is undemocratic since judges are not accountable to the people and representative of peoples i.c. executive or legislative.
- Non-transparency and opaque: There is no official procedure for selection or any written manual for functioning. Selective publication of records of meetings with no eligibility criteria of judges, bring opacity in collegium's functioning.
- Promotes nepotism: Sons and nephews of previous judges or senior lawyers tend to be popular choices for judicial roles. Thus it encourages mediocrity in the judiciary by excluding talented ones.
- Inefficient: Collegium has not been able to prevent the increasing cases of vacancies of judges and cases in courts.

- Ignores judicial guidelines: The recent supersession in appointment is inconsistent with the view of the Supreme Court in the Second Judge's case, 1993, where it laid that, seniority amongst Judges in their High Courts and on all India basis is significant and should be given due consideration while making appointments of Judges to the Supreme Court.
- Against established conventions: The convention of seniority has long been held as the procedure for appointments but supersession ignores and abdicates this convention, creating space for subjectivity and individual bias in appointments.
- No reforms made after fourth judges case: After striking down the NJAC, the court did nothing to amend the NJAC Act or add safeguards to it that would have made it constitutionally valid. Instead, the court reverted to the old Collegium-based appointments mechanism.
- The Royal Commission on Decentralisation in 1907 was the first to highlight the constitution and development of village panchayats with administrative powers and jurisdiction in 'petty' civil and criminal cases.
- The first state to introduce these panchayats through legislation was Madras through the Village Courts Act of 1888. This was followed up by most of the other states in the country at that time.
- Legal reform attempts in India have frequently grappled with the problem of providing access to justice to rural litigants. In the early years of the Indian

republic, the now infamous Nyaya Panchayats were tasked with this responsibility.

- Legal reform attempts in India have frequently grappled with the problem of providing access to justice to rural litigants. In the early years of the Indian republic, the now infamous Nyaya Panchayats were tasked with this responsibility.
- In 2008, the Parliament of India made a renewed attempt to address this problem through the passage of the Gram Nyayalaya Act, intended to result in the setting up of over 5,000 Gram Nyayalayas across the country.
- Nyaya Panchayats are in many ways a concrete manifestation of the 'village panchayat idea of dispute resolution.
- The Indian Parliament represents the kind of democratic politics that few could have envisaged when universal suffrage was introduced in 1951. Its composition, especially in the Lok Sabha the lower house or House of the People has been a reliable index of the changing political preferences of Indian voters.
- One of the most precarious episodes for parliamentary democracy was the "state of emergency" that Prime Minister Indira Gandhi declared in 1975. Most political analysts believe that this was done to preserve her political position and was not warranted by the national interest.
- There is also a general sense that the procedural norms that are the basis of parliamentary practice began to erode, particularly after the mid-1970s. The

weakening of political parties, the multiplicity of political parties represented in Parliament-from five in the first Lok Sabha to nearly 40 in those elected a half-century later and the changing nature of constituent services and re-election incentives have all transformed the institution of the Indian Parliament. But despite many shortcomings, Parliament has endured as an institution,

- Incentives for monitoring and oversight of the executive simply do not exist: the effort is high and the potential pay-off limited. Opposition parties are likely, therefore, to focus more of their attention on political scandals such as financial scams and corruption cases, where they can attack individuals rather than try to force institutional and systemic changes.
- Opposition parties are unable to generate new information about government activities that can allow them to take the executive to task. Virtually all opposition parties are reactive rather than proactive, reflecting the extreme organizational weakness of Indian political parties
- Opposition parties tend to focus on issues judged to have significant immediate political pay-offs rather than on the day-to-day functioning of government.
- Today's India is a lot different. Today, we live in a society where your ability to speak "A PARTICULAR" language fluently, your family background etc. have little impact on your professional success. There used to be a barrier between the people and the government that was broken in the year 2014.
- There was a time when so-called people's representatives used to be ashamed of speaking their own language. Many prided themselves on having

a foreign education but lacked even basic knowledge about their people or their culture. There was a feeling of elitism among the ruling class and a "Laal Batti Culture" persisted which was decimated by the BJP.

- This culture of elitism was fueled by Nepotism, Corruption and Vote Bank Politics. These social evils were so deeply entrenched in society that people considered it a norm. For a long time there persisted a time where if a politician was arrested for corruption, the people were OK with it. People were OK with the fact that the "Bhai Bhatija" of a politician was favoured. People were OK voting on the basis of their caste. But there came a time when the people stopped being OK with it.
- When they realised that they deserved better. The growing disillusionment in the public against the erstwhile political class, and I use the term, political class very carefully here. Uproot them, make the people do what people do best. Nepotism was uprooted, Corruption was uprooted, Casteism was uprooted.
- Today, we live in an India that values talent above everything else. An India that rejects any kind of attempt to suppress merit. As we step into "Amrit Kaal" and celebrate becoming a democracy in 1947 we must remember that being a political democracy is very different from being a social democracy.
- A Social democracy is one where everyone has a chance of rising to the top and vying for the top, not a "chosen few" who have familial relations with or choose to appease those in power. "Amrit Kaal" has immense opportunities

for us as a nation, but they can only be pursued in a nation where such barriers do not hinder the population.

- We became a democracy politically, but one can argue that Indian society is socially democratising, only today. Besides social upliftment the vast number of opportunities that are available to this generation poised to make India a Developed Nation by 2047.
- Nehru and Ambedkar did not differ much in terms of ideology, but had significantly contrasting views about their execution, particularly with
  [21:44, 14/12/2024] Pankaj Chaudhary: regard to their ideas on caste reservations, codification of Hindu law, and foreign policy.
- Kashmir too was an issue on which these two founders of modern India differed drastically. However, Nehru also held a deep respect for Ambedkar. Upon hearing about his death in 1956, Nehru wrote a tribute stating that Ambedkar "had been a very controversial figure in Indian politics, but there can be no doubt about his outstanding quality."
- Whereas Ambedkar had witnessed social injustice up close, Nehru, as a Brahmin, had been more insulated. So while Nehru did write about the detrimental effects of caste politics, he was not in favour of abolishing the system altogether as Ambedkar advocated.
- In a book compiling his writings and speeches, Vasant Moon elaborates on Ambedkar's sharp criticism of the Congress's, and by extension Nehru's, approach to caste. He writes, "According to Dr Ambedkar, a political revolution

couldn't succeed unless it was preceded by a socio-religious revolution. But the Congress never worked for a social revolution aimed at dismantling caste."

- In 1947, Sardar Vallabhbhai Patel proposed abolishing reserved seats altogether, Incensed by the notion, Ambedkar threatened to walk out of the Constituent Assembly, and subsequently, Patel's plans were shelved.
- In a letter to chief ministers in 1961, Nehru emphasised the virtues of meritocracy, writing, "They (Scheduled Castes and Tribes) deserve help but. even so, I dislike any kind of reservation, more particularly in service. I react strongly against anything which leads to inefficiency and second-rate standards."
- Ambedkar would often accuse Nehru of devoting his "whole time and attention" to the protection of Muslims. Stating that while he too was determined to safeguard the rights of Muslims, he also believed in elevating other marginalised groups. "What concern has he shown for these communities?" he asks of Nehru. "So far as I know, none, and yet these are the communities which need far more care and attention than the Muslims."
- Another issue Ambedkar had with the prime minister was with his global strategy. Nehru was much lauded domestically and internationally for his utopian foreign policy, but Ambedkar remained one of his few critics.
- Unlike Nehru, Ambedkar believed that a developing country like India ought to form strong ties with powerhouses like the United States while rejecting the notions of communism. In Ambedkar: A Critical Study, historian W N Kuber

writes that Ambedkar's chief concern internationally was the expansion of communism. By extending friendship to Russia and China. Ambedkar believed that Nehru had isolated himself from the western world. prioritising peace over democratic ideals. According to Kuber, Ambedkar accused Nehru of wanting to solve the problems of other countries instead of focusing on the problems India itself was facing.

- Adding to that, Dhananjay Keer, a biographer of Ambedkar, argues he believed that Nehru was subverting the very ideals of democracy. In Dr. Ambedkar: Life and Mission, Keer alleges that Ambedkar repeatedly questioned Nehru on his decision to befriend communist states, telling him, "if you want Parliamentary democracy, then you should be friendly with those who have Parliamentary Governments and are trying to protect it against the Communist attacks."
- Ambedkar's views on Nehruvian foreign policy is best understood in a speech he gave in 1951, shortly after resigning from the cabinet: "Every country in the world was our friend. Today, after four years, all our friends have deserted us. We have no friends left. We have alienated ourselves. We are pursuing a lonely furrow with no one even to second our resolutions in the U.N.O. When I think of our foreign policy. I am reminded of what Bismarck and Bernard Shaw have said. Bismarck has said that 'politics is not a game of realising the ideal. Politics is the game of the possible. Bernard Shaw not very long ago said that good ideals are good but one must not forget that it is often dangerous to be

too good. Our foreign policy is in complete opposition to these words of wisdom uttered by two of the world's greatest men."

- Ambedkar also opposed Nehru's stance on Kashmir, advocating for a zonal plebiscite that would account for the sentiments of non-Muslims living in the region. In an interview from 1951, Ambedkar, in opposition to Congress policy, stated: "I fear that a plebiscite in Jammu and Kashmir may go against India. In order to save the Hindu and Buddhist population of Jammu and Ladakh from going to Pakistan, in such an eventuality, there should be zonal plebiscite in Jammu, Ladakh, and Kashmir."
- The irony in that is on domestic matters like caste representation and the Hindu Code, Ambedkar, not Nehru, favoured ideals over pragmatism. Internationally, however, he was critical of Nehru for the very same charges.
- Had Nehru been put in charge of the States Department when it was formed in late June 1947, his visceral hatred of the princes would have sabotaged any hope of seeing a majority accede to India. When in April that year he warned that any state that did not accede would be treated as hostile, many princes took it as a sign that there was no future for them in a Congress-led India.
- Patel, who took on the role of States Minister, employed a more diplomatic and pragmatic approach, appealing to the princes' proud, glorious past, when their ancestors 'had played highly patriotic roles in the defence of their family honour and the freedom of their land'. Working strategically, he cultivated close links

with influential rulers who would then convince their fellow princes of the benefits of joining the Indian Union.

- This difference in style Nehru's inability to rise above his beliefs, Patel's profound pragmatism in the service of his nation would show up in frequent clashes. The two men argued bitterly, with Nehru accusing Patel of communalism. The prime minister's reluctance to use force to deal with threats to India's territorial integrity thrown up by Junagadh's accession to Pakistan, the tribal invasion of Kashmir, and Hyderabad's declaration of independence, infuriated his deputy
- When Junagadh's reclusive, canine-obsessed ruler Mahabat Khan announced his state's accession to Pakistan, Patel immediately recognised the implications. If India accepted Khan's legal right to decide which dominion to join, it would set a precedent for another Muslim prince ruling a Hindu-majority state, namely, Hyderabad. Not challenging the accession would give Pakistan the right to object to the Hindu ruler of Muslim-dominated Kashmir opting for India. To avert such scenarios. Patel insisted that India intervene militarily. This time, it was his turn to threaten to resign, accusing Nehru of a failure to stand up to the British officers commanding the armies of both dominions who feared that such intervention would lead to an all-out war. He also clashed with the prime minister over his offer to hold a plebiscite in Junagadh, calling it unnecessary and uncalled for.

- At a defence committee meeting convened on October 26 to determine a response to the invasion, Col. Sam Manekshaw, later Chief of Army Staff, witnessed Patel angrily demanding that Nehru declare whether he wanted to keep Kashmir or give it away. 'He [Nehru] said, "Of course, I want Kashmir." Then he [Patel] said, "Please give your orders." And before he could say anything. Sardar Patel turned to me and said, "You have got your orders.""
- When it came to Hyderabad, Patel initially took a hands-off approach, preferring Nehru to deal with the recalcitrant Nizam, Osman Ali Khan. But as the crisis dragged on, it was Patel who took the initiative to prepare for a military invasion to put an end to the state's bid for independence.Once again, Nehru opposed using force to end the crisis. Tensions came to a head at a meeting in September 1948, where Nehru lashed out at Patel calling him a 'complete communalist, Patel sat in silence as Nehru continued his harangue and then walked out of the room. The episode so shocked him that he had a heart palpitation and had to be put on oxygen
- When Modi assumed office in 2014, critics quickly labelled him a "provincial politician" lacking in foreign policy experience. His "Hindu nationalist" background was seen as a potential hindrance to India's relations, especially with the Islamic world. However, Modi surprised both detractors and supporters by adopting a pragmatic foreign policy centred around the 'India first principle.

- In the past decade, the perennial, artificial divide between domestic and foreign policy has blurred. India's primary focus remains its domestic development, which requires a comprehensive, collaborative approach. Indian diplomacy is aligned with these developmental goals, fostering a pragmatic stance in New Delhi's external outreach. While partnerships are crucial, India's needs, rather than ideologies, shape its engagements. This pragmatic approach is evident in India's robust ties with the West and its sustained partnership with Russia amid the complex Ukraine crisis. Indeed, India has effectively insulated its global engagement from the surrounding turbulence.
- In view of emerging geopolitical equations, India has minted its unique brand of multi-alignment to grapple with an increasingly multipolar world which underlines the country's growing confidence in harnessing ties with mutually antagonistic power centres without getting sucked into zero sum games.
- This approach was crystallized in PM Modi's vision of a free, open and inclusive Indo-Pacific at the Shangri La Dialogue in June 2018. In his speech, PM Modi underlined the centrality of ASEAN to the new IndoPacific and rejected any attempt to portray the Indo-Pacific Region as a club of limited members.
- In sync with this vision, New Delhi played a constructive role in bolstering the Quad grouping comprising India, US, Japan and Australia and in shaping outcomes of the two Quad summits held so far. In yet another sign of nimble-footed diplomacy, New Delhi has joined a new Quad comprising India, Israel,

UAE and US, which is focused on enhancing economic cooperation in West Asia.

- There are many other achievements in the realm of foreign policy the NDA government can take justifiable pride in. India has been admitted as a member of top global atomic export regimes, including Missile Technology Control Regime (MTCR), the Wassenaar Agreement and the Australia Group. Signalling India's rising regional profile, India was admitted as a full member of the Shanghai Cooperation Organisation at the SCO summit in Astana in June 2017.
- Indian culture has a hoary past and a pretty ancient history with inspiring ideas and ideals. India has the fortune of possessing one of the finest cultures in the world in the form of Vedic wisdom. It is characterised by integral, holistic and spiritual view of Reality and a way of life based on that.
- In fact, whatever existed, whatever exists and whatever shall come into existence, all are manifestations of the same Divine Being, declares the Puruşa Sūkta of the Rgveda. The Īśāvāsyopanişad of the Yajurveda states that in this mutating world every element is divine and is permeated by the Divine. It is one, unitary, self-existing principle which manifests Itself diversely, says the Näsadīya Sükta of the Rgveda. It is also experienced and expressed diversely.
- It is a unique feature of Indian culture which exhorted not to have the mentality of "I versus thou". Instead, it advocated the attitude of "I and we". This is

spiritual globalisation which is cherished and inculcated by Indian seers and sages all the times. The 'other' is not to be considered as external or alien or separate. The ideal to be emulated is universalisation of 'self", feeling oneness with the entire cosmos.

- Indian culture has been holistic and integrated, catholic and symbiotic. This has provided it an inherent vitality. There are some noble ideas and ideals contained in it which are not only endearing but also liberating. That is why it has permeating influence within and outside India. This is what the Urdu poet Mohammad Iqbal has very convincing pointed out some time back in his well-known poem, "Säre jahän se achhä Hindusatän hamärä" in which he proudly declares that, Kucha baat hai ki hasti, mitati nahin humaari Sadiyon rahaa hai dushman daur-e-jahaan hamaara

  -Taranaa-e-Hind, 1904

  (There is something momentous in Indian culture because of which it could not be wiped out in spite of the onslaughts of inimical forces for centuries together.)Iqbal refers to the survival instinct of Indian culture which contains inherent vitality, the perennial force, the elan vitae. It has a vitalising and animating force of its own and yet it does not deny nourishment and nurture from extraneous sources as well by incorporating and absorbing them as its own. Both the variety and continuous identity are the assets of Indian culture. It is living and has vitality to live. Because of its organismic nature and character, it displays a unity-in-multiplicity and becomes conducive to self-identity and self-preservation as well as group solidarity and group-cohesion.

- The Vedas constitute the pristine foundation of Indian culture. They exhort for establishment of a virtuous society (vrati samāja). They inculcate a healthy and robust attitude towards life. They have provided ideas and ideals, moral and spiritual values, beliefs and practices, and patterns of behaviour individual and social on the basis of deep insight into the nature of Reality, which have universal appeal and inherent vitality to survive in spite of all odds and vagaries of history and which still continues to provide life sap to its adherents and votaries. It would be certainly beneficial to the whole of humanity if those sublime ideas are reiterated in their pristine purity so that the discerning human mind can evaluate and emulate them.
- The universalistic and unifying life vision of Sanatana Dharma was misinterpreted and wrongly explained in conformity with the rising requirements of the caste system based social, cultural, economic and political organisation of Indian society. The caste system with its denial of knowledge and education for the majority of Indian population over a long period of time had contributed to the cultural, social, emotional and mental division of Indian masses leading to social disintegration and cultural decay of the society. If the culture is to be the agent of social unity and solidarity the religious practices, traditions and customs that are contrary to the universalistic and sublime vision of the Indian culture and have segregated and divided people, they are to be identified and demystified grounding on the basis premises of the wisdom tradition of India.

- Therefore, the objective of the present write up is to revisit and evaluate culture as means to foster unity and national integration and examine the factors that have historically disrupted and destroyed the creative transmission and progress of the Indian culture. It is also purported to explore and suggest the means by which the arrested social evolution can be resumed and cultural creativity and awakening achieved so as to bring about unity and solidarity of the people beyond caste and religion. Similarly, it is important to examine the religious and cultural onslaught of foreign powers and modern western civilisation on the Indian spirituality, religion, society, culture, economy and polity and suggest appropriate measures to counter the same and establish the rationality and spiritual science behind Indian ethos, religious faiths and practices.
- Several scholars and studies have questioned the relevance of cultural nationalism in the emerging Indian social scenario characterised by the rising conflicts and violence among various castes and social groups. With vested interested they have tried to project a distorted picture of age-old Indian culture and civilisation. Of course, they have failed in their nefarious design as the unbiased mind has not acceded to their sinister move but some are still active and more vehement out of frustration. They need to be enlightened as to what "India that is Bharata" has been and will continue to be so in spite of all malicious attempts by misguided or ill-minded persons. India has a pretty ancient history with sublime ideas and all these cannot be wiped out However,

while examining India's robust cultural past and civilisational achievements, there appears to have future prospect to promote and develop cultural nationalism provided the spiritual masters, religious leaders and followers along with political leadership strive to promote cultural creativity and social change by de-fossilising the traditions and rectifying deviations and distortions in the religious faiths and practices. Indianness is based on the principles of cooperation and reciprocity regulated by the spirit of duties and obligations rather than demands and rights.

- For centuries, since the time of the Indus Valley civilization and even during the Vedic period/advent of the Aryans, the elements, trees and animals have been worshipped and even deified. The reason perhaps is that the culture and economy of the subcontinent of India, was and still is, primarily agrarian.
- Therefore, early settlers and latter-day invaders (who became settlers) recognized the importance of the sun in aiding the growth of crops for food, of rain and rivers for water and the wind for navigation. As culture expanded, animals were deemed an important part of the process of civilization, and were regarded as significant religious or totemic symbols. Hymns were composed in their honour, that the gods that governed them would always be propitiated. In many traditions such as Jainism, even insects were accorded importance; Jain monks sweep their seating places so as not to injure the tiny creatures that may be there. Certain animals came to represent certain covetable characteristics while others served as indicators of natural cycles. The

ecological importance of these creatures was also acknowledged. This worship would be institutionalized in religions like Hinduism, Jainism and Buddhism as well as Kautilya's Arthashastra (an ancient treatise on administration) and Emperor Ashoka's edicts.

- On 9 March, 1858, on the concluding day of the trial of Mughal Emperor he was sentenced to be deported on account of his involvement in the Sepoy Mutiny of 1857.
- When it became clear that the East India Company was gaining an upper hand in Delhi, he fled from his palace and hid in Humayun's Tomb along with some of his family members.
- But Major William Hodson arrested him on 20 September 1857.
- After his arrest, his two sons and a grandson were shot and killed in public by Hodson.
- The Special Component Plan (SCP) for Scheduled Castes in India was launched in 1979-80. It was renamed as the Scheduled Castes Sub Plan (SCSP) in 2006, and then as the Allocation for the Welfare of Scheduled Caste (AWSC) in 2017. The SCP was introduced to ensure that the development of Scheduled Castes received a proportionate share of plan resources.
- The National Commission on Scheduled Castes (NCSC) was formed on 19th Feb 2004 during the Vajpayee Government.
- National Commission for Backward Classes (NCBC) was initially constituted by the Central Govt by the National Commission for Backward Classes Act, 1993 but given constitutional status only in 2018.

*__SHRI G. SELVAM (KANCHEEPURAM):__ We are celebrating the 75 glorious years of the adoption of the Constitution of India. On the Constitution Day during the 18th Lok Sabha, when Hon. President addressed the Hon. MPs at a Joint Session, words like Secularism and Socialism were omitted in her speech. This is a matter of great concern. Dr. Ambedkar drafted our Constitution of India to benefit the people belonging to all the sections and communities of our country.

I urge that we should work together to protect our Constitution which was created by the united efforts of our freedom fighters and great leaders. Hon. Speaker Sir, let us protect the Constitution of India drafted by Dr. Ambedkar by upholding it for the welfare of our people and to create a secular and just country which treats everyone as equal irrespective of caste and creed.

Thank you

*__श्री चन्द्र प्रकाश चौधरी (गिरिडीह) :__ हम सभी जानते हैं कि 26 नवंबर, 1949 को संविधान सभा ने भारत के संविधान को अपनाया, जो 26 जनवरी, 1950 से प्रभावी है।

संविधान भारत के लोकतांत्रिक ढांचे की आधारशिला है। इन 75 सालों मे जितने भी प्रधानमंत्री बने और जितने भी जनप्रतिनिधि हुए, न्यायपालिका और कार्यपालिका और देश की जनता सभी का धन्यवाद भी करता हूँ क्योंकि सभी के परस्पर सहयोग से ही यह देश आज इस मुकाम पर पहुंचा है।

मेरे से पहले माननीय सदस्यों ने संविधान की मूल्यों की बात की और किस तरह संविधान ने इस देश की अखंडता को बनाए रखा है और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व ने भारत को एक महाशक्ति के रूप में बनाया है और विकसित भारत बनाने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं।

---

* English translation of the speech originally laid on the Table in Tamil.

* Speech was laid on the Table.

भारतीय संविधान के भाग-II में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है, जो नागरिकों को दिए गए अधिकार हैं, जिसमें 'संस्कृति का अधिकार' अपनी संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है। भारतीय संविधान के भाग IV-A में मौलिक कर्तव्यों का विवरण है, जिन्हें 42वें संशोधन (1976) के तहत जोड़ा गया। मैं अनुच्छेद 51क का जिक्र करना चाहूँगा, जिसके अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक के कर्तव्य के बारे में कहा गया है और जिसमें भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा रक्षा करने की बात है। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा के महत्व को समझने और उसका परीक्षण करने की बात की गयी है।

मैं इस बात को इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं जिस प्रदेश से आता हूँ, झारखंड से, और कुड़मी समुदाय से भी आता हूँ, जो अपनी पहचान और संस्कृति बचाने के लिए लंबे समय से संघर्ष कर रहा है। मैं सरकार से यह बताना चाहता हूँ कि कैसे संविधान बनाते हुए यह समाज अचानक गायब-सा हो गया, जिसके बारे में कोई नहीं जानता, जिसकी वजह से उसकी पहचान और उसकी संस्कृति और सभ्यता पर सवाल उठ गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, अखण्ड भारत की पहला जनगणना (Census) में ही कुड़मियों को झाड़ी Tribes या वुड (wood)Tribes चिह्नित किया गया था। इस Census के बाद ही वृहत् छोटा नागपुर Schedule District घोषित कर Schedule District Act, 1874 पारित किया गया था, जो 25 November, 1949 तक लागू था। इस वृहत् छोटा नागपुर में कुड़मी जनजाति की आबादी सभी जनजाति से अधिक थी। Bihar-Orissa Province बनने के पूर्व ही Chhotanagpur Tenancy Act, 1908 पारित किया गया, जिसमें कुड़मी को Aboriginal Raiyat (आदिवासी रैयत) कहा गया था। 1911 के Census में कुड़मी को Aboriginal (आदिवासी) लिखा गया और 1913 में कुड़मी Aboriginal Tribe होने के कारण अन्य बारह जनजाति (Aboriginal Tribes) के साथ इन्हें भी Indian Succession Act, 1865 से अलग रखा गया, क्योंकि ये सभी जनजाति का अपना-अपना Custom है और उसी से ये लोग गाइड होते हैं। Tribe लोगों का वही एकमात्र पहला और अंतिम Custom notification है। 1950 में जिस तरह से 1931 के Tribes को ही Scheduled Tribes बनाया है, परन्तु सभी Tribes को आज तक Scheduled Tribes नहीं

बनाया है। किन कारणों से कुड़मी समुदाय को 1931 के tribes में शामिल होने के बावजूद 1950 में Scheduled Tribes नहीं बनाया गया?

कुड़मी जाति के लोग प्रकृति पूजक हैं। सभी विधि-विधान प्राकृतिक हैं, जो धान वृद्धि व पशुधन समृद्धि में सहायक हैं, सभी परब धान वृद्धिचक्र आधारित हैं, जनम संस्कार, धरम /सूरजाहि पूजा, बिहा संस्कार, मरखि घाट कामान संस्कार किए जाते हैं। चइत परब, करमा, जितिआ, बाँदना और टुसू परब इनके प्रमुख त्योहार हैं। वे मड़पथान में बुढ़ाबाबा और ग्रामथान में गराम की पूजा करते हैं। कुड़मि महतो समुदाय ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में विभिन्न विद्रोहों में भूमिका निभाई। 1785-1800 में कुड़मी महतो समुदाय अंग्रेजों के खिलाफ चुआड़ विद्रोह में शामिल हुए। रघुनाथ महतो उनके प्रमुख नेता थे। बुली महतो 1831 में कोल विद्रोह के नायकों में से एक थे। चानकु महतो ने गोड्डा जिले में किसान विद्रोहों का नेतृत्व किया। 1915 में असहयोग आंदोलन में भी सक्रिय रूप से भाग लिया। इस आंदोलन में गोकुल महतो, मोहन महतो, शीतल महतो, सहदेव महतो, गणेश महतो शहीद हुए।

महात्मा गांधी के सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गिरीश महतो, नानक चंद्र महतो, गोविंद महतो, दशरथ महतो, चुनाराम महतो, मथन महतो और अन्य को हजारीबाग जेल में कैद किया गया था। पदक चन्द्र महतो को भागलपुर जेल में भी कैद किया गया था। सागर महतो, भजहरी महतो, भीम महतो, सत्यकिंकर महतो, मोहिनी महतो को 1941 में सत्याग्रह करने के लिए कैद किया गया था। फिर 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सत्यकिंकर महतो को मनबाजार से कैद कर लिया गया था। 1942 में मानबाजार थाने की घेराबंदी के दौरान चुनाराम महतो और गोविंद महतो शहीद हो गए थे। महिलाओं में भाविनी महतो ने प्रमुख भूमिका निभाई। धनबाद के जगदीश महतो ने भी भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। हम कुड़मी अपने जमीन अपने हक और अपने संस्कृति के लिए लड़ते रह गए। संविधान सभा में झारखंड से जयपाल सिंह मुंडा और बोनिफास लकड़ा थे। कुड़मी जाति से कोई इतना विकसित या पढ़ा लिखा नहीं होगा, जो जयपाल सिंह मुंडा जितना विद्वान होंगे जिन्होंने धर्म परिवर्तन कर क्रिश्चियन बन कर मिशन स्कूल में पढ़ाई की, विदेश जाके पढ़े। कुड़मी जाति अपनी जमीन, अपनी संस्कृति बचाने में रही और कोई इतना विकसित ही नहीं था, जो संविधान सभा

में शामिल किया जा सके और इस अन्याय के खिलाफ बोल सके कि कैसे 1931 में आदिवासी कहलाने के बावजूद जब संविधान बनाया जा रहा था, तो कैसे इस जाति को हटा दिया गया। वजह जो भी रहा हो, मैं कोई षड्यंत्र या गलती के बारे में कुछ नहीं बोल रहा, लेकिन संविधान के 75वें साल के दौरान भी अगर इस बात का जिक्र न हो तो गलत होगा कि एक जाति की पहचान उससे छीन ली गयी और 75 साल के बाद भी उसे न्याय नहीं मिला है। पिछले पाँच साल से मैं इस मुद्दे को सरकार के समक्ष उठा रहा हूँ। राष्ट्रपति के पास भी इस मुद्दे को रखा।

इसके साथ ही यह भी बताना चाहता हूँ कि कुड़मी समुदाय की भाषा कुड़माली के साथ भी अन्याय हो रहा है। झारखंड राज्य में पांच जनजातीय एवं चार क्षेत्रीय भाषाएँ जैसे संथाली, कुडुख, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़माली, खोरठा, पंचपरगनिया और नागपुरी राज्य के लोगों द्वारा बोली जाती हैं। इनमें से सिर्फ संथाली भाषा को आठवीं अनुसूची में शामिल किया गया है जबकि आठ अन्य जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा को शामिल नहीं किया गया है। किन कारणों से इन भाषाओं को छोड़ा गया है? कुड़माली भाषा झारखंड, बंगाल, असाम और ओडिशा राज्यों में लगभग तीन करोड़ कुड़मी एवं अन्य समुदायों द्वारा बोली जाती है।

आगामी जनगणना के भाषा कॉलम में कुड़माली के स्थान पर कुड़माली थार को रखा गया है जबकि कुड़माली को अन्य के रूप में रखा जा रहा है। कुड़माली भाषा झारखंड राज्य की द्वितीय राजभाषा के रूप में भी दर्ज है। कुड़माली भाषा का पठन-पाठन झारखंड राज्य के पाँच और पश्चिम बंगाल राज्य के दो विश्वविद्यालयों सहित कुल 07 विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जाती है। इस प्रकार कुड़माली को आठवीं अनुसूची में एवं जनगणना कॉलम में शामिल नहीं करना बेहद पक्षपातपूर्ण और अन्यायपूर्ण भी है। झारखंड का एक समाज अपनी पहचान और अपनी भाषा के लिए संघर्ष कर रहा है और संविधान के 75वें साल होने पर जब यह चर्चा हो रही है तो उस गलती को सुधारने का भी एक मौका हमारे पास है। मै आशा करता हूँ कि इस अमृत काल में कुड़मी समुदाय को उसकी पहचान वापस मिलेगी। धन्यवाद।

***श्री विशालदादा प्रकाशबापू पाटील (सांगली)** संविधान के 75 वर्ष के गौरवशाली यात्रा की चर्चा में अपने विचार व्यक्त करने का अवसर प्रदान करने के लिए धन्यवाद।

इस संविधान के चर्चा के हेतु हमारे महान स्वतंत्र सेनानी के अहम भूमिका को मैं नमन करता हूँ। जिन वसंत दादा पाटिल ने अंग्रेज की गोलियाँ सही ताकि देश को आज़ादी मिले उनके पोता होने का अभिमान है मुझे। जिन बाबासाहेब आंबेडकर ने इस संविधान का निर्माण गठित किया, उनके पोते प्रकाश आंबेडकर जी के योगदान के कारण आज मैं यहाँ हूँ और इस बात पे भी मुझे बहुत अभिमान है।

Babasaheb had said: "We are entering a life of contradictions. We will have equality in law but inequality in fact. Reservations are a remedy for these contradictions". But have the remedies worked? Did we resolve these contradictions? आज भी NCRB (2022) का रिपोर्ट दिखाता है कि crimes against Dalits reflects an increase of 13.1% over 2021 (50,900 cases) Despite making up only 16.6% of the population, आज भी 21.7% convicts and 21% undertrials Dalit है।

ठीक उसी तरह आदिवासी समाज जो 8.6% of population है लेकिन आज भी वे 13.6% of convicts and 10.5% of undertrials हैं उनकी condition educational institutions and jobs में अभी भी बेहतर नहीं हो पाई है आज भी in higher education, Dalit students constitute only 14.7% and Adivasi students just 5.6% of total enrollments, which is below their population proportions. In Group A jobs (senior positions), only 13% are held by Dalits and 5.5% by Adivasis. In contrast, they are overrepresented in lower-level jobs such as sanitation workers (37% Dalits).

Thus we must ask ourselves, are we doing enough? Have we not collectively failed as a society to attain principles of social justice? Preamble talks

---

* Speech was laid on the Table.

of equality of Status and Opportunity. Have we been able to deliver it Law and order की अवस्था इतनी बत्तर है कि आज भी कुछ इलाकों में एक दलित दूल्हे को अपनी शादी में घोड़े पर बैठने के लिए पुलिस सुरक्षा की आवश्यकता होती है। Mandir Jaane pe bhi Dalito par kai gavo me virodh kiya jaata hai. Discrimination in universities is widespread, with many Dalit and Adivasi students facing verbal abuse, ostracization, and systemic bias from faculty and peers

इन सब चीजों के बावजूद आज भी संविधान है Every strata of society still believes in the constitution and the belief that the constitution will save them पर मैं ये भी मानता हूं कि संविधान पे बहुत से हमले हुए हैं चाहे वो Congress के शासन में भी हुए but this constitution withstood everything and still stands strong Speaker sir, To talk about **"**बांटेंगे तो काटेंगे**"** is a Attack on the Constitution. What Happenned in Parbhani, Maharashtra is an attack on the constitution या फिर "एक है तो safe है" वाले नारों का इस्तेमाल ये सब संविधान पर हमला है। मनुस्मृति की बातें करना ये भी संविधान पे हमला है। संविधान के basic structure को बदलने की बातें भी संविधान पे हमला है। क्या सरकार मुझे ये बता पाएंगी कि ये बातें संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा है? Vajpayee jee ne Kaha that "Sarkare Aaengi Jaengi, Partiya Banengi bhogdengi, Magar yeh Desh rehna Chahiye, Is Desh ka Loktantra Amar Rehna Chahiye".

मुझे यकीन है कि हमारा संविधान इतना मजबूत है कि वह ऐसे दौर से भी उभर आएगा। संविधान की रक्षा करना जनता जानती है, इसलिए 400 पार का सपना सपना ही रह गया।

The BJP selectively quotes Dr Babasaheb for every Negative statement against the Congress. That was the greatness of the congress party that it allowed individual opinions to be freely spoken. Does the government of Today have the freedom, where its members can convey dissent. Lets all strive to achieve what

our founding fathers and Dr Babasaheb Ambedkar jee envisioned and dreamed of. Thank you.

***ADV. ADOOR PRAKASH (ATTINGAL):** I would like to express my views on a matter of grave importance – our Constitution, the very foundation of our democracy. It is a document drafted through the wisdom of our founding leaders, embodying the aspirations of millions. It guarantees liberty, equality, and fraternity to all citizens, and it ensures that the will of the people, expressed through Parliamentary democracy, remains supreme.

However, I stand here with a heavy heart. The threat to our Constitution under the current regime is not a distant worry; it is a clear and present danger. Hon. Prime Minister, Shri Narendra Modi's tenure has systematically undermined the letter and spirit of our Constitution. His actions declare without subtlety- "I am the Constitution". Parliament is the cornerstone of our democracy – a space for deliberation, dissent, and accountability. Yet, under this Government's regime, it has been reduced to a shadow of its former self. The hon. Prime Minister has not answered a single question during Question Hour in the past ten years. On most occasions, these questions are answered by the Minister of State of the Prime Minister's Office. The Prime Minister's Office answered just 13 questions in Parliament till 2022, as compared to Shri Manmohan Singh's 85 questions during the ten years of the United Progressive Alliance Government. The 'Question Hour', once the soul of Parliamentary accountability, has been hollowed out.

---

* Speech was laid on the Table.

The numbers speak for themselves: during the 17th Lok Sabha, only 17.6 per cent Bills were referred to Committees for scrutiny – a stark contrast to the 60-70 per cent under previous Governments. The tradition of having a Deputy Speaker, a symbol of bipartisan functioning, was disregarded entirely. This deliberate sidelining of Parliamentary conventions is not an accident. It is a calculated attempt to erode our democratic institutions. Under the current Government, dissent is not just discouraged, it is punished. Opposition leaders, activists, and even journalists have been targeted using State machinery. The conviction and disqualification of Shri Rahul Gandhi ji timed to perfection, are but one example of how this Government uses the law as a weapon against political adversaries. The misuse of investigative agencies has reached unprecedented levels. The number of Enforcement Directorate (ED) raids has shot up to 3,010 and chargesheets filed only in 29 per cent of the cases during 2014-2023 under the Modi regime, while under the UPA Government, 93 per cent of the cases had chargesheets filed. The Ministers, Opposition leaders, and activists languish in prison often without trial. Even old aged activists like Father Stan Swamy faced the ultimate indignity of dying in custody. ‘Federalism’ which is a vital pillar of our Constitution is under attack. Governors have become instruments of the ruling Party, withholding State Bills and interfering in Opposition-ruled States. The funds meant for development are delayed or denied, choking State Governments and hurting the people they serve. As an Opposition, we have consistently raised the issue of crony capitalism and cozy relationship between the ruling Party and certain corporate giants, but the Government has failed to acknowledge the

concerns of the people. India is witnessing Billionaire Raj with the top one per cent holding 40 per cent of wealth in 2022-23 which is worse than it was under British Raj, and there is no doubt in it with Modi ji's continued support to his friends. The people of India deserve to know the truth. They deserve to know whether their tax money and their resources have been used to enrich the few at the expense of the many. It is time for this House to act. It is time for the Government to stop protecting its friends and begin protecting the interests of the people. We demand that the Government take immediate steps to investigate these charges, to hold accountable any public official or corporate leader involved in corrupt activities, and restore the faith of the people in our institutions. Dr. Ambedkar, the architect of our Constitution, warned us that the Constitution's success depended on the character of those tasked with implementing it. The last decade has seen our social fabric fray under divisive policies and rhetoric. Minorities live in fear as bulldozers raze their homes without due process. We must remember that the Constitution is not merely a document, it is a promise. It is a promise of justice, liberty, and equality. It is a promise that power will be exercised with responsibility, and dissent will be met with dialogue, not repression. If we fail to protect this promise, we fail not only ourselves but generations yet unborn. A third term for this regime could irreversibly damage the Constitution. Let us rise above Party lines to protect the sanctity of the Constitution. Dr. Ambedkar once said, "If we wish to maintain democracy not merely in the form but also in fact, what we must do is hold fast to the constitutional methods for achieving our social and economic objectives". I urge this House and the people of India to hold fast to those

methods. The Constitution is not a tool for power; it is a covenant of equality and justice. Let us defend it with all our might. Thank you!

*__श्री पुष्पेंद्र सरोज (कौशाम्बी) :__ मैं भारत के संविधान पर चर्चा के दौरान इस महान दस्तावेज़ और इसके शिल्पकार, डॉ. भीमराव अंबेडकर को नमन करता हूँ। उन्होंने एक ऐसे राष्ट्र की कल्पना की थी जहाँ समानता, न्याय और गरिमा केवल शब्द नहीं बल्कि हर नागरिक के लिए जीवन का आधार बनें, विशेष रूप से पिछड़े और सामाजिक रूप से वंचित वर्गों के लिए।

हमारा संविधान सिर्फ एक दस्तावेज़ नहीं है; यह भारत की सदियों पुरानी सामाजिक अन्याय और भेदभाव को सुधारने का संकल्प है। यह एक वादा है, जिसे डॉ. अंबेडकर ने बड़ी स्पष्टता से व्यक्त किया था: "हमें अपने राजनीतिक जीवन के केंद्र में मौजूद उस विरोधाभास को दूर करना होगा: राजनीति में हमारे पास समानता होगी, और सामाजिक और आर्थिक जीवन में हम असमानता बनाए रखेंगे। "

भारत का इतिहास गहरी असमानताओं से भरा हुआ है, जहाँ जाति और सामाजिक श्रेणियों ने किसी के भविष्य को निर्धारित किया। दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्ग इस अन्याय के सबसे बड़े शिकार रहे। ज्योतिराव फुले, सावित्रीबाई फुले और डॉ. अंबेडकर जैसे समाज सुधारकों के प्रयासों ने बदलाव की नींव रखी। उनके अथक प्रयासों का परिणाम हमारा संविधान है, जिसने अनुच्छेद 17 के तहत जातिगत भेदभाव और अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया।

डॉ. अंबेडकर ने खुद जातिवादी समाज में एक बच्चे के रूप में अनगिनत कठिनाइयों का सामना किया। स्कूलों में प्रवेश से वंचित होने और सार्वजनिक कुओं से पानी पीने से रोके जाने के बावजूद, उन्होंने शिक्षा और नेतृत्व में ऊँचाइयों को हासिल किया। उनका जीवन हमें याद दिलाता है कि शिक्षा और न्याय का पीछा करके सबसे गहरी असमानताओं को भी चुनौती दी जा सकती है।

Through the Constitution, backward and marginalized communities were

---

* Speech was laid on the Table.

given tools to reclaim their dignity:

Reservation in Education and Jobs (Articles 15(4) and 16(4)): These provisions created avenues for the disadvantaged to access opportunities that were long denied.

Political Representation (Article 330 and 332): Reserved seats in legislatures ensured their voices were heard at decision-making tables.

Protection Against Exploitation (Article 23): Safeguards against forced labor, often targeted at marginalized communities.

Educational Equity (Article 46): The Directive Principles urge the state to promote educational and economic interests of weaker sections.

Our Party's Commitment to PDA (Pichda, Dalit, Alpsankhyak):

एक गर्वित समाजवादी पार्टी के सदस्य के रूप में, मैं यहाँ यह दोहराने के लिए खड़ा हूँ कि हमारी पार्टी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकारों और उत्थान के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। हमारी पार्टी ने हमेशा एक समावेशी समाज के निर्माण का प्रयास किया है, जहाँ पिछड़े वर्ग, दलित और अल्पसंख्यक केवल लाभार्थी नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदार हों।

हमारे प्रयास केवल शब्दों तक सीमित नहीं हैं; हमने सामाजिक न्याय, आर्थिक समानता, और political representation को बढ़ावा देने वाली नीतियों की लगातार वकालत की है। From introducing affirmative action measures to expanding welfare schemes like scholarships for minority students, job opportunities for backward communities, and housing initiatives for the underprivileged, the Samajwadi Party has worked tirelessly to uphold the principles of equality enshrined in the Constitution.हम मानते हैं कि इन समुदायों को सशक्त बनाकर ही भारत एक न्यायपूर्ण और समान समाज के लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है।

संविधान और पीडीए आंदोलन के तहत हाशिए के समुदायों द्वारा की गई प्रगति न्याय और समानता की परिवर्तनकारी शक्ति का प्रतीक है। आइए कुछ उल्लेखनीय सफलता की कहानियों पर नज़र डालें:

K.R. Narayanan, जो गरीबी में पैदा हुए एक दलित थे, भारत के 10वें राष्ट्रपति बने। केरल के एक छोटे से गाँव से राष्ट्रपति भवन तक की उनकी यात्रा संविधान में निहित अवसर और योग्यता के वादे का प्रतीक है।

Droupadi Murmu, भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति, वंचित समुदायों के लिए आशा की किरण हैं। सर्वोच्च पद पर उनकी उपस्थिति political representation और resilience की शक्ति का प्रमाण है।

Dr. Rajendra Prasad Saroj, एक दलित IAS अधिकारी, जिन्होंने न केवल शैक्षिक और पेशेवर उत्कृष्टता हासिल की, बल्कि वंचित समुदायों के उत्थान के लिए भी काम किया।

Bezwada Wilson, एक सामाजिक कार्यकर्ता और Ramon Magsaysay Award विजेता, ने manual scavenging को समाप्त करने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। उनकी अथक वकालत ने हजारों लोगों को गरिमा प्रदान की।

ये व्यक्तित्व केवल सफलता की कहानियाँ नहीं हैं; वे इस बात के प्रमाण हैं कि जब सामाजिक और आर्थिक बाधाओं को हटाया जाता है, तो क्या हासिल किया जा सकता है। उनकी यात्रा हमें प्रेरित करती है कि हम एक समावेशी और समान भारत के लिए काम करना जारी रखें।

हालाँकि प्रगति हुई है, लेकिन चुनौतियाँ अभी भी बनी हुई हैं। जातिगत भेदभाव, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की कमी, और आर्थिक असमानताएँ संवैधानिक गारंटी के पूर्ण एहसास को बाधित करती हैं। जैसा कि डॉ. अंबेडकर ने कहा थाः

"यदि हम उन्हें उनके अधिकार और अवसर देने से इनकार करते रहे, तो हम अपने लोकतंत्र के ताने-बाने को खतरे में डाल देंगे।"

हमारा कर्तव्य है कि हम संविधान को केवल शब्दों में नहीं, बल्कि उसकी भावना में भी बनाए

रखें। पीडीए के सिद्धांतों से प्रेरित होकर हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए:

- शिक्षा और कौशल विकास को मजबूत करनाः सुनिश्चित करें कि हाशिए के समुदायों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और रोजगारपरक कौशल तक पहुँच मिले।
- जागरूकता और प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देनाः सफलता की कहानियों को उजागर करें और निर्णय लेने वाले स्थानों में प्रतिनिधित्व का विस्तार करें।
- भेदभाव-विरोधी कानूनों को सख्ती से लागू करनाः अनुच्छेद 15 और 17 के उल्लंघन को तेज़ी और प्रभावी ढंग से संबोधित करें।
- आर्थिक असमानताओं को दूर करनाः कल्याणकारी योजनाओं को बढ़ाएँ और पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक समुदायों के बीच उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करें।

हमारा संविधान हमें एक ऐसा भारत बनाने की प्रेरणा देता है, जहाँ हर नागरिक को समान अधिकार मिले। पीडीए जैसे आंदोलन यह सुनिश्चित करते हैं कि कोई भी नागरिक, चाहे वह किसी भी जाति, वर्ग या धर्म से हो, पीछे न छूटे।

डॉ. अंबेडकर के शब्दों में:

"I measure the progress of a community by the degree of progress which women have achieved." Let this statement guide our collective efforts as we strive for a more inclusive and empowered India.

जय हिंद।

***श्री दिलेश्वर कामैत (सुपौल) :** मुझे भारतीय संविधान की गौरवशाली यात्रा के ऐतिहासिक 75वें वर्ष पूर्ण होने पर अमृत काल के चर्चा में भाग लेने का अवसर प्रदान करने के लिए, धन्यवाद।

भारत का संविधान एक संविधान ही नहीं, बल्कि हर भारतीय का स्वाभिमान भी है। डॉ.राजेन्द्र प्रसाद, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जवाहरलाल

---

* Speech was laid on the Table.

नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद आदि इस सभा के प्रमुख सदस्य थे। अनुसूचित वर्गों से 30 से ज्यादा सदस्य इस सभा में शामिल थे। सच्चिदानन्द सिन्हा इस सभा के प्रथम सभापति थे। किन्तु बाद में राजेन्द्र प्रसाद को सभापति निर्वाचित किया गया। भीमराव अंबेडकर को निर्मात्री समिति का अध्यक्ष चुना गया था। संविधान सभा ने 2 वर्ष, 11 माह, 18 दिन में कुल 165 दिन बैठक की। संविधान से पहले भारत में सत्ता का स्वरूप कुछ और था, संविधान के बाद का देश एक नया भारत बना। इसका सम्मान और पालन करना हर भारतीय का कर्तव्य है, क्योंकि इस बारे में बाबा साहब डॉ भीमराव अंबेडकर ने एक चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर संविधान को लागू करने वाले लोग ठीक नहीं रहे तो यह केवल कागजों का पुलिंदा बनकर रह जाएगा।

भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसे 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 22 भागों के साथ तैयार किया गया था। बाद में इसमें समय के अनुसार कई संशोधन हुए और ये संख्या बढ़ी।

हमारा संविधान केवल कानूनों का एक संग्रह नहीं है। ये भारत की आत्मा का प्रतिबिंब है। यह हमें अधिकार देता है, तो उसके साथ अपने कर्तव्य भी याद दिलाता है। इसने हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता समेत दूसरी बड़ी आजादी दी है, तो उसकी हदें भी बताई हैं।

संविधान में पहला संशोधन साल 1951 में हुआ और तब से संविधान में बदलाव होते रहे हैं। संविधान सभी नागरिकों के मौलिक अधिकारों और स्वतंत्रता की गारंटी देने के साथ सरकार व उसके कार्यों की रूपरेखा स्थापित करता है। हमारा संविधान भारत को एक लोकतांत्रिक देश घोषित करता है, जहां आम जनता सर्वोच्च शक्ति है। यह सभी नागरिकों को धर्म, जाति, लिंग और क्षेत्र के आधार पर समान अधिकार प्रदान करता है।

संविधान है भारत की शान,
हर नागरिक का गर्वित गान।
न्याय, स्वतंत्रता, समता का दीप,
विविधता में एकता का अनमोल नीप।

विश्व के लोकप्रिय नेता और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र भाई मोदी जी भारत के संविधान की रक्षा के लिए एक वीर योद्धा के रूप में और रक्षक के रूप में तैनात हैं। प्रधानमंत्री जी मां भारती की रक्षा के लिए कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं।

एनडीए सरकार के द्वारा संविधान की भावनाओं का सम्मान करते हुए कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका को मजबूत बनाने का काम किया जा रहा है तथा सामान्य लोगो के जीवन को सुगम बनाने के लिए मिल जुल कर कार्यों को किया जा रहा है।

एनडीए सरकार में संसद के द्वारा पारित किए गए अधिनियमों से जन-आकांक्षओं को अभिव्यक्ति मिली है। देश के आर्थिक एकीकरण के लिए स्वंतत्रता के बाद का सबसे बड़ा टैक्स-सुधार जीएसटी के रूप में किया गया। वर्ष 2018 में राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। WOMEN-LED-DEVELOPMENT की सोच को यथार्थ रूप देना सामाजिक न्याय के संवैधानिक आदर्श को प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है।

नारी शक्ति वंदन अधिनियम द्वारा हमारे लोकतंत्र में महिला सशक्तिकरण के एक नए युग की शुरूआत की गई है। बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने तो निकाय चुनावों में भी 50 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की है। दंड के स्थान पर न्याय तथा अपराध के स्थान पर सुरक्षा की भावना पर आधारित भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को पारित करके एनडीए की सरकार ने आधुनिक सोच को अपनाने का प्रभावशाली परिचय दिया है।

केंद्र की एनडीए सरकार के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने समाज के सभी वर्गों के विकास के लिए अनेक कदम उठाए हैं। ऐसे निर्णयों से लोगों का जीवन बेहतर हुआ है तथा उन्हें प्रगति के नए अवसर मिल रहे हैं। गरीब लोगों को पक्का घर मिल रहा है, बिजली-पानी और सड़क की सुविधा मिल रही है।

खाद्य सुरक्षा योजना के तहत 81 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन मिल रहा है तथा आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रूपये तक की चिकित्सा सहायता राशि मिल रही है। 25 जून, 1975 से 21 मार्च, 1977 तक का 21 महीने की अवधि में भारत में आपातकाल घोषित था। तत्कालीन

राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री इन्दिरा गांधी के कहने पर भारतीय संविधान की अनुच्छेद 352 के अधीन आपातकाल की घोषणा कर दी। वह देश का ककाला दिन माना जाता है।

आजाद भारत के इतिहास पर नजर डाले तो कांग्रेस के शासनकाल में ही संविधान में 85 संशोधन किए गए, जिसमें ज्यादा संशोधन केवल निजी स्वार्थ के लिए था और लोकतंत्र का गला घोट दिया। संविधान सभा ने महीनों तक प्रस्तावना पर चर्चा की। यह संविधान की आत्मा है, लेकिन उन्होनें इसे भी बदल दिया। कांग्रेस शुरू से ही दलितों और पिछड़ों के आरक्षण का विरोधी रही है और तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने वर्ष 1961 में सभी मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर साफ कर दिया कि वे आरक्षण को पसंद नहीं करते हैं। आजादी के बाद 70 सालों तक कांग्रेस ने अनुच्छेद 370 की आड़ में जम्मू-कश्मीर में एससी, एसटी और ओबीसी को आरक्षण के लाभ से वंचित रखा। NDA सरकार ने वर्ष 2019 में अनुच्छेद 370 को निरस्त कर एससी, एसटी और ओबीसी को उनका हक दिलाने का काम किया।

***श्री दिलीप शइकीया (दारंग-उदालगुड़ी) :** हमारा संविधान, भारत की आत्मा है। यह केवल कानूनों का संग्रह नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा मार्गदर्शक दस्तावेज़ है, जो देश के हर नागरिक को बिना किसी भेदभाव के समानता, स्वतंत्रता और न्याय का अधिकार प्रदान करता है।

हमारे संविधान ने हमारे देश को धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र और समाजवाद जैसे आदर्शों पर आधारित किया है। इसके रचयिता डॉ. भीमराव अंबेडकर और संविधान सभा के अन्य सदस्य हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों के वास्तविक रक्षक हैं। आज मैं, उन सभी को नमन करता हूँ।

संविधान दिवस न केवल हमारे अधिकारों की याद दिलाता है, बल्कि यह भी सिखाता है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। देश की प्रगति में हर नागरिक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है।

---

* Speech was laid on the Table.

आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने देश के संविधान का गौरव कायम रखने के लिए संविधान दिवस मनाने का जो संकल्प लिया था, वो हमारे संविधान के प्रति उनकी निष्ठा, विश्वास और श्रद्धा को प्रकट करता है।

आज जो लोग देश के संविधान को खतरे में बता रहे है, अध्यक्ष महोदय देश के संविधान को सबसे बड़ा खतरा उन्हीं लोगों से है। जब वो लोग सत्ता में रहे थे, तो सबसे ज्यादा हमारे संविधान को तोड़ मरोड़ कर उसक दुरूपयोग किया गया था।

आजाद भारत के इतिहास में आपातकाल सबसे काला अध्याय है, जोकि संविधान की आत्मा पर सीधा हमला था। 25 जून 1975 में आपातकाल लगाने के बाद तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने सबसे पहले संविधान में 38वां संशोधन किया था। ये संशोधन 22 जुलाई 1975 को किया गया था। इस संशोधन के जरिए न्यायपालिका से आपातकाल की न्यायिक समीक्षा का अधिकार छीन लिया गया था।

संविधान में 39वां संशोधन किया गया, इस संशोधन के मुताबिक, प्रधानमंत्री के चुनाव की जांच सिर्फ संसद की तरफ से गठित कमेटी ही कर सकती थी।

42वें संशोधन के जरिए संविधान में बड़े स्तर पर बदलाव हुए 1976 में हुए 42वें संशोधन में सबसे अहम बात ये थी कि किसी भी आधार पर संसद के फैसले को अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती थी, साथ ही सांसदों और विधायकों की सदस्यता को भी कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती थी। संसद का कार्यकाल भी पांच साल से बढ़ाकर छह साल कर दिया गया था।

आजादी के बाद से ही देश के पूर्वोत्तर राज्यों के साथ भेदभावपूर्ण नीति अपनाई गई थी। कांग्रेस की सरकारों ने दशकों तक पूर्वोत्तर भारत की अनदेखी की थी।

लेकिन पिछले 10 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने पूर्वोत्तर से अलगाव को खत्म कर इसे भारत के 'गेटवे ऑफ ईस्ट' के तौर पर विकसित किया है। पिछले 10 वर्ष के दौरान माननीय प्रधानमंत्री जी ने 70 बार और केन्द्रीय मंत्रियों ने 680 से अधिक बार पूर्वोत्तर राज्यों का दौरा किया है। जोकि इतिहास में पहली बार हुआ है।

पिछले 10 वर्षों में 5 लाख करोड़ रूपए से ज्यादा का निवेश कर देश के इस पूर्वोत्तर क्षेत्र में विकास के नए आयाम स्थापित किये गए है। आजादी के 67 साल बाद मेघालय भारत के रेल नेटवर्क पर आया, नागालैंड को 100 साल बाद अब अपना दूसरा रेलवे स्टेशन मिला।

हमारी केंद्र सरकार ने नॉर्थ-ईस्ट राज्यों के लिए वर्ष 2022-23 से 2025-26 के लिए 4800 करोड़ रूपए का आवंटन किया है और बजट में लगभग 162 प्रतिशत की ऐतिहासिक वृद्धि की है। ऑर्गेनिक उत्पादों, मछली पालन, डेयरी और अंडा उत्पादन के क्षेत्रों में निवेश बढाकर पूर्वोत्तर भारत के 13 लाख लोगों को मिलेगा रोजगार प्रदान किया जाएगा।

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों से ही भारत का संविधान अब जम्मू और कश्मीर में भी पूरी तरह से लागू हो गया है और वहां पहली बार संविधान दिवस मनाया गया, जोकि प्रत्येक भारतीय के लिए ऐतिहासिक क्षण है।

कांग्रेस ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को कभी उनका हक नहीं दिया और उसने अपने पूर्व अध्यक्ष सीताराम केसरी का "अपमान" कर उन्हें पद छोड़ने को भी मजबूर कर दिया था।

केंद्र में कांग्रेस आजादी के बाद छह दशकों तक सत्ता में रही, लेकिन उसने कभी भी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति को शीर्ष संवैधानिक पद देने के बारे में नहीं सोचा। कांग्रेस ने कभी आदिवासी समाज को सम्मान नहीं दिया। आदिवासी क्रांतिकारियों ने आजादी की लड़ाई में इतने बलिदान दिए, लेकिन यह बलिदान की बात मानने को तैयार नहीं है। भाजपा है, जो आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों पर म्यूजियम बनवा रही है, ताकि आने वाली पीढ़ियों को पता चल सके कि हमारे पूर्वज आदिवासियों ने देश के लिए कितना बड़ा बलिदान दिया था।

हमारे देश का संविधान राष्ट्र की एकता और अखंडता का प्रतीक है। सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक न्याय की स्थापना के लिए हमारा संविधान विश्व में पहचाना जाता है, लेकिन कांग्रेस के शासन काल में बहुत से काले अध्यायों ने हमारे संविधान पर गहरा आघात किया है।

लेकिन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने पिछले 10 वर्षों के कार्यकाल में अपनी

नेतृत्व क्षमता के आधार पर देश के लोगों में संविधान के प्रति राष्ट्रीय एकता और अखंडता की भावना को दोबारा से स्थापित किया है। समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर उनको उनका हक़ प्रदान किया गया, जो कांग्रेस ने उनसे छीन लिए थे।

"राष्ट्र प्रथम" की भावना आने वाली सदियों तक संविधान को जीवित रखेगी और आने वाली पीढ़ियों को उनके कर्तव्यों और अधिकारों का बोध करवाती रहेगी।"

जय हिन्द .... जय भारत।

*__डॉ. प्रशांत यादवराव पडोले (भन्डारा-गोंदिया) :__ आज जब भारत अपनी संविधान सभा की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है, यह समय केवल उत्सव का नहीं, बल्कि आत्मनिरीक्षण और प्रेरणा लेने का भी है। 26 नवंबर 1949 को, भारतीय संविधान सभा ने संविधान को अंगीकार किया, जिसने भारत को एक स्वतंत्र, समतावादी, और लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में स्थापित किया। इस ऐतिहासिक दस्तावेज़ ने न केवल भारत को प्रगति और स्थिरता के मार्ग पर अग्रसर किया, बल्कि विश्व शांति और भाईचारे का संदेश भी दिया।

संविधान सभा का गठन 1946 में हुआ और इसके अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद और निर्मात्री समिति के प्रमुख डॉ. भीमराव अंबेडकर थे। 2 साल, 11 महीने और 18 दिनों की गहन चर्चा के बाद संविधान तैयार हुआ। केवल एक कानूनी दस्तावेज़ नहीं, बल्कि भारत की विविधता, सहिष्णुता, और प्राचीन लोकतांत्रिक परंपराओं का प्रतीक है।

संविधान सभा के आदर्श:

- "हम भारत के लोग" की उद्घोषणा में हर नागरिक को समान अधिकार और कर्तव्य देने की परिकल्पना की गई।
- महात्मा गांधी के सत्य और अहिंसा के सिद्धांत और "सर्वोदय" का विचार संविधान के मूल में समाहित है।

---

* Speech was laid on the Table.

- "वसुधैव कुटुंबकम" की भावना वैश्विक शांति और सद्भाव की ओर इशारा करती है।

भारतीय लोकतंत्र की जड़ें प्राचीन गणराज्यों और वेदों तक जाती हैं। वैदिक काल में "सभा" और "समिति" जैसी संस्थाएं लोकतांत्रिक मूल्यों को दर्शाती थीं।

"यथायजमानः। " (अथर्ववेद) इसका अर्थ है कि जनमानस का मत सर्वोपरि है।

वैदिक समाज में यह विचारधारा स्पष्ट करती है कि सामूहिकता, परामर्श, और सहभागिता लोकतंत्र के मूलभूत सिद्धांत थे।

अथर्ववेद में कहा गया है:

"आपकी आवाज़ एक जैसी है और दिल भी एक जैसे हैं।

अपने मन समान रखें ताकि आप इसे अच्छी तरह से सहन कर सकें। " (अथर्ववेद, 3.30.6)

अर्थात आपकी इच्छाएँ समान हों, आपके दिल समान हों, और आपका मन समान हो, ताकि आप सामूहिक रूप से शांतिपूर्ण जीवन जी सकें।

यह ऋचा वैदिक काल में सामूहिक निर्णय और सहभागिता की भावना को दर्शाती है। यही लोकतांत्रिक सोच का प्रारंभिक स्वरूप था।

भारतीय संविधान, प्राचीन भारतीय परंपरा और आधुनिक लोकतांत्रिक मूल्यों का संगम है। "हम भारत के लोग" की उद्घोषणा ऋग्वेद के "संगच्छध्वं संवदध्वं" (साथ चलें, साथ विचार करें) के विचार को प्रतिबिंबित करती है। संविधान में समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के मूल सिद्धांत प्राचीन भारतीय दर्शन से प्रेरित हैं।

महाजनपदों के समय "गणराज्य" लोकतांत्रिक व्यवस्था का प्रमुख उदाहरण था। वैशाली का लिच्छवी गणराज्य दुनिया का पहला ज्ञात गणराज्य माना जाता है।

भारतीय संविधान भारतीय दर्शन और प्राचीन संस्कृति के मूल्यों से प्रेरित है। "हम भारत के लोग" से प्रारंभ होने वाला संविधान ऋग्वेद के निम्न विचार को दर्शाता है:

"एक साथ आओ, एक साथ बात करो, और हमें अपने मन की बात एक साथ बताओ। (ऋग्वेद, 10.191.2) अर्थ: एक साथ चलो, एक साथ सोचो और एक जैसी सोच रखो।

भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत शामिल हैं, जो लोकतंत्र के मूलभूत आधार हैं।

- मौलिक अधिकार और कर्तव्यः
- समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14-18) हर नागरिक को गरिमा के साथ जीने का अवसर देता है।
- संविधान के मौलिक कर्तव्य (अनुच्छेद 51-ए) नागरिकों को पर्यावरण और सामाजिक समरसता के प्रति जिम्मेदार बनाते हैं।
- पंचायती राज प्रणालीः

यह संविधान का एक ऐसा प्रावधान है, जो लोकतंत्र को जमीनी स्तर तक पहुँचाता है।

संविधान ने भारत को एक ऐसा राष्ट्र बनाया जो अहिंसा, सह-अस्तित्व, और शांतिपूर्ण सहजीवन के मूल्यों पर आधारित है।

पंचशील के सिद्धांतः

- दूसरे देशों की अखंडता और संप्रभुता का सम्मान।
- किसी भी प्रकार के बल प्रयोग से बचना।
- सह-अस्तित्व का पालन।

संविधान के आदर्शों पर चलते हुए भारत ने गुटनिरपेक्ष नीति अपनाई और शीत युद्ध के दौरान विश्व शांति को बढ़ावा दिया।

महात्मा गांधी के विचार:

"अहिंसा परमो धर्मः" का संदेश, भारतीय संविधान की नीतियों में समाहित है, जिसने भारत को वैश्विक मंच पर एक शांतिदूत के रूप में स्थापित किया।

भारतीय दर्शन और संविधान में पर्यावरण संरक्षण को विशेष महत्व दिया गया है।

ऋग्वेद में कहा गया है:

"धरती माता, मैं धरती का पुत्र हूँ। (अथर्ववेद, 12.1.12) अर्थ: यह पृथ्वी हमारी माता है और हम इसके पुत्र हैं।

यह विचार भारतीय समाज में पर्यावरण संरक्षण की नींव रखता है। संविधान के अनुच्छेद 48-ए और 51-ए(ग) में पर्यावरण संरक्षण को राज्य और नागरिकों का कर्तव्य बताया गया है।

भारत में प्रकृति की पूजा परंपरा का हिस्सा रही है। गंगा, यमुना, और हिमालय जैसे प्राकृतिक संसाधनों को देवी-देवताओं का रूप माना गया है।

वेदों में उल्लेख है "पृथ्वीम् धर्मं धर्तम्। (अथर्ववेद) अर्थ: यह पृथ्वी धर्म से स्थिर रहती है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48-ए में राज्य को पर्यावरण संरक्षण का निर्देश दिया गया है। अनुच्छेद 51-ए(ग) प्रत्येक नागरिक को प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करने और उसे बेहतर बनाने का कर्तव्य सौंपता है।

भारतीय दर्शन, विशेषतः योग और आयुर्वेद, जीवन को प्रकृति के साथ संतुलन में जीने की शिक्षा देता है। "अपरिग्रह" (कम संसाधन लेना) और "सर्वभूतहिते रताः" (सभी प्राणियों के हित में रत रहना) जैसे सिद्धांत ग्लोबल वार्मिंग के समाधान में मददगार हो सकते हैं।

वेदों की ऋचाएं:

"उसके द्वारा जिसने पृथ्वी और आकाशीय पिंडों को शक्तिशाली बनाया है, जिसके द्वारा आकाशमंडल स्तब्ध हो गए हैं, जिसके द्वारा रजोगुण का विमान आकाश में उड़ रहा है। हमें घी की आहुति किसको देनी चाहिए?" (ऋग्वेद, 10.121.1)

जिसने इस पृथ्वी और आकाश को स्थिर किया, जो अंतरिक्ष में प्राणियों को सहारा देता है, ऐसे देवता की हम वंदना करें। यह ऋचा सृष्टि के संतुलन को बनाए रखने की प्रार्थना करती है, जो पर्यावरणीय संकटों से उबरने में मार्गदर्शक हो सकती है। ग्लोबल वार्मिंग से निपटने में भारतीय विचारधारा "अपरिग्रह" और "सर्वभूतहिते रताः" का विशेष महत्व है। ये विचार संसाधनों के सीमित उपयोग और प्रकृति के साथ सामंजस्य पर बल देते हैं। भारतीय परंपराओं का योगदानयोग और आयुर्वेद का महत्व जीवनशैली को प्रकृति के अनुकूल बनाने में है। "चरक संहिता" में भी स्वास्थ्य और

पर्यावरणीय संतुलन की बात कही गई है।

"हरित वसुंधरा का सपना, है भारत की पहचान, जहाँ पेड़-पौधे जीवित हों, और खुशबू हो विज्ञान ।"

विश्वबंधुता और भारतीय दर्शन"वसुधैव कुटुंबकम्" का सिद्धांत भारतीय संस्कृति का आधार है। यह विचारधारा "सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय" की भावना को बढ़ावा देती है।

"आ नो भद्रः क्रतवो यन्तु विश्वतः ।" (ऋग्वेद, 1.89.1) अर्थ: हर दिशा से अच्छे विचार हमारे पास आएं।

भारत का प्राचीन लोकतंत्र, संविधान, और भारतीय दर्शन आज भी प्रासंगिक हैं। यह वैश्विक समस्याओं जैसे युद्ध, पर्यावरणीय संकट, और असमानता का समाधान प्रस्तुत करता है।

"जहाँ विश्वबंधुता का नारा, जहाँ सत्य-अहिंसा का सहारा। भारत की यह परंपरा महान, देती शांति का अमिट विधान।"

भारतीय दर्शन में "वसुधैव कुटुंबकम्" का सिद्धांत, जिसका अर्थ है "संपूर्ण विश्व एक परिवार है," वैश्विक एकता और सह-अस्तित्व का प्रतीक है। यह सिद्धांत समकालीन समस्याओं जैसे युद्ध, गरीबी, और असमानता को हल करने में सहायक हो सकता है।

"वसुधैव कुटुंब का नारा, सबका सम्मान हो, जहाँ धर्म और जाति ना हो, केवल मानवता प्रधान हो। सह-अस्तित्व के इस पथ पर, चलें हम सब संग-साथ, भारतीय दर्शन की शिक्षा, करे नव जीवन की बात। " भारत का प्राचीन लोकतांत्रिक ढांचा, उसका संविधान, और भारतीय दर्शन विश्व को शांति, पर्यावरण संतुलन, और वैश्विक बंधुत्व की दिशा में प्रेरणा देता है। वेदों की

भारतवर्षक एवं विश्वशति में विधान की भूमिका प्रदीप भंडारा गोंदिया संसदीय क्षेत्र

ऋचाएं और भारतीय संस्कृति का यह अमूल्य खजाना न केवल भारत, बल्कि पूरे विश्व को एक बेहतर भविष्य देने की दिशा में मार्गदर्शक है।

भारतीय परंपराएं, जैसे "अहिंसा परमो धर्मः" और "वसुधैव कुटुंबकम्", आज भी विश्व संकटों से उबरने और वैश्विक स्थिरता कायम रखने में प्रासगिक हैं। भारतीय दर्शन और संविधान के संयुक्त प्रयास से एक समृद्ध और शांतिपूर्ण विश्व का निर्माण संभव है। भारतीय संविधान न केवल नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है, बल्कि पर्यावरण और वैश्विक शांति की दिशा में भी प्रेरणा देता है। "वसुधैव कुटुंबकम्"

और "अहिंसा परमो धर्मः" जैसे विचार मानवता को एकजुट करने का मार्ग दिखाते हैं।

संविधान सभा के 75 वर्षों की उपलब्धियाँ

- लोकतांत्रिक प्रक्रिया का सुदृढ़ीकरणः भारत ने पिछले 75 वर्षों में सफलतापूर्वक चुनावी लोकतंत्र को मजबूत किया।
- सामाजिक न्यायः आरक्षण और समानता के प्रावधानों ने वंचित वर्गों को सशक्त किया।
- वैश्विक मंच पर नेतृत्वः जलवायु परिवर्तन, शांति वार्ता, और मानवाधिकारों के क्षेत्र में भारत का योगदान उल्लेखनीय रहा है। संविधान सभा के 75 वर्षों की यह यात्रा भारत के लोकतांत्रिक आदर्शों, सामाजिक समरसता, और वैश्विक शांति के प्रति प्रतिबद्धता की मिसाल है। भारतीय संविधान न केवल भारत के नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों का संरक्षक है, बल्कि यह पूरे विश्व को "वसुधैव कुटुंबकम्" का संदेश भी देता है।

"संविधान की ये यात्रा महान, 75 वर्षों का है गौरवपूर्ण विधान।

जहाँ हर नागरिक समान, और हर विचार हो शांति प्रधान।"

भारत का संविधान, उसकी लोकतांत्रिक परंपराएँ, और वैश्विक योगदान, आने वाले समय में भी मानवता के लिए प्रेरणा का स्रोत बने रहेंगे।

*__श्री शंकर लालवानी (इन्दौर) :__ संविधान दिवस की 75वीं वर्षगांठ पर सभी को बधाई। हम सब का सामूहिक प्रयास होना चाहिए कि बाबा साहब अम्बेडकर जी द्वारा संविधान के प्रति सच्ची आस्था के साथ मिलकर इस देश को आगे बढ़ाएं।

माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में संविधान दिवस मनाने के लिए धन्यवाद देता हूं। मैं बधाई देना चाहता हूं कि यह पूरा वर्ष संविधान वर्ष के रूप में सरकार ने मनाने का निर्णय किया है। माननीय प्रधान मंत्री जी का मूल मंत्र सबका साथ, सबका विकास है। यह संविधान का भी मूल मंत्र है।

---

* Speech was laid on the Table.

*__डॉ. हेमांग जोशी (वडोदरा) :__, मैं अपने सभी साथी सांसदगण एवं भारत के सभी देशवासियों को संविधान के स्वर्णिम इतिहास के 75 वर्ष की इस सदन के माध्यम से हार्दिक शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं।

यह संविधान एक जीवंत दस्तावेज है, जो हमें भारत को पल-पल महान बनाने के लिए प्रेरणा एवं मार्गदर्शन प्रदान करता रहता है। यह संविधान समग्र भारतीयता का रक्षक है।

कांग्रेस पार्टी ने हर पल संविधान को अवैध तरीके से बदलने की कोशिश की है। मुझे स्मरण है कि माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने संविधान को गणराज्य के ऊपर स्थापित कर संविधान की यात्रा का आयोजन किया था।

मैं स्पष्ट रूप से मानता हूं कि माननीय प्रधान मंत्री जी के आने के बाद देश के संविधान में एक नई स्थिरता आई है एवं देश विकसित भारत की ओर आगे बढ़ रहा है।

*__श्री दामोदर अग्रवाल (भीलवाड़ा) :__ जून 1975 को इलाहबाद उच्च न्यायालय के जस्टिस श्री जगमोहन सिन्हा ने श्री राज नारायण की अपील पर फैसला देते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री मति इंदिरा गाँधी के रायबरेली चुनाव में मतदाताओं को प्रलोभन देने व सत्ता का दुरूपयोग करने के आरोप सिद्ध होने से इंदिरा जी का लोक सभा का निर्वाचन रद्द कर उन्हें 6 वर्षों के लिए चुनाव लड़ने के अयोग्य घोषित कर दिया । न्यायलय के निर्णय की अनुपालना के स्थान पर इंदिरा जी को सुप्रीम कोर्ट से भी पूरी राहत नहीं मिलने पर उन्होंने संविधान की आत्मा पर चोट कर देश में आपातकाल की घोषणा करने का षड़यंत्र रचा।

पूरे देश में इंदिरा जी की तानाशाही के विरूद्ध लोकनायक श्री जय प्रकाश नारायण के नेतृत्व में जन आंदोलन परवान पर था 25 जून 1975 को दिल्ली के रामलीला मैदान में एक ऐतिहासिक जन सभा में "सिंहासन खाली करो कि जनता आती है" का उद्घोष हुआ ।अपनी सत्ता जाते देख इंदिरा जी

---

* Speech was laid on the Table.

ने स्वयं की कुर्सी बचाने के लिए संविधान का दुरूपयोग कर जनता को, संसद को, यहाँ तक कि उनके मंत्रिमंडल को भी बिना विश्वास में लिए तत्कालीन राष्ट्रपति महोदय से देश में आपातकाल थोपने के निर्णय पर हस्ताक्षर करवा लिए ।

12 जून से ही चल रहे कूटरचित षड़यंत्र के तहत 25 जून 1975 की मध्य रात्रि को ही आपातकाल की घोषणा कर, प्रेस पर सेंसरशिप, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ सहित अन्य संगठनों पर प्रतिबन्ध लगाकर उसी काली रात्रि को सभी अख़बारों की प्रेस की बिजली के कनेक्शन काट दिए, आधे अधूरे छपे अख़बारों को जब्त कर लिया गया, देश भर के लगभग 10,000 नेताओं, समाज सेवियों, इंदिराजी विरोधी तमाम लोगो को भी मीसा में जेल की सीखचों में निर्दयिता से ठूंसकर नजरबन्द कर दिया गया

आज प्रतिपक्ष में बैठे सी पी एम, सी पी आई, समाजवादी, अकाली, जमाते इस्लामी सहित अनेक दलों के शीर्ष नेताओं को भी जेलों में कैदकर यातनाएं दी गई, जेलों में यातनाओं के कारण लगभग 100 लोकतंत्र सेनानियों ने प्राण न्योछावर कर दिए, सैकड़ों विक्षिप्त हो गए, 21 महीनों तक बिना कारण बताएं जेलों में रहने को विवश कर दिया गया।

"नो अपील, नो दलील, नो बेल, नो चार्जशीट" जैसे हालत पैदाकर संविधान व लोक तांत्रिक अधिकारों का निर्ममता से हनन किया गया ।

श्री संत विनोबा भावे जैसे तपोपूत ऋषि को नजरबन्द किया, श्री अटल बिहारी वाजपेयी, श्री लालकृष्ण आडवाणी, श्री चंद्रशेखर, चौधरी चरण सिंह, श्री मोरारजी देसाई, श्री मुलायम सिंह यादव, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, श्री जॉर्ज फर्नांडेस, श्री बाला साहेब ठाकरे सहित तमाम ख्यातिनाम हस्तियों का भी जेल की यातना का शिकार होना पड़ा।

माननीय अखिलेश जी थोड़ा स्मरण कर लो। समाचार पत्रों में एक भी शब्द बिना सेंसर के नहीं छापा जा सकता था इंदिरा जी या केंद्र सरकार के जन विरोधी कृत्यों के विरूद्ध आवाज उठाने वाले सभी व्यक्तियों को निरुद्ध कर दिया गया।

आज संविधान की प्रति हाथ में लेकर संविधान बचाने का प्रदर्शन करने वाले तमाम नेता थोड़ा

आपातकाल के काले पृष्ठ पर नज़र डाले, अपना स्वयं का चेहरा आईने में देख ले । देश भर में लोकतंत्र की ऐतिहासिक रक्षा के लिए सत्याग्रह हुआ एक लाख नौजवानों ने आवाज बुलंद की, सभी को मीसा/डर एवं 151 सहित अन्य धाराओं में गिरफ्तार कर अमानवीय यातनाएं दी गई, न्यायलयों पर अनुचित दवाब बनाकर कठोर कारावास की सजा सुनाई गई ।

21 माह बाद मार्च 1977 में सभी जेलों में ठुसे गए लाखों लोकतंत्र सेनानियों के रोष, विरोध व ताप से विवश होकर इंदिरा जी ने आपातकाल हटाया, प्रेस सेंसरशिप हटी, स्वयंसेवी संगठनों से प्रतिबन्ध हटा, राजनैतिक दलों के दफ्तर व संघ के कार्यालयों की सीलें टूटी और फिर 1977 की ऐतिहासिक चुनावों में जनता जनार्दन ने इंदिरा जी सहित कांग्रेस को आईना दिखा, मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी की सरकार बनाने का आशीर्वाद दिया।

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी सहित अनेक नेताओं ने उस इमरजेंसी की यातनाएं सही हैं, संविधान की 75 वर्ष के इस दौर में हमें सभी लोकतंत्र सेनानियों को नमन कर उनका स्मरण करना चाहिए, लोकतंत्र के उस काले अध्याय को यादकर हम सब संकल्प ले कि भविष्य में कोई संविधान की आत्मा को कुचलने का दुःसाहस नहीं कर सके ।

*__SHRIMATI SANGEETA KUMARI SINGH DEO (BOLANGIR):__ Thank you for giving me a chance to put forth my views on this momentous occasion where we discuss the journey of the Constitution of India.

As we say, this is the 75th year or diamond jubilee of the Constitution, and it is an appropriate word to celebrate because our Constitution is like diamond-precious and valuable. And just like a stone becomes a diamond after bearing pressure and heat, our Constitution has also gone through the grind and battled every form of attack from the Congress, but today it has stood the test of time and

---

* Speech was laid on the Table.

still shining bright because the true son of Mother India, Narendra Modi ji has vowed to uphold and protect it. And the opportunity to do so has also been given to him because of this Constitution.

Today, as we celebrate 75 years of our Constitution, we are not merely honouring a document; we are paying tribute to the spirit of democracy, inclusivity, and resilience that defines India. The Constitution of India is not just a legal framework; it is the soul of our nation, a beacon of hope for justice, liberty, equality, and fraternity.

Today, as we commemorate 75 years of our Constitution, we are celebrating not just a legal document but the vision of a just, equitable, and democratic India. This document, born from the aspirations of a nation emerging from colonial rule, is the very foundation of our sovereignty, liberty, and dignity. It is a living testament to the idea that India, in all its diversity, can rise together as one nation.

We are not merely commemorating a legal document but paying a tribute to the aspirations of a newly independent nation. The Constitution of India is the backbone of our democracy, a living testament to our unity in diversity. It is a reflection of the dreams of our forefathers and the commitment of our people to justice, liberty, and equality.

India was an infant nation, with no conventions, and with a population having several languages, castes and religions. It was, therefore, necessary to have a Constitution that set out, in great detail, the roles of the legislature, the executive and the judiciary. The Constitution is to our country what Shri Krishna

was to Arjun in the Mahabharat - Sarathi or guide, which guided and transformed our country from being the land of snake charmers to now being Atmanirbhar Bharat.

From Universal Adult Franchise to the concept of Fundamental Rights, it gave every Indian a voice. It is a living document that adapts but does not compromise on its foundational values.

The Indian Constitution, the longest written Constitution in the world, represents the collective wisdom of the Constituent Assembly. It was shaped by stalwarts like Dr. B.R. Ambedkar, Sardar Patel, and many others who envisaged a framework to govern the world's largest democracy. Inclusivity, embodies the spirit of equality, respecting all religions, castes, and genders. About adaptability, its provisions allow us to grow and evolve, ensuring relevance across generations. Accountability ensures that the Government is answerable to the people.

I represent Odisha and I am proud to say that my State had a pivotal role to play during the Constituent Assembly, and we had stalwarts like Biswanath Dash, Bichitrananda Das, Sarangadhar Das, Lal Mohan Pati, Yudhisthir Mishra, Malati Choudhury, N. Madhava Rao, Krushna Chandra Gajapati Narayan Deo, Harekrushna Mahatab, Laxminarayan Sahu, Lokanath Mishra, Nandakishore Das, Santanu Kumar Das and Raja Krushna Bose. While we honour our Constitution, we must not forget the dark chapters when the Congress party tried to subvert it.

The Emergency (1975-1977) was the darkest period in India's democracy when fundamental rights were suspended, press freedom was crushed, and the

Constitution was twisted to serve dictatorial ambitions. 'Emergency' वह समय था जब संविधान पर कांग्रेस ने हमला किया, और लोकतंत्र का गला घोंटा गया।

The condition of emergency was such that Congress made Doordarshan screen the then blockbuster movie Bobby to stop people from going to the rally called by a unified opposition, and songs by Kishore Kumar were banned because he refused to obey the orders of the Prime Minister during Emergency, and Congress talks about the freedom of Media and rising intolerance. The Government expelled foreign correspondents. Seven foreign correspondents were expelled and 29 others were banned from entering India. The Centre withdrew accreditation of 54 Indian journalists including six photographers and two cartoonists. Most of them were active in New Delhi and known for their critic of the Government's policies and actions. More than 250 journalists had been put behind the bars during Emergency.

Now, I come to misuse of Article 356. The Congress systematically dismissed elected State Governments using the Constitution as a weapon to weaken federalism. Odisha was a victim of Article 356 and the Congress imposed President's Rule in Odisha on five different occasions. Odisha was under President's Rule in 1961 but it had the Central rule in quick succession in 1971, 1973, 1976 (suspended animation) and 1977. The last one was in 1980.About scams and corruption, from Bofors scandal to the 2G scam, the Congress undermined the public trust enshrined in the Constitution. The next point is Jammu and Kashmir's mismanagement. The Congress allowed Article 370 to destroy Jammu and Kashmir, leaving the State in political turmoil for decades. The

Congress never gave the women the right to political representation. I consider myself fortunate that I was a part of the 17th Lok Sabha and in this same House, the first thing that we passed was the Women's Reservation Bill. We just do not believe in doing lip service and pretending to be protectors of the Constitution. It is said that actions speak louder than words. So, when you talk about protecting the Constitution and the Constitution is under threat, what do you have to say about the 1984 genocide, taking money from George Soros to destabilize India and most importantly, Turkman Gate massacre just a few kilometres from where I stand that saw the police opening fire on residents opposing the demolition of their homes? 'संविधान की भावना को कांग्रेस ने बार-बार कुचला, लेकिन भारत की जनता ने इसे हर बार पुनर्जीवित किया। Despite these onslaughts, the Constitution survived because it is not just a document, it is a pact between the citizens of India and their future. It is the resilience of Indians that has safeguarded democracy. Today, under Prime Minister Narendra Modi's leadership, we are seeing the true essence of the Constitution come alive, whether it is through Sabka Saath, Sabka Vikas or empowering women and marginalised communities. When we say 'Sabka Saath', then we uphold Article 14 of the Constitution by ensuring Right to Equality. When we say 'Sabka Vikas', that is our definition of secularism, which includes respect for everyone and development that is meant for everyone. When we say 'Sabka Vishwas', then we reiterate our belief in democracy of India and its strong roots. And when we say 'Sabka Prayas', then we remember the lines of Rabindranath Tagore ji who said:

Where the mind is led forward by thee

Into ever-widening thought and action

Into that heaven of freedom, my Father, let my country awake..

In conclusion, let us remember Dr. Ambedkar's words, and I quote.

"However good a Constitution may be, if those who are implementing it are not good, it will prove to be bad. However bad a Constitution may be, if those implementing it are good, it will prove to be good."

It is our duty to honour this sacred document by living its values every day. Together, let us build an India that fulfils the dreams of our Constitution-makers and inspires the world.

Thank you.

*[*]**SHRI D. M. KATHIR ANAND (VELLORE):** I belong to Dravida Munnetra Kazhagam (DMK), representing Vellore, Tamil Nadu a State that has long been a torchbearer of progress, equity, and justice.

I would like to express my views over the Presidential address by Madam President, Thirumathi Droupadi Murmu, on the occasion of 75th anniversary of the adoption of our Constitution in the Central Hall of the Parliament. In her address, she highlighted the milestones of our nation's journey-a narrative of growth, resilience, and hope.

I initiate to speak about the illustrious history and unparalleled contributions of Vellore, a constituency that stands as a beacon of resilience, progress, and political significance in the annals of Indian political history. Representing Vellore

---

[*] Speech was laid on the Table.

in this august Parliament is not merely a duty but an honour that connects me to the dreams and aspirations of its people.

Vellore has always been a cradle of change, a place where revolutions were sparked, and ideals were forged. The Vellore Sepoy Mutiny of 1806, one of the earliest uprisings against colonial rule, stands as a testament to the courage and determination of our people. Though often overshadowed by later movements, the mutiny is a precursor to India's long and arduous struggle for independence. It was in Vellore that soldiers first took up arms against the British, challenging oppression and demanding justice.

Vellore's connection to the Indian Constitution is both profound and inspiring. The ideals of liberty, equality, and justice that define our Constitution resonate deeply with the revolutionary spirit of Vellore. The sacrifices made during the Vellore Sepoy Mutiny and the progressive values upheld by our leaders align seamlessly with the constitutional vision of a just and inclusive society.

Our Vellore Parliamentary constituency has always championed the principles enshrined in the Constitution. From fighting for social justice to ensuring equitable development, Vellore embodies the spirit of constitutional morality. The Dravidian movement, with its emphasis on rationalism, self-respect, and social upliftment, has played a pivotal role in translating these ideals into actionable policies that benefit the marginalized and empower the voiceless.

Today, while reflecting on the monumental journey of our Constitution, adopted 75 years ago, it is imperative to delve into not just its grandeur, but also the evolving challenges it faces in our democracy.

While her words inspire, it is my duty as a representative of the people and as a member of this Opposition to critically evaluate the gaps and failures in governance that undermine the values of our Constitution.

Let me begin by speaking about my Tamil Nadu, a State that embodies the principles enshrined in our Constitution. The Dravidian movement has long championed social justice, self-respect, and rationalism. Under the DMK's governance, Tamil Nadu has set an example for the nation in education, healthcare, and social welfare.

The Dravidian model of governance prioritizes inclusivity, ensuring that every citizen – irrespective of caste, gender, or economic status – has access to opportunities.

As the great Thiruvalluvar said in the Thirukkural: "The world prospers by virtuous rule, and perishes without it." Our DMK Government's schemes inspired by our Leader and Chief Minister of Tamil Nadu Thiru M.K Stalin Sir, like the "Kalaignar's Magalir Urimai Thittam" empowering women with financial aid, and the pioneering "Illam Thedi Kalvi" scheme addressing learning gaps, stand as testament to our commitment.

Yet, the Union Government's policies often stifle our federal autonomy, denying States like Tamil Nadu the resources we rightfully deserve. Our resistance to the imposition of NEET, safeguarding the interests of students from marginalized communities, further underscores our unwavering stand for equity and fairness.

Tamil Nadu has also been a leader in industrial development, fostering

innovation and entrepreneurship. Our strides in renewable energy and sustainable development contrast sharply with the Centre's lack of vision in tackling climate change and ensuring energy security for future generations.

Let this Government recognize that Tamil Nadu's Dravidian model administration is not just about governance but about shaping a compassionate and forward-thinking society.

Madam President's speech failed to address the humanitarian crisis in Manipur. The violence and repeated violence, which has torn apart communities, is not just a failure of law and order but a tragic failure of empathy and governance. The Government's delayed response and inability to restore peace in Manipur raise serious questions about its priorities.

As Thiruvalluvar said: "The ruler's duty is to protect and serve; failure to do so is the greatest sin." Is this the India envisioned by our Constitution – where communal strife is allowed to fester, and the voices of the marginalized are drowned out? The Opposition demands accountability, and we will not rest until justice is delivered to the people of Manipur. Furthermore, the lack of proactive measures to rehabilitate victims and rebuild communities exposes the Government's indifference.

Tamil Nadu's Cabinet and the Dravidian model Government's proactive disaster management and rehabilitation policies could serve as a model for the rest of the Indian States addressing such crises.

The farmers of this nation, who feed us all, have been treated with disdain. I remind the Government that the protests against the farm laws were not just a

call for justice but a cry for survival. Tamil Nadu stood in solidarity with our farmers, as our Dravidian model DMK Government believes in protecting farmers of their rights and their dignity at any cost.

As the Thirukkural aptly reminds us: “Those who toil in the soil live; all others depend on their labour.” Despite the eventual repeal of the laws, the Union Government’s initial high-handedness and lack of dialogue reflect an alarming disregard for the democratic process. We must ensure that such betrayals of trust are never repeated. Additionally, the lack of long-term policies to ensure fair prices, sustainable farming practices, and robust irrigation infrastructure remains a glaring oversight. Tamil Nadu’s initiatives in promoting organic farming and farmer welfare schemes could serve as an example for the rest of the country.

The Constitution guarantees freedom of speech and expression. Yet, in recent times, we have witnessed an unprecedented assault on these fundamental rights. Journalists, activists, and ordinary citizens face intimidation and incarceration for daring to speak the truth.

Tamil Nadu, under DMK’s leadership, remains a bastion of free speech. We encourage healthy debate and dissent, for democracy thrives on diverse voices. The Centre must learn from our example and uphold the spirit of the Constitution. Moreover, the growing surveillance and misuse of technology to stifle dissent must be curbed to protect individual liberties. Let us not forget that freedom is the lifeblood of democracy.

As Thiruvalluvar said: “The wise protect justice; without it, even power crumbles.” Today, the elephant issue in the room is the “Adani” controversy.

Allegations of crony capitalism and regulatory lapses have shaken the faith of the common man in the system. Why is the Government silent on these allegations? Why is there no transparency in investigating the allegation of irregularities that jeopardize the nation's economy?

The Opposition demands clarity. The Government must answer whether it serves the interests of the people or a select few corporate giants. Additionally, the erosion of public sector undertakings and the monopolization of industries must be addressed to restore faith in fair competition and economic equity. The voices of our youth, sports personals, artists, and intellectuals are being silenced. The imposition of bans on certain media exposing the real state of affairs reflects a regressive mindset. The Dravidian movement's cultural renaissance, which celebrates art and thought, stand in stark contrast to this suppression.

Tamil Nadu has always encouraged dialogue and intellectual freedom. The Centre's attempt to stifle creativity and dissent is a betrayal of our civilizational ethos. Furthermore, the Government's apathy toward ensuring representation and diversity in cultural spaces erodes the pluralistic fabric of our society.

Our Constitution envisions a federal structure, yet the Centre's actions erode this foundation. From denying GST dues to imposing policies without consultation, the Central Government undermines the States' autonomy.

As Thiruvalluvar said: "A king who fails to act righteously loses the trust of his subjects." I urge the Union Government to recognize the importance of treating all states equally and without bias. Fair allocation of monetary resources is not just an economic imperative but a constitutional obligation. States like Tamil

Nadu contribute significantly to the nation's GDP and deserve a righteous share in the Union Budget. Any deviation from this principle undermines the federal structure and hampers development.

This is a critical juncture in our nation's history. As we commemorate 75 years of the Constitution, let us all pledge to protect its ideals. The Opposition will continue to fight for justice, equality, and freedom - values that form the bedrock of our democracy.

I urge the ruling to introspect and address the grievances of the people. Let us not allow political expediency to overshadow constitutional morality. Let us draw inspiration from Tamil Nadu's inclusive and progressive policies to craft a future rooted in justice and equity.

As the Thirukkural guides us: “Justice is the foundation of all; without it, even prosperity fades.” In conclusion, I reiterate the DMK's commitment to upholding the principles of our Constitution. Tamil Nadu will continue to lead by example, championing social justice and inclusive development. Let us work together to build an India that our forefathers envisioned a nation of hope, harmony, and progress.

As we draw inspiration from our past, let us not forget the words of Periyar E.V. Ramasamy, who said: “Real freedom is achieved when there is progress in knowledge and equality among all.”

However, in conclusion I must take this moment to collectively reflect on the President's address. While the speech highlighted several aspects of progress, it left out critical issues that are essential to our democracy and

constitutional values. The Presidential address must serve as a clear glass to scrutinize and measure the ruling Union Government's policies and performances, rather than merely reflecting the Union Government's perspective. It must encapsulate the voices of all States, acknowledge their contributions, and address the concerns of every citizen. Only then can it truly can uphold the spirit of the Constitution of India

Thank you.

*__SHRI S. JAGATHRATCHAKAN (ARAKKONAM):__ Thank you for giving me the opportunity to participate in the special discussion to mark the Coral Jubilee "Pavala Vizha" of the adoption of the Constitution by the Constituent Assembly.

The Constitution is the mother of all other laws of the country. Every law enacted by the Government has to be in conformity with the Constitution. Unfortunately, most of the Bills brought and passed by this Government from 2014 are against the guiding principles of our very own Constitution.

There is an apprehension in the minds of the common people that the BJP Government would try to change the Constitution according to their hidden agenda.

"I Disapprove of What You Say, But I Will Defend to the Death Your Right to Say It- Voltaire"

The term "Secular" seems to have created a sense of intolerance in the minds of the BJP people. Their single most agenda is to be against the interests

---

* Speech was laid on the Table.

of minority communities especially the Muslims and Christians in India.

The Preamble is the most precious part of the Constitution. It is the soul of the Constitution. It is a key to the Constitution. It is a jewel set in the Constitution. The present Government has somehow wanted to alter the preamble to satisfy their whims and fancies.

The seventh schedule contains three legislative lists which enumerate subjects of administration viz Union, State and concurrent legislative lists. The Union Government enjoys exclusive power to legislate on the subjects mentioned in the Union list.

Article 1 of the Constitution says that “India, that is Bharat, shall be a Union of States". The States have come together to make this mighty country. Each State represents an unique identity, say, ethnicity or nationality. The Linguistic States were created to ensure that people who speak the same language lived in the same State. Some States were purposefully created to uphold the differences based on culture, ethnicity, or geography. Example: Nagaland, Jharkhand, and Uttarakhand. The advantage of creating linguistic States has made the country more united. Linguistic States have also made administration easier. But what is happening now, since 2014, one nation one religion, one language, one culture, one ration card, one election and one leader- is this not unconstitutional?

The state governments have full authority to legislate on the subjects of the state list. And both the union government and the states can legislate on the subjects mentioned in the concurrent list with the residuary powers vested in the Union Government.

It is the main essence of our constitution and acts like a centrifugal force to protect the cooperative federalism. But this government is trying hard to destroy the fabric of cooperative federalism.

But for the stiff resistance from opposition parties this government would have merrily carried their agenda of dismantling the cooperative federalism.

P V Rajammanar committee was constituted in 1969 to examine whether the Constitution was truly federal and to suggest amendments so as to secure utmost autonomy to the States.

The Committee which submitted its report in 1971 recommended constitution of inter-State council and suggested that Union Government should not enact new laws that affect one or more states without consulting with the inter-state council.

In 1974, DMK under the dynamic leadership of Muthamilarignar Dr. Kalaignar presented a white paper in Assembly and passed resolution seeking autonomy.

"Urimaikku kural koduppom,

Uravukku Kai Koduppom"

It means we shall raise our voice for our rights; we shall extend our hand for friendship to the National interest. When it comes to National interest, DMK always lead from the front. When it comes to save State rights our DMK is first to raise the voice for the rights of the States. It is because of 50 years of Dravidian ideology several States in the country are enjoying the federal powers enshrined in the Constitution.

Perarignar Anna wrote in Homeland on 30-6-1957:

“Democracy is a government by discussion. Any set of people having got into places of power and position and there are ever so many ways of getting in begin to take hold of the destinies of crores of human beings. None can guarantee that those in power, are the repository of wisdom, fair play and justice none can assert that the ruling party understands all the problems in all their angles and hence it is, that through discussion a new light, a new interpretation could be got which will be to the advantage of the people as a whole"

Arignar Anna forecast about this during his days. That's why people have words of praise for Arignar Anna as a visionary.

Exactly 50 years later, due to the perseverance of Muthamizh Arignar Dr. Kalaignar in 2007, the UPA government constituted Justice M M Punchhi commission to study the relative roles and responsibilities of various levels of government and their inter- relations. It stated that the Centre consults states before introducing a Bill on concurrent list items. It also suggested consultation though inter- state council.

Article 263 of the Constitution provides for the establishment of an Inter-State Council, which is a platform for all States and the Union Government to discuss subjects in which they have common interests.

The idea is to bring the States and Union onto a common platform to iron out differences that may have arisen between the States and the Union or

.... English translation of this part of the speech originally laid on the table in Tamil.

between States. Therefore, Inter-State Council is a key tool to strengthen co-operation and federal relations among States and between the States and the Union.

A permanent Inter-State Council was established vide Presidential Order dated 28.05.1990 and Clause 5 of the Order mandates that Inter State Council meetings shall be conducted thrice a year.

Inter State Council was first set up in 1990 through a Presidential ordinance following the Sarkaria Commission's recommendations. While it is intended to meet regularly, the Inter State Council has convened only 11 times over 26 years, But, over the last eight years, this meeting was conducted only once, i.e. on 16-7-2016 at New Delhi. Since the purpose of the Council is to strengthen, advance and support the spirit of co-operative federalism, the Council would provide a common platform for the Chief Ministers to put forth their views of the people of the State on the policies, legislations and actions of the Union Government. Further, it is suggested that every Bill of national importance that is likely to affect one or more States should be placed before the Council before it is introduced into Parliament, and the views of the Council are also tabled before the Parliament at the time of introduction of such Bill. Without such a platform, there is no effective and interactive communication between the Union and States on issues of common interest.

We have seen instances where many Bills affecting the rights and interest of the States, are passed in Parliament without proper opportunity being given to the Opposition to debate its merits and voice the concern of the States. As a

consequence, the views, concerns and constructive suggestions of the States are not properly heard or comprehended by the Union during the process of decision making for the Nation as a whole.

What could be settled amicably among the executive branches is often taken to the doorsteps of the judicial branch. Many a times, this leads to unpleasant and vexatious litigations involving States and Union, that are easily avoidable. If the Council meets regularly, I am sure that it would serve as a bridge between the Union and the States and would be mutually beneficial to all its members.

Therefore, I urge the Hon'ble Prime Minister, the Chairman of the Interstate Council, to organise three meetings of the Inter State Council every year and thereby strengthen the spirit of co-operative federalism which is the backbone of our Constitutional framework.

“France has almost destroyed by compelling people to come under one faith”-Karl Marx

There are four demands raised by States in their quest for greater autonomy that are as follows:

Demand for separation of state and central power: Tamil Nadu, West Bengal and Punjab have demanded that more important powers should be assigned to the states.

Financial autonomy: Some states have demanded for independent sources of revenue and greater control over resources.

Administrative autonomy: States have demanded that the Centre should

not have control over the administrative machinery of the state.

Cultural and Linguistic: Some states have demanded for autonomy on the basis of language and culture.

Sir any constitutional amendments or any amendment to the original Act should not be detrimental to the life and nature of the people or it should not be against the policies of the duly elected State governments. The fundamental duty of Parliament is to protect the constitution from being tampered according to the whims and fancies of the ruling dispensation or their invisible bosses.

Before the honourable Prime Minister makes his comments on constitution, I am eager to listen from him his government's stand on caste census, removal of 50% cap on reservations, how BJP is controlling constitutional bodies like Judiciary, Election commission, the burning Manipur crisis, and Places of Worship Act, most importantly the incidents in Sambhal, communalism and bias against opposition-governed states.

There are several examples where the union government has showed scant respect to the State autonomy. Infringement of State’s fundamental rights enshrined in the constitution were often overlooked for reasons better known to them only.

There are several important points to be included and some of them are sensitive too. How the union government is passing bills without proper discussion which are against the interests of the State Governments especially like our Tamil Nadu.

The Bills like NEET, CAA, Abrogation of article 370, Farm Bills, Dam Safety

Bill, GST Bills, Factories Amendment Bill and the list is big...are termed draconian and unconstitutional. This is because the Bill in some parts breaches the core values enshrined in the constitution.

State government is not subservient to the Central government. The duly elected governments at the States are able to execute the projects envisaged for the development of the State. There is no bigger law than people's good wish.

Anti-Hindi agitations of 1965 became the focal point of Centre-State relations. DMK has a history of being a vociferous and vehement opposition to union government when things go wrong against the people of Tamil Nadu. But if the centre is governed by pro State policies and work on common minimum agenda we have no hesitation in adopting the policy of cooperative federalism.

"Self-Rule in the States and a federal Government at the Union"

It means, "autonomy to the State, federalism at the Centre."

*We earlier said "North is flourishing and South is diminishing". This is true even. But under the able guidance of three great leaders viz. Perarignar Anna, Muthamizh Arignar Dr.Kalaignar, Thalapathy M.K.Stalin...due to the benefits of the Dravidian Model of Government in Tamil Nadu... the excess revenue generated in the South is being taken away by the North.

This happens because Tamil Nadu is a home state for all others those who come and earn a living and stand flourished.

It is not a surprise that due to the Dravidian Model of Government and its

---

.... English translation of this part of the speech was originally laid on the table in Tamil.

thoughtful initiatives Tamil Nadu continues to remain as one among the top revenue earning States of our country. *

The essence of Democratic form of government lies in its principle...Of the people, by the people, for the people"

The Constitution of India is our holy book and must ensure the fundamental rights and core values enshrined are maintained, undisturbed and revered.

Preamble declares India to be a sovereign, socialist, secular and democratic republic. The objectives stated by the Preamble are to secure justice, liberty, equality to all citizens and promote fraternity to maintain unity and integrity of the nation.

To the current ruling dispensation, the Preamble of the constitution is the stumbling block to fulfil their 'Hindu Rashtra' day dream and we will forever stand as the most powerful unbreakable Iron Wall to protect our Constitution.

Thank you

***DR. KALANIDHI VEERASWAMY (CHENNAI NORTH):** It been a glorious 75 years since we adopted the Constitution of India. I would like to pay my respects to Baba Saheb Ambedkar and all visionaries who were in the Drafting Committee.

I would also like to pay my respects to the guards who lost their life protecting the Parliament on this day years ago. Several people have expressed their views during the last 75 years defending and heaping laurels on their own parties. The Treasury Benches repeatedly talked of the period of Emergency and

---

* Speech was laid on the Table.

the horrors which entailed. I am sure the House today are defending the imposition of Emergency, not even the leaders from INC.

One repeated question which the Treasury Benches ask, MPs of DMK is how we can be with the Congress when our Government was toppled in 1976 and several leaders including present CM Thiru M.K. Stalin and my father Shri Arcpt M Veeraswami imprisoned for 1 years and underwent physical and mental torture.

The biggest threat that we feel is the divisive attitude of RSS and BJP. We have witnessed several instances where violence has been unleashed on religious and communal minorities leading to deaths of thousands of innocent people including children.

It becomes even more evident when the perpetrators of gang rape and murder convicts are being received like war heroes, garlanded and given sweets. This will never be tolerated by Tamil Nadu people. This is one of the reasons why BJP fails to get any supporters in Tamil Nadu.

This Government which talks so much about the Constitution, that it is also so insecure that it fears talking about the post of Deputy Speake since the 17th Lok Sabha. Its suspicion is so great that even its alliance partners are with the post which is a Constitutionally mandated post.

*[**श्रीमती कमलेश जांगड़े (जांजगीर-चांपा)**] : भारत के संविधान के अंगीकरण की 75वीं वर्षगांठ के शुभ अवसर पर हो रहे विशेष चर्चा में हमें अपनी बात रखने का अवसर देने के लिए धन्यवाद।

---

* Speech was laid on the Table.

हम सब बड़े भाग्यशाली है कि संविधान अंगीकरण की 75वीं वर्षगांठ के समय हम सब मौजुद है। हमारा संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। जिसके माध्यम से देश के प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आधार पर जिने का अवसर मिलता है।

हमें यह कभी नही भुलना चाहिए कि देश को चलाने के लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने जो नियम, कानून बनाया वह दुनिया के अन्य लिखित संविधानों से काफी बेहतर और अच्छा है।

हमें गर्व है कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में चल रही वर्तमान सरकार में हम संविधान अंगीकरण की 75वीं वर्षगांठ मना रहे है। जिसमें अपने संविधान को जानने, समझने और उसका विश्लेषण कर संविधान के बारे में देश के नागरिकों को बताने में खुशी मिल रही है।

भारत रत्न, संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉ. भीम राव अंम्बेड़कर जी ने जब संविधान बनाया तो सबसे पहले देश के उन वंचित, पिछड़े दलित SC/ST भाई-बहनों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणीक उत्थान के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिया।

संविधान बनाते समय संविधान निर्माताओं ने देश के नागरिकों के लिए संविधान में जो महत्वपूर्ण चीजे सम्मिलित किया उसी प्रकार हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी ने देश को विकास की ऊचाईयों पर ले जाने और तकनिकी युग में देश के नागरिकों के हित को देखते हुए संविधान में महत्वपूर्ण बदलाव किया :-

जी.एस.टी. के माध्यम से आर्थिक विकास को पुनर्जीवित करने का कार्य किया गया

2014 में मादी सरकार से पहले देश एक अविचारित वैट प्रणाली से ग्रस्त था, जिसमें विभिन्न राज्यों में कराधान की दरों की बहुलता और एकरुपता का अभाव था। इसके परिणामस्वरुप मोदी सरकार ने दूरदर्शी जी.एस.टी. व्यवस्था लागू की जिसमें 17 से अधिक करों और 13 उपकरों को एक ही मद में समाहित कर दिया गया तथा सभी राज्यों में कर दरों को स्थिर किया गया।

ओबीसी समुदाय का न्यायसंगत प्रतिनिधित्व, सामाजिक न्याय सिद्धांतों को कायम रखने के लिए 102वें संविधान संशोधन द्वारा ओ.बी.सी. समुदाय की लम्बे समय से चली आ रही मांग को पूरा किया गया, यह संशोधन एक महत्वपूर्ण मोड़ है, जो मोदी सरकार की "सबका साथ, सबका विकास"

के प्रति वास्तविक प्रतिबद्धता को दर्शाता है, तथा यह सुनिश्चित करता है कि सुशासन का लाभ भारत के सबसे योग्य समुदायों तक पहुंचे।

इसी के साथ साथ हमारी सरकार ने सविधान में संशोधन कर महिलाओं के उत्थान और सशक्तिकरण के लिए महिलाओं को लोकसभा के साथ-साथ राज्य विधानसभाओं में 33 प्रतिशत सीटों का आरक्षण प्रदान किया जिससे यह सुनिश्चित हो गया की महिलाओं द्वारा व्यक्त की गई चिंताओं को कभी भी दबाया नही जा सकेगा।

मौजूदा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आरक्षित सीटों पर महिला आरक्षण लागू करके लोकसभा के साथ-साथ राज्य विधानसभाओं में भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं का प्रतिनिधित्व हो।

माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए उज्ज्वला योजना के माध्यम से बड़े पैमाने पर महिलाओं को लाभ मिला साथ ही पी.एम. जन धन और मुद्रा योजना के माध्यम से महिलाओं के लिए आर्थिक मद्द किया गया। हमारे प्रधानमंत्री जी ने आर्थिक क्षेत्र में देश को विश्व में तीसरे नम्बर पर लाने के लिए अथक प्रयास कर रहे है। यह हमारे देश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धी होगी।

आज देश की आवश्यकता है कि देश में वन नेशन, वन इलेक्शन को लागू किया जाए। हमें पूरा विश्वास है कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में यह कार्य जल्द सम्भव हो जाएगा।

*__श्रीमती लवली आनंद (शिवहर) :__ माननीय सभापति महोदय, आज जब हम भारत के संविधान के 75 गौरवशाली वर्षों का जश्न मना रहे हैं, यह हमारे लिए गर्व और आत्ममंथन का अवसर है। दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे विस्तृत संविधान, जो 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया था, न केवल हमारे लोकतंत्र की आधारशिला है, बल्कि यह एक ऐसा दस्तावेज है जिसने हमारे देश को विविधता में एकता का आदर्श प्रस्तुत करने में सक्षम बनाया है।

---

* Speech was laid on the Table.

आज जब हम भारत के संविधान के 75 गौरवशाली वर्षों का जश्न मना रहे हैं, यह महत्वपूर्ण है कि हम उन मूल्यों, परंपराओं और आदर्शों को याद करें, जिन्होंने हमारे देश को एक मजबूत लोकतंत्र बनाया। हमारा संविधान मौलिक अधिकारों और निर्देशक सिद्धांतों का आदर्श मिश्रण है। यह लाल स्वतंत्रता न्याय के सिद्धांतों पर आधारित है, जो इसे दुनिया के अन्य सविधानों सें| अलग बनाता है।

इसके प्रावधानों ने भारत को एकता का उदाहरण बनाया। आज हम अपने संविधान के 75 वर्ष पूरे होने का जश्न मना रहे हैं। यह केवल एक दस्तावेज़ का नहीं है, बल्कि उन आदर्शों और मूल्यों का सम्मान है, जिन्होंने 1.4 लोगों के भविष्य को दिशा दी है। हमारा संविधान मात्र नियमों का सं स्ट्रह नहीं, बल्कि न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के मूल सिदधांतों का ज़ीवंत प्रतीक है, जो हमारे महान राष्ट्र की नींव है।

हमारा संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। जहां अधिकांश संविधानों में बदलाव की गुंजाइश कम होती है, वहीं भारतीय संविधान ने समय-समय पर 106 संशोधनों के माध्यम से अपनी प्रासंगिकता बनाए रखी है। यह संविधान नं केवल एक कानूनी दस्तावेज है, बल्कि हर नागरिक की आकांक्षाओं और अधिकारों का संरक्षक भी है। 1949 मेँ जब संविधान सभा ने इसे अपनाया, तब यह केवल एक कानूनी ढांचा नहीं था, बल्कि यह भारतीय संस्कृति, विविधता और सामाजिक न्याय का प्रतीक था। बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर ने इसे "भारत का आत्मा" कहा, क्योंकि यह प्रत्येक भारतीय के लिए समान अवसर और सम्मान का वादा करता है। हमारा संविधान आधुनिकता और भारतीय परंपराओं का अदभुत मिश्रण है। इसमें मॉलिक अधिकारों के साथ-साथ राज्य के नीति निदेशक तत्वों को शामिल कर यह सुनिश्चित किया गया कि नागरिक अधिकार और सामाजिक कल्याण एक साथ आगे बढ़ें।

भारत जैसे विविध देश में, जहां 22 अनुसूचित भाषाएं, सैकड़ों बोलियां और विभिन्न धर्म हैं, हमारा संविधान सभी को समानता का अधिकार देता है। यह इस बात का प्रमाण है कि कैसे एक संविधान एक बहुआषी, बहुधार्मिक और बहुजातीय समाज को एकजुट रख सकता है। संविधान पर कांग्रेस दवारा किए गए हमलों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बिहार-जैसे-सज्यों में राष्ट्रपति

शासन 8 बार लगाया गया, जिसमें 7 बार कांग्रेस के शासनकाल में। 1 5 की आपातकाल के दौरान, संविधान को कुचलने का सबसे बड़ा उदाहरण गया। प्रेस की स्वतंत्रता छीन ली गई, मौलिक अधिकारों को दबा . गया और देश को एक तानाशाही की ओर धकेल दिया गया।

राजद और कांग्रेस ने बिहार को बर्बाद किया, संविधान को कमजोर किया। बिहार ने हमेशा भारतीय संविधान के आदर्शों का सम्मान किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी नीतियों से यह सुनिश्चित किया है कि संविधान में वर्णित समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष मूल्यों का पालन हो। महिलाओं को 50% आरक्षण देना, हर घर नल का जल जैसी योजनाएं, और जीविका समूहों का गठन, यह सभी नीतियां संविधान की आत्मा को जीवित रखती हैं।

संविधान के 75 वर्ष हमें यह सिखाते हैं कि लोकतंत्र को मजबूत बनाए रखना केवल एक दस्तावेज़ का काम नहीं है, बल्कि यह हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। कांग्रेस ने जहां इसे कमजोर करने का प्रयास किया, वहीं बिहार और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जैसे नेताओं ने इसे सशक्त करने का काम किया। इतना मजबूत संविधान होने के बावजूद, कांग्रेस पार्टी ने कई बार इसे कमजोर करने की कोशिश की। आपातकाल (1975-77): इंदिरा गांधी ने संविधान की आत्मा को चोट पहुंचाई, मौलिक अधिकारों को निलंबित किया, प्रेस की स्वतंत्रता खत्म की और लाखों लोगों को जेल में डाल दिया। यह लोकतंत्र का सबसे काला अध्याय था। कांग्रेस ने राष्ट्रपति शासन को राजनीतिक हथियार बनाया। बिहार में 8 बार राष्ट्रपति शासन त्रगाया गया, जिनमें से अधिकांश कांग्रेस के शासनकाल में हुआ। सीबीआई और चुनाव आयोग जैसी संस्थाओं को कमजोर करने का काम कांग्रेस ने किया। संविधान निर्माण में बिहार का अहम योगदान रहा। डॉ. राजेंद्र प्रसाद, संविधान सभा के अध्यक्ष, बिहार के ही थे। बिहार ने लोकतंत्र के उस ढांचे को बनाने में योगदान दिया, जिस पर आज पूरा देश गर्व करता है। लेकिन, यह भी सच है कि कांग्रेस के शासनकाल मैँ बिहार को बार-बार राजनीतिक अस्थिरता का सामना करना पड़ा।

बिहार में 1968 से अब तक 8 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ, जिनमें से अधिकांश बार कांग्रेस के शासनकाल में हुआ। यह राजनीतिक अस्थिरता बिहार की प्रगति के रास्ते में एक बड़ी बाधा बनी।

लेकिन जब से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार की कमान संभाली, उन्होंने संविधान के आदर्शों का पालन करते हुए स्थिरता और विकास की दिशा में राज्य को आगे बढ़ाया। सामाजिक और राजनीतिक इंजीनियर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार केवल एक इंजीनियर ही नहीं, बल्कि एक सोशल इंजीनियर भी हैं। उनकी नीतियों ने समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चलने का काम किया है। उन्होंने गाँधी जी की अहिंसा, लोहिया जी और जयप्रकाश नारायण जी के समाजवाद, और कर्प्री ठाकुर जी की पिछड़े वर्गों के प्रति संवेदनशीलता को अपने शासन का आधार बनाया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए अभूतपूर्व कदम उठाए। . 50% आरक्षण: 2006 में पंचायत राज और 2007 मैँ शहरी निकायों मैँ महिलाओं के लिए 50% आरक्षण लागू किया। 35% आरक्षण: 2016 से सभी सरकारी नौकरियों में महिलाओं के ब्रिए 35% आरक्षण की व्यवस्था की। मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना: हुस योजना मे न कैयल हड़कियों के स्कूल ड्रॉपआउट रेट को घटाया, बल्कि इसे अतरराष्ट्रीय प्रशला भी मिली। आज, 6 अफ्रीकी देशों ने इसे अपनाया है।

जीविका परियोजना: बिहार में 10.47 लाख स्वयं सहायता समूह बने हैं, जिनमें 1.3 करोड़ महिलाएं "जीविका दीदी" के रूप में कार्यरत हैं। उनकी यह पहल केंद्र सरकार के "आजीविका" कार्यक्रम का आधार बनी। बुनियादी ढांचे का विकास: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एजेंडा "बिजली, सड़क और पानी' था। हर घर नल का जल योजना और शौचालय निर्माण योजना के माध्यम से लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा किया गया। बिजली की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की गई और राजमार्गों का निर्माण किया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संविधान में निहित मौलिक अधिकारों और निर्देशक सिद्धांतों का पालन करते हुए एक समान और समावेशी समाज का निर्माण किया। उन्होंने सामाजिक न्याय और महिला सशक्तिकरण के लिए काम किया और यह सुनिश्चित किया कि हर वर्ग को न्याय मिले। जहां एक ओर कांग्रेस ने बिहार को राजनीतिक अस्थिरता और भ्रष्टाचार में धकेला, वहीं दूसरी ओर नीतीश कुमार ने संविधान के आदर्शों के साथ राज्य को विकास के पथ पर अग्रसर किया। संविधान के 75 वर्ष पूरे होने पर हमें यह सुनिश्यथित करना चाहिए कि हम इसकी मूल भावना को बनाए रखें। बिहार और मुख्यमत्री नौतीश कुमार का योगदान इस दिशा में एक प्रेरणा है। हमें यह याद

रखना चाहिए कि लोकतंत्र तब तक मजबूत रहेगा, जब तक इसके मूल आदी का पालन किया आइए, हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि सविधान की आत्मा को बनाए रखेंगे और इसे अविष्य की पीढ़ियाँ के लिए और भी मजबूत करेगे।

हमारे बिहार के विकास पुरुष माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार को काफी आगे बढ़ाया। महिला सशक्तीकरण को लागू किया। 50 परसेंट आरक्षण पंचायती राज में दिया, 35 परसेंट सभी नौकरियों में महिलाओं को दिया, जीविका दीदी, आशावर्कर्स की लाभदायक योजना, महिलाओं के लिए साइकिल योजना से बालिका आत्मनिर्भर। सड़क,पुल पुलिया बनाकर लॉ एंड ऑडर को दुरुस्त किया गया। आत्मनिर्भर बिहार बनाया। सबसे ज्यादा महिला पुलिस की भर्ती बिहार में शराबबंदी, दहेजबंदी की। यशस्वी प्रधानमंत्री ने संविधान में संशोधन करके मुस्लिम महिला के हक में तीन तलाक हटाएं। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 370 जम्मू-कश्मीर में हटा। महिला 33 परसेंट आरक्षण लाया गया। जिसकी प्रति कांग्रेस और राजद ने स्पीकर के मुंह पर फेंककर संविधान को कमजोर करना चाहा। महिला बिल की कॉपी को फाड़ा गया। हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश में अच्छा काम हुआ है। आयुष्यमान योजना, उज्ज्वला योजना, 15 किलो अनाज मुफ्त में। मोदी जी के नेतृत्व में संविधान मजबूत हुआ है। देश से लेकर विदेश में भी भारत का डंका बज रहा है। विदेश में भी भारत का सम्मान बढ़ा है। धन्यवाद।

*__SHRIMATI MALVIKA DEVI (KALAHANDI):__ Thank you for giving me an opportunity to share my views on a very significant and historic discussion. It is both a privilege and responsibility to reflect on our nation’s remarkable journey - one marked by resilience, determination and collective progress. Abraham Lincoln has rightly said that, “The best way to predict our future is to create it.”

Seventy-five years ago, on 26th November 1949, the Constituent Assembly

* Speech was laid on the Table..

of India adopted the Constitution, which came into effect on 26th January 1950, marking the dawn of the Republic of India. This visionary document has since been the compass guiding our nation through both trials and triumphs.

Seventy-five years ago, India rose from the shackles of colonial rule, ready to script its destiny, it was not just a political victory; it was a triumph of the human spirit, driven by sacrifices of countless individuals. As Dr. B.R. Ambedkar Ji aptly remarked:

"The Constitution is not a mere lawyer's document; it is a vehicle of life, and its spirit is always the spirit of the age."

The drafting process involved intense deliberations over 2 years, 11 months, and 18 days, spanning 11 sessions and 165 days of debate. The Constituent Assembly, comprising 299 members from diverse walks of life—lawyers, scholars, freedom fighters, and political stalwarts—came together with a shared vision of nation building.

Our constitutional journey has encountered numerous challenges, from socio-economic inequalities and communal conflicts to external threats and internal upheavals. Despite these hurdles, the Constitution has adapted and evolved through crucial amendments:

- 1st Amendment (1951): Addressed land reforms and protected laws from judicial review.
- 42nd Amendment (1976): Known as the "mini-Constitution," it strengthened central authority while emphasizing socialism, secularism, and national

unity.

- 61st Amendment (1989):

  Reduced the voting age from 21 to 18, empowering India’s youth.

- 73rd and 74th Amendments (1992):

  Strengthened local governance by institutionalizing Panchayati Raj and Municipalities.

- 103rd Amendment (2019):

  Introduced a 10°o quota for economically weaker sections, reflecting changing social justice priorities.

- Many of our esteemed colleagues have already highlighted the significant role of women in the Constituent Assembly. As Rajnath Ji aptly described them as our "Founding Mothers," I would like to take this opportunity to honor one such exceptional woman from Odisha, Smt. Malati Choudhury, an eminent member of the Constituent Assembly, whose contributions continue to inspire us. I am particularly proud to represent Odisha in this august House, a state that has consistently championed the cause of women’s empowerment and social justice.

- India’s Constitution, the longest and one of the most comprehensive in the world, surpasses even the U.S. Constitution, which consists of just seven articles. Unlike many nations, India crafted a detailed, inclusive document that mirrors its vast sociocultural diversity. One of the most significant aspects of our Constitution is the adoption of universal adult franchise,

which was a bold and unparalleled democratic leap.

- Our democracy, the largest in the world, is one of our most cherished accomplishments. From the drafting of the Constitution to the conduct of free and fair elections, India has embodied the foundational principle of the Constitution that sovereignty lies with "We the People."

As Nelson Mandela wisely stated,

“It is not the kings and generals that make history, but the masses of the people.”

- India has demonstrated the strength of its democratic fabric by conducting Eighteen General Elections and multiple state elections, with free and fair voting at their core. This alone speaks volumes about the vitality and endurance of our democratic processes. Economic Progress
- When India gained independence in 1947, its economy was agrarian and fragile. Today, we stand as one of the world’s largest economies, driven by innovation, entrepreneurship, and the indomitable spirit of our people. From the Green Revolution to emerging as a global hub for technology, India’s economic journey has been nothing short of transformative. Initiatives like Make in India, Digital India, and Startup India have ensured that we continue to thrive in a highly globalized and competitive world.
- India’s achievements in science and technology have been groundbreaking. From the launch of Aryabhatta, our first satellite, to the successful “Mangalyaan-Mission to Mars”, we have shown the world our capabilities. In the digital domain, the Digital India initiative, especially the

success of UPI (Unified Payments Interface), has revolutionized financial inclusion, bringing digital connectivity to the remotest corners of our nation.

Social Development

- No reflection on India's progress is complete without recognizing the strides we have made in social development. Our Constitution, founded on the principles of justice, equality, and fraternity, has committed us to uplift the marginalized sections of socicty. Through comprehensive policies aimed at education, healthcare, and poverty alleviation, we have empowered millions, ensuring that no one is left behind.

  Thomas Jefferson wisely observed,

  "The Constitution of a country belongs to a living generation, not to the dead."

- Our tribal communities, with their rich cultural heritage and deep connection to nature, are an integral part of India's identity. Over the years, the government has introduced policies such as the Forest Rights Act and the Particularly Vulnerable Tribal Groups (PVTG) Development Program, which ensure that the most vulnerable sections of our society have access to education, healthcare, and economic opportunities.

- Odisha, the state I represent, has been at the forefront of addressing the needs of its tribal communities, who comprise more than 20% of the state's population. Through targeted programs, we have worked tirelessly to uplift these communities and ensure their rightful place in our nation's progress.

- Today, women in India are not only participating in but excelling across various fields—from space exploration with Kalpana Chawla to leadership in business with trailblazers like Kiran Mazumder Shaw, and from grassroots activism to the highest office in the country, as evidenced by our esteemed President, Droupadi Murmu Ji. Indian women are indeed rewriting history.
- As a woman parliamentarian, I take immense pride in the progress we have made, particularly with the passage of the long-awaited Women's Reservation Bill in 2023, marking a historic step towards greater representation of women in the legislative process. Furthermore, initiatives like Beti Bachao Beti Padhao and Mission Shakti are pioneering efforts that empower women at every level.
- India today stands tall on the global stage. As the voice of the Global South, we have consistently championed peace, development, and cooperation, earning respect and recognition across the world. Our nation's remarkable growth story is now a beacon of hope for many other developing countries.
- However, as we celebrate our achievements, it is equally important to look ahead. As our Prime Minister, Narendra Modi Ji, has emphasized, the next 25 years will be crucial for India's transformation into a developed nation. While we have made tremendous strides, we must continue to focus on key areas such as education, healthcare, technological innovation, and financial inclusion to ensure that we leave no one behind.

- I have full confidence that under the dynamic leadership of our Prime Minister, we will continue to make remarkable progress in every sphere—political, economic, scientific, and social.
- In conclusion, the last 75 years of India's journey are a testament to the resilience and strength of our people, the vision of our leaders, and the enduring relevance of our Constitution.
- As a woman parliamentarian, | am deeply proud to represent a country that is striving to empower its daughters and uplift its most vulnerable citizens, under the guiding principle of Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas.

Thank you once again, Jai Hind! Jai Bharat!

* **SHRI BALWANT BASWANT WANKHADE (AMRAVATI):** I would like to thank my party for allowing me to express my views on this occasion of 75th Anniversary of Constitution Adoption with Saluting all those who have contributed in strengthening the foundation of our robust democratic set-up.

Saint Gadgebaba used to recite:

"Worship the labour and do not tolerate the injustice.
Rise for the justice, constitution is our only religion."

Dr Babasaheb Ambedkar had warned us while debating in Constituent Assembly, "However good a constitution may be, if those who are implementing it are not good, it will prove to be bad. However bad a constitution may be if those implementing it are good, it will prove to be good".

* English translation of the speech originally laid on the Table in Marathi.

Implementation of constitution is not solely depending on Constitutional framework. It empowers our Legislature, Executive and Judiciary. These have been created to fulfill the expectations and aspirations of the people and also a tool to serve the political set-up of this country.

The creation of the Indian Constitution was not just a process of making laws, but also a process of creating a new. It was an inspiring story of laying the foundation of the nation. The Constituent Assembly, which was formed on 9 December 1946, approved the Constitution on 26 November 1949. In this assembly, 298 members had a detailed discussion on various issues. Some very important developments took place out of these discussions , which are still written in golden letters in the history of Indian democracy.

The Constituent Assembly is not just a history, but a celebration of the spirit of Indian democracy. On November 26, 1949, the Constituent Assembly presented the world's most comprehensive and democratic Constitution to India. This document is not just a book of laws, but it is the breath of life and death for you, us, all the Indians.

Pandit Jawaharlal Nehru, while presenting the preface, says

“We dream of an India where poverty, ignorance and injustice have no place. The Constitution will not be just a book of laws; it will be a mirror of the feelings of the people. ”

Today, it is the responsibility of all of us Indians to make this dream come true.

Yes. Babasaheb Ambedkar's contribution in the creation of the Constitution

is invaluable. He completed the work of the Constitution in 2 years, 11 months and 18 days.

Babasaheb worked to provide equal opportunities and justice to all, be it the exploited, the deprived, or any other section of society, including women.

The role of the Constitution in achieving unity in diversity

India is a nation of diversity. Bringing this country, with 22 official languages, over 2000 dialects, a melting pot of diverse religions and cultures, under one constitution was a unique task.

The Constitution of India embodied the principle of "Unity in Diversity". These debates in the Constituent Assembly were not just about creating laws, but also about binding together the diversity of Indian society.

It was from these discussions that today's Constitution emerged. The idea of "unity in diversity" was reflected in every discussion of the Constituent Assembly.

Muhammad Sadullah says in the debates of the Constituent Assembly -

“Special provisions are needed to protect minority communities from discrimination. Muslims in particular should be able to preserve their religious and cultural identity. The identity of our India, unity in diversity, which has been going on for many years, was also secured in the Constitution. But the present government is implementing a conspiracy that is tarnishing this unity. Sambhal - UP case.

While discussing the 75th anniversary of the Constitution, it is sad that in Parbhani, Maharashtra, the image of the Constitution in front of the statue of Dr.

Babasaheb Ambedkar was desecrated. Desecrating the Constitution that gave freedom to live is a highly condemnable incident and false cases are being filed against people of Ambedkarite ideology who are protesting against it. It is even sadder than that.

India is a country full of diversity, and the Constitution has played an important role in bringing this diversity together. The Constitution has given fundamental rights to minorities, weaker sections and women. These rights have empowered the Bahujan Samaj. We must always remember this valuable work of Babasaheb Ambedkar with devotion. We must constantly strive to ensure that his thoughts and work are passed on to future generations. Our Constitution has now completed 75 years, and it is still modern and sensitive. It has been successful in keeping this diverse society together.

While the discussion was going on in the Constituent Assembly, a member once asked, "Can we bind so many different religions and languages into one constitution?" Then Babasaheb said, " Religion does not unite a person; it unites him with a hunger for equality. Every line of the Constitution respects equality, and our future rests on it." Dr. Babasaheb Ambedkar had warned on 25th November 1949 that, "If political parties consider their own ideology to be bigger than the country, then their independence will be in danger. Therefore, every political party should give priority to the national interest. This parliamentary democracy system existed in India even during the time of the ancient Buddha, but India lost the democratic system. Will it lose it again for the second time? I do not know. But in a country like India, since democracy has not been used for a

long time, it is likely to seem very new. It is quite possible that the newly born democracy will maintain its external appearance; but in reality it will give way to dictatorship. If there is a huge majority, there is a great danger of the second possibility becoming a reality."

Going further, Dr. Babasaheb Ambedkar says, after independence we have accepted democracy. But we should not be satisfied with political democracy alone. We must also transform our political democracy into a social democracy. If social democracy is not based on the foundation of political democracy , it will not be able to last for long. In the social sphere, our society is based on the principle of hierarchical inequality. This means that some people are at the top while the rest are at the bottom. In the economic sphere, some in our society have immense wealth, while many people live in abject poverty. On 26th January 1950 , we are going to enter a life of contradictions, we will have equality in politics. However, there will be inequality in social and economic life. In politics, we are going to accept the principle of one vote for everyone and equal value for every vote. However, in our social and economic life, due to the social and economic structure, we will continue to reject the principle of equal value for every person. How long will we live in such a contradictory life? If we continue to deny it for too long, we will inevitably endanger our political democracy. We must remove this anomaly as soon as possible. Otherwise, those who are suffering the consequences of inequality will destroy the political democratic structure that this Assembly has worked so hard to build.

Dr. Babasaheb Ambedkar further says, "I might have ended my speech at

this point." But my mind is so anxious about the future of the country that I feel I should take this opportunity to express my views on it. On the 26th of January, 1950, India will become an independent nation. What will become of its independence? Will it retain its independence or will it lose it again? This is the first thought that comes to my mind. It is not that India has never been independent before. The point is that it has lost its independence once. Will it lose it again? It is this thought of the future that worries me the most. The fact that India has not only lost its independence in the past but has lost it through the dishonesty and treachery of some of its own people makes me even more anxious.

Will history repeat itself?

This thought has made me anxious. I am even more anxious by the realization that, in addition to our old enemies of caste and sect, there will now be many political parties with different and conflicting ideologies. Will the people of India consider the country greater than their ideology, or will they consider the ideology greater than the country? I do not know. But this much is certain, that if the parties consider their ideology greater than the country, our freedom will be threatened a second time and perhaps lost forever. We must be determined to fight against this possibility. We must be determined to defend our freedom to the last drop of our blood.

But, the behavior of today's ruling parties is encouraging anti-constitutional acts. And that is why that idea is expressed by the chairman of the Economic Advisory Council of a person like the Prime Minister or through the raging BJP leaders, that's all.

Besides, is the BJP's intention to dismantle 'reservation and the public sector', which is seen as a document of social justice in the true sense of the word, and to build a Hindu nation by destroying secular democracy based on justice, freedom, equality and fraternity? The events of the last 10 years are proving this.

****श्री महेश कश्यप (बस्तर)** : भारतवर्ष को देवभूमि जगतगुरु विश्व गुरु के नाम से जानी जाती रही है दुर्भाग्य से 800 वर्ष मुगलों को के गुलामी 200 वर्ष अंग्रेजों की गुलामी के बाद हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान से 15 अगस्त 1947 को आजादी प्राप्त किया गया 26 जनवरी 1950 महान संविधान लागू किया गया हमारे संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा डॉक्टर बाबासाहेब अंबेडकर की अध्यक्षता में निर्माण किया गया था ।

महान संविधान के कारण दलित, वंचित, एससी, एसटी, ओबीसी, शोषित गरीबों को अधिकार मिला हुआ है । परंतु किसी रोड, सड़क, बिजली, पानी, जैसे मौलिक अधिकार, चुनाव लड़ने जैसे अधिकार एससी-एसटी, ओबीसी, दलित, आदिवासियों पिछड़ा वर्ग के उत्थान के अनुच्छेद 366 लागू किया गया। अनुच्छेद 366 (24) के तहत अनुच्छेद 341 में आरक्षण में स्पष्ट परिभाषित किया गया है, अनुच्छेद 366 (25) के तहत अनुच्छेद 342 के एसटी वर्ग के लिए शिक्षा से शैक्षणिक सामाजिक स्तर सुधारने के अधिकार प्राप्त हैं।

आदरणीय मोदी जी के आने के कारण आज प्रधान मंत्री आवास योजना के तहत पूरे देश के लोगों को घर मिल रहे हैं। दुर्भाग्य से पिछले 5 वर्ष में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के शासन होने के कारण प्रधानमंत्री आवास जैसे महत्वपूर्ण योजना को बंद करके रखा और इसमें 18 लाख परिवार को इसमें वंचित होना पड़ा क्योंकि इनको मालूम नहीं है कि गरीबी क्या चीज होती है।

मेरा लोकसभा क्षेत्र बस्तर केरल राज्य से बाद इजरायल और बेल्जियम देश से बड़ा क्षेत्रफल होने के बाद भी हमारे पूर्वजों ने 800 साल के मुगलों से 200 साल का अंग्रेजों के शासनकाल में अपना

---

* Speech was laid on the Table.

धर्म, संस्कृति, परंपरा, जल, जंगल, जमीन और खनिज संपदाओं को बचाए रखा। दुर्भाग्य से इन्हीं लोगों के शासनकाल में पिछले 30-40 वर्षों में महान संस्कृति को धर्मातरण कर हमारी संस्कृति और परंपरा को अलग करने का प्रयास किया जा रहा है। अनुच्छेद 344 में पांचवी अनुसूची होने के बाद का प्रावधान होने के बावजूद पेसा कानून के माध्यम से ग्राम सभाओं के माध्यम से अपनी संस्कृति परंपरा को रक्षा करने के लिए ग्राम सभा के माध्यम से रोकने का प्रयास किया जा जाने से सत्ता के दम पर अल्पसंख्यकों के ऊपर हमला, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार बात कर आदिवासी समाज के सामाजिक प्रमुखों के ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाती है। सत्ता के लिए, वोट बैंक की राजनीति के लिए कोई सामाजिक प्रमुख आगे आते हैं तो रासुका जैसे कानून लगाकर जेल भेजने की धमकी भी दी जाती है। जैसा कि मेरे साथ पिछले 5 वर्ष के अंदर मेरे साथ लगातार इसी प्रकार से दबाव बनाया जाता रहा है। दूसरी ओर हमारे पूर्वजों ने जल, जंगल, जमीन और खनिज संपदा को अंग्रेजों और मुगलों से बचाए रखा कुछ लोग इसी संविधान की दुहाई देते हुए जल, जंगल, जमीन का अधिकार दिलाने के नाम पर हमारे लोगों को बंदूक पकड़ा रहे हैं। गोली चलाने वाला भी हमारा भाई, गोली खाने वाला भी हमारा भाई, जेल जाने वाला भी हमारा भाई। हमारे भाइयों द्वारा जल, जंगल, जमीन, का नारा दिलाने के कारण लगभग 1800 से अधिक निर्दोष महिलाओं और छोटे बच्चों को मौत के घाट उतारा गया है लगभग 1300 से अधिक सुरक्षाकर्मी मारे गए। इन लोगों को कौन सा संविधान अधिकार देता है मैं इन वामपंथी महाबादी और विपक्षी इंडिया गठबंधन के लोगों को पूछना चाहता हूं।

दुर्भाग्य से देश के पहले प्रधानमंत्री ने मुख्य मंत्रियों को पत्र लिखा था, शैक्षणिक सामाजिक स्तर सुधारने के समर्थन करता हूं नौकरी, पैसा। दुर्भाग्य से पहले प्रधानमंत्री के द्वारा मुख्यमंत्री को जो पत्र लिखा गया है उसमें शैक्षणिक सामाजिक स्तर सुधारने में आरक्षण का समर्थन करने जैसी बात नेहरू जी द्वारा की गई है नौकरी एवं पैसा में आने से यह देश का अपमान होगा जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। आजादी के 78 वर्ष में 60 वर्ष शासन करने वाले लोगों के सब में पूछना चाहता हूं की जनजाति समाज के लोगों के लिए संचालित विभाग आखिर क्यों वेटनरी विभाग में रखा गया था, क्या इन लोगों की नजर में आदिवासी वर्ग के लोग इन्हें पशु नजर आते थे। मैं आज पूर्ण स्मरण करना

चाहता हूँ परम संदेश श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जिन्होंने वर्ष 1999 में अपने शासनकाल में आदिवासी वर्ग के लिए अलग से जनजाति कार्य मंत्रालय की स्थापना की। यही लोग आदिवासी, दलित हितेषी बताने का जो ढोंग करते हैं उनके द्वारा कभी भी आदिवासी क्षेत्रों को सड़कों से नहीं जोड़ा गया लेकिन माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी की ही दूर दृष्टि थी कि उन्होंने प्रधानमंत्री सड़क योजना लागू करके आज पूरे देश में सड़कों का जाल बिछा दिया है ।

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने धारा 370 (35A) को हटाकर भारत माता के माथे से कलंक हटाया है। साथ ही नोटबंदी करके बम ब्लास्ट और आतंकवाद की घटनाएं करने वालों की कमर तोड़ी है 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती को जनजाति गौरव दिवस घोषित कर जनजाति समाज को गौरवान्वित करने का काम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया है जनजाति बहुल 10 राज्यों में जनजाति संग्रहालय बनाने का एक अनुकरणीय उदाहरण पेश किया है अंग्रेजों के द्वारा द्वारा बनाए गए कई कानूनों को संशोधन कर भारत का गौरव बढ़ाया गया है। इसी संविधान में 500 वर्षों के कलंक को मिटाकर भगवान राम मंदिर बनाया गया है संविधान की ताकत से है यह संभव हो सका है। छत्तीसगढ़ का भगवान श्री राम से नाता है छत्तीसगढ़ में भगवान श्री राम का ननिहाल रहा है।

इसी संविधान के ताकत पर मोदी जी ने ऐसा गारंटी का भी गारंटी दिया है किसान सम्मान निधि हो चाहे महतारी योजना के तहत माता को देने वाली महतारी राशि हो यह मोदी जी के गारंटी है। इसी देश के युवा प्रधानमंत्री की 1985 में मेरे राज्य से सटें हुए क्षेत्र उड़ीसा राज्य के आदिवासी क्षेत्र में सभा हुई थी। उन्होंने उस सभा में अपने संबोधन में कहा था कि मैं एक रुपया केंद्र से भेजता हूं तो 15 पैसा आपको मिलता है 85 पैसा गायब होता है। इसका मतलब उन्हें भी इसकी जानकारी थी लेकिन इस सिस्टम को सुधारने का भी जवाबदारी उनकी थी लेकिन उन्होंने नहीं किया। आजादी के 60 वर्ष के शासन करने वाले लोगों से मैं पूछना चाहता हूं राजनीतिक फायदे के लिए वोट बैंक के फायदे के लिए सत्ता के लिए उन्होंने प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में लाया गया, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग 1992 में लाया गया और वक्फ अधिनियम 1995 में कानून बना है। सांप्रदायिक लक्षित अहिंसा 2011

में आते- आते रोका गया। 1975 में आपातकाल जैसे कलंक इस देश को थोपा । यह कांग्रेस के लोगों ने संविधान का इस प्रकार से उपयोग किया । संविधान की दुहाई देने वाले से पूछता हूं कि आदिवासी जनजाति समाज की संस्कृति को हमारे पूर्वजों ने सुरक्षित एवं संरक्षित रखा । बाबा साहब अंबेडकर ने अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों के धर्म, संस्कृति और परंपरा को बचाए रखने के लिए अनुच्छेद 341 में यह प्रावधान किया कि हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख मत को छोड़कर ईसाई या इस्लाम स्वीकार करने पर उनका आरक्षण स्वतः समाप्त हो जाएगा। लेकिन वही अनुच्छेद 342 में जनजाति अनुसूचित जनजाति समाज के लोगों के लिए ऐसा प्रावधान राजनीतिक दबाव के कारण नहीं लाया गया । दबाव के कारण नहीं लाया गया लेकिन इन्ही की पार्टी के स्व. कार्तिक उरांव जी ने 1965 से लेकर लगातार उनके जीवन काल में अनुच्छेद 341 में जैसा प्रावधान है ठीक उसी प्रकार अनुच्छेद 342 में प्रावधान लाने की मांग की। उन्होंने इस देश के लगभग 300 से ऊपर सांसदों और राज्यसभा के सांसदों को मिलाकर के 348 सांसदों के हस्ताक्षर 1966 में ऐसा बिल लाने की मांग की लेकिन उसके बाद भी इस महान सदन में ऐसे एक महत्वपूर्ण बिल को आज तक पेंडिंग रखा गया। इस प्रकार से वोट बैंक और राजनीतिक सत्ता के लिए अपना रोटी सेकने वाले हर समय आदिवासी दलित की दुहाई देते रहते हैं ।

सांसद कार्तिक उरांव ने वर्ष 1967 में ही धर्म परिवर्तन करने वाले आदिवासियों को आरक्षण का लाभ से वंचित करने की मांग उठाई थी ।

348 सांसदों ने इंदिरा गांधी को पत्र देकर समर्थन का आग्रह किया था

* अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति संशोधन विधेयक 1967 में पेश किया गया।

* सरकार ने विधेयक पर बहस को ही स्थगित करना उचित समझा ।

* धार्मिक शिक्षा दे रहे थे कि संविधान पे बोल रहे थे समझ में नहीं आया ।

***SHRI BENNY BEHANAN (CHALAKUDY):** It is one of the proudest moments of my life to have the opportunity to participate in the discussions of this Parliament,

---

* Speech was laid on the Table.

75 years after our sacred Constitution, deliberated and framed by our forebears in the Central Hall of the old Parliament building, was adopted.

After gaining independence, many doubted whether India could frame a Constitution of its own. Among them were notable figures like Winston Churchill and renowned constitutional expert Ivor Jennings.

Our neighboring country, Pakistan, gained independence alongside India. Both countries faced the challenge of deciding which direction to move forward. Pakistan chose to become a theocratic state, framing an appropriate Constitution, judiciary, and governance structure to suit that vision.

There were those who argued that India, too, should follow the path of becoming a theocratic state. Among them was Savarkar and others. However, India chose a different path not of becoming a theocratic state but of becoming a secular one. The path we chose was that of democracy.

Our torchbearers decided that the Constitution of India should be shaped through discussions and debates. This resulted in three years of deliberations in the Constituent Assembly. The debates held in the Indian Constitution Committee are regarded as some of the most profound discussions in the world, encompassing arguments, agreements, and disagreements, counterarguments.

Through those deliberations, India's Constitution took shape, and it remains the largest and most progressive democratic Constitution in the world to this day. The Indian Constitution is not just a legal framework for its citizens but also a protective shield for the people of India.

After the American Constitution, the Indian Constitution stands as the

second-oldest surviving Constitution globally, having endured for 75 years. In contrast, the Constitutions of many other nations have failed to last even 25 years. Even the Constitution of Ceylon (now Sri Lanka), framed by Ivor Jennings himself, has become obsolete. However, the Indian Constitution continues to thrive, overcoming every challenge and crisis, standing tall as a magnificent testament before the world.

When the Indian Constitution was framed, the Sangh Parivar and RSS strongly opposed it, arguing that their vision of Bharatiya values was not incorporated into the Constitution. Most of us were not born when the Constitution was being drafted, so we could not participate in those discussions. However, both sides of this debate inherit certain traditions, legacies, and cultural ideologies. On this side, we inherit a tradition rooted in secularism, democracy, and patriotism-values that were foundational to the Indian National Congress. On the other side, there is a tradition that opposed the Indian Constitution, a tradition represented by the RSS and the Sangh Parivar. These two ideologies are not just conflicting heritages; they represent two fundamentally opposing visions, and today, those visions are in direct conflict. This is the greatest challenge our Constitution faces now.

It is a national necessity to overcome this challenge. We must honor and respect the leaders who contributed to the framing of our Constitution. Unfortunately, it is disheartening to see the BJP's deliberate attempts to undermine and erase the legacy of Pandit Jawaharlal Nehru, who played a pivotal role in shaping the Indian Constitution. This is a challenge to history itself.

Pandit Jawaharlal Nehru is a visionary whose depth of knowledge cannot be comprehended by those who lack understanding. I firmly believe that no force can erase the contributions of Great Chacha Nehru from history.

- While thinking about our Constitution today, I cannot refrain myself from quoting the eternal words of Jawaharlal Nehru in the Constituent assembly. While presenting the Objective Resolution which later became the Preamble of the Constitution, Nehru said: In this Constituent Assembly we are functioning on a world stage and the eyes of the world are upon us/and the eyes of our entire past are upon us/Our past is witness to what we are doing here and though the future is still unborn, the future too somehow looks at us".
- Nehru visualized Indian Constitution as a bridge that connects our Past and future. It is a document that hail our composite past and legacy of freedom movement. And at the same time, the constitution offers a dream for the future generation as well.
- In this way, the Constitution of India is an excellent mirror that reflects the idea of India and the ideal of the nation in the clearest way. The Constitution begins with 'We the People of India'. This declaration states that the people are the ultimate source and owner of power in this country.
- In terms of the unique legal sense, ethical outlook and the uncompromising political will, our constitution is a vibrant social document. Not a simple lifeless legal document. It is organic. It is full of life.

- As we are aware, it is the longest and most diverse constitutions of the world, prepared by 299 members of the Constituent Assembly. who continuously discussed, disagreed and reached a consensus for 165 days. There are many wisest minds behind the drafting of the Constitution including Nehru, Dr. Ambedkar, B. N. Rao, Patel, Azad, Alladi Krishnaswamy Iyer, Dr. Radhakrishnan and K.M. Munshi, Meenu Masani, Dakshayani Velayudhan, Pattam Thanupillai, Annie Mascreen etc. Despite the substantial presence of a single party in the assembly (the Congress) Jawaharlal Nehru ensured representation of all parties and ideologies.
- All of them visualised it as a social document that can herald a new era in the history of this country.
- Our founding fathers selected basic tenants of the constitution from different countries. Parliamentary system from Britain, Fundamental Rights from the United States, Directives from the Irish Constitution, Fundamental Duties from the Soviet Union, and Federalism from Canada...etc. But, while doing so our founding fathers blended it so beautifully to match the unique social landscape of the country.
- The Constitution was perceived as a strong catalyst that can initiate social and political revolution in the country through democratic means. The constitution highlighted popular sovereignty and general will, following the great tradition of Rousseau and the French Revolution. Apart from that, our founding fathers beautifully integrated the ideals of socialism along with

secularism and democracy in the constitution.

- The process of making a constitution for free India was a Herculean task. Imagine a country which witnessed communal riots, refugee flow, Famine, and Partition! There was every possibility to turn toward tyranny, majoritarianism or total disintegration as Winston Churchill predicted with contempt and hate. Yet, Indian democracy survived against all odds. India drafted the longest constitution of the world and it became a silver line for building our collective future.
- When we read the Constituent assembly debates, we can easily understand the commitment of its members in providing life to the very idea of an inclusive India based on the principles of social justice and democracy. Indian nationalism is not based on any single religion or language. Rather, it is based on political citizenship that overcome the conflicting social identities. The ideology in the preamble not only declares our freedom, but lays a strong foundation for a society based on equality, justice and liberty.
- To be specific, the Indian Constitution is more than just a set of articles and schedules. It represents our hopes and aspirations. It is a dream, and a promise to the people of this country. It is because of the solid foundation of the constitution that we were able to resist authoritarian tendencies even when our neighbouring countries fell into civil war, military rule and democratic deficit.

- However, now our constitution is under threat from the dominant political party that rules the country. We are at a crossroads now. Our Constitution is in crisis, our democratic tradition is in crisis. The idea of India is in crisis.
- The main obstacle that Sangh-parivar face today in converting India into a majoritarian religious state is our constitution. Hence, every possible effort is made to damage the constitution through wrong interpretation of constitutional provisions, dismantling of public institutions, weakening of judiciary and silencing the media and civil society.
- At the very outset let us remember the fact that the forefathers of BJP were always against our constitution and the great ideals that it stood for. The only fraction that stood against the basic structure of the constitution during the assembly debate was the right-wing forces. They vehemently opposed the idea of secularism and wanted to make it a majoritarian religious state.

The four defining characteristics of our Republic including secularism, democracy, social justice and socialism are undergoing grave crisis now. Although the words "secular" and "socialist" were added to the Preamble only in 1976, the character of the Constitution was always secular and socialist. The "secular" character of the state is supported by the preamble which ensures liberty of thought, belief, expression, faith and worship. And "socialist" is confirmed at the by Art.38 of the Directive Principles of State Policy, nationalisation of industries and economic justice. But in reality, what we have seen during the last 10 years is a complete inversion of all this.

- The Citizenship Amendment Act (CAA) which makes citizenship conditional on religion was a deliberate attempt to alienate Muslims from the mainstream. By Secularism our founding fathers meant that religion has no role in politics and both are separate entities.
- Ever since Modi got political legitimacy, the BJP has been working on this ideology of alienation and hate. There has been a tremendous rise in violence against the minorities (Muslims, Dalits, and Christians, in particular) in India, ever since they came to power. They have already polarised the electorate on religious lines and made rich dividend out of it. This is a serious situation that makes the constitutional values under threat. In addition, the full-fledged saffronisation' of education and replacing of history with myth goes completely against the Constitutional mandate of secularism, equality, non-discrimination and freedom of religion.
- The concept of socialism has been already diluted since the beginning of neoliberal policies. Now the Modi government is selling all the remaining public sector enterprises to crony capitalists. Unemployment and inflation have accelerated to all time high. There is widening gap between the rich and poor. The combined effect of all these policies have virtually attacked the socialistic credentials of Indian constitution and made the word meaningless. The whole ideology of social justice has been defeated by the privatisation.
- Now, when we take the case of democracy, it is evident that, the

Constitution acquires its meaning from four different sources: Legislature, Executive, Judiciary and independent institutions. All these pillars have become weak and trembling.

- Under the current regime, Parliament has ceased to be a platform where vibrant debates take place. Additionally passing laws which are totally contrary to the Constitutional mandate such as the four farm laws, the labour codes, amendments to the FCRA Act, etc. not just disfigure the Constitutional spirit but directly affect the livelihood and conditions of millions of people. All these bills are passed without adequate discussion in the parliament. Our prime minister hardly attends the debates and he won the rare distinction of the least spoken and least attended PM in the history of independent India.
- The executive also dismembers the Constitutional spirit by politicising the role of the Comptroller and Auditor General of India, Election Commission and various other Commissions meant as an oversight over the executive. This is totally against the ideals of checks and balances enshrined in the constitution. The government is resorting to the total misuse of agencies such as National Investigation Agency, CBI, Enforcement Directorate, Income Tax Authorities against political and other opponents. The last few years have seen a steady erosion in the independence of the Election Commission. Elections are now being increasingly influenced by money power.

- The Indian Constitution envisages the judiciary in India as an independent pillar of democracy, distinct from the executive and legislature. The role of judiciary is to interpret the Constitution and even reject the legislation that violates the Constitution. However, in recent years the role of judiciary has come under critical scanner because of its failure to effectively deal with unconstitutional measures of the legislature and the executive
- The last 10 years have also seen an unprecedented assault on the freedom of speech and the right to dissent.
- The present government is attacking one of the most central aspects of our Constitution, namely federalism. The autonomy of the states is affected through various ways. India is actually the Union of States, and if the Union government, on the basis of its strength in the national parliament, can so easily do away with the very statehood of any state, then it makes a mockery of the federal principle. Can it do to Tamil Nadu tomorrow what it did to Jammu & Kashmir yesterday? Apart from that, the role of governor is used as a political tool to delegitimise the state governments and there are efforts to make Hindi as official language. All these effort by the BJP to undermine the federal structure will have serious repercussions in future.
- Silence of the independent media is another problem that weaken our constitution. The large section of the media has fused itself with the ruling power and is doing all it can to enable and accelerate the democratic backslide

- The constitution drives its power from the people. As I already mentioned, we are also responsible for the crisis of our constitution. As Christofer Jeffrelot, the famous social scientist rightly commented, India has become an ethnic democracy based on majoritarianism and pseudo populism. The danger lies in the fact that the political forces that try to dismantle our constitution can easily attract the imagination of the people and get elected again and again.
- However, I would like to state that we will overcome one day. Indian people do not easily allow the Constitution both in its letter and spirit to be disregarded. We will fight the effort to dismantle our constitution with a different kind of nationalism nationalism. constitutional
- I think India is at a crossroads now, and time has come when 'silence is betrayal.' As you are aware, we have reached a time in which every Indian need to break the silence in pursuit of better alternatives, trust and broader social consensus on the survival and future of our constitution.
- It is our historic responsibility. We should offer a transformative polity. We should offer a pragmatic policy to eradicate poverty. We hould offer a governance based on dialogue, consensus, mutual respect, and tolerance. We should offer to protect our secular credentials and legitimacy of institutions.
- Once again, I would like to remind you, politely. India is at a crossroads. Indian Constitution is at a crossroads. If the vision of a shared future is to

be carried forward, we must seize every opportunity to take bold and decisive action to reverse the dominant electoral trends engulfed by masculine nationalism and majoritarianism.

- The legacy of our great leaders like Gandhiji and Nehru should be remembered and it should give us immense energy. I firmly believe that, as a political party that represents the aspirations of the secular democratic Indian people, Indian National Congress will proudly shoulder that responsibility. With this hope I conclude my memorial speech. Thank you.

*__SHRIMATI PRATIBHA SURESH DHANORKAR (CHANDRAPUR):__ Babasaheb Ambedkar had said that I believe in the principles of freedom, equality, fraternity and justice, but I did not accept these principles from the French revolution but from the Buddha. In 1945 after the end of the Second World War, in India, independence was given priority. The British government sent a three-member committee to India called the Cabinet Mission. The main task of this Cabinet Mission was to suggest peaceful means of handing over power to the Indian people. On 16th March 1946, the Cabinet Mission announced that the first Constitution Committee should be constituted to frame a constitution to govern independent India. People were elected, from all the provinces.

On 9th December 1946, the Constitution Committee was inaugurated at the Constitution Hall in New Delhi. 296 members were able to participate in the

---

* English translation of the speech originally laid on the Table in Marathi.

program but only 207 members actually attended. On 10th December 1946, rules were made to choose the head of Constitution Committee. Rajendra Prasad selected as head on 11th December. On 13th December 1946 Pandit Nehru moved the resolution to the Constitution Committee stating the values of future Constitution of India.

On 29 August 1947, the Constituent Assembly through a resolution constituted a Drafting Committee consisting of Sarvashree Alladi Krishna Swami Iyer, N Gopal Swami Iyengar, Dr Babasaheb Ambedkar, KM Munshi, Syed Mohammad Sadhula Khan, BL Mitra and DP Khaitan. The Drafting Committee met on 30 August 1947 and in this meeting Dr. Babasaheb Ambedkar was appointed as the Chairman of the Drafting Committee. The Drafting Committee started its work from 30th August 1947. The Drafting Committee met for total of 141 days.

The work of the Constitution Committee started from 9th December 1946 till 26th November 1949. It took 2 years 11 months 17 days for the committee to hand over the constitution to the country. On 26th November 1949, they adopted the constitution and signed it.

In the committee, very few members of OBC, tribals and untouchables were there in the Constituent Committee. The entire Constituent Committee was filled with upper caste people, capitalists, landlords. Everyone gave their consent for the constitution. Today those who are trying to finish constitution may understand that their forefathers are voted for the constitution.

On August 15, 1947, our country got Independence. What exactly

happened is that the foreign power went away and the indigenous power came in but every constitution has its own philosophy. The Constitution of India also has its own value system. The Constitution of India was manifested by proclaiming the values of freedom, equality, fraternity, justice, and the darkness of slavery accumulated over ages was banished with the publication of Fundamental Rights in this Constitution.

According to Article 19, citizens have the right to speak, express themselves in a peaceful manner and organize meetings without taking up arms, to travel anywhere in the country, to reside anywhere, to carry on any business.

According to Article 20, one cannot be punished if he has not violated the law. He also cannot be punished twice for the same offense and a person cannot be compelled to testify against himself.

As per Article 21, in the absence of such law, a citizen cannot be deprived of the right to life and the freedom granted to him by the Constitution.

According to Article 22, if a person is arrested, he must be informed of the reason for the arrest, he must be given an opportunity to consult a lawyer and he must be produced before a judge within 24 hours.

According to Article 23, it is a crime to buy and sell a person and it is also a crime to make a person a bonded labour.

According to Article 24, children cannot be forced to work in factories or otherwise.

According to Article 25, every citizen has the right to worship according to his religion, to believe in religion or any other matter, to practice his religion and

to propagate his religion.

According to Article 26, all have the right to establish an institution, to run it, to manage it and to own movable and immovable property for the institution.

According to Article 27, the charitable income of religious organizations cannot be taxed.

RSS followers have published 12 volumes of his thoughts under the name of Samagra Golwalkar. From all these books, his view on the Constitution is completely clear. Golwalkar guruji of the Sangh says that the Indian Constitution is conventions of Western constitutions, incomplete doctrines of League of Nations and the declaration of the United Nations, and some features of the American and British constitutions. The combination of focus of our life is not found anywhere in this constitution. But those accusations against the Indian constitution can be made only by people who have no study of the constitutions of the world. Golwalkar Guruji is not a philosopher and he is not a constitutional expert.

The Constitution has created the Subordinate Courts to resolve disputes at the local level and to try criminal and civil cases. According to Article 39, the government should try to ensure that men and women get their means of livelihood. According to Article 42, the government should create a just and humane atmosphere in the factory. There should be special efforts for the lady workers.

On 26th January 1950, after the Constitution came into force, Babasaheb Ambedkar had said that the time of Manu has come to an end. An article by

Justice Shankar Subhair's organizer was published on 6th February 1950. The article was titled Rolls Our Hearts. The first book of Mr. Golvalkar was published in 1939 named Nationhood Defined, another book published in 1965 named Bunch of Thoughts.

When we look at the list of fundamental rights in the third part of the constitution, we realize that there are fraternity issues in it. During the last 70 years, this kind of development has been going on. Meanwhile in 2014 RSS government means BJP government was formed. Attacks were started on the minority community like this, the media of this country started holding meetings to spread national sentiment about this community. The media of this country is no longer the media but it has become a puppet in the hands of the upper classes and it has started doing the only work of spreading national sentiment.

As a result, people have started to distance themselves from each other and distrust each other like never before.

The Constitution of India has taken full care that no injustice should be done to any entity, if there is an attempt to encroach on the rights of the individual, the door of the court can be knocked as per Article 32.

According to Article 28, religious education cannot be given in government funded educational institutions.

According to Article 14, every citizen is equal before the law and everyone has equal protection of law, the government cannot make any discrimination.

According to Article 15, differences cannot be made on the basis of religion, race, caste, gender and place of residence.

As per article 15, no one shall be denied entry to shops, restaurants, hotels and places of public entertainment, wells, ponds, baths ghats, places of public refuge.

As per Article 15, the government is empowered to take special measures for children and women.

According to Article 15, the government is empowered to implement certain special schemes for the development of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and the educationally and socially backward people.

According to Article 16, there can be no discrimination in giving jobs on the basis of religion, caste, gender, nationality and place of residence.

According to Article 17 untouchability has been abolished and violation of untouchability has been made a crime.

*__SHRIMATI KRITI DEVI DEBBARMAN (TRIPURA EAST):__ Today, as we mark 75 glorious years of the Indian Constitution, we celebrate not just a document, but the foundation of our democracy — a living testament to the values of justice, equality, and liberty. For seven and a half decades, the Constitution has guided our country, ensuring that despite our diversity, we remain united under the banner of freedom and democracy.

Over the years, our Constitution has evolved through numerous amendments, adapting to the changing needs of our people. These amendments have played a critical role in addressing the aspirations of all citizens and ensuring

---

* Speech was laid on the Table.

that their rights and voices are protected, especially in the most marginalised communities.

One such important amendment is the 125th Constitutional Amendment, which is of great significance to the indigenous tribal communities of the Northeast, including those in my state of Tripura. This amendment seeks to empower the tribal areas under the Sixth Schedule, ensuring greater autonomy and better protection of their land, culture, and governance. However, it is crucial to note that this amendment is still pending, and | request its immediate passage in this august House. The swift passage of the 125th Amendment will send a strong message of trust and commitment to the indigenous people of the Northeast. It will reinforce their faith in this institution and in the democratic process, ensuring that their voices are not just heard, but acted upon.

As we reflect on the journey of our Constitution over the past 75 years, let us remember that its true strength lies in its ability to evolve and address the unique needs of every region, every community, and every citizen. The 125th Amendment is a vital step towards ensuring that the indigenous communities of the Northeast feel respected, valued, and empowered.

Let us take this moment to reaffirm our commitment to the principles of justice, equality, and inclusion that our Constitution stands for.

Jai Hind.

*__डॉ. लता वानखेड़े (सागर) :__ सबसे पहले मैं संविधान के 75 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर माननीय श्री

---

* Speech was laid on the Table.

प्रधान मंत्री जी, सभी सदस्यों को और समस्त देशवासियों को बधाई देती हूँ।

आज इस ऐतिहासिक अवसर पर मैं भारतीय संविधान, इसकी विशेषताओं और हमारे देश के विकास में इसकी भूमिका पर अपने विचार रखने के लिए सम्मानित महसूस कर रही हूँ। साथ ही, मैं यह भी स्पष्ट करना चाहूँगी कि बदलते समय और आवश्यकताओं के अनुरूप संविधान में संशोधन क्यों महत्वपूर्ण है।

भारतीय संविधान एक ऐतिहासिक यात्रा है।

संविधान भारत का सबसे पवित्र और बुनियादी दस्तावेज है, जिसने भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, और लोकतांत्रिक गणराज्य का दर्जा दिया।

- यह केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह हमारे स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों, बलिदानों, और सपनों का मूर्त रूप है।
- हमारे संविधान की 75वीं वर्षगांठ के इस शुभ अवसर पर मैं उन सभी महान विभूतियों को नमन करती हूँ जिन्होंने इसे बनाने में योगदान दिया।

भारतीय संविधान केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं है; यह भारत के स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों, सामाजिक न्याय, और लोकतंत्र की भावना का प्रतीक है। यह एक ऐसा दस्तावेज़ है, जिसने भारत को एक गणराज्य बनाने में मार्गदर्शन किया और इसकी विविधता को एकता के सूत्र में बाँधने का कार्य किया। आज, इसके महत्व को समझना और इसे भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाए रखना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है।

भारत का स्वतंत्रता संग्राम केवल राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए नहीं था, बल्कि यह सामाजिक और आर्थिक न्याय, समानता, और भाईचारे के आदर्शों पर आधारित था।

- स्वराज का विचार महात्मा गांधी ने पेश किया, जिसमें लोगों को अपनी नियति का निर्धारण करने का अधिकार हो।
- 1942 के "भारत छोड़ो आंदोलन" के बाद यह स्पष्ट हो गया कि भारत को न केवल स्वतंत्रता

की आवश्यकता है, बल्कि एक मजबूत संवैधानिक ढाँचे की भी।

संविधान सभा 9 दिसंबर 1946 को बनी। इसमें विभिन्न राजनीतिक, सामाजिक, और क्षेत्रीय पृष्ठभूमि के 299 सदस्य शामिल थे।

- इस सभा में महिला प्रतिनिधित्व, दलित नेताओं की भागीदारी, और विभिन्न धर्मों के प्रतिनिधि शामिल थे।
- संविधान सभा के अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद थे।

संविधान निर्माण एक जटिल प्रक्रिया थी, जिसमें 2 साल, 11 महीने, और 18 दिन लगे।

- प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉ. भीमराव अंबेडकर थे।
- सभा में व्यापक बहसें और चर्चाएँ हुईं, जिनमें भारतीय संस्कृति, परंपराएँ, और आधुनिक लोकतांत्रिक आदर्शों का समन्वय किया गया।

26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया।

- इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है।

भारतीय संविधान 395 अनुच्छेदों, 12 अनुसूचियों, और 22 भागों में विभाजित है। यह अपने व्यापक और विस्तृत स्वरूप के लिए विश्व में अद्वितीय है।

भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है।

- इसमें विभिन्न लोकतांत्रिक देशों के संविधानों से प्रेरणा ली गई है।
- यह भारतीय समाज की जटिलता और विविधता को दर्शाता है।

संविधान ने भारत को एक लोकतांत्रिक गणराज्य बनाया।

- प्रत्येक नागरिक को मताधिकार का अधिकार दिया गया।
- यह हर नागरिक को अपनी सरकार चुनने का अवसर प्रदान करता है।

भारतीय संविधान ने नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए:

- समानता का अधिकार
- स्वतंत्रता का अधिकार
- शोषण के विरुद्ध अधिकार
- धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार
- सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार
- संवैधानिक उपचार का अधिकार

1986 में 42वें संशोधन द्वारा नागरिकों के कर्तव्यों को भी जोड़ा गया।

संविधान ने भारत को धर्मनिरपेक्ष देश घोषित किया।

- इसमें सभी धर्मों को समान अधिकार और स्वतंत्रता दी गई।
- यह सुनिश्चित करता है कि राज्य किसी धर्म का पक्षधर नहीं होगा।

संविधान ने भारत को एक संघीय संरचना दी, जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन है।

- यह संघीय ढाँचे को बनाए रखते हुए एक मजबूत केंद्र सरकार का प्रावधान करता है।

भारतीय न्यायपालिका को स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाया गया।

- यह सरकार के किसी भी अन्य अंग के हस्तक्षेप से मुक्त है।
- यह नागरिकों के अधिकारों की रक्षा का कार्य करता है।

संविधान ने सहकारी संघवाद की अवधारणा प्रस्तुत की, जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग का महत्व है।

भारतीय संविधान ने न केवल राजनीतिक स्वतंत्रता सुनिश्चित की, बल्कि समाज के हर वर्ग को सशक्त बनाने का कार्य किया।

संविधान ने समानता, स्वतंत्रता, और न्याय के आदर्शों को लागू करने का प्रयास किया।

जाति व्यवस्था, लिंग असमानता, और धार्मिक भेदभाव को खत्म करने का प्रयास किया गया।

संविधान ने नागरिकों के बीच आर्थिक समानता सुनिश्चित करने के लिए कई प्रावधान किए।

भूमि सुधार, आरक्षण नीति, और पंचायती राज संस्थाएँ इसके प्रमुख उदाहरण हैं।

संविधान ने एकता में विविधता को अपनाने का दृष्टिकोण प्रस्तुत किया।

यह सुनिश्चित करता है कि भारत का प्रत्येक नागरिक राष्ट्र की अखंडता और संप्रभुता को बनाए रखे।

समकालीन परिप्रेक्ष्य में संविधान की प्रासंगिकता

भारत तेजी से बदलते वैश्विक परिवेश का हिस्सा है। डिजिटल प्रौद्योगिकी, पर्यावरणीय संकट, और सामाजिक संरचना में बदलाव के कारण संविधान में समयानुसार संशोधन की आवश्यकता है।

साइबर अपराध, डेटा निजता, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे विषयों पर नए कानूनों की आवश्यकता है।

डिजिटल अधिकारों और जिम्मेदारियों को संविधान में शामिल करना जरूरी है।

जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय क्षति के बढ़ते खतरों के मद्देनजर पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता देना चाहिए।

इसे मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों में शामिल करना अनिवार्य है।

लिंग समानता, एलजीबीटीकिया+ अधिकार, और सामाजिक असमानता के मुद्दों पर संवैधानिक स्तर पर सुधार आवश्यक है।

न्यायिक प्रणाली को आधुनिक बनाने और त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए संवैधानिक सुधार आवश्यक हैं।

संविधान में शिक्षा और स्वास्थ्य को मौलिक अधिकारों के रूप में सशक्त करना चाहिए।

कुछ लोग संविधान को अत्यधिक विस्तृत और जटिल मानते हैं। संविधान की लचीलापन इसकी सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि यह समयानुसार बदलने की क्षमता रखता है।

आलोचनाओं के बावजूद, संविधान ने भारत को एक स्थिर लोकतांत्रिक राष्ट्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

*DR. K. SUDHAKAR (CHIKKBALLAPUR):** With immense pride and reverence, I would like to express my views about our Constitution -- a masterpiece of governance, a guardian of democracy, and a symbol of our collective aspirations. Every second of the 26th day of November rings as a bell constantly chanting the foresight, labor, and ideals that went into creating this monumental document.

These curved walls echo our responsibilities as lawmakers in upholding the document which breathes life into this piece of land we stand on calling ours. Today, let us delve into its significance, reflect on the vision of its framers, and draw inspiration from the extraordinary journey that gave us this guiding charter.

The drafting of the Indian Constitution was no ordinary feat. Emerging from 200 years of colonial rule, amidst the horrors of partition, and uniting over 565 princely states with diverse cultures, languages, and faiths was a mammoth task that seemed insurmountable.

The Constituent Assembly, chaired by Dr. Rajendra Prasad, comprised luminaries such as Dr. B.R. Ambedkar, Pandit Jawaharlal Nehru, Sardar Patel, and many others of our revered leaders. Over 166 days of rigorous debates, spanning nearly three years, the Assembly sought to address questions that were not just legal but deeply moral and philosophical. The object was to weave the singular threads of a million people into one tapestry.

It was only through the vision and coherent actions of our forefathers that

---

* Speech was laid on the Table.

we stand as a united India today. One such leader was our leader Sardar Patel who was known for his practical wisdom and diplomacy. His decision for integrating princely states into the Union with persuasion rather than coercion is one of the most celebrated.

Dr. B.R. Ambedkar, the Chairman of the Drafting Committee, was more than just the principal drafter; he was the voice of the marginalized, a champion of justice, and a believer in equality. In one of his most stirring speeches on November 25, 1949, he issued three profound warnings:

- Abandon hero worship in politics, as it is antithetical to democracy.
- Replace non-cooperation with constructive dialogue, for dissent without direction can dismantle progress.
- Ensure social and economic equality, without which political democracy would crumble.

His words resonate even today, urging us to bridge divides and prioritize the welfare of the people.

The Preamble of our Constitution is not merely an introductory statement; it is the soul of our democratic ethos. The ideals of Justice, Liberty, Equality, and Fraternity enshrined in the Preamble are a testament to the vision of a progressive, inclusive, and harmonious India.

In fact, it was during the debates on the Preamble that Jawaharlal Nehru passionately argued for the inclusion of "Secular" and "Socialist" ideals, ensuring that governance would transcend divisions of caste, creed, and religion.

Another lesser-known story revolves around the crafting of Article 14, guaranteeing equality before the law. The framers drew inspiration from the 14th Amendment of the U.S. Constitution, yet tailored it to reflect Indian realities, ensuring protection against not only discriminatory laws but also arbitrary executive action.

It is said that during the drafting process, every effort was made to ensure that the Constitution reflected the aspirations of all Indians. The art in the original hand written Constitution included motifs of India's cultural heritage- from the Nataraja to depictions of the Ramayana and Mahabharata, reminding us of our ancient roots as we forged a modern identity.

Language as a Unifier: The question of national language was one of the most contentious debates in the Assembly. It was Maulana Abul Kalam Azad who eloquently argued for the recognition of multiple languages to reflect India's diversity. His wisdom ensured that language became a unifying force rather than a divisive one.

The Constitution's resilience lies in its adaptability. Through landmark judgments, the Supreme Court has stood as protector and safeguarded its principles:

In the Kesavananda Bharati Case (1973) the SC introduced the basic structure doctrine, ensuring that no amendment could erode the fundamental principles of the Constitution avoiding any kind of arbitrariness and jeopardize rights of the citizens.

In an era of rapid change, the Constitution remains a stabilizing force. It

Upholds Democratic Values while empowering every citizen with rights and duties, ensuring participation in governance. Further it protects diversity by accommodating a wide spectrum of identities and beliefs, fostering unity amidst diversity. It guarantees justice, ensuring that the rule of law prevails, safeguarding the marginalized and upholding human dignity.

However, as Dr. Ambedkar warned, that the Constitution of India was burdened with the challenge "drawing a curtain on the past" of social inequalities and prejudices. It was felt that the realization of the Constitutional vision requires the existence of a commitment to that vision. This commitment can be seen as the presence of constitutional morality among the members of the society.

The Constitution is not a relic to be revered from a distance; it is a dynamic instrument of governance. Let us pledge today:

- To legislate with wisdom and foresight, ensuring that every law reflects the principles of justice and equity.
- To strengthen institutions that uphold the Constitution, from the judiciary to the Election Commission.
- To engage with citizens, especially the youth, educating them about the Constitution and their role in democracy.

As we commemorate Law Day, let us honor the extraordinary vision of the framers of our Constitution. Let us be inspired by their courage, wisdom, and dedication to build a nation that is just, equitable, and prosperous.

In the words of Justice Krishna Iyer, "The Constitution of India is a tryst with

destiny, a daring promise to ensure justice for all." Let us renew that promise today and work tirelessly to fulfill it.

Thank you

*__श्री लक्ष्मीकान्त पप्पू निषाद (संत कबीर नगर) :__ संविधान की चर्चा में भाग लेने का अवसर प्रदान करने के लिए धन्यवाद। बाबा साहेब भीम राव अम्बेडकर जी ने हमारे देश के लिए मुख्य रूप से भारत में रहने वाले अनेक धर्मों के लोगों को एकता में संविधान के माध्यम से पिरोने का काम किया, गरीब, पिछड़ी जाति के लोगों को न्याय दिलाने के लिए संविधान एक कवच के रूप में दिया। जहां हमारे देश में पिछड़ों, अनुसूचित जाति के लोगों के लिए चारपाई, कुर्सी पर बैठने और स्कूल जाने का अधिकार नहीं था, कुएं का पानी पीने नहीं दिया जाता था, बाबा साहेब ने इन सब कामों से आजादी दिलाई, लेकिन भाजपा के लोग फिर वही लागू करने की योजना चला रहे हैं। जिसका उदाहरण है कि वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश में भाजपा के मुख्यमंत्री ने आवास गंगाजल से धुलाने का काम किया।

एक मुस्लिम रहनुमा की हैसियत से, मुझे इस दस्तावेज़ पर बेपनाह फख्र है जो हमें यह वादे देता है। Article 15 के मुताबिक, किसी भी नागरिक के साथ मज़हब, जात, लिंग, नस्ल, या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। Article 19(1) (ए) में बोलने और अभिव्यक्ति की आज़ादी का हक दिया गया है। Article 25: अपने मज़हब को मानने, उस पर अमल करने, और उस की तब्लीग करने की आज़ादी। Article 26 नागरिकों को मजहबी ग्रामलों के प्रबंधन की आज़ादी देता है। Article 29 के तहत, अल्पसंख्यकों के हको की हिफ़ाज़त के लिए ये प्रावधान किए गए हैं। Article 30: अपने तालीमी इदारे क़ायम करने और उन्हें चलाने का हक़ ।

आज मैं मज़लूमों की आवाज़ बनकर उन करोड़ों भारतीय मुसलमानों की जद्दोजहद और हक़ की बात करना चाहता हूँ जो हमारे मुल्क का अटूट हिस्सा हैं। मेरे अल्फ़ाज़ बंटवारे के नहीं बल्कि इत्तेहाद के हैं, मायूसी के नहीं बल्कि उम्मीद के हैं, एक ऐसी उम्मीद जो हमारे संविधान के असूलों में

---

* Speech was laid on the Table.

गहराई से जड़ी हुई है। भारत का आइन, जो बाबा साहेब भीम राव अम्बेडकर साहब के साथ साथ मौलाना अबुल कलम आज़ाद साहब, डाक्टर ज़ाकिर हुसैन साहब जैसे रहनुमाओं ने तैयार किया। भारत का संविधान इंसाफ़, आजादी और भाईचारगी की ज़िंदा गवाही है।

यह मजहब की आजादी, कानून के सामने बराबरी, और अल्पसंख्यक को ईफाजत की ज़मानत देती है और यह गारंटी देता है कि हर नागरिक मज़हब, जात, या नस्ल से परे इज़्ज़त के साथ ज़िंदगी गुज़ार सके।

भारत की अज़मत इसकी तअद्धुद में है। किसी भी बिरादरी पर जुल्म सिर्फ उस ग्रुप का नुक़सान नहीं बल्कि भारत की रूह से गद्दारी है। आइए मिलकर काम करें ताकि कोई बच्चा अपनी शनाख्त से ख़ौफ़ज़दा न हो, कोई ख़ातून अपने हिजाब की वजह से नफरत का शिकार न हो और कोई शख्स अपने अकीदों की वजह से निशाना न बने। यह हमारा भारत है। आइन हमारा रहनुमा है और इसके वादे हमारा हक हैं। आइए हम इसके असूलों पर अमल करें, तभी हम सच्चाई से कह सकेंगे।

हबीब जालिब

"ऐसे जुलुम को सुब्ह-ए-बे-नूर को
मैं नहीं मानता मैं नहीं जानता,
मैं भी खाइफ नहीं तख्ता-ए-दार से
मैं भी मंसूर हूँ कह दो अग्यार से
क्यूँ डराते हो जिंदान की दीवार से
जुल्म की बात को जहल की रात को
मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता।"

*__श्री प्रदीप पुरोहित (बारगढ़) :__ हमारे राष्ट्र और इसके भविष्य - भारत के संविधान के लिए मौलिक चर्चा में अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूँ। इस उल्लेखनीय दस्तावेज़ की भूमिका और प्रासंगिकता

* Speech was laid on the Table.

पर विचार करते समय हमें याद रखना चाहिए कि संविधान केवल एक कानूनी ढांचा नहीं है; यह हमारे लोकतांत्रिक गणराज्य की आत्मा है। इसने दशकों के विकास, परिवर्तन और चुनौती के माध्यम से हमारा मार्गदर्शन किया है और यह उस आधार के रूप में काम करता है जिस पर हम इस महान राष्ट्र के भविष्य का निर्माण करते हैं। आधुनिक भारत और विश्व में संविधान की प्रासंगिकता अपने PREAMBLE में, भारत का संविधान न्याय, समानता और स्वतंत्रता के सिद्धांतों को स्थापित करता है, यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक नागरिक को, चाहे उनकी पृष्ठभूमि या जीवन में कोई भी स्थिति हो, बुनियादी अधिकारों और स्वतंत्रता तक पहुंच हो। ये मूल्य, हालांकि कालातीत हैं, आज की तेजी से बदलती दुनिया में कभी भी इतने प्रासंगिक नहीं रहे हैं।

ऐसी दुनिया में जहां कई जगहों पर लोकतंत्र की परीक्षा हो रही है, भारत का संविधान लोकतांत्रिक मूल्यों के संरक्षण के लिए आशा की किरण के रूप में खड़ा है। हमारा संविधान इस मायने में अद्वितीय है कि यह न केवल मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है, बल्कि राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों को भी बरकरार रखता है, जो राज्य को अपने सभी नागरिकों के लिए सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए मार्गदर्शन करता है। जैसे- जैसे असमानता, जलवायु परिवर्तन और भू-राजनीतिक तनाव जैसी वैश्विक चुनौतियाँ बढ़ रही हैं, हमारे संविधान में निहित मूल्य - विशेष रूप से न्याय, बंधुत्व और स्वतंत्रता - अन्य देशों के लिए प्रेरणा बने हुए हैं।

भारत का धर्मनिरपेक्ष ताना-बाना-हमारे संविधान की एक और आधारशिला-दुनिया के लिए एक उदाहरण है। दुनिया के कुछ हिस्सों में बढ़ते तनाव के युग में, भारत धार्मिक बहुलवाद, सहिष्णुता और विविधता में एकता के लिए प्रतिबद्ध है। हमारे संविधान की प्रस्तावना, जो भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करती है, हमारे लिए सिर्फ एक आकांक्षा नहीं है; यह वह वास्तविकता है जिसकी ओर हम हर नीति और कार्रवाई में प्रयास करते रहते हैं।

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार ने संविधान में निहित सिद्धांतों को दोहराने के लिए लगातार काम किया है, यह सुनिश्चित करते हुए कि वे केवल कागज पर शब्द नहीं हैं बल्कि भारतीय लोगों के जीवन में प्रतिबिंबित होते हैं। सरकार के प्रयासों ने सामाजिक

न्याय, आर्थिक सशक्तिकरण और राष्ट्रीय एकता पर ध्यान केंद्रित किया है, यह सुनिश्चित करते हुए कि संविधान के आदर्श हर नीति और पहल में प्रतिबिंबित हों। मैं इस प्रतिष्ठित सदन के समक्ष उनमें से कुछ का उल्लेख करना चाहूंगा।

प्रधानमंत्री जन धन योजना, जिसने 45 करोड़ से अधिक नागरिकों के लिए बैंक खाते खोले हैं, समानता और न्याय के लिए संविधान की प्रतिबद्धता का एक प्रमाण है। वित्तीय समावेशन के साथ गरीबों और हाशिये पर पड़े लोगों को सशक्त बनाकर, सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि समान अवसर का अधिकार प्रत्येक भारतीय तक बढ़ाया जाए।

संविधान लैंगिक समानता का वादा करता है, और मोदी सरकार महिलाओं के अधिकारों को आगे बढ़ाने में सबसे आगे रही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना और तीन तलाक विधेयक का पारित होना यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार के समर्पण को दर्शाता है कि महिलाएं न केवल सशक्त हैं बल्कि हानिकारक प्रथाओं से भी सुरक्षित हैं। इन पहलों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि महिलाएं, जो भारत की आधी आबादी हैं, उनके साथ गरिमा और सम्मान के साथ व्यवहार किया जाए।

जम्मू और कश्मीर में अनुच्छेद 370 को हटाना, एक साहसिक कदम जिसने इस क्षेत्र को पूरी तरह से भारत में एकीकृत कर दिया, राष्ट्रीय एकता के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता का एक स्पष्ट उदाहरण है, जो हमारे संविधान का एक प्रमुख सिद्धांत है। इस कदम ने बाहरी और आंतरिक चुनौतियों के सामने भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखने के संकल्प को प्रदर्शित किया।

पीएम-किसान और आत्मनिर्भर भारत पहल जैसी योजनाओं के माध्यम से समावेशी विकास पर सरकार का ध्यान एक कल्याणकारी राज्य के संविधान के दृष्टिकोण का प्रतीक है, जहां सरकार सबसे गरीब और सबसे कमजोर लोगों के उत्थान के लिए काम करती है। आर्थिक न्याय सिर्फ नीतियों के बारे में नहीं है; यह यह सुनिश्चित करने के बारे में है कि प्रत्येक भारतीय को - चाहे उनकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो सम्मान का जीवन जीने का मौका मिले। -

मोदी सरकार ने पीएम आवास योजना (सभी के लिए आवास) जैसी पहल के माध्यम से दलितों, आदिवासियों और पिछड़े समुदायों के उत्थान पर जोर दिया है, जो यह सुनिश्चित करता है कि भारत

के सबसे गरीब नागरिकों को सुरक्षित घर तक पहुंचे।

संसद सदस्यों के रूप में, हम यह सुनिश्चित करने की पवित्र ज़िम्मेदारी निभाते हैं कि संविधान जीवित दस्तावेज़ बना रहे एक ऐसा दस्तावेज़ जो अपने मूलभूत सिद्धांतों पर दृढ़ रहते हुए हमारे लोगों की आवश्यकताओं के अनुरूप हो। हमारे संविधान की प्रस्तावना प्रत्येक नागरिक से एक वादा है: कि वे ऐसे समाज में रहेंगे जहां न्याय, समानता और स्वतंत्रता की गारंटी है, और जहां भाईचारा राष्ट्रीय एकजुटता की भावना को बढ़ावा देता है। हम पर लोगों का प्रतिनिधित्व करने के साथ-साथ कानून के शासन को बनाए रखने का कर्तव्य भी रखता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि हमारी सभी नीतियां और कार्य न्याय और लोकतंत्र के मूल्यों को प्रतिबिंबित करते हैं। हमें लगातार खुद से पूछना चाहिए: क्या हम सभी नागरिकों के लिए समान अवसर सुनिश्चित कर रहे हैं? क्या हम हाशिये पर पड़े लोगों के अधिकारों की रक्षा कर रहे हैं? क्या हम अपने देश के हर कोने में आर्थिक और सामाजिक न्याय को बढ़ावा दे रहे हैं? 'डॉ. अम्बेडकर के शब्दों में, "हम सभी संविधान के निर्माता हैं। लोकतंत्र के सिद्धांतों को कायम रखते हुए इसकी सफलता सुनिश्चित करना हमारा कर्तव्य है। " सांसदों के रूप में, हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि संविधान केवल वर्तमान क्षण के लिए नहीं बनाया गया था; यह आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित और निर्मित की जाने वाली विरासत है।

अंत में, मैं इस बात पर जोर देना चाहूंगा कि भारत का संविधान एक जीवित, विकासशील दस्तावेज है जो 21वीं सदी में नई चुनौतियों और अवसरों का सामना करते हुए हमारा मार्गदर्शन करता रहेगा। जनता के प्रतिनिधि के रूप में यह हममें से प्रत्येक पर निर्भर है कि हम यह सुनिश्चित करें कि न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के मूल्य हमारी नीतियों, निर्णयों और कार्यों में गूंजते रहें।

आइए हम संविधान को बनाए रखने के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करें, यह सुनिश्चित करें कि जाति, पंथ या धर्म की परवाह किए बिना प्रत्येक नागरिक से इसका वादा अटूट रहे। मोदी सरकार ने दिखाया है और दिखाना जारी रखेगी कि संविधान में निहित सिद्धांत केवल आदर्श नहीं हैं, बल्कि व्यावहारिक लक्ष्य हैं जो भारत को वास्तव में न्यायपूर्ण, समान और समृद्ध समाज में बदल सकते हैं। हम विकसित भारत की ओर बढ़ रहे हैं। जय हिंद !

*__डॉ. राजीव भारद्वाज (कांगड़ा) :__ संविधान दिवस को याद करने और मुझे अपनी बात व्यक्त करने का मौका देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद ।

हमारा मूल संविधान पूरी तरह से हाथ से डिजाइन किया गया और लिखा गया था। संविधान के प्रत्येक पृष्ठ को कलाकृतियों से सुसज्जित करने वाले नंदलाल बोस द्वारा डिजायन किया गया था। हमारे देश की संस्कृति व परंपरा अपने आप में ऐतिहासिक है।

संविधान को सुलेख कला में माहिर प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने अकेले ही लिखा था, उन्हें लगभग 6 महीने लगे फिर भी उन्होंने इसके लिए कोई पैसा नहीं लिया था। ऐसी हमारे भारत की ऐतिहासिक परंपरा रही है ऐसी हमारी संस्कृति रही है ऐसे महान देश में इस सदन में बैठकर हम सभी को समाज और देश की प्रगति में सेवा करने का मौका मिला इसके लिए ईश्वर का कोटि-कोटि धन्यवाद।

डॉ भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती पर साल 2015 में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने संविधान दिवस मनाने की शुरुआत की थी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने संविधान दिवस मनाने की शुरुआत कर नागरिकों में संवैधानिक मूल्यों के प्रति जागरूकता को बढ़ाने का काम किया है। 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य है 1949 में भारतीय संविधान को अपनाने को याद करना ।

देश की लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और संप्रभुता की पहचान को उजागर करना, संविधान दिवस लोकतांत्रिक आदर्श को मजबूत करता है। हम सभी नागरिकों के लिए एक प्रगतिशील समावेशी और समतापुर समाज के निर्माण के लिए भारत की प्रतिबद्धता को याद दिलाता है ।

मुझे ऐसा सोचकर बड़ी हैरानी होती है पूर्व की सरकारें भी संविधान दिवस मनाने का निश्चय कर सकती थी किंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। यहां तक की संविधान निर्माता डॉक्टर बी आर अंबेडकर साहब को भी सम्मानित करने का काम नहीं किया। दुनिया के सबसे बड़े लिखित संविधान को तैयार

---

* Speech was laid on the Table.

करने वाले डॉक्टर अंबेडकर जी को सम्मान तो दिया नहीं, अपितु डॉक्टर साहब द्वारा तैयार संविधान में क्या- क्या संशोधन कर सकते हैं इस पर चर्चा करते रहे ऐसे जुगत भिड़ाते रहे कि कैसे और क्या-क्या संशोधन कर सकें जिससे हमारी स्वार्थ सिद्ध हो सके । 26 नवंबर का दिन भारतीय संविधान को अपनाने का प्रतीक है यह अशोक स्तंभ के आधार पर देवनागरी लिपि में अंकित है राष्ट्रीय नारा के आधार पर माननीय प्रधानमंत्री जी कड़ी मेहनत करते हुए देश के एक छोटे से गांव से संघर्ष करते हुए भारत के प्रधान सेवक के रूप में सुशोभित हुए और 2014 में आम जन भारतवासियों में एक आशा की लहर आई और हमारे लिए भी प्रेरणादायक हैं प्रधानमंत्री जी ।

हमें गर्व है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कार्य करने का देश की सेवा करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है।

*__SHRI YADUVEER WADIYAR (MYSORE):__ I would like to thank for allowing me to put forth my views in the Special discussion on the 75th anniversary of the adoption of the constitution of India,

There is no document quite like the Constitution of India. It represents the joint aspirations of a varied, diverse, and ancient civilization. It brings together the entirety of our history, our many identities, our culture, and our varied beliefs under the umbrella of Bharat and unifies us in the pursuit of providing a meaningful life, no matter our background, ideology, or belief, for all in our country

The Indian Constitution adopted on November 26, 1949; India has recently celebrated its 75th Constitution Day. The members of the constituent assembly dreamt of India, which was to be inclusive to accommodate the needs of all its citizens. Indian constitution is a living document, Dr. B.R. Ambedkar has rightly

---

* Speech was laid on the Table.

said that the "constitution is not a mere lawyers document and that its spirit is always the spirit of the age. The constitution is a living, breathing and constantly evolving document that moulds itself to the aspirations of the people of our country.

The makers of the constitution have given us the liberty to interpret the constitution, keeping in mina the situations prevailing in India from time to time. The extraordinary document drafted with immense wisdom and foresight is a living testament to our collective aspirations and the guiding light to the nation.

Quoting Baba Saheb, the chief architect of our Constitution, "However, a good constitution maybe, it is sure to turn out bad because those who are called to work it, happened to be a bad lot. However bad a constitution may be, it may turn out to be good if those who are called to work it happened to be a good lot". These words indicate that governance is the bridge between constitutional ideals and the realization that the constitution under the present government's regime has evolved and has been reinforced and strengthened under the dynamic leadership of Hon'ble Prime Minister Shri Narendra Modi.

Enforced on January 26, 1950, the Indian constitution reflects the rich diversity and unwavering unity of the nation. Over time, amendments have kept this document alive and responsive, thereby corroborating the claim that our Constitution is not merely a document in black and white. it is a living document that evolves with the nation. At the advent of the current government's regime, it was declared that "the constitution is the only book of our government," a claim by which the government has stood.

The introduction of the GST reforms, demonetization to tackle the evil of black money, the abrogation of article 370, the reservation for the EWS, and the women's reservation bill of 2023. The promise and zeal of the government to leave no one behind could be observed through the Operations conducted to bring back stranded fellow Indians during COVID and even during the Ukraine-Russia War. Taking initiatives towards transparent and accountable governance with the introduction of digital initiatives like Digital India, promotion of UPI, and usage of direct benefit transfers by the government stand as a testament to the government's commitment to consistently match the spirit of the Constitution with the spirit of the Indians and their needs.

The real test of the Constitution lies in the intent and integrity of those who work it, and unfortunately, for years, we witnessed governance marred by inefficiency, corruption, and divisive politics. While, the current government has not just respected the constitution but has also actively revitalized its ideals, ensuring that governance reflects the aspiration of all Indians.

The new India was in need of an overhaul of the criminal laws, which the government fulfilled through the introduction of the Bharatiye Nayay Sanhita (BNS), 2023, along with Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita (BNSS) and Bharatiye Sakshya Adhiniyam (BSA), the government presents a transformative shift in the nations justice system. From Danda to Nayay, the decolonization of the criminal laws, India has come a long way after 75 years of independence, and that could only be done by a visionary government with the utmost regard for the constitution's principles and morals.

These reforms aim to modernize the laws that had been rooted in colonial frameworks and to align them with contemporary societal needs. The laws revise archaic terminology and adopt more accessible language, making provisions easier to understand. They introduce enhanced penalties for heinous crimes and environmental crimes such as pollution and illegal mining are now punishable offenses, demonstrating a commitment to sustainability.

The overhaul reflects the government's focus on aligning India's legal system with global standards while addressing unique domestic challenges. It represents a commitment to balancing tradition with modernity, ensuring justice for all citizens while promoting safety and security, and aligning with constitutional principles.

Under the leadership of Prime Minister Narendra Modi, India's foreign policy emphasizes a "New India" narrative-assertive, self-reliant, and globally engaged, His statement at the UN General Assembly in 2019, "India's voice will always champion peace, humanity, and inclusivity," underscores the nation's commitment to global harmony. A nation that has moved forward and shaped itself according to the changing world order. A nation that is capable of maintaining its sovereignty spotlessly, a nation that is capable of hitting back at non-state actors when required, the surgical strike of 2017 stands as a testament to India's power.

The current government has redefined federalism through cooperative governance. The goods and services tax reform stands to be a landmark example of center & state collaborative efforts to streamline India's economy; the transformation of the planning commission into the NITI Aayog further exemplifies

the commitment of the government towards cooperative federalism. The endless central sector schemes and centrally sponsored schemes to uplift the people in need to help citizens lead a life with dignity.

The constitution guarantees quality and dignity for all citizens, and the government took forward this principle by abrogation of the long-standing temporary special status of the state of Jammu & Kashmir. The historical step of abrogation of Article 370 has more closely integrated Jammu and Kashmir with the rest of India, fulfilling a long-pending constitutional promise of unity and equality in India.

This has not only further solidified the undisputed fact that Jammu & Kashmir is an integral part of India but has also helped in uplifting the overall economic activity of the state and much reduced militant and terrorist activities.

Another ground-breaking step towards ensuring that opportunities reach those in need, irrespective of their caste, was the introduction of 10% reservation for the Economically Weaker Section (EWS). This move was rooted in the constitutional ideal of equality, offering upliftment to all sections of society.

This bold yet balanced reform reflects the government's commitment to sabka saath and sabka vikas. Dr. Ambedkar has rightly said, "Political tyranny is nothing compared to social tyranny, and a reformer who defies society is a much braver man than a politician who defies government. "Unlike any other past governments, the current one has shown the required care and concern to eradicate the poverty that has been reeling in India for decades. The present government has shown the courage to defy inertia and champion reforms in the

spirit of our constitution.

Not only has the government always advocated for women's rights and empowerment, but has also made efforts to make its promises a reality. The Women's Reservation Bill, or Nari Shakti Vandan Adhiniyam, marks another transformative step in India's political framework. The amendment reserves one-third of seats in the Lok Sabha and state legislative assemblies for women, including those allocated for scheduled Castes and Scheduled tribes.

The government believes that true human development cannot take place without the empowerment of women. The bill is a milestone for a "developed and self-reliant India. India will become one of few nations to have such a large number of women parliamentarians. This initiative by the government is historic legislation that would empower women and enhance their participation in governance, laying the foundation for a more inclusive democracy.

Shri. Jawaharlal Nehru emphasized the importance of DPSPs as a roadmap for economic and social transformation and have been remarked by Baba Saheb as principles that represent the "soul of the Constitution." Inspired by the Directive Principles of State Policy, the government launched the Swachh Bharat Mission, Ujjwala Yojana the mission has brought behavioral and infrastructural changes, ensuring the constitutional right to health and dignity, especially in rural areas.

The Swachh Bharat Mission has also emerged as one of the government's most ambitious initiatives aimed at eradicating open defecation and improving sanitation across India. This behavioral shift has improved public health,

particularly by reducing the incidence of waterborne diseases such as cholera and diarrhea, which disproportionately affect children. The dignity of women has been restored by the construction of toilets under the Swachh Bharat Mission.

The World Health Organization (WHO) estimated the Swachh Bharat Mission has saved over 300,000 lives by reducing sanitation-related diseases. Over 90 million LPG connections are provided to households under Ujjwala Yojana, significantly reducing reliance on biomass fuels like firewood, cow dung, and kerosene. Transitioning to LPG has reduced indoor air pollution, which previously caused respiratory diseases among rural women and children. The World Health Organization (WHO) reports that indoor air pollution from traditional cooking methods contributes to over 1 million deaths annually in India.

Innovation distinguishes between a leader and a follower. The Make in India Initiative, launched in 2014, this initiative aimed to position India as a global manufacturing hub by boosting local industries and reducing dependence on imports. Projects like Bharatmala and Sagarmala, under Make in India, improve connectivity, enabling industries to thrive. By modernizing governance through technology, the Digital India Mission has ensured greater transparency and citizen participation.

Along similar lines, the Startup India Initiative launched in 2016, was aimed at making India a Global Leader, it fosters entrepreneurship and innovation, reducing bureaucratic hurdles and offering financial support to startups. Startups enjoy tax exemptions and quicker patent processing, encouraging youth led innovations. The government established a corpus of Rs. 10,000 crore to finance

startups, ensuring access to funding, particularly for innovators from underserved regions.

UMANG app and National e-Governance Plan have enabled citizens to access hundreds of services online, reducing dependence on intermediaries and aligning with the idea of equality before the law. The BharatNet Project has connected over 400,000 villages have been connected to high-speed internet, bridging the urban-rural divide and promoting the constitutional vision of inclusion growth. Pradhan Mantri Gramin Digital Saksharta Abhiyan (PMGDISHA) has provided digital literacy to over 40 million rural households, ensuring that every Indian can harness digital tools effectively.

The resolution of the Ayodhya land dispute and the subsequent construction of the Ram Mandir stands as a hallmark of India's commitment to constitutional secularism and judicial process. This historic event reflects the government's ability to navigate sensitive cultural issues while maintaining respect for the rule of law and national unity. The government upheld the Supreme Court's decision, showcasing reverence for the judiciary's role as the final arbiter in constitutional democracy.

This reinforces the separation of power enshrined in the Indian Constitution. By accepting the verdict and facilitating land for the mosque, demonstrating fairness and equity, the government reinforced constitutional secularism, which promotes the peaceful coexistence of all religions.

India's International Relations have a profound constitutional foundation rooted in the Preamble, Fundamental Rights, and DPSPs, which provide a

framework for engaging with the world while upholding sovereignty, equality, and human rights. The BJP-led government's vision, particularly under Prime Minister Narendra Modi, emphasizes aligning foreign policy with the constitutional ethos of justice, liberty, equality, and fraternity. The Constitution establishes india as a sovereign democratic republic.

This is reflected in India's role in international forums like the G20, BRICS, and the United Nations, where it advocates for democracy, multilateralism, and global peace. India under this government's regime, has emerged as a global leader in global forums. This reflects the constitutional values of peace and cooperation. Initiatives such as the International Solar Alliance (15A) reaffirm India's commitment to sustainable development and the welfare of the global community.

The Amrit Kaal that india is celebrating is not just a period for ambitious goals but a roadmap to ensure that every citizen contributes to India's development and reaps its benefits. The Union Budget 2023-24 outlined the vision of Amrit Kaal which shall reflect an empowered and inclusive economy. It envisions a prosperous and inclusive India, in which the fruits of development reach all regions and citizens, especially our youth, women, farmers, OBCs, Scheduled Castes, and Scheduled Tribes. It is about making India self-reliant and securing its rightful place in world order. The government's policies and achievements, from advancing digital governance to implementing welfare schemes, resonate with the principles of Amrit Kaal.

As we celebrate the 75th Constitution Day, it is a moment to reflect on how

the extraordinary vision of our Constitution's framers continues to guide our nation's journey. The dynamic leadership of Prime Minister Narendra Modi has not only upheld but also revitalized the spirit of our Constitution, ensuring that governance remains transparent, inclusive, and transformative. From economic reforms to social empowerment, from cooperative federalism to digital governance, each initiative echoes the values of justice, equality, and liberty enshrined in our Constitution.

The Hon'ble Prime Minister of India believes that the Constitution gives us the freedom to dream big and work towards achieving those dreams. Moving forward, let us unite in the spirit of Amrit Kaal, ensuring that every Indian contributes to building a self-reliant, progressive, and harmonious India, fulfilling the dreams envisioned by the makers of our Constitution. Together, we are not just custodians of this living document but active participants in realizing its promise for generations to come.

***श्री अरुण गोविल (मेरठ)** : भारतीय संविधान के अमर शिल्पी भारतरत्न डा बाबासाहेब अंबेडकर ने प्रभात प्रकाशन, नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित अपनी पुस्तक मेरी आत्मकथा -मेरी कहानी, मेरी जुबानी के पृष्ठ 120 पर कहा है कि मैं संविधान की खूबियां में नहीं जाना चाहूंगा । कोई भी संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर उसे लागू करने वाले अयोग्य हैं तो वह खोटे सिक्के के समान होगा। इसी प्रकार संविधान को लागू करने वाले यदि सक्षम है तो निकृष्ट संविधान भी लाभकारी सिद्ध होगा

पूरी दुनिया का सर्वश्रेष्ठ संविधान बनाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का कांग्रेस पार्टी ने कितना सम्मान किया, यह इसी पुस्तक के पृष्ठ 126 पर डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी पीड़ा व्यक्त की पंडित

* Speech was laid on the Table.

नेहरू ने मुझे कानून मंत्री का पद दिया तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि भविष्य में आपको नियोजन विभाग भी दिया जाएगा, लेकिन जाहिर तौर पर उन्होंने मुझे एक भी कैबिनेट कमेटी में नहीं लिया। इस्तीफे का यह पहला मामला है। दूसरा मुद्दा है कि सरकार दलित वर्ग के प्रति उदासीन थी..... निराशा के कारण इस्तीफा दे दिया

संविधान निर्माता डॉक्टर अंबेडकर की ही कसौटी पर यदि कसा जाए तो इस संविधान को लागू करने वाले कैसे थे!

जिन्होंने डॉक्टर अंबेडकर को जीवन भर परेशान किया। अपने शासन के रहते उन्हें भारत रत्न नहीं देने दिया।

देश में केरल की पहली सरकार तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष ने गिराई .

देश के संविधान के सीने में 26 जून 1975 को छुरा भोंक कर इमरजेंसी लागू की. इसके पश्चात पूरे देश को जेल खाना बना दिया व महान देशभक्तों श्री जयप्रकाश नारायण, श्री लालकृष्ण वाणी, श्री अटल बिहारी वाजपेई, श्री मधु लिमये, श्री मधु दंडवते जैसे महान नेताओं को जेल में डाला ।

1984 में तत्कालीन प्रधानमंत्री की हत्या के पश्चात, एक प्रधानमंत्री को बिना संसदीय दल का नेता चुने हुए, सीधे राष्ट्रपति भवन में डरे हुए राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिला दी और उस राष्ट्रपति की कार पर, यमन से लौटते हुए थोडी देर पहले मालवीय नगर में भारी पथराव किया गया था।

ऐसा उस समय संविधान के सम्मान करने वाले कांग्रेसी लोगों ने किया। देश की एक प्रधानमंत्री की हत्या पर, उनके बेटे देश के प्रधानमंत्री ने खून का बदला खून से लेंगे टेलीविजन पर नारा दिया था. संविधान का सम्मान करने वाले इस कांग्रेसी प्रधानमंत्री की नाक तले दिल्ली में तीन दिन में 3000 सिख मरवा दिए थे।

कोर्ट का अपने विरुद्ध फैसला आने के बाद इमरजेंसी लगाकर पूरे देश को जेल खाना बनाने का यह आजाद भारत के इतिहास में अनोखा मामला है। संविधान के सम्मान का एक उदाहरण तब देखा गया जब कांग्रेस के एक परिवारवादी नेता ने कैबिनेट द्वारा पास किया गया बिल सार्वजनिक रूप

से फाड़कर, प्रधानमंत्री की इज्जत के परखच्चे उड़ा दिए थे।

देश की संसद में मस्तक नवाकर प्रवेश करने वाले आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पंडित नेहरू ने सबसे पहले संविधान संशोधन की शुरुआत की। फिर उनकी बेटी ने देश में इमरजेंसी लगाई, कोर्ट के जजमेंट को नकार दिया, उनका चुनाव रद्द हो चुका था, उन्होंने संविधान के साथ धोखा किया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने आगे कहा कि उनके बेटे राजीव गांधी भारत की मीडिया को कंट्रोल कहा, करने के लिए बिल लाए। प्रधानमंत्री मोदी कहा जी ने राहुल गांधी द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर मनमोहन सिंह जी की सरकार की कैबिनेट के निर्णय को फाड़कर देश और संविधान की कितनी इज्जत बढ़ाई, यह सोचने योग्य बात है!

हमारे संविधान की मूल प्रति पर भगवान राम, भगवान कृष्ण व गौतम बुद्ध इत्यादि के चित्र अंकित हैं। इसका तात्पर्य है कि हमारा संविधान राम राज्य की परिकल्पना पर आधारित है ।

दैविक दैहइक भौतिक तापा ।
रामराज काहू नहीं व्यापा ।।

राम राज्य की परिकल्पना में किसी भी व्यक्ति को दुख नहीं व्याप्त होता था। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने संविधान की इसी मूल भावना को चरितार्थ करते हुए देश के 80 करोड लोगों को मुफ्त राशन दे रहे हैं, 70 करोड लोगों को मुफ्त चिकित्सा देने के लिए आयुष्मान कार्ड योजना दे रहे हैं, देश के हर गरीब के घर में बिजली देने के लिए हर घर सहज बिजली योजना, हर घर में गैस चूल्हा तथा 70 करोड लोगों तक हर घर में पानी पहुंचा कर संविधान की मूल भावना के साथ न्याय कर रहे हैं। इसी प्रकार असंभव समझे वाले काम, कश्मीर में धारा 370 खत्म करने के कारण देश के करोड़ों लोग जिन अमित शाह जी में सरदार पटेल की छवि देखते हैं, उन गृहमंत्री जी ने कश्मीर में जहां अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व पिछड़े वर्गों को उनके संवैधानिक अधिकार दिलवाए, वहीं लाखों हिंदुओं को भारत की नागरिकता भी दिलाई।

अब यह देश की जनता भली-भांति जानती है कि भारत का संविधान कैसा है, तथा उसको लागू करने वाले लोग कैसे हैं ! मैं भारतीय संविधान के समक्ष नतमस्तक होकर मुझे बोलने का अवसर

देने के लिए स्पीकर महोदय को हृदय से धन्यवाद देता हूं।

देश में संसद के दोनों सदनों को रोज ठप करने वाले नेता संविधान का कितना सम्मान कर रहे हैं, यह भी देश की जनता जानती है। देश की जनता यह भी जानती कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश में संविधान व देश का हित पूरी तरह सुरक्षित है। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम!

*__श्री सुरेश कुमार कश्यप (शिमला)__ : मुझे इस चर्चा पर अपने विचार व्यक्त करने का अवसर प्रदान करने के लिए धन्यवाद। भारत का संविधान राष्ट्र और उसके लोगों के लिए बहुत महत्व रखता है। इसने एक लोकतांत्रिक ढांचा स्थापित किया, मौलिक अधिकारों की गारंटी दी. सामाजिक न्याय के सिद्धांतों को स्थापित किया और एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य की नींव रखी। 26 नवंबर 1949 को, भारत की संविधान सभा ने संविधान को अपनाया, जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इस दिन देश के इतिहास में एक नए युग की शुरुआत हुई। यह दिन महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह दुनिया के सबसे लंबे लिखित संविधान को अपनाने का प्रतीक है. जो भारत के लोकतांत्रिक ढांचे की आधारशिला है। अपनी स्थापना के बाद से, संविधान पिछले 75 वर्षों में राष्ट्र की प्रगति को आकार देने वाले मार्गदर्शक ढांचे के रूप में कार्य करता है। भारतीय संविधान में मूल रूप से 395 अनुच्छेद थे, हालांकि वर्तमान में 106 संशोधनों के पश्चात अनुच्छेदों की संख्या 470 (किंतु संवैधानिक गणना में 395 हीं है) हो गई है।

डॉ. भीमराव अम्बेडकर द्वारा संविधान निर्माण में (2 वर्ष 11 माह एवं 18 दिन) का समय लगा 19 दिसंबर, 1946 से 26 नवंबर, 1949 तक) संविधान भारत के शासन का मार्गदर्शन करना जारी रखता है, अपने नागरिकों के अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा करता है और लोकतांत्रिक संस्थानों के कामकाज को सुनिश्चित करता है। भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है, जिसमें लगभग 145,000 शब्द है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान के 4,400 शब्दों से कहीं अधिक है। 1950 में जब यह संविधान लागू हुआ था. तब इसमें 22 भागों में 395 अनुच्छेद और आठ

---

* Speech was laid on the Table.

अनुसूचियाँ थीं। समय के साथ, संशोधनों ने संविधान को 448 अनुच्छेदों तक बढ़ा दिया है, जो राष्ट्र की बदलती जरूरतों को दर्शाता है। वर्ष 1950 में पहली बार अधिनियमित होने के बाद से अब तक समय समय पर संविधान में 104 संशोधन किये गए हैं। मैं कुछ महत्वपूर्ण संशोधन बताना चाहूंगा।

61वें संविधान संशोधन अधिनियम,1988 इसने मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी।

65वां संशोधन अधिनियम, 1990 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए एक राष्ट्रीय आयोग को शामिल करना।

76वां संशोधन अधिनियम, 1994 पिछड़े वर्गों अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए शैक्षिक संस्थानों में सीटों के आरक्षण और एक राज्य के तहत सेवाओं में नियुक्तियों या पदों से संबंधित प्रावधान इस संशोधन के माध्यम से किये गए है।

सुप्रीम कोर्ट ने 1992 को फैसला सुनाया था कि संविधान के अनुच्छेद 16(4) के तहत कुल आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।

77वां संशोधन अधिनियम, 1995 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पक्ष में सरकारी नौकरियों में पदोन्नति में आरक्षण की तत्कालीन नीति को जारी रखने का प्रावधान।

102वीं संविधान संशोधन अधिनियम, 2018 इसने पिछड़ा वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया।

103वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2019 यह आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) के लिए 10% आरक्षण प्रदान करता है।

104वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2020 यह लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के लिए 25 जनवरी 2030 तक सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है।

मैं धन्यवाद करता हूँ कि इसी सविधान के कारण ST संशोधन विधेयक द्वारा सिरमौर जिले के हाटी समुदाय को अब अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया। पांच दशकों से लंबित अतिमहत्वपूर्ण

मांग पूरी कि गयी ताकि यह भी मुख्य धारा से जोड़ सके और देश निर्माण में अपनी भूमिका निभा सके हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के बार विधानसभा क्षेत्र की 154 पंचायतों के दो लाख लोगों को उनका जनजातीय सांविधानिक अधिकार मिल सका है। मुझे गर्व है कि संविधान को अपनाने की 75वीं वर्षगांठ, हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान सात भर तक चलने वाले अभियान की शुरुआत भारत सरकार द्वारा की गयी है। यह कार्यक्रम पूरे एक वर्ष चलेगा जिसका उद्देश्य नागरिकों को संविधान मसौदा समिति के बारे में शिक्षित करना है, जिसमें डॉ बी आर अंबेडकर की महत्वपूर्ण भूमिका के साथ 15 महिला मसौदाकारों के योगदान पर जोर दिया जाएगा। जागरूकता फैलाने के लिए गावों में पहल की जाएगी। महोदय, प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में वार्षिक उत्सव मनाने की शुरुआत की गयी। संविधान जागरूकता का निर्माणः "हमारा संविधान, हमारा सम्मान संविधान के मूल सिद्धांतों को आम जनता के लिए सरल बनाने और लोकप्रिय बनाने पर केंद्रित है। यह नागरिकों को न्याय समानता स्वतंत्रता और बंधुत्व के मूल्यों को समझने में मदद करता है जिन्हें संविधान बढ़ावा देता है। क्षेत्रीय कार्यक्रमों कार्यशालाओं और सेमिनारों के माध्यम से. संविधान यह सुनिश्चित करता है कि सभी पृष्ठभूमि के लोगों को इस आवश्यक ज्ञान तक पहुँच हो। कानूनी अधिकारों और जिम्मेदारियों को बढ़ावा देगा यह अभियान लोगों को भारतीय संविधान के तहत उनके कानूनी अधिकारों, कर्तव्यों और अधिकारों के बारे में शिक्षित करने के लिए बनाया गया है। यह व्यक्तियों को अपने अधिकारों का दावा करने के लिए सशक्त बनवाता है और यह भी सुनिश्चित करता है कि वे राष्ट्र और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करें। इस पहल के हिस्से के रूप में, नागरिकों को संविधान द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकारों, जैसे समानता का अधिकार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार और निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार सहित अपने अधिकारों पर चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। उप अभियान और विषयगत पहल मुख्य अभियान के अतिरिक्त संवैधानिक शान और तोकतांत्रिक भागीदारी के विशिष्ट पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए तीन प्रमुख उप विषय शुरू किए गए।

सबको न्याय, हर घर न्याय यह उप अभियान यह सुनिश्चित करने पर केंद्रित है कि न्याय हर

नागरिक के लिए सुलभ हो। यह नागरिकों के लिए न्याय पाने के लिए मौजूद कानूनी बारे में जागरूकता को बढ़ावा देता है, चाहे वह अदालतों में ही कानूनी सहायता सेवाओं के माध्यम से हो, या पूरे भारत में कानूनी संस्थानों की पहुँच बढ़ाने के उद्देश्य से सुधारों के माध्यम से हो। अंत में संविधान पर कवि की लिखी कुछ पंक्तिया कहना चाहूंगा कि -

"मैं भारत का संविधान हूं, तुमको राह दिखाता हूं। पथ की सारी बारीकी को बारीकी से सिखलाता हूं।
उलझे न भारत का कोई, सदा जतन यह करता है। रातों के अंधकार में भी, में दीपक सदा जलाता हूं।
मैं भारत का संविधान हूँ, तुमको राह दिखाता हूँ। "

संविधान हम सभी को देश में जीने की राह की राह दिखाता है। हम सबको अपने देश और देश के सविधान पर गर्व होना चाहिए, जिसने हमें लिंग-आधारित वर्ग आधारित और जातीय आधारित्त कानूनों और नियमों से वास्तविक स्वतंत्रता दी है। पह एक जीवत प्रगतिशील दस्तावेज है, और इन 74 वर्षों में इसने हमें निराश नहीं किया है। इसने हमें न्याय, स्वतंत्रता और सभी के लिए समानता के बहुप्रतीक्षित आदर्श दिए हैं। यह संविधान ही है जो हमें एक आजाद देश का आजाद नागरिक की भावना का एहसास कराता है। जहां संविधान के दिए मौलिक अधिकार हमारी ढाल बनकर हमें हमारा हक दिलाते है, वहीं इसमें दिए मौलिक कर्तव्य हमें हमारी जिम्मेदारियां भी याद दिलाते हैं। इस देश की सबसे महान किताब हमारे संविधान पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए आपका सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।

*__डॉ. फग्गन सिंह कुलस्ते__ (__मंडला__) : सबसे पहले, मैं संसद भवन में संविधान दिवस के 75 वर्ष पर मुझे अपने विचार व्यक्त करने की अनुमति देने के लिए आभार व्यक्त करता हूं। 75 साल के 'संविधान दिवस' के पावन अवसर पर आप सभी के बीच उपस्थित होना मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। हमारा संविधान हमारे देश की एक समग्र पुस्तक है जिसे संविधान सभा ने 2 साल 11 महीने और 17 दिनों की कड़ी मेहनत के बाद तैयार किया था। आज मैं संविधान सभा के सभी सदस्यों और पदाधिकारियों

* Speech was laid on the Table.

को तथा विशेष रूप से संविधान सभा के अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद और प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉ. बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

भारत के पूर्व माननीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने देश के लिए डॉ. अंबेडकर के योगदान का वर्णन करते हुए कहा कि महान नेता सरदार पटेल ने देश को राजनीतिक रूप से और डॉ. अंबेडकर ने संविधान के माध्यम से इसे सामाजिक रूप से एकजुट किया था। उन्होंने याद किया कि कैसे डॉ. अंबेडकर ने महिलाओं के लिए समान अधिकारों की वकालत की थी, यहां तक कि ऐसे युग में भी जब इस विचार को कड़े राजनीतिक विरोध का सामना करना पड़ा था। उन्होंने कहा कि डॉ. अंबेडकर के योगदान को सिर्फ दलितों या सिर्फ भारत तक सीमित करना उनके साथ अन्याय है। उन्होंने कहा कि डॉ. अंबेडकर ने उन सभी के लिए आवाज उठाई, जिन्होंने अन्याय सहा और उनका वैश्विक कद था, ठीक वैसे ही जैसे अमेरिका में मार्टिन लूथर किंग का था। डॉ. अंबेडकर सभी मजदूरों के लिए मसीहा थे - सिर्फ दलित मजदूरों के लिए नहीं – तत्कालीन प्रधानमंत्री ने कहा, उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने काम के घंटों को आठ तक सीमित करने और कामकाजी महिलाओं के लिए मातृत्व अवकाश की सुविधा दिलाने में योगदान दिया था। डॉ. बी. आर. अंबेडकर का सपना था कि भारत को न्याय और समानता के सिद्धांतों के लिए प्रतिबद्ध एक मजबूत और गतिशील राष्ट्र बनाया जाए।

उन्होंने खुले दिल से शिक्षा के अधिकार, सामाजिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार और आर्थिक अधिकार सहित जीवन के सभी क्षेत्रों में महिलाओं के अधिकारों का समर्थन किया। उन्होंने समाज में महिलाओं द्वारा प्राप्त विकास और प्रगति के आधार पर देश की प्रगति का वर्णन किया। वे अभूतपूर्व नेता थे जिन्होंने महिलाओं के अधिकारों के कारण और समर्थन के लिए 1951 में कानून मंत्री के रूप में मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था। अंततः उनके ईमानदार प्रयासों के कारण 1956 में संसद में हिंदू कोड बिल पारित हुआ। डॉ. अंबेडकर ने अपने भाषण में यह भी बताया कि उनके पास समाज के दबे-कुचले वर्ग के उत्थान के लिए बहुत सारे विचार और नीतियां हैं, लेकिन कुछ बाधाओं और वित्तीय सीमाओं के कारण उनके लिए उन्हें वास्तविकता में बदलना संभव नहीं था और इस उद्देश्य के लिए उन्होंने इन विचारों और मार्गदर्शक सिद्धांतों को भारत के संविधान की प्रस्तावना और

संविधान के भाग IV में अनुच्छेद 36 से 51 के तहत निर्देशक सिद्धांतों में शामिल और उजागर किया। इनमें राज्य द्वारा अपनाई जाने वाली नीति के कुछ सिद्धांत शामिल हैं जैसे नागरिकों, पुरुष और महिला को समान रूप से आजीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार है; समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार वितरित किया जाए कि सामान्य हित में सर्वोत्तम तरीके से काम हो; आर्थिक प्रणाली के संचालन के परिणामस्वरूप धन और उत्पादन के साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकर केंद्रीकरण न हो; पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान काम के लिए समान वेतन हो और नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता आदि । डॉ. बी. आर. अंबेडकर के इन सभी महान योगदानों को मान्यता देते हुए, उन्हें 1990 में तत्कालीन सरकार द्वारा भारत रत्न से सम्मानित किया गया।

मैं सामाजिक न्याय के प्रति मजबूत प्रतिबद्धता के लिए संविधान में 81वें, 82वें और 85वें संशोधन को आगे बढ़ाने और पारित कराने के लिए माननीय तत्कालीन प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा किए गए अच्छे कार्यों को याद करना चाहूंगा। इन संशोधनों ने उच्च पदों पर पदोन्नति के विस्तार, रिक्त पदों को भरने और पदों में कटौती पर प्रतिबंध हटाने की सुविधा प्रदान की । एससी/एसटी के लिए पदोन्नति में आरक्षण की निर्बाध सुविधा के लिए 2000 में दो संशोधन लाए गए थे । पहला 81वां संशोधन था । 81वें संशोधन के जरिए सरकार ने अनुच्छेद 16 (4बी) पेश किया, जिसमें पदोन्नति में आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियमित आरक्षण पर तय 50% की सीमा को तोड़ने की अनुमति दी गई। संशोधन ने राज्य को बैकलॉग रिक्तियों को भरने के लिए 50% की सीमा को पार करने के लिए पिछले वर्षों से खाली रिक्तियों को आगे बढ़ाने की अनुमति दी। इसे कैरी फॉरवर्ड नियम के रूप में जाना जाता है।

इसके अलावा, संविधान के अनुच्छेद 335 में संशोधन ने सरकार की शक्ति को बहाल करने में भी मदद की, ताकि एससी/एसटी के पक्ष में किसी भी परीक्षा में योग्यता अंकों में छूट देने या संघ या राज्य के मामलों से संबंधित किसी वर्ग या सेवा या पदों में पदोन्नति के मामलों में आरक्षण के लिए विकास के मानक को कम करने के लिए कोई प्रावधान किया जा सके

इसके अलावा 85वें संविधान संशोधन विधेयक के तहत 2001 में अनुच्छेद 16 (4ए) में बदलाव किया गया। भारतीय संविधान के 85वें संशोधन का मुख्य उद्देश्य पदोन्नति के क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में आरक्षण का लाभ बढ़ाना था। इसके बाद वरिष्ठता को बनाये रखना था। मई 2014 से प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के सशक्त नेतृत्व में हमारी सरकार ने संविधान को मजबूत बनाने के साथ-साथ 'सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास' का नारा देकर सामाजिक न्याय हासिल करने के लिए बहुत काम किया है। मैं सदस्यों की जानकारी के लिए कुछ विवरण उजागर करना चाहूंगा:-

- डॉ. अंबेडकर के योगदान को याद करते हुए, प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने कहा कि डॉ. अंबेडकर राष्ट्रीय स्मारक दिल्ली की प्रतिष्ठित इमारतों में से एक है और उन्होंने इसका उद्घाटन बाबासाहेब के जन्मदिन - 14 अप्रैल 2018 को किया था।

- प्रधानमंत्री मोदी जी सामाजिक न्याय के लिए प्रतिबद्ध एकमात्र महान नेता हैं और उन्होंने डॉ. अंबेडकर के सम्मान में "पंचतीर्थ" के रूप में पांच स्थानों का निर्माण कराया। इनमें महू में उनका जन्म स्थान, लंदन में वह स्थान जहां वे यूके में अध्ययन के दौरान रहे, नागपुर में दीक्षा भूमि, दिल्ली में महापरिनिर्वाण स्थल और मुंबई में चैत्य भूमि शामिल हैं। इसके अलावा, प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में जनपथ पर डॉ. अंबेडकर फाउंडेशन के लिए बनाये गए भवन का भी उल्लेख किया।

- मैं हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की भी सराहना करता हूँ कि उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 370 को समाप्त कर राष्ट्र में समानता, बंधुत्व और अखंडता की मजबूत नींव रखी तथा जम्मू-कश्मीर को देश के बाकी हिस्सों के बराबर का दर्जा दिया। सरकार द्वारा किए गए संशोधन की वैधता को बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने भी बरकरार रखा। इस अवसर पर मैं डॉ. बी. आर. अंबेडकर की समानता के प्रति प्रतिबद्धता को याद करते हुए एक घटना का हवाला देना चाहूंगा कि संविधान का मसौदा तैयार करते समय तत्कालीन प्रधानमंत्री ने उनसे जम्मू-

कश्मीर को भारत में अलग और संप्रभुता का दर्जा देने के लिए अनुच्छेद 370 का मसौदा तैयार करने के लिए कहा था, लेकिन बाबा साहेब ने स्पष्ट रूप से उपरोक्त भेदभावपूर्ण अनुच्छेद का मसौदा तैयार करने से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा था कि मैं जीवन भर भेदभाव के खिलाफ और समाज में समानता के लिए लड़ता रहा हूं, मैं संविधान में ऐसा कोई प्रावधान कैसे तैयार कर सकता हूं जो हमारे समाज और देश में बड़े पैमाने पर भेदभाव और असमानता पैदा करता हो।

मैं अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के निवासियों को आरक्षण की सुविधा प्रदान करने के लिए संविधान सभा का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330, 332, 334 और 335 के तहत नौकरियों, लोकसभा के साथ-साथ राज्य विधानसभाओं में राजनीतिक प्रतिनिधित्व। मैं संविधान निर्माता की बुद्धिमत्ता के लिए भी अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूं कि उन्होंने सरकार के 3 अंगों का निर्माण किया:- कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका पूरी जिम्मेदारी के साथ मिलकर काम करें ताकि बेहतर नीतियां बनाकर, लोगों को उन्मुख अधिनियमों को लागू करके और आम लोगों को न्याय दिलाकर आम लोगों के जीवन को बेहतर बनाया जा सके। मैं अपने प्रधान मंत्री श्री मोदीजी को एससी / एसटी आयोग के राष्ट्रीय आयोग को निरंतर समर्थन देने और 11.08.2018 को राष्ट्रीय ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा देने के लिए भी धन्यवाद देता हूं। एससी/एसटी पर संसदीय समिति का अध्यक्ष होने के नाते मैं सामाजिक न्याय की प्रतिबद्धता को जमीनी स्तर पर अधिक दृश्यमान बनाने और एससी / एसटी आरक्षण नीति को मजबूत करने के लिए सरकार के ध्यान में कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे लाना चाहता हूं: -

- सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, भारत सरकार और केंद्र सरकार के अधीन अन्य स्वायत्त निकायों के निदेशक मंडल में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के एक या दो सदस्यों का प्रतिनिधित्व योग्यता के आधार पर होना चाहिए ताकि उन्हें नीति निर्माण में भाग लेने में सुविधा हो।

- मैं सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से भी अपील करता हूं कि आरक्षण नीति को अधिनियम बनाने के लिए एक विधेयक पारित करें। अधिनियम पारित होने के बाद, सभी सरकारी/विभाग/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/बैंकों और स्वायत्त निकायों के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याण पर संसदीय समिति से निर्देश लिए बिना भी इसे लागू करना अनिवार्य होगा।
- सर्वोच्च न्यायालय और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) द्वारा जारी स्पष्ट दिशा-निर्देशों के बावजूद, अभी भी झूठे जाति प्रमाण-पत्रों के मामले काफी संख्या में हैं और राज्य छानबीन समिति द्वारा उनके सत्यापन में अत्यधिक देरी हो रही है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी संसदीय समिति ने भी यह पाया है कि जाति प्रमाण-पत्र के सत्यापन के नाम पर सेवानिवृत्त आदिवासी अधिकारियों की सेवानिवृत्ति पेंशन रोक दी गई थी। इसलिए, इस समस्या को दूर करने के लिए, मैं सरकार से एक अधिनियम पारित करने का आग्रह करता हूं, जिसमें झूठे जाति प्रमाण-पत्र को दंडनीय अपराध बनाया जाए और नियुक्ति होने के तीन महीने के भीतर जाति प्रमाण-पत्र को सत्यापित करने की अनिवार्य समयावधि हो।
- डीओपीटी के तहत एक अलग नियामक निकाय होना चाहिए, जो यह सुनिश्चित करे कि सभी सरकारी/विभाग/पीएसयू बैंक और स्वायत्त निकायों आदि द्वारा आरक्षण नीति का पालन किया जा रहा है, क्योंकि संपर्क अधिकारी नियुक्त करने की मौजूदा व्यवस्था एससी और एसटी के हितों की रक्षा के लिए पर्याप्त नहीं है । विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/बैंकों और स्वायत्त निकायों आदि के अंतर्गत सहायक कंपनियाँ। अंत में, मैं लोकसभा में संविधान दिवस के 75 वर्ष पूरे होने पर आयोजित प्रतिष्ठित बहस में भाग लेने का मुझे एक बहुमूल्य अवसर प्रदान करने के लिए माननीय लोकसभा अध्यक्ष के प्रति पुनः आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही, मैं आरक्षण नीति के कार्यान्वयन, संविधान के प्रावधान और सामाजिक

न्याय तथा हमारे देश में वित्तीय स्थिरता बहाल करने के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के लिए माननीय प्रधान मंत्री श्री मोदी जी के प्रति अपना गहरा सम्मान व्यक्त करता हूँ। सुधार और कार्याणवन और परिवर्तन के हमारे सरकारी आदर्श वाक्य ने सभी क्षेत्रों में उल्लेखनीय वृद्धि की है और निवेशकों को आकर्षित करने में मदद की है। इन सभी ईमानदार प्रयासों से, मुझे उम्मीद है कि भारत को एक मजबूत और विकसित देश बनाने का सरकार का सपना निश्चित रूप से 2047 तक वास्तविकता में बदल जाएगा।

जय हिंद। जय भारत। जय संविधान

***श्री राधा मोहन सिंह (पूर्वी चम्पारण) :** आज हम संविधान की 75 वर्षों की गौरवशाली यात्रा का उत्सव मना रहे हैं। इस ऐतिहासिक अवसर पर मुझे अपने विचार व्यक्त करने का मौका देने के लिए धन्यवाद।

आज मुझे भारतीय संविधान की भावना को फलीभूत करती माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी सरकार की उपलब्धियों पर अपने विचार व्यक्त करने का अवसर मिला है। माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी सरकार की नीतियाँ दर्शाती हैं कि हमारा संविधान किस प्रकार हमारे विकास का आधार बना हुआ है। उनका विज़न है: सबका साथ सबका विकास। हमारा संविधान हमें न्याय, स्वतंत्रता, समानता, और भाईचारे का मार्ग दिखाता है। माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में इन आदर्शों को ध्यान में रखते हुए कई ऐतिहासिक कार्य किए हैं।

संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 में समानता के अधिकार को प्राथमिकता दी गई है। माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी सरकार ने इसे सशक्त करने के लिए कई कदम उठाए हैं: 1957 में, काका कालेकर आयोग की स्थापना ओबीसी के लिए आरक्षण की समीक्षा करने के लिए की गई थी, लेकिन कांग्रेस ने इसकी सिफारिशों को लागू नहीं किया। प्रधानमंत्री मोदी ने ओबीसी आयोग को संवैधानिक मान्यता प्रदान की है।

---

* Speech was laid on the Table.

सवर्ण आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) को 10 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करके सामाजिक न्याय को नई दिशा दी है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत 10 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण किया गया, जिससे विशेषकर महिलाओं और दलित वर्ग को गरिमा के साथ जीवन जीने का अवसर मिला।

संविधान में नागरिकों को गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार दिया गया है। इसे साकार करने के लिए माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी सरकार नेः प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 8 करोड़ से अधिक परिवारों को मुफ्त गैस कनेक्शन देकर महिलाओं को धुएं से मुक्ति दिलाई। जन धन योजना के माध्यम से 53 करोड़ से अधिक लोगों के बैंक खाते खोले, जिससे वित्तीय समावेशन संभव हुआ। सबसे अधिक प्रसन्नता की बात है की इसमें 30 करोड़ महिलाओं के बैंक खाते खुले हैं।

महिलाओं को संविधान में समान अधिकार दिए गए हैं। माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी सरकार ने इसे व्यवहार में लाने के लिए: बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान चलाया, जिससे लड़कियों की शिक्षा और सुरक्षा को बढ़ावा मिला। तीन तलाक जैसे कुप्रथाओं को समाप्त कर मुस्लिम महिलाओं को न्याय दिलाने का साहसिक कदम उठाया। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के अंतर्गत महिलाओं को राजनीति में 33 प्रतिशत आरक्षण दिलाकर समाज में उनका और अधिक सम्मान बढ़ाया है एवं आगे बढ़ने के सुअवसर प्रदान किए हैं।

डिजिटल इंडिया के दृष्टिकोण के साथ, हमारी सरकार ने सूचना और सेवाओं तक पहुंच में क्रांति ला दी हैं। ई- गवर्नेंस से लेकर डिजिटल भुगतान तक डिजिटल बुनियादी ढांचे ने नागरिकों को सेवाओं तक सम्मान पहुंच प्रदान करके समानता के संवैधानिक सिद्धांत को दर्शाते हुए पहले से कहीं अधिक कुशलता से सरकार के साथ बातचीत करने में सक्षम बनाया है।

भारत के इतिहास में सबसे बड़े कर सुधारों में से एक, जीएसटी की शुरुआत एक ऐतिहासिक उपलब्धि थी जिसने भारत की अर्थव्यवस्था को एकत्रित किया। इसके बाद मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और श्रम कानून और कृषि में कई सुधार किए गए। इन पहलों ने भारत को सतत विकास के पद पर ला खड़ा किया है, और संविधान ऐसे परिवर्तन कार्य सुधारो के लिए रूपरेखा प्रदान

करना जारी रखता है।

संविधान में भारत की अखंडता और एकता को सर्वोपरि रखा गया है। मोदी सरकार ने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाकर संविधान के "एक राष्ट्र, एक संविधान" के सिद्धांत को स्थापित किया। उत्तर-पूर्व भारत के विकास के लिए विशेष योजनाएं शुरू कीं, जिससे वहां की भौगोलिक और सामाजिक दूरी कम हुई।

भारतीय संविधान नागरिकों को आत्मनिर्भर बनने का अधिकार देता है और माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इस संबंध में भरपूर सफल प्रयास किए हैं: मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान ने देश को आर्थिक रूप से मजबूत किया है। माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सफल प्रयासों के फलस्वरूप हमारी अर्थव्यवस्था '5 कमजोर' (Fragile 5) अर्थव्यवस्थाओं' में से निकलकर आज '5 सबसे शक्तिशाली अर्थव्यवस्थाओं' में से एक बन चुकी है और जल्द ही तीसरी सबसे सशक्त अर्थव्यवस्था बनने के कगार पर पहुँच चुकी है। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 12 करोड़ किसानों को आर्थिक सहायता दी गई है।

संविधान में स्वास्थ्य को नागरिकों का मौलिक अधिकार माना गया है और माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी नेः आयुष्मान भारत योजना के तहत 50 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त स्वास्थ्य सुविधा प्रदान की। कोविड-19 महामारी के दौरान, भारत में न केवल अपने नागरिकों को 200 करोड़ से अधिक वैक्सीन दी, बल्कि दूसरे देशों को भी मदद देकर "वसुधैव कुटुंबकम" की भावना का परिचय भी दिया।

भारत का संविधान न केवल घरेलू ताकत का स्रोत है बल्कि वैश्विक स्तर पर भी प्रेरणा का काम करता है। वर्षों से, कई देशों ने, विशेष रूप से उत्तर- औपनिवेशिक अफ्रीका और एशिया में, भारत के संविधान को शासन के लिए एक मॉडल के रूप में देखा है, क्योंकि इसमें लोकतंत्र, मानवाधिकार और कानून के शासन पर जोर दिया गया है। एकता और विविधता को संतुलित करने के भारत के दृष्टिकोण की दुनिया भर में विशेष रूप से प्रशंसा की गई है।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गैर-स्थायी सदस्य के रूप में भारत के हालिया कार्यकाल के

दौरान, हमारे संविधान के सिद्धांतों विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा और सहयोग को बरकरार रखा गया क्योंकि हमने वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने के लिए दुनिया भर के देशों के साथ काम किया। जलवायु परिवर्तन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता, जैसा कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में हमारी नेतृत्वकारी भूमिका में देखी गई है, इस बात का एक और उदाहरण है कि हमारे संविधान में निहित मूल्य हमारी सीमाओं से परे कैसे प्रतिध्वनित होते हैं।

मोदी सरकार ने संविधान की मूल भावना को ध्यान में रखते हुए न्याय, समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे को मजबूत किया है। ये उपलब्धियां भारत को एक नई ऊंचाई पर ले जा रही हैं। कांग्रेस ने तो दशकों तक संविधान की मूल भावना के साथ सर्वदा खिलवाड़ ही किया है। इतना ही नहीं तो कांग्रेस पार्टी ने आजादी के बाद प्रथम आम चुनाव में संविधान के वास्तुकार डा. बी. आर. अम्बेडकर को चुनाव हराने में बड़ी भूमिका अदा की अपने उम्मीदवार खड़े किये। कांग्रेसी सरकार ने उन्हें भारत रत्न भी नहीं दिया। यह काम भाजपा समर्थित सरकार आने पर ही हुआ।

आपातकाल लगा कर विपक्षी दल के नेताओं, सामाजिक संगठनों एवं देश के छात्रों, युवकों पर अत्याचार किया, उनकी न्याय, समानता, स्वतंत्रता के अधिकार पर कुठाराघात किया और वो आज हाथ में संविधान की पुस्तक लिए हुए उसकी सुरक्षा की बात करते हैं! 70 वर्षों तक सत्ता में रहकर भी भोली भाली जनता को बेवकूफ बनाते रहे और अब विपक्ष में रहकर भी वही कर रहे हैं। कांग्रेस सिर्फ आम जनता को बर्गलाने में ही एक्सपर्ट है ! उनकी बातें सुनकर तो यही लगता है, "उल्टा चोर कोतवाल को डाँटे" !

यह तो सर्वविदित है की भारत के संविधान की 75 वर्षों की यात्रा को गौरवशाली बनाने में माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बड़ा योगदान है। यह सरकार संविधान के आदर्शों के प्रति प्रतिबद्ध है और एक सशक्त, आत्मनिर्भर, और समृद्ध भारत के निर्माण में जुटी है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

बहुत बहुत धन्यवाद ।

***श्री उम्मेदा राम बेनीवाल (बाड़मेर) :** भारत के संविधान की 75 वर्षों की गौरवशाली यात्रा के अवसर पर मुझे अपने विचार व्यक्त करने का मौका देने के लिए बहुत-बहुत आभार।

हमारा संविधान दुनिया का सबसे लंबा और लिखित संविधान है। संविधान द्वारा हमें जो मौलिक अधिकार मिले, उसकी वजह से ही देश ने अनेक चुनौतियों का सामना करते हुए हम इस मुकाम तक पहुंचे हैं। लेकिन अभी भी हमें बहुत कुछ हासिल करना बाकी है। हमारे संविधान निर्मताओं ने जो सपने देखे थे, उनसे हम 75 वर्ष बाद भी काफी दूर है।

संविधान द्वारा हमें समानता का अधिकार दिया, लेकिन हम अभी भी देश के सभी नागरिकों का समान रूप से विकास नहीं कर पाए।

समानता का अधिकार संविधान द्वारा तो हमें समान रूप से प्रदान किया गया, लेकिन हमेशा नागरिकों के इस अधिकार का हनन व शोषण कर समान रूप से नागरिकों को नहीं दिया, जिसके कारण आर्थिक असमानताएं व अराजकता दिनों दिन बढ़ती जा रही हैं, जो बहुत ही चिंता का विषय है।

ज्यादा आर्थिक असमानताएं देश के लिए घातक हो सकती हैं क्योंकि आज इन हालातों को देखे तो गरीब इंसान गरीब व अमीर इंसान अमीर होता जा रहा हैं। ये गरीब अमीर के बीच बढ़ती दूरियां बहुत ही चिंताजनक हैं और आज के समय में देश में अमीर व्यक्ति कुछ ही महीनों में और अधिक अमीर होता जा रहा हैं जबकि गरीब व्यक्ति दिन प्रति दिन कमजोर होता जा रहा हैं क्योंकि देश का प्रतिनिधित्व चंद लोगों के गलत हाथों में हैं, जिससे देश की आर्थिक व्यवस्था इन चंद लोगों के अधीन होती जा रही हैं।

अगर देश के नागरिकों के साथ निष्पक्ष और न्यायपूर्ण व्यवहार समानता की दृष्टि से नहीं किया गया तो आने वाला समय गरीब इंसान व देश के लिए बहुत ही घातक होगा। वर्तमान परिदृश्य से आजादी से पहले जो गंभीर हालात अधीनता वाले थे उनसे भी बदतर बनने की संभावना हैं इसलिए हमें सरकारी तंत्र में सुधार और मजबूत करने सहित संविधान और लोकतांत्रिक अधिकारों को कमजोर

---

* Speech was laid on the Table.

करने के बजाय मजबूत करने की आवश्यकता हैं।

देश के उत्थान व आर्थिक व्यवस्था में PSU का बहुत बड़ा योगदान रहा, लेकिन सार्वजनिक उपक्रम की सारी कम्पनियों की हालत देखे तो दिन प्रति दिन खराब होती जा रही हैं। देश की नवरत्न कंपनियां भेल, BPCL, गेल, HPCL, IOC, MTNL, NTPC, ONGC, सेल सहित सरकारी तंत्र आज बुरे दौर से गुजर रहा है लेकिन इन कंपनियों पर ध्यान ना देकर मात्र 5-10 निजी स्वामित्व वाली कंपनियों व बड़े उद्योगपतियों को बढ़ावा दिया जा रहा हैं। देश में व्यापार के क्षेत्र में 80-90% हिस्सेदारी इन कंपनियों व उद्योगपतियों ने अपने हाथो में ले रखी है।

इन बड़ी निजी कंपनियों की वजह से आज छोटी कंपनियां व लघु उद्योग खत्म हो गए। अगर यही हालात और व्यवस्था रही तो वह दिन दूर नहीं, जिससे देश को भुखमरी, बेरोज़गारी से देश को आंतरिक संघर्षों से जूझना पड़ेगा।

देश के सविधान निर्माताओं का सपना था एक विकसित भारत हो, जिससे अभी तक हम आजादी के 75 वर्ष साल बीत जाने के बाद भी उन सपनों से काफी दूर है। बाबा साहब कहा करते थे कि "शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पियेगा वो दहाड़ेगा" और यह सत्य भी है कि देश शिक्षा के माध्यम से व हरित क्रांति के माध्यम से आज यहाँ तक पहुँचा है। लेकिन आज भी भारत के अधिकांश ग्रामीण क्षेत्र में किसानों, मजदूरों, पिछड़ों व दलित वर्ग की स्थिति बहुत ही दयनीय है। उनकी यह स्थिति होने का मुख्य कारण है देश के ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा की स्थिति का खराब होना। संविधान निर्माताओं और विकसित भारत के सपनों को पूर्ण रूप से साकार करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को बेहतर शिक्षा दी जाये। शिक्षा व्यवस्थाओं में सुधार करने के लिए स्कूलों व कॉलेजों में खाली पड़े पदों को पूर्ण रूप से भरकर स्कूलों व कॉलेजों के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना होगा। इसके साथ ही खेल गतिविधियों को बढ़ावा देते हुए खेल मैदानों के निर्माण और कोच व अधिकारियों के 70-80 प्रतिशत ख़ाली पड़े पदों को भरा जाये। देश में खिलाड़ियों और देश का गौरव बेटियों के क्या हालात है, उनका किस प्रकार शोषण हो रहा हैं हमें ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा की व्यवस्था ठीक होगी तब ही गाँवों का विकास होगा। गांवों का विकास होगा तो देश समृद्ध होगा।

आज शिक्षा के अभाव के कारण देश का युवा बढ़ते नशे की प्रवृति और अपराध के दलदल की ओर अग्रसित हो रहा है। इस संबंध में सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित कराना चाहूँगा कि युवा में बढ़ती नशे की प्रवतियां चिंता का विषय है। इसे हमें गंभीरता से लेते हुए मादक पदार्थ, नशीली दवाइयों और MD जैसे नशे के कारोबार करने वालों पर सख्त कार्रवाई करके उनके कारोबार पर अंकुश लगाना होगा। सबसे ज्यादा मादक पदार्थों और अत्याधुनिक हथियारों की तस्करी अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती क्षेत्रों में होती हैं। ज्यादा सीमांत क्षेत्र में कई वर्षों से मादक पदार्थों एमडी, स्मैक, गांजा, अफीम सहित ड्रग्स का कारोबार बढ़ रहा हैं। 10 सितंबर 2024 को बाड़मेर के खारा राठौड़ान और गंगाला सहित अन्य जगह पर डीआरआई मुंबई की रेड पर ड्रग्स की फैक्ट्री पकड़ी गई, लेकिन सख्त कार्रवाई के बजाय मामला शांत हो गया।

आज आजादी के 75 साल बीत जाने के बाद और संविधान निर्माताओं द्वारा दिये गये नागरिकों के मौलिक अधिकारों का शोषण व हनन कर पिछड़े व दलित भाइयों पर बढ़ता अपराध चिंता का विषय है। देश के दूर-दराज ग्रामीण क्षेत्रों, शहरी क्षेत्रों में आज भी दलितों पर दिन प्रति दिन अत्याचार बढ़ रहे हैं। दलित व गरीब पिछड़े लोगों को बारात में घोड़ी पर बैठने से रोका जाता है और ऐसा होता है कहीं उसे घोड़ी से उतार दिया जाता है, तो कहीं भरे बाजार में दबंगों द्वारा सरेआम धारदार हथियार से दलितों की हत्या कर दी जाती है तो कहीं बिना गुनाह किए पुलिस गिरफ्तार करके उन्हें कई दिनों तक थानों में प्रताडित किया जाता है।

हाल ही में जिस संसदीय क्षेत्र से मैं आता हूँ वहाँ बालोतरा जिला मुख्यालय के शहर के भरे बाजार में दबंगों द्वारा विशनाराम मेघवाल की चाकू मारकर हत्या कर दी जाती हैं। इसी प्रकार सीमांत क्षेत्र के बाड़मेर के असाड़ी गाँव में दलित कोजाराम की निर्मम तरीके से पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। पाली जिले के मनोहर राजपुरोहित का अपहरण हुए 9 साल बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक खुलासा नहीं। 8 बार जाँच हो चुकी है, देश की इंटेलिजेंस फेल है।

देश में आत्महत्याएं बढ़ रही हैं, यह चिंता का विषय है। सिस्टम और प्रताड़ना के अन्याय से, न्याय के लिए दर-दर की ठोकरें खाकर न्याय की उम्मीद छोड़कर आत्महत्या को मजबूर हो जाते हैं।

जैसे हाल ही में अतुल सुभाष ने आत्महत्या इसलिए कर ली, उनके 24 पन्नों के सुसाइड नोट और जारी 1 घंटा 22 मिनट के वीडियो के अनुसार, वह जिनसे प्रताड़ना झेल रहे थे उनसे ही नहीं जिस संस्था और व्यवस्था से न्याय की उम्मीद थी उनसे ही परेशान होकर आत्महत्या की है। इस हिसाब से इस घटना ने लोकतंत्र के सिस्टम पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। यह बहुत ही चिंता का विषय है।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी POA के आंकड़ों के अनुसार देश में कुल दलितों पर हुए अपराध और अत्याचारों में अनुसूचित जाति (SC) पर घटित घटनाओं के राजस्थान में हुए 16.75% दर्ज मामलों के साथ दूसरे स्थान पर है और वहीं अनुसूचित जनजाति (ST) राजस्थान शीर्ष स्थान पर है, जहां 25.66% मामले दर्ज हुए हैं। यह राजस्थान ही नहीं देश के लिए भी दुर्भाग्यपूर्ण आंकड़े हैं।

हमें कानून व्यवस्था को और सख्त करने की जरूरत है। कहने को तो अपराधियों में भय व आम आदमी में विश्वास की बात होती है लेकिन लचर कानून व्यवस्था के कारण आज आम आदमी में भय व अपराधियो में विश्वास है, दिन प्रति दिन अपराधी नये-नये अंजाम दे रहे है और अपराधियों के हौसले बुलंद हो रहे है।

देश में पिछड़े व दलित भाइयों के प्रति बढ़ते अपराध चिंताजनक हैं। हमे इन्हें रोकने के लिए पुख्ता इंतजाम करने होंगे तभी बाबा साहेब के सपनों को सही मायने में साकार किए जा सकेंगे।

धन्यवाद। जय संविधान, जय जवान, जय किसान, जय भीम, बाबा साहब अमर रहे।

जय हिन्द।

*****डॉ. मन्ना लाल रावत (उदयपुर) :** भारत के संविधान के 75 वर्ष की गौरवशाली यात्रा विषय पर अपने विचार व्यक्त करने का अवसर देने के लिए धन्यवाद।

हमारा संविधान गांव, गरीब वंचित, उपेक्षित सहित भारत के प्रत्येक नागरिक को जीवन जीने का अधिकार देता है। हमारे महान संविधान निर्माता ने राष्ट्र के उज्जवल भविष्य की योजना संविधान

* Speech was laid on the Table.

में रची है। मूल रूप से इसमें हम भारत के लोगों की आस्था की भावनाओं को जीवंत किया है। भारत का संपूर्ण चिंतन इसमें आया है।

प्रभु श्री राम, सीता माता, लक्ष्मण जी, हनुमान जी, महाभारत सहित सभी ऐतिहासिक प्रसंग भी भारत के मूल संविधान में दर्शाए गए हैं। एक प्रकार से हमारा यह जीवंत संविधान सकल भारत का ही मूर्ति रूप ही है।

संविधान में उल्लेखित सामाजिक न्याय जिसमें आरक्षण, संरक्षण व विकास की यदि बात करें तो यह संज्ञान में आता है कि हमारे संविधान के अनुच्छेद 341 और 342 महत्वपूर्ण जान पड़ता है। अनुच्छेद 341 में अनुसूचित जातियों को परिभाषित किया गया है जबकि 342 में अनुसूचित जनजातियों को परिभाषित करने का प्रावधान है। इस परिभाषित करने की यह शक्ति मूल रूप से हमारे राष्ट्रपति जी को दी गई है।

सन् 1950 में जारी अधिसूचना के अनुसार अनुसूचित जातियों में एक शर्त लगाई गई है जिसके अनुसार वे लोग एससी की परिभाषा में मान्य नहीं होंगे जिन्होंने हिंदू, बौद्ध और सिख धर्म को छोड़ दिया है परंतु यह प्रावधान अनुसूचित जनजातियों के लिए नहीं किया गया।

यह विसंगति बहुत गंभीर है जिसे इसी सदन में 24 नवंबर 1970 को डॉक्टर कार्तिक उरांव जी ने उठाया था। धर्मांतरित सदस्यों को एसटी की परिभाषा से बाहर करने का डीलिस्टिंग आंदोलन चलाया। संसद के 348 सांसदों का समर्थन भी प्राप्त किया। उनके अनुसार यह विसंगति जनजातियों के पिछड़ रहने का मूल कारण है और यह असंवैधानिक है। असामाजिक है अनैतिक है और अवैधानिक है अमानवीय है साथ ही साथ यह जो अलोकतांत्रिक भी है। परन्तु लोकतंत्र के इस मंदिर में तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने आदिवासियों के संवैधानिक हक के इस टॉपिक को समर्थन नहीं दिया।

यह प्रावधान आगे जाकर जनजातियों के संस्कृति का नाशक बना और उसे कांग्रेस की सरकारों ने समर्थन दिया। यह धर्मान्तरण का बड़ा कारण बना। संवैधानिक हक़ छिनने का भी कारण बना।

महात्मा गांधी के अनुसार भारत में धर्मांतरण अत्यंत ठीक नहीं है संस्कृति के लिए घातक है परंतु कांग्रेस की सरकारों ने इसे आगे बढ़ाया ऐसा लगता है स्वतंत्रता के बाद यह कांग्रेस की एक सोची

समझी रणनीति बनी है।

लेकिन कांग्रेस ने आखिर यह क्यों किया जनजातियों के संवैधानिक अधिकारों को क्यों छीना। यह भी विचारणीय है। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ऐटली ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के श्रद्धांजलि में जो शब्द प्रयुक्त किया उसमें इसका संकेत मिलता है। उनके अनुसार नेहरू यूरोपीय थे हां भारतीय भी थे इसमें संकेत यह है की नेहरू ने भारत और भारतीयता के विपरीत एक चिंतन रखा जो जनजातियों के हितों के विरोध में एक धारणा और एक रचना बन गई।

यह केवल एक ही संकेत नहीं है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जब एक भाषण दिया तब जनजाति विकास के लिए अजायब घर पद्धति को अपनाया अर्थात आदिवासी जैसे हैं वैसे ही जीवन किए। वे कहते थे आप जहां रह रहे हैं आप अपने तरीके से रहो। परंतु उन्होंने पादरी वैरियर एल्विन को अनुमति देकर नॉर्थ ईस्ट और मध्य भारत के जनजाति क्षेत्र में भेज दिया। हां यह भी महत्वपूर्ण है कि भारत के अन्य नागरिकों को, नेताओं को औरसमाजसेवी संस्थाओं को इन क्षेत्रों में जाने से रोक दिया। यह कांग्रेस का दोहरा व्यवहार जनजातियों के विकास, भारतीय चिंतन और समावेशी विचार के एकदम विरुद्ध लगता है इसी पद्धति को बाद की कांग्रेस की सरकारों ने अपनाया।

कांग्रेस की जनजाति विकास की नीति में थोड़ी बहुत सहानुभूति ही दिखती है परंतु प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने इसे समानुभूति एंपैथी में बदला है। मोदी जी जनजातियों के साथ अपनत्व के भाव से खड़े हैं वे जनजाति को अपना साथी मानते हैं अपने में से एक मानते हैं भारतीय विचारों को लेकर मानते हैं उन्हें लाइबिलिटी नहीं बल्कि एसेट मानते हैं इसी कारण जनजाति नायकों के गौरव को आगे बढ़ाने के लिए आजादी के अमृत महोत्सव में उन्होंने सैकड़ों कार्यक्रम करवाए और 15 नवंबर को क्रांति सूर्य भगवान बिरसा मुंडा जनजाति गौरव दिवस मनाने की घोषणा की है। पावन स्थल मान गढ़ धाम और उलीहातु की भी यात्रा की है।

कांग्रेस पार्टी बाबासाहेब अंबेडकर के युग निर्माणी चिंतन शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो के विपरीत जाकर जनजातियों की एकता को तोड़ा है, विदेशी मिशनरी के भरोसे छोड़ दिया और आरंभ में शिक्षित बनने से वंचित किया है। गरीब बनाए रखा।

संविधान के संदर्भ में आज यह जानना आवश्यक है कि सामाजिक न्याय के तहत जनजातियों के विकास के लिए भारत सरकार में जनजाति मंत्रालय किसने खोला? जनजातियों के हितों को किसने सोचा? मान्य अध्यक्ष महोदय सन 1999 में जब माननीय अटल बिहारी वाजपेई जब प्रधानमंत्री बने तब जनजातियों के विकास का एक मंत्रालय भारत सरकार में खोला गया और यही नहीं सन 2003 में संविधान में संशोधन करते हुए जनजातियों के हितों की रक्षा के लिए जनजातियों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन भी किया। इस बात को माननीय नरेंद्र भाई मोदी ने आगे बढ़ाया है जनजातियों के विकास के लिए बड़ी योजनायें बनाई। प्रधानमंत्री जनमन योजना व धरती आबा जनजाति उन्नत ग्राम अभियान जो क्रमशः 24000 करोड़ और 80000 करोड़ से अधिक की योजनाएं हैं यह वह समय है जिसमें जनजाति अंचल के अधूरे सभी कार्य पूरे किए जा रहे हैं।

कांग्रेस ने संविधान की हत्या की है। नेहरू जी ने 17 बार, इंदिरा गांधी ने 28 बार, राजीव गांधी 10 बार और मनमोहन सिंह सात बार संविधान संशोधन किए और अपने हितों के लिए गलत नीतियां लागू कीं। अन्य सांवैधानिक संस्थाओं की अवहेलना की।

तुष्टिकरण की राह पर चलती कांग्रेस ने इस बात का भी ध्यान नहीं रखा की मध्य प्रदेश में एक अपने ही उनके मुख्यमंत्री को बस्तर में 1952 में काले झंडे किसने दिखाए थे और उसके बाद नियोगी आयोग बना था उसने क्या अनुशंसा की थी। अलगाव, विखंडन और अराष्ट्रीय तत्वों को इन्होंने जानबूज कर प्रश्रय दिया ऐसा लगता है।

देश की जनजातियां भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। उसका कारण यह है कि सामाजिक न्याय के विषय को समय रहते धरातल पर नहीं उतरा परंतु आदिवासी अंचल में कानून व्यवस्था भंग होती चली गई और इन क्षेत्रों में अराष्ट्रीय तत्व लगातार होते चले गए। यह सब कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण हुआ यह अघोषित समर्थन कांग्रेस का ही रहा है।

एक और तथ्य उल्लेखनीय है। मोदी सरकार द्वारा संविधान के एक अस्थाई धारा 370 हटाने के बाद राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित हुई। एक प्रधान, एक विधान और एक निशान का

सपना पूरा हुआ। यह भी महत्वपूर्ण है कि इस धारा रहने के बाद जम्मू कश्मीर में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों को पहली बार आरक्षण का लाभ मिला। इससे नौकरियां, राजनीतिक और शैक्षणिक योजनाओं को लाभ ले पाए। यह माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी की महान देश को बड़ा तोहफा है। बड़ी उपलब्धि है।

जनजाति क्षेत्र के विकास के लिए संविधान की पांचवी अनुसूची को धरातल पर यदि किसी ने उतारा है तो वह भारतीय जनता पार्टी है। इसके तहत राजस्थान जैसे राज्य में अनुसूचित क्षेत्र की जनजातीय युवाओं के साथ ही साथ स्थानीय सभी युवाओं को नौकरियों में प्रतिनिधित्व मिला है। पेसा कानून के नियम भी बीजेपी ने बनाये। यह भाजपा की संविधान के प्रति सच्ची भावना है, और दूसरी ओर कांग्रेस की उपेक्षा का एक सबूत भी है।

जनजाति क्षेत्र के विकास के लिए संविधान की पांचवी अनुसूची को धरातल पर यदि किसी ने उतारा है तो वह भारतीय जनता पार्टी है। इसके तहत राजस्थान जैसे राज्य में अनुसूचित क्षेत्र की जनजातीय युवाओं के साथ ही साथ स्थानीय सभी युवाओं को नौकरियों में प्रतिनिधित्व मिला है। । पेसा कानून के नियम भी बीजेपी ने बनाये। यह भाजपा की संविधान के प्रति सच्ची भावना है, और दूसरी ओर कांग्रेस की उपेक्षा का एक सबूत भी है।

आज यह बताते हुए हर्ष की आदिवासियों के विषयों के लिए आज उनका सबसे बड़ा हितेषी यदि कोई है तो पीएम नरेंद्र मोदी जी है। संविधान के व भारत के सबसे बड़े हितेषी, वैश्विक नायक सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास एवं सबका प्रयास का नारा देने वाले माननीय नरेंद्र मोदी हैं। धन्यवाद।

*श्रीमती स्मिता उदय वाघ (जलगांव) : आज हम भारतीय संविधान की अंगीकरण की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। यह अवसर हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को औपचारिक रूप से अंगीकार किया गया, और 26 जनवरी 1950 से यह लागू हुआ। इस संविधान

* Speech was laid on the Table.

के माध्यम से हमें एक संप्रभु, लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में एक नई दिशा प्राप्त हुई।

इस संविधान ने न केवल हमारे अधिकारों की सुरक्षा की, बल्कि नागरिकों को उनके कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के प्रति भी जागरुक किया। हमारे संविधान का उद्देश्य समाज में समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की भावना को प्रोत्साहित करना है।

2015 में हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 26 नवंबर को संविधान दिवस (समविधान दिवस) के रूप में घोषित किया, ताकि हम भारतीय संविधान के अंगीकरण की महिमा को याद करें और उसकी मूलभूत विचारधारा न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व - को मन में जीवित रखें। इस दिन को मनाने से यह सुनिश्चित होता है कि हम अपने संविधान की संप्रभुता और उसकी रक्षा के लिए हर कदम उठाने को प्रतिबद्ध रहें।

इस साल, हम संविधान के अंगीकरण की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, और यह वर्ष हमारे संविधान के गौरवमयी इतिहास और उसके महत्व को फिर से एकत्र करने का अवसर प्रदान करता है। इस विशेष अवसर पर, मैं माननीय मोदी सरकार द्वारा किए गए कार्यों की सराहना करना चाहूंगी, जो भारतीय संविधान के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और उसकी रक्षा में लगातार प्रयासरत हैं।

पंचतीर्थ के रूप में पांच ऐसे प्रमुख स्थल स्थापित किए गए हैं, जो डॉ. भीमराव अंबेडकर की जीवन यात्रा और उनके संविधान निर्माण के योगदान को सम्मानित करने के लिए समर्पित हैं। ये पांच स्थान हैं:

महू (मध्यप्रदेश) - डॉ. भीमराव अंबेडकर का जन्म स्थान ।

लंदन (यूनाइटेड किंगडम) जहाँ डॉ. अंबेडकर ने अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त की और भारतीय संविधान के निर्माण के लिए अपनी वैचारिक नींव रखी।

नागपुर (महाराष्ट्र) - जहाँ डॉ. अंबेडकर ने बौद्ध धर्म अपनाया और सामाजिक न्याय और समानता के संघर्ष की शुरुआत की।

मुंबई (महाराष्ट्र) - चैत्यभूमि, जहाँ डॉ. अंबेडकर की अंतिम क्रिया संपन्न हुई।

दिल्ली (राष्ट्रीय राजधानी) जहाँ डॉ. अंबेडकर का निधन हुआ और उनकी विरासत आज भी

हमारे संविधान और समाज को प्रेरित करती है।

प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा इन पंचतीर्थ स्थलों के निर्माण से डॉ. अंबेडकर की योगदानों को सम्मानित किया गया है और यह आने वाली पीढ़ियों को सामाजिक न्याय और संविधान के महत्व को समझने का अवसर प्रदान करेगा। यह सरकार का एक अभूतपूर्व कदम है, जो डॉ. अंबेडकर के दृष्टिकोण को जीवित रखने में मदद करेगा।

प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने लगातार भारतीय संविधान को मजबूत करने के लिए कई नीतियाँ और पहल की हैं। सरकार ने सुनिश्चित किया है कि संविधान के मूल सिद्धांतों की रक्षा की जाए और समानता, न्याय और लोकतंत्र के लिए काम किया जाए।

इस साल के समारोह का विषय, "हमारा संविधान, हमारा स्वाभिमान" (Our Constitution, Our Pride) हमें यह याद दिलाता है कि संविधान सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह हमारे लोकतंत्र की आत्मा है।

आज के इस ऐतिहासिक दिन पर, हम सब संकल्प लें कि हम संविधान द्वारा निर्धारित अधिकारों और कर्तव्यों को निभाने के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे, और भारत को एक मजबूत, समृद्ध और न्यायपूर्ण राष्ट्र बनाएंगे। धन्यवाद ।

*__श्री प्रभुभाई नागरभाई वसावा (बारडोली) :__ आज इस ऐतिहासिक और गौरवमयी अवसर पर भारतीय संविधान की 75 वर्ष की यात्रा पर चर्चा की जा रही हैं। 26 नवम्बर, 1949 को हमारे संविधान को अपनाया गया था और 26 जनवरी, 1950 को यह प्रभावी हुआ। यह न केवल हमारे राष्ट्र की राजनीतिक स्थिरता का आधार है, बल्कि यह हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों, सामाजिक न्याय, और समानता का प्रतीक भी है।

हमारा संविधान न केवल भारत की विविधता को स्वीकारता है, बल्कि यह विविधता में एकता की भावना को भी प्रकट करता है। हमारे संविधान निर्माताओं ने हमारे समाज की विविधताओं को

---

* Speech was laid on the Table.

ध्यान में रखते हुए इसे इस प्रकार से तैयार किया कि यह समाज के हर वर्ग के अधिकारों की रक्षा करता है। यह संविधान न केवल भारतीयों के अधिकारों की रक्षा करता है, बल्कि यह पूरी दुनिया में एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत हुआ है।

हमारे संविधान में मौलिक अधिकार, धर्मनिरपेक्षता, स्वतंत्रता, समानता और सामाजिक न्याय की ऐसी नींव रखी गई है, जो एक लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में भारत की पहचान बन चुकी है। यह संविधान हमें जीवन के हर पहलू में समान अवसर देने का वचन देता है और यह सुनिश्चित करता है कि हर नागरिक को न्याय, स्वतंत्रता और सम्मान मिले।

संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 32 तक हम पाते हैं कि हमारे संविधान ने न केवल व्यक्तिगत अधिकारों को सुरक्षित किया है, बल्कि यह समाज के कमजोर वर्गों, महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के अधिकारों को प्राथमिकता दी है। 75 वर्षों के इस गौरवमयी सफर में, हम देख सकते हैं कि भारतीय संविधान ने हमेशा समानता, भाईचारे, और समावेशिता का मार्ग दिखाया है।

हमारा संविधान हर व्यक्ति को अपनी आवाज उठाने का अधिकार देता है। यह न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका के बीच शक्तियों का संतुलन बनाता है, ताकि कोई भी संस्था या व्यक्ति अपने अधिकारों का दुरुपयोग न कर सके। यह हमें यह सिखाता है कि भारत का हर नागरिक, चाहे वह किसी भी धर्म, जाति, भाषा, या क्षेत्र से हो, वह हमारे लोकतंत्र का अभिन्न हिस्सा है।

भारतीय संविधान ने समय-समय पर संशोधन स्वीकार किया है और यह संविधान का लचीलापन और विकासशीलता को दर्शाता है। हर संशोधन ने देश की बदलती परिस्थितियों और समाज की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए भारतीय समाज की सामाजिक, आर्थिक, और राजनीतिक संरचना को मजबूत किया है। हमारे संविधान की जीवितता इसी तथ्य में निहित है कि यह समय के साथ बदलता और निखरता रहा है।

हमारे संविधान ने हमें "संविधानिक मार्गदर्शन" के तहत चलने का अवसर दिया है, जो हमें विकास की दिशा में प्रगति करने के साथ-साथ अपने आदर्शों को बनाए रखने की प्रेरणा देता है।

इन 75 वर्षों में भारत ने अनेक उपलब्धियाँ हासिल की हैं। भारत ने एक मजबूत लोकतंत्र के रूप में अपनी पहचान बनाई और आज हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में गर्व महसूस करते हैं। भारत में हर चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष होते हैं, जो हमारी संविधानिक व्यवस्था की ताकत को प्रमाणित करते हैं।

भारत ने शिक्षा, स्वास्थ्य, विज्ञान, और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अपार प्रगति की है। आज हम चंद्रयान-3 की सफलता से लेकर, "मेक इन इंडिया", "आत्मनिर्भर भारत" जैसे अभियानों तक, वैश्विक मंच पर अपनी पहचान बना चुके हैं।

हालाँकि, 75 वर्षों में हमें कई सफलताएँ प्राप्त हुई हैं, लेकिन हमारे सामने कई चुनौतियाँ भी हैं। हमें अपने संविधान के आदर्शों को नए युग के अनुरूप और अधिक प्रभावी तरीके से लागू करने की आवश्यकता है। हमे यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारे संविधान में निर्धारित मूल्यों की रक्षा हो और यह देश की हर महिला, हर बच्चे, और हर नागरिक के लिए एक सशक्त और समृद्ध भविष्य का मार्ग प्रशस्त करे।

समाज में असमानताएँ, भेदभाव और अज्ञानता को समाप्त करने के लिए हमें निरंतर प्रयास करते रहना होगा। हमें अपने संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करनी होगी, ताकि आने वाली पीढ़ियाँ भी इस गौरवमयी संविधान के तहत अपने अधिकारों का सम्मान कर सकें और अपने कर्तव्यों का पालन कर सकें।

भारत का संविधान न केवल एक दस्तावेज़ है, बल्कि यह हमारे राष्ट्र की आत्मा है। यह संविधान हर नागरिक को अपनी आवाज़, अपने अधिकार, और अपनी स्वतंत्रता का आभास कराता है। 75 वर्षों की यात्रा में भारतीय संविधान ने हमें स्थिरता, समृद्धि, और न्याय की ओर मार्गदर्शन किया है। हम सभी को यह शपथ लेनी चाहिए कि हम अपने संविधान के आदर्शों की रक्षा करेंगे, और उसे पूरी तरह से लागू करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। हमें गर्व है कि हमारे पास एक ऐसा संविधान है, जो हमारी विविधता में एकता और हमारे लोकतंत्र में विश्वास को मजबूत करता है।

धन्यवाद।

*__SHRI C. N. ANNADURAI (TIRUVANNAMALAI):__ I take immense pride to express my views on celebration of 75th Constitution Day. The Constitution of India is a basic document which provides for everything we know as India today and it is a sacred document which has to be protected at any cost, whatever may be the challenges.

Today we are at the cusp of so many changes, and attacks on this sacred document which has been spearheaded by the present government including the one nation, one election which is going to be brought in this house in the coming days. Our Chief Minister Thalapathy MK Stalin has opposed this undemocratic move and assault on the constitution and Indian Polity and urged the democratic forces of this nation to fight this move tooth and nail. The Present BJP Government continues to undermine the vision of the forefathers and the dreams they had for the Independent India.

The present BJP Government ever since it took office since 2014 has been continuously undermining the rights of the minorities, underprivileged and adivasis by constantly eroding on the legislations brought for their upliftment. The present BJP Government has been undermining all the rights based legislations brought during the UPA government, such as Right to Work, Right to Information. All these rights are emerging from the Constitution which has been given concrete shape during the UPA Government, but the present Government has neglected

---

* Speech was laid on the Table.

them.

The first assault by this government is on our sovereignty. The Constitution declares India as a Sovereign state, implying freedom from external and internal domination. Yet, under the BJP, sovereignty has been compromised by corporate control. India's sovereignty is now at risk, not from foreign invaders but from domestic oligarchs empowered by the government.

The next idea that has been assaulted the most is Socialism. The government's aggressive privatization drive, targeting critical sectors like railways and healthcare, has deepened economic inequality, further marginalizing the poor while benefiting a wealthy few. This is not socialism; it is a direct assault on the poor, further entrenching inequality in our society.

Apart from these two ideals, there is an important ideal of our constitution and which is also a a basic feature of our constitution that has been attacked the most in this past one decade. That is Secularism. India, founded on the constitutional principle of secularism, is witnessing its very foundation being dismantled as this government brazenly weaponizes religion to polarize, oppress, and consolidate power.

The architect of our constitution Dr. B.R. Ambedkar has said:

> "Political democracy cannot last unless it lies at the base of its social democracy."

And for ensuring social democracy the Preamble promises Justice-social, economic, and political. However, under the BJP, justice has been replaced by targeted vengeance.

At the same time, as our party Leader Thalapathy MK Stalin has reiterated many a times that the centralizing tendency of the constitutional powers must be reversed and the states should be given more powers and devolution of powers should happen in a just manner. The union government should keep the powers which are only necessary to protect the sovereignty and integrity of the nation, external affairs and other such matters. The State Governments should be empowered to be truly federal organs of the country rather than mere municipalities as to implement the Union Government's directives. And at the same time, I also urge that the post of Governor is an unnecessary one and using the Governors, the BJP Government at the Union has been creating so many problems for the opposition rules states.

I thank for this opportunity to convey my thoughts on this historical occasion.

*__श्रीमती भारती पारधी (बालाघाट) :__ महान आत्मा बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था संविधान को समझना, उसके आदर्शों और मूल्यों को अपनाना, यह राष्ट्र की प्रगति का सबसे बड़ा आधार है।

आज हम यहाँ भारतीय संविधान के 75 वर्षों का उत्सव मना रहे हैं। यह एक ऐतिहासिक और गर्वपूर्ण अवसर है, जब हम न केवल अपने संविधान की महानता को सम्मानित करते हैं, बल्कि हम यह संकल्प लेते हैं कि संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों और कर्तव्यों का पालन करते हुए हम इसे और भी सशक्त और प्रभावी बनाएंगे। भारतीय संविधान हमारे लोकतंत्र की आत्मा है, और हम जिस मार्ग पर चल रहे हैं, उसमें यह संविधान हमारा मार्गदर्शक बनकर हमें एक सशक्त और समृद्ध राष्ट्र की ओर

---

* Speech was laid on the Table.

अग्रसर करता है।

मैं एक महिला सदस्य जो कि पार्षद से सीधा सांसद चुनकर इस महान लोकतंत्र के मन्दिर में आई हूँ, और यह ताकत हमारे संविधान ने हमें दी है-हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के प्रयासों ने दी है। संविधान ने हमें अधिकार और समानता का वह मूलमंत्र दिया है, जिसके आधार पर आज महिलाएँ, दलित, आदिवासी, और अन्य पिछड़े वर्ग अपने अधिकारों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी ताकत के बल पर मैं आज यहां आई हूँ, और यह हमें संविधान ही देता है।

हमारे संविधान के 75 वर्षों के सफर में हमने कई चुनौतियों का सामना किया, लेकिन संविधान के प्रति हमारी आस्था और विश्वास ने हमें हर संकट से उबार लिया। भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह न केवल नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है, बल्कि यह हमारे कर्तव्यों का भी निर्धारण करता है। संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर 32 तक, प्रत्येक अनुच्छेद हमारे अधिकारों और कर्तव्यों को सुनिश्चित करता है। अनुच्छेद 14 हमें समानता का अधिकार देता है, अनुच्छेद 21 हमारे जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा करता है और अनुच्छेद 32 हमें न्याय की शक्ति प्रदान करता है। इन अधिकारों के माध्यम से भारतीय संविधान यह सुनिश्चित करता है कि हम सभी को समान अवसर, समान अधिकार, और समान सम्मान प्राप्त हो।

साथ ही, भारतीय संविधान में हमारे समाज के हर वर्ग की भलाई के लिए कई विशेष प्रावधान किए गए हैं। राज्य के नीति निदेशक तत्व (Directive Principles of State Policy) ने हमेशा यह सुनिश्चित किया कि सरकारें समाज के सबसे वंचित वर्ग के लिए योजनाएं बनाएं और उन्हें लागू करें। यही वजह है कि भारत में समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, और लोकतांत्रिक आदर्शों को बढ़ावा दिया गया।

यदि हम भारतीय संविधान की तुलना अन्य देशों के संविधान से करें, तो हम पाएंगे कि भारतीय संविधान ने एक समावेशी दृष्टिकोण अपनाया है। संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान जहाँ संक्षिप्त है और ब्रिटेन का संविधान अनलिखित है, वहीं भारतीय संविधान ने बहुत व्यापक दृष्टिकोण अपनाया है। भारतीय संविधान ने यह सुनिश्चित किया कि हमारे नागरिकों के अधिकार न केवल कानून के तहत संरक्षित हों, बल्कि उनके सामाजिक और आर्थिक अधिकार भी सुनिश्चित किए जाएं। हमारे संविधान

में अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 जैसे प्रावधान हैं, जो समाज के सभी वर्गों को बराबरी का अधिकार प्रदान करते हैं। यही कारण है कि भारतीय संविधान को दुनिया भर में आदर्श माना जाता है।

आज जब हम संविधान के 75 वर्षों का उत्सव मना रहे हैं, तो हमें यह याद रखना चाहिए कि हमारे संविधान ने समाज के हर वर्ग को समान अधिकार और अवसर देने का काम किया है। यही नहीं, भारतीय संविधान में डॉ. भीमराव अंबेडकर द्वारा किए गए योगदान को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। बाबा साहेब डॉ. अंबेडकर ने हमें यह सिखाया कि समाज में समानता का अधिकार प्रत्येक नागरिक का है और इसके लिए हमें लगातार संघर्ष करना होगा। उनके शब्दों में, "हमारे संविधान में यदि कोई सबसे बड़ी शक्ति है, तो वह है न्याय, जो समाज के हर वर्ग को समान रूप से मिलता है।" उन्होंने संविधान के माध्यम से यह सुनिश्चित किया कि कोई भी भारतीय नागरिक जाति, धर्म, या लिंग के आधार पर भेदभाव का शिकार न हो।

हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व भारतीय संविधान को मजबूती देने की दिशा में अहम भूमिका निभा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, महिला शसक्तीकरण, आत्मनिर्भर भारत और जन धन योजना जैसी योजनाओं के माध्यम से न केवल सामाजिक समानता और सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया है, बल्कि संविधान के आदर्शों को वास्तविकता में बदलने के लिए नीतियाँ बनाई हैं। उनके नेतृत्व में भारत ने समाज के प्रत्येक वर्ग को सशक्त करने के लिए कई कदम उठाए हैं, जो संविधान की मूल भावना के अनुरूप हैं।

हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने कहा था – “संविधान वही अच्छा होता है जो प्रत्येक नागरिक की स्वतंत्रता की रक्षा करे, समाज में समानता और न्याय स्थापित करे। " - और भारतीय सविधान उसी रहा पर अपनी भूमिका निभा रहा है।

प्रधानमंत्री जी के इस दृष्टिकोण से यह स्पष्ट है कि हमारे संविधान का उद्देश्य सिर्फ अधिकारों की रक्षा करना नहीं है, बल्कि यह एक समृद्ध और न्यायपूर्ण समाज की ओर मार्गदर्शन करना है। प्रधानमंत्री मोदी जी का यह प्रयास है कि हर नागरिक को न केवल उसके अधिकार मिले, बल्कि उसे समान अवसर भी प्राप्त हों। महामान्य सदस्यगण, आज जब हम भारतीय संविधान के 75 वर्षों का

उत्सव मना रहे हैं, तो यह समय है कि हम संविधान के महत्व को और गहरे महत्व से समझें और संकल्प लें कि हम संविधान के आदर्शों का पालन करें। हम यह सुनिश्चित करें कि हर भारतीय नागरिक को उसके अधिकार मिले और कोई भी वर्ग संविधान से वंचित न रहे। सभापति महोदय, आइए, हम संकल्प लें कि हम संविधान के आदर्शों के अनुरूप अपना कर्तव्य निभाएँ और भारतीय लोकतंत्र को और भी सशक्त बनाएं। यही हमारी जिम्मेदारी है, और हम इसे निभाने के लिए हर कदम उठाएंगे।
कुछ पंक्तियों के माध्यम से में अपनी बात की विराम देना चाहूँगी- "संविधान हमारा गहना है, लोकतंत्र की शक्ति का पेड़ है, हम सबके अधिकारों का यह रक्षक है, यह हमारी गरिमा का देव है।"
जय भारत, जय संविधान, जय हिन्द! धन्यवाद

*__SHRI CHAMALA KIRAN KUMAR REDDY (BHONGIR):__ On this Constitution Day Debate, we are not only commemorating the adoption of our Constitution but also reflecting on its enduring significance in our nation's journey Crafted under the visionary leadership of Dr BR Ambedkar and other founding fathers, the Constitution is not merely a document - it is the moral compass of India's democracy, its secular ethos, and its federal character.

However, as we celebrate, it becomes imperative to confront the realities of our time, where the ideals enshrined in the Constitution face systematic erosion. Today, I wish to raise critical concerns about the deliberate weakening of constitutional principles, the undermining of institutions, and the growing disregard for democratic norms under the current regime.

Let us revisit the history and the momentous occasion when our constitution was adopted. Amid the cheers and joy, there were also some muted voices that

---

* Speech was laid on the Table.

were rather not content with the birth of a new 'sovereign', 'socialist' and 'secular' republic. One such voice was of RSS ideologue M.S. Golwalkar. He shockingly expressed disdain for the democratic principles enshrined in our holy constitution. In his writings, he dismissed the Constitution as a "Western import".

History tells us that the Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS), the ideological backbone of the ruling BJP, has always been uncomfortable with the Constitution. Soon after its adoption, the RSS's mouthpiece, Organiser, criticized it for lacking references to "ancient Bharatiya" texts like the Manusmriti. It went so far as to lament the Constitution's inspiration from Western democracies, advocating instead for laws based on a regressive, caste-based hierarchy.

The RSS's disdain extended to Dr Ambedkar himself, whose commitment to social justice and equality conflicted with their vision of a Hindu Rashtra. In its early publications, the RSS mocked Ambedkar's contributions, calling it a "travesty" to compare him with ancient lawgivers like Manu. Such a history makes the current government's proclaimed reverence for the Constitutiom appear bollow and opportunistic

Later in the years, in 1993, the Sangh Parivar published a "white paper", openly labeling the Constitution "anti-Hindu". Swami Hiranand, a key figure of the Parivar, declared: "The present Constitution is foreign-oriented... It has to be discarded completely as a matter of high priority. The damage done by two hundred years of British rule is negligible compared to the harm done by our Constitution.

During Atal Bihari Vajpayee's tenure as Prime Minister, a committee was

formed to review the Constitution. Although this was presented as move to modernize governance, opposition parties accused it of being an attempt to dilute secular and socialist provisions

The BJP-RSS ideology has not remained confined to rhetoric; it has seeped into governance. Consider these developments that starkly contrast with constitutional principles:

The Citizenship (Amendment) Act, 2019 (CAA), selectively grants. citizenship based on religion, excluding Muslims a direct violation of the secular ethos of the Constitution. This move has alienated millions, especially in Assam and the northeastern states, leading to widespread protests.

The Constitution envisions India as a cooperative federal state, but the BJP's actions-have-reduced federalism-to-a-free. Elected state governments in Madhya Pradesh, Karnataka, and Maharashtra have been destabilised through dubious means, including horse-trading and misuse of governors offices

The judiciary once a bastion of independence, is now under imtiense pressuna The government's refusal to honour collegium recommendations for judicial appointments reveals a dangerous trend of executive overreach. Simultaneously, independent media is being silenced through lawsuits, raids, and intimidation tacties, leaving citizens with fewer avenues for dissent.

Central agencies like the GBP and ED, instead of acting as impartial guardians of justice, have turned into political tools. The CBI and ED have become tools to silence dissent, functioning less like independent agencies and more like workers of Golwalkar's ideological framework. (CBI aur ED Golwalkar ke Chatte

Batte) Opposition leaders are disproportionately targeted while ruling party members enjoy immunity. This is not governance; this is a vendetta.

In the last few weeks, we have witnessed the BJP's contempt for democratic practices. Rahul Gandhi, the Leader of the Opposition, was prevented from visiting Sambhal in Uttar Pradesh, where victims of violence awaited his support. This blatant abuse of prohibitory orders highlights how the ruling regime suppresses opposition voices.

The use of bulldozers against marginalized communities, particularly Muslims, is another disturbing trend. Under the guise of anti-encroachment drives, entire communities have been displaced, their homes demolished. In Uttar Pradesh, entire settlements of Muslims have been razed, with no regards for the face that many resident held valid property documents. This is not development, it is a direct assault on the rights and dignity of the poor and minorities. The bulldozer is no longer a tool for urban development, it has become a symbol of fear, intimidation, and state-sponsored persecution.

In the name of religious restoration, the government is fanning communal flames. The attempt to "unearth" temples beneath mosques is not about heritage, it is about stoking religious divisions for political gain. The government's campaign destabilizing India's secular fabric, and the consequences disastrous for the unity and harmony of this nation. Between 2017 and 2021, India will be recorded over 2,900 cases of communal or religious rioting, with 378 incidents in 2021 alone.

"Secular tha samvidhan, sabke liye ek samaan,

Par baant rahe hanin logon ko, dharm ke naam.

Jo the naye Bharat ke sapno ke sipahi,

Ban rahe hain nafrat ke saudagar wahi."

Moreover, the BJP's hypocritical stance on free speech was exposed when it organized grand celebrations for Constitution Day while curtailing Parliamentary debate. Bills are being passed without proper discussion, reducing Parliament to a mere rubber stamp. What would Dr Ambedkar say if he saw the temple of democracy being hollowed out like this?

The Preamble calls for Fraternity, assuring unity and brotherhood. Yet, this government thrives on division. In Manipur, ethnic violence has displaced over 60,000 people and claimed hundreds of lives, with no serious effort from the government to restore peace. Hate campaigns and targeted propaganda against minorities are organized in the name of Dharma Sansads which have destroyed the social fabric of communities.

The undermining of constitutional principles isn't just a political issue it has severe socioeconomic consequences. For example:

The government's high-handedness during the farm law protests showed complete disregard for democratic dialogue. Although the laws were repealed, the approach left scars on India's agrarian community, raising questions about how federal consultations were ignored.

Welfare programs are increasingly coloured by religious and ideological bias. For instance, certain states have seen welfare schemes favouring specific communities, leading to resentment and further polarization.

It is ironic that the Prime Minister often refers to the Constitution as the "holy

book," while his government systematically undermines its provisions. The actions speak louder than words: the abrogation of Article 370 without consultation with Jammu and Kashmir's legislature was a blatant violation of federal principles. Similarly, the delay in conducting elections in the region undermines the democratic process.

Today, the BJP celebrates the Constitution not out of love for it but because they are compelled to do so. As one of their leaders sarcastically remarked, they "love the Constitution because they couldn't push it beyond Article 240." Their agenda remains to dismantle its progressive and inclusive nature a fact underscored by the careless remarks of Diyakumari and others, exposing their disdain for constitutional values. It is unfortunate for the BJP, but fortunate for the people, that their true intentions have been exposed time and again.

On Constitution Day, we should ask: Is this government truly committed to upholding the Constitution, or is it merely using it as a façade to push its divisive agenda?

Today, we must pledge not just to celebrate but to safeguard our Constitution. Let us:

- Strengthen institutions by ensuring their independence and impartiality.
- Promote federalism by respecting the autonomy of state governments.
- Protect secularism by rejecting discriminatory policies.
- Encourage democratic debate by fostering free speech and dissent.

The people of India have entrusted us with the responsibility of upholding

the Constitution. Let us not fail them. Let us not let history remember us as the generation that allowed democracy to crumble.

In conclusion, I would like to a quote from Dr Ambedkar, who said, "However good a Constitution may be, if those who are implementing it are not good, it will prove to be bad." The onus is on us to ensure that our actions align with the vision of the Constitution's framers. Let us rise above petty politics and preserve the soul of our democracy.

Thank you.

***श्री शशांक मणि (देवरिया) :** यह मेरे लिए सम्मान की बात है कि मुझे उस पवित्र पुस्तक पर अपने विचार व्यक्त का अवसर मिला, जिसने हमारे लोकतंत्र को जन्म दिया है- हमारा संविधान। एक ऐसा ग्रंथ जिसने पिछले 75 वर्षों से दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को मार्गदर्शन दिया है। मैं इस सदन का ध्यान संविधान से संबंधित तीन विषयों पर आकर्षित करना चाहता हूं-संस्कृति का प्रभाव, सामान्य नागरिक की भूमिका और सबका प्रयास से सबका विकास।

हमारे संविधान की मूल सोच भारतीय संस्कृति से जुड़ी है और आजादी के 90 साल पहले साधारण नागरिकों ने उसकी रक्षा की है। वर्ष 1857 की क्रांति हमारी संस्कृति की रक्षा के लिए थी, जिसे पूर्वांचल में बलिया के मंगल पांडेय और वाराणसी के साधारण परिवार में जन्मी लक्ष्मी बाई ने चिंगारी दी। इसके पहले 1855 में संथालों का विद्रोह हुआ और 1857 की क्रांति के बाद 1900 में भगवान बिरसा मुंडा के झारखंड में आदिवासियों को स्वतंत्रता के लिए प्रेरित किया। इन साधारण क्रांतिकारियों की बलिदानी से राजनीतिक स्वतंत्रता तो नहीं मिली, लेकिन सांस्कृतिक स्वतंत्रता जरूर मिली। इस क्रांति के परिणाम स्वरूप क्वीन विक्टोरिया को 1 नवंबर, 1858 को धर्म परिवर्तन को रोकने का ऐलान करने को बाध्य कर दिया। स्वतंत्रता के इस प्रारंभिक संग्राम में एक दो राजाओं को

* Speech was laid on the Table.

छोड़कर अधिकांश राजाओं ने साधारण क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया। ब्रिटिश साम्राज्य ने इन राजाओं को मानसिक रूप से बंधक बना लिया, जिसके कारण संभ्रांतवादी सोच बढ़ी। आजाद भारत का यह कटु सत्य है कि वही नागरिक और वही क्षेत्र जो स्वतंत्रता के लिए लड़े थे, उनको कई सालों तक प्रताड़ित किया गया, जिसमें मेरा क्षेत्र पूर्वांचल भी शामिल है।

स्वतंत्रता की पहली क्रांति के 28 साल बाद एक ब्रिटिशर्स एलन ऑक्टेवियो ह्यूम ने कांग्रेस पार्टी की नींव रखी। स्वाभाविक है कि यह पार्टी भी संभ्रांतवाद को बढ़ावा देती रही और ब्रिटिश साम्राज्य से समझौता करती रही। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने जब पूर्ण स्वराज का नारा दिया और लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, अरबिंदो, और बाद में वीर सावरकर ने इनका साथ दिया, तब जाकर पहली बार असली स्वतंत्रता की ज्वाला उठी। इसी विषय को लेकर 1907 में कांग्रेस दो हिस्सों में हो गई। 75 साल पहले संविधान सभा में एक महत्वपूर्ण बहस हुई, जिसमें एक पक्ष आम आदमी की दयनीय स्थिति, विशेष रूप से एससी/एसटी वर्ग के उत्थान की सोचते थे, और दूसरी ओर वो लोग थे जो उपनिवेशी ब्रिटिश सोच का अनुसरण कर रहे थे। संविधान सभा में 25 और 26 मई 1949 को आदरणीय बाबा साहेब अम्बेडकर जी और श्री नेहरू जी के बीच तीखी बहस हुई। इस बहरा में श्री नेहरू जी ने आरक्षण का विरोध किया था, जबकि वह जानते थे कि दलितों और पिछड़े वर्ग को सहयोग की आवश्यकता थी। अंत में महात्मा गांधी जी की मदद से बाबा साहेब ने जीत हासिल की। इसके लिए श्री नेहरू जी ने बाबा साहब अम्बेडकर को माफ नहीं किया और यह भी सुनिश्चित किया कि 1952 के दूसरी चुनावों में उन्हे हराकर घर बिठा दिया।

संविधान हमें 26 जनवरी 1950 को मिला, लेकिन आश्चर्यजनक बात यह है कि इसके 18 महीने बाद 1951 में श्री नेहरू ने संविधान पर प्रहार किया। उन्होने अपनी तानाशाही दृष्टिकोण अपनाते हुए नागरिक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी क्लॉज 19 (1A) को कमजोर किया। इसके विरोध में आदरणीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के नेतृत्व में इस पर दो हफ्ते तक तीखी बहस चली, लेकिन कांग्रेस का संभ्रांतवादी और उपनिवेशी दृष्टिकोण हावी रहा। श्रीमती गांधी जी द्वारा प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्ति हमारे देश और संविधान के इतिहास में सबसे हीन समय था। उस समयकाल से नेहरू-गांधी परिवार

और कांग्रेस का संभ्रांतवाद और परिवारवाद की मानसिकता प्रखर रुप से सामने आयी। श्रीमती गांधी जी ने आपातकाल में संविधान की प्रस्तावना में दो मुख्य विवारधाराओं - समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता को शामिल किया। समाजवाद मर रहा था और हर भारतीय जानता है कि भारत स्वाभाविक रूप से धर्मनिरपेक्ष देश है। हमारी पवित्र संवैधानिक पुस्तक में अनेक चित्र अनेक धर्मों की कहानी बताते हैं, जो देश को सांस्कृतिक रुप से जोड़ते हैं। जब आदरणीय प्रधानमंत्री कहते हैं 'एक भारत श्रेष्ठ भारत', तो यह केवल संविधान के 1,10,000 शब्दों में नहीं है, बल्कि नंदलाल बोस और उनके सह-कलाकारों द्वारा बनाए गए चित्रों में उल्लेखित है - राम, अर्जुन, बुद्ध, महावीर द्वारा प्रसारित संस्कृति जो हमें राष्ट्र के रूप में एकजुट करती है। इसी कांग्रेस ने न केवल अनदेखा किया, बल्कि तुष्टिकरण की राजनीति के माध्यम से इसे दबाने की कोशिश की, लेकिन जब भी मां भारती पर इस प्रकार के हमले हुए हैं, तब हमारी संस्कृति ही नहीं, साधारण भारतीय उन्हें बचाने के लिए उठ खड़े हुए हैं। 1857 में यही हुआ और 120 साल बाद 1977 में भी यही हुआ, जब भारत की जनता ने इस तानाशाही सरकार को सत्ता से बाहर किया और यह 'गरीबी हटाओ' के ढोंग के बावजूद हुआ। गरीबी हटाओ के नारे को कांग्रेस के लोग गरीबों के सामने बोलते रहे और अभिजात वर्ग का पक्ष लेते रहे, जिसकी उत्पत्ति थी लाइसेंस राज। दूसरी तरफ श्री राजीव गांधी जी ने खुद स्वीकार किया था कि केवल 15 रुपये आम नागरिकों तक पहुंचते हैं और बाकी 85 रुपये बीच में ही चुरा लिए जाते हैं। 'WE THE PEOPLE' के बजाय करीब 60 साल तक भारत को We the Parivar का युग झेलना पड़ा।

हमें गर्व है कि आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में 'वी द पीपल' यानी आम नागरिक पर ध्यान केंद्रित करने मे में एक नए अध्याय की शुरुआत हुई। हम में से कई लोग उस प्रेरणादायक काव्य 'अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा कमल खिलेगा' के काव्यात्मक उत्थान से प्रेरणा लेते रहे हैं और देश में पहली बार राष्ट्रवादी पार्टी सामने आई, जो संविधान की सुरक्षा, सामान्य नागरिक की देख भाल के लिए प्रतिबद्ध थी। सम लला को हमारे संविधान के पन्नों में ही नहीं, राम राज्य को राम मंदिर के आंदोलन से जनजन के मन में उतार दिया।

आदरणीय वाजपेयी जी ने एक कविता में यह भी कहा:-

पंद्रह अगस्त का दिन कहता आजादी अभी अधूरी है,

सपने सच होने बाकी, राखी की शपथ ना पूरी है।

उसी आजादी को पूर्ण करने के लिए 2014 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ऐतिहासिक जनादेश ने संविधान और देश को अभिजातवाद, उपनिवेशी सोच और परिवारवाद से बचाया और विकास की प्रबल धारा में देश बढ़ने लगा। अनुच्छेद 370 खत्म हुआ, रामलला के मंदिर का निर्माण हुआ, महिला अधिनियम से राखी की शपथ भी पूरी होती लग रही है। देश को 63 वर्षों इंतजार करना पड़ा, ताकि संविधान का असली नायक आम नागरिक आगे आए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 2014 में संसद की सीढ़ीयों और 2024 में संविधान के सामने झुककर उस सम्मान को व्यक्त किया। वर्ष 2024 के चुनावों में हमने संविधान पर एक और प्रहार देखा, खासकर उत्तर प्रदेश में। संविधान के प्रति भ्रांतियां फैलाने में सीमा पार से सोशल मीडिया, इंटरनेट की ईस्ट इंडिया कंपनी, सोरोस जैसे भारत विरोधी तत्वों के साथ भारत पर डिजिटल के माध्यम से प्रहार कर रहे हैं। यह सदन देख रहा है कि वही परिवार जो पांच पीढ़ियों से हमारे संविधान पर हावी है, संविधान को लेकर घड़ियाली आंसू बहा रहा है। आज देश देख रहा है कि उसी परिवार के भाई-बहन की जोड़ी इस सदन में बैठी है, परिवारवाद का प्रत्यक्ष प्रमाण है। लेकिन आइये, अमृत काल की शुरुआत में हम संविधान को एक नए दृष्टिकोण से देखें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा दिया गया प्रेरणादायक मंत्र सबका प्रयास को सबके विकास से जोड़ें। नागरिकों की यह नई भूमिका संविधान को और राष्ट्र की व्यवस्था को नया आयाम दे रही है। 'सबका प्रयास' संविधान की प्रस्तावना का चौथा शब्द 'बंधुत्व' या Fraternity को आगे लाता है।

एक सांसद के रूप में, 'सबका प्रयास' मुझे केवल देवरिया लोकसभा के 18.7 लाख नागरिकों को वोट करने के लिए ही नहीं, बल्कि अपने क्षेत्र के विकास में योगदान देने को प्रोत्साहित करती है। हमारा पवित्र संविधान इसी ऊर्जा की खोज करने की प्रेरणा देता है। यह ऊर्जा मेरे संसदीय क्षेत्र के देवरिया शहर, फाजिलनगर नगरपालिका, बारारी गांव और अन्य स्थानों में रहने वाले नागरिकों में हैं। यह ऊर्जा उन 150 उद्यमियों में दिखती है, जिन्होने करीब 7,000 स्थानीय रोजगार का सृजन किया

है। न्याय, स्वतंत्रता और समानता जो संविधान की प्रस्तावना में है, इस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए, लेकिन जिस गणतांत्रिक ऊर्जा की आवश्यकता विकसित भारत को है, वह बंधुत्व पर ध्यान केंद्रित करने से ही मिलेगा। इस शब्द से ही 'सबका प्रयास से सबका विकास' 140 करोड़ नागरिकों की ऊर्जा को राष्ट्र निर्माण के लिए कार्यान्वित करता है। 'सबका प्रयास से सबका विकास' उद्यमिता के माध्यम से कार्यान्वित होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हम देवरिया में संस्कृत भाषा, और स्थानीय संस्कृति की शक्ति का उपयोग कर रहे हैं। उद्यमिता के लिए निर्माण के देवता विश्वकर्मा भगवान को जन सामान्य के बीच पुनः प्रस्तुत कर रहे हैं। आदरणीय दीनदयाल जी के अंत्योदय और एकात्म मानववाद ने जातिगत विभाजन के विपरीत हमारे देश को एक जुट होकर आगे बढ़ाने की सीख दी थी। उद्यमिता किसान, महिला, युवा और गरीब 'WE THE PEOPLE' को अपने जीवन में स्वावलंबी बनाने का उपकरण देती है। वहीं कांग्रेस कई वर्षों तक 'वी द परिवार' और 'WE THE ELITE' से अपने स्वार्थ के लिए काम कर रही है। 'इंडी' गठबंधन' ने स्वालंबन के बजाय निर्भरता को बढ़ावा दिया, जो 2024 चुनावों में किए गए झूठे वादों में प्रदर्शित हुई।

आइए, अमृत काल में हम फिर, 'WE THE PEOPLE' को 'WE THE PEOPLE WITH RESPONSIBILITY TO BUILD' से परिभाषित करें। इसके लिए सरकार को 'जामवंत' की भूमिका निभानी पड़ेगी। जब समाज को प्रोत्साहन मिलेगा तो हमारा देश सुनिश्चित करेगा कि लोग राज्य की सेवाओं के लाभार्थी तो होंगे, साथ ही इस देश के नागरिकों की हनुमान शक्ति को सरकार द्वारा सक्षम किया जाए, ताकि विकसित भारत का सूरज उगे। यही उपदेश रामायण के एक छंद में जामवंत जी हनुमान जी को देते हैं :-

कहि ऋच पति सुन हनुमान, का चुप साधी रही हनुमान,

पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान विधाना।

हमारे नागरिकों में अनेक शक्तियां हैं और हमारा संविधान उसे उजागर करने की प्रेरणा देता है। हमारे लोकतंत्र में नागरिकों को मुख्य धारा में लाने के लिए हमारे संविधान, हमारे प्रधानमंत्री और सरकार प्रतिबद्ध है। यही विकसित भारत को वेग देगा, और इसके माध्यम से संविधान के 75वें वर्ष में

हम संविधान को सही पुष्पांजलि अर्पित करेंगे।

*SHRI G. M. HARISH BALAYOGI (AMALAPURAM):** Thank you for giving me the opportunity to express my views on the important occasion - 75th year of the Adoption of our Constitution. As a young, first time member of Parliament, I am deeply aware of the fact that I am able to stand here due to the collective efforts and sacrifices throughout our collective history of prominent leaders such as Amarjeevi Potti Sreeramalu (Father of Andhra Pradesh), Bhagya Reddy Verma (prominent Dalit Leader), Talisetti Venkatachalapathi, Constituent Assembly representatives such as Durgabai Deshmukh, Sardar Nagappa, Dakshyani Velayudhan (Only Dalit Lady in the Parliament) and Dr Bhim Rao Ambedkar, in whose honour the new district of Konaseema, my district, was named. I hope their works will serve to inspire my fellow country-people, brothers and sisters alike and work harder towards our collective aim of nation building - an Aatmanirbhar Vikisit Bharat.

Our Constitution is a very unique document. It is a living gift from our past that continues to grow, accommodating the requirements of our present as well as the future. It provides for the welfare, upliftment and protection of all especially those belonging to socially backward, scheduled castes and scheduled tribes the Bahujans.

This is all because of the tireless efforts of Dr BR Ambedkar. He stands tall in our collective history and is amongst those titans whose contributions go above

---

* Speech was laid on the Table.

and beyond all religious, social and economic barriers prevalent in our country's past and at present. 1 firmly believe that his works across subjects such as Economy (The Problem with the Rupee), Languages (Thoughts on linguistic states) and social justice showcase his depth of knowledge. There is a reason that members of each generation, not only our country but across the world, resonate with the teaching and writings of Babasaheb. Through you, I would like to urge our youth to read his works and be inspired by his exceptional life.

We can see the power of the Constitution in action wherein it took a humble son of a farmer in coastal Andhra, inspired by the teachings of Dr Bhim Rao Ambedkar, to become a three-time MP from Amalapuram and the first Dalit speaker of this house, my father Shri GMC Balayogi. He was conscious of the importance that our Constitution played in him being able to represent his people in the Lok Sabha and passionately advocated for enhancing the rights of SC/ST individuals as enshrined under Articles 14,15,16,17 and 46 of our Constitution.

There are a few of his contemporaries from the early 90s and 2000s present here today amongst us across party lines who may recall hearing his speeches. After reading his words and interacting with his peers, I find it a matter of concern that the core issues holding back the development of Bahujans thirty years ago remain equally prevalent, especially over the last five years in Andhra Pradesh. These serious situations arise despite the combined efforts of legislature, executive and judiciary. This underscores our collective responsibility as Parliamentarians not just to our nation and its citizens, but to the dreams, aspirations and hopes of those countless individuals such as my father who

worked tirelessly in this Parliament for the benefit of the Bahujans and Sc/STs. This leads to a pertinent question, how are we to do so?

As a member of the Telugu Desam Party, entrusted with responsibility by my party leader Sri Nara Chandrababu Naidu, Nara Lokesh Garu and inspired by the teachings of my father Shri GMC Balayogi, I entered this Parliament with excitement and a keen sense of duty to my people and our nation. However, it disheartens me to say that each one of us has failed our billion brothers and sisters. For some time now, our House has been plunged repeatedly into chaos as we all collectively, consciously reduced ourselves to political bickerings.

I am sure that I am not the only one who feels this way. All my fellow Members who are in this house for the first time across parties, many of them who are yet to speak here, may also be feeling just as disappointed as I am. For the last few days, we have been coming here filled with excitement to participate in debates in our temple of democracy, only to have the doors shut in our faces as sessions are adjourned one after the other.

We all, irrespective of party lines have been denied the right to raise important issues and our people have been denied the right to see the power of their vote in motion- a right granted by the Constitution itself.

So I ask each and every one of you: Who will give me, my constituents and the people of our country the time we have lost? No one.

As I conclude my views, I quote the Builder of our Nation Sardar Vallabhbai Patel: "By common endeavor, we can raise the country to a new greatness, while a lack of unity will expose us to fresh calamities."

I urge my fellow parliamentarians to put aside our differences and come together to work for our nation's growth. My father firmly believed that only if the principles of our constitution were enforced in letter and spirit could our country grow out of its caste and class-ridden past. Let us join hands and work together to take our country and all its citizens, irrespective of caste, creed, religion, sex or gender to greater heights and prosperity- just as our forefathers envisioned when they gifted us our Constitution.

****श्री हरेन्द्र सिंह मलिक (मुजफ़्फ़रनगर) :** हमारा संविधान अपने सभी नागरिको को इस बात की गारंटी देता है कि:

"हम, भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी , पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, तथा उसके समस्त नागरिकों को, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, प्राप्त कराने के लिए, तथा उन सब में, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखण्डता सुनिश्चित कराने वाली, बन्धुता बढ़ाने के लिए, दृढ़ संकल्पित होकर अपनी संविधानसभा में आज तारीख 26 नवम्बर 1949 ई० को एतद्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।"

संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा गया समानता का अधिकार जो सभी नागरिको को कानून के समक्ष समानता-राज्य भारत के क्षेत्र के भीतर किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानूनों के समान संरक्षण से इनकार नहीं करेगा। अनुक्छेद 15. धर्म, नस्ल, जाति के आधार पर भेदभाव का निषेध लिंग या जन्म स्थान.- राज्य किसी भी नागरिक के खिलाफ भेदभाव नहीं करेगा केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर। कोई भी नागरिक,

* Speech was laid on the Table.

केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, स्थान के आधार पर नहीं जन्म या उनमें से कोई भी, किसी भी विकलांगता, दायित्व, प्रतिबंध या के अधीन हो के संबंध में शर्त दुकानों, सार्वजनिक रेस्तरां, होटलों और सार्वजनिक स्थानों तक पहुंच मनोरंजन; कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों और स्थानों का उपयोग सार्वजनिक रिज़ॉर्ट पूर्णतः या आंशिक रूप से राज्य निधि से संचालित या समर्पित आम जनता के उपयोग के लिए. बोलने की स्वतंत्रता हमें अनुच्छेद 19 देता है जिसमे हम अपनी व्यथा पीड़ा सब बता पाने के लिए स्वतंत्र है (1) सभी नागरिकों को अधिकार होगा - (ए) भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता; (बी) शांतिपूर्वक और बिना हथियारों के इकट्ठा होना; (सी) संघ या यूनियन बनाना 2 (डी) भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने के लिए; (ई) भारत के क्षेत्र के किसी भी हिस्से में निवास करना और बसना; 1 (छ) कोई पेशा अपनाना, या कोई व्यवसाय, व्यापार करना आदि लेकिन इस सरकार ने किसानो की मजदूरों की और शोषित अल्पसंख्यक वर्ग की आवाज को कितनी बेरहमी से दबाया है हम सब से छुपा नहीं है स्वतंत्रता के अधिकारों में अनुच्छेद 21-क में शिक्षा का अधिकार है हमारे देश का हर नौनिहाल पढ़े और देश को तरक्की की ओर लेकर जाए यही इसका उद्देश्य है लेकिन इस सरकार ने जिस तरह से शिक्षा का भगवाकरण करने का प्रयास किया है वह निंदनीय है। संविधान के अनुच्छेद 48 पूरी तरह से किसान के लिए बनाया गया है लेकिन बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि ये किसान विरोधी सरकार असंवैधानिक तरीके से किसानो के अधिकार भी छीनती जा रही है। धर्म के आधार पर भेदभाव को रोकने के लिए हमारे संविधान में अनुच्छेद 25 30 तक कहा गया है अनुच्छेद 25 अंत:करण के आधार बेरोक टोक धर्म माने जाने की स्वतंत्रता देता है लेकिन धर्म के आधार पर आज हमारे देश में ये सरकार क्या कर रही है उससे न सिर्फ संविधान का हनन हो रहा है बल्कि देश का भाईचारा भी समाप्त हो रहा है। देश में खोज खोज कर मस्जिदों के खुदाई का कार्य चल रहा है जो की असंविधानिक भी और गैर न्यायसंगत भी इसका हमारे मुल्क की एकता पर बड़ा गहरा असर पड़ेगा। मै इस शेर के जरिये उन सभी को आगाह करना चाहता हूँ जो हिन्दू मुस्लिम और धर्म के झगड़ो में लगे है:

वतन की फ़िक्र कर नादाँ मुशीबत आने वाली है

तेरी बरबादियो के मशविरे है आसमानों में न संभलोगे

गर हिन्दोस्तां वालो तुम्हारी दास्ताँ भी न हो इस दस्तानों में।

***श्रीमती मंजू शर्मा (जयपुर) :** भारतीय संविधान को राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान जागृत राजनीतिक चेतना का परिणाम माना जाता है। राष्ट्रीय आंदोलन या स्वतंत्रता संघर्ष की पृष्ठभूमि में समाज के विभिन्न वर्गों- पुरुष, महिला, श्रमिक, विद्यार्थी, वकील, पूंजीपति के साथ-साथ विभिन्न क्षेत्रों- पूर्वोत्तर, पश्चिमोत्तर, दक्षिण और उत्तर-मध्य के बीच बेहतर समन्वय देखा गया। इसी समन्वय और विभिन्न वर्गों की महत्त्वाकांक्षाओं की पृष्ठभूमि में भारतीय संविधान का निरूपण किया गया और इसकी प्रस्तावना में राज्य की शक्ति को जनता में निहित बताया गया।

भारतीय संविधान में सभी वर्गों के हितों के मद्देनज़र विस्तृत प्रावधानों का समावेश किया गया है, साथ ही सर्वोच्च न्यायालय की विभिन्न व्याख्याओं के माध्यम से भी बदलती परिस्थितियों के अनुसार विभिन्न अधिकारों को सम्मिलित किया गया। इसके परिणामस्वरूप स्वतंत्रता के 70 वर्षों पश्चात् भी भारतीय संविधान अक्षुण्ण, जीवत और क्रियाशील बना हुआ है।

संविधान नियमों और उपनियमों का एक ऐसा लिखित दस्तावेज़ है, जिसके आधार पर किसी राष्ट्र की सरकार का संचालन किया जाता है। यह देश की राजनीतिक व्यवस्था का बुनियादी ढाँचा निर्धारित करता है। यह कहा जा सकता है कि प्रत्येक देश का संविधान उस देश के आदर्शों, उद्देश्यों व मूल्यों का संचित प्रतिबिंब होता है। संविधान एक जड़ दस्तावेज़ नहीं होता, बल्कि समय के साथ यह निरंतर विकसित होता रहता है। इस संदर्भ में भारतीय संविधान को एक प्रमुख उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। भारत में संविधान के निर्माण का श्रेय मुख्यतः संविधान सभा को दिया जाता है।

संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम वर्ष 1934 में वामपंथी नेता एम.एन. रॉय द्वारा दिया गया था। वर्ष 1946 में 'क्रिप्स मिशन' की असफलता के पश्चात् तीन सदस्यीय कैबिनेट मिशन

---

* Speech was laid on the Table.

को भारत भेजा गया। कैबिनेट मिशन द्वारा पारित एक प्रस्ताव के माध्यम से अंततः भारतीय संविधान के निर्माण के लिये एक बुनियादी ढाँचे का प्रारूप स्वीकार कर लिया गया, जिसे 'संविधान सभा' का नाम दिया गया। भारत का संविधान देश का सर्वोच्च कानून है।

भारतीय संविधान आज़ादी के 75 वर्षों बाद भी एक जीवंत दस्तावेज़ की तरह अपना अस्तित्व बनाए हुए है। भारतीय न्यायपालिका और संवैधानिक व्याख्या की प्रक्रिया अनवरत विकास कर रही है। आवश्यक है कि संविधान के माध्यम से भारतीय न्यायपालिका की पारदर्शिता और जवाबदेही के मध्य संतुलन और न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनाए रखने का प्रयास किया जाए।

भारतीय संविधान भारत के नागरिकों का एकता का केंद्र बन गया है। यह एक ऐसा तरीका है जिसके माध्यम से लोग अपने अधिकारों और उपचार का दावा करते हैं। संविधान प्रशासन द्वारा मनमानी कार्यवाही से संबंधित मुद्दों पर अंकुश लगाने में सहायता करता है। भारत में आज अगर हम स्वतंत्र रूप से सम्मान के साथ रह रहे हैं, तो यह संविधान के कारण है। संप्रभुता, लोकतंत्र और स्वतंत्रता, अधिकार तथा कर्त्तव्य सभी शासकीय मानदंडों को मिलाकर सबसे बड़ी संपत्ति भारत का संविधान बनाया गया है।

संविधान सभा के सदस्यों की संख्या शुरुआत में 389 थी जिसमें 15 महिलाएं भी शामिल थीं, जो काफी सशक्त थीं और जिन्होंने देश का संविधान गढ़ने में अहम भूमिका निभायी थी. इन 15 महिलाओं में से कुछ महिलाओं को ही जनता जानती है. बाकी महिलाएं गुमनामी के अंधेरे में खो गयी हैं. आइए जानते हैं गणतंत्र दिवस के मौके पर उन महान महिलाओं को जिन्होंने महिला अधिकारों की वकालत संविधान सभा में की थी।

अम्मू स्वामीनाथन एक सामाजिक कार्यकर्ता थीं। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में अहम भूमिका निभाई थी। साथ ही वे संविधान सभा की सदस्य थी। अम्मू का जन्म केरल के पालघाट जिले में हुआ था। उनके माता-पिता नायर समुदाय से थे. अम्मू की शादी 20 साल बड़े सुब्बारामा स्वामीनाथन से हुई थी। स्वामीनाथन ने अम्मू की शिक्षा पर बहुत जोर दिया था और उनकी प्रतिभा को निखरने का पूरा अवसर दिया गया था। 1952 में वे राज्यसभा की सदस्य चुनी गयीं और विभिन्न संस्थाओं से भी

जुड़ी रहीं. उन्हें 1975 में मदर ऑफ दी ईयर' चुना गया था।

विजया लक्ष्मी पंडित पहली महिला थीं, जिन्हें भारत में कैबिनेट मंत्री बनने का गौरव हासिल हुआ. उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया था। वे भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरु की बहन थीं। उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा था. वह संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष बनने वाली विश्व की पहली महिला थीं. वे राजदूत और राज्यपाल के पद पर भी रहीं थी।

भारत की नेत्रियों में सरोजिनी नायडू सबसे सशक्त थीं और उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज भी करायी. सरोजिनी का जन्म हैदराबाद में 13 फरवरी 1879 को हुआ था। सरोजिनी एकमात्र ऐसी महिला हैं, जिन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष होने का गौरव प्राप्त है। उन्होंने किंग्स कॉलेज (लंदन) और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की थी। स्वतंत्रता आंदोलन में उन्होंने सक्रिय रूप से भाग लिया और कई बार जेल भी गयीं. सरोजिनी नायडू एक सशक्त कवयित्री भी थीं।

उत्तर प्रदेश से राजकुमारी अमृत कौर भी संविधान सभा की सदस्य थी। उनका संबंध कपूरथला के राघराने से था। उन्होंने स्कूली शिक्षा इंग्लैंड के शेरबोर्न स्कूल फॉर गर्ल्स से ली थी. उन्होंने महिलाओं की शिक्षा और उनके स्वास्थ्य को लेकर काफी काम किया। उन्होंने टीवी और कुष्ठ रोग को रोकने के लिए रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना करवाई थी। वे रेड क्रॉस सोसाइटी से भी जुड़ी रही थीं. देश सेवा के लिए उन्हें राजकुमारी' की उपाधि दी गयी थी।

लीला रॉय संविधान सभा में असम का प्रतिनिधित्व करती थीं। उनका जन्म अक्टूबर 1900 में असम के गोलपाड़ा में हुआ था। लीला ने 1921 में बेथ्यून कॉलेज से स्नातक किया था। उनके पिता डिप्टी मजिस्ट्रेट थे और राष्ट्रवादी आंदोलन समर्थक थे। लीला रॉय ने समाज में महिला अधिकारों के लिए काफी संघर्ष किया था और वे कई संगठनों से भी जुड़ी रहीं थीं। वर्ष 1937 में लीला कांग्रेस में शामिल हो गयीं थीं और बंगाल प्रांतीय कांग्रेस महिला संगठन की स्थापना की थी। वह सुभाष चंद्र बोस के साथ भी काम कर रही थीं। देश छोड़ने से पहले नेताजी ने लीला रॉय और उनके पति को पार्टी का पूरा प्रभार दे दिया था।

दुर्गाबाई देशमुख बचपन से ही आंदोलनों में सक्रिय हो गयी थीं। मात्र 12 वर्ष की उम्र में उन्होंने

गैर सहभागिता आंदोलन में भाग लिया था। उनका जन्म 15 जुलाई 1909 को आंध्रप्रदेश के राजमुंदरी में हुआ था। उन्होंने मई 1930 में मद्रास में नमक सत्याग्रह आंदोलन में भाग लिया था। 1936 में उन्होंने आंध्र महिला सभा की स्थापना की थी, जो आगे जाकर बहुत बड़ी संस्था बन गयी। उन्होंने महिला शिक्षा और अधिकार पर काफी काम किया. वह संसद भी पहुंचीं और योजना आयोग की सदस्य भी रही थीं।

संविधान निर्माण में राजस्थान के 12 लोगों का भी रहा खास योगदान रहा। संविधान सभा में राजस्थान के प्रतिनिधियों ने संविधान में शामिल विषयों पर अपना योगदान दिया तो संविधान की मूल प्रति को सजाने-संवारने में भी मरूधरा के लोगों की भूमिका रही. भारत के संविधान की मूल प्रति में 22 चित्र भारत के वैभवशाली इतिहास, परम्परा और संस्कृति को दर्शाते हुए लगे हैं। यह सभी चित्र विख्यात चित्रकार नंदलाल बासु ने बनाए थे. इसके साथ ही इस कारीगरी में राजस्थान के ख्यातनाम कलाकार कृपालसिंह शेखावत ने भी अपना योगदान दिया था।

1. मुकुट बिहारीलाल भार्गव
2. वीटी कृष्णामाचारी
3. हीरालाल शास्त्री
4. खेतड़ी के सरदार सिंह
5. बीकानेर के ठाकुर जसवन्त सिंह
6. राज बहादुर
7. माणिक्य लाल वर्मा
8. गोकुललाल असावा
9. रामचन्द्र उपाध्याय
10. बलवन्त सिंह मेहता
11. दलेल सिंह
12. जयनारायण व्यास

3 जनवरी, 2023 को देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने देशवासियों में संवैधानिक नैतिकता की भावना जाग्रत करने के लिये कार्य किये जाने पर बल देते हुए राजस्थान में जयपुर स्थित राजभवन में संविधान उद्यान का लोकार्पण किया।

- राष्ट्रपति द्वारा संविधान उद्यान के लोकार्पण के बाद राजस्थान देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां राजभवन में इस तरह का संविधान उद्यान बनकर तैयार हुआ है।
- राज्य के सभी वित्त पोषित विश्वविद्यालयों में संविधान उद्यान निर्मित करने की पहल की गई है और राज्य की विधानसभा में अभिभाषण से पूर्व संविधान की उद्देशिका का वाचन करवाने के साथ मूल कर्तव्यों को पढ़कर सुनाने की परंपरा का सूत्रपात किया गया है।
- इसी क्रम में राजभवन आने वाले सभी सामान्य और विशिष्टजन को संविधान से जुड़ी हमारी आदर्श संस्कृति से प्रत्यक्ष जोड़ने के उद्देश्य से संविधान उद्यान का निर्माण यहाँ किया गया है।
- संविधान उद्यान देश के पवित्र संविधान के 22 भागों का ही कला-रूप नहीं है बल्कि यह संविधान से जुड़े आदर्शों और संस्कृति का भी प्रतिबिंब है।
- यहाँ भारतीय संविधान की मूल हस्तलिखित प्रति बेहद कलात्मक ही नहीं संस्कृति के आदर्श को प्रस्तुत करने वाली है। प्रस्तावना को सुनहरे बॉर्डर में मोहन जोदड़ों की सभ्यता के प्रतीक घोड़ा, हाथी, शेर और बैल के चित्रों से सज्जित किया गया है।

***श्री बिद्युत बरन महतो (जमशेदपुर) :** भारतीय संविधान के 75 वर्षों की गौरवमयी यात्रा पर अपने विचार रखने का अवसर प्रदान करने के लिए आभार। यह हमारे लोकतंत्र की मजबूती, हमारे समाज की विविधता और हमारे राष्ट्र की समृद्धि का प्रतीक है।

जब 26 नवंबर, 1949 को भारतीय संविधान को अपनाया गया था, तो यह न केवल हमारे देश

---

* Speech was laid on the Table.

के शासन का आधार बना, बल्कि यह भारतीय जनमानस की आकांक्षाओं, उनके अधिकारों और उनके कर्तव्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने वाला दस्तावेज भी था। इस संविधान ने भारत को एक मजबूत गणराज्य के रूप में स्थापित किया, जो न केवल बाहरी आक्रमणों से सुरक्षा प्रदान करता है, बल्कि अपने नागरिकों को मौलिक अधिकारों की गारंटी भी देता है।

आज मैं एक संसद सदस्य के रूप में यह गर्व महसूस करता हूँ कि इस संविधान को लागू करने में हमारे महापुरुषों और नेताओं ने अपना अनमोल योगदान दिया। चाहे वह डॉ. भीमराव अंबेडकर हो या अन्य महान नेता जिनकी दूरदर्शिता और नेतृत्व ने हमें यह अद्भुत संविधान दिया।

आज जब हम 75 वर्ष पूरे कर चुके हैं, तब हमें गर्व होना चाहिए कि भारतीय लोकतंत्र ने विश्व में सबसे लंबा और सफल लोकतांत्रिक अनुभव स्थापित किया है। हमने न केवल चुनावों के माध्यम से सत्ता परिवर्तन देखा, बल्कि संविधान की मर्यादा और सम्मान को हमेशा बनाए रखा। आज़ादी के बाद भारत ने न केवल सामाजिक और आर्थिक बदलाव किए, बल्कि सांस्कृतिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से भी एक समृद्ध राष्ट्र के रूप में उभर कर सामने आया है।

आज हम जिस स्थान पर खड़े हैं, वह कोई साधारण स्थान नहीं है। यह हमारे संघर्षों और प्रयासों का प्रतीक है। भारतीय संविधान ने हमें न केवल राजनैतिक स्वतंत्रता दी, बल्कि यह सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता और समानता के सिद्धांतों को भी सुनिश्चित करता है। हमारे संविधान की ताकत यह है कि यह समय-समय पर अपने देश की बदलती जरूरतों के अनुसार समायोजित भी हो सकता है।

अभी तक हमारे देश में एक कोलोनियल कानून चला आ रहा था। हमने तीन नए कानून बनाए हैं। भारतीय न्याय पहले इंडियन पीनल कोड था, तब वह दंड देने के लिए था। आजादी के बाद से चिंता नहीं थी कि आम जनता को न्याय मिल सके। वही भारतीय दंड संहिता, इंडियन पीनल कोड, सीआरपीसी और आज हमने दंड देने की जगह न्याय देने के लिए तीन-तीन कानून बनाने का काम किया है। भारतीय न्याय संहिता हो, बीएनएस हो, हमने उसको इंडियन पीनल कोड से रिप्लेस किया। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को सीआरपीसी से रिप्लेस किया। भारतीय साक्ष्य अधिनियम, बीएसए

को हमने इंडियन एविडेंस एक्ट से रिप्लेस किया। इस तरीके से हमने यह किया।

झारखंड जैसे आदिवासी बहुल राज्य में, भारतीय संविधान ने न केवल हमें हमारे अधिकारों का संरक्षण दिया है, बल्कि यह हमें हमारी संस्कृति, हमारी भाषा और हमारी पहचान को भी सम्मान देने का अवसर प्रदान करता है। हमारे संविधान में आदिवासियों और अन्य हाशिये पर रहने वाले समुदायों के लिए विशेष प्रावधान हैं, जो उन्हें सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक दृष्टिकोण से सशक्त बनाने का कार्य करते हैं।

आज जब हम भारतीय जनता पार्टी के सदस्य के रूप में संविधान की इस गौरवमयी यात्रा को मना रहे हैं, हमें यह भी याद रखना चाहिए कि हमारे संविधान ने न केवल हमें अधिकार दिए, बल्कि हमें कर्तव्यों का भी बोध कराया। यह हमारा कर्तव्य है कि हम भारतीय संविधान के मूल्यों को और मजबूत करें, ताकि आने वाली पीढ़ियाँ भी इसका सम्मान करें और इसका पालन करें।

हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी हमेशा संविधान के महत्व को स्वीकार किया है। उनकी नेतृत्व में भारत ने नए आयाम छुए हैं। "सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास" और "नई भारत की दिशा" जैसे मंत्र हमारे संविधान के मूल्यों के अनुरूप हैं। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम भारतीय लोकतंत्र को और मजबूती से स्थापित करें और हमारे संविधान की महिमा को हमेशा बनाए रखें।

इस गौरवमयी यात्रा की 75वीं वर्षगांठ पर हम सभी को यह प्रण लेना चाहिए कि हम संविधान के प्रति अपनी निष्ठा और सम्मान को बनाए रखते हुए, देश की समृद्धि, एकता और अखंडता के लिए निरंतर कार्य करते रहेंगे। भारत का संविधान हमें अधिकार देता है, लेकिन उसके साथ ही यह हमें अपने कर्तव्यों का पालन करने की प्रेरणा भी देता है। हम भारतीय जनता पार्टी के सदस्य के रूप में यह सुनिश्चित करेंगे कि हमारे संविधान के प्रति सम्मान और निष्ठा निरंतर बढ़े और हम अपने देश को एक लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और समृद्ध राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ाते रहें। जय हिंद।

*__श्रीमती कलाबेन मोहनभाई देलकर (दादरा और नागर हवेली) :__ भारत का संविधान, भारत का सर्वोच्च विधान है, जो संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ तथा एक साल बाद 26 नवंबर 1950 को प्रभावी हुआ था। इस दिन को भारत के संविधान दिवस के रूप मे मनाया जाता है। भारतीय संविधान एक ऐसा लिखित दस्तावेज है जो सरकार और उस के संगठनों के मौलिक बुनियादी संहिता का, संरचना, प्रक्रियाओं, शकितयों और कर्तव्यों तथा नागरिकों के अधिकारों का निर्धारण करने वाले ढांचे को निर्धारित करता है । हमारा संविधान हर धर्म, जाति, समाज, वर्ग, सभी को एक सूत्र में पिरोकर देश को मजबूत करने का काम करता है । सच में भारतीय संविधान दुनिया का सबसे मजबूत संविधान है ।

वैसे तो हमारा देश 1947 मे ही आजाद हो गया था, परंतु दुर्भाग्य की बात यह रही कि संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली को 2 अगस्त 1954 मे पुर्तगाली शासन से मुक्ति मीली, और 1961 मे हमारा प्रदेश भारतीय संविधान से जुड कर विकास के पथ पर अग्रसर हुआ । भारतीय संविधान में पिछडे क्षेत्रों के विकास के लिए 5वीं एवं 6ठीं अनुसूची का विशेष प्रावधान है, जिसका लाभ लेकर कई पिछडे राज्य विकास कि मुख्य धारा से जुडकर देश का सम्मान बढा रहे हैं, परंतु दूर्भाग्य की बात यह है कि हमारा प्रदेश गरीब एवं आदिवासी बाहुल्य होने के बाद भी 5वीं एवं 6ठीं अनुसुची की लाभ लेने से वंचित है, जिसके कारण सही मायने मे विकास एवं जन हितैषी फायदे नहीं मिल पा रहे हैं ।

भारतीय संविधान मे पिछडे राज्यो के हित के लिए तमाम जन हितैषी, कल्याणकारी एवं विकासीय योजनाएं लागू की गई हैं। आदिवासी एवं पिछडा क्षेत्र होने के बावजूद भी इन योजनाओं का लाभ सही मायने में हमारे प्रदेश को नहीं मिल पा रहा है। स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पानी, सडक आदि बुनियादी सुविधाओ से हमारा प्रदेश वंचित है। वैसे तो प्रशासन कि तरफ से तमाम विकासीय योजनाओं को लागू करने की बात सरकार के संज्ञान में लाई जाती रही हैं, परंतु हकीकत सच्चाई से बिल्कुल परे है। शिक्षा के क्षेत्र में आधुनिक सुविधाओं से पूर्ण स्कूल तो बने हैं, परंतु शिक्षकों की कमी से शिक्षण

---

* Speech was laid on the Table.

व्यवस्था बाधित हो रही है। गरीब स्कूली बच्चों को समय पर यूनिफार्म, बुक्स, पोषण आहार आदि का लाभ नहीं मिलता है, वर्षों से कार्यरत शिक्षको को मनमाने ढंग से निकाला गया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र मे अस्पताल तो बने हैं, परंतु वहां न तो कुशल चिकित्सक हैं और न ही दवाईयां है। गरीब मरीज बाहर से महंगी दवा लेने को मजबूर हैं। हमारे प्रदेश मे भारी भरकम खर्चे से मेडिकल कॉलेज बनाया गया है ताकि प्रदेश के गरीब आदिवासी योग्य बच्चे पढ लिखकर स्वास्थ्य के क्षेत्र मे सेवा प्रदान करे, परंतु यहां स्थानीय बच्चों का कोटा फिक्स होने के बावजूद भी बाहरी बच्चों को वरीयता दी जा रही है जिसके कारण स्थानीय बच्चे निराश एवं हताश हो रहे है। फायदे मे रहने के बावजूद बिजली का निजीकरण होने से विद्युत बिल मनमाने ढंग से दुगना चौगुना वसुला जा रहा है, लोग मजबूर हैं। प्रदेश में सडको की हालत तो बद से बदतर हो चुकी हैं, वर्षों से सड़के बनाने के नाम पर काम चल रहा है परंतु एक भी सडक आज तक पूरी तरह नही बन पाई है, जिससे सडक दुर्घटनाओ मे लोगों की जानें जा रही हैं। विकास के नाम पर गरीब आदिवासियों के घर तोडे जा रहे है, लोग जमीन के अभाव मे सडक पर गुजर-बसर करने को मजबुर हैं, इनमे से कईयों ने तो जैसे आत्म हत्या तक कर ली हैं । पानी की समस्या पिछले कई सालो से बनी हुई है, पानी के अभाव मे प्रदेश की गरीब महिलाओ को कोसो दूर से पानी लाना पडता है। आज तक जल की स्थायी सुविधा नही हो पाई है। पढे लिखे गरीब आदिवासी जो विभिन्न सरकारी विभागो मे वर्षों से कार्यरत थे ऐसे हजारों लोगों को बिना किसी ठोस कारण के निकाल दिया गया है, परिवार चिंतित है, जो बचे हैं उन्हे सुदूर के क्षेत्रों में पोस्टिंग कर परेशान किया जा रहा है। प्रशासन किसी का सुनने को तैयार नही है, उल्टे प्रशासनिक अधिकारीयों द्वारा डराने धमकाने से लोग परेशान है। स्मार्ट सीटी योजना मंद पडी हुई है, जबकि स्मार्ट सीटी के नाम पर लोगो के घर तोड दिए गये है, प्रदेश की धरोहर रही ग्रीनरी को खत्म किया जा रहा है। हरे भरे वृक्षो कि अंधाधुंध कटाई से प्रदेश को विरान किया जा रहा है, ऐतिहासिक धरोहर नष्ट हो रहे हैं । जनता से स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत जबरदस्ती मनमाना टेक्स वसुला जा रहा है। इतना ही नही औधोगिक विस्तार से परिपूर्ण हमारे प्रदेश से कंपनिया प्रशासन कि मनमानी से पलायन करने को मजबूर हो चूकी है । काफी कंपनीयां बंद हो गई है जिससे बेरोगारी और गरीबी बढ गई है। आदिवासी समाज के विकास के लिए हमारे यहां

वर्षो पहले आदिवासी भवन बनाया गया था, जिसके जरिए गरीब आदिवासीयों के शादी-ब्याह, सामाजिक एवं धार्मिक कार्यक्रम, आपातकाल मे आदिवासियों की सुरक्षा, उनकी देखभाल और उनकी समस्याओ के निराकरण का आदिवासी भावन एक प्रमुख केन्द्र रहा, जिसे प्रशासन ने गैर कानूनी ढंग से बिना किसी ठोस कारण के कब्जे मे लेकर ताला जड़ दिया है और भव्य आदिवासी भवन खंडहर बन गया है प्रशासनिक अधिकारी किसी का सुनने को तैयार नही है।

संघ प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली एवं दमन दीव मे तो संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है, आवाज उठाने पर प्रशासन द्वारा ऐसा प्रताड़ित किया गया कि लोगो को आत्महत्या तक करनी पडी। इन्ही मे से तत्कालीन सांसद मेरे पति स्व. मोहनभाई डेलकर, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी ऐस. ऐस. भोया, जिज्ञेश काछिया जैसे बड़े नाम है। जिन्हे प्रशासनिक प्रताडना से जान देनी पडी, इनके अलावा भी जयंतिभाई बरफ जैसे कई नाम हैं।

संघ प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली एवं दमन दीव दोनो आजादी के बाद से ही अलग-अलग संघ राज्य थे जिन्हे हाल ही के वर्षों मे मर्जर कर एक संघ प्रदेश बना दिया गया ताकि प्रदेश का तीव्र गति से विकास हो सके। परंतु प्रशासन की उदासीनता एवं तानाशाही के कारण हालात और बुरा होते चले गये। प्रदेश की जनता की मांग पर जनप्रतिनिधियों द्वारा हमारे प्रदेश को असेंबली बनाने की मांग वर्षो से होती आ रही है, इस पर सरकार को तत्काल प्रभाव से गंभीरता से लेते हुए असेंबली की मांग पूरी करने की जरूरत है ताकि प्रदेश का समुचित विकास हो सके। हमारे संघ प्रदेश मे प्रशासनिक तानाशाही इस कदर बढ गई है कि, किसी भी गरीब आदिवासी की जमीन को श्री सरकार जमीन बताकर बिना किसी नोटिस या कानूनी प्रोसिजर को फालो किए वर्षो से रह रहे घर के परिवार को बेदखल कर जमीन कब्जे मे लिया जा रहा है । हाल ही मे खानवेल विस्तार मे स्थित कई परिवारों को आई.टी.आई सेन्टर बनाने के नाम पर अचानक बिना किसी सूचना के जमीन से विस्थापित कर दिया गया और आज परिवार सडक पर खुले आसमान मे जीने को मजबूर हैं, इनमे गर्भवती महिलायें एवं छोटे-छोटे बच्चे भी शामिल हैं । संघ प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली एवं दमन दीव मे आजादी के बाद से ही एडमिनिस्ट्रेटर के पद पर हर तीन साल के लिए सिनियर आईएस अधिकारी की नियुक्ति होती रही

है, और चुने हुए जनप्रतिनिधिओ के आपसी सामंजस्य एवं सहयोग से प्रदेश को भरपूर लाभ मिला, प्रदेश विकास पथ पर तेजी से अग्रसर भी होता रहा है, परंतु 2016 के बाद प्रशासक के पद पर पहली बार किसी राजनिक व्यक्ति को बिठाया गया, और आज भी पिछले आठ वर्षो से लगातार वही व्यक्ति प्रशासक बने हुए है। जिससे विकास के साथ ही साथ जनमानस भी तानाशाही से परेशान एवं त्राहिमाम करने को मजबूर हो गया है। ऐसे मे मजबूत भारतीय संविधान मे पारित नियमो का सही एवं पारदर्शी लाभ पहुंचाने ने से भारत जहां तेजी से विकास कर विकसित भारत बनने की तरफ तेजी से बढ रहा वही संघ प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली एवं दमन दीव मे संविधान को दरकिनार कर मनमानी चल रही है, यदि हमारे संविधान के तहत प्रदेश मे कार्य होते तो हमारा प्रदेश भी विकसित एवं खुशहाल होता, ऐसे मे हमे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी से अपेक्षा ही नही बल्की पूरी उमीद है कि जिस तरह उनके सक्षम नेतृत्व मे भारत का तेजी से विकास हो रहा है दुनिया मे भारत का नाम रोशन हो रहा है उसी तरह उनकी कृपा से हमारे प्रदेश का भी भाग्य उदय हो और प्रदेश मे खुशहाली एवं अमनचैन कायम रहे और संघ प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली एवं दमन दीव में भी सच्चे अर्थो मे भारत के संविधान को अपनाया जाये ताकि प्रदेश तरक्की की राह पर चल सके।

*__SHRIMATI SUPRIYA SULE (BARAMATI):__ The constitution was borne in the aftermath of colonial rule and Partition, and it envisions an India that rises above its historical divisions. Dr. Ambedkar emphasised the importance of "becoming a nation". The average lifespan of a Constitution internationally is 17 years, India has lasted 75 years, weathering social, political and economic upheavals. Its resilience is because it has adapted to the demands of an evolving nation while maintaining its core ideals.

It is "not a mere lawyers' document, it is a vehicle of Life, and its spirit is

---

* Speech was laid on the Table.

always the spirit of Age." - Dr. B.R. Ambedkar

The Constitution was intended to be an instrument of social reform, one that looks towards the future. The foundation of the largest democracy in the world laid down in India's Constitution, not only establishes a framework for governance but also embodies ideals of constitutional morality- a moral duty to uphold the principles of the Constitution in both letter and spirit. Unfortunately, a replica of the Constitution close to a statue of Dr BR Ambedkar was vandalised in Parbhani, Maharashtra on December 12. This is highly condemnable and shows the waterfall effect of our attitude towards the Constitution.

The CEC and Other Election Commissioners Act dilutes the independence of the ECI by allowing the ruling government to effectively control appointments to it and threatens the integrity of elections. Further, the Tenth Schedule of the Constitution has been rendered infructuous. Defections are used as a tool to break up regional parties and topple governments, subverting the will of the people. In Maharashtra, the ruling regime has brought in a backdoor entry to tenth schedule. The defectors that joins the ruling regime are held as the original party by the Election commission of India, acting as a false defense to anti defection law. This is done as ECI wrongly and illegally uses legislative majority (50%) to decide in their favour, when the tenth schedule had a 2/3 criteria in addition to merging with another party. By this mechanism, time and again, parties are broken and given the defence from disqualification. Further, justice delayed is justice denied, with cases of defection not being decided till the next elections, rendering them infructuous.

Further, the Constitution mandates that voters have the right to freely vote and there must be free and fair elections. Before Lok Sabha, the Nationalist Congress Party Sharadchandra Pawar requested the Hon'ble ECI to ban Trumpet symbol that is deceptively similar to the reserved symbol of the Party 'Man Blowing Turha' but ECI did not agree. In Lok Sabha, we lost approximately 4.2 Lakh votes to Trumpet Symbol and one LS seat in Satara where winning margin was less than the votes casted towards the Trumpet Symbol Subsequently, Nationalist Congress Party- Sharadchandra Pawar met the ECI Commissioners, requesting to take note of the data proof in LS behind the confusion caused, yet were granted no remedy. At the same time, the State Election Commission appreciated the data proof, and froze the trumpet symbol, however, its jurisdiction extends to local body elections. Nationalist Congress Party - Sharadchandra Pawar again requested the ECI to take note of the contradiction with the order of the State Election Commission requesting to freeze the trumpet symbol, however, was denied at the last moment. The Maharashtra Vidhan Sabha 2024 results proved the complicit involvement, as the Trumpet symbol yet again caused loss of 9 seats directly and a total of 2.3L votes to Nationalist Congress Party-Sharadchandra Pawar.

India has earned the distinction in highest number of internet shutdowns globally with 17 suspension orders this year in the North East region itself, especially Manipur that has been burning with cases of internal violence neglected by Central Government.

Article 38 requires the state to promote the welfare of the people by ensuring that all national institutions are guided by justice, social, economic, and

political principles. Yet, consistently high levels of inflation, particularly food inflation- hitting 10.9 per cent in October and averaging 8.0 per cent over the last year combined with only a 2 per cent growth in inflation-adjusted wages continue to strain household budgets. Further, In the Union Budget 2024-25, states received 30% of the duties and taxes, against the 15th Finance Commission's recommendation of 41%. This has been done through excessive levy of cesses and surcharges, which do not have to be shared with states.

Article 21 protects the right to life. The same needs to be protected. The increase in contractual jobs in India has led to a rise in moonlighting as youth struggle to make ends meet, increasing work pressure and deteriorating mental health. This unsustainable situation is driving talented youth to seek stable opportunities abroad, exacerbating brain drain and weakening India's workforce potential.

Article 19 protects the freedom of Speech & expression. However, Opposition leaders, activists, and dissenters have been targeted with raids, investigations, and charges, often coinciding with their criticism of the government or during election seasons. These allegations often disappear if these leaders choose to join the ruling party. "[H]owever good a Constitution may be, it is sure to turn out bad because those who are called to work it, happen to be a bad lot."
- Dr. B. R. Ambedkar

If the Constitution has faced unprecedented challenges in the last decade, this has been accompanied by a renewed determination among citizens to uphold its ideals. The Constitution has once again become central to India's political

discourse. The people of India have become courageously vocal, turning "We the people of India..." into an everyday goal. The Constitution has stood, as its founders envisioned, a living document of the people, one to which every conscientious Indian citizen feels a deep and enduring attachment. On this occasion, there can be no greater act of patriotism for the Parliament than to reaffirm its unwavering commitment to the principles enshrined in the Constitution, and work on bringing the necessary safeguards to further bolster the provisions, so that no authority is able to surpass the mandate given to us by the Constitution. We must re-dedicate ourselves to legislating with integrity, ensuring justice, equality and progress in the interest of 'WE, THE PEOPLE'.

*__SHRI SALENG A. SANGMA (TURA):__ Because of the Constitution, I am able to express my views openly, freely about any issues pertaining to the issue of my constituency and the North-East, especially Manipur and other issues. The leaders, scholars and politicians like Dr. Ambedkar and others came together and drafted and crafted sincerely and rigorously this very Constitution so that our people living in India will not be discriminated and their rights will not be taken away. Right of equality, fundamental right to justice, secular and all other rights were given by this Constitution. It was so nicely drafted but not long after the BJP started ruling things started changing. People from the middle class and other people started living in fear whether the Constitution will be changed or not; and if it is changed, then the very spirit of Constitution and letter will not be the same

* Speech was laid on the Table.

and there will be injustice that might prevail. It seems like the idealistic movement is growing and it started making people's mind polarising the society. It has already polarised the policies. Now, it started polarising the society and religion. It seems like this Government does not know the origin of morals nor it respects the moral values. That is why the attack on religion and attack on society itself is threatening the very spirit of Constitution. When this Government's whole idea is idealism, then how are they going to uphold the very spirit of Constitution? When they are talking about safeguarding the Constitution, the Government itself is destroying the Constitution and till date the Prime Minister of India has never talked about nor visited Manipur. There has been a lot of bloodshed and loss of lives. Yet, not a single word has come from the Government. Then, how do we believe that this Government will be able to uphold the Constitution? So, as an Opposition, we are all scared and fear that one day this BJP-led Government will destroy the Constitution. Thank you.

***श्री राजेशभाई नारणभाई चुड़ासमा (जूनागढ़) :** मैं भारतीय संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा व्यक्त करते हुए कहना चाहता हूँ कि हमारा संविधान हमारे मौलिक अधिकारों का संरक्षण तो करता ही है, हमें सम्मानपूर्वक जीवन यापन में भी सहायता करता है। साथ ही, संविधान को अंगीकृत करने की 75वीं वर्षगांठ लोकतंत्र, न्याय और समानता के प्रति भारत की अटूट प्रतिबद्धता की याद दिलाती है। भारत ने संविधान को अंगीकृत करने की 75 वीं वर्षगांठ के रूप में मनाया, जो अपने आप में ऐतिहासिक है।

हमारा संविधान मूल मूल्यों की रक्षा करने के साथ ही इनको सुदृढ़ और इनके संवर्धन की

---

* Speech was laid on the Table.

सामूहिक जिम्मेदारी को उजागर करता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि संविधान आने वाले वर्षों में देश के विकास और एकता के लिए मार्गदर्शक शक्ति बना रहे।

26 नवंबर 1949 को, भारत की संविधान सभा ने संविधान को अपनाया, जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इस दिन देश के इतिहास में एक नए युग की शुरुआत हुई।

यह दिन महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह दुनिया के सबसे लंबे लिखित संविधान को अपनाने का प्रतीक है, जो भारत के लोकतांत्रिक ढांचे की आधारशिला है। अपनी स्थापना के बाद से, संविधान पिछले 75 वर्षों में राष्ट्र की प्रगति को आकार देने वाले मार्गदर्शक ढांचे के रूप में कार्य करता है।

हमारा संविधान एक जीवंत और प्रगतिशील दस्तावेज है, जिसके माध्यम से भारत ने सामाजिक न्याय और समावेशी विकास के लक्ष्यों को प्राप्त किया है हमने संविधान प्रदत्त शक्तियों से सामाजिक न्याय और समावेशी विकास से सम्बंधित कई महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को प्राप्त किया है। एक नए दृष्टिकोण के साथ, हम राष्ट्रों के बीच भारत के लिए एक नई पहचान बना रहे हैं। हमारे संविधान निर्माताओं ने भारत को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का निर्देश दिया था। आज, एक अग्रणी अर्थव्यवस्था होने के साथ-साथ हमारा देश 'विश्व-बंधु' के रूप में इस भूमिका को बेहतर तरीके निभा रहा है।

भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है, जिसमें लगभग 1,45,000 शब्द हैं, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान के 4,400 शब्दों से कहीं अधिक है। 1950 में जब यह संविधान लागू हुआ था, तब इसमें 22 भागों में 395 अनुच्छेद और आठ अनुसूचियाँ थीं। समय के साथ, संशोधनों ने संविधान को 448 अनुच्छेदों तक बढ़ा दिया है, जो राष्ट्र की बदलती ज़रूरतों को दर्शाता है।

भारतीय संविधान भारत के नागरिकों की एकता का केंद्र बन गया है। यह एक ऐसा तरीका है जिसके माध्यम से लोग अपने अधिकारों और उपचार का दावा करते हैं। संविधान प्रशासन द्वारा मनमानी कार्यवाही से संबंधित मुद्दों पर अंकुश लगाने में सहायता करता है। भारत में आज अगर हम स्वतंत्र रूप से सम्मान के साथ रह रहे हैं, तो यह संविधान के कारण है। संप्रभुता, लोकतंत्र और

स्वतंत्रता, अधिकार तथा कर्त्तव्य सभी शासकीय मानदंडों को मिलाकर सबसे बड़ी संपत्ति भारत का संविधान बनाया गया है।

अंत में, मैं यह बताना चाहूँगा कि लोकतंत्र के इस पावन मंदिर में बैठकर हम सब संविधान का पालन करते हुए एक सशक्त और खुशहाल भारत के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध हैं, और हम वंचितों को उनका हक़ दिलवाने और भारत को समृद्ध एवं न्यायप्रिय बनाने के लिए संकल्पित हैं। धन्यवाद

***SHRIMATI POONAMBEN MAADAM (JAMNAGAR):** I thank you for giving me the opportunity to express my views on something that binds us all together as a nation - The Constitution of India. The Indian Constitution is not just a relic of the past; it is a living document, evolving with time, and it continues to guide us toward a brighter future.

Our Constitution is not just a mere document; it is the very soul of our democracy. It was built on the dreams and aspirations of our forefathers, who fought tirelessly for freedom and envisioned a nation built on pillars of justice, equality, liberty, and fraternity. It is a guiding light that ensures every citizen, regardless of caste, creed, religion, or gender, is treated with dignity and fairness.

As the world's largest democracy, India stands as a shining example of how diverse communities can come together to form a unified nation. The Constitution is the cornerstone of this unity, providing a framework that ensures participation, representation, and equality for all. It serves as a testament to our commitment to democratic values and governance.

Now, I would like to mention about the person behind shaping this

---

* Speech was laid on the Table.

extraordinary document-Dr. B.R. Ambedkar. Fondly remembered as the architect of our Constitution, he was a visionary leader.

Dr. Ambedkar emphasized how a strong Constitution requires strong values, ethical leadership, and a commitment to the greater good. This government has made it its mission to remain steadfast in our dedication to these principles. From implementing policies that bridge societal divides to ensuring justice reaches even the most vulnerable, we continue to work tirelessly in the spirit of the Constitution.

Allow me to share how this government is upholding the values and promises enshrined in our Constitution.

Through initiatives like the Swachh Bharat Mission, PM Awas Yojana, Pradhan Mantri Sahaj Bijli Har Ghar Yojana, Jal Jeevan Mission, and many more, this government has empowered marginalized communities and worked to bridge the gaps of inequality. These programs are not just about infrastructure-they are about transforming lives. Whether it is ensuring clean water, electricity, affordable housing, or better sanitation, this government has taken concrete steps to provide dignity and opportunity to all citizens. Moreover, with a focus on equal access to education, healthcare, and employment, the constitutional promise of justice and equality for all is being fulfilled.

By leveraging technology, platforms for instance, MyGov bring governance closer to the people. This citizen engagement platform enables individuals to participate actively in policy-making and governance by providing suggestions, discussing issues, and volunteering for initiatives. Democracy thrives when the

people are at its center, and this government has worked tirelessly to ensure that governance remains people- centric.

The Constitution guarantees freedom of expression, and this government has worked diligently to safeguard this right. Even in times of dissent and disagreement, efforts have been made to ensure that all voices are respected and heard, as long as they adhere to the bounds of law and order. Debate and dialogue remain central to the democratic process under this government.

This government has reinforced the principle that no one is above the law. Through impartial judicial reforms and a commitment to fairness, it has strengthened the very foundation of the legal system. Every individual, regardless of their status or position, is held accountable to the same standards, reflecting the constitutional ideal of equality before the law.

Of course, the journey has not been without its challenges. Decades after Independence, access to basic amenities such as toilets, clean cooking fuel, tap water connections, and affordable healthcare remained restricted. Facilities that should have been provided to all citizens long ago are finally reaching Indians today, thanks to the government's efforts over the past few years. The umbrella of welfare schemes initiated in 2014 has successfully ensured widespread access to basic facilities for all sections of the population, with particular focus on the poor and marginalized.

As we reflect on the importance of our Constitution, let us remember that it is not just the government's responsibility to uphold it-it is a collective duty. Each one of us has the power to strengthen democracy by participating actively, being

informed, and standing up for justice and equality.

So let us continue to uphold its ideals in everything we do, ensuring that its promise of justice, liberty, equality, and fraternity reaches every corner of our nation. Thank you, and Jai Hind!

*[*] **श्री विनोद लखमशी चावड़ा (कच्छ) :** आज हम विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर में एक ऐतिहासिक अवसर का जश्न मना रहे हैं- भारत के संविधान के 75 गौरवशाली वर्षों की यात्रा। यह अवसर गर्व, आत्ममंथन और उल्लास का प्रतीक है।

26 नवंबर, 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हमारे संविधान को अंगीकार किया, जो 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ। यह ऐतिहासिक क्षण था, जिसने भारत को एक गणराज्य के रूप में स्थापित किया। संविधान निर्माण की यह प्रक्रिया 2 वर्ष, 11 महीने और 18 दिनों तक चली, जिसमें 11 सत्रों में 165 दिनों की गहन चर्चा हुई। बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर, डॉ. राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभभाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद जैसे महान नेताओं की दूरदर्शिता और संकल्प ने इस महाकाव्यात्मक दस्तावेज को वास्तविकता में बदला। गुजरात के लिए यह गर्व का क्षण है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में "संविधान गौरव यात्रा" आयोजित की गई। यह यात्रा हमारे संविधान की भावना को जन-जन तक पहुंचाने और नागरिकों को उनके अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक करने का एक उत्कृष्ट प्रयास था। यह यात्रा भारत के लोकतंत्र की महानता और हमारे संवैधानिक मूल्यों के प्रति समर्पण का प्रतीक बनी।

हमारा संविधान समय-समय पर संशोधन और सुधार के माध्यम से और अधिक समावेशी और प्रगतिशील बनता गया। कुछ उल्लेखनीय संशोधन इस प्रकार है:

- पहला संशोधन (1951): भूमि सुधार और संपत्ति अधिकारों पर कानूनों की सुरक्षित किया।

---

* Speech was laid on the Table.

- 42वां संशोधन (1976): संविधान को समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंड राष्ट्र के रूप में और सशक्त बनाया।
- 73वां और 74वां संशोधन (1992): पंचायतों और स्थानीय स्वशासन को सुदृढ़ किया।
- 103वां संशोधन (2019): आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण प्रदान किया।

हमारे संविधान की भावना की रक्षा में न्यायपालिका की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। सुप्रीम कोर्ट के कुछ ऐतिहासिक निर्णयों में शामिल हैं:

- केशवानंद भारती केस (1973): 'मूल बांचा सिद्धांत' की स्थापना की।
- मनिका गांधी केस (1978): व्यक्तिगत स्वतंत्रता की परिभाषा का विस्तार किया।
- विशाखा गाइडलाइंस (1997): कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न के खिलाफ दिशानिर्देश बनाए।

भारत का संविधान आज भी एक जीवंत दस्तावेज है, जो समय की चुनौतियों से निपटने के लिए निरंतर परिवर्तित और विकसित होता रहा है।

आगे की राह में हमें निम्नलिखित क्षेत्रों में ध्यान केंद्रित करना चाहिए:

1. लोकतांत्रिक संस्थाओं को सुदृढ़ करनाः चुनाव आयोग और न्यायपालिका की स्वतंत्रता को और अधिक सशक्त बनाना।
2. डिजिटल गवर्नेंसः पारदर्शिता और दक्षता के लिए प्रौद्योगिकी का अधिकतम उपयोग।
3. समावेशी विकासः शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक सुधारों में समानता सुनिश्चित करना।
4. पर्यावरण संरक्षणः जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए पर्यावरणीय कानूनों को मजबूत करना।

जैसा कि महात्मा गांधी जी ने कहा था, "खुद को खोजने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप खुद को दूसरों की सेवा में खो दें।" आज हम सबको यह संकल्प लेना चाहिए कि हम संविधान की आत्मा को जीवित रखते हुए भारत को एक मजबूत, समृद्ध और लोकतांत्रिक राष्ट्र बनाएंगे।

आइए, इस ऐतिहासिक अवसर पर हम संविधान की पवित्रता की रक्षा करने और इसे आने वाली पीढ़ियों के लिए और भी अधिक गौरवशाली बनाने का वादा करें। जय हिंद!

*श्री उत्कर्ष वर्मा मधुर (खीरी) : आज से 75 वर्ष पूर्व 26 नवम्बर 1949 को हम लोगों ने अपने संविधान को अंगीकृत किया था यद्यपि पूर्ण रूप से सविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। बाबा साहेब डा. भीम राव अम्बेडकर एवं सविधान सभा के अन्य सदस्यों ने अथक परिश्रम करके भारत के संविधान को मूर्त रूप प्रदान किया था। संवैधानिक मूल्यों का पालन करना हमारा परम कर्तव्य है। हमारा संविधान हमें गरिमापूर्ण जीवन जीने एवं अवसर की समानता का अधिकार देता है। विश्व के अन्य देशों के संविधानों से अगर तुलना करे तो हम पाते है की हमारा संविधान समय एवं परिस्थितियों के अनुसार अत्यन्त लचीला है। बाबा साहब ने कहा था कि संविधान चाहे कितना भी अच्छा क्यों न हो निश्चित रूप से बुरा साबित होगा यदि उसे लागू करने वाले लोग बुरे हों एवं संविधान चाहे कितना ही बुरा क्यों न हो यह निश्चित रूप से अच्छा साबित होगा यदि उसे लागू करने वाले लोग अच्छे हों। अर्थात् संविधान उसे लागू करने वाले लोगों की नियत पर निर्भर करता है। वर्तमान समय में संवैधानिक मूल्यों पर कुठाराघात किया जा रहा है। पिछड़े, दलित तथा अल्पसख्यक समुदाय को हाशिए पर ला दिया गया है। संविधान की मूल्य भावना के साथ लगातार खिलवाड़ किया जा रहा है। गरिमापूर्ण जीवन जीने एवं अवसर की सामानता का जो अधिकार संविधान हमें देता है वह चंद लोगो तक सीमित है। संविधान में शैक्षिणिक और सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पर जो आरक्षण का प्रावधान किया गया था वह कहीं लुप्तप्राय सा हो गया था। बाबा साहब का सपना था कि संविधान दलितों पिछड़ों, अल्पसंख्यकों एवं महिलाओं एवं हाशिये पर रहने वाले लोगों के जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाएगा, हम सभी को एक साथ मिलकर इसी दिशा में प्रयास करना चाहिए जिससे संविधान की मूल भावना के अनुसार कार्य करके हम लोगों के जीवन में परिवर्तन ला सके एवं देश को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा सकें। यही बाबा साहेब के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। चंद पंक्तियों के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम

---

* Speech was laid on the Table.

देता हूं। संविधान हमसे कहता है –

तुम्हारे हर तकलीफों का एक मुक्कमल जवाब हूँ मैं।

कभी वक्त मिले तो मुझे अवश्य पढ़ना भारत का संविधान हूँ मैं ।।

धन्यवाद।

[*]**सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री जीतन राम माँझी) :** आज हम एक अत्यंत गौरवपूर्ण और ऐतिहासिक अवसर पर 'भारत के संविधान की 75 वर्ष की गौरवशाली यात्रा' विषय पर चर्चा कर रहे है। यह दिन न केवल हमारे लोकतंत्र की मजबूती का प्रतीक है, बल्कि उन आदर्शों का भी उत्सव है, जिन्होंने हमारे समाज को एक सशक्त, समावेशी और न्यायसंगत राष्ट्र के रूप में आकार दिया है। जैसा कि डॉ. भीमराव अंबेडकर ने कहा था, "संविधान केवल एक दस्तावेज़ नहीं है, यह हमारे समाज का आत्मविश्वास और हमारी पहचान का प्रतीक है।"

वर्ष 1947 में जब भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की थी, तब देश को एक ऐसे संविधान की आवश्यकता थी, जो विविधता में एकता को समाहित कर सके। डॉ. भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में संविधान सभा ने 2 वर्ष, 11 महीने और 18 दिन की अथक मेहनत से यह महान संविधान तैयार किया। इस संविधान ने न केवल हमारे अधिकारों और कर्तव्यों को परिभाषित किया, बल्कि एक ऐसे ढांचे की नींव रखी जिसमें हर भारतीय को समान अधिकार और अवसर प्राप्त हो सके। जैसा कि संविधान सभा के सदस्य डॉ. अंबेडकर ने कहा था, "हमारा संविधान समाज के हर वर्ग को न्याय और समानता प्रदान करने के लिए बनाया गया है।"

हमारे संविधान के निर्माण में बिहार का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। डॉ. राजेंद्र प्रसाद, जो बिहार की माटी के लाल थे, संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हुए इस महान दस्तावेज़ के निर्माण में अहम भूमिका निभाई। उनकी सादगी, दृढ़ता और उच्च विचारधारा आज भी हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। डॉ. प्रसाद ने कहा था, "हमारा संविधान एक ऐसा दस्तावेज़ है जो हर

---

* Speech was laid on the Table.

भारतीय की आवाज़ को सुनने की क्षमता रखता है।"

मुझे यह बताते हुए गर्व की अनुभूति हो रही है कि संविधान सभा के अध्यक्ष एवं इस राष्ट्र के प्रथम राष्ट्रपति डॉ राजेंद्र प्रसाद से लेकर वर्तमान राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू तक संविधान की 75 साल की गौरवशाली यात्रा इसकी शक्ति का ही उदाहरण है।

हमारे संविधान की सबसे बड़ी शक्ति इसकी समावेशिता है। बिहार के डॉ. राजेंद्र प्रसाद, जो एक किसान परिवार से थे, देश के पहले राष्ट्रपति बने। जितना बड़ा योगदान उनका संविधान निर्माण में था, उतनी ही गहराई से उन्होंने इसे समझा और अपनाया। आज उसी संविधान की बदौलत, माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, एक आदिवासी महिला, भारत के सर्वोच्च पद पर आसीन हैं। यह केवल संविधान की शक्ति नहीं है, यह उस समावेशी सोच की जीत है, जो हर भारतीय को उसकी जाति, धर्म या वर्ग से ऊपर उठकर सम्मान देती है।

संविधान सभा में महिला सदस्यों का योगदान कई बार इतिहास की किताबों में उतना नहीं मिलता, जितना होना चाहिए। सरोजिनी नायडू, हंसा मेहता, दुर्गाबाई देशमुख, और राजकुमारी अमृत कौर जैसी महिलाएं न केवल संविधान सभा का हिस्सा थीं, बल्कि उन्होंने महिला अधिकारों को संविधान में सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी दृढ़ता और समर्पण ने महिलाओं के लिए समानता और स्वतंत्रता के अधिकारों को सुनिश्चित किया, जो आज हमारे समाज का एक महत्वपूर्ण स्तंभ हैं।

हमारा संविधान कितना समेकित और कितना शक्तिशाली है, समाज के सबसे निम्न तबके के अधिकारों की सुरक्षा बखूबी सुनिश्चित करता है, एवं उस संविधान में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की कितनी गहरी आस्था है, उसका जीता-जागता उदाहरण मैं, जीतन राम मांझी आपके सामने उपस्थित हूँ। गया जिले के महकार गाँव में समाज के सबसे निम्न तबके में पैदा होकर 45 साल के जनप्रतिनिधि का सफर, बिहार के 23वें मुख्यमंत्री और अब भारत सरकार में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के मंत्री के रूप मेरी यात्रा इस संविधान की 75 साल की गौरवमयी यात्रा एवं संविधान के प्रति हमारे माननीय प्रधानमंत्री के समर्पण का प्रतिबिंब है।

इतिहास में एक ऐसा समय भी आया जब संविधान की शक्तियों का दुरुपयोग हुआ। 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा ने हमारे लोकतंत्र की नींव को हिला दिया। इस दौरान, विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार किया गया, प्रेस की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया गया, और नागरिक अधिकारों का हनन हुआ। यह उस समय का काला अध्याय था, जिसने हमें यह सिखाया कि लोकतंत्र और संविधान की रक्षा केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हर नागरिक की जिम्मेदारी है। यह घटना इस बात का स्पष्ट उदाहरण है कि संवैधानिक शक्तियों का दुरुपयोग लोकतंत्र को कमजोर कर सकता है।

हमारा लोकतंत्र और संविधान एक अद्वितीय संरचना है, जो न केवल अधिकारों को सुनिश्चित करता है, बल्कि कर्तव्यों को भी स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है। संविधान ने हमें एक ऐसा मंच दिया है, जहाँ हर व्यक्ति अपनी आवाज उठा सकता है और अपने अधिकारों की रक्षा कर सकता है। हालांकि, वर्तमान समय में हमने देखा है कि विपक्ष अक्सर संवैधानिक शक्तियों का दुरुपयोग करता है। उदाहरण के लिए, विधेयकों के विरोध में नारे लगाना एवं सदन की कार्यवाही निरंतर बाधित करना, संवैधानिक संस्थानों के प्रति अविश्वास का माहौल बनाना, न्यायिक प्रक्रियाओं एवं संस्थाओं के प्रति अपमानजनक टिप्पणियाँ करना और संविधान की मर्यादा का उल्लंघन करना, यह लोकतंत्र के प्रति असम्मान का परिचायक है। विपक्ष द्वारा सामाजिक कलह फैलाना और जाति-धर्म के नाम पर राजनीति करना, संविधान की समानता और न्याय के सिद्धांतों के विरुद्ध है। यह स्थिति इस बात की चेतावनी है कि संवैधानिक शक्तियों का संतुलित और जिम्मेदाराना उपयोग कितना महत्वपूर्ण है।

आज हमारी एनडीए सरकार संविधान की रक्षा और उसे सशक्त बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। हमने सामाजिक न्याय, आर्थिक विकास और समावेशी नीतियों के माध्यम से संविधान के मूल्यों को धरातल पर उतारा है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, पीएम किसान सम्मान निधि, जन-धन योजना, 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' योजना, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना जैसी योजनाओं ने समाज के सबसे गरीब और वंचित वर्गों को मुख्यधारा में लाने का कार्य किया है।

डॉ. बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था, "संविधान उस समाज की तस्वीर है जिसे आप अपने सामने खड़ा करते हैं।" हमारी सरकार ने बाबा साहब की इस दृष्टि को साकार करने के लिए अनेक पहलें की हैं। अनुसूचित जाति और जनजाति के उत्थान के लिए विशेष योजनाएं चलाई गई हैं और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए तीन तलाक कानून जैसे महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं।

आज की यह चर्चा संविधान की 75 वर्षों की गौरवमायी यात्रा का एक उत्सव ही नहीं, बल्कि आत्मनिरीक्षण का भी अवसर है। हमें यह विचार करना चाहिए कि क्या हमने अपने संविधान के मूल्यों को पूरी तरह से अपनाया है। क्या हमने हर नागरिक को समान अधिकार प्रदान किए हैं? क्या हमने पिछड़े और कमजोर वर्गों को मुख्यधारा में लाने के लिए पर्याप्त प्रयास किए हैं? क्या हमने संविधान की मूल भावना की रक्षा की है? इस आत्मनिरीक्षण में हम जहां भी कमी पाते हैं, हमारा यह सामूहिक कर्तव्य बनाता है, कि लोकतंत्र के इस मंदिर में आज हम सब लोग यह शपथ लें और आने वाली पीढ़ियों को यह आश्वासन दें कि जब यह सदन संविधान की 100 साल की गौरवमायी यात्रा पर चर्चा का रहा होगा, तब हमारे देश का हर नागरिक अपने को विकसित भारत के समता मूलक समाज का अभिन्न अंग महसूस करेगा। हमारी जिम्मेदारी केवल संविधान का पालन करना नहीं, बल्कि इसे आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित और सशक्त बनाना भी है।

जैसा कि डॉ. अंबेडकर ने कहा था, "संविधान केवल उतना ही अच्छा हो सकता है, जितना इसे लागू करने वाले लोग अच्छे हों।" इसलिए, हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम सभी संविधान के प्रति अपनी निष्ठा बनाए रखें और इसे अपने कार्यों में आत्मसात करें।

इस अवसर पर मेरा मानना है कि हम सभी को मिलकर यह संकल्प लेना चाहिए कि हम संविधान की रक्षा करेंगे और इसे और मजबूत बनाएंगे। संविधान ने हमें अधिकार दिए हैं, लेकिन इसके साथ हमारी जिम्मेदारियां भी तय की हैं। आइए, इस पवित्र अवसर पर हम सभी मिलकर यह प्रण लें कि संविधान के मार्गदर्शन में हम देश को एकजुट रखेंगे और इसे विश्व में सबसे मजबूत लोकतंत्र बनाएंगे। धन्यवाद।

HON. CHAIRPERSON: Now, hon. Member Dr. Mohammed Jawed.

डॉ. मोहम्मद जावेद (किशनगंज) : महोदय, हमारे स्टूडेन्ट्स और हमारे एक्टिविस्ट्स को निकालना होगा। हमने पिछले 10 सालों में देखा है, पहले राइट्स हुआ करते थे। अब ये राइट्स मैन्युफैक्चर करते हैं, लोगों को भेजते हैं। अब संभल में हमने देखा कि जब लोग नहीं मिल रहे हैं, तो प्रशासन ने गोली चलवाई है। हम यह बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम यह नहीं जानते हैं। ये कब समझेंगे कि संविधान सबके लिए है। संविधान हम सबके लिए बराबर है।

सबसे अफसोस की बात है कि अनुच्छेद 15 हमें इजाजत देता है कि जो हमारी जगहें हैं, जो हमारी इदारे हैं, उनको चलाने की इजाजत देता है, लेकिन ये वक्फ (संशोधन) विधेयक के माध्यम से चाहते हैं कि बैकडोर से हमारी जमीनें छीन लें। हमारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जिनको हमारे पूर्वजों ने गरीबों, मिस्कीनों, बेवाओं और जरूरतमंदों के लिए दान की हैं, ये उसको छीनना चाहते हैं। जेपीसी में बोलते हैं कि हम जहां चाहेंगे, उसको वक्फ कर देंगे। …(व्यवधान)

महोदय, आप जानते हैं कि आजकल जेपीसी की मीटिंग हो रही है। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि यहां पर नॉन स्टेक होल्डर्स को बुलाया जा रहा है। उनको क्यों बुलाया जा रहा है? उनका क्या योगदान है? यही नहीं, सबसे अफसोस की बात यह है कि जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 'सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास'।

किशनगंज हिन्दुस्तान का सबसे वंचित एरिया है। हिन्दुस्तान की जीडीपी पर कैपिटा 2,600 डॉलर है। अगर पांच प्रतिशत लोगों की इन्कम हटा देंगे, तो हमारी जीडीपी पर कैपिटा 1,100 डॉलर है, which is lower than the Sub-Saharan desert countries. अगर बिहार का डेटा देखा जाए, तो पर कैपिटा 750 डॉलर है। आप अंदाजा लगाइए। उसमें भी सबसे पिछड़ा हुआ इलाका किशनगंज और सीमांचल है।

मैं पिछले 12 सालों से गुहार लगा रहा हूं। आदरणीय शिक्षा मंत्री जी, गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के पीछे बैठे हैं, उनसे पूछिए कि हमने दर्जनों बार गुहार लगाई है। यूपीए सरकार, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और सोनिया गांधी जी ने तोहफा दिया था, आप अभी तक फंड्स क्यों नहीं दे रहे हैं? क्यों कहते हैं कि हमारे पास रहेगा? क्या आप चाहते हैं कि हम सिर्फ मजदूरी करें?…(व्यवधान)

माननीय सभापति : आप अपनी स्पीच समाप्त करिए।

डॉ. मोहम्मद जावेद: महोदय, क्या आप यह नहीं चाहते हैं कि हमें तालीम मिले? क्या आप नहीं चाहते हैं कि हिन्दुस्तान की ग्रोथ में हमारा भी योगदान हो?…(व्यवधान)

महोदय, मैं आखिरी में एक लाइन बोलने की इजाजत चाहूंगा। मैं सिर्फ एक लाइन बोलना चाहता हूं।…(व्यवधान) We are together in JPC.

वो जलाते रहे हमारे आशियाने,
हम बनाते रहेंगे मोहब्बत के तराने।

जय हिन्द।

SHRI ABHIJIT GANGOPADHYAY (TAMLUK): Sir, I have decided to talk in my mother tongue, that is Bengali. Recently, because of the effort made by the Ministry and including the hon. Prime Minister, our language has been given the emblem of a classical language.

17.49 hrs (Hon. Speaker *in the Chair*)

Honourable Speaker Sir, I am new to the city of Delhi. Winter is upon us. But I am seeing a few people who carry the Constitution in their pockets. They are not upholding the dignity of the Parliament in the way they dress. I don't see anyone wearing a t-shirt to the House to flaunt their biceps or triceps. You can't frighten someone by flaunting those. It would be better if they flaunt their grey matter. The mind should rather be exercised.

माननीय अध्यक्ष : आप संविधान पर बोलिए।

---

* English translation of the speech original delivered in Bengali.

***SHRI ABHIJIT GANGOPADHYAY:** If I have to speak on the Constitution, I would like to say that the country of India has stated itself as a Union of States in Article 1 of the Constitution. But beyond this, we also have a federal structure- which can be called integral to the country's image. The idea of this federation of States comes from the culture of coexistence among the religions and languages. I want to convey this within the limited time that I have been granted that we need to take notice of the Seventh Schedule. There are three lists in the Schedule, Union List, State List and Concurrent List. The Union List has 97 subjects, State List has 66 and Concurrent List has 47 subjects. So, it is evident that if we take both the State List and the Concurrent List into account, it has more subjects than the Union List. This shows that our country is actually a confederation. But it also has union characteristics. There is a heinous way of showing this by implementing Article 356. You can topple a State Government by implementing this Constitutional provision. This has become less frequent since the Supreme Court Ruling on 'S.R.Bommai'. Among the first four implementations of Article 356, three were done by Congress. Mrs. Indira Gandhi did it 50 times, Manmohan Singh did it 12 times, and Narashima ji did it 11 times. Those who create a hullabaloo around the Constitution, might someday climb the Peepul tree with the Constitution in hand. Please take this into cognizance, that though you are creating a hullabaloo around the Constitution, you are actually destroying its federal structure. Having said that, I will conclude the speech.*

---

*English translation of the speech original delivered in Bengali.

श्री पी. पी. चौधरी (पाली) : अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। मैं बहुत संक्षिप्त में बात करूंगा। आपने मुझे भारत के संविधान के 75 वर्ष की गौरवशाली यात्रा पर चर्चा में भाग लेने का समय दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत आभार।

मैं बताना चाहूंगा कि जहां तक हम गौरवशाली यात्रा की बात करते हैं तो मैं कह सकता हूं कि भारत के संविधान की वर्ष 1977 तक कैसी गौरवशाली यात्रा रही है और किस तरह संविधान पर आघात लगा है। चाहे ज्यूडिशियरी को कमिटेड बनाया है, चाहे ज्यूडिशियरी को पनिश किया गया है, चाहे जजेज़ को सुपरसीड किया गया है, चाहे लोगों को प्रमोशन नहीं दिया गया है, चाहे सीनियरटी का वॉयलेशन किया गया है, यह हमने देखा।

अपने इलेक्शन को बचाने के लिए, चुनाव कोर्ट से सेट-असाइड होने के बाद, वॉइड होने के बाद, उसके लिए भारत के संविधान में संशोधन करने का यह पूरे विश्व में पहला एग्ज़ाम्पल होगा। संविधान संशोधन करने के बाद आप देखेंगे कि किस तरह से सिविल लिबर्टी करटैल की गयी। मैं इमरजेंसी पर ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूं, लेकिन एक बात आपको बताना चाहता हूं कि जहां तक रिज़र्वेशन की बात है, मैं मेरे कांग्रेस के मित्रों से चाहता हूं कि वह अपना स्टैंड लें, जैसे नेहरू जी का स्टैंड था, राहुल जी का स्टैंड है। राहुल जी अमेरिका में जाकर कहते हैं कि रिजर्वेशन खत्म होना चाहिए। नेहरू जी ने चिट्ठी लिखकर साफ कहा था, संविधान बनते वक्त उन्होंने साफ कहा और उन्होंने जबरदस्त ओपोज्ड किया कि रिजर्वेशन से इनएफिसिएन्ट सेकेंड और थर्ड ग्रेड के लोग आ जाएंगे। क्या एससी और एसटी सेकेंड और थर्ड ग्रेड के लोग हैं?… (व्यवधान) क्या ये यह बोल सकते हैं कि नेहरू जी ने यह चिट्ठी नहीं लिखी?… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : यह रिकॉर्ड में पहले कई बार आ चुका है।

… (व्यवधान)

श्री गौरव गोगोई: सर, मेरा पॉइंट ऑफ ऑर्डर है। … (व्यवधान)

श्री पी. पी. चौधरी: अम्बेडकर जी ने जब अपना इस्तीफा दिया तो नेहरू जी ने पी.सी. रॉय जी को

लैटर लिखा कि अम्बेडकर के इस्तीफे से केबिनेट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। … (व्यवधान)

श्री गौरव गोगोई: सर, मेरा पॉइंट ऑफ ऑर्डर है। … (व्यवधान)

श्री पी. पी. चौधरी: एक दलित के साथ, जिस हिसाब से इनकी रिजर्वेशन की पॉलिसी है, एक तरफ जेब में ये भारत का संविधान लेकर चलते हैं और दूसरी तरफ रिज़र्वेशन को खत्म करना चाहते हैं। … (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, ये लोग ओबीसी के खिलाफ हैं, एससी-एसटी के खिलाफ हैं और बात रिजर्वेशन की करते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद। … (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आपका क्या पॉइंट ऑफ आर्डर है?

श्री गौरव गोगोई: मेरा 352 पर है। पूरे दो दिन में इन्होंने जितना प्रधान मंत्री नेहरू जी को याद किया, उतना ही क्या अटल बिहारी जी को और आडवाणी जी को भी याद किया? अभी तक जितना भी डेरोगेटरी और डेफ्रमेटरी बोला गया है, वह सब रिकॉर्ड से हटना चाहिए। … (व्यवधान)

*__श्री सनातन पांडेय (बलिया):__ भारत के संविधान की 75 वर्षों के गौरवशाली इतिहास पर चर्चा चल रही है। सत्ता पक्ष के लोग बार-बार यह बताने का काम कर रहे है कि मात्र सत्ता पक्ष ही भारत की संविधान की रक्षा कर रहा है। जबकि ऐसा नहीं है। भारत के 140 करोड़ लोगों की आत्मा है संविधान की ही देन के कि हर जाति - हर भाई की लोग इसे लोक सभा के सदस्य है। माननीय अध्यक्ष जी वर्तमान के सरकार के कार्यों से लग रहा है कि वह देश को स्वयं सत्ता में रहने के लिये बाटना चाहते हैं। यदि यह सच नहीं है तो आज तक देश के प्रधानमंत्री मणिपुर जाकर वहाँ के लोगों के दुख दर्द में क्यों नही शामिल हुये। भारत के विभिन्न प्रान्तो की जैसे गोवा, महाराष्ट्र की जनता द्वारा चुनी गई सरकार को गिराकर सरकार बनाने का काम किया है भारत के संविधान का सम्मान का प्रमाण पत्र जो भारतीय जनता पार्टी की केन्द्र की सरकार ने करने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी की एनडीए सरकार ने भारत की स्वतंत्रता संस्थाओं पर भी कब्जा कर लिया है क्या यही भारत का संविधान कहता है। यही संविधान का आदर व सम्मान है। ग्राम सभा, निकायों का चुनाव, विधायक

* Speech was laid on the Table.

के चुनाव और लोक सभा के चुनान में सरकारी मशीनरियों का दुरपयोग हो रहा है क्या यही भारत का संविधान कहता है अनेकता में एकता का प्रतीक है भारत और यही भारत की सविधान की भावना व आत्मा है। एन.डी.ए. की सरकार भारत के संविधान के विरूद्ध जाकर देश को धर्म के आग में झोकने का प्रयास कर रही है। देश के प्रधानमंत्री जो भारत के 140 करोड़ जनता की भावनाओं के समरूप आचरण करना चाहिए। जब तक 140 करोड़ आबादी के भारत के किसी भी जाति व धर्म के लोग अपने को असुरक्षित महसूस करेंगें तो भारत का संविधान/आत्मा किसी को माफ नहीं करेगा। देश सर्वोपरि है। इसी तरह केन्द्र सरकार की सोच रहेगी तो भारत की जनता बहुत समय तक बर्दाश्त नहीं करेगी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि भारत का संविधान ही सर्वोपरि है इसका सम्मान सत्ता पक्ष में बैठे हुये लोगों को भी करना होगा। इसी के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं।

*__श्री अशोक कुमार रावत (मिश्रिख) :__ भारतीय संविधान के 75 वर्ष पूरे होने पर सरकार की उपलब्धियों और देश के विकास के बारे में बात करना एक महत्वपूर्ण विषय है। भारतीय संविधान को 26 नवंबर, 1949 को अपनाया गया था और यह देश के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ है।

भारतीय संविधान के 75 वर्ष पूरे होने पर हमें देश की प्रगति और विकास की दिशा में उठाए गए कदमों पर गर्व होना चाहिए। हमारे देश ने स्वतंत्रता के बाद से कई महत्वपूर्ण कदम उठाए है, जिनमें से कुछ प्रमुख उपलब्धियां में आर्थिक विकास है। भारत ने पिछले कुछ दशकों में तेजी से आर्थिक विकास किया है, जिससे देश दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन गया है।

भारत में शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार हुआ है, जिससे देश की साक्षरता दर और स्वास्थ्य संकेतक में सुधार हुआ है। भारत ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है, जिसमें अंतरिक्ष अनुसंधान, आईटी और सॉफ्टवेयर विकास शामिल हैं। भारतीय संविधान ने सामाजिक न्याय और समानता के सिद्धांतों को बढ़ावा दिया है. जिससे देश में विभिन्न समुदायों और

---

* Speech was laid on the Table.

वर्गों के बीच समानता और न्याय को बढ़ावा मिला है। भारतीय संविधान की 75 वर्ष की यात्रा पर मैं समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए सरकार से आग्रह कर रहा हूं। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि अगर बीजेपी की केंद्र में सत्ता नहीं होती तो अब तक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का आरक्षण समाप्त हो जाता। भाजपा सरकार ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आरक्षण को 2030 तक बढ़ा दिया, जिससे संवैधानिक कानूनों की सुरक्षा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता पर जोर दिया गया। मेरे विपक्ष के साथी चुनावों के दौरान पिछड़े वर्गों के बारे में चर्चा करते हैं, हमारी सरकार ने वर्ष 2018 में राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग, ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया है। आजाद भारत के इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को 10% आरक्षण का अवसर प्रदान किया गया।

हमारा संविधान भी लोगों की भलाई के लिए प्रतिबद्ध है। इसके निर्माण में डॉक्टर बी आर अंबेडकर साहब, श्री अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, श्री एम. के. मुंशी, श्री गोपालस्वामी अयंगर, पंडित जवाहर लाल नेहरू, सरदार वल्लभभाई पटेल, डॉ. राजेंद्र प्रसाद जैसे महान देश भक्तों का महत्वपूर्ण योगदान है। बाबा साहब अंबेडकर सहित अन्य संविधान निर्माताओं ने यह भी माना था कि संविधान भविष्य की सभी संभावनाओं को नहीं भांप सकता है, इसलिए उन्होंने आने वाली पीढ़ियों को उसमें संशोधन करने का अधिकार दिया था। वर्तमान सरकार ने पिछले 10 वर्षों में जो भी संवैधानिक संशोधन किए हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उन सभी का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ संवैधानिक मूल्यों को सशक्त करना था, सामाजिक कल्याण था, लोगों का सशक्तीकरण था, चाहे वह अनुच्छेद 370 को निरस्त किया जाना हो या महिलाओं के सामाजिक व आर्थिक सशक्तीकरण के लिए नारी वंदन अधिनियम हो या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को सामाजिक न्याय के लिए आरक्षण हो या जीएसटी कानून हो। हमारा संविधान गरीब परिवार के व्यक्ति को प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बनने का अधिकार देता है। आजादी के बाद इस पर ध्यान नहीं दिया गया, हमने औपनिवेशिक बेड़ियों को तोड़ा है और नए दंडात्मक कानून लाए हैं। आज गरीब लोगों को पक्के मकान, मुफ्त इलाज और मुफ्त राशन, नल का पानी और शौचालय मिल रहे हैं। हमारी सरकार महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास के

लिए काम कर रही है। हमारी सरकार ईडब्ल्यूएस कोटा भी लाई है। ये सभी हमारे संवैधानिक मूल्यों की ठोस अभिव्यक्ति हैं। केंद्र की मोदी सरकार ने ऐसे राज्य में भी संविधान लागू किया, जहां यह लागू नहीं था। वहां लोगों ने बड़ी संख्या में मतदान किया और चुनाव हिंसा मुक्त रहा। हमारे संविधान की मूल प्रति में भाग तीन में, जहां मौलिक अधिकारों पर चर्चा की गई है, भगवान राम, सीता और लक्ष्मण का चित्रण है। अजंता की गुफाओं की पेंटिंग और कमल का भी चित्रण है। बाद वाला कमल सदियों की गुलामी से बाहर आने को दर्शाता है। भारत का संविधान सात दशकों से अधिक समय से न सिर्फ शानदार तरीके से काम कर रहा है और साल दर साल हमारा संविधान मजबूत होता जा रहा है। हमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और संविधान सभा के प्रत्येक सदस्य के प्रति आभारी होना चाहिए। हमारे आदरणीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार संविधान की पवित्रता को किसी भी सूरत में भंग नहीं होने देगी। आज पूरे देश में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक ही कानून प्रचलित है और यह कानून हमारा संविधान है और हम इस संविधान की शपथ लेते हैं।

*__श्री देवेश शाक्य (एटा):__ भारत के 75वें संविधान दिवस के गौरवशाली इतिहास पर आज जब संविधान की स्थिति को देखा जाता है तो बड़ा ही दुख होता है। संविधान पर चर्चा की आवश्यकता आज से पहले कभी इतनी इसलिये नहीं हुई कि सत्ताधारी दल यह समझ चुका है कि ये देश संविधान से ही चलेगा, अब संविधान को ज्यादा नहीं बदला जा सकता नहीं तो जनता इन्हे सत्ता से उतार देगी। जब कि सच्चाई यह है कि भा०ज०पा० ने बाबा साहब के दिए हुए संविधान को कभी नहीं माना है

ये लोग मनुस्मृति मानने वाले लोग है और आर०एस०एस० इनको चलाती है। जबकि आरएसएस के मुख्यालय पर आजादी के 73 वर्ष वाद भी इन्होने तिरंगे को नहीं माना है अव सच्चाई यही है कि सावरकर को मानने वाले लोग देश के हितैषी हो ही नहीं सकते यह देश संवैधानिक प्रक्रियाओं से चलता है

सत्ता पाने के लिये संवैधानिक प्रकियाओं को ताक पर रख कर झूठ पर झूठ बोल कर इस देश

---

* Speech was laid on the Table.

को गुमराह किया जा रहा है । सत्ता के लालची लोग दलित, पिछडा, अल्पसंख्यको के आरक्षण पर डाका डाला जा रहा है। देश को आर्थिक नुकसान हो रहा है। देश का पैसा कुछ धन्नासेठों को देकर देश की अर्थव्यवस्था पर डाका डाला जा रहा है। आज डबल इंजन की सरकार ने आरक्षण को खत्म सा कर दिया गया है ।

संविधान को ना मानने वाले लोग संविधान को पूरी तरह खत्म कर रहे हैं । बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान रहेगा । संविधान रहेगा तो ये देश रहेगा ।

*__DR. NAMDEO KIRSAN (GADCHIROLI-CHIMUR):__ Democratic Republic stands for the good of all people. The Economic Justice assured by the Preamble can hardly be achieved if the democracy envisaged by the Constitution were confined to a 'Political democracy. It is not merely political democracy but it should be economic democracy too.

In the words of Pandit Nehru - 'Democracy has been spoken of chiefly in the past, as political democracy roughly represented by every person having a vote. But a vote by itself does not represent very much to a person who is starving or hungry.

Political democracy by itself is not enough except that it may be used to obtain a gradually increasing measure of economic democracy, equality and the spread of good things of life to others and removal of gross inequalities.

Economic justice aims at establishing economic democracy and a welfare state. The idea of economic justice is to make equality of status meaningful and life worth living at its best, removing inequality of opportunity and of status social,

* Speech was laid on the Table.

economic and political. Therefore, the very objective of the constitution is to maintain the economic justice and economic democracy in the country.

The removal of gross inequalities should be the aim, but in reality due to the wrong policies of the present Government the in-equalities are increasing day by day. The Government is imposing taxes on the common man. The road & infrastructure development, cess on petrol & diesel before 2014 was Rs. 1 per ltr and the Modi govt. raised it to Rs. 18 per ltr. Increasing the excise duty of diesel and petrol from Rs. 3.49 per ltr and Rs. 9.56 per ltr to Rs. 32 and Rs. 33 per ltr respectively making the common man's life miserable.

The imposition of GST indiscriminadely give rise to the inequality. By this way the money is collected from every citizen by way of GST and the benefit of which is given to few capitalists. The price rise and unemployment give rise to the economic inequality which increasing the gap between rich and poor. Which resulted in to the top 10% of the population owns 77% of India's wealth, the top 1% of the population owns 40.1% of India's wealth. The bottom 50% of the population owns 6.4% of India's wealth which is violative of the constitutional provisions of equality.

Development of Crony Capitalism leads to the few are capitalist are given the benefits. The country's companies and assets being handed over to them, which resulted into the Increasing gap between rich and poor.

There is a demand for caste based census which can give justice to the various categories of castes and classes. The present government has to conduct caste based census immediately. Following provisions are given in the

Constitution for the representation of SC, ST and OBCs.

- Article 15-Prohibition of discrimination on grounds of religion, race, caste, sex or place of birth.
- 15 (4) Nothing in this article or in clause (2) of article 29 shall present the state from making any special provisions for the advancement of any socially and educationally backward classes of citizens or for the Schedule castes and Schedule tribes.
- 15 (5) Nothing in this article or in sub-clause (9) of clause (1) of Article 19 shall prevent the State from making any special provisions by law, for the advancement of any socially and educaionally backward classes of citizebs or to the SC or ST in so far as such special provisions relate to their admission to educational institutions, whether aided or un-aided by the State other than the minority educational institutions reffered to in clause (1) of article (30)
- 15 (6) Special provisions for the development of any economically weaker sections of citizens other than the classes mentioned in clauses (4) & (5)
- Article 16 Equality of opportunity in matters of public employment. 16 (4) Nothing in this article shall prevent the State for making any provision for the reservation of appointments or posts in favour of any backward class of citizen, which in the opinion of the State is not adequately represented in the services under the State.
- 16 (4A) - Reservation in favour of Scheduled Castes and Schedule Tribes

(50% restrictions on reservation). The imposition of creamy layer and classification on SC, ST and OBC is beyond the scope of the constitution. Imposing creamy layer is unconstitutional, the special representation in the form of reservation is given on the basis of educational and socially backward people & there is a separate provision for the economically backward section under article 15 (6) Therefore imposing creamilayer on SC, ST and educationally and socially backward Class (OBC) is ultra-vires to the provisions of the constitution.

The exercise of classification of SC, ST and OBC Categories are also bad in the eyes of the Constitution Schedule Vth to the Constitution of India.

Central Provisions as to the Administration and Control of Scheduled Areas and Scheduled Tribes (Not applicable to Assam, Meghalaya, Tripura & Mizoram)

Law applicable to Scheduled Areas : -1. Notwithstanding anything in this constitution, the Governor may by public notification direct that any particular Act of Parliament or of the Legislature of the State shall not apply to a Scheduled Area or any part thereof in the State or shall apply to a Scheduled Area or any part thereof in the State subject to such exceptions and modifications as he may specify in the notification and any direction given under this sub-paragraph may be given so as to have retrospective effect.

2. The Governor may make regulations for the peace and good government of any area in a State which is for the time being a Scheduled area.

The PESA (Panchayat Extension of schedule Area) Act 1996 has been passed by virtue of fifth schedule of the constitution.

PESA Act 1996-Not made applicable-The provisions have not been implemented scrupulously, in the schedule Areas of the country.

The rights of tribals in the schedule area of Minor Minerals, Minor Forest Products Management of the Water Resources.

But the revenue and forest department authorities are interesting into it. Tribals are not allowed to administer their statutory rights-

In my constituency i.e. Gadchirouli-Chimur Lok Sabha, The most of the area is coverd by Schedule and Tribal area where the PESA Act is applicable. But the provisions of the 5th Schedule and PESA Act are not being made applicable properly.

There are mines like Surjagarh mines in Etapalli Tahsil and Zendepar mine in Korchi Tahsil of the Gadchirouli district. They do not respect to the decisions of Gramsabhas in that area, without the consent of Gramsabhas the mines are being given on lease which is bad in law.

In Gujrat for the Statue of Unity more than Rs. 3000 Crs. have been spent. 72 Tribal villages comes under the schedule area have been affected. No rehabilitation done for this purpose , 5000 tribals to be existed. But no cognizance has been taken of the objections of local Tribals.

*__SHRI RAMESH AWASTHI (KANPUR):__ I would like to reaffirm our commitment to upholding the values enshrined in our sacred Constitution—a living document that embodies the aspirations of our people, particularly the vulnerable among us.

---

* Speech was laid on the Table.

The Constitution is not merely a set of principles; it is a call to action. And I am proud to say that the BJP-led Government under Prime Minister Shri Narendra Modi Ji has answered that call with resolve and compassion, safeguarding the rights and dignity of our citizens, especially the aged, women, tribal communities, and the economically marginalized.

The Directive Principles of State Policy in our Constitution urge us to ensure equitable distribution of resources and eliminate economic inequalities. In the spirit of these principles, the Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY), which is the largest financial inclusion initiative in the world, has become a beacon of hope for marginalized and economically backward sections who were once excluded from the formal financial system.

Let us not forget, that financial inclusion is not just an economic initiative; it is a social revolution. By offering accessible and formal financial services — such as bank accounts, small savings programs, insurance, and credit — to those who were previously unbanked, PMJDY has changed the banking and financial framework of the country in the past ten years. As we stand at witnessing a successful decade of PMJDY, | am proud to say that we have integrated 53 crore people into the banking system, with 67% of these accounts in rural and semi-urban areas and 55% held by women.” This Government has empowered those who were historically sidelined.

Through the JAM Trinity—Jan Dhan, Aadhaar, and Mobile—our Government has established a diversion-proof mechanism for subsidy transfers. Direct Benefit Transfers (DBTs) have ensured that every rupee meant for the

underprivileged reaches them directly, cutting through the layers of corruption that plagued earlier regimes. Isn't this the essence of economic justice envisioned in our Constitution?

And the impact doesn't end here. With a deposit balance of 2.3 lakh crore and over 36 crore RuPay cards issued with accident insurance cover, this initiative has fortified financial security for the marginalized.

Article 21 of the Constitution guarantees the right to life, and health is its cornerstone. Our respected Prime Minister Modi Ji firmly believes that the health of the nation’s citizens is the cornerstone of its progress. This confidence gives strength to the five key pillars of his government’s health policy: preventive healthcare, early detection of diseases, affordable treatment and medicines, increased availability of doctors in smaller towns, and leveraging technology to enhance health services. Our Government's approach to healthcare reflects the vision of ensuring Universal Health Coverage for all, in line with the Constitutional ideal of social justice.

Under this transformative vision, the Prime Minister has inaugurated and laid the foundation for projects exceeding %13,000 crore, recently in October 2024. This includes the establishment of four centres of excellence under the Ayush Health scheme, advancements in healthcare delivery through drones and helicopter services at AIIMS Rishikesh, and new infrastructure developments at AIIMS New Delhi and AIIMS Bilaspur. This is a testament to the unwavering commitment to improving and developing a state-of-the-art health infrastructure in India.

Through Ayushman Bharat — PM Jan Arogya Yojana (PM-JAY), we have addressed the deep-rooted inequities in healthcare, prioritizing the poorest 40% of our population. This transformative scheme has provided health coverage of 25 lakh per family to millions of vulnerable citizens. Now, with its expansion to cover all senior citizens aged 70 and above, we have taken a historic step to honour the contributions of our elderly and ensure their well-being.® This initiative represented a fundamental change from isolated healthcare services to a cohesive, needs-oriented strategy, in line with the country's dedication to achieving the Sustainable Development Goals (SDGs) and guaranteeing that "no one is left behind".

But, while this Government takes every measure to uphold the Constitutional ideal of equity, some state Governments, like Delhi and West Bengal, refuse to join this initiative for narrow political interests. What message does this send? That politics matters more than people? That the Constitutional principle of “equality of opportunity” can be set aside for political gains?

Our Constitution directs us to protect the rights and promote the welfare of our Scheduled Tribes, a vision that this Government has taken to heart. Over the past decade, the budget of the Ministry of Tribal Affairs has witnessed an extraordinary three-fold increase, soaring to 712,461 crores. Moreover, the Development Action Plan for Scheduled Tribes (DAPST) has seen an unprecedented 5.5-times increase in allocation, now standing at 71.17 lakh crores.” These investments aren't just numbers; they symbolize opportunities for better education, healthcare, infrastructure, and livelihoods for tribal communities

across Bharat.

Education is the cornerstone of empowerment, and for our tribal children, it is the ladder to a brighter future. Under the Eklavya Model Residential School (EMRS) Scheme, the budget allocation has increased an astounding 21 times over the last decade, reaching 25,943 crores. From 34,365 students enrolled in 2013-14, the number has surged to over 1,32,275 students in 402 functioning schools by 2023-24. To further strengthen this initiative, 40,000 teachers are being recruited over the next three years, with 10,000 teachers already appointed, ensuring that tribal children receive quality education and mentorship.’

This is the Modi Government's way of ensuring Article 46 of the Constitution mandating the promotion of the educational and economic interests of Scheduled Tribes is realized in its fullest form.

Our Constitution binds us to a solemn promise: to secure justice, liberty, equality, and fraternity for all citizens. This Government has embraced that promise—not as mere rhetoric but as a mission. Whether it is financial inclusion, universal healthcare, or targeted schemes for vulnerable groups, every policy of this Government reflects a deep commitment to the Constitutional ideals that unite us as a nation.

I ask my colleagues: Can we, in good conscience, oppose initiatives that bring dignity and security to our citizens? Can we allow political expediency to overshadow the Constitutional mandate to serve the people? Let us rise above divisions and embrace the collective responsibility entrusted to us by this great Constitution.

I urge this Government to reaffirm its commitment to the values that define our Republic and recognize that the policies of this Government are a testament to those ideals. Together, let us continue to build a nation where every citizen feels protected, empowered and included.

***डॉ. भोला सिंह (बुलन्दशहर) :** संसद में हो रही संविधान के 75 वर्ष पूरे होने पर चर्चा में मैं अपने विचार लिखित रूप से व्यक्त करना चाहता हूं।

भारत के संविधान में देश के हर वर्ग गरीब किसान, युवा, महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग के भारत के नागरिकों का अधिकार दिया गया है।

आज भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा और लिखित संविधान है।

संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान लिखते समय देश के हर गरीब को सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक अधिकार देने का अधिकार दिया था।

आजादी से अभी तक लंबे समय देश में कांग्रेस एवं यूपीए ने शासन किया है। इतने लंबे समय के बावजूद भी देश के गरीबों, किसानों, महिलाओं और युवाओं अनुसूचित जाति जनजाति के नागरिकों के जीवन यापन की सुविधा उपलब्ध न करना संविधान का अपमान है। कांग्रेस पार्टी ने 57 वर्षों तक देश में शासन के दौरान अपने राजनैतिक उद्देश्यों को साधने के लिए संवैधानिक प्रक्रियाओं का दुरुपयोग किया है। कांग्रेस ने कभी भी संविधान के मूलभूत आरक्षण सिद्धांतों को सही भावना और रूप में लागू करने की राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं दिखाई। नेहरू सरकार ने 1956 में पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने की काका कालेलकर रिपोर्ट को खारिज कर दिया। नेहरू ने 1961 में मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर कहा कि आरक्षण से अक्षमता और दोयम दर्जे का मानक पैदा होता है। नेहरू ने डॉ भीमराव अंबेडकर जी के सामाजिक व राजनैतिक जीवन को समाप्त करने का षड्यंत्र किया। 1952 में लोकसभा चुनाव और 1954 में लोकसभा उपचुनाव में डॉ अंबेडकर को हराने का पाप किया।

---

* Speech was laid on the Table.

1975 में इंदिरा गांधी जी ने आपातकाल लगाकर संविधान की आत्मा को कुचला था। इंदिरा गांधी ने मंडल आयोग की रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डालकर ओबीसी आरक्षण में देरी की 1966 से 1977 तक, संविधान में 25 बार संशोधन हुआ। 42वें संशोधन में 41 अनुच्छेदों में संशोधन और 11 नए अनुच्छेद जोड़े गए।

कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्री स्व. श्री राजीव गांधी ने 3 मार्च 1985 को एससी आरक्षण पर टिप्पणी करते हुए यह कहा था कि आरक्षण के माध्यम से हमे बुद्धओं को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। राजीव गांधी ने मंडल आयोग की रिपोर्ट का विरोध किया और 1990 में लोकसभा में आरक्षण का पुरजोर विरोध किया और मुसलमानों को आरक्षण देने की वकालत की जो बाबासाहेब के मूल संविधान के खिलाफ था। जामिया मिलिया (2011) और एएमयू (1981) जैसे सरकारी सहायता प्राप्त संस्थाओं को अल्पसंख्यक संस्थाओं के रूप में वर्गीकृत किया गया, जिससे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ों को आरक्षण देने से इनकार कर दिया गया।

93वें संवैधानिक संशोधन (2005) के तहत अल्पसंख्यक संस्थाओं को आरक्षण प्रदान करने से छूट दी गई। इस एक कदम से सैकड़ो संस्थाओं से पिछड़े समुदायों के अधिकार छीन लिए गए। देश 1947 में आजाद हुआ, 57 वर्ष केंद्र में कांग्रेस सरकार रहते हुए संविधान दिवस नहीं मनाया गया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2015 से शासकीय स्तर पर संविधान दिवस मनाना शुरू किया। उसके बाद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2015 में संसद के दोनों सदनों में संविधान पर चर्चा (discussion) कराने का निर्णय किया, जिसका कांग्रेस ने विरोध किया।

कांग्रेस ने संविधान को अपनाने के बाद 90 मौकों पर निर्वाचित सरकारों को बर्खास्त करने के लिए अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग किया, जिससे संविधान का मजाक उड़ाया गया।

डॉ. अंबेडकर और संविधान सभा ने संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण को मान्यता नहीं दी थी, फिर भी OBC कोटा से आंध्र प्रदेश में 4%, केरल में 8% और तमिलनाडू में 3.5% आरक्षण मुस्लिम समुदाय को देकर संविधान का उल्लंघन किया।

2014 में भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी संसद के संविधान सदन में संविधान

को माथे से लगाते हुए बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर जी का धन्यवाद करते हुए कहा कि अगर आज संविधान नहीं होता तो एक गरीब मां का बेटा आज भारत का प्रधानमंत्री नहीं होता। तभी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने यह संकल्प लिया कि हमारी सरकार संविधान का पालन करते हुए देश के हर गरीब, महिला, युवा, किसान और अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अति पिछड़ों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय और अधिकार देने का कार्य करेगी, पिछले 10 साल के मोदी सरकार के कार्यकाल में देश के नागरिकों को आवास, शौचालय, रसोई गैस, आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं से लाभान्वित करना संविधान का सम्मान है।

जहां लंबे समय तक कांग्रेस ने संविधान का दुरुपयोग करने का कार्य किया वहीं पिछले 10 सालों में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मूल मंत्रों से जनकल्याणकारी योजनाओं से लोगों की आशा एवं आकांक्षाओं को मूल मंत्रा पूरा किया है।

हमारी सरकार ने पिछले 10 साल से एतिहासिक निर्णय लिए हैं।

* 2017 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (एनसीबीसी) को संवैधानिक दर्जा दिया गया।

* 2019 में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए आरक्षण की शुरुआत।

* 2019 में वित्त आयोग और संविधान की छठी अनुसूची से संबंधित प्रावधानों में संशोधन।

* 2019 में लोकसभा और विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (एससी/एसटी) आरक्षण का 10 वर्षों के लिए विस्तार किया गया।

* 2019 में जम्मू कश्मीर से धारा 370, 35 अ हटाकर वहां के नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनैतिक लाभ देने का कार्य किया है।

* 2021 में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अपनी ओबीसी सूची में परिवर्तन करने का अधिकार प्रदान किया गया।

* 2024 में देश की 50% आबादी महिलाओं को विधानसभा एवं लोकसभा में 33% आरक्षण नारी शक्ति वंदन अधिनियम संसद में पारित कराकर देश की नारी शक्ति को सम्मान दिया है।

अंत में मैं देश के समस्त अनुसूचित जाति, जनजाति भाई बहनों की तरफ से यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद् देता हूं कि उन्होंने संविधान एवं संविधान निर्माताओं को सम्मान देकर देश के हर वर्ग को अधिकार देने का कार्य किया है। धन्यवाद।

***श्री राधेश्याम राठिया (रायगढ़) :** हमारे विपक्ष के साथियों ने वर्तमान सरकार पर संविधान की रक्षा न करने, महंगाई और बेरोजगारी की बात की थी। मैं उनसे अनुरोध करता हूं आप थोड़ा स्टडी करें ।

2014 में सरकार बनते ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी विजन के तहत मेक इन इंडिया की शुरुआत की गई थी जिसका उद्देश्य देश में उधमशीलता को बढ़ावा देना है। मेक इन इंडिया की पहल से देश और विदेश में सकारात्मक प्रतिक्रिया हुई।

मोदी जी की सरकार ने भारत में व्यवसाय करने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं। कई नियमों और प्रक्रियाओं को सरल बनाया है। कई वस्तुओं की लाइसेंसिग की जरूरत को हटाया गया है। हमारी सरकार ने संविधान का पालन करते हुए, संवैधानिक पदों की गरिमा को ध्यान में रखते हुए, नियम व कानून को आमजन की सुविधा अनुसार बनाया, ना की अपनी सरकार के चुनिंदा लोगों की आवश्यकता व जरूरत के अनुसार जैसा कि पहले की सरकारी करती रही है।

रक्षा में नीति को उदार बनाया, एफडीआई 26% से 44% तक बढ़ाया गया। रेल बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के निर्माण संचालन और रखरखाव में 100% एफडीआई की अनुमति दी गई। हमारी सरकार पीपल फ्रेंडली नियम चाहती है, परेशानी मुक्त व्यापार चाहती है, भारत में कारोबार को आसान किया गया । कांग्रेस की लाइसेंसिंग राज को बंद करके डी- लाइसेंसिंग से नियमों को व्यवहारिक बनाया गया। व्यापार को बढ़ावा दिया गया।

आज व्यापार करने जाओ तो कोई जटिलता नहीं है, पूरी तरह से पारदर्शिता है, स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत की गई ताकि व्यापार को प्रोत्साहन दिया जा सके बैंकों से वित्तपोषित किया जा सके। स्टैंड अप इंडिया एससी एसटी और महिलाओं के लिए लोन देने की दृष्टि से बनाया गया। ग्लोबल

---

* Speech was laid on the Table.

रेटिंग में स्टार्टअप इंडिया विश्व के शीर्ष 100 देश में 20 वे स्थान पर है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर योजना, मेरे हिमाचल प्रदेश में तो सेल्फ हेल्प ग्रुप का कार्य अत्यंत सराहनीय है। पीएम विश्वकर्म योजना, मत्स्य संपदा योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, स्किल इंडिया और ऐसे अनेकों अनेक योजनाएं जो कौशल को बढ़ावा देने की दृष्टि से आरंभ किया गया और आज 10 साल होने पर इसका असर भी बहुत बड़े पैमाने पर नजर आता है। महोदय, यह सभी योजनाएं भारत के कौशल को देश-विदेश में व्यापार के माध्यम से रोजगार प्रदान करने के लिए ही किया गया है और जिसका असर हम सबके सामने है। हमारे प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर आज का युवा रोजगार मांगने वाला नहीं रोजगार देने वाला बन रहा है किंतु आज के एडवांसमेंट युग में भी कांग्रेस के लोग हमें नौकरी देने की सीख देते हैं नौकरी देने वाली लॉलीपॉप जो पूर्व की सरकारी देती रही हैं ऐसा ही यह हमें बनाना चाहते हैं किंतु आज देश की बागडोर ऐसे व्यक्तित्व के हाथ में है जिसका विजन एकदम क्लियर है। निसंदेह वर्तमान सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत, उभर कर विश्व पटल पर नई पहचान लेकर आया है।

इसीलिए मोदी है तो मुमकिन है। ऐसा नारा देश के जन-जन की ज़बान पर है।

मेरा पूरा विश्वास है कि हम 2047 के विकसित भारत बनने की दिशा में तेजी से अग्रसर होंगे।

माननीय प्रधानमंत्री जी के 2047 के विकसित भारत का सपना हम पूरा करेंगे। मैं अपने संविधान निर्माता को स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करता हूं।

देश के संविधान का अनुसरण कर, सोने की चिड़िया वाला कल हासिल करेंगे, आत्मनिर्भर भारत की सोच भी पूरी होगी।

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, यदि सभा की सहमति हो तो इस विषय की समाप्ति तक समय बढ़ा दिया जाए?

अनेक माननीय सदस्य: हाँ।

माननीय अध्यक्ष: माननीय प्रधानमंत्री जी।

प्रधानमंत्री (श्री नरेन्द्र मोदी) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हम सबके लिए और सभी देशवासियों के लिए, इतना ही नहीं, विश्व के लोकतंत्र प्रेमी नागरिकों के लिए भी यह बहुत ही गौरव का पल है। बड़े गर्व के साथ लोकतंत्र के उत्सव को मनाने का यह अवसर है।

संविधान के 75 वर्ष की यात्रा, यादगार यात्रा, और विश्व के सबसे महान और विशाल लोकतंत्र की यात्रा के मूल में हमारे संविधान निर्माताओं की दीर्घ दृष्टि, हमारे संविधान निर्माताओं का योगदान रहा है और जिसको लेकर हम आज आगे बढ़ रहे हैं।

संविधान के 75 वर्ष पूर्ण होने पर उत्सव मनाने का यह पल है। मेरे लिए खुशी की बात है कि संसद भी इस उत्सव में शामिल होकर अपनी भावनाओं को प्रकट कर रही है। मैं सभी माननीय सांसदों का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने इस उत्सव में हिस्सा लिया। मैं उन सभी का अभिनंदन करता हूं।

आदरणीय अध्यक्ष जी, 75 वर्ष की यह उपलब्धि साधारण नहीं है, असाधारण है। जब देश आजाद हुआ, उस समय भारत के लिए जो-जो संभावनाएं व्यक्त की गयी थीं, उन सभी संभावनाओं को निरस्त करते हुए, परास्त करते हुए, भारत का संविधान हमें यहां तक ले आया है।

18.00 hrs

इसलिए इस महान उपलब्धि के लिए संविधान निर्माताओं के साथ-साथ मैं देश के कोटि-कोटि नागरिकों को आदरपूर्वक नमन करता हूँ, जिन्होंने इस भावना को, इस नई व्यवस्था को जीकर के दिखाया है। संविधान निर्माताओं की जो भावनाएं थीं, उसको जीने में पिछले 75 सालों से भारत का नागरिक हर कसौटी पर खरा उतरा है। इसलिए भारत का नागरिक सर्वाधिक अभिनन्दन का अधिकारी है।

आदरणीय अध्यक्ष जी, संविधान निर्माता इस बात पर बहुत सजग थे, वे यह नहीं मानते थे कि भारत का जन्म 1947 में हुआ है। वे यह नहीं मानते थे कि भारत में लोकतंत्र 1950 से आ रहा है। वे यहां की महान परंपरा को, महान संस्कृति को, महान विरासत को और हजारों साल की उस यात्रा को मानते थे, उसके प्रति वे सजग थे। उनको इस बात का पूरा भान था।

आदरणीय अध्यक्ष जी, भारत का लोकतंत्र, भारत का गणतांत्रिक अतीत बहुत ही समृद्ध रहा

है। विश्व के लिए प्रेरक रहा है। तभी तो भारत आज 'मदर ऑफ डेमोक्रेसी' के रूप में जाना जाता है। हम सिर्फ विशाल लोकतंत्र हैं, इतना नहीं है, हम लोकतंत्र की जननी हैं।

आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं जब यह कह रहा हूँ तो मैं तीन महापुरुषों के कोट इस सदन के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन जी, चूँकि मैं संविधान सभा के अंदर हुई चर्चा का उल्लेख कर रहा हूँ, उन्होंने कहा था :

"सदियों के बाद हमारे देश में एक बार फिर ऐसी बैठक बुलाई गई है। यह हमारे मन में अपने गौरवशाली अतीत की याद दिलाती है। जब हम स्वतंत्र हुआ करते थे, जब सभाएं आयोजित की जाती थीं, जिसमें विद्वान लोग देश के महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा करने के लिए मिला करते थे।"

मैं दूसरा कोट डॉ. राधाकृष्णन जी का पढ़ रहा हूँ। वे भी संविधान सभा के सदस्य थे। उन्होंने कहा था :

"इस महान राष्ट्र के लिए गणतांत्रिक व्यवस्था नई नहीं है। हमारे यहां यह इतिहास के शुरूआत से ही है।"

तीसरा कोट मैं बाबा साहेब अम्बेडकर जी का पढ़ रहा हूँ। बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने कहा था :

"ऐसा नहीं है कि भारत को पता नहीं था कि लोकतंत्र क्या होता है। एक समय था, जब भारत में कई गणतंत्र हुआ करते थे। "

आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारे संविधान के निर्माण प्रक्रिया में, हमारे देश की नारी शक्ति ने संविधान को सशक्त करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी।

संविधान सभा में 15 माननीय महिला सदस्य थीं और सक्रिय सदस्य थीं। मौलिक चिंतन के आधार पर उन्होंने संविधान सभा की डिबेट को समृद्ध किया था और वे सभी बहनें अलग-अलग बैकग्राउंड से थीं, अलग-अलग क्षेत्र की थीं और संविधान में उन्होंने जो-जो सुझाव दिए, उन सुझावों का संविधान के निर्माण पर बहुत बड़ा प्रभाव रहा था। हमारे लिए गर्व की बात है कि दुनिया के कई देश

आजाद भी हुए, संविधान भी बने, लोकतंत्र भी चला, लेकिन महिलाओं को अधिकार देने में दशकों बीत गए, लेकिन हमारे यहां शुरुआत से ही महिलाओं को वोट का अधिकार संविधान में दिया गया।

आदरणीय अध्यक्ष जी, जब G20 समिट हुई, उसी भावना को आगे को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि संविधान की भावना को लेकर हम सब जीने वाले लोग हैं, हमने G20 की अध्यक्षता के दौरान विश्व के सामने वीमेन लेड डेवलपमेंट का विचार रखा था। विश्व के अंदर वीमेन डेवलपमेंट से अब आगे जाने की जरूरत है और इसलिए हमने वीमेन लेड डेवलपमेंट की चर्चा को अंजाम दिया। इतना ही नहीं, हम सभी सांसदों ने मिल कर एक स्वर से नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित करके, हमारी महिला शक्ति को भारतीय लोकतंत्र में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए हम लोगों ने कदम उठाए।

आदरणीय अध्यक्ष जी, आज हम देख रहे हैं कि हर बड़ी योजना के सेंटर में महिलाएं होती हैं और जब हम संविधान के 75 वर्ष मना रहे हैं। यह संयोग है और अच्छा संयोग है कि भारत के राष्ट्रपति के पद पर एक आदिवासी महिला विराजमान हैं। यह हमारे संविधान की भावना की अभिव्यक्ति भी है।

आदरणीय अध्यक्ष जी, इस सदन में भी लगातार हमारे महिला सांसदों की संख्या बढ़ रही है, उनका योगदान भी बढ़ रहा है, मंत्रिपरिषद में भी उनका योगदान बढ़ रहा है। आज सामाजिक क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, खेल-कूद का क्षेत्र हो, क्रिएटिव वर्ल्ड की दुनिया हो, जीवन के हर क्षेत्र में महिलाओं का योगदान, महिलाओं का प्रतिनिधित्व देश के लिए गौरव दिलाने वाला रहा है। विज्ञान के क्षेत्र में खास कर स्पेस टेक्नोलॉजी में उनके योगदान की सराहना हर हिन्दुस्तानी बड़े गर्व के साथ कर रहा है। इन सबकी सबसे बड़ी प्रेरणा हमारा संविधान है।

आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारा देश बहुत तेज गति से विकास कर रहा है। भारत बहुत ही जल्द विश्व की तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति बनने की दिशा में बहुत मजबूत कदम रख रहा है और इतना ही नहीं, 140 करोड़ देशवासियों का संकल्प है कि जब हम आजादी की शताब्दी मनाएंगे, हम इस देश को विकसित भारत बनाकर रहेंगे। यह हर भारतीय का संकल्प है। यह हर भारतीय का सपना है, लेकिन इस संकल्प से सिद्धि के लिए जो सबसे बड़ी आवश्यकता है, वह है भारत की एकता।

हमारा संविधान भी भारत की एकता का आधार है। हमारे संविधान के निर्माण कार्य में इस देश

के बड़े-बड़े दिग्गज थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, साहित्यकार थे, विवेचक थे, सामाजिक कार्यकर्ता थे, शिक्षाविद थे, कई फील्ड के प्रोफेशनल्स थे, मजदूर नेता थे, किसान नेता थे। समाज के हर वर्ग का प्रतिनिधित्व था और सब के सब भारत की एकता के प्रति बहुत ही संवेदनशील थे। जीवन के भिन्न-भिन्न क्षेत्र से आए हुए, देश के अलग-अलग भू-भाग से आए हुए सभी लोग इस बात के प्रति सजग थे और बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने चेताया था। मैं बाबा साहेब का क्वोट पढ़ रहा हूं। बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था:

> "समस्या यह है कि देश में जो विविधता से भरा जनमानस है, उसे किस तरह एकमत किया जाए, कैसे देश के लोगों को एक दूसरे के साथ होकर निर्णय लेने के लिए प्रेरित किया जाए, जिससे कि देश में एकता की भावना स्थापित हो। "

आदरणीय अध्यक्ष जी, मुझे बड़े दु:ख के साथ कहना है कि आज़ादी के बाद एक तरफ संविधान निर्माताओं के दिल-दिमाग में एकता थी, लेकिन आज़ादी के बाद विकृत मानसिकता के कारण या स्वार्थवश अगर सबसे बड़ा प्रहार हुआ था तो देश की एकता के मूल भाव पर प्रहार हुआ। विविधता में एकता – यह भारत की विशेषता रही है। हम विविधता को सेलिब्रेट करते हैं और इस देश की प्रगति भी विविधता को सेलिब्रेट करने में है। लेकिन गुलामी की मानसिकता में पले-बढ़े लोगों ने, भारत का भला न देख पाने वाले लोगों ने, और जिनके लिए हिन्दुस्तान 1947 में ही पैदा हुआ, उनके लिए यह जो धारणा बन गई थी, वे विविधता में विरोधाभास ढूंढते रहे। इतना ही नहीं, विविधता हमारा अमूल्य खजाना है, उसको सेलिब्रेट करने के बजाय उस विविधता में ऐसे जहरीले बीज बोने के प्रयास करते रहे, ताकि देश की एकता को चोट पहुंचे।

आदरणीय अध्यक्ष जी, हमें विविधता का उत्सव हमारे जीवन का अंग बनाना होगा और वही बाबा साहेब अम्बेडकर को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं संविधान के प्रकाश में ही अपनी बातों रखना चाहता हूं और इसलिए अगर आप हमारी नीतियों को देखेंगे, पिछले दस साल देश की जनता ने हमें जो सेवा करने का मौका दिया है, हमारे निर्णयों की प्रक्रिया को देखेंगे तो भारत की एकता को मजबूती देने का निरंतर हम प्रयास करते रहे हैं। आर्टिकल 370 देश की एकता में

रुकावट बना पड़ा था, दीवार बना पड़ा था। देश की एकता हमारी प्राथमिकता थी, जो कि हमारे संविधान की भावना थी और इसीलिए आर्टिकल 370 को हमने जमीन में दबा दिया, क्योंकि देश की एकता हमारी प्राथमिकता है।

आदरणीय अध्यक्ष जी, इतने बड़े विशाल देश में अगर आर्थिक रूप से हमें आगे बढ़ना है, हमारी व्यवस्थाओं को, और विश्व को भी निवेश के लिए आना है तो भारत में अनुकूल व्यवस्थाएं चाहिए।

उसी में से, हमारे देश में एक लम्बे अर्से तक जीएसटी को लेकर चर्चा चलती रही। मैं समझता हूँ कि इकोनॉमिक यूनिटी के लिए जीएसटी ने एक बहुत बड़ी भूमिका अदा की है। इसमें पहले की भी सरकार का कुछ योगदान है। वर्तमान समय में, हमको इसे आगे बढ़ाने का अवसर मिला और हमने इसको किया। वह भी 'वन नेशन, वन टैक्स' उस भूमिका को आगे बढ़ा रहा है।

माननीय अध्यक्ष जी, हमारे देश में राशन कार्ड गरीब के लिए एक बहुत मूल्यवान दस्तावेज़ रहा है। लेकिन अगर गरीब एक राज्य से दूसरे राज्य में जाता था, तो वह कुछ भी प्राप्त करने का हकदार नहीं बनता था। इतना बड़ा देश है, वह इसके किसी भी कोने में जाए, उसका उतना ही अधिकार है। एकता के उस भाव को मजबूत करने के लिए हमने 'वन नेशन, वन राशन कार्ड' की बात को मजबूती से रखा।

माननीय अध्यक्ष जी, देश के गरीब को, देश के सामान्य नागरिक को अगर मुफ्त में इलाज मिले, तो गरीबी से लड़ने की उसकी ताकत अनेक गुना बढ़ जाती है। लेकिन उसके लिए जहाँ वह काम करता है, वहाँ पर तो यह सुविधा मिल जाएगी, लेकिन अगर किसी कामवश वह बाहर गया है और वहाँ पर वह जीवन और मृत्यु की लड़ाई लड़ता हो, तो ऐसे समय में उसको सुविधा नहीं मिलेगी, तो व्यवस्था किस काम की? इसलिए देश की एकता के मंत्र को जीने वाले हम लोगों ने यह तय किया कि 'वन नेशन, वन हेल्थ कार्ड' हो। इसलिए हमने आयुष्मान भारत योजना बनाई।

आज बिहार के दूर-दराज के क्षेत्र का व्यक्ति भी अगर पुणे में कोई काम कर रहा है और वह अचानक बीमार हो गया, तो उसके लिए आयुष्मान कार्ड होना एनफ है, उसे इसकी सेवा मिल सकती है।

माननीय अध्यक्ष जी, हम जानते हैं, देश में कई बार ऐसा हुआ है कि देश के एक हिस्से में बिजली थी, लेकिन बिजली सप्लाई नहीं हो रही थी, इसके कारण दूसरे इलाकों में अंधेरा था। पिछली सरकार में, विश्व के अन्दर भारत की बदनामी, अंधेरे को लेकर हेडलाइंस से हुआ करती थी। वह दिन हमने देखे हैं। तब जाकर एकता के मंत्र को ले करके, संविधान की भावना को जीने वाले हम लोगों ने 'वन नेशन, वन ग्रिड' को परिपूर्ण कर दिया। इसलिए आज बिजली के प्रवाह को निर्विरोध रूप से हिन्दुस्तान के हर कोने में ले जाया जा सकता है।

आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर में भी भेदभाव की बू आती रही है। हमने उसे मिटाकर, देश की एकता को ध्यान में रखते हुए, एक संतुलित विकास को ध्यान में रखते हुए हमने उस भेदभाव की भावना को खत्म करते हुए एकता को मजबूत किया। नॉर्थ-ईस्ट हो या जम्मू-कश्मीर हो, हिमालय की गोद के इलाके हों या रेगिस्तान के सटे हुए इलाके हों, हमने पूरी तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर को एक सामर्थ्य देने का प्रयास किया है ताकि एकता के भाव में, अभाव के कारण कोई दूरी पैदा न हो। हमने उसे बदलने का काम किया है।

आदरणीय अध्यक्ष जी, युग बदल चुका है। हम नहीं चाहते हैं कि डिज़िटल के क्षेत्र में हैव्स एंड हैव नॉट्स की स्थिति बन जाए। इसलिए हम दुनिया के अन्दर बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि भारत के डिज़िटल इंडिया की जो सक्सेस स्टोरी है, उसका एक कारण है कि हमने टेक्नोलॉजी को डेमोक्रेटाइज़ करने का प्रयास किया है। उसी का भाग है, हमारे संविधान निर्माताओं ने हमें दिशा दिखाई है कि हमने ऑप्टिकल फाइबर हिन्दुस्तान की हर पंचायत तक ले जाने का प्रयास किया है ताकि भारत की एकता को मजबूती देने में हमें ताकत मिले।

आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारे संविधान की अपेक्षा है एकता की। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने मातृभाषा के महात्मय को स्वीकारा है। मातृभाषा को दबा करके हम देश के जन-मानस को संस्कारित नहीं कर सकते हैं।

इसलिए, हमने न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी मातृभाषा पर बहुत बल दिया है। … (व्यवधान) अब मेरे देश के गरीब का बच्चा भी मातृभाषा में डॉक्टर, इंजीनियर बन सकता है, क्योंकि हमारा

संविधान उन सबके पीछे है, उन सबकी दरकार करने का हमें आदेश देता है। इतना ही नहीं, हमने क्लासिकल लैंग्वेज की दिशा में भी, कई लैंग्वेजेज़, जिनका हक बनता था, उनको हमने उस स्थान पर रखकर उनका सम्मान किया था। देश भर में 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' का अभियान देश की एकता को मजबूत और नई पीढ़ी को संस्कारित करने का काम हमारी तरफ से चल रहा है।

आदरणीय अध्यक्ष जी, काशी तमिल संगमम और काशी तेलुगू संगमम आज बहुत बड़े रूप में इंस्टिट्यूशनलाइज़ हुआ है। समाज की निकटता को मजबूती देने का एक सांस्कृतिक प्रयास भी हमारा चलता रहा है, क्योंकि उसका कारण यही है कि संविधान की पूर्ण धारा में भारत की एकता का महात्म्य स्वीकार किया गया है और उसको हमें बल देना चाहिए।

आदरणीय अध्यक्ष जी, संविधान के आज 75 वर्ष हो रहे हैं, लेकिन हमारे यहां तो 25 वर्ष का भी महत्व होता है, 50 वर्ष का भी महत्व होता है, 60 साल का भी महत्व होता है। ज़रा हम इतिहास की तरफ नज़र करें कि संविधान यात्रा के इन महत्वपूर्ण पड़ावों में क्या हुआ था? जब देश संविधान के 25 वर्ष पूरे कर रहा था, उसी समय हमारे देश में संविधान को नोंच लिया गया, इमरजेंसी, आपातकाल लाया गया। ... (व्यवधान) संवैधानिक व्यवस्थाओं को समाप्त कर दिया गया। ... (व्यवधान) देश को जेलखाना बना दिया गया। ... (व्यवधान) नागरिकों के अधिकारों को लूट लिया गया। ... (व्यवधान) प्रेस की स्वतंत्रता को ताले लगा दिए गए। कांग्रेस के माथे पर यह जो पाप है, वह कभी भी धुलने वाला नहीं है। ... (व्यवधान) दुनिया में जब-जब लोकतंत्र की चर्चा होगी, कांग्रेस के माथे का यह पाप कभी धुलने वाला नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र का गला घोंट दिया गया था। भारत के संविधान निर्माताओं की तपस्या को मिट्टी में मिलाने की कोशिश की गई थी।

आदरणीय अध्यक्ष जी, जब 50 साल हुए, तब क्या भुला दिया गया था? जी, नहीं। श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी और 26 नवंबर, 2000 को देश भर में संविधान का 50वां वर्ष मनाया गया था। ... (व्यवधान) श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने प्रधान मंत्री के नाते राष्ट्र को एक विशेष संदेश दिया था। एकता, जनभागीदारी, साझेदारी, उसके महत्व पर बल देते हुए उन्होंने संविधान की भावना को जीने का प्रयास किया था, जनता को जगाने का भी प्रयास किया था।

अध्यक्ष जी, जब देश संविधान का 50वां वर्ष मना रहा था और जब 50 वर्ष की पूर्णाहुति हुई, तो यह मेरा भी सौभाग्य था कि मुझे भी संविधान की प्रक्रिया से मुख्य मंत्री बनने का अवसर मिल गया था। ... (व्यवधान) मैं जब मुख्य मंत्री था, उसी कार्यकाल में संविधान के 60 साल पूरे हुए और तब मैंने मुख्य मंत्री के नाते तय किया था कि हम गुजरात में संविधान के 60 साल मनाएंगे। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है, जब संविधान के ग्रंथ को हाथी पर बनाई हुई अम्बाड़ी में रखा गया हो, उसे विशेष व्यवस्था में रखा गया हो। ... (व्यवधान) हाथी पर संविधान गौरव यात्रा निकाली गई और राज्य का मुख्य मंत्री उस संविधान के नीचे हाथी के बगल में पैदल चल रहा था और देश को संविधान का महात्म्य समझाने का सांकेतिक प्रयास कर रहा था।

अध्यक्ष जी, यह सौभाग्य भी मुझे प्राप्त हुआ था, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे लिए संविधान का क्या महात्म्य है। आज 75 साल हुए और हमें अवसर मिला। मुझे याद है जब मैंने लोक सभा के पुराने सदन के अंदर 26 नवम्बर को संविधान दिवस मनाने की बात कही थी, तब एक वरिष्ठ नेता ने सामने से आवाज उठाई थी कि 26 जनवरी तो है, 26 नवम्बर मनाने की क्या जरूरत है। क्या भावना घर कर गई थी, यह बहुत पुरानी बात नहीं है। इसी सदन में मेरे सामने हुआ था। मेरे लिए यह खुशी की बात है कि इस विशेष सत्र में अच्छा होता कि संविधान की शक्ति, संविधान की विविधताओं पर चर्चा होती और नई पीढ़ी के काम आता, लेकिन हर व्यक्ति की अपनी-अपनी मजबूरियां होती हैं। हर कोई अपना दुख किसी न किसी रूप में प्रकट करता रहता है। कई लोगों ने अपनी विफलताओं का दुख प्रकट किया है। अच्छा होता दलगत भावनाओं से ऊपर उठकर देश हित में संविधान की चर्चा हुई होती, तो देश की नई पीढ़ी को स्मृति मिलती।

अध्यक्ष जी, मैं संविधान के प्रति विशेष आदर का भाव व्यक्त करना चाहता हूं। इस संविधान की भावना थी कि मेरे जैसे अनेक लोग, जो यहां पहुंच नहीं पाते। यह संविधान था, जिसके कारण हम पहुंच पाए, क्योंकि हमारा कोई बैकग्राउंड नहीं था। हम यहां तक कैसे आते? यह संविधान का सामर्थ्य था। जनता जनार्दन के आशीर्वाद से इतना बड़ा दायित्व निभाने का मुझे मौका मिला। मेरे जैसे बहुत लोग यहां भी हैं, जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं है और वे सामान्य परिवार से आए हैं और आज संविधान

ने हमें यहां तक पहुंचाया है। यह भी कितना बड़ा सौभाग्य है कि हमें देश ने इतना स्नेह दिया है कि एक बार नहीं, दो बार नहीं बल्कि तीन बार देश की सेवा करने का मौका दिया है। यह हमारे संविधान के बिना संभव नहीं था।

आदरणीय अध्यक्ष जी, उतार-चढ़ाव तो आए, कठिनाइयां भी आईं, रुकावटें भी आईं, लेकिन मैं एक बार फिर देश की जनता को नमन करता हूं कि देश की जनता पूरी ताकत के साथ संविधान के साथ खड़ी रही। मैं आज यहां किसी की व्यक्तिगत आलोचना नहीं करना चाहता हूं लेकिन तथ्यों को देश के सामने रखना जरूरी है और इसीलिए मैं तथ्यों को रखना चाहता हूं। कांग्रेस के एक परिवार ने संविधान को चोट पहुंचाने में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ी है।… (व्यवधान) मैं इसलिए एक परिवार का उल्लेख करता हूं कि 75 साल की हमारी यात्रा में 55 साल एक ही परिवार ने राज किया है, इसलिए देश को क्या-क्या हुआ है, यह जानने का अधिकार है। …(व्यवधान) इस परिवार के कुविचार, कुरीति, कुनीति - इसकी परम्परा निरंतर चल रही है। हर स्तर पर इस परिवार ने संविधान को चुनौती दी है। … (व्यवधान)

आदरणीय अध्यक्ष जी, वर्ष 1947 से 1952 इस देश में इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं थी। एक अस्थायी व्यवस्था थी, एक सिलेक्टेड सरकार थी और चुनाव नहीं हुए थे। जब तक चुनाव न हों, तब तक एक इंटरिम व्यवस्था के रूप में कोई खाका खड़ा करना चाहिए, किया गया था। वर्ष 1952 के पहले राज्य सभा का भी गठन नहीं हुआ था। राज्यों में भी कोई चुनाव नहीं हुआ था, जनता का कोई आदेश नहीं था। अभी-अभी तो संविधान निर्माताओं ने इतना मंथन करके संविधान बनाया था। वर्ष 1951 में जबकि चुनी हुई सरकार नहीं थी, उसके बावजूद भी उन्होंने संविधान को बदला और क्या किया - अभिव्यक्ति की आज़ादी पर हमला कर दिया गया। यह संविधान निर्माताओं का भी अपमान था, क्योंकि ऐसी बातें तो संविधान सभा में नहीं आईं होंगी, ऐसा नहीं है। लेकिन, वहां उनकी चली नहीं, तो बाद में जैसे ही मौका मिला, उन्होंने अभिव्यक्ति की आज़ादी पर हथौड़ा मार दिया। यह संविधान निर्माताओं का घोर अपमान था। अपने मन की चीज़ें, जो संविधान सभा के अन्दर नहीं करवा पाए, उसे उन्होंने पिछले दरवाजे से किया, और यह भी कि वे चुनी हुई सरकार के प्रधान मंत्री नहीं थे।

उन्होंने पाप किया था।

आदरणीय अध्यक्ष जी, इतना ही नहीं, उस दौरान उस समय के प्रधान मंत्री पंडित नेहरू जी ने मुख्य मंत्रियों को एक चिट्ठी लिखी थी। उस चिट्ठी में उन्होंने लिखा था, नेहरू जी लिखते हैं - 'अगर संविधान हमारे रास्ते के बीच में आ जाए.. ' यह नेहरू जी लिख रहे हैं - 'अगर संविधान हमारे रास्ते के बीच में आ जाए..' आगे नेहरू जी कह रहे हैं – '... तो हर हाल में संविधान में परिवर्तन करना चाहिए।' यह नेहरू जी ने मुख्य मंत्रियों को चिट्ठी लिखी।... (व्यवधान)

आदरणीय अध्यक्ष जी, यह भी देखिए कि वर्ष 1951 में यह पाप किया गया, लेकिन देश चुप नहीं था। उस समय राष्ट्रपति डॉक्टर राजेन्द्र प्रसाद जी ने चेताया कि यह गलत हो रहा है। उस समय स्पीकर पद पर बैठे हुए हमारे स्पीकर महोदय ने भी पंडित जी को कहा कि आप गलत कर रहे हो। इतना ही नहीं, आचार्य कृपलानी, जय प्रकाश नारायण जैसे महान कांग्रेसी लोगों ने भी पंडित नेहरू से कहा कि यह रोको, लेकिन पंडित जी का अपना संविधान चलता था। इसलिए उन्होंने इतने वरिष्ठ महानुभावों की सलाह मानी नहीं, और उसे भी उन्होंने दरकिनार कर दिया।

आदरणीय अध्यक्ष जी, यह संविधान संशोधन करने का ऐसा खून कांग्रेस के मुँह लग गया कि समय-समय पर वह संविधान का शिकार करती रही। इसका खून मुँह पर लग गया।... (व्यवधान) इतना ही नहीं, संविधान के स्पिरिट को लहू-लुहान करती रही।

आदरणीय अध्यक्ष जी, करीब छः दशकों में 75 बार संविधान बदला गया।... (व्यवधान)

आदरणीय अध्यक्ष जी, जो बीज देश के पहले प्रधान मंत्री जी ने बोए थे, उस बीज को खाद-पानी देने का काम एक और प्रधान मंत्री ने किया। उनका नाम था श्रीमती इंदिरा गांधी। जो पाप पहले प्रधान मंत्री कर के गए और जो खून लग गया था, सन् 1971 में सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया। उस फैसले को संविधान बदल कर के पलट दिया गया और सन् 1971 में यह संविधान संशोधन किया गया था। वह क्या था? उन्होंने हमारे देश की अदालत के पंख काट दिए थे। यहां पर यह कहा था कि संसद संविधान के किसी भी आर्टिकल में जो मर्जी पड़े, वह कर सकती है और अदालत उसकी तरफ देख भी नहीं सकती है। अदालत के सारे अधिकारों को छीन लिया गया था। यह पाप सन् 1971 में

उस समय की प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया था। ... (व्यवधान) इस परिवर्तन ने इंदिरा जी की सरकार को, मौलिक अधिकारों को छीनने और न्यायपालिका पर नियंत्रण करने का अधिकार दिया, सक्षम बना दिया।

आदरणीय अध्यक्ष जी, खून मुंह पर लग गया था। कोई रोकने वाला था नहीं। इसलिए जब इंदिरा जी के चुनाव को गैर रीति के कारण, असंवैधानिक तरीके से चुनाव लड़ने के कारण अदालत ने उनके चुनाव को खारिज कर दिया और उनको एमपी पद छोड़ने की नौबत आई तब उन्होंने गुस्से में आ कर देश पर इमरजेंसी थोप दी, आपातकाल लगा दिया। ... (व्यवधान) अपनी कुर्सी बचाने के लिए। उसके बाद, इतना ही नहीं, उन्होंने इमरजेंसी तो लगाई, संविधान का दुरुपयोग तो किया ही किया, भारत के लोकतंत्र का गला तो घोंट ही दिया, लेकिन सन् 1975 में 39वां संशोधन किया। उसमें उन्होंने क्या किया? राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति, प्रधान मंत्री, अध्यक्ष आदि इनके चुनाव के खिलाफ कोई कोर्ट में जा ही नहीं सकता है, ऐसा उन्होंने किया और वह भी रेट्रोस्पेक्टिव किया। आगे के लिए नहीं, पीछे के लिए भी किया, अपने पापों को भी उन्होंने खत्म कर लिया। ... (व्यवधान) आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं संविधान की बात कर रहा हूँ। मैं संविधान के आगे-पीछे कुछ नहीं बोल रहा हूँ। ... (व्यवधान)

आदरणीय अध्यक्ष जी, इमरजेंसी में लोगों के अधिकार छीन लिए गए। ... (व्यवधान) देश के हजारों लोगों को जेलों में ठूंस दिया गया। न्यायपालिका का गला घोंट दिया गया। अखबारों की स्वतंत्रता पर ताले लगा दिए गए। इतना ही नहीं, कमिटिड ज्यूडिशरी, इस विचार को उन्होंने पूरी ताकत दी।

इतना ही नहीं, जिस जस्टिस एच.आर. खन्ना ने उनके खिलाफ जो जजमेंट दिया था, उससे इतना गुस्सा भरा था कि जब जस्टिस एच.आर.खन्ना जो सीनियोरिटी के आधार पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बनने थे,... (व्यवधान) जिन्होंने संविधान के सम्मान करते हुए, उस स्पिरिट से जजमेंट दी थी, उनको मुख्य न्यायधीश नहीं बनने दिया गया।... (व्यवधान) यह संविधान वाला लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हुआ।... (व्यवधान)

आदरणीय अध्यक्ष जी, यहां भी ऐसे कई दल बैठे हैं, जिनके सारे मुखिया भी जेल में हुआ करते

थे।… (व्यवधान) यह इनकी मजबूरी है कि वहां जाकर बैठे हैं। उनको भी जेलों में ठूस दिया गया था।

आदरणीय अध्यक्ष जी, देश पर जुल्म व तांडव चल रहा था। निर्दोष लोगों को जेलों में ठूस दिया जाता था। लाठियाँ बरसायी जाती थीं। कई लोग जेलों में मौत के शरण हो गए थे और एक निर्दयी सरकार संविधान को चूर-चूर करती रही।

आदरणीय अध्यक्ष जी, यह परंपरा यहीं नहीं रूकी। जो परंपरा नेहरू जी ने शुरू की थी, जिसको दूसरे प्रधानमंत्री इंदिरा जी ने आगे बढ़ाया, क्योंकि खून मुंह पर लग गया था, इसलिए राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने। उन्होंने संविधान को एक और गंभीर झटका दे दिया। सबको समानता, सबको न्याय, उस भावना को चोट पहुंचायी।

आदरणीय अध्यक्ष जी, आपको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानो का जजमेंट दिया था। भारत की एक महिला को न्याय देने का काम संविधान की मर्यादा और स्पिरिट के आधार पर देश की सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। एक वृद्ध महिला को सुप्रीम कोर्ट से उसका हक मिला था, लेकिन उस समय के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने शाहबानो और सुप्रीम कोर्ट की उस भावना को नकार दिया। उन्होंने वोट बैंक की राजनीति के खातिर संविधान की भावना को बलि चढ़ा दिया और कट्टरपंथियों के सामने सर झुकाने का काम कर दिया।… (व्यवधान) उन्होंने न्याय के लिए तड़प रही एक वृद्ध महिला का साथ देने के बजाय कट्टरपंथियों का साथ दिया। संसद में कानून बना कर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को फिर एक बार पलट दिया गया।

आदरणीय अध्यक्ष जी, बात वहां तक नहीं अटकी है। नेहरू जी ने शुरू किया, इंदिरा जी ने आगे बढ़ाया और राजीव जी ने उसको ताकत दी, खाद-पानी देने का काम किया, क्योंकि संविधान के साथ खिलवाड़ करने का लहु उनके मुंह लग गया था।

आदरणीय अध्यक्ष जी, अगली पीढ़ी भी इसी खिलवाड़ में जुटी पड़ी है। एक किताब को मैं कोट कर रहा हूं। उस किताब में जो लिखा गया है, उस समय के प्रधानमंत्री, मेरे पहले जो प्रधानमंत्री थे, उनको कोट किया है। उन्होंने कहा है –'मुझे यह स्वीकार करना होगा कि पार्टी अध्यक्ष सत्ता का केंद्र है।' यह मनमोहन सिंह जी ने कहा है, जो इस किताब में लिखा गया है–'मुझे यह स्वीकार करना

होगा कि पार्टी अध्यक्ष सत्ता का केंद्र है, सरकार पार्टी के प्रति जवाबदेह है।' … (व्यवधान)

आदरणीय अध्यक्ष जी, इतिहास में पहली बार … (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप सदन मर्यादित तरीके से नहीं चलाना चाहते।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : यह तरीका बिल्कुल ठीक नहीं है। सदन के नेता बोल रहे हैं। आपको मर्यादा रखनी चाहिए। इस तरीके से सदन नहीं चलेगा। आपका यह तरीका गलत है।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय प्रधान मंत्री जी।

श्री नरेन्द्र मोदी : अध्यक्ष जी, इतिहास में पहली बार संविधान को ऐसी गहरी चोट पहुंचा दी गई। संविधान निर्माताओं ने, चुनी हुई सरकार और चुने हुए प्रधान मंत्री की कल्पना तक ही हमारा संविधान था, लेकिन इन्होंने तो प्रधान मंत्री के ऊपर एक गैर-संवैधानिक और जिसने कोई शपथ भी नहीं ली थी, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल पीएमओ के भी ऊपर बैठा दिया। … (व्यवधान) पीएमओ के ऊपर अघोषित दर्जा दे दिया गया।… (व्यवधान) इतना ही नहीं, एक पीढ़ी और आगे चली। उस पीढ़ी ने क्या किया? भारत के संविधान के तहत देश की जनता, जनार्दन सरकार चुनती है और वह सरकार का मुखिया कैबिनेट बनाता है। यह संविधान के तहत है।… (व्यवधान) इस कैबिनेट ने जो निर्णय किया, संविधान का अपमान करने वाले अहंकार से भरे लोगों ने पत्रकारों के सामने कैबिनेट के निर्णय को फाड़ दिया।… (व्यवधान) हर मौके पर संविधान के साथ खिलवाड़ करना, संविधान को न मानना, यह इनकी आदत हो गई थी। अब दुर्भाग्य देखिए, एक अहंकारी व्यक्ति कैबिनेट के निर्णय को फाड़ दे और कैबिनेट अपना फैसला बदल दे, यह कौन सी व्यवस्था है? … (व्यवधान)

अध्यक्ष जी, मैं जो कुछ भी कह रहा हूं, संविधान के साथ क्या हुआ, उसी की ही बात कर रहा हूं। उस समय करने वाले पात्रों को लेकर किसी को परेशानी होती होगी, लेकिन बात संविधान की है। मेरे मन के और मेरे विचारों को मैं अभिव्यक्त नहीं कर रहा हूं। … (व्यवधान) कांग्रेस ने निरन्तर संविधान की अवमानना की, संविधान के महत्व को कम किया। … (व्यवधान) कांग्रेस इसके अनेक उदाहरणों

से भरी पड़ी हुई है, संविधान के साथ धोखेबाजी कैसे करते थे, संवैधानिक संस्थाओं को कैसे नहीं मानते थे। … (व्यवधान) इस देश में बहुत कम लोगों को मालूम होगा, अनुच्छेद 370 की तो सबको पता है, अनुच्छेद 35ए का पता बहुत कम है। संसद में आए बिना, जबकि संसद में आना पड़ता, संसद को ही अस्वीकार कर दिया गया। भारत के संविधान का अगर कोई पहला पुत्र है तो यह संसद है। उसका भी इन्होंने गला घोंटने का काम किया। अनुच्छेद 35ए संसद में लाए बिना उन्होंने देश पर थोप दिया और अगर अनुच्छेद 35ए न होता, तो जम्मू-कश्मीर में जो हालत पैदा हुई, वह हालत पैदा न हुई होती। राष्ट्रपति के आदेश पर यह काम किया गया और देश की संसद को अंधेरे में रखा गया। यह संसद का अधिकार था। कोई अपनी मनमानी से नहीं कर सकता था।

उनके पास बहुमत था, वह कर सकते थे। लेकिन नहीं किया, क्योंकि पेट में पाप था। देश की जनता से छुपाना चाहते थे। इतना ही नहीं, बाबा साहब अम्बेडकर जिनके प्रति आज सम्मान का भाव सभी कोई अनुभव कर रहा है और हम लोगों के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि हम लोगों के जीवन में जो भी रास्ते मिले, वहीं से मिले।

आदरणीय अध्यक्ष जी, बाबा साहब अम्बेडकर जी के प्रति इतनी कटुता भरी थी, इतना द्वेष भरा था, आज मैं उसके डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन जब अटल जी की सरकार थी, बाबा साहब अम्बेडकर जी की जो महापरिनिर्वाण भूमि है वहां अलीपुर रोड पर अटल जी की सरकार में बाबा साहब अम्बेडकर जी के लिए स्मारक बनाना तय हुआ। दुर्भाग्य देखिए, दस वर्ष यूपीए की सरकार रही, उसने इस काम को नहीं किया और न होने दिया। जब हमारी सरकार आयी, बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति हमारी श्रद्धा होने के कारण हमने अलीपुर रोड पर बाबा साहब नेशनल मेमोरियल बनाया और उसका काम किया।

आदरणीय अध्यक्ष जी, दिल्ली में वर्ष 1992 में चन्द्रशेखर जी कुछ समय के लिए प्रधानमंत्री थे, उस समय एक 'अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर' बनाने का निर्णय किया, लेकिन वह दशकों तक कागजों पर ही पड़ा रहा, उसे नहीं किया गया। वर्ष 2015 में हमारी सरकार ने इस काम को पूरा किया। बाबा साहब अम्बेडकर को भारत रत्न देने का काम भी जब कांग्रेस सत्ता से बाहर गई तब संभव हुआ।

इतना ही नहीं, बाबा साहब अम्बेडकर की सवा साल जयंती पूरी दुनिया में मनायी गयी, विश्व के 120 देशों में मनाने का काम किया। लेकिन जब बाबा साहब अम्बेडकर की शताब्दी थी तब बीजेपी की मध्य प्रदेश में अकेली सरकार थी, सुंदर लाल पटवा जी हमारे मुख्यमंत्री थे। 'महु' जहां बाबा साहब अम्बेडकर जी का जन्म हुआ था, उसको स्मारक के रूप में पुनर्निर्माण करने का काम सुंदर लाल पटवा जी के मुख्यमंत्री के समय मध्य प्रदेश में हुआ था। शताब्दी के समय भी उनके साथ यही किया गया था।

हमारे देश में बाबा साहब अम्बेडकर एक दीर्घदृष्टा थे। समाज के दबे-कुचले लोगों को मुख्यधारा में लाने के लिए प्रतिबद्ध थे और एक लंबी सोच के साथ कि भारत को अगर विकसित होना है तो भारत का कोई अंग दुर्बल नहीं रहना चाहिए, यह चिंता बाबा साहब को सताती थी, तब जाकर देश में आरक्षण की व्यवस्था हुई। लेकिन वोट बैंक की राजनीति में डूबे हुए लोगों ने धर्म के आधार पर, तुष्टीकरण के नाम पर आरक्षण के अंदर कुछ न कुछ न नुकसान करने का प्रयास किया। इसका सबसे बड़ा नुकसान एससी, एसटी और ओबीसी समाज को हुआ।

आदरणीय अध्यक्ष जी, आरक्षण की कथा बहुत लंबी है, नेहरू जी से लेकर राजीव गांधी तक, कांग्रेस के प्रधानमंत्रियों ने आरक्षण का घोर विरोध किया है। हिस्ट्री कह रही है, आरक्षण के विरोध में लंबी-लंबी चिट्ठियां स्वयं नेहरू जी ने लिखी।

मुख्यमंत्रियों को चिट्ठियां लिखी हैं। इतना ही नहीं, इन लोगों ने सदन में आरक्षण के खिलाफ लंबे-लंबे भाषण दिए हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर जी समता के लिए और भारत में संतुलित विकास के लिए आरक्षण लेकर आए, उन्होंने उसके खिलाफ भी झंडा ऊंचा किया हुआ था। दशकों तक मंडल कमीशन की रिपोर्ट को डिब्बे में डालकर रखा था। जब कांग्रेस को देश ने हटाया, जब कांग्रेस गई तब जाकर ओबीसी को आरक्षण मिला था, तब तक नहीं मिला था। … (व्यवधान) यह कांग्रेस का पाप है। अगर उस समय मिला होता तो देश के अनेक पदों पर ओबीसी समाज के लोग देश की सेवा करते, लेकिन नहीं करने दिया, नहीं होने दिया। … (व्यवधान) इन्होंने यह पाप किया था।

आदरणीय अध्यक्ष जी, जब हमारे यहां संविधान का निर्माण चल रहा था तब संविधान निर्माताओं ने, धर्म के आधार पर आरक्षण होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इस विषय पर घंटों तक,

दिनों तक गहन चर्चा की, विचार-विमर्श किया और सबका मत बना कि भारत जैसे देश की एकता और अखंडता के लिए धर्म और संप्रदाय के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता। यह सुविचारित मत था। ऐसा नहीं था कि भूल गए थे या रह गया था, सोच-विचारकर तय किया गया था कि भारत की एकता और अखंडता के लिए संप्रदाय और धर्म के आधार पर यह नहीं होगा। लेकिन कांग्रेस ने सत्ता सुख के लिए, सत्ता भूख के लिए, अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए धर्म के आधार पर आरक्षण का नया खेल खेला, जो संविधान की भावना के खिलाफ है। इतना ही नहीं, कुछ जगह दे भी दिया और सुप्रीम कोर्ट से झटके लग रहे हैं। इसलिए अब दूसरे बहाने से बहाना बता रहे हैं कि यह करेंगे, वह करेंगे, मन में साफ है कि धर्म के आधार पर आरक्षण देना चाहते हैं और इसलिए खेल खेले जा रहे हैं। यह संविधान निर्माताओं की भावनाओं पर गहरी चोट करने का निर्लज्ज प्रयास है। … (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप सबने बोला है। यह तरीका ठीक नहीं है। आपके नेता ने बोला है, आपने भी बोला है। इस तरह से बैठे-बैठे बात न करें।

… (व्यवधान)

श्री नरेन्द्र मोदी : माननीय अध्यक्ष जी, एक और विषय ज्वलंत है, मैं इसकी भी चर्चा करना चाहता हूं। यह ज्वलंत विषय समान नागरिक संहिता, यूनिफार्म सिविल कोड है। यह विषय भी संविधान सभा के ध्यान से बाहर नहीं था। संविधान सभा ने यूनिफार्म सिविल कोड को लेकर लंबी चर्चा की, गहन चर्चा की और उन्होंने बहस के बाद निर्णय किया कि अच्छा होगा जो भी सरकार चुनकर आए, वह उसका निर्णय करे और देश में यूनिफार्म सिविल कोड लागू करे। यह संविधान सभा का आदेश था। बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने जो कहा था, जो लोग संविधान को समझते नहीं हैं, देश को समझते नहीं हैं, सत्ता भूख से बड़ा कुछ नहीं है, उनको पता नहीं है कि बाबा साहेब ने क्या कहा था। मैं बाबा साहेब की बात कर रहा हूं, इतना वीडियो कट करके घुमाना मत।

आदरणीय अध्यक्ष जी, बाबा साहेब ने कहा था और धार्मिक आधार पर बने पर्सनल लॉ को खत्म करने की जोरदार वकालत की थी।

19.00 hrs

उस समय के सदस्य के.एम. मुंशी जी ने समान नागरिक संहिता को राष्ट्र की एकता और आधुनिकता के लिए अनिवार्य बताया था। सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार कहा है कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड जल्द से जल्द लाना चाहिए। सरकारों को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए हैं और उसी संविधान की भावना को ध्यान में रखते, संविधान निर्माताओं की भावना को ध्यान में रखते हुए हम पूरी ताकत से सेक्युलर सिविल कोड के लिए लगे हुए हैं। आज कांग्रेस के लोग संविधान निर्माताओं की भावना का भी, सुप्रीम कोर्ट की भावना का भी अनादर कर रहे हैं, क्योंकि उनकी राजनीति को वह सूट नहीं करता है। उनके लिए संविधान कोई पवित्र ग्रंथ नहीं है। उनके लिए वह राजनीति का एक हथियार है। खेल खेलने का हथियार बना दिया, लोगों को डराने के लिए संविधान को हथियार बनाया जाता है।

आदरणीय अध्यक्ष जी, कांग्रेस पार्टी के लिए तो संविधान शब्द भी उनके मुंह में शोभा नहीं देता है, इसलिए जो अपनी पार्टी के संविधान को नहीं मानते हैं, जिन्होंने अपनी पार्टी के संविधान को कभी स्वीकार नहीं किया है, क्योंकि संविधान को स्वीकार करने के लिए लोकतांत्रिक स्पिरिट लगती है, जो इनकी रगों में नहीं है। सत्तावाद और परिवारवार भरा पड़ा है। आप देखिए कि शुरुआत ही कितनी गड़बड़ हुई है। मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूं। कांग्रेस की 12 प्रदेश कमेटियों ने सरदार पटेल के नाम पर सहमति दी थी। नेहरू जी के साथ एक भी कमेटी नहीं थी, not a single. संविधान के तहत सरदार साहब ही देश के प्रथम प्रधान मंत्री बनते, लेकिन लोकतंत्र में श्रद्धा नहीं, खुद के संविधान पर विश्वास नहीं, खुद के ही संविधान को स्वीकारना नहीं और सरदार साहब देश के प्रधान मंत्री नहीं बन सके और ये बैठ गए थे। जो लोग अपनी पार्टी के संविधान को नहीं मानते, वे कैसे देश के संविधान को स्वीकार कर सकते हैं? … (व्यवधान)

आदरणीय अध्यक्ष जी, जो लोग संविधान में लोगों के नाम ढूंढते रहते हैं, मैं जरा बताना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी के एक अध्यक्ष हुआ करते थे और वे अति पिछड़े समाज से आते थे। अति पिछड़े समाज से आते हुए उनके अध्यक्ष श्रीमान् सीताराम केसरी जी थे। उनका कैसा अपमान किया गया, कहते हैं कि उन्हें बाथरूम में बंद कर दिया गया। उन्हें उठाकर फुटपाथ पर फेंक दिया गया। …

(व्यवधान) अपनी पार्टी के संविधान में ऐसा कभी नहीं लिखा गया, लेकिन अपनी पार्टी के संविधान को न मानना, लोकतंत्र की प्रक्रिया को न मानना और पूरी कांग्रेस पार्टी पर एक परिवार ने कब्जा कर लिया गया। लोकतंत्र को नकार दिया। … (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: नहीं, आपके सदस्यों ने क्या-क्या बोला था कि ठीक नहीं है? जब सदन के नेता बोल रहे हैं तो सदन की मर्यादा को बनाए रखिए और ठीक परम्परा बनाइए।

… (व्यवधान)

श्री नरेन्द्र मोदी : अध्यक्ष महोदय, संविधान के साथ खिलवाड़ करना, संविधान के स्पिरिट को तहस-नहस करना, यह कांग्रेस की रगों में रहा है।… (व्यवधान) हमारे लिए संविधान, उसकी पवित्रता, उसकी शुचिता हमारे लिए सर्वोपरि है। यह शब्दों में नहीं है, जब-जब हमें कसौटी पर कसा गया है, तब-तब हम तप करके निकले हुए लोग हैं। मैं उदाहरण देना चाहता हूं। वर्ष 1996 में सबसे बड़े दल के रूप में भारतीय जनता पार्टी जीतकर आई थी। वह सबसे बड़ा दल था और राष्ट्रपति जी ने संविधान की भावना के तहत सबसे बड़े दल को प्रधानमंत्री की शपथ के लिए बुलाया और 13 दिन सरकार चली। अगर संविधान के स्पिरिट के प्रति हमारी भावना न होती तो हम भी यह बांटों, वह बांटों, यह दे दो, वह दे दो, इसको डिप्टी पीएम बना दो, इसको ढिकना बना दो, हम भी सत्ता सुख भोग सकते थे। लेकिन, अटल जी ने सौदेबाजी का रास्ता नहीं चुना, संविधान के सम्मान का रास्ता चुना और 13 दिनों के बाद इस्तीफा देना स्वीकार कर लिया। … (व्यवधान) यह ऊंचाई है हमारी लोकतंत्र की। इतना ही नहीं वर्ष 1998 में एनडीए की सरकार थी। सरकार चल रही थी, लेकिन कुछ लोगों को 'हम नहीं तो कोई नहीं', यह एक परिवार का खेल चला है। अटल जी की सरकार को अस्थिर करने के लिए खेल चले गए। वोट हुआ, खरीद-फरोख्त तब भी हो सकती थी, बाजार में माल तब भी बिकता था, लेकिन संविधान की भावना के प्रति समर्पित अटल बिहारी वोजपेयी जी ने एक वोट से हारना पसंद किया, उन्होंने इस्तीफा दिया, लेकिन कोई असंवैधानिक कृत्य नहीं किया। … (व्यवधान) यह हमारा इतिहास है। ये हमारे संस्कार हैं। यह हमारी परंपरा है।

दूसरी तरफ अदालत ने भी जिस पर ठप्पा मार दिया, कैश फॉर वोट का कांड, एक अल्पमत

सरकार को … (व्यवधान) असंवैधानिक तरीके से सरकार बचाने के लिए भारत के लोकतंत्र की भावना को बाजार बना दिया गया। वोट खरीदे गए। … (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, 1990 के दशक में कई सांसदों को रिश्वत देने का पाप किया गया, क्या यह संविधान की भावना थी? 140 करोड़ देशवासियों के मन में जो लोकतंत्र पनपा है, उस लोकतंत्र के साथ यह खिलवाड़ ! कांग्रेस के लिए सत्ता सुख, सत्ता की भूख, यही एकमात्र कांग्रेस का इतिहास है और यही कांग्रेस का वर्तमान है।

अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2014 को एनडीए को सेवा का मौका मिला। संविधान और लोकतंत्र को मजबूती मिली। ये जो पुरानी बीमारियां थीं, उस बीमारी से मुक्ति का हमने एक अभियान चलाया।

यहां से पूछा गया कि हमने भी संविधान संशोधन किए हैं, जी हां। हमने भी संविधान संशोधन किए हैं, देश की एकता के लिए, देश की अखंडता के लिए, देश के उज्ज्वल भविष्य के लिए। आज संविधान की भावना के प्रति पूर्ण समर्पण के साथ संशोधन किए हैं। हमने संविधान संशोधन किया, क्यों किया? इस देश का ओबीसी समाज तीन-तीन दशकों से ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा देने के लिए मांग कर रहा था। ओबीसी के सम्मान के लिए, उसको संवैधानिक दर्जा देने के लिए, हमने संविधान संशोधन किया है, हमें यह करने का गर्व है। समाज के दबे, कुचले लोगों के साथ खड़े होना, यह हम अपना कर्तव्य मानते हैं, इसलिए हमने संविधान संशोधन किया है।

आदरणीय अध्यक्ष जी, इस देश में एक बहुत बड़ा वर्ग था, वह किसी भी जाति में क्यों न जन्मा हो, लेकिन गरीबी के कारण वह अवसरों को नहीं पा सकता था, आगे बढ़ नहीं सकता था। इसलिए उसमें असंतोष की ज्वाला भड़क रही थी और सबकी मांग रहती थी, कोई निर्णय नहीं करता था। हमने संविधान संशोधन किया, सामान्य जन के गरीब परिवार के 10 प्रतिशत आरक्षण का किया और यह आरक्षण का पहला संशोधन था, देश में कोई विरोध का स्वर नहीं उठा, हर किसी ने उसको प्यार से स्वीकर किया। संसद ने भी सहमति के साथ पारित किया, क्योंकि उसमें समाज की एकता की ताकत पड़ी थी, संविधान की भावनाओं का भाव पड़ा था। सबने सहयोग किया था, तब जाकर यह हुआ था।

आदरणीय अध्यक्ष जी, जी हां, हमने भी संविधान में संशोधन किए हैं, लेकिन हमने संविधान

में संशोधन किया, महिलाओं को शक्ति देने के लिए, संसद और विधान सभाओं में और संसद का पुराना भवन गवाह है, जब देश महिलाओं को आरक्षण देने के लिए आगे बढ़ रहा था और बिल पेश हो रहा था, तब उन्हीं का एक साथी दल वेल में आता है, कागज छीन लेता है, फाड़ देता है, सदन स्थगित हो जाता है और वह विषय 40 सालों तक लटका रहता है। वह आज उनका मार्गदर्शक है, जिन्होंने देश की महिलाओं के साथ अन्याय किया है, वह उनका मार्गदर्शक है।…(व्यवधान)

आदरणीय अध्यक्ष जी, हमने संविधान संशोधन किया, हमने देश की एकता के लिए किया। बाबासाहेब अंबेडकर का संविधान अनुच्छेद 370 की दीवार के कारण जम्मू-कश्मीर की तरफ देख भी नहीं सकता था। हम चाहते थे कि बाबासाहेब अंबेडकर का संविधान हिन्दुस्तान के हर हिस्से में लगना चाहिए। इसलिए बाबासाहेब को श्रद्धांजलि भी देनी थी, देश की एकता को मजबूत करना था। हमने संविधान संशोधन किया, डंके की चोट पर किया और अनुच्छेद 370 को हटाया है। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने भी अब उस पर मोहर लगा दी है।

आदरणीय अध्यक्ष जी, हमने अनुच्छेद 370 को हटाने के लिए संशोधन किया है। हमने ऐसे कानून भी बनाए हैं, जब देश का विभाजन हुआ था, तब महात्मा गांधी जी समेत देश के वरिष्ठ नेताओं ने सार्वजनिक रूप से कहा था कि जो हमारे पड़ोस के देश हैं, जहां माइनोरिटीज़ हैं, जब भी वह संकट में आएगी, उनकी चिंता यह देश करेगा। गांधी जी का वचन था। जो उनके नाम पर सत्ता पर चढ़ जाते थे, उन्होंने तो पूरा नहीं किया, हमने सीएए लाकर उसको पूरा किया है।

उस कानून को हम लाए। हमने किया है और गर्व के साथ आज भी हम उसको ओन कर रहे हैं। हम मुंह नहीं छिपाते हैं, क्योंकि देश के संविधान की भावना के साथ मजबूती के साथ खड़े रहने का काम किया है। जो हमने संविधान संशोधन किए हैं, वे पुरानी गलतियों को ठीक करने के लिए किए हैं और एक उज्ज्वल भविष्य का रास्ता मजबूत करने के लिए किए हैं। समय बताएगा, समय की कसौटी पर हम खरे उतरेंगे, क्योंकि सत्ता स्वार्थ के लिए किया गया पाप नहीं है, देशहित में किया गया पुण्य है।

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, संविधान पर अनेक भाषण हुए और अनेक विषय उठाए गए। हर एक की अपनी राजनीतिक मजबूरियां होंगी और कुछ न कुछ करने के लिए कुछ करते होंगे, लेकिन

हमारा संविधान सबसे ज्यादा जिस बात को लेकर संवेदनशील रहा है, वह है - भारत के लोग, वी द पीपुल, भारत के नागरिक। संविधान उनके लिए है, उनके हितों के लिए है, उनके कल्याण के लिए है, उनकी गरिमा के लिए है। इसलिए संविधान भारत के कल्याणकारी राज्य के लिए हमें दिशा-निर्देश देता है। कल्याणकारी राज्य का मतलब है, जहां नागरिकों को भी गरिमा प्राप्त हो, उनको गरिमामय जीवन की गारंटी मिलनी चाहिए। हमारे कांग्रेस के साथियों को एक शब्द बहुत प्रिय है, मैं आज उस शब्द का उपयोग करना चाहता हूं। उनका सबसे प्रिय शब्द है, जिसके बिना वह जी नहीं सकते हैं, वह शब्द है – जुमला। कांग्रेस के हमारे साथी, उनको दिन रात जुमला ... (व्यवधान) लेकिन इस देश को पता है कि हिंदुस्तान में अगर सबसे बड़ा जुमला कोई था और वह चार-चार पीढ़ियों ने चलाया, वह जुमला था – गरीबी हटाओ। ... (व्यवधान) गरीबी हटाओ ऐसा जुमला था, उनकी राजनीति की रोटी तो सिकती थी, लेकिन गरीब का हाल ठीक नहीं होता था। ... (व्यवधान)

आरणीय अध्यक्ष महोदय, जरा कोई मुझे कहे कि आजादी के इतने सालों के बाद क्या एक डिग्निटी के साथ जीने वाले परिवार को टॉयलेट उपलब्ध नहीं होना चाहिए? क्या आपको यह काम करने की फुर्सत नहीं मिली? आज देश में टॉयलेट बनाने के अभियान को, जो गरीबों के लिए एक सपना था, उनकी डिग्निटी के लिए हमने इस काम को हाथ में लिया और हम उसमें जी-जान से जुटे रहे। मुझे मालूम है कि उसका मजाक उड़ाया गया, लेकिन उसके बाद भी सामान्य नागरिक के जीवन की गरिमा हमारे दिल और दिमाग में होने के कारण, हम डिगे नहीं, हम अड़े रहे और आगे बढ़ते चले गए, तब जाकर यह सपना साकार हुआ। माताएं, बहनें खुले में शौच को जा रही थीं। वे या तो सूर्योदय के पहले या सूर्योदय के बाद जाती थीं, लेकिन आपको कभी पीड़ा नहीं हुई। उसका कारण यह था कि आपने गरीबों और गरीबी को टीवी में देखा है, अखबार की सुर्खियों में देखा है। आपको गरीब की जिंदगी का पता नहीं है, वरना आप उसके साथ ऐसा जुल्म नहीं करते। इस देश की 80 प्रतिशत जनता पीने के शुद्ध पानी के लिए तरसती रही।

क्या हमारा संविधान आपको रोकता था? संविधान तो यह चाहता था कि सामान्य मानवी को सुविधाएं दी जाएं। ... (व्यवधान) आदरणीय अध्यक्ष जी, इस काम को भी हमने बहुत समर्पण भाव से

आगे बढ़ाया है।

आदरणीय अध्यक्ष जी, इस देश की करोड़ों माताएं चूल्हे में खाना पकाती थीं, जिसके धुएं से उनकी आंखे लाल हो जाती थीं। कहते हैं कि सैंकड़ों सिगरेट के बराबर धुआं, चूल्हे पर खाना पकाते समय शरीर में चला जाता है। इतना ही नहीं कि माताओं-बहनों की आंखे लाल होती थीं, बल्कि उनका शरीर और स्वास्थ्य भी खत्म हो जाता था। धुएं से उनको मुक्त करने का काम हमने किया। वर्ष 2013 तक यह चर्चा चलती थी कि 9 सिलेण्डर देंगे या 6 सिलेण्डर देंगे। इस देश में देखते ही देखते हर घर तक गैस का सिलेण्डर हमने पहुंचा दिया, क्योंकि हमारे लिए हर नागरिक महत्वपूर्ण है।

70 साल के बाद जो बेसिक सुविधाएं हैं, उसकी तरफ, अगर हमारा गरीब परिवार दिन-रात मेहनत करके गरीबी से बाहर निकलने की कोशिश करता है, बच्चों को पढ़ाना चाहता है, लेकिन घर में एक बीमारी आ जाए तो उसका सारा प्लान बेकार हो जाता है, पूरे परिवार की सारी मेहनत पानी में चली जाती है। क्या इन गरीब परिवारों के इलाज के लिए आप सोच नहीं सकते थे? 50-60 करोड़ देशवासियों को मुफ्त इलाज मिले, संविधान की इस भावना का आदर करते हुए हमने आयुष्मान योजना को लागू किया। आज देश में 70 साल से ऊपर के नागरिक के लिए, चाहे वह किसी भी वर्ग से क्यों न हो, उनके लिए भी हमने व्यवस्था की है।

आदरणीय अध्यक्ष जी, जरूरतमंदों को राशन देने की बात का भी मजाक उड़ाया जा रहा है। जब हम कहते हैं कि 25 करोड़ लोग गरीबी को परास्त करने में सफल हुए हैं तो फिर हम से सवाल पूछा जाता है कि आप गरीब को फ्री राशन क्यों दे रहे हो? आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जो गरीबी से निकल के आया है, उसे पता होता है कि अस्पताल से जब पेशेंट को छुट्टी दी जाती है तो डॉक्टर उसे कहता है कि आप घर जाइए, आपकी तबियत ठीक है, ऑपरेशन अच्छा हुआ है, लेकिन महीने भर के लिए यह-यह संभालना और यह-यह मत करना। ऐसा इसलिए ताकि पेशेंट दोबारा तकलीफ में न आए। गरीब दोबारा गरीब न बने इसलिए उसकी हैण्ड होल्डिंग जरूरी है। इसीलिए हम मुफ्त राशन दे रहे हैं। उसका मजाक मत उड़ाओ। क्योंकि जो गरीबी से बाहर निकला है, उसे हमें दोबारा गरीबी में नहीं जाने देना है और जो अभी-अभी गरीबी में है, उसे हमें गरीबी से बाहर लाना है।

आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारे देश में गरीबों के नाम पर जो जुमले चले, उन्हीं गरीबों के नाम पर बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। किया गया गरीबों के नाम पर लेकिन वर्ष 2014 तक इस देश के 50 करोड़ नागरिक ऐसे थे, जिन्होंने बैंक का दरवाजा तक नहीं देखा था। … (व्यवधान) गरीब को बैंक में प्रवेश तक नहीं था। यह पाप आपने किया। आज 50 करोड़ गरीबों के बैंक खाते खोलकर के हमने बैंक के दरवाजे गरीब के लिए खोल दिए हैं। … (व्यवधान) एक प्रधान मंत्री कहते थे कि दिल्ली से एक रुपया निकलता है तो 15 पैसे पहुंचते हैं। लेकिन उनको उपाय नहीं आता था। उपाय हमने दिखाया। आज दिल्ली से एक रुपया निकलता है और सौ के सौ पैसे गरीब के खाते में जाते हैं। … (व्यवधान) हमने बैंक का सही इस्तेमाल कैसे करना है? बैंक का सही उपयोग कैसे करना है? वह हमने दिखाया है। … (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मोबाइल न देखें।

श्री नरेन्द्र मोदी : बिना गारंटी के ऋण- जिन लोगों को बैंक के दरवाजे तक जाने की इजाजत नहीं थी, आज हमारी स्थिर सरकार का संविधान के प्रति जो समर्पण है, उसकी वजह से आज गरीब बिना गारंटी के बैंक से लोन ले सकता है। यह ताकत हमने गरीब को दी है।

आदरणीय अध्यक्ष जी, गरीबी हटाओं का जुमला इसी के कारण जुमला बनकर के रह गया। गरीब को इस मुश्किल से मुक्ति मिले, यह हमारा बहुत बड़ा मिशन है और यह हमारा संकल्प है और हम इसके लिए दिन-रात एक कर रहे हैं। जिनको कोई नहीं पूछता, उनको मोदी पूजता है।

आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारा दिव्यांगजन हर दिन संघर्ष करता है। अब जाकर के हमारे दिव्यांग को फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, उसकी व्हील चेयर आगे तक जाए, ट्रेन के डिब्बे तक जाए, यह व्यवस्था दिव्यांगजन के लिए करने का हमारे दिल में तब आया, क्योंकि समाज के दबे-कुचले, वंचित लोगों की चिंता करना हमारे मन में था और यह तब हुआ।

आदरणीय अध्यक्ष जी, आप मुझे बताइए, एक तो भाषा के नाम पर झगड़ा करना तो आपने सिखा दिया, लेकिन मेरे दिव्यांगजनों के साथ कितना अन्याय किया। हमारे यहां पर साइन लैंग्वेज की जो व्यवस्था है, खासकर मूक-बधिर के लिए है। अब दुर्भाग्य ऐसा देश का कि असम में जो भाषा सिखाई

जाए, उत्तर प्रदेश में दूसरी सिखाई जाए। उत्तर प्रदेश में दूसरी सिखाई जाए तो महाराष्ट्र में तीसरी सिखाई जाए। हमारे दिव्यांगजनों के लिए एक साइन लैंग्वेज का होना बहुत जरूरी था। आजादी के सात दशक बाद भी उनको उन दिव्यांगजनों की याद नहीं आई। एक कॉमन साइन लैंग्वेज बनाने का काम हमने किया, जो आज देश के मेरे सभी दिव्यांग भाई-बहनों के लिए काम आ रही है।

आदरणीय अध्यक्ष जी, घुमंतू और अर्द्ध घुमंतू जन समूह, समाज में इन्हें कोई पूछने वाला नहीं था। उनके कल्याण के लिए वेलफेयर बोर्ड बनाने का काम हमने किया, क्योंकि ये लोग संविधान की प्राथमिकता हैं। हमने उनको दर्जा देने का काम किया है।

आदरणीय अध्यक्ष जी, हर कोई रहेड़ी-पटरी के लोगों से जानता है। हर मोहल्ले में, हर इलाके में, हर फ्लैट में, हर सोसाइटी में सुबह होते ही वह रेहड़ी-पटरी वाला आकर के, मेहनत करके लोगों का जीवन चलाने में मदद करता है। वह बेचारा 12-12 घंटे काम करे, रेहड़ी भी किसी से किराए पर ले ले, किसी से ब्याज से पैसा ले, पैसे से सामान खरीदे, शाम को ब्याज खाऊ पैसा ले जाए और बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों के लिए ब्रेड का टुकड़ा ले जा सके, यह हालत थी। यह हमारी सरकार है कि रेहड़ी-पटरी वालों के लिए 'स्वनिधि योजना' बनाकर बैंक से उनको बिना गारंटी लोन देने का काम शुरू किया और आज उस 'स्वनिधि योजना' के कारण वह तीसरे राउंड तक पहुंचा है और अधिकतम लोन बैंक से, उसको सामने से मिल रहा है। उसकी प्रतिष्ठा और उसका विस्तार हो रहा है, विकास भी हो रहा है।

आदरणीय अध्यक्ष जी, इस देश में हममें से कोई ऐसा नहीं होगा, जिसको विश्वकर्मा की जरूरत न पड़ती हो। समाज की व्यवस्था में एक बहुत बड़ी व्यवस्था बनी थी, सदियों से चली आ रही थी, लेकिन उसे विश्वकर्मा साथियों के लिए कभी पूछा नहीं गया। हमने विश्वकर्मा के कल्याण के लिए योजना बनाई। बैंक से लोन लेने की व्यवस्था की। उनको नई ट्रेनिंग देने की व्यवस्था की। उनको आधुनिक टूल्स देने की व्यवस्था की, नई डिजाइन से काम बनाने की चिंता की और उसको हमने मजबूत बनाने का काम किया।

आदरणीय अध्यक्ष जी, ट्रांसजेंडर, जिसको परिवार ने दुत्कार दिया, जिसको समाज ने दुत्कार

दिया, जिसकी कोई चिंता करने वाला नहीं था, यह हमारी सरकार है कि इसको भी भारत के संविधान ने हक दिए हैं। उस ट्रांसजेंडर के अधिकारों के लिए कानून और व्यवस्थाएं बनाने का काम भी हमने किया है। उनको गरिमापूर्ण जीवन मिले, उनके अधिकारों की सुरक्षा के लिए हमने काम किया है।

आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारा आदिवासी समाज, इतनी सारी बातें कर लिए, मुझे याद है कि जब मैं गुजरात का मुख्य मंत्री बना तो हमारे यहां उमरगाम से अम्बाजी तक एक पूरा बैल्ट, गुजरात का पूरा पूर्वी हिस्सा आदिवासी बैल्ट है। एक कांग्रेस के मुख्य मंत्री आदिवासी रह चुके हैं। इतने सालों के बाद भी उस पूरे इलाके में एक भी साइंस स्ट्रीम का स्कूल नहीं था।

मेरे आने से पहले एक भी साइंस स्ट्रीम की स्कूल नहीं। अगर साइंस स्ट्रीम की स्कूल नहीं है, तो कितनी आरक्षण की बातें करो, वे बेचारे इंजीनियर और डॉक्टर कैसे बन सकते हैं। यह मैंने उस इलाके में काम किया और वहां साइंस स्ट्रीम स्कूल्स हैं। अब तो वहां यूनिवर्सिटीज भी बन गई हैं। यानी राजनीति की चर्चा करना, संविधान के अनुरूप काम न करना, यह जिनकी सत्ता भूख है न, उसका। हमने आदिवासी समाज में भी जो अति पिछड़े लोग हैं और मैं राष्ट्रपति जी का आभार व्यक्त करता हूं उन्होंने मेरा काफी मार्गदर्शन किया। राष्ट्रपति महोदया ने मेरा मार्गदर्शन किया और पीएम - जनमन योजना में भी। हमारे देश में बिखरे-बिखरे आदिवासी समाज के छोटे-छोटे समूह हैं, जो आज भी, आज भी उनको कोई सुविधा प्राप्त नहीं हुई थी। हमने ढूंढ-ढूंढ कर, संख्या बहुत कम है, वोट की राजनीति में उनकी तरफ देखने वाला कोई नहीं था, लेकिन मोदी है, जो आखिर को भी पूछता है। इसलिए हमने उनके लिए पीएम-जनमन योजना के द्वारा उनका विकास किया।

आदरणीय अध्यक्ष जी, जैसे समाजों में उनके विकास संतुलित होने चाहिए। पिछड़े से पिछड़े व्यक्ति को भी संविधान अवसर देता है, जिम्मेवारी भी सरकार को देता है। उसी प्रकार से कोई भू-भाग भी, कोई हमारा ज्योग्राफिकल इलाका भी, वह पीछे नहीं रहना चाहिए और हमारे देश में किया क्या, 60 सालों के दरम्यान 100 डिस्ट्रिक्ट्स आइडेंटिफाई करके कह दिया कि ये तो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं और बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स का ऐसा लेबल लग गया कि किसी की ट्रांसफर होती थी, तो वह कहता था – पनिशमेंट पोस्टिंग, तो कोई जिम्मेवार अफसर नहीं जाता था। हमने पूरी स्थिति को बदल दिया।

हमने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की एक कल्पना रखी और 40 पैरामीटर पर, ऑनलाइन रेग्युलर मॉनिटरिंग करते रहे और आज एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स उस राज्य के अच्छे जिलों की बराबरी करने लग गए और कुछ तो नेशनल एवरेज की बराबरी करने लगे। भू-भाग भी पीछे न रहे। इसको आगे ले जा करके हमने पांच सौ ब्लॉक्स को एस्पिरेशनल ब्लॉक्स बना करके उनके डेवलपमेंट पर स्पेशल फोकस करने की दिशा में हम काम कर रहे हैं।

आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं हैरान हूं कि जो लोग बड़ी-बड़ी कथाएं सुनाते हैं, क्या इस देश में आदिवासी समाज वर्ष 1947 के बाद आया? जब राम और कृष्ण थे, तब आदिवासी समाज नहीं था। जो आदिवासी समाज को हम आदिवासी पुरुष, भील पुरुष भी कहते हैं, लेकिन आजादी के कई दशकों के बाद भी इतना बड़ा आदिवासी समूह, उनके लिए अलग मंत्रालय नहीं बनाया गया। पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई और उन्होंने अलग आदिवासी मंत्रालय बनाया, अलग आदिवासियों के विकास और विस्तार के लिए बजट दिया।

आदरणीय अध्यक्ष जी, क्या हमारा मछुआरा समाज अभी-अभी आया है? क्या उन पर आपकी नजर नहीं गई। इन मछुआरा समाज के कल्याण के लिए पहली बार हमारी सरकार ने आकर के फिशरीज का अलग मंत्रालय बनाया। उनके कल्याण के लिए अलग से हमने बजट दिया। समाज के इस तबके की चिंता की।

आदरणीय अध्यक्ष जी, मेरे देश का छोटा किसान उसके जीवन में सहकारिता एक मुख्य अंग है। छोटे किसान की जिंदगी को सामर्थ्य देने के लिए सहकारी क्षेत्र को जिम्मेवार बनाना, सहकारी क्षेत्र को सामर्थ्यवान बनाना, सहकारी क्षेत्र को बल देना, इसकी महात्मय हम समझते हैं। क्योंकि छोटे किसान की चिंता हमारे दिल में थी और इसलिए हमने अलग सहकारिता मंत्रालय बनाया। हमारे सोचने का तरीका क्या है? हमारे देश में नौजवान हैं। पूरा विश्व आज वर्कफोर्स के लिए तरस रहा है। देश में डेमोग्राफिक डिविडेंड लेना है तो हमारे इस वर्कफोर्स को स्किल्ड बनाना चाहिए। हमने अलग स्किल्ड मंत्रालय बनाया ताकि दुनिया की आवश्यकता के अनुसार मेरे देश के नौजवान तैयार हों और विश्व के साथ आगे बढ़ें।

आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारा नॉर्थ ईस्ट, इसलिए की वहां वोट कम है, सीटें कम हैं, इसकी कोई परवाह नहीं है। यह अटल जी की सरकार थी जिसने पहली बार नॉर्थ-ईस्ट के कल्याण के लिए डोर्नियर मंत्रालय की व्यवस्था की। आज उसका परिणाम है कि नॉर्थ ईस्ट के विकास की नई चीजों को हम प्राप्त कर पाएं। इसी के कारण रेल, रोड, पोर्ट, एयरपोर्ट – ये बनने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। … (व्यवधान)

आदरणीय अध्यक्ष जी, आज भी दुनिया के देशों में लैंड रिकॉर्ड को लेकर, समृद्ध देशों को भी कई संकट हैं। हमने, गांव के हर सामान्य व्यक्ति को, अपना लैंड रिकॉर्ड, उसके घर के मालिकी के हक का कागज नहीं है, उसके कारण उसको बैंक से लोन चाहिए हो, कहीं बार जाए तो कोई कब्जा कर लेगा, एक स्वामित्व योजना बनाई और देश के, गांव के ऐसे समाज के दबे-कुचले लोगों को वह कागज हम दे रहे हैं, जिसके कारण उसका मालिकी हक बन रहा है। वह स्वामित्व योजना एक बहुत बड़ा कदम है। … (व्यवधान)

आदरणीय अध्यक्ष जी, इन सारे कामों के कारण पिछले दस वर्ष में हमने जो प्रयास किया, हमने जिस प्रकार से गरीब को मजबूती देने का काम किया है, हमने जिस प्रकार से गरीब के अदंर एक नया आत्मविश्वास पैदा किया है, और एक सही दिशा में चलने का परिणाम है कि आज इतने कम समय में मेरे देश के 25 करोड़, मेरे गरीब साथी गरीबी को परास्त करने में सफल हुए हैं और हमें इस बात का गर्व है। मैं संविधान निर्माताओं के सामने सर झुका कर कहता हूं, जो संविधान हमें दिशा दे रहा है, उसके तहत मैं यह काम कर रहा हूं।

आदरणीय अध्यक्ष जी, जब हम सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं तो वह नारा नहीं है। वह हमारा आर्टिकल ऑफ फेथ है। इसीलिए हमने सरकार की योजनाएं भी बिना भेदभाव के चलाने की दिशा में काम किया है और संविधान हमें भेदभाव की अनुमति नहीं देता है। इसीलिए हमने आगे चलकर कहा है– सेचुरेशन, जिसके लिए जो योजना बनी है, उसका लाभ उन लाभार्थी को, 100 परसेंट लाभार्थी को मिलना चाहिए। यह सेचुरेशन, अगर सच्चा सेकुलरिज्म कोई है न, तो यह सेचुरेशन में है। अगर सच्चा सामाजिक न्यास किसी में है, तो यह सेचुरेशन में है। 100 प्रतिशत, शत-प्रतिशत उसको

बेनिफिट, जिसका हक है, मिलना चाहिए, बिना भेदभाव के मिलना चाहिए। यह भाव लेकर हम सच्चे सेकुलरिज्म को और सच्चे सामाजिक न्याय को लेकर जी रहे हैं।

आदरणीय अध्यक्ष जी, समाधान के हमारे एक और स्पिरिट हुई है और हमारे देश को दिशा देने का माध्यम है। देश को चालक बल के रूप में राजनीति केन्द्र में रहती है, आने वाले दशकों में हमारा लोकतंत्र, हमारी राजनीति की दिशा क्या होनी चाहिए, आज हमें मंथन करना चाहिए।

आदरणीय अध्यक्ष जी, कुछ दलों के राजनीतिक स्वार्थ और सत्ता का भाव, मैं जरा उनसे पूछना चाहता हूं। क्या वे कभी अपने आपको और मैं सभी दलों के लिए कह रहा हूं। उधर और इधर यह मेरा विषय नहीं है। ये मेरे मन के विचार हैं, जो मैं इस सदन के सामने रखना चाहता हूं। क्या इस देश में योग्य नेतृत्व को अवसर मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? जिनके परिवार में कोई राजनीति में नहीं है, क्या उनके लिए दरवाजे बंद हो जाएंगे? क्या देश को लोकतंत्र के स्पिरिट को परिवारवाद ने गहरा नुकसान किया है कि नहीं किया है? क्या परिवारवाद से भारत के लोकतंत्र की मुक्ति का अभियान चलाना यह संविधान के तहत हमारी जिम्मेवारी है कि नहीं है और इसीलिए समानता के सिद्धांत की बात कही है, अवसर की बात कही है, हिन्दुस्तान के हर किसी को … (व्यवधान) और जो परिवारवादी राजनीति है, उनकी धुरी ही परिवार होता है, सब कुछ परिवार के लिए होता है। देश के नौजवानों को आकर्षित करने के लिए, लोकतंत्र मजबूत बनाने के लिए और देश के युवाओं को आगे आने के लिए हम सभी राजनीति दलों को प्रयास करना चाहिए। सभी राजनीतिक दलों ने, जिनकी पार्श्वभूमि में राजनीतिक परिवार नहीं है, ऐसे फ्रेश ब्लड को लाने के लिए प्रयास करना, मैं मानता हूं कि देश के लोकतंत्र की और इसीलिए मैंने लाल किले से कहा है कि मैं एक विषय लेकर लगातार बोल रहा हूं, बोलता रहूंगा।

ऐसे एक लाख नौज़वानों को देश की राजनीति में लाना है, जिनके किसी भी परिवार का बैकग्राउंड राजनीतिक परिवार का नहीं है। इसलिए देश को एक फ्रेश एयर की जरूरत है, देश को नयी ऊर्जा की जरूरत है, देश को नये संकल्प और सपने लेकर आने वाले युवकों की जरूरत है। जब हम भारत के संविधान के 75 वर्ष मना रहे हैं, तो हम इस दिशा में आगे बढ़ें।

आदरणीय अध्यक्ष जी, मुझे याद है, मैंने एक बार लाल किले से संविधान में, हमारे कर्तव्य को लेकर उल्लेख किया था। मैं हैरान हूँ कि जिनको संविधान का 'स' समझ में नहीं आता है, वे कर्तव्य का भी मजाक उड़ाने लगते हैं। मैंने दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं देखा है, जिसको इसमें भी ऐतराज हो सकता है। लेकिन देश का दुर्भाग्य है, हमारे संविधान ने नागरिकों के अधिकार तय किये हैं, लेकिन संविधान को हमसे कर्तव्य की भी अपेक्षा है। हमारी सभ्यता का सार है- कर्म-डयूटी-कर्तव्य। यह हमारी सभ्यता का सार है। महात्मा गांधी जी ने कहा था, महात्मा जी का कोट है, उन्होंने कहा था:

"मैंने अपनी अशिक्षित लेकिन विद्वान माँ से सीखा है कि हम अपने कर्तव्यों को जितना अच्छे से निभाते हैं, उसी से अधिकार निकल करके आता है।"

मैं महात्मा जी की बात को आगे बढ़ाता हूँ और मैं कहना चाहूंगा कि अगर हम अपने मौलिक कर्तव्यों का पालन करें, तो कोई भी हमें विकसित भारत बनाने से नहीं रोक सकता है।

संविधान का 75वाँ वर्ष कर्तव्य के प्रति हमारे समर्पण भाव को, हमारी प्रतिबद्धता को और ताकत दे। देश कर्तव्य-भावना से आगे बढ़े। यह मैं जानता हूँ, यह समय की माँग है। आदरणीय अध्यक्ष जी, भारत के भविष्य के लिए संविधान की स्पिरिट से प्रेरित होकर, मैं आज इस सदन के पवित्र मंच से 11 संकल्प सदन के सामने रखना चाहता हूँ:

पहला संकल्प है- चाहे नागरिक हो या सरकार हो, सभी अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे।

दूसरा संकल्प है- हर क्षेत्र, हर समाज को विकास का लाभ मिले, सबका साथ सबका विकास हो।

तीसरा संकल्प है- भ्रष्टाचार के प्रति ज़ीरो टॉलरेंस हो। भ्रष्टाचारी की सामाजिक स्वीकार्यता न हो।

चौथा संकल्प है- देश के कानून, देश के नियम, देश की परम्पराओं के पालन में, देश के नागरिकों को गर्व होना चाहिए, गर्व का भाव हो।

पाँचवाँ संकल्प है- गुलामी की मानसिकता से मुक्ति हो, देश की विरासत पर गर्व हो।

छठा संकल्प है- देश की राजनीति को परिवारवाद से मुक्ति मिले।

सातवाँ संकल्प है- संविधान का सम्मान हो, राजनीतिक स्वार्थ के लिए संविधान को हथियार न बनाया जाए।

आठवाँ संकल्प है- संविधान की भावना के प्रति समर्पण रखते हुए, जिनको आरक्षण मिल रहा है, वह न छीना जाए और धर्म के आधार पर आरक्षण की हर कोशिश पर रोक लगे।

नौवां संकल्प – 'वूमेन लेड डेवलपमेंट' में भारत दुनिया के लिए मिसाल बने। … (व्यवधान)

दसवां संकल्प – राज्य के विकास से राष्ट्र का विकास, यह हमारा विकास का मंत्र हो।

ग्यारहवां संकल्प – 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' का ध्येय सर्वोपरि हो। … (व्यवधान)

आदरणीय अध्यक्ष जी, इसी संकल्प के साथ हम सब मिलकर अगर आगे बढ़ते हैं, तो संविधान की जो निहित भावना है – 'We the People', सबका प्रयास, हम इसी मंत्र को लेकर आगे चलें और 'विकसित भारत' का सपना इस सदन में बैठे हुए सबका तो होना ही चाहिए, 140 करोड़ देशवासियों का जब सपना बन जाता है और संकल्प लेकर जब देश चल पड़ता है, तो इच्छित परिणाम लेकर रहता है। … (व्यवधान) 140 करोड़ देशवासियों के प्रति मेरी अपार श्रद्धा रही है, उनके सामर्थ पर मेरी श्रद्धा है, देश की युवाशक्ति पर मेरी श्रद्धा है, देश की नारीशक्ति पर श्रद्धा है। इसीलिए, मैं कहता हूं कि देश जब वर्ष 1947 में आजादी के 100 साल मनाएगा, तो 'विकसित भारत' के रूप में मनाएगा। … (व्यवधान) इस संकल्प के साथ हम आगे बढ़ें। मैं फिर एक बार इस महान और पवित्र कार्य को आगे बढ़ाने के लिए सबको शुभकामनाएं देता हूं।

आदरणीय अध्यक्ष जी, आपने समय बढ़ाया, इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही सोमवार, दिनांक 16 दिसम्बर, 2024 को प्रात: ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

19.47 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Monday, December 16, 2024/ Agrahayana 25, 1946 (Saka).

____

INTERNET

The Original Version of Lok Sabha proceedings is available on Parliament of India Website and Lok Sabha Website at the following addresses:

www.sansad.in/ls

LIVE TELECAST OF PROCEEDINGS OF LOK SABHA

Lok Sabha proceedings are being telecast live on Sansad T.V. Channel. Live telecast begins at 11 A.M. everyday the Lok Sabha sits, till the adjournment of the House.

Published under Rules 379 and 382 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha (Seventeenth Edition)